

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४२४६

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

(०४) २ = (४४)

(१०४)

सम्मेलन-पत्रिका

[त्रैमासिक]

[भाग-५५, सख्या-३, ४]
[आषाढ़-मार्गशीर्ष, शक १८९१]

गांधी-टंडन-स्मृति-अंक

सम्पादक

ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'
रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री

वार्षिक शुल्क
आठ रुपए }

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

{ इस अंक का मूल्य
आठ रुपए

प्रकाशक :
हिन्दी साहित्य सम्मेलन
प्रयाग

मूल्य : आठ रुपए

मुद्रक :
श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री
सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

विषय - सूची

प्रथम खंड

महात्मा गांधी : राष्ट्रभाषा हिन्दी

लेख-लेखक	पृष्ठ-संख्या
१. श्रद्धांजलि [श्री सुमित्रानन्दन पन्त]	२
२. हिन्दी का अक्षयवट [डाक्टर सेठ गोविन्ददास]	३
३. राष्ट्रभाषा हिन्दी : आशीर्वाद और संरक्षण [माननीय श्री जयजीवनराम]	४
४. महात्मा गांधी श्रीकृष्ण प्रतिकृति [श्री गोपाल शास्त्री, दर्शन केसरी]	५
५. भारतीय सविधान सभा में राष्ट्रभाषा हिन्दी [श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी]	७
६. आदर्श जीवन के दो महान् व्यक्तित्व [माननीय श्री प्रकाश]	१६
७. राष्ट्रभाषा-प्रचार : गांधीजी और टंडनजी का सहयोग [आचार्य काका कालेलकर]	२४
८. हिन्दी-हिन्दुस्तानी-विवाद [डाक्टर रामधारी सिंह 'दिनकर']	३१
९. महात्मा गांधी : कुछ स्मृतियाँ [डाक्टर प्रभाकर माचवे]	४०
१०. गांधीजी : कुछ संस्मरण [प्रोफेसर ए० चन्द्रहासन]	४६
११. दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार [डाक्टर जयशंकर त्रिपाठी, एम० ए०, डी० फिल्०]	५०
१२. महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी [डाक्टर सत्यप्रकाश, एम० एस-सी०, डी० लिट्०]	५७
१३. हिन्दी साहित्य सम्मेलन और गांधीजी [श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री]	६३
१४. साहित्य, आत्मतत्व और गांधीजी [डाक्टर देवराज उपाध्याय, एम० ए०, पी-एच० डी०]	७२
१५. गांधी-टंडन और राष्ट्रभाषा की समस्या [डाक्टर लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु', एम० ए०, डी० लिट्०]	७८
१६. बापू को खड़ीबोली के कवियों की पुष्पांजलियाँ [डाक्टर निर्मला अन्नवाल, एम० ए०, डी० फिल्०]	८४

१७. पूज्य बापू के पावन दर्शन [श्री जेठालाल जोषी]	६३
१८ महात्मा गांधी और हिन्दी [आचार्य श्री भीताराम चतुर्वेदी]	६६
१९. गांधी-साहित्य : एक परिचय [श्री द्वारकाप्रसाद शास्त्री]	१०२
२०. राष्ट्रपिता गांधीजी को 'महात्मा' की उपाधि [श्री कैलाशनाथ मेहरोत्रा]	११०
२१ गांधीजी का वह ऐतिहासिक भाषण [श्री लट्मीशकर व्यास, एम० ए०]	११५
२२. इंदौर हिन्दी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी का भाषण	१२२
२३. इंदौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चौबीसवाँ अधिवेशन : गांधीजी का भाषण	१२६
२४. गांधीजी के भाषण [अखिल भारतीय साहित्य परिषद् नागपुर, राष्ट्रभाषा; राष्ट्रभाषा के पद पर हिन्दी, बंबई में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बैठक में, विश्व-विद्यालयों की शिक्षा का माध्यम, हिन्दी नवजीवन, राष्ट्रीय शिक्षा, मारवाड़ी भाइयों और बहनों से, कलकत्ता की सार्वजनिक सभा में, ढाका की सार्वजनिक सभा में, हिन्दी प्रचार कार्यालय मद्रास में, श्रीरंगम् की सार्वजनिक सभा में, हिन्दुस्तानी, प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा, कलकत्ता में राष्ट्रीय महाविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर, स्वामी मत्स्यदेव को पत्र और हमसे गलतियाँ हो जाती हैं]	१४१
२५. गांधी : राष्ट्र-वाणी मंकलन [श्री प्रह्लादनारायण खन्ना]	१६१

द्वितीय खंड

राजर्षि टंडन : राष्ट्रभाषा हिन्दी

१. श्रद्धाजलि [माननीया श्रीमती मदालसा नारायण]	१७२
२. राजर्षि टंडन जी और राष्ट्रभाषा [माननीय श्री श्रीमन्नारायण]	१७३
३. पूज्य बाबू जी [डाक्टर रामकुमार वर्मा]	१७४
४. राजर्षि-चरितम् (संक्षिप्तम्) [श्री गोपाल गान्धी, दर्शन केसरी]	१७६
५. आदर्श जीवन [पंडित मौलिकन्द्र शर्मा]	१७८
६. कविता [राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन]	१८०
७. बदर-सभा महाकाव्य [राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदाम टंडन]	१८३
८. राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि [आचार्य विनोबा भावे]	१८७
९. भाषा-स्वराज्य [डाक्टर बाबूराम सक्सेना]	१९८
१०. संत राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन [श्रीमती महादेवी वर्मा]	२००
११. पूज्य बाबू जी का नैतिक व्यक्तित्व [श्री बियोमी हरि]	२०२
१२. आदर्श महामानव राजर्षि टंडन जी [डाक्टर सूर्यनारायण व्यास]	२०५

१३. हिन्दी-गंगा के भगीरथ [आचार्य श्री किशोरीदास बाजपेयी]	२०७
१४. हिन्दुस्तानी और टंडन जी [मेठ कमलनयन बजाज]	२१२
१५. राजर्षि टंडन जी : एक संस्मरण [डाक्टर उदयनारायण तिवारी, एम० ए०, डी० लिट्०]	२१६
१६. राजर्षि टंडन जी : एक संस्मरण [प्रोफेसर ए० चन्द्रहामन]	२२४
१७. स्वाधीनता-संग्राम के वीर सेनानी टंडन जी [श्री महावीरप्रसाद शुक्ल, ससद-मदस्य]	२२६
१८. माधु पुरुष राजर्षि पुरुषोत्तमदाम टंडन [श्री तारकेश्वर पांडेय, मसद-सदस्य]	२२६
१९. पूज्य बाबू जी, हमारा परिवार और लोकपक्ष [प्रोफेसर गुरुप्रसाद टंडन, एम० ए०]	२३२
२०. भारतीय मसद में राजर्षि टंडन जी [श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी]	२३६
२१. हिन्दी साहित्य सम्मेलन और राजर्षि टंडन जी [श्री रामप्रताप त्रिपाठी, सार्वत्री]	२४४
२२. राजर्षि टंडन जी . सत्यता और त्याग के प्रतीक [कुँवर सुरेश सिंह]	२५८
२३. पूज्य बाबू जी के कुछ संस्मरण [श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल']	२६०
२४. राजर्षि टंडन जी के कुछ संस्मरण [श्री जेठालाल जोषी]	२६६
२५. संविधान : देवनागरी अंक : एक समस्या [डाक्टर कैलाशचन्द्र भाटिया, एम० ए०, डी० लिट्०]	२७५
२६. राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन [डाक्टर राय रामचरण अग्रवाल, एम० ए०, डी० फिल्०]	२८१
२७. प्रातःस्मरणीय बाबू जी [श्री कार्लिदास कपूर]	२८३
२८. हिन्दी-संग्रहालय में राजर्षि-कक्ष [श्री वाचस्पति गैरोला]	२८७
२९. राजर्षि टंडन जी : एक जीवन-श्रींकी [श्री भवानीप्रसाद गुप्त]	२९३
३०. टंडन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति [श्री रामेश्वरदयाल दुबे, एम० ए०]	३१२
३१. राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन [प्रिंसिपल श्री केदारनाथ गुप्त, एम० ए०]	३१६
३२. हिन्दी : राष्ट्रभाषा : देवनागरी लिपि [राजर्षि टंडन जी का भाषण]	३१६
३३. बाबू जी के प्रेरक जीवन-प्रसंग [श्री संतकुमार टंडन, एम० ए०]	३२८
३४. राजर्षि टंडन जी : तपस्या और सेवा के प्रतीक [श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी, एम० ए०]	३३६
३५. ऐसा निर्भीक नेता कहाँ है ? [श्री विद्या भास्कर]	३४४
३६. राजर्षि टंडन जी : लोकप्रिय व्यक्तित्व [कुमारी पुष्पा अग्रवाल]	३४६

चित्र-सूची

१. महात्मा गांधी (रेखाचित्र) ।
२. गोटल (सौराष्ट्र) में सन् १९१५ ई० में गांधी जी, श्रीमती कस्तूर बा तथा परिवार के साथ ।
३. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इंदौर के अष्टम अधिवेशन के समय सम्मेलन के मभापति महात्मा गांधी तथा स्वागत-समिति के पदाधिकारी ।
४. राजर्षि श्री पुण्डरीकदास टंडन (रेखाचित्र) ।



वक्तव्य

किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की महत्ता सर्वोपरि है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए बाईस वर्ष हो गये किन्तु राष्ट्रभाषा की समस्या अभी तक उलझन में पड़ी हुई है। यद्यपि भारतीय संविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कर दिया है किन्तु भारत के केवल दो प्रतिशत सरकार-परस्त अंग्रेजी-भक्तों ने उसके मार्ग को अवरोध कर रखा है। पिछले वर्षों में भाषा-विषयक भारतीय ससद से स्वीकृत कराकर अंग्रेजी का मार्ग प्रशस्त किया गया और हिन्दी के मार्ग में बाधा उत्पन्न की गई। सरकार की ओर से कहा गया कि अहिन्दी भाषा-भाषी तत्काल हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है जब तक वह पूर्ण रूप से समृद्ध और सक्षम न हो जायं, इसलिए तब तक अंग्रेजी का प्रचलन पूर्ववत् बना रहेगा। परिणामस्वरूप सरकार भी राष्ट्रभाषा के लिए कोई ठोस, सक्षम अथवा चमत्कारिक कदम अभी तक नहीं उठा पाई। हाँ, बड़े मधुर गति से वह राष्ट्रभाषा की समस्या हल करने में लगी हुई अवश्य है।

किन्तु राष्ट्रभाषा का प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्न है। संविधान ने भी यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया है तो बहुत समझ बूझ कर और अहिन्दी भाषा-भाषियों की गहमति से। किन्तु थोड़े से अंग्रेजी-परस्तों और कुछ राजनीतिक नेताओं ने, जो हिन्दी के विरोधी हैं, परस्पर मिल कर जो साठ-गाठ की, उसी का परिणाम है कि अभी तक राष्ट्रभाषा की समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो पाई। हिन्दी का किसी भी प्रादेशिक भाषा से कभी भी विरोध नहीं रहा और न उनके उन्नयन में यह बाधक रही है, वरन् वह तो राष्ट्रीय एकता, सौहार्द्र और पारस्परिक प्रेम की प्रतीक मात्र है। संस्कृत की पुत्री होने के कारण वह समस्त राष्ट्र में सरलता से समझी और बोली जाती है। इसी महत्व और अपनी गरिमा के कारण ही आज अहिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों में, विशेष कर दक्षिण भारत की जनता में स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक वर्षों पूर्व से ही हिन्दी को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हो गई है कि उसके बोलने, समझने और पढ़नेवालों की संख्या करोड़ों तक पहुँच गई है और दिन प्रति दिन उसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है। सदियों से दक्षिण और उत्तर भारत के संतों तथा धर्म-चिन्तकों ने पारस्परिक आदान-प्रदान, सौहार्द्र और प्रेम का जो पथ प्रशस्त किया था, उसका सांस्कृतिक संस्कार राष्ट्र की करोड़ों जनता को आज भी शक्ति प्रदान कर रहा है। जब अंग्रेजों का प्रभुत्व इस देश से समाप्त हो गया तो अंग्रेजी का प्रभुत्व भी अब कथमपि इस देश में टिक नहीं सकता। उसका अस्तित्व शीघ्र ही समाप्त होने का अवसर आ गया है। हिन्दी का युद्ध केवल अंग्रेजी से है, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी विचारधारा, अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी रहन-सहन तथा अंग्रेजी दृष्टिकोण से है न कि अपनी सहोदरीय भारतीय भाषाओं से। राष्ट्र को विशुद्ध रूप से भारतीय होना है तथा सांस्कृतिक एकता के एक सूत्र में बँधना है। जागरूक तथा स्वाधीन राष्ट्र को उसकी राष्ट्रभाषा से अंग्रेजी विरत नहीं रख सकती। भारतीय संविधान ने इसी दूरगामी दृष्टि से हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी को राष्ट्रलिपि के पद पर आसीन किया है।

हमारे देश के नेताओं ने, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता तथा सांस्कृतिक चेतना की अग्नि विदेशी सत्ता के विरुद्ध प्रज्वलित की, वह जानते थे कि राष्ट्र के स्वाधीन होने पर उसको एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होगी। उन्होंने स्वाधीनता-आन्दोलन के समानान्तर राष्ट्रभाषा के आन्दोलन का भी सूत्रपात किया। राष्ट्रभाषा हिन्दी के अक्षयवट का बीजारोपण सर्वप्रथम अहिन्दी भाषा-भाषी दक्षिण के महान् संतो, पंजाब के गुरु नानक, बंगाल के राजा राममोहन राय, श्री केशवचन्द्र सेन, महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक और गुजरात के महर्षि दयानन्द सरस्वती के द्वारा ही हुआ, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। पंडित मदनमोहन मालवीय और महात्मा गांधी ने उसे जीवन प्रदान किया और राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने उसे पल्लवित और पुष्पित करने में अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया। हिन्दी भाषा भाषियों ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हिन्दी को इस देश की राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करना है। सब तो यह है कि सन् १८५७ ई० से आज तक का राष्ट्रभाषा हिन्दी के आन्दोलन का अत्यन्त उज्ज्वल और ज्वलन्त इतिहास है। शोध और अनुशीलन की दृष्टि में पिछले एक शती का इतिहास यदि लिखा जाय तो वह राष्ट्रभाषा की एक महान् उपलब्धि सिद्ध हो सकती है किन्तु अंग्रेजी के प्रभावित विद्वानों तथा इतिहासकारों ने इस ओर अभी ध्यान ही नहीं दिया है। सरकार में हमें विशेष आशा नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी से प्रभावित सरकारी दृष्टि से राष्ट्रभाषा के निर्मित प्रति वर्ष करोड़ों रुपया व्यय कर के वह जो कुछ कर सकती है, कर रही है। इसका उत्तरदायित्व भाषा-सबधी सक्रिय कार्य करनेवाली समर्थ राष्ट्रीय मस्थाओं ही पर निर्भर है। तभी हिन्दी तथा अहिन्दी भाषा-भाषियों की राष्ट्रभाषा की कल्पना साकार रूप ग्रहण कर सकती है।

'गांधी-टंडन-स्मृति-अंक' राष्ट्रभाषा की उमी पूर्व कल्पना का साकार बनाने की एक कड़ी मात्र है। आधुनिक युग में महात्मा गांधी तथा राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने राष्ट्र का वाणी देने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। हमारा विश्वास है कि इन दोनों महान् पुरुषों के व्यक्तित्व तथा राष्ट्रभाषा सबधी महत्वपूर्ण कृतित्व पर अलग-अलग विशेषांक प्रकाशित किए जायें और उनमें अधिक से अधिक सामग्री प्रस्तुत की जायें किन्तु समय के अभाव तथा अनेक कठिनाइयों के कारण उसे क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका। फिर भी अपने ढंग का यह विशेषांक वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के हिन्दी रचनाकारों तथा साहित्यकारों का कुछ न कुछ मार्ग-दर्शन अवश्य कर सकता है। इस विशेषांक में महात्मा गांधी तथा राजर्षि टंडन जी के सबध में जो सामग्री प्रस्तुत की गई है उसमें उनके राष्ट्रभाषा प्रेम का पवित्र और उज्ज्वल दर्शन प्राप्त होता है। इस सबध में अभी अधिक से अधिक अनुसंधान और शोध होने की आवश्यकता है, बिखरी हुई तथा वर्षों की अस्तव्यस्त सामग्री को एकत्रित करना है जो भविष्य के लिए सदभ्रं का काम दे सकती है।

हमें आशा है कि 'गांधी-टंडन-स्मृति अंक' राष्ट्रभाषा प्रेमियों को पसंद आयेगा, साथ ही भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगा।

सम्पादक

विश्ववन्द्य पूज्य बापू



जन्म : २ अक्टूबर १८६९

निधन : ३० जनवरी १९४८

महात्मा गांधी : राष्ट्रभाषा हिन्दी
व्यक्तित्व, कृतित्व और संस्मरण
(प्रथम खण्ड)

भद्रांजलि



दीप-स्तंभ से कौन खड़े उस पार दूर पर—
निज प्रकाश-अंगुलि से जो अदृश्य इंगित कर
निर्देशन करते जन का पथ संकट-क्षण में
जो अविचल, निर्भीक रहे युग संघर्षण में!

उफनाता उद्वेलित दुर्गम जीवन-सागर
पद नत जिनके सम्मुख लगता रहा निरंतर!
पर्वत सा संकल्प लोक तृण-तरणी पर घर
पार कर गए जो अकूल भव जलनिधि दुस्तर!

तोड़ लौह शृंखला दासता की चिर दुर्जय
बना गए वे नियति भीत जनता को निर्भय!
स्वार्थ लुब्ध, कटु द्वेष क्षुब्ध, बहु मुंड विभाजित,
निखिल देश को युग प्रबुद्ध कर, ऐक्य-संगठित!

खोल गए चिर रुद्ध हृदय-पट तुम क्षण भर में
हिन्दी की दे स्वर्ण-कुंचिका जन जन कर में!
बन्ध, अमर युग सेनानी, पुरुषोत्तम-गांधी,
सौंसों में भर, लाए स्वतंत्रता की आंधी!

डाक्टर सेठ गोविन्ददास

हिन्दी का अक्षयवट

राष्ट्रभाषा हिन्दी के सूत्रधार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वाधीनता को स्थायी और सार्थक बनाने के लिए स्वातंत्र्य प्रयत्नों के साथ-साथ राष्ट्रभाषा के उत्थान और उन्नयन के लिए कार्यारम्भ किया। उनका मत था कि स्वाधीनता यदि कोटि-कोटि भारतवासियों की अभिलाषा हो सकती है तो उसकी अभिव्यक्ति भी उनकी अपनी भाषी से ही संभव है। बापू के लिए जिस तरह विदेशी शासन देश का दुर्भाग्य और एक अभिशाप था उसी तरह देश के जन-जीवन और उसकी जवान पर एक विदेशी भाषा का आधिपत्य। उनकी दृष्टि में दोनों ही अस्वाभाविक और अपवित्र थे।

यही वजह हुई कि उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसकी प्राण-प्रतिष्ठा के प्रयत्नों में उसे देश की स्वतंत्रता से कोई कम महत्व नहीं दिया। उनके जीवन भर के कार्यों में पन-पग पर भाषा-स्वातंत्र्य की उनकी आकांक्षा, उनके प्रयत्न और उन प्रयत्नों के परिणाम में देश के जन-जीवन में जो चेतना हमें परिलक्षित होती है, वह उनके राष्ट्रभाषा-प्रेम के ज्वलन्त प्रमाण हैं।

देश की एकता, उसकी समृद्धि और एक-सूत्रबद्धता के लिए उन्होंने देश के मानस में नागरी लिपि और हिन्दी की प्राण-प्रतिष्ठा की। उनके द्वारा हुआ वह बीजारोपण देश के मुद्दर अचलो में अंकुरित हो कर स्वाधीनता के साथ ही अपना एक स्वरूप लेकर सामने आया। राष्ट्रभाषा के इस स्वरूप को बापू के ही एक अनुयायी और अभिन्न साथी श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने अपने सेवा-संस्कारों से सिंचित कर पाला-पोसा। इतना ही नहीं उसकी इस विशाल गणराज्य के संविधान में प्राण-प्रतिष्ठा करायी। उन्होंने अपने जीवन से हिन्दी को भारत की संस्कृति की, उसकी आकांक्षाओं और अभिव्यक्ति का एक मुखर और प्रखर साधन बना दिया। इस प्रकार गांधी जी ने अपने स्वप्नों और संकल्पों के भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का जो बीजारोपण किया था वह टण्डन जी के पुण्य-प्रयत्नों से आज एक अक्षयवट का रूप ग्रहण कर चुका है। इसकी शाखा-प्रशाखाओं के रूप में देश की अन्य भाषाएं आज सुशोभित हो रही हैं और देश का जन-जीवन बहुत तेजी से हिन्दी रूपी इस विशाल अक्षयवट की छाया में अपने प्रयत्नों को सफलीभूत बनाने का इच्छुक और आकांक्षी बनता जा रहा है।

इस भाषा-अक्षयवट के रोपक और पोषक पूज्य बापू और राजर्षि टण्डन जी को मेरी शतशः श्रद्धांजलि !

अन्वय-मार्गशीर्ष, शक १८९१]

राष्ट्रभाषा हिन्दी : आशीर्वाद और संरक्षण

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की पत्रिका का 'गांधी-टण्डन स्मृति अंक' प्रकाशित हो रहा है, यह जान कर प्रसन्नता हुई। भारत महान व्यक्तियों का देश रहा है। दूसरे के प्रति आक्रामक न होकर अपने त्याग और बलिदान के आधार पर अपने अधिकारों की प्राप्ति और उनकी रक्षा करना भारत की अनोखी परम्परा रही है। गांधी जी ने इसी परम्परा को अपनाकर अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा जन-जागरण किया और देश को स्वतंत्र कराया। स्वतंत्र देश की अपनी एक राष्ट्र और राज्य भाषा होनी चाहिए और वह भाषा बहु-संख्यक जनता की भाषा हिन्दी ही हो सकती है, यह तथ्य उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। यही कारण था कि अहिन्दी भाषी होते हुए भी उन्होंने हिन्दी को ही अपने कार्य के लिए अपनाया। स्वामी दयानन्द ने भी अहिन्दी भाषी होते हुए हिन्दी को अपने प्रचार का माध्यम बनाया था। दूरदर्शी महापुरुषों की यही विशेषता रही है।

गांधी जी ने हिन्दी को अपनाया ही नहीं उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आदि सस्थाओं को अपना आशीर्वाद दिया। टण्डन जी ने गांधी जी के इस कार्य को गति देने के लिए सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया और वे सम्मेलन ही नहीं हिन्दी की अनेक सस्थाओं के लिए मार्ग-दर्शक स्तम्भ सिद्ध हुए। गांधी जी और टण्डन जी की हिन्दीसेवा देशसेवा का ही एक अंग था। इनमें भेद करना मम्भव नहीं। हिन्दी देश के संविधान में राष्ट्र और राजभाषा का पद प्राप्त कर सकी, इसमें इनका बड़ा योगदान रहा है। आज भी देश को भावनात्मक एकता में आबद्ध रखने के लिए एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता है जो निश्चय ही हिन्दी है। इसका प्रचार-प्रसार करना देश की एकता को दृढ़ करना है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन "गांधी-टण्डन स्मृति अंक" प्रकाशित कर के उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन तो कर ही रहा है, यह हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भी सहायक सिद्ध होगा,—इसमें दो मत नहीं।

नई दिल्ली, ८ जुलाई १९६६

श्री गोपाल शास्त्री, दर्शनकेसरी

महात्मा गांधी श्रीकृष्ण-प्रतिकृतिः

मम दृष्टी गान्धी महात्मा श्रीकृष्णस्य कर्मठयोगिराजस्यैव भगवतः प्रतिकृतिरासीदिति
अद्यस्तन-पद्यैः स्फुटं निर्विद्यते—

अयि महात्मन् !

“यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्वृजितमेव वा ।
तत्तद्देवायगच्छ त्वं मम तेजोऽस्तम्भवम् ॥” (भगवद्गीता १०।४१)

इति यद् भगवानाह पार्थाशय रणमूर्धनि ।
तत्प्रतीको भवानासीदिति मे निश्चिता मतिः ॥१॥

नवनीतादिकं बाल्ये कृष्णेनापहृतं बलात् ।
त्वया वृष्टिशराब्धाद् हठास्त्ववणमाहृतम् ॥२॥

गावः सुरक्षिता यद्वत्कृष्णेन गोपवृत्तिना ।
तथा तवापि मोरक्षा प्रतिष्ठा प्रथिता भुवि ॥३॥

सम्ब्रम्भनास्तेनोन्नीतं रत्नं सुधादिकम् ।
बहुरत्नं त्वयोन्नीतं स्वातन्त्र्याद् भारतेऽधुना ॥४॥

द्रौपदी रक्षिता तेन सभायां बलवर्द्धनात् ।
त्वया सहृदवानेन धीना मार्म्यः सुरक्षिताः ॥५॥

शिशुपालवधे तेन चक्रं क्षिप्तं सुवर्शनम् ।
तर्कुञ्जकं त्वयोत्क्षिप्तं लंकाशायरशातने ॥६॥

नास्तिवध-प्रविधात्ताय तेन गीता समर्पिता ।
कन्धुनिकम्बिनाशाय वृत्तेषु-प्रार्थना त्वया ॥७॥

तेन भारतपुत्रेण धर्मराज्यं समुद्धृतम् ।
त्वया गोरक्षपुत्रेण स्वतन्त्रं भारतं कृतम् ॥८॥

यथाजहाङ्गराज्याथ-भूतः कृष्णो निजं वपुः ।
तथैव त्वं निजं देहं नाथूरामहृतोऽप्यजः ॥९॥

आचार्य-सामंसीचं, अंक १८९१]

इत्येषं कर्म-साम्यात्वं कृष्णतेजोऽशासम्भवः ।
 अहिंसा भीतिरेका ते तद्विपश्चिता प्रतीयते ॥१०॥
 कर्मणा मनसा वाचा यदाऽहिंसामवर्तयः ।
 कथं तदा त्वं मैत्रीं हा ! हिंसया तनुमत्वाजः ॥११॥
 मध्ये संसारकृत्ये ते नाऽहिंसा सर्वथा मता ।
 केवलं नीति-रूपेण वृद्धिपदुद्धे त्वया कृता ॥१२॥
 नो चेत् कथं त्वं गोवत्सं ममूढुः स्वयमावधीः ।
 हिंसा सा वञ्जिता साक्षात् गोवत्सं निष्मता त्वया ॥१३॥
 हनूमत् सुरसावत् सा हिंसाहिंसाविरोधिनी ।
 सुरसा-मुक्त्विस्तारे यथा स लघुराश्वभूत् ॥१४॥
 तमेव हिंसकानां स्वमघोऽहिंसक आदधभूः ।
 कृष्णनीतिस्तु हिंसैव भारते वृश्यते स्फुटम् ॥१५॥
 अहिंसानीतिरासीत्से तात्कालिकनयप्रिया ।
 इत्येतत्सकितं साम्यं मया कृष्णेन गान्धिनः ॥१६॥
 गोपालशास्त्रिणा कृष्ण-गान्धि-चारिःयसाम्यतः ॥
 यथाशास्त्रं प्रचार्यं स्याद्गान्धिनद्वारितं भुवि ॥१७॥
 विशेषतोऽनुसर्तव्या तदीयेश्वरप्रार्थना ।
 सत्यं धर्मं सदाचारं सर्वभूत-प्रदक्षमम् ॥१८॥
 प्राहुः सनातनं धर्मं सर्वेऽपि मुनयो वरम् ।
 किमादधर्म्यं भगवत इहावतरणं प्रति ॥१९॥
 स्वयं स ब्रूते गीतायां धर्म-नलानो निजायमम् ।
 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥२०॥
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।
 इति वाक्यात्स्वयं कृष्णो गान्धिरुपादिहभूतः ॥२१॥
 कार्यं कृत्वाऽजतारस्य पुनर्नैवं धर्मं गतः ।
 का हानिर्भूत सुखियो मम कल्पनयाऽनया ॥२२॥
 धर्म्यं सनातने मार्गे पुराणप्रतिपादिते ।
 जताररुपावादे युगकथानुसृतः ॥२३॥
 इति गान्धिसंभूताय कृष्णसाम्यनिरूपणम् ।
 कृतं मया मृदा लोभ्यं सुधीनिः सुरमाध्या ॥

श्री कन्हैयालाल नागिकलाल मुंशी

भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रभाषा हिन्दी

राष्ट्रभाषा

भारतीय संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का यह मत था कि राष्ट्रीय सुदृढ़ता की प्राप्ति के लिए संविधान का एक प्रमुख अंग 'राष्ट्रभाषा सम्बन्धी व्यवस्था' होना चाहिए।

सन् १९०५ में, आज से बहुत पहले, अन्य कार्यों के साथ मैंने अपने आपको राष्ट्रभाषा के कार्य के लिए भी समर्पित कर दिया था जिसे मैंने उस समय 'हिन्दुस्तानी' नाम दिया था। उस समय हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची गई थी।

अपने धर्मोपदेश के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया। भाषा के विकास और प्रसार के लिए पंडित मदनमोहन मालवीय तथा श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने १० अक्टूबर सन् १९१० ई० को हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की।

गुजरात के वरौच नामक स्थान पर आयोजित द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में २० अक्टूबर सन् १९१७ को गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, हिन्दी और उर्दू एक ही है, केवल उनकी शैली में अंतर है।

सन् १९१८ में जब गांधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि जब तक हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर तथा प्रांतीय भाषाओं को जन-जीवन में उनका उचित स्थान नहीं प्रदान किया जाता, तब तक, स्वराज्य की सारी बातें व्यर्थ हैं।' उन्होंने हिन्दी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देवनागरी या उर्दू लिपि में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के द्वारा बोली जाती है।

गांधी जी द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिए जाने से देश में हिन्दी-प्रसार-जान्दोलन को बड़ा बल मिला।

सन् १९१८ में गांधी जी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की जिसने कुछ वर्षों की अवधि में शानदार काम किया है। इन संस्था के प्रारंभिक मार्ग-दर्शन हेतु अथक श्रम करने

१. पृथ० बी० गांधी : आधर लंबेज प्राब्लम, संपादित द्वारा ए० ए० हिगोरानी, पृष्ठ १८।

आवाह—नारंगसिंह, पृष्ठ १८९१]

के लिए श्री राजगोपालाचार्य तथा मत्तूरि सत्यनारायण धन्यवाद के पात्र हैं। सन् १९२० में गांधी जी ने मद्रास प्रेसीडेंसी की जनता से अपील की कि वह लोगों द्वारा हिन्दी सीखने की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार कर ले। इसके बाद, मुख्यतः हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में कई अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रसारार्थ संगठन बनाए गए।

सन् १९२५ में कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस की भाषा-नीति इस प्रकार स्वीकार की गई—

यथासंभव कांग्रेस की कार्यवाही हिन्दुस्तानी में की जाएगी। यदि भाषण-कर्ता हिन्दुस्तानी बोलने में असमर्थ है या जब आवश्यक हो, अंग्रेजी या अन्य प्रांतीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की कार्यवाहियाँ सामान्यतः सम्बन्धित प्रांत की भाषा में संबालित होंगी; हिन्दुस्तानी का प्रयोग भी किया जा सकता है।

अप्रैल, सन् १९३५ में मैं गांधी जी के साथ इंदौर गया जहाँ उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के २४वें अधिवेशन की अध्यक्षता करनी थी। उन्होंने मुझे उसकी कार्य-समिति का सदस्य भी नियुक्त किया।

विभिन्न भाषाओं के वर्तमान साहित्य को हिन्दी के सर्वनिष्ठ निकाय में मंचित करने के आशय से 'हंस' के प्रकाशन के लिए, जो उस समय सुप्रसिद्ध हिन्दी उपन्यासकार प्रेमचंद के स्वामित्व में प्रकाशित होता था, एक निजी मिश्रित पूंजी कम्पनी की स्थापना की गई। उसके प्रायः सभी हिस्से मेरे पास थे। प्रेमचन्द और मैं संयुक्त संपादक थे।

मैंने मौलवी अब्दुल हक तथा कुछ अन्य प्रमुख लेखकों से सहयोग मांगा। अपनी प्रारंभिक बैठकों में हमने देखा कि मौलवी हमारे कार्य के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों से सहमत नहीं हुए।

'हंस' प्रारंभ से ही बहुत लोकप्रिय हुआ। किन्तु तत्काल ही हिन्दुस्तानी का प्रयोग न करने के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध आक्षेप होने लगे। १६ मई, १९३६ ई० के 'हरिजन' में अपने लेख में गांधी जी ने 'हंस' में संस्कृत-निष्ठ हिन्दी के प्रयोग का पक्ष लिया।

उन्होंने कहा, "आज जो लक्ष्य है, वह एक नई भाषा का विकास करना नहीं है बल्कि उस भाषा को ग्रहण करना है जो अंतर्प्रान्तीय भाषा के नाम से जानी जाती है। मैं समझता हूँ कि इसमें प्रयुक्त भाषा के रूप का पक्ष ले कर श्री मुवी ने ठीक किया। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि तमिल या तेलुगु से हिन्दी या हिन्दुस्तानी में रूपान्तर करते समय संस्कृत शब्दों के प्रयोग से बचना प्रायः उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार अरबी भाषा से हिन्दी या हिन्दुस्तानी में रूपान्तर करते समय अरबी भाषा के शब्दों के प्रयोग से बचना।"

बाद में, एक विचित्र भवितव्यता द्वारा 'हंस' बंद हो गया। पत्रिका का मुद्रण और प्रकाशन बनारस से प्रेमचन्द की निजी देख-रेख में होता था। मैं और प्रेमचंद सहमत हुए थे कि राजनीति को ढाल बनानेवाली कोई रचना हम इस पत्रिका में नहीं प्रकाशित करेंगे। तथापि, 'हंस' के एक अंक में उन्होंने एक ऐसी रचना को छप जाने दिया जिसने क्षीप्र ही पत्रिका के सम्बन्ध में बनारस के कलेक्टर का रोष जगा दिया। उसके संपादकों को जमानत देने का आदेश दिया

गया। गांधी जी ने कोई जमानत दिए जाने की अनुमति नहीं दी। एक संयुक्त साहित्यिक कार्य के रूप में 'हुंस' का प्रकाशन बंद हो गया और मैंने उसे प्रेमचंद को पुनः स्थानांतरित कर दिया।

सन् १९३६ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर गांधी जी ने भारतीय साहित्य परिषद् के निर्माण का स्वागत किया जिसको मैंने जन्म दिया था। उन्होंने उसकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली। क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यिक सम्मेलनों का एक संबन्ध-स्वरूप ही इस परिषद् का उद्देश्य था। गांधी जी की प्रेरणा से ही सर्वप्रथम उसके संविधान में 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' शब्द प्रकट हुए। परिषद् के ध्येय को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से मैंने देश के कई भागों की यात्रा की और केवल कर्नाटक में मैंने उसके सम्बन्ध में अवरोध पाया।

हिन्दी-हिन्दुस्तानी

गांधी जी के लिए वह समय कठिन था क्योंकि हर आवामी की हर बात को संतुष्ट करने वाले सूत्रों को लेकर वे विभिन्न दृष्टिकोणों को समेकित कर रहे थे। एक मुसलमान मित्र के समक्ष उन्होंने राजा जी के कार्य, मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूलों में हिन्दुस्तानी के प्रचलन का समर्थन किया जो एक प्रकार से हिन्दी ही थी। अन्य मुसलमान मित्र को, जिसने 'हिन्दी' शब्द का विरोध किया, उन्होंने लिखा कि राष्ट्रभाषा का एक ही नाम 'हिन्दुस्तानी' है।

गांधी जी के अनुयायियों ने, जो गांधी जी के नेतृत्व का अनुभूत कर रहे थे, हिन्दी और उर्दू के मध्य अन्तरों या भेदों को भुला दिया और उसकी गोलमोल व्याख्या की। उन्होंने इस तथ्य की ओर से आँख मूंद लिया कि हिन्दी के शब्दों, मुहावरों तथा संकेतों-प्रतीकों की रचना संस्कृत के प्रभाव के अंतर्गत हुई है जब कि उर्दू में वे फारसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

यह तर्क करना सरल था कि हिन्दुस्तानी, राष्ट्रभाषा होने के नाते, हिन्दी-भाषी तथा उर्दू-भाषी जनता दोनों को मान्य होना चाहिए। यह सही है कि बाजार के स्तर पर भाषा एक हो थी, किन्तु जब वह विचार की उच्चतर अभिव्यक्ति का माध्यम हुई, तो हिन्दुस्तानी नाम की कोई चीज नहीं रह गई—वह या तो संस्कृत-निष्ठ हिन्दी होगी या फारसी-निष्ठ थी।

यह विचार करने का बात है कि ये भाषाएँ कैसे विकसित हुईं तो यह बात बिक्रुल स्वाभाविक थी। अंग्रेजों द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना होने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दू विद्यार्थियों ने संस्कृत ली, जब कि मुसलमान विद्यार्थियों ने फारसी ली। लिपियाँ भी भिन्न थीं—एक भाषा में देवनागरी, दूसरी भाषा में संशोधित अरबी।

फिर, हिन्दी को यह लाभ था कि संस्कृत से आदृत होने के कारण इसकी शब्दावली का एक बड़ा भाग न्यूनाधिक रूप से गुजराती, मराठी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, आसामी और उड़िया भाषाओं से समानता रखता था। तमिल में लगभग ३० प्रतिशत संस्कृत के और कुछ फारसी के शब्द हैं। उर्दू में भी संस्कृत से निकले बहुत से तद्भव शब्द थे।

१. प्रयोग में चिह्नित मूल संस्कृत शब्द।

आत्मज्ञ-वार्तापत्र, सन् १८९१]

इसके अतिरिक्त, केवल इस तथ्य के कारण कि उत्तर भारत के कुछ भागों में हिन्दू अपनी मातृभाषा के रूप में उर्दू बोलते हैं, अरबी लिपि में लिखी गई उर्दू उस भाषा में सहज स्वीकार नहीं की जाएगी जो संस्कृत के प्रभाव में रह कर सम्पन्न हुई है।

उर्दू के अतिरिक्त, किसी अन्य भारतीय भाषा की अपेक्षा गुजराती की शब्दावली में, जो कि मेरी मातृभाषा है, अरबी-फारसी के शब्द अधिक हैं। मैं थोड़ी हिन्दुस्तानी बोल सकता हूँ और अच्छी हिन्दी में अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ। किंतु विधान सभा के वाद-विवादों में मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयुक्त शब्दों की सूची बनाने पर मैंने देखा कि आजाद के कोई ६० से ७० प्रतिशत और शुरु में नेहरू के ३० से ४० प्रतिशत तक शब्द मैं नहीं समझ सका।

सन् १९४८ में जब मैं हैदराबाद में रहता था, मैंने देखा कि उसमानिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित तथा हैदराबाद में राज्य-भाषा के रूप में स्वीकृत उर्दू में अरबी शब्द इतनी अधिक मात्रा में थे कि वह एक उर्दू भाषी मुसलमान के लिए भी प्रायः दुर्बोध थी।

ज्यों ज्यों साम्प्रदायिक स्थिति सघन और तीव्र होती गई, गांधी जी हिन्दी और उर्दू के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रयत्न करते गए। वे आसान्वित थे और उन्होंने अपनी आशा १९४५ ई० में इस प्रकार प्रकट की—“यदि हिन्दी और उर्दू का संगम हो जाए तो मरस्वती प्रकट हो जो गंगा और यमुना दोनों से महान-विशाल होगी। यह सरस्वती, एक ऐसी बड़ी हुगली के समान होगी जिसका पंक दूर कर दिया गया हो, अर्थात् एक सुंदर हुगली।”

इसी सुंदर ‘हुगली’ की खोज में गांधी जी बराबर समझौतों की सलाह देते रहे जो अव्यावहारिक थी, मुसलमानों को अस्वीकार थी और हिन्दुओं को नापसंद थी। तथापि, कांग्रेस की सभाओं में हिन्दी और उर्दू ने एक प्रकार के सहनशील सहअस्तित्व का विकास कर लिया।

सन् १९४५ में गांधी जी ने औपचारिक रूप से हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया।

गांधी जी ने अनुभव किया कि यह न केवल संभव था, बल्कि वाछनीय भी था कि हिन्दी और उर्दू में सामंजस्य किया जाए—एक ऐसा लक्ष्य जिसकी प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक यत्न किया जाए। आगे चल कर उनकी यह धारणा हुई कि एक नया नाम ‘हिन्दुस्तानी’ दे कर हिन्दी और उर्दू के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, और यदि हिन्दू और मुसलमान देवनागरी तथा फारसी दोनों लिपियाँ जान लें तो हिन्दी में संस्कृत के कारण और उर्दू में फारसी के कारण जो भेद या दुरूहता है वह समाप्त हो जाए। यह एक ऐसी बात थी जो उस समय की परिस्थिति में कभी नहीं पूरी हो सकती थी। इसी के साथ ही उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया कि राष्ट्रीय लिपि केवल देवनागरी ही हो सकती है। यह एक ऐसी माँग थी जिसे उर्दू के समर्थक नेता नहीं स्वीकार कर सकते थे।

सन् १९४५ में उदयपुर में मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापति निर्वाचित हुआ। चूंकि गांधी जी सम्मेलन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर चुके थे, अतः मैंने उनसे परामर्श किया कि

में इस सम्मान को स्वीकार कैसे? उन्होंने मुझसे कहा कि चूंकि मैं हिन्दी में विश्वास रखता हूँ, मुझे निश्चय ही स्वीकार कर लेना चाहिए।

उदयपुर के अपने अध्यक्षीय भाषण में सन् १९३३ की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मैंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए और निष्कर्ष दिया— . . . उसे (हिन्दी को) भली प्रकार बोलने वाले और बोड़े प्रयत्न से बोलने वाले इस देश की आबादी के ६९% हैं। इसका परिणाम है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, उसने यह स्थान स्वयं प्राप्त कर लिया है।

भाषा-सूत्र

संविधान सभा के प्रारंभिक काल में मूल अधिकार सम्बन्धी उप-समिति ने, जो गांधी जी द्वारा दर्शाए भाग पर चल रही थी, निम्नांकित सूत्र ग्रहण कर लिया—

जनता के विकल्प पर देवनागरी या फारसी लिपि में लिखित 'हिन्दुस्तानी', राष्ट्रभाषा की भाँति, संघ की प्रथम राज-भाषा होगी। अंग्रेजी उस समय तक के लिए संघ की द्वितीय राजभाषा होगी जो कि संघ विधि द्वारा निश्चित करे। जब तक कि संघ विधि द्वारा अन्यथा व्यवस्था न दे, संघ के सभी सरकारी अभिलेख हिन्दुस्तानी में, दोनों लिपियों में, और अंग्रेजी में भी रखे जाएंगे।

यह सूत्र इस आशा के साथ रखा गया था कि यदि संविधान सभा में मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई तो यह दोनों पक्षों को पर्याप्त रूपेण स्वीकार्य सिद्ध होगा।

अम्बेदेकर का १९ अप्रैल, १९४७ का विसम्मति-लेख उल्लेखनीय था कि हिन्दुस्तानी को न केवल संघ की वरन् सभी इकाइयों की भाषा बना दिया जाना चाहिए। उन्होने कहा—

यथास्थित धारा ९ हिन्दुस्तानी को संघ की राजभाषा घोषित करती है। समिति द्वारा गृहीत शब्दावली के विचार से, यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी राज्य की, अर्थात् संघ की भाषा होगी और साथ ही इकाइयों की भी। यदि प्रत्येक इकाई को स्वतंत्रता दी जाती है, जैसी कि अन्य धारा में दी गई है, कि वह किसी भी भाषा को राजभाषा बनाए तो इससे न केवल भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा का उद्देश्य पराभूत हो जाएगा वरन् भाषाई विभेदता के कारण भारत का प्रशासन भी असंभव हो जाएगा। अतः मेरा अभिमत है कि 'संघ' के स्थान पर 'राज्य' शब्द रख दिया जाए। हो सकता है कि इकाइयाँ हिन्दुस्तानी को अपनी राजभाषा बनाने के लिए समय मग्ये। इसके लिए उन्हें समय देने में कोई हानि नहीं है। किंतु इस विषय पर कोई संदेह नहीं हो सकता कि प्रारंभ से ही इकाइयों पर हिन्दुस्तानी को ग्रहण करने की वैधानिक अनिवार्यता या बाध्यता होगी।

हिन्दुस्तानी को हिन्दू लेखकों द्वारा संस्कृत-निष्ठ और मुसलमान लेखकों द्वारा अरबी-निष्ठ बनाए जाने से बड़ा भारी खतरा है। यदि ऐसा होता है तो हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा न रह जाएगी और एक वर्ग की भाषा बन जाएगी। एक राष्ट्रीय अकादमी के बिना हिन्दुस्तानी भाषा इस संकट पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ होगी। अतः यह आवश्यक है कि फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा—मार्ग्वीर्ष, शक १८९१]

अकादमी के आदर्श पर एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना के लिए इस देश के संविधान में व्यवस्था की जाए।

निःसन्देह समस्या का यह एक समाधान था और बहुत से लोग यह विश्वास करने के लिए तैयार होंगे कि एक सम-रूप राष्ट्र के रूप में भारतीयों को संगठित करने के लिए यह एक सही साधन था। किन्तु यह व्यावहारिक नहीं था। उदाहरणार्थ, गाँधी जी ने सदा यही माना कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी को अन्तर्प्रान्तीय सम्बन्ध के लिए सम्पर्क-भाषा बनना था, जब कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रांतों में प्रयोग किया जाता था। उन्हीं के निर्देश में (सन् १९२०) में कांग्रेस ने भाषायी प्रांतों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया था और अब कदम पीछे करने में बहुत विलम्ब हो चुका था। यह देखा जाएगा कि अम्बेदकर की सिफारिशों में से एक में यह उपलभित था कि हिन्दी के प्रचलन के लिए कोई समय-सीमा नहीं नियत की जानी चाहिए। सभवनः यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण कथन था किन्तु हिंदी के नेता इसे स्वीकार करने की चित्रवृत्ति में नहीं थे तथा प्रान्तीय नेताओं से, जैसा कि बिल्कुल स्वाभाविक था, आशा नहीं की जा सकती कि वे स्वयं किसी तिथि के लिए बचनबद्ध होंगे जब से कि वे हिन्दी में, यदि वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, जो कि बड़ा असंभव था, कार्य शुरू कर देते।

फ्रांस की राष्ट्रीय अकादमी के आदर्श पर भारत में एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना के लिए अम्बेदकर का सुझाव सर्वथा असंभव था। मुझे संदेह है कि हमारी अकादमी के विद्वज्जन फ्रांस की अकादमी के विद्वज्जनों की भाँति विशिष्ट महत्वपूर्ण निस्पृहता तथा गौरव तथा प्रतिष्ठा की अनुरक्षा कर पाते। बाद में मौलाना आजाद ने साहित्य अकादमी की स्थापना की किन्तु वह केवल अनुवादों के प्रकाशन से ही सम्बद्ध थी। तथापि, विधान सभा के सदस्यों में सामान्य रूप से यही भावना थी कि उपसमिति द्वारा प्रस्तुत सूत्र यथार्थवादी नहीं था।

श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, गोपालस्वामी अयंगर और मैं, अहिन्दी भाषी प्रांतों के ये तीन प्रतिनिधि एक ऐसा सूत्र निर्मित करने के लिए उत्सुक थे जो देश के एक राष्ट्रीय माध्यम के विकास की दिशा में तत्पर कर सकता।

प्रारंभ में कांग्रेस दल राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर निर्मांकित वर्गों में विभाजित था—

- (१) एक छोटा वर्ग ऐसा था जो संविधान द्वारा राजभाषा का निर्धारण नहीं चाहता था।
- (२) एक छोटा किन्तु अत्यंत शक्तिशाली वर्ग हिन्दुस्तानी चाहता था।
- (३) एक छोटा वर्ग दक्षिण भारतीयों का था जो चाहता था कि अंग्रेजी पन्द्रह वर्षों के लिए राजभाषा बनी रहे और तब तक के लिए हिन्दी का प्रश्न शीतगार में धरा रहे।
- (४) पुरुषोत्तमदास टण्डन के नेतृत्व में सदस्यों का एक काफी बड़ा वर्ग चाहता था कि हिन्दी को तत्काल राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित कर दिया जाए।
- (५) एक बड़ा वर्ग कोई ऐसा सूत्र चाहता था जो कार्य योग्य समझीता दे सके और अंततः हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा बना सके।

मेरे द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव कांग्रेस दल ने पारित कर दिया जिसमें हिन्दी और देवनागरी को क्रमशः राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि स्वीकार किया गया था। सभा में एक तुफान उठ खड़ा हुआ। जवाहरलाल नेहरू बहुत अप्रसन्न थे। इसके बाद विधान सभा की अंतिम कार्यवाही तक के लिए सारे विषय स्थगित कर दिए गए।

जुलाई १९४९ में हम लोगों ने से कुछ लोग अनौपचारिक रूप से मिले। हिन्दी को देश की राजभाषा और देवनागरी को राज-लिपि तथा उसके साथ दस वर्षों के लिए अंग्रेजी को अतिरिक्त राजभाषा बनाने के लिए हमने संविधान के अनुच्छेदों का प्रारूप तैयार किया। उसका अनुमोदन संविधान सभा के लगभग ८० सदस्यों ने किया जो कांग्रेस दल का सब से बड़ा धर्म था।

संविधान में किसी भी राजभाषा का उल्लेख न चाहने वाला वर्ग अपनी स्थिति मुद्द न रख सका और यही दशा उस वर्ग की भी हुई जो केवल अंग्रेजी को प्रचलित रखना चाहता था, हिन्दुस्तानी के नेताओं को अल्प समर्थन प्राप्त हुआ।

राष्ट्रभाषा समिति में, दल की बैठकों में और अनौपचारिक सम्मेलनों में एक अच्छा खासा संघर्ष छिड़ गया। कुछ लोग आवेश में भर उठे। वाक-आउट की कुछ धमकियाँ भी सुनने को मिली। अन्ततोगत्वा तीन प्रकार के विचारक प्रकट हुए—

(अ) हिन्दी के वे उत्साही, जिनका अभिमत था कि हिन्दी न केवल संघ की राजभाषा बनाई जा सकती थी और बनाई जानी चाहिए थी, बरन् सीधे उसका प्रचलन उच्च न्यायालयों में भी हो सकता था।

(आ) वे जो १९४७ ई० के पूर्व की भाँति अंग्रेजी को जारी रखना चाहते थे, हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में अध्ययन के लिए छोड़ देना चाहते थे और धीरे धीरे एक-एक सीढ़ी चढ़ कर उसे राजभाषा बनाना चाहते थे।

(इ) वे जो सोचते थे कि संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी को धीरे धीरे उपरति करते हुए अंग्रेजी का स्थान उस समय ग्रहण कर लेना चाहिए जब वह अंग्रेजी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कुछ सीमा तक करने में समर्थ हो जाए।

देवनागरी लिपि में अरबी अंकों के प्रयोग के कुछ दक्षिण भारतीय प्रतिनिधियों के प्रस्ताव से तत्काल कुछ उग्र मतभेद उत्पन्न हो गया। यदि मुझे सही स्मरण है तो, राष्ट्रभाषा समिति में इस आन्दोलन को जन्म दिया था संयानम् तथा टी० टी० कृष्णमाचारी ने। हिन्दी समर्थकों द्वारा उसका दृढ़ता से प्रतिरोध किया गया था।

दक्षिण में कई पीढ़ियों तक तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ भाषाओं में अरबी अंक चलते रहे थे और उनका प्रयोग संस्कृत ग्रंथों में भी हुआ था। तथापि, जब यह पता चला कि अरबी अंक, मूल उत्पत्ति तथा प्रयोग दोनों में ही भारतीय थे, तो अरबी अंकों का विरोध समाप्त हो गया।

मैंने दक्षिण-भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया और उन सदस्यों के एक भाग ने मेरा साथ दिया जिन्होंने हिन्दी के विषय में अब तक मेरा समर्थन किया था।

भाषाङ्ग-सर्वाधीन, सत्र १८९१]

में एक अहिन्दी भाषी क्षेत्र से आया हुआ था। यदि मैंने राष्ट्र की एकता के लिए हिन्दी को स्वीकार कर लिया था तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार कर लेने में भी कोई संकोच नहीं हो सकता था, यदि मेरे ऐसा करने से सारा देश हिन्दी को स्वीकार कर लेता।

इन्हीं संघर्षों के बीच से वह सूत्र तैयार हुआ जो पत्र-पत्रिकाओं में "मुशी-आयंवर सूत्र" के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सूत्र में समस्या को अत्यंत यथार्थ रूप में लेकर हल किया गया था। अतः इसे सर्वाधिक समर्थन प्राप्त हुआ। इसने अत्यन्त उचित रीति से हिन्दी की महत् शक्ति और मुख्यतः संस्कृत से ही इसकी शब्दावली के ग्रहण करने की आवश्यकता पर बल दिया। अंत में यह सूत्र अनेक परिवर्तनों के साथ संविधान के अनुच्छेद ३४३ तथा ३४४ का अंग हो गया।

जिन्होंने यह उपालम दिया था कि हिन्दी के समर्थकों ने उसका संस्कृतकरण किया है और उनका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक है, वे हमारी प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में संस्कृत की स्थिति को कठिनता से समझते थे। अरबीनिष्ठ तथा फारसी-निष्ठ उर्दू और दक्षिण के प्राचीन अंचलों में बोली जाने वाली तमिल को छोड़ कर भारत की सभी भाषाओं में युगयुगान्तर अपनी शक्ति और क्षमता लोकभाषाओं (बोलियों) से प्राप्त की है और उन्हें अपनी सम्पन्नता, अभिव्यक्ति, अभिव्यंजना, गौरव तथा ताल-सुर-लय संस्कृत से ही अर्जित हुई है।

अंग्रेजी

कांग्रेस दल के बहुसंख्यक सदस्य अंग्रेजी को राजभाषा स्वीकार करने के विरुद्ध थे। पुरानी आदत मुल्किल से छूटती हैं। हमारे मस्तिष्क में यह बात बैठी हुई थी कि अंग्रेजी विदेशी शासकों की भाषा है जो इस देश से चले गए हैं और जिनसे हमें घृणा थी। उनके जाने के बाद वह घृणा उनकी भाषा अंग्रेजी के प्रति हो गई। यह बात भुला दी गई कि यह एक अत्यंत मूल्यवान् उत्तरदान है जिसे वे अपने पीछे छोड़ गए।

भाषा सूत्र में अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने से हिन्दी के उत्साही लोगों का आवेश तीव्र हो गया और उन्होंने कहा कि लोगों ने यह कार्य दासता की मनोवृत्ति-वधा किया है। अतः स्वाभाविक रूप से ही अनेक सदस्य वास्तविकताओं को विस्मृत कर देने के लिए उद्यत थे। वास्तविकताएँ इस प्रकार थी—

प्रथम, हमारी संवैधानिक तथा विधिक धारणाओं की सारी पाठ-वस्तु ऐसे विचारों के तानों-जालों से बुनी हुई थी जो अंग्रेजी शब्दों द्वारा ही प्रकट हो सकती थी।

द्वितीय, भारतीय पांडित्य ने अंग्रेजी पांडित्य के निकट सम्पर्क तक अपना स्तर ऊँचा उठा लिया था और उसकी अभिव्यक्ति अंग्रेजी के माध्यम से थी।

तृतीय, यदि हमारे विश्वविद्यालय, न्यायालय और विधान सभाएँ अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को तत्काल स्वीकार कर लेतीं तो देश के सम्पूर्ण प्रबुद्ध तथा प्रशासनिक स्तर में अवनति हो जाती।

शतुर्ध, हिन्दी भाषा अंग्रेजी के निकट सम्पर्क से ही अपनी अभिव्यक्ति, शक्ति का विकास कर परिभाषित हो सकती थी।

पंचम, भविष्य में विज्ञान तथा तकनीकी में देश की उन्नति केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही संभव होगी क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति की भाषा है।

षष्ठ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय तथा वाणिज्य सफलतापूर्वक करने के लिए, अंग्रेजी जैसी एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बहुमूल्य है।

अंतिम, सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के अन्तर-राज्यीय संचरण के लिए एक मात्र माध्यम तथा राष्ट्रीय एकता की एक साधिका अंग्रेजी ही थी।

हमने इस विचारों और मान्यताओं पर पर्याप्त बल नहीं दिया और अब दुर्भाग्यवश पूर्वानुमानित संकट प्रत्यक्ष सत्य उपस्थित हैं।

जब संविधान सभा ने संघ के राज-काज के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के लिए १५ वर्षों की अवधि निर्दिष्ट की, तो यह आशा की गई थी कि अनुच्छेद ३५१ के अंतर्गत संघ हिन्दी के विकास और उन्नयन के लिए तत्काल एक सुनिश्चित तथा ठोस अभियान प्रारंभ कर देगा और संविधान सभा के भाग्य का अनुसरण कर विश्वविद्यालय तत्काल हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लेगे जिससे धीरे-धीरे अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ग्रहण कर लेगी।

एस० वी० कृष्णमूर्ति राव ने आम राय के अनुसार निम्नांकित संशोधन पेश किया —
राष्ट्रपति अनुसूची—मात 'अ' में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के विशेषज्ञों का एक म्यादी आयोग निम्नांकित उद्देश्यों के लिए नियुक्त करेंगे—

(१) भारत के सभी लोगों के लिए अभिव्यक्ति के एक सर्व-सामान्य माध्यम के रूप में हिन्दी के विकास का निरीक्षण करने और उसे सहायता प्रदान करने के लिए।

(२) विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अन्य तकनीकी विषयों में प्रयोग हेतु न केवल हिन्दी के लिए बल्कि अनुसूची सात 'अ' में उल्लिखित अन्य भाषाओं के लिए भी सामान्य तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली के विकास के लिए।

(३) भारत के सभी भागों को स्वीकार्य एक सामान्य शब्दावली के विकास के लिए।

श्री गोपालस्वामी आयंगर ने वास्तव में विषय के इसी पक्ष को निम्नांकित शब्दों में प्रस्तुत किया—

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ जो कि, मैं समझता हूँ, उन कुछ मित्रों से मैं स्वयं स्वीकार कर चुका हूँ जिन्होंने कल कुछ संशोधन प्रस्तुत किए थे, विशेषकर वह संशोधन जिसका संधर्षण श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति राव ने अपने सुतर्कसंगत भाषण में किया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि हिन्दी भाषा के अस्थिर स्वरूप को देखते हुए, विशेषकर राजनैतिक, सर्व-ज्ञानिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा अन्य शब्दावलीयों के सम्बन्ध में, यह वांछनीय है कि नए संविधान के लागू होते ही एक अकादमी या आयोग स्थापित हो ताकि वह देश के विभिन्न भागों में इस भाषा के प्रयोग का पुनरीक्षण तथा शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का प्रमाणीकरण कर सके।

अन्तर्द्व-मार्गदर्शक, शक १८९१]

मान्यवर, मेरा विचार है कि देश की वर्तमान अवस्था में यह सबसे अधिक सहायक सुझाव है। उन्होंने उस सम्बन्ध में एक संशोधन का प्रस्ताव किया है किन्तु मैं नहीं सोचता कि उनके विचारों को कार्यान्वित करने के लिए उसे आपके समक्ष प्रस्तुत मेरे प्राक्क में जोड़ना आवश्यक है। उसी भाग में एक अनुच्छेद है जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह हिन्दी भाषा की उन्नति और विकास के लिए कदम उठाए, वह वे सभी कदम उठाए जो उसे हिन्दी को सम्पन्न बनाने के लिए उसे हिन्दुस्तानी व देश की दूसरी भाषाओं के निकट ले जाने के लिए, शैलियों के लिए, अभिव्यक्ति के रूपों आदि के लिए और प्रथमतः संस्कृत से, उसके बाद संसार की अन्य सभी भाषाओं से शब्दों को उधार लेकर हिन्दी शब्दावली को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक हो। यह एक विशद और विस्तृत निर्देश है जिसे हमने इस चौदह 'अ' भाग में रखा है। मुझे विश्वास है कि संविधान लागू होने के बाद जो भी सरकार बनेगी वह इस विशेष उद्देश्य की सम्पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय करेगी और उसके होने पर, निःसन्देह, श्री कृष्णमूर्ति राव का सुझाव पूरा किया जाएगा।'

अंग्रेजी के सम्बन्ध में मुझ में कोई माया-जाल नहीं थे। सन् १९५० में दिए गए अपने एक भाषण में मैंने अंग्रेजी के महत्व पर इस प्रकार बल दिया था—

भारतीय साहित्यिक परम्पराएँ अंग्रेजी साहित्यिक कला से भिन्न किन्तु प्रभावित हैं भारतीय भाषाएँ संस्कृत से सम्पन्न हुई हैं। उन्होंने अंग्रेजी से अभिव्यक्तिपूर्ण शक्ति प्राप्त की है। इससे उनमें अभिव्यक्ति का उच्चतर विस्तार तथा स्तर प्रकट हुआ है। भारतीय कला के रूपों ने अंग्रेजी के सजीव कला-रूपों तथा धोरोपीय कला से प्रेरणा प्राप्त की है। इनके ताने-बाने के सम्मिलन से, एक नई अभिव्यक्ति, एक नई तकनीक, नई शैली तथा एक नया सौन्दर्य-बोध उत्पन्न हुआ है जो भारत के आधुनिक कला-कौशल तथा विद्या के जागृति-काल के मूल में है।

भारत में अंग्रेजी का प्रवेश कोई साधारण घटना नहीं थी। जब हमने अंग्रेजी सीखी, संसार एक नई स्थिति में पहुँच चुका था। भारत ने अंग्रेजी-भाषी संसार से भ्रातृत्व स्थापित कर लिया। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इससे भारत में एक सांस्कृतिक अभ्युत्थान हुआ, दृष्टि व्यापक हो गई। देश, जाति और रंग के बन्धन टूट गए, मस्तिष्क के लोक में, ज्ञान के क्षेत्र में पूर्व परिचय से मिला-जुला, सीधे मानवीय ससर्ग की स्थापना के लिए एक महान् प्रयास हुआ, देशों की सीमाएँ समाप्त हो गईं, विश्व में एक एकरूपता आई। अब अंग्रेजी केवल अंग्रेजों की नहीं रही, वरन् वह 'एक विश्व' की साधक बन गई, 'एक विश्व' युगों पूर्व ऋषियों ने जिसका सधान किया था— "वसुधैव कुटुम्बकम्"—विश्व, जिसे हम देखते हैं कि आज रक्तरंजित रणभेत्रों तथा आदशं लालसाओं के माध्यम से अनुभव किया जा रहा है।

अपने देशवासियों से मैं ठीक यही कहूँगा कि इतिहास ने भारत के हाथों में एक ऐसा शक्तिशाली साधन या माध्यम सौंप दिया है जिससे वह अपने संदेश का प्रसार सारे संसार में कर सके। हम पूर्वजों की अपनी सम्पत्ति तथा अपने भावी प्रारब्ध के प्रति विश्वासघात कर बैठेंगे

१. संविधान सभा परिसंवाद, सितम्बर १४, १९४९, खण्ड ११, पृष्ठ १९४७।

[भाग ५५, संख्या ३, ४

यदि हम इस अंग्रेजी रूप सत्र को यूँ ही नष्ट हो जाने देंगे। एक सामान्य भाषा के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की एक लम्बी प्रक्रिया अथवा रीति के द्वारा हमने संसार को अपने पंचतंत्र, अपने अंक, अपनी दार्शनिक पद्धतियाँ, अपनी साहित्यिक तथा अध्यात्मिक निधियाँ, जो हमें उत्तराधिकार में अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई, प्रदान कीं। किंतु आज अंग्रेजी हमारी है और हम किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा इसकी सहायता से आज संसार को कहीं अधिक दे सकते हैं, समझा सकते हैं। अतः इस देश में अंग्रेजी को भुला देना या उसकी उपेक्षा करना एक अपराधमूलक कार्य होगा।

संविधान सभा ने श्री गोपालस्वामी आर्यंगर के आश्वासन को स्वीकार कर लिया। किंतु शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने उस आश्वासन की पूर्ति के लिए सच्चे हृदय से पन्द्रह वर्षों तक कुछ भी नहीं किया।

किसी भी प्रकार सही, भाषा-सूत्र जिस अंतिम रूप में सामने आया, वह उस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अति निकट समस्या का विशिष्ट समाधान था जिसका कि हम उस समय सामना कर रहे थे—राष्ट्रीय संगठन तथा एकता के लिए वह एक महत्वपूर्ण कदम था।

यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिनसे अपना सम्पूर्ण जीवन एक राष्ट्रीय माध्यम के लिए समर्पित कर दिया तो वह थे श्री पुरुषोत्तमदास टंडन। उन्हें राजर्षि की उपाधि दी गई, वास्तव में यह तो ब्रह्मर्षि थे, भले ही वे ब्राह्मण-कुल में न जन्मे हों। उनका जीवन त्यागपूर्ण था, एक तपस्वी के कठोर अनुशासन पर ढला हुआ जीवन! उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण किया। वह संस्था है हिन्दी साहित्य सम्मेलन और इसके द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली साधन तैयार किया—हिन्दी ही वह साधन है। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण कर सहस्रों पुरुषों तथा स्त्रियों की हीन पीढ़ियों ने स्वयं को इस भाषा के अभ्युत्थान के लिए समर्पित कर दिया। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रश्न पर हर स्तर पर विचार के दौरान, चाहे वह समितियों, कांग्रेस दल या संविधान सभा किसी भी स्तर पर हो, टंडन जी और उनके समर्थक, जिनका नेतृत्व सेठ गोविन्ददास तथा पंडित बालकृष्ण शर्मा करते थे, सदैव दृढ़ रहे, कभी पीछे नहीं हटे। जब श्रीगोपाल स्वामी आर्यंगर और मैंने भाषा-सूत्र को अंतिम रूप दे दिया, हिन्दी-प्रेमियों ने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं अपने धर्म से विचलित हुआ हूँ। वे उस सूत्र पर सहमत नहीं हुए थे। वास्तव में उन्होंने उसके विरुद्ध एड़ी-चोटी का पसीना एक कर संघर्ष किया। वे चाहते थे कि हिन्दी को तत्काल हर कार्य के लिए संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिया जाए। वे इसके विरुद्ध थे कि सुचारु कार्य-संचालन के लिए अस्थायी अवधि के लिए अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में वैकल्पिक स्थान दिया जाए। उन्होंने अरबी अंको को, जिन्हें बाद में “भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप” कहा गया, देवनागरी लिपि के अंग के रूप में ग्रहण करने का विरोध किया।

अंत में अहिन्दी भाषी सदस्यों के मत के दबाव में आकर, टंडन जी के अनुयायियों ने उस भाषा-सूत्र को, कुछ परिवर्तन किए जाने के बाद पूरे हृदय से तो नहीं, किंतु स्वीकार कर ही लिया।

आचार्य-भारंगरीय, सत्र १८९१]

राजभाषा से सम्बद्ध संविधान के उस भाग की अभिस्वीकृति वास्तव में टंडन जी के जीवन-कार्य की परिपूरित अथवा सिद्धि थी। उस समय जब कि टंडन जी के अनुयायियों ने समझौते द्वारा प्राप्त उस सूत्र को स्वीकार कर अपने को पर्याप्त यथार्थवादी प्रमाणित किया, एकमात्र टंडन जी ही उसके विरुद्ध रहे। ठीक उसी समय, जब उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त के सन्निकट प्रतीत हुआ, वे कठोर हो गए और अनिच्छापूर्वक उन्होंने अपनी अपूर्व विजय को व्यक्तित्व पराजय में परिवर्तित कर लिया। पुरुषोत्तमदास टंडन ने अपने जीवन का निर्माण एक प्राचीन ऋषि के आदर्श पर किया था। एक घटना जो बाद में घटित हुई अविस्मरणीय है। उसका उल्लेख करने के लिए मुझे क्षमा करें। मैंने विगत वर्षों में राजनीतिज्ञों के अनेक प्रभावपूर्ण भाषण सुने हैं किंतु सितम्बर १९५१ में दिल्ली में टंडन जी ने जो भाषण उस समय दिया जब कि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से, जिस पर वे निर्वाचित हुए थे, हटाने का निश्चय किया, वह सर्वाधिक मर्मस्पर्शी था।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सभा में सदस्यों का प्रायः व्यग्र एक बड़ा भाग उन दोनों को ही चाहता था। उस समय जैसा व्यक्तित्व आपात जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शित कर रहे थे, उससे उनके हृदयों में रोष जाग्रत हुआ किंतु उस अवसर का टंडन जी ने सामना किया। अपने अत्यंत मर्मपूर्ण भाषण में, जिसके स्वर आज भी मेरे कानों में गूँज रहे हैं, उन्होंने हम सब को यह उपदेश दिया कि अपना त्यागपत्र वापस लेने के लिए उन पर दबाव न डाला जाए और न उनके कार्य के औचित्य-अनौचित्य पर कोई भाषण ही दिया जाए।

“मेरा निर्णय अपरिवर्तनीय है। मुझे विमुक्त किया जा सकता है किन्तु जवाहरलाल नेहरू को नहीं।” उस भाषण में कोई क्रोध नहीं था, कोई घृणा नहीं थी, कोई विद्वेष की भावना नहीं थी, वह तो एक संत-पुरुष का भाषण था। यदि उन्होंने ऐसी आत्मिक, मानसोत्तेजक प्रार्थना न की होती तो सभा ने उन दोनों में से किसी का भी त्यागपत्र स्वीकार न किया होता।’

१. माननीय मुंशी का यह लेख अंग्रेजी में आया था। उसी का यह रूपान्तर है। रूपान्तरकार हैं—श्री संतकुमार टंडन, एम० ए, ‘साहित्यरत्न’। सं०

आदर्श जीवन के दो महान् व्यक्तित्व

[१]

बड़ों का बड़प्पन उनका ही होता है। वही उनकी विशेषता है। उनकी नकल नहीं की जा सकती। नकल करने का प्रयत्न करना भयावह है। उससे बड़ा घोसा हो सकता है। साधारण दृष्टि से यदि देखा जाय तो साधारण जन के लिए विशिष्ट लोग व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं। वे आते हैं, बड़े-बड़े काम कर जाते हैं, या करा जाते हैं, और अपना नाम छोड़ कर चले जाते हैं। कुछ लोग अपने बीर पुरुषों की तरह रहने सहने, बोलने चालने का प्रयत्न करते हैं। वे विशिष्टता न तो प्राप्त करते हैं और न कर सकते हैं, हाँ उपहास के पात्र अवश्य हो जाते हैं और हानि भी उठाते हैं।

इस कारण अच्छा हो यदि ऐसे व्यक्तियों की जीवनी अर्थात् उनकी विचार-शैली और कार्य-प्रणाली से हम कुछ अपने लिए शिक्षा ग्रहण करें, और इसे अपने सीमित क्षेत्र में इस प्रकार कार्यान्वित करे जैसा कि उन्होंने विस्तृत क्षेत्र में किया हो। इससे हम अपना जीवन सार्थक कर सकेंगे, और साथ ही विशिष्टों का भी जीवन सार्थक बना देंगे। वास्तव में हम भी अपने समुदाय में उतने ही विशिष्ट हो सकेंगे जैसा वे बृहत् समुदायों में रहे। इससे हम अपने को सन्तुष्ट कर सकेंगे और दूसरों के लिए भी अच्छा उदाहरण उपस्थित कर सकेंगे।

व्यावहार्य दृष्टि से ही विशिष्ट जनों की जीवनी की भी विवेचना करनी चाहिए जिससे कि उनके व्यावहारिक गुण विशेषों को हम अपना सकें क्योंकि इन्हें सरलता के साथ वास्तव में अपना सकते हैं। महात्मा गांधी जी में मैंने तीन गुण देखे, जो हममें प्रायः नहीं रहते, और यदि उनकी लम्बे-लम्बे शब्दों में केवल प्रशंसा न कर, हम उनके अनुकूल स्वयं व्यवहार करें जैसा कि यदि हम चाहें तो सरलता से कर सकते हैं, तो न हमारा जीवन निरर्थक हो, न हमारे लिए वे ही निरर्थक हों।

पहला गुण तो महात्मा जी में बहु था कि वे बड़े ही साहसी थे। उनको किसी का भय नहीं था। जो ठीक समझते थे कहते थे, जो कहते थे वह करते थे। दूसरों से करने के लिए जो वह कहते थे उसे वे पहिले स्वयं करते थे। यह गुण हम सब लोगों के लिए व्यवहार्य है, और उसे हमें अपने लिए स्वीकार करना चाहिए। इसकी हमारे में बड़ी कमी है, इसी कारण हम किसी प्रकार की न व्यक्तिगत न सामुदायिक उन्नति कर पाते हैं।

महात्मा गांधी का दूसरा बड़ा उपयोगी और नितान्त व्यावहारिक गुण यह था कि वे बड़े जिम्मेदार पुरुष थे। उनसे किसी को धोखा नहीं हो सकता था। जो कुछ किसी के लिए करने को कहते थे उसे पूरा करते थे। चाहे किसी बालक, बालिका को अपना हस्ताक्षर भेजने के लिए कहते थे, चाहे किसी बड़े देशव्यापी आन्दोलन का सूत्रपात करने का आह्वान करते थे, वह अपनी सब बातें पूरी करते थे। हम सबकी जायत होती है कि झट कुछ करने के लिए कह देते हैं, और उसी क्षण भूल जाते हैं। हमसे दूसरों को बराबर धोखा होता है। इस दुर्गुण से हमें बचना होगा। महात्मा जी की यह दूसरी शिक्षा है।

महात्मा जी अथक परिश्रम करते थे। चौबीस घंटों में बहतर घंटों का काम कर डालते थे। हम सब बड़े आलसी होते हैं। हम कुछ करना ही नहीं चाहते। समय का लगातार अपव्यय करते रहते हैं। इस कारण हम कुछ कर नहीं पाते। सभी कामों में विफल होते रहते हैं। अपनी गूटियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। महात्मा जी दूसरों की गूटियों के लिए अपने को दोष देते थे। यह सब उनकी तीसरी शिक्षा है जो हम सब ग्रहण कर सकते हैं और हमें ग्रहण करना चाहिए।

[२]

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन से मेरी पहली मुलाकात सन् १९१६ के जबलपुरवाले हिन्दी संहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में हुई थी। तब से उनसे मेरा सम्पर्क विविध क्षेत्रों में बना रहा। यद्यपि उन्होंने व्यवसाय की दृष्टि से कभी वकालत की, कभी बैंक की अध्यक्षता की पर उनका हृदय हिन्दी के प्रचार और स्वराज्य की प्राप्ति में ही बराबर लगा हुआ था। इन्हीं के लिए उन्होंने हर प्रकार का कष्ट उठा कर और तपस्या कर अपना जीवन व्यतीत किया। उनके लिए भी मैं वही कह सकता हूँ जो मैंने महात्मा जी के लिए कहा है कि उनका बड़प्पन उनका ही था। उसकी नकल हम नहीं कर सकते और उसके करने का हमें प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हम अपना उपहाम ही करावेंगे। पर उनके जीवन से हम अपने लिए अवश्य कुछ शिक्षा ले सकते हैं जिसे हम अपने ऊपर उतार सकते हैं।

एक तो उनका जीवन बहुत सादा था। आजकल पाश्चात्य प्रभावां के कारण हम अपने जीवन के स्तर को बहुत ऊँचा करने के प्रयत्न में रहते हैं जिसका यह परिणाम होता है कि हम बहुत से व्यर्थ के जाडम्बर अपने पास एकत्र करते रहते हैं, और अपने आप के भीतर, अपने प्रतिदिन का व्यय नहीं कर पाते, जिनके पास हमसे अधिक होता है उनसे बुरा मानते हैं, और इस कारण बड़े ही असन्तोष में जीवन बिताते हैं।

टण्डन जी में यह सब दोष नहीं थे। वे अपनी आय के भीतर ही व्यय करते थे और सारे प्रकार से रहने के कारण वे अपने को सन्तुष्ट रख सकते थे। वह चाहे किसी पद पर रहें वे अपने जीवन का प्रकार नहीं ही बदलते थे। एक समय वे इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। उस समय प्रदेश अथवा प्रान्त के राज्यपाल (गवर्नर) सर हारकोर्ट बटलर थे, जो बड़े भाराम-

पसन्द थे। कौय उन्हें गवाह कहते थे। प्रयाग से वे राजधानी लखनऊ ले गए थे, पर प्रयाग में जी राजभवन (गवर्नमेंट हाउस) बना रहा, जहाँ वे आया करते थे। उस समय टण्डन जी जानसठगवाह में एक छोटे से मकान में रहते थे। जमीन पर बैठ कर चारों तरफ कागज फैला कर वे काम करते थे। उन्हें टेबल कुर्सी लगाए हुए मैंने कभी नहीं देखा।

उस समय प्रयाग में पानी की बहुत कमी हो गयी थी। गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर के स्नान करने के लिए बड़ा सा कुण्ड था जिसमें उस समय पानी नहीं रहा। गवर्नर के अंगरक्षक (ए० डी० सी०) गण पिस्तौल, तलवार से सुसज्जित अध्यक्ष के पास दौड़े हुए आए। जिस कमरे में टण्डन जी काम करते थे वहाँ पहुँचने के लिए बाहर से एक सकरी सीढ़ी बनी हुई थी। इस पर अपना बूट फटकटाते हुए वे लोथ ऊपर पहुँचे। जमीन पर ही उन्हें बैठना पड़ा। जब उन्होंने लाट साहब के स्नान के अर्थ राजभवन के कुण्ड के लिए पर्याप्त पानी की मांग पेश की तो टण्डन जी ने ठीक ही कहा कि जब मैं नगरवासियों को पीने को ही काफी पानी नहीं दे पा रहा हूँ, तो लाट साहब को नहाने मात्र के लिए कहाँ से दूँ ?

ऐसा वे ही कह सकते थे। उस समय किसी दूसरे अध्यक्ष को इस प्रकार से गवर्नर के प्रतिनिधियों को लौटा देने का साहस न होता। जिस नगर में गंगा, यमुना जैसी दो नदियाँ बह रही हों, वहाँ स्नान के लिए किसी को कोई कमी नहीं हो सकती थी। टण्डन जी अपने कर्तव्यों को यथेष्ट रूप से पालन करने, अपने पद की मर्यादा बनाये रखने और साहस से सब काम करने का महागुण रखते थे। वे अपने सिद्धान्त के पक्के थे और बहुत दिन पीछे उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के सम्मानित पद को छोड़ दिया, जब देखा कि उनके साथी उनके सिद्धान्तों के विपरीत चल रहे हैं। उनके प्रण से उन्हें कोई विचलित नहीं कर सका। यह एक गुण उनसे हम सभी सीख सकते हैं।

वे बड़े प्रेमी पुरुष थे और सब से ही बराबर प्रेम बनाये रखते थे चाहे किसी से उनका कितना ही घोर मतभेद क्यों न हो। उनका अतिथि-सत्कार भी अपूर्व था। यद्यपि वे स्वयं सदा बहुत सादा भोजन करते थे और बिना उबाली हुई कच्ची सब्जियाँ खाते थे और पानी में भिगोए हुए अन्न का सेवन करते थे, पर दूसरों को अच्छा से अच्छा भोजन कराते थे। उनके यहाँ अतिथियों की भी कमी नहीं रहती थी। सबसे स्नेह और सीहाई के साथ ही बातें करते थे। यह उनका गुण हम सब अपना सकते हैं और व्यर्थ के कलह से अपने को और अपने समाज को बचाये रख सकते हैं।

रपये पैसे के मामले में वे बड़े ही सावधान, स्वच्छ और सक्त थे। हमारे शास्त्रों ने अर्थ-शुचि को बड़ा ऊँचा स्थान दिया है। सब प्रकार से स्वच्छ होते हुए, रुपये-पैसे के मामले में हम गड़बड़ा जाते हैं। इसी कारण अनाचार, भ्रष्टाचार आदि की जिकायत चारों तरफ फैली हुई है। किसी समय मैं प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मन्त्री था। उस समय मैं जब इस पद पर निर्वाचित हुआ तो किसी कारण से समिति का हिसाब-किताब बड़ा गड़बड़ था। मालूम नहीं कैसे कुछ रूपया टण्डन जी के नाम निकला। मैंने अन्य ऐसे हिसाब के साथ इसे भी समिति के

सामने पेश अवश्य किया पर कहा कि टण्डन जी ने अवश्य दे दिया होगा पर जिसका लिखना काफी और प्रयास के बीच में कार्यालय आने-जाने में अवश्य रह गया होगा। मैंने कहा कि इसे बट्टे खाते डाल देना चाहिए। पर टण्डन जी ने जब से अपनी चेक बुक निकाल कर उतने रुपयों का चेक दे दिया। जवाहरलाल समझाते ही रह गये कि इसमें कार्यालय की ही भूल हुई होगी पर टण्डन जी ने नहीं ही माना। अर्थ-शुचि का यह बड़ा आवश्यक गुण उनसे हम सब ले सकते हैं।

उन्होंने अपना जीवन इतना कठोर रख छोड़ा था कि वे बराबर गम्भीर रहते थे। उन्हें विनोद करते हुए मैंने कभी भी नहीं पाया। मुझे तो कई बार ऐसा लगा कि वे हँसी मजाक नापसन्द करते हैं। यह सम्भवतः दुर्गुण हो सकता है पर जैसे कार्यों में वे लगे हुए थे अर्थात् प्रतिकूल स्थितियों में हिन्दी का प्रचार करना और विरोध का सामना करते हुए स्वराज्य के लिए लड़ना ऐसे थे जिसमें गम्भीरता को ही उनकी प्रकृति के लोभ धारण कर सकते थे।

वे पर्याप्त हठी थे। जब किसी बात को तै कर लेते थे तो उनको कोई डिया नहीं सकता था। वे दूसरों को पर्याप्त स्वतन्त्रता देते थे। अपने पुत्रों को भी उनके बांछित कार्यों से कभी नहीं रोकते थे। वे सब से ही सहानुभूति रखते थे। बड़े-बड़े धनिकों से उनकी व्यक्तिगत मैत्री थी। उनसे अच्छे काम के लिए दान में रुपया बराबर मांगते और लेते थे, पर उनके घन को छीनने की उनकी कभी भी अभिलाषा नहीं थी। उनसे हम सब यह सीख सकते हैं कि अपना सब काम सबसे प्रेम रखते हुए कर सकते हैं और हमें यही करना चाहिए।

कई घटनाओं से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शुद्ध भाषा के प्रयोग का उन्हें बड़ा आग्रह था। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं के उच्चारण और व्याकरण पर वे बड़ा ध्यान रखते थे, और यदि किसी को गलती करते पाते थे तो शुद्ध कर देते थे। वास्तव में जिस किसी भाषा का हम प्रयोग करें, उसे शुद्ध रूप में ही हमें प्रयोग करना चाहिए। हमसे बहुत से लोग इस प्रसंग में लापरवाह रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

भोजन के सम्बन्ध में भी उनके बड़े स्थिर विचार थे और चाय, काफी आदि का सेवन वे हानिकर समझते थे और दूसरों से ऐसा कहने में वे संकोच नहीं करते थे। मेरे पिता डाक्टर भगवानदास जी को 'काफी' बड़ी प्रिय थी। अन्तिम कई वर्षों में तो उनके भोजन का यही आधार था। एक बार टण्डन जी पिता जी से ऐसे समय मिलने आये जब वे 'काफी' पी रहे थे। टण्डन जी ने पिता जी से पूछा—“बाबू जी, आप क्या कर रहे हैं।” पिता जी ने उत्तर दिया—“काफी पी रहा हूँ।” टण्डन जी कुछ उद्विग्न हो कर अंग्रेजी में बोल बैठे—“काफी इज स्ला 'वायजन', 'काफी धीरे-धीरे विष का असर करती है।” पिता जी ने कहा—“वेरी वेरी स्लो इनडीड, फार आई एम एट्री फाइव इयर्स आफ 'एज' वास्तव में उसका असर बहुत ही धीरे-धीरे होता है क्योंकि मैं पचासी वर्षों का हो गया।

टण्डन जी खाने-पीने के मामले में बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वे मेरे यहाँ अपनी काशी की यात्राओं में बराबर ठहरते थे। मेरी छोटी-छोटी लड़कियाँ उनको देखते ही दीड़ी हुई रसोईदारिन से कहती थीं कि “कच्चा बाबा” आ गये, और दाल, चावल, गेहूँ को पृथक्-पृथक् कटोरो में रख कर

पानी में भिगो देती थीं। जो कुछ हो, चाहे हम उनके प्रकार को पसन्द करें या न करें, यह तो शिक्षा अपने लिए उनसे हम ले ही सकते हैं कि हम सब को लेनी ही चाहिए कि खाने-पीने के मामले में सदा बड़ा सावधान रहना चाहिए और अपने अभीष्ट भोजन को निर्धारित कर उसी का सेवन करना चाहिए जिससे हम अपने स्वास्थ्य को बनाये रहें और व्यर्थ के रोगों से व्याप्त होकर न अपने को, न दूसरों को कष्ट दे।

गांधी जी और टप्पन जी दोनों ही संसार से उठ गये। अपना बड़प्पन अपने साथ ले गये। बड़े-बड़े काम कर गये और करा गये, साथ ही अपने जीवन-क्रम से कुछ व्यावहारिक शिक्षा भी हमारे लिए छोड़ गये जिन्हें हम साधारण जन अपना सकते हैं और अपने साथ ही और देश और समाज का भला कर सकते हैं।

राष्ट्रभाषा-प्रचार : गांधीजी और टंडनजी का सहयोग

भारत के लिए राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नहीं किन्तु हिंदी ही होनी चाहिए यह गांधी जी का दृढ़ अभिप्राय (साठ वर्ष पूर्व) सन् १९०९ में लिखे हुए उनके 'हिन्द-स्वराज्य' में प्रगट हुआ था।

दक्षिण आफ्रिका का अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करके भारत की आजादी की सेवा करने के लिए गांधी जी सन् १९१५ में भारत लौटे। सन् १९१७ में गुजरात प्रान्त की एक शिक्षा-परिषद् भंरुच में हुई। गांधी जी उसके अध्यक्ष थे। उस सभा में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के तौर पर हिन्दी का प्रचार जोरों से और विस्तार से किया। उसका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद अथवा सार टंडन जी ने अवश्य देखा होगा। देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से किसी ने भी हिंदी का इतना जबरदस्त समर्थन शायद ही किया होगा।

सन् १९१८ में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन इन्दौर में होने वाला था। टंडन जी ने अध्यक्ष के स्थान के लिए गांधी जी का नाम पसंद किया। टंडन जी उन दिनों सम्मेलन के प्रधान मंत्री थे।

सन् १९१७ की भंरुच की शिक्षा-परिषद् के लिए मैंने हिंदी के पक्ष में एक विस्तृत लेख लिखा था। बावन वर्ष के पहले हिंदी के बारे में मैंने जो गुजराती में लिखा था उसका हिंदी अनुवाद कर के मैंने 'भंगल प्रभात' में दिया है। यही से हिंदी-कार्य में मैं गांधी जी के साथ हो गया।

सन् १९१८ के इन्दौर के सम्मेलन में गांधी जी और टंडन जी के बीच हुआ संभाषण जो मैंने सुना उसे यहाँ लिखना मनोरंजक होगा। सम्मेलन के अवसर पर निजी चर्चा में हिंदी-प्रचार के लिए क्या करना चाहिए इसकी बातें हो रही थी। गांधी जी ने कहा—पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रान्तों में लोग हिंदी जानते ही हैं। बंगाल, आसाम, उड़ीसा में और सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र में हिंदी समझना कठिन नहीं है। कड़ा मामला है दक्षिण के चार प्रान्तों में जहाँ द्रविड भाषा बोली जाती है। हिन्दी प्रचारकों को वहाँ भेज कर वहाँ के लोगों को हिन्दी सिखाने का काम प्रारम्भ करना चाहिए। टंडन जी ने चकित हो कर पूछा—“वहाँ हिंदी कौन सीखेंगे? उन्हें कौन सिखायेगा?”

गांधी जी ने कहा—“दक्षिण के चार प्रान्तों के नवयुवकों को उत्तर भारत भेज कर हिंदी सिखाना होगा। वे अपने-अपने प्रान्त में लौट कर लोगों को हिंदी सिखायेंगे। बाद में उत्तर भारत

के हिंदी नवयुवकों को चाहिए कि वे दक्षिण की चार भाषाओं में से कोई एक भाषा सीख कर दक्षिण जायें और वहाँ हिंदी का प्रचार करें। लोगों को हिंदी का महत्व समझाना होगा। यह किसनरी ढंग का काम है।”

टंडन जी ने इस कार्य में कठिनाई व्यक्त की।

दक्षिण अफ्रिका में कठिन से कठिन काम करके आये हुए कर्मवीर गांधी जी को सम्मेलन के प्रधान मंत्री टंडन जी का यह रुख सहन नहीं हुआ। झट से गांधी जी के मूंह से अंग्रेजी में यह शब्द निकले In that case the Sammelan Should withdraw its claim that Hindi can be the national language of India इतना कह कर गांधी जी सांत नहीं हुए। टंडन जी की ओर देख कर उन्होंने फिर कहा—Or you Should resign as the secretary of the Sammelan.

टंडन जी जैसे अद्वितीय हिंदी भक्त को इस तरह से कहना मामूली बात नहीं थी।

इतनी बातें हुई और गांधी जी सीधे गये इन्दौर के राजा से मिलने। महाराजा साहब से उन्होंने कहा, “अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन आपकी राजधानी में हुआ है। हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। इस प्रस्ताव के अनुसार हम दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार शुरू करना चाहते हैं। इसमें आर्थिक मदद आवश्यक है। आप से ही प्रारंभ करने के लिए मैं आया हूँ।” गांधी जी की बातों से इन्दौर के महाराजा प्रभावित हुए और उन्होंने पुरस्त दस हजार का दान दे दिया।

गांधी जी की यह तेज कार्यशीलता देखकर टंडन जी अत्यन्त प्रभावित हुए। दक्षिण भारत से नवयुवकों को हिंदी सीखने के लिए इलाहाबाद भेजने का प्रबंध किया गया। मेरे पुराने साथी वाजगम जिनको हम हरिहर शर्मा अथवा अण्णा कहते थे, गांधी जी के आश्रम में दाखिल हुए थे। उन्होंने मद्रास जाकर हिंदी प्रचार का काम शुरू किया।

इतना करने पर भी गांधी जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अपने उन्नीस-बीस वर्ष के लड़के देवदास को मद्रास भेजा। देवदास ने कहा “मुझे हिंदी तो नहीं आती।” गांधी जी ने कहा—“कोई परवा नहीं। हिंदी सीखने की चंद किताबें साथ ले जाओ। मद्रास पहुँचते कुछ तो तैयारी होगी ही। मद्रास जा कर हिंदी सीखते जाओ और सिखाते जाओ। सीखने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान से तुम्हारा ज्ञान तो दो चार पाठ जितना आगे रहा तो बस है।”

दक्षिण अफ्रिका के कर्मवीर गांधी जी की प्रतिष्ठा भारत में काफी थी ही। लोगों ने यह समाचार पढ़ा कि गांधी जी ने अपने छोटे लड़के को हिंदी सिखाने के लिए मद्रास भेजा है। यह सर्वत्र कौतुक का विषय हो गया। जहाँ तक मुझे स्मरण है मद्रास के किसी निवृत्त हार्ड-कोर्ट के जज ने भी हिंदी सीखने की तैयारी कर ली। श्रीमती एनी बेसेन्ट भी तैयार हुई थीं। देवदास ने मद्रास जाकर वहाँ के कदरदाज लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला।

आचार्य-कार्यालय, सन १८९१]



इतने में पंजाब के बड़े तेजस्वी राष्ट्रमन्त्र सत्यदेव जी आश्रम में आए। (मैं इनसे) कुछे समय पूर्व अल्मोड़ा में मिल चुका था। राष्ट्रीयता से भरे हुए यह तथण अमेरिका से लौटे थे। बिहार में राष्ट्रीयता का और स्वराज्य-सेवा का अच्छा प्रचार करते थे। हमारे बाबू राजेन्द्र प्रसाद भी उनसे काफी प्रभावित थे। गांधी जी ने सत्यदेव जी को मद्रास भेजा। उन्होंने एक हिंदी की प्राथमिक पुस्तक लिख कर के दे दी और वहाँ अच्छा काय किया।

दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार के लिए जो भी पैसा गांधी जी इकट्ठा करते थे, हिन्दी सम्मेलन के पास भेजते रहते थे और सम्मेलन वह पैसा मद्रास भेजता जाता था, ऐसी व्यवस्था की गई थी। बाद को सम्मेलन की ओर से यह मदद समय पर मद्रास नहीं पहुँच पाती थी। काम में मुश्किलें आने लगी। तब गांधी जी इकट्ठा किया हुआ पैसा सीधा दक्षिण भेजने लगे।

इस स्थिति में जो एक कांड पैदा हुआ उसका वर्णन न करना ही अच्छा है। अगर पंडित मदनमोहन मालवीय जी बीच में नहीं पड़ते तो गांधी जी को अभियुक्त की भाँति कोर्ट में हाजिर होना पड़ता। (मुझे यहाँ यह कह देना चाहिए कि इन दिनों टंडन जी सम्मेलन के प्रधान मंत्री नहीं थे)। जो ही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समा सम्मेलन से स्वतंत्र हो गयी और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जोरों से चला। आन्ध्र, तमिलनाडु, केरल, कर्णाटक चारों प्रान्तों में प्रचारक हिंदी प्रचार का काम करने लगे। परीक्षाओं का प्रबंध हुआ। दक्षिण की चार भाषाओं और अंग्रेजी के द्वारा भी हिंदी सीखने के लिए सहायक किताबें तैयार हुईं। ऐसे काम में कठिनाइयाँ, कमजोरियाँ और दोष आते ही हैं। लेकिन सारा दक्षिण भारत हिंदी के लिए अनुकूल हुआ।

जब मैं अपने गुजरात के काम से मुक्त हुआ तब गांधी जी ने मुझे दक्षिण भारत का काम ठीक करने के लिए भेजा। मैंने दक्षिण की हालत देखी। चार भाषावाले प्रान्तों में यात्रा करके हिंदी का प्रचार किया। तब तक गांधी जी हिंदी प्रचार के लिए अपनी तरफ से पैसे भेजते रहे। मैंने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। इस समय का मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, जनता के सामने रखने लायक है। किसी अन्य प्रसंग पर वह रोचक कथा दूंगा। यहाँ इतना जरूर कहूँगा कि राजा जी (राजगोपालाचारी) की मदद इसमें मुझे बहुत प्राप्त हुई।

दक्षिण भारत का काम देख कर मालवीय जी और टंडन जी बहुत ही खुश हो गए। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन पुनः सन् १९३५ में इन्दौर में हुआ। मालवीय जी उसके अध्यक्ष होने वाले थे। लेकिन शायद उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्हें विदेश भी जाना था। टंडन जी ने और इंदौर वालों ने अध्यक्षता के लिए फिर से गांधी जी से प्रार्थना की। और गांधी जी इन्दौर सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। सन् १९०९ में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार की जो नीति स्थिर की थी उसको यहाँ दुबारा दोहराया और गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण के चार प्रान्त छोड़ कर बाकी भारत में हिंदी प्रचार का काम जोरों से चलने लगा। राजेन्द्र बाबू, सुभाष बाबू, वल्लभ भाई आदि नेताओं से इसमें अच्छी सहायता मिली। तब से मेरा सम्मेलन के साथ और टंडन जी के साथ सम्बन्ध बढ़ते-बढ़ते बनिष्ठ हुआ। टंडन जी का स्वभाव

अंतर्बाह्य एक सा था। किसी प्रवृत्ति के बारे में अपना स्पष्ट अभिप्राय कहते उनको संकोच नहीं था। मन में किसी से द्वेष नहीं। केवल राष्ट्र हित की ही चिन्ता। इसलिए जब कभी उनके मूँह से किसी के बारे में सुनता “ये सारे चोर हैं” तो मैं उनका भाव समझ जाता और हँस पड़ता। न जाने राष्ट्रहित के कितने असंख्य विषयों पर हमने चर्चा की होगी। कभी-कभी वे मुझे कहीं कहीं अपने साथ ले भी जाते थे और स्थानिक संस्थाओं से परिचय कराते थे। हमारी चर्चाओं में से एक चर्चा का यहाँ जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूँ। क्योंकि उससे गांधी जी और टंडन जी का दृष्टिभेद स्पष्ट होता है।

हिंदू-मुस्लिम की बात चल रही थी। टंडन जी ने कहा, “मैं इस्लाम का विरोधी नहीं हूँ। भारत में इस्लाम भले रहे। लेकिन भारत के मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए कि वे अधिकांश इसी देश के असली हिंदू हैं। इनके बाप-दादा की संस्कृति यहाँ की संस्कृति है। धर्म से वह इस्लामी हैं। किन्तु संस्कृति से भारतीय रहना ही उनके लिए उचित है। भारत की संस्कृति प्रधानतया हिंदू-संस्कृति है। इसका विरोध इनके मन में भी नहीं होना चाहिए। यही है मेरी भूमिका। उनसे झगड़ा ही तो इसी बात पर है।” मैं उनसे कहता कि “बाबू जी, आपकी बात सही है। लेकिन उसका आप्रह्व चलाने से काम सुघरता नहीं बिगड़ता है। पर देश से तो मुट्ठी भर मुसलमान ही यहाँ आये। प्रथम आये तब केवल तिजारात के लिए आये। हमारे जातीय स्वभाव की और संस्कृति की कमजोरियाँ सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने देख ली। तभी तो वे यहाँ के शासक हुए। हिंदू समाज के सामाजिक दोषों के कारण इस्लाम का प्रचार आसान हुआ। यहाँ के जो लोग मुसलमान हुए, प्रशासन के साथ घुलमिल गए, हिंदुओं से अलग होने में उनकी शान बढ़नी थी, धार्मिक श्रेष्ठता का अभिमान भी उनमें था।”

“बाद में यूरोप के पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और अंग्रेज आये। उनके जमाने में जो लोग इसाई हुए उनमें भी अभिमान हुआ कि हम शासन के सहघर्मी हैं। बहुमत को तो दब कर ही रहना पड़ता है। शासन की जिनके प्रति सहानुभूति है वे सिरमौर बनेंगे ही। जब स्वराज्य होगा तब मुसलमान और ईसाइयों के दिमाग में जो हुवा भर गयी है वह धीरे-धीरे और कठिनाई से निकल जायेगी। तब हम सब समान भूमिका पर आयेगे। तब तक दोनों तरफ से बाधा आयेगी। कहीं अविश्वास, कहीं तिरस्कार, कहीं स्वार्थभेद के कारण झगड़े दीर्घकाल तक चलेंगे। लेकिन अंत में हमें एक बनना ही है। स्वार्थत्याग पूर्वक अगर हमने पास आने की कोशिश की तो एक बनना आसान होगा। अगर यह प्रयत्न न किया तो हमारे अलगाव से लाभ उठाने वाले लोग हमारे बीच की खाई बढ़ाने में सफल होंगे। हमें दीर्घ दृष्टि से ही काम लेना पड़ेगा। कई बातें सहन करनी भी पड़ेंगी।”

मैं बार-बार टंडन जी से कहता था, “आप पूरे-पूरे कांग्रेसी हैं। हिंदू समा की सांप्रदायिकता आप में तनिक भी नहीं है। लेकिन आपकी राष्ट्रीयता ‘हिंदू-राष्ट्रीयता’ है। मध्यकालीन हिंदू राष्ट्रीयता के प्रति मेरे मन में आघर है। लेकिन वह भूलकाल की चीज हुई। भविष्य काल में, भारत में, प्रचलित सब धर्मों के सहयोग से और पवित्रनी शिक्षा के असर से भविष्य के लिए अथाप-सार्गसौर्ष, शक १८९१]

एक सम्मिलित संगम संस्कृति बनेगी जिसे मैं भारतीय संस्कृति कहूँगा। ऐसी भारतीय संस्कृति के लिए हमें कोशिश करनी है। उसमें हिंदू-संस्कृति के अंश ज्यादा रहेंगे। लेकिन ऐसा करने से अंधा अपना आग्रह चलाने से मामला विग्रह जायेगा। जो आप ही आप बनने वाला है। भविष्य की आशा पर विश्वास रख कर हम अपना आग्रह छोड़ दें।”

“हम लोग स्वभाव से भूतकाल के उपासक बने हैं। हम अराधना करते हैं राम और कृष्ण के जमाने की। वेद और वेदकाल का समय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे भूतकाल की उपासना कुछ हद तक ही अच्छी है। लेकिन वह भी अंधी नहीं होनी चाहिए। भूतकाल की हथोड़ी कमाई कीमती खाद जैसी है, उसे हम साध नहीं बना सकते। हिंदू-संस्कृति के लिए एक नया उज्ज्वल स्वरूप हमें देना है जो हमारे पुरखों के स्वप्न में भी नहीं आया होगा।”

“भारत भाग्य-विधाता का निर्णय हो चुका है कि भारत में सब धर्मों का एक विशाल कुटुंब बनाने का मिशन भारत का है। भारत ने शुरू से किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया। सर्व-धर्म-समन्वय हमारे स्वन मे है।” ऐसी-ऐसी बातों में अनेक बार टंडन जो से करता था।

एक बार मेरे आदरणीय स्नेही डॉ० बाबू राम सक्सेना ने मुझे इलाहाबाद युनिवर्सिटी में गांधी-नीति पर व्याख्यान के लिए बुलाया। वहाँ मैंने कहा, “मुझे हिंदी ठीक नहीं आती। उर्दू तो मैंने सीखी ही नहीं। जो कुछ हिंदी बोलता हूँ, संस्कृत शब्दों की मदद से मेरा काम चलता है। सब भारतीय भाषाओं को संस्कृत-भाषा से पोषण मिलता है। भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रथम भाषा-संस्कृत ही है। इस भाषा ने न जाने कितने स्थानिक प्राकृतिक शब्द अपना कर अपनी समृद्धि बढ़ायी है। जल, पानी, नीर आदि भिन्न-भिन्न प्रदेश के स्थानीय शब्दों को स्वीकार करके संस्कृत समृद्ध हुई है। अब संस्कृत का स्थान हिंदी को लेना है। राष्ट्रीय हिंदी पंजाबी के शब्द लेती है। बंगला के शब्द भी उसने आत्मसात् किए हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, चाहे जितनी टूटी फूटी हो वह है राष्ट्रीय हिंदी। और आप बोलते हैं वह चाहे जितनी बढ़िया और मुहावरेदार हो, वह है प्रान्तीय हिंदी।” अपनी कमजोरी का इस तरह से बचाव करने के बाद मैंने राष्ट्रभाषा की नीति की मुख्य बातों को समझाया। मैंने कहा, “राष्ट्रभाषा प्रचार का काम केवल भाषिक या साहित्यिक नहीं है। यह सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और राजनीतिक भी है।

आज भारत में अखिल भारतीय विचार-विनिमय का काम और राजनीतिक संगठन का काम अंग्रेजी के द्वारा हो रहा है। कांग्रेस का काम भी अंग्रेजी में ही चलता है। अंग्रेजों का स्वप्न अब साकार हो रहा है। इस स्वप्न को भंग कर के अंग्रेजी की जगह हम हिंदी को लाना चाहते हैं। यह तभी होगा जब हम लोग भारत की सभी भाषाओं में दोस्ताना वायुमंडल ला सकेंगे। अगर हिंदी को अखिल भारत की राष्ट्रभाषा बनानी है तो हिंदी को भारत की सब भाषाओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए। अखिल भारतीय सर्व सम्मति के द्वारा ही यह स्वप्न सिद्ध होगा। अखिल भारतीय एकता के जोर से ही हम अंग्रेजी को उसके नाजायज अधिकार से हटा सकेंगे। पश्चिम की ओर की चार भाषाएँ, बंगाल, आसाम, उड़ीसा की चार भाषाएँ, पश्चिम भारत की सिंधी, गुजराती, मराठी और आप लोगों के क्षेत्र की पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी आदि सब

भाषाओं से मित्रता कर के सबको यथाशक्ति पोषण दे कर सब का पृष्ठबल प्राप्त करोगे तभी अंग्रेजी को हटा कर उसके स्थान पर राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को स्थान दिला सकोगे।”

“आपकी सारी शक्ति उर्दू के खिलाफ लड़ने में खतम हो रही है। सब से बड़ा खतरा अंग्रेजी का है। उसके खिलाफ लड़ना है। इस ओर गांधी जी आपका ध्यान खींच रहे हैं। गांधी जी को आपकी मदद नहीं मिल रही है। आप उर्दू को सांप समझ कर उससे लड़ रहे हैं। सांस्कृतिक और राजकीय स्वराज्य प्राप्त करने में उर्दू से कोई डर नहीं है। मरे हुए सांप को आप पीट रहे हैं। और जिंदा जहरी सांप को—अंग्रेजी को आप दूध पिला रहे हैं। इतनी ही बात आपको समझाने के लिए यहाँ आया हूँ।”

“अंग्रेजी भाषा और साहित्य से हमें बहुत कुछ लेना है। पश्चिम से जो लेना है अंग्रेजी के द्वारा ही लेना पड़ेगा। भारत की राजनीतिक आकांक्षा और संस्कृति की खूबियाँ दुनिया के सामने रखनी हो तो अंग्रेजी की मदद आज लेनी ही पड़ेगी। लेकिन (१) राज्य अंग्रेजी में चले, (२) सब विषय हम अपने देश के लोगों को विदेशी भाषा के द्वारा सिखावें और (३) हमारे बहुविध जीवन की चर्चा हम अंग्रेजी के द्वारा चलावें, वह सब अनिष्ट है। प्रजा शक्ति को इससे पोषण नहीं मिलेगा। जनता की भाषाएँ ही जनता में प्राण लायेंगी। इसलिए जनता की जो पंद्रह बीस भाषाएँ देश में प्रचलित हैं उनको उनका अधिकार प्राप्त करने में मदद करनी है। ऐसा करने से ये भाषाएँ कृतज्ञता से हिंदी को अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा का स्थान दिलायेंगी। यह सीधी बात गांधी जी राष्ट्र को समझा रहे हैं।”

“हिंदू और मुसलमान राष्ट्र के दो बड़े समाज हैं। इनमें एकता लाने और दोनों की उन्नति करने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयत्न किये। लेकिन दोनों समाज को गांधी जी की बातें न खींचीं। भाषा के बारे में उनकी नीति किसी को पसंद न आयी। अंग्रेजों की नीति सफल हुई। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार के लिए जो संस्था वर्षा में खड़ी की थी वह सम्मेलन के नाम से खड़ी की थी। टंडन जी ने गांधी जी से कहा, “हमारे नाम से आपने जो संस्था खड़ी की है, हमें सौंप दीजिए। आप अपनी नीति के अनुसार संस्था खड़ी करिये, हमें एतराज नहीं है। गांधी जी ने वह संस्था, उसकी जायदाद और धन सब कुछ टंडन जी को सौंप दिया। इतने में अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद वर्षा की संस्था चलाने वाले देश में धूम-धूम कर गांधी जी का नाम काम में लाकर बहुत फायदा उठाया। वह संस्था आज भी अच्छी तरह से चल रही है।”

लेकिन इंजन के हट जाने से जिस तरह सारी ट्रेन पुरानी शक्ति से थोड़ी आगे बढ़ सकती है वैसे ही हिंदी प्रचार का काम देश में चल रहा है। अंग्रेजी का राजकीय और सांस्कृतिक राज्य देश में जोरों से बढ़ रहा है। देश के राजनीतिक नेता गांधी जी को याद करके बचन देते हैं “हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान जरूर देंगे लेकिन आज नहीं, आज से दस वर्ष के बाद। किसी भी नेता से यदि यह प्रश्न पूछें, जवाब वही मिलेगा, “बच नहीं, आज से दस वर्ष के बाद।”

‘हिंदी का भाव्य स्यष्ट है, किसी भी ‘आज’ से दस वर्ष के बाद हिंदी का भाव्योदय होगा। तब तक हमारी आंतरिक कमजोरियाँ और अंग्रेजी का प्रचलन अबाधित हैं। दोनों बढ़ रहे हैं।’

यह है गांधी जी और टंडन जी के सहयोग के संस्मरण। राष्ट्र का स्वभाव बदलने के लिए जो क्रांतिकारी शक्ति चाहिए वह जब तक प्रगट नहीं होगी तब तक राष्ट्र का स्वभाव राष्ट्र के भाग्य के आड़े खड़ा ही है। ‘स्वभावो दुरतिक्रमः’।

डाक्टर रामधारी सिंह 'बिनकर'

हिन्दी-हिन्दुस्तानी विवाद

गांधी जी ने अफ्रीका में रहते हुए ही यह कल्पना तैयार कर ली थी कि उत्तर भारत के हिन्दू और मुसलमान जिस भाषा को, आमतौर पर, बोलते हैं और जो देवनागरी तथा फारसी, दोनों ही लिपियों में लिखी जाती है, उसी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा का स्थान मिलना चाहिए। अवश्य ही, यह कल्पना उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को ध्यान में रख कर की होगी। मानसिक ऊहापोह के क्रम में गांधी जी का तर्क यह रहा होगा कि यदि संस्कृतनिष्ठ हिन्दी राष्ट्रभाषा हुई, तो मुसलमान, फ़िस्तान और सिक्ख तथा पारसी उस भाषा को हिन्दुत्व की भाषा समझ कर उसमें घबरायेंगे। इसी तरह यदि अरबी-फारसी से भरी उर्दू भाषा राष्ट्रभाषा बनायी गयी, तो उसे हिन्दू स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हिन्दू केवल हिन्दी भाषी प्रान्तों में ही नहीं बसते, वे अहिन्दी भाषी प्रान्तों में भी बसते हैं।' अतएव वे इस निष्कर्ष पर आ गए कि जैसे भारत मिश्रित संस्कृतियों का देश है, उसी प्रकार, उसकी राष्ट्रभाषा भी हिन्दी और उर्दू का मिश्रित

१. "फिर दूसरी बात भी ध्यान में रखनी है। जहाँ तक दक्षिण भारत की भाषाओं का संबंध है, बहुत अधिक संस्कृत शब्दों से युक्त हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो दक्षिण के लोगों को अपील कर सकती है, क्योंकि कुछ संस्कृत शब्दों और संस्कृत ध्वनियों से तो वे पहले से ही परिचित होते हैं।"

(हरिजन सेवक, १० अप्रैल, १९३७ ई०)

"बंगाल और दक्षिण के श्रोताओं के सामने जो हिन्दुस्तानी बोली आयगी, उसमें स्वभावतः संस्कृत से उत्पन्न शब्दों का प्राचुर्य होगा। वही भाषा जब पंजाब में किया जायगा, तो उसमें अरबी-फारसी से पैदा हुए शब्दों की काफी मिलावट होगी।"

(हरिजन सेवक, २९-१०-१९३८)

२. "हममें से बहुतरे इस जतन में लगे हुए हैं कि उन सब सभ्यताओं को एक में मिला दिया जाय, जो इस समय आपस में टकरा रही हैं। अलग रहने की कोशिश करने वाली कोई भी सभ्यता जिन्हा नहीं रह सकती। इस समय भारत में ऐसी कोई तहजीब बाकी नहीं बची है, जिसे बिलकुल "पवित्र आर्य सभ्यता" कहा जा सके। . . . बेरा मतलब इतना ही बताने का है

आधातु-मार्गशीर्ष, शक १८९१]

रूप होगा। आजादी की लड़ाई के दिनों में हिन्दू-मुस्लिम-एकता की समस्या ही प्रधान थी। अतएव भारत के सभी प्रान्तों में ऐसे लोग थे, जो यह चाहते थे कि हिन्दी-उर्दू की एकता से अगर हिन्दू-मुस्लिम-एकता की नींव पुष्ट होती है, तो उचित है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी बना दी जाय।

इस भाषा की लिपि क्या होगी इस बारे में भी गांधी जी का मत स्पष्ट था। वे देवनागरी और फारसी, दोनों ही लिपियों का प्रयोग विहित मानते थे तथा उन्हें यह आशा थी कि काल-क्रम में जो लिपि अधिक सरल और सक्षम पायी जायगी, वह दूसरी लिपि पर विजय प्राप्त कर लेगी। दूसरी ओर उनका यह भी ख्याल था कि संस्कृत से निकली हुई भारत की सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी हीनी चाहिए। यहाँ तक कि वे द्रविड़ भाषाओं के लिए भी देवनागरी लिपि को उचित समझते थे। “जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, तब भी मैं मानता था कि संस्कृत से निकली हुई सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी हीनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि देवनागरी के द्वारा द्रविड़ भाषाएं भी आसानी से सीखी जा सकती हैं। मैंने तमिल-तेलुगू को और कुछ दिन तक कन्नड़ व मलयालम को भी उनकी अपनी लिपियों द्वारा सीखने का प्रयत्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे साफ दिखायी पड़ रहा था कि अगर इन चारों भाषाओं की लिपि देवनागरी ही होती, तो मैं उन्हें थोड़े ही समय में सीख सकता था।”

गांधी जी ने अपनी कल्पना को हिन्दुस्तानी को हिन्दी साहित्य सम्मेलन से स्वीकृत करवा लिया था। “सन् १९१८ में मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापति हुआ था। तभी मैंने हिन्दी भाषी जगत् को सुझाया था कि वह हिन्दी की अपनी व्याख्या को इतना प्रगस्त बना ले कि उसमें उर्दू का भी समावेश हो जाय। सन् १९३५ ई० में जब मैं दुबारा सम्मेलन का सभापति बना तो मैंने हिन्दी शब्द की यह व्याख्या करायी कि हिन्दी वह भाषा है, जिसे हिन्दू-मुसलमान दोनों बोलते हैं और जो देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती है।” (राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी)

गांधी जी की प्रेरणा से यही हिन्दुस्तानी सन् १९२५ ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस की दस्तरी भाषा मान ली गयी थी। और सन् १९३८ ई० में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इसी हिन्दुस्तानी के प्रयोग में दुबारा अपनी आस्था प्रकट की थी। “कांग्रेस की प्रचलित प्रथा

कि हमारे बहुत पुराने वरके, पुरी आजादी के साथ, एक दूसरे से मिलते थे और हम इस समय की संतान उसी निलायत के फल हैं।”

(हरिजन सेवक, १६-५-१९३६)

“हिन्दू-मुस्लिम कलह भाषा में भी आ चुका है। मुझे बचपन से ही हिन्दू-मुस्लिम एकता की धुन रही है। भाषा में घुसे हुए कलह को मिटाने के लिए भी दोनों लिपियों और शैलियों का ज्ञान जरूरी है।”

१. हरिजन बंधु, ५ जुलाई, १९३६ ई०।

के अनुसार हिन्दुस्तानी वह भाषा है, जिसे उत्तर भारत के लोग उपयोग में लाते हैं और जो देवनागरी या उर्दू, दोनों लिपियों में लिखी जाती है।”

अगर हिन्दुओं और मुसलमानों के पिल साफ होते, तो गांधी जी का अभिप्राय पूरा ही गया होता यानी देश का बँटवारा नहीं होता और गांधी जी की कल्पना की हिन्दुस्तानी ही भारत की राष्ट्रभाषा ही जाती। लेकिन, हिन्दुओं और मुसलमानों के हृदय साफ नहीं थे। हस्व-मामूल भाषा के मामले में भी हिन्दुओं ने एक हृद तक गांधी जी का साथ दिया, लेकिन उर्दू वालों ने सम्मेलन के द्वारा बढ़ाये गए हाथ को नहीं धामा। जैसे हिन्दी-भाषियों का एक दल हिन्दुस्तानी को शंका की गिमाह से देखता रहा, उसी अकार उर्दू वाले भी हिन्दुस्तानी को शंका को नजर से देखते रहे। उर्दू वालो ने गांधी जी पर यह लाछन लथाया कि वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तो सभापति हुए, मगर अंजुमन तरकिकए-उर्दू की उन्होंने सदरत नहीं की है। सम्मेलन के लिए उन्होंने चंदे उठाये हैं, मगर अंजुमन तरकिकए-उर्दू के लिए कुछ नहीं किया है। अवश्य ही, गांधी जी हिन्दुस्तानी की आइ में हिन्दी का प्रचार कर रहे हैं और उर्दू की हस्ती को वे मिटाना चाहते हैं।

यह गांधी जी पर मूठा इलजाम था। उर्दू वालों ने गांधी जी का कभी इतना विश्वास नहीं किया कि वे उन्हें अपनी अंजुमन की सदरत करने का निमंत्रण देते। जहाँ तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सवाल है, गांधी जी ने उसका सभापतित्व अपनी शर्त पर स्वीकार किया था, सम्मेलन की शर्त पर नहीं। और सम्मेलन का उपयोग गांधी जी हिन्दुस्तानी के लिए करना चाहते थे यानी हिन्दी और उर्दू को आपस में नजदीक लाने के लिए करना चाहते थे। निश्चिन्त इतनी साफ थी, फिर भी उर्दू वालों को विश्वास नहीं हुआ। उर्दू के नेता हिन्दी शब्द को ही बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे।

“हिन्दी की जगह पर हिन्दी-हिन्दुस्तानी नाम मेरी ही तजवीज से स्वीकार किया गया था। अब्दुल हक साहब ने वहाँ जोरों से मेरी मुखालिफत की। मैं उनका सुझाव मजूर न कर सका। जो शब्द हिन्दी साहित्य सम्मेलन का था और जिसकी इस प्रकार की श्याख्या करने के लिए मैंने सम्मेलन वालों को मना लिया था कि उसमें उर्दू भी शामिल कर दी जाय, उस हिन्दी शब्द को मैं छोड़ देता तो मैं खुद अपने प्रति और सम्मेलन के प्रति भी हिंसा करने का दोषी होता। यहाँ हमे यह याद रखना चाहिए कि यह हिन्दी शब्द हिन्दुओं का गढा हुआ नहीं है। यह तो हम मुल्क में मुसलमानों के आने के बाद उस भाषा को बतलाने के लिए बनाया गया था, जिसे उत्तर हिन्दुस्तान के हिन्दू बोलते और लिखते थे।” (हरिजन सेवक, १०-४-३७)

मुसलमानों की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि “अवधी हैसियत के अलावा हिन्दी की एक मजहबी और तहजीबी हैसियत भी है, जिसे मुसलमानों की पूरी जमात अपना नहीं सकती। इसके अलावा अब वह बहुत-से ऐसे अल्फाब अपने अन्दर शामिल कर रही है, जो बिल्कुल उसी के हैं और वे लोग जो सिर्फ उर्दू जानते हैं, उन्हें आम तौर पर समझ नहीं सकते।” (राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी)

१. हरिजन सेवक, १५ अक्टूबर, १९३८ ई०।

अन्वय-मार्गशीर्ष, सफ १८९१]

गांधी जी ने इस आलोचक का उत्तर यह कह कर दिया था कि "अगर अगले जमाने के मुसलमानों ने हिन्दी को सीखा और उसे अदबी जमान की हैसियत दी, तो मौजूदा जमाने के मुसलमान उससे किनारा क्यों करें? बेधाक, उस जमाने की हिन्दी में और आज की हिन्दी में आज की हिन्दी से कहीं ज्यादा मजहबी और तहजीबी हैसियत थी। तो क्या किसी भाषा की मजहबी और तहजीबी हैसियत से ही उस भाषा से हमें दूर रहना चाहिए? क्या मैं अरबी और फारसी से इसलिए बचूँ कि उन जमानों की मजहबी और तहजीबी हैसियत है? ... सीधे सादे प्रचलित शब्दों की जगह संस्कृत शब्द रखने या तद्भव शब्दों को संस्कृत तत्सम शब्दों का रूप देने का कृत्रिम तरीका निस्संदेह निन्दनीय है।" (हरिजन सेवक, २३-५-३६)

उर्दू के नेता इस उम्मीद में थे कि हिन्दुस्तानी उर्दू का ही दूसरा नाम है। लेकिन मुशी प्रेमचन्द की जिस भाषा को गांधी जी आदर्श मानते थे, उर्दू वालों को उसमें भी खोट दिखायी देती थी। उर्दू की ओर से एक पत्र-लेखक ने गांधी जी को लिखा था कि "मुशी प्रेमचन्द साहब आजकल हमारी अदबी दुनिया के शायद सबसे बड़े आदमी हैं। (लेकिन) 'हंस' पढ़ने से ऐसा स्थल होता है कि यह किसी खास मजहबी समाज का रिंसाला है।"

लेकिन गांधीजी से नाराजगी केवल उर्दू वालों को ही नहीं थी। उनसे कुछ हिन्दी वाले भी नाराज थे। "इस बारे में जहाँ कुछ मुसलमान दोस्त मुझसे नाखुश हैं, वहाँ हिन्दी मित्र भी कम असंतुष्ट नहीं हैं।" एक सज्जन ने तो सचमुच ही मुझे लिखा है कि अगरचे तर्क और इतिहास की दृष्टि से मेरी स्थिति सही है, फिर भी मुझे मुसलमान आलोचकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी राय बदल लेनी चाहिए। यह आलोचक चाहते हैं कि एक ही भाषा का परिचय देने के लिए या तो मैं 'हिन्दी उर्दू' शब्द के प्रयोग का समर्थन करूँ या सिर्फ उर्दू का।"

पैगम्बरों का जो हाल होता है, वही हाल गांधी जी का हुआ। जब उन्होंने यह सलाह दी कि संस्कृत से उत्पन्न या प्रभावित भाषाओं की लिपि एक हो और वह देवनागरी हों, तो किसी अहिन्दी-भाषी आलोचक ने लिखा "एक ही भाषा बोलने वाले हिन्दू और मुसलमान अपने लिए दो अलग लिपियाँ क्यों रखे हुए हैं?"

गांधी जी ने भारत आते ही हिन्दुस्तानी का आन्दोलन शुरू कर दिया था और हिन्दुस्तानी की आलोचना उस समय भी चलती थी, जब कविवर अकबर इलाहाबादी (मृत्यु सन् १९२४ ई०) जीवित थे। वे गांधीजी के विचारों के पक्के समर्थक थे और हिन्दी-उर्दू को वे गांधी जी की ही दृष्टि से देखते थे। अपनी एक कविता में उन्होंने कह: था—

हम उर्दू को अरबी क्यों न करें?

वे उर्दू को भाषा क्यों न करें?

आपस में अबावत कुछ भी नहीं,

फिर भी एक अजादा कायम है।

जब इससे फलक का बिल बहले,

हम लोग तभारता क्यों न करें?

लोग गांधी जी से पूछते थे कि हिन्दी भाषा का भी साहित्य है और उर्दू का भी है। मगर हिन्दुस्तानी का साहित्य कहाँ है? ऐसे सवाल का जवाब देते हुए गांधी जी ने एक बार कहा था, जैसे गंगा और यमुना के बीच सरस्वती प्रच्छन्न भी है और प्रकट भी, उसी प्रकार हिन्दी और उर्दू के बीच हिन्दुस्तानी मौजूद है। लेकिन इसी सवाल के जवाब में उन्होंने दूसरी बार यह भी कहा था कि “कभी-कभी लोग उर्दू को ही हिन्दुस्तानी भी कहते हैं। तो क्या कांग्रेस ने अपने विधान में उर्दू को ही हिन्दुस्तानी माना है? क्या उसमें हिन्दी का, जो सब से ज्यादा बोली जाती है, कोई स्थान नहीं है? यह तो अर्थ का अनर्थ करना होगा। स्पष्ट ही यहाँ इसका मतलब सिर्फ हिन्दी भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका सही-सही मतलब तो, हिन्दी और उर्दू हो सकता है। इन दोनों के मेल से ही एक ऐसी जवान तैयार करनी है, जो सब के काम आ सके। ऐसी कोई जवान जो लिखी भी जाती हो, आज प्रचलित नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में आज भी करोड़ों अनपढ़ हिन्दुओं और मुसलमानों की यही एक बोली है। चूँकि वह लिखी नहीं जाती, इसलिए वह अपूर्ण है। और जो लिखी जाती है, उसकी दो अलग-अलग धाराएँ बन गयी हैं, जो दिन-ब-दिन एक-दूसरी से अलग हट रही हैं। . . . आज हिन्दुस्तानी का अपना ऐसा कोई संगठन नहीं, जो इन एक-दूसरी से दूर भागती हुई दो धाराओं को नजदीक आने और मिलाने की कोशिश में लगा हो।” (हरिजन सेवक, १ फरवरी, १९४२ ई०)

जैसे गांधी जी ने हिन्दुओं और मुसलमानों को एक करने के लिए आजीवन प्रयास किया, वैसे ही उन्होंने हिन्दी और उर्दू को भी एक करने के भगीरथ-प्रयत्न किये। किन्तु, उनके इन दो उद्देश्यों में से एक भी पूरा नहीं हो सका। गांधी जी ने कांग्रेस में हिन्दी-हिन्दुस्तानी चला तो दी थी, किन्तु उसका प्रयोग केवल भाषणों में होता था। हिन्दी-हिन्दुस्तानी को स्वीकार तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने भी कर लिया था, मगर, व्यवहार में केवल यह बात फैल गयी कि हिन्दुस्तानी के प्रचार के वहाने कांग्रेसी सरकार हिन्दू-संस्कृति को विनष्ट कर रही है।

सन् १९३८ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन काशी में हुआ, जिसके मंच पर अन्य नेताओं के साथ देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद जी भी विराजमान थे। वहाँ किसी ने बिहार सरकार की निन्दा का प्रस्ताव पेश कर दिया और बिहार में प्रकाशित रीडरों का हवाला देकर लोग कटु से कटु भाषण देने लगे। राजेन्द्र बाबू पर इन भाषणों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने उठ कर समा से निवेदन किया कि निन्दा का प्रस्ताव आप पास मत करें। मैं रीडरों को नष्ट करवा दूँगा। राजेन्द्र बाबू के इस आश्वासन के बाद प्रस्ताव वापस ले लिया गया और बाद की रीडरें जला दी गयीं। किन्तु, इस घटना ने देश में हिन्दी-हिन्दुस्तानी को और भी तीखा कर दिया।

दूसरे वर्ष यानी सन् १९३९ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन पंजाब के अबोहर नामक शहर में होने वाला था। हिन्दुस्तानी के समर्थकों ने चाहा कि यह आजमाइश ही जाय कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी का साथ देते हैं या नहीं। इस ध्येय को सामने रख कर उन्होंने अबोहर सम्मेलन के सम्भाषित-पद के लिए देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद का नाम प्रस्तावित कर दिया। यह देख कर हिन्दुस्तानी के विरोधियों ने राजेन्द्र बाबू के मुकाबिले आचार्य-मार्गशीर्ष, शक १८९१]

में डाक्टर अमरनाथ झा को खड़ा कर दिया। परिणाम यह हुआ कि राजेन्द्र बाबू बुनाव हार गए और सम्मेलन के अबोहर-अधिबेशन ने यह तय कर दिया कि सम्मेलन की विलक्षण्यी केवल हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार में है।

इस सम्मेलन में काका साहब कालेलकर भी पधारे हुए थे और सम्मेलन के मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा था कि "हम राष्ट्र-हित की दृष्टि से राष्ट्रभाषा की सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। परन्तु, 'हिन्दी' नाम से काम करने में हमारे सामने रुकावटें आती हैं। इसलिए 'हिन्दी' नाम से हम काम नहीं कर सकते। आप राष्ट्रभाषा का नाम 'हिन्दुस्तानी' रखें, तो हमें काम करने में सुविधा होगी।"^१

काका साहब के जवाब में बोलने वालों का भाव यह था कि "जो लोग हिन्दुस्तानी नाम रख रहे हैं और उस नाम से काम करने में सुविधा समझते हैं, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम न हिन्दुस्तानी का विरोध करते हैं, न उर्दू का। हम तो हिन्दी-नागरी का प्रचार करते हैं। आप दोनों लिपियों का प्रचार चाहते हैं, तो हम एक लिपि का प्रचार करके आपके आशे बोझ को कुछ हलका ही करते हैं।"^२

इसके बाद से हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष और भी विकराल हो गया। जो लोग गांधी जी के अनुयायी समझे जाते थे, उनमें से भी बहुत से लोग खुले आम यह कहने लगे कि हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी नहीं चलेगी। हिन्दुस्तानी के समर्थन में काका साहब कालेलकर, विनोबा जी, राजा जी, राजेन्द्र बाबू आदि नेता खुल कर गांधी जी के साथ थे। किन्तु, टंडन जी हिन्दुस्तानी के विरोध में डट गए और डा० संपूर्णानन्द, पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री वियोगीहरि तथा श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मूक्षी और काका गाडगिल ने टंडन जी का साथ दिया।

सम्मेलन से निराशा हो जाने के बाद गांधी जी ने चाहा कि सम्मेलन अपनी ही कल्पना की हिन्दी का प्रचार करना चाहता है तो करे, किन्तु, राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्षों को हिन्दुस्तानी का प्रचार करने की छूट दे। किन्तु, सम्मेलन ने गांधी जी की यह इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। समिति सम्मेलन की शाखा की तरह काम कर रही थी। सम्मेलन इसके लिए तैयार न हुआ कि समिति दो लिपियों के प्रचार में लगे। निदान, गांधी जी की प्रेरणा से काका साहब कालेलकर के नेतृत्व में वर्षों में ही २ मई, सन् १९५२ ई० को हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की गयी। यह सभा हिन्दी-हिन्दुस्तानी-संघर्ष में हिन्दुस्तानी का प्रचार करने के लिये बनी थी, किन्तु, सन् बयालीस की क्रान्ति में सभी नेता पकड़ कर जेलों में डाल दिए गए और हिन्दुस्तानी प्रचार का काम प्रायः ठप पड़ गया।

गांधी जी को इस नयी संस्था से इतना प्रेम था कि ९ अगस्त, १९४२ ई० के 'हरिजन सेवक' में भी उनका यह नोट छपा था कि "सभा का संदेश यह है कि

१. राष्ट्रभाषा का इतिहास, लेखक किशोरीबास दाजपेयी।

२. वही।

हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानी यानी हिन्दी-जोड़-उर्दू है। कांग्रेस के हिन्दुस्तानी-संबंधी प्रस्ताव के कर्ता, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्राण-रूप श्री पुस्तोत्तमदास टंडन ही थे। उन्होंने मुझे यह बात बहुत साफ तौर पर समझायी थी कि आज की हालत में हिन्दुस्तानी का मतलब हिन्दी-उर्दू ही होना चाहिए। . . . इस सभा के संस्थापक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सदस्य थे और हैं, लेकिन जब केवल हिन्दी के प्रचार से उनकी महत्वाकांक्षा तृप्त न हो पायी, उन्होंने सम्मेलन की स्वीकृति से हिन्दुस्तानी प्रचार समा स्थापित की।”

१९४२ की क्रान्ति में नेतामण तो जेल चले गए, लेकिन श्री अमृतलाल नानावटी जेल से बाहर थे। अतएव गुजरात विद्यापीठ के द्वारा उन्होंने हिन्दुस्तानी का प्रचार आरंभ कर दिया। इसी प्रयोग के आधार पर १९४४ के बाद, कार्यकर्ताओं के रिहा होने पर, अन्य प्रांतों में भी हिन्दुस्तानी के प्रचार का कार्यक्रम बनाया गया।

इस समय तक हिन्दी-हिन्दुस्तानी का विवाद केवल हिन्दी-भाषी प्रांतों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी छूट हिन्दी प्रचारकों को भी लग गयी और दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में काम करने वाले हिन्दी-प्रचारक भी दो दलों में बंट गये। यह वह समय था, जब पाकिस्तान बनाने का आन्दोलन अपने पूरे उरुज पर था। असल में, इन वर्षों में वह तूफान सज रहा था, जिसका बिस्फोट सन् १९४६-४७ में होने वाला था। पाकिस्तान का आन्दोलन जितना तेज होता जाता था, अक्षय्य भारतवासियों का हृदय उतना ही दग्ध होता जा रहा था। लोग मन ही मन यह सोच कर विस्मित हो रहे थे कि आबिर गांधी जी किम आशा में हिन्दू-मुस्लिम-पीकट की भाषा पर इतना जोर दे रहे हैं।

किन्तु, गांधी जी अपनी आस्था पर अडिग खड़े थे। वे सम्मेलन वालों को पहले भी कह चुके थे कि आप इस इन्तजार में समय न बर्बाद करे कि अंजुमन तरकिकए-उर्दू हिन्दुस्तानी को कब अपनायेगी। अगर हिन्दुस्तानी का प्रचार राष्ट्र के हित में है, तो उस कामको किसी का भी इन्तजार किए बिना आपको करना चाहिए। फिर २७ फरवरी, १९४५ ई० को हिन्दुस्तानी कान्फेस में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हिन्दी और उर्दू के जो अलग-अलग फिरके पैदा हो गए हैं, उन्हें रोकने का काम मेरे-जैसे लोगों का है। . . . मुझसे कहा गया है कि मुस्लिम लड़के तो नागरी लिपि नहीं सीखते। मैं कहता हूं, अगर ऐसा है, तो तुमने कुछ नहीं खोया, उन्होंने खोया। एक और लिपि सीख ली तो उससे नुकसान क्या हुआ? . . . अगर हिन्दी और उर्दू मिल जायें, तो गंगा-यमुना से बड़ी सरस्वती हुगली की तरह बन जायेगी।”

(राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी)

गांधी जी जितने ही जोर से हिन्दुस्तानी का समर्थन कर रहे थे, सम्मेलन के लोग उतने ही जोर से उसका विरोध कर रहे थे। अन्त में वह स्थिति आयी, जब महात्मा गांधी को सम्मेलन की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। गांधी जी ने अपना इस्तीफा २८ मई १९४५ ई० को टंडन जी के पास भेजा। फिर दोनों महापुरुषों के बीच लंबा पत्राचार चला और अन्त में गांधी जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी के पत्र को टंडन जी ने सम्मेलन की स्थायी समिति में न रख कर उसके जयपुर वाले लुले अधिवेशन के समक्ष रख दिया। उस समय सम्मेलन जिस

आचार्य-वार्तासीर्ष, स्रक १८९१]

परीशानी और पेशोपेश में पड़ा, उसका वर्णन करते हुए आचार्य किशोरीदास जी बाजपेयी ने लिखा है—

“लोभों के हृदय उद्वेलित थे। महात्मा जी सम्मेलन छोड़ जायेंगे, तो क्या होगा ? सम्मेलन का क्या रहेगा ? त्याग-पत्र स्वीकार न हो, इसका एक ही उपाय था, नागरी के साथ-साथ फारसी लिपि का भी अनिवार्य प्रचार तथा हिन्दी की जगह हिन्दुस्तानी भाषा को ग्रहण करना। यह सब सम्मेलन के मूल उद्देश्य से बहुत दूर, बल्कि, विपरीत था। उद्देश्य छोड़ो या फिर महात्मा जी के महान् व्यक्तित्व के सहयोग से मिलने वाली शक्ति छोड़ो। जयपुर में इस विषय पर बड़ा समुद्र-मंथन हुआ। संध्या से विचार प्रारम्भ हुआ और रात के दो बज गये। अन्ततः बड़े ही दुःख के साथ, धड़कते हुए हृदय से, आंसूओं को रोक कर सम्मेलन ने महात्मा जी का त्याग-पत्र स्वीकार किया।”

सम्मेलन से गांधी जी के इस्तीफे की प्रतिक्रिया लगभग सारे देश में हुई, किन्तु, उसका गंभीर रूप गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास में प्रकट हुआ। २५ जनवरी, सन् १९४६ ई० को मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की रजत-जयन्ती के मौके पर गांधी जी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा, “हिन्दुस्तानी की सेवा करने को मैं १२५ बरस तक जिन्दा रहना चाहता हूँ। . . . इसका काम भी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारी सभा का नाम हिन्दी प्रचार-सभा है। अब इसका नाम हिन्दी प्रचार सभा नहीं रहेगा। हिन्दी शब्द के बदले अब हमें हिन्दुस्तानी शब्द लेना है।” और उसी दिन से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने अपने नाम को बदल कर “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” कर दिया। गांधी जी ने हिन्दुस्तानी नाम की सिफारिश अपने २७-१-१९४६ वाले भाषण में भी की थी। “आज आप लोग जो प्रतिज्ञा लेंगे, उसमें अब हमारी राष्ट्र-भाषा का नाम हिन्दी न रह कर हिन्दुस्तानी रहेगा। हमारी राष्ट्रभाषा एक लिपि में नहीं, बल्कि दो लिपियों में लिखी जायेगी। राष्ट्रभाषा-प्रचार कार्य के लिए द्रव्य देनेवालों को भी यह बात पहले समझा देनी चाहिए। हमारा काम उन्हें पसन्द है या नहीं, यह देख कर मदद दें।”

सन् १९४६ और ४७ के वर्ष भारत में सांप्रदायिक द्वेष और घृणा के भयानक विस्फोट के वर्ष थे। किन्तु, जहर ज्यों-ज्यों ज्यादा होता जाता था, गांधी जी की अमृतमयी वाणी भी प्रखर होती जा रही थी।

“हिन्दी और उर्दू नदियाँ हैं और हिन्दुस्तानी सागर है।”

“दोनों बहनों को आपस में झगड़ा नहीं करता है। मुकाबला तो अंग्रेजी से है।”

“सवाल तो यह है कि अंग्रेजी का प्रभाव और मोह कैसे मिटे ? उसे मिटाना स्वराज्य की लड़ाई का बड़ा हिस्सा है, नहीं तो स्वराज्य के मानी बदलने होंगे।”

“अंग्रेजी जानने वाले राष्ट्रभाषा जानने वालों से दस गुना ज्यादा कमते हैं। ऐसे लोगों का दाम नो अंग्रेजी मलनत के बाद जाने के एकदम गिरना चाहिए।”

१. राष्ट्रभाषा का इतिहास ।

जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया, गांधी जी ने हिन्दुस्तानी की टैर सब भी बन्द नहीं की।

“हिन्दुस्तानी में सब की बोली एक ही हो सकती है। मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि अगर दोनों राज्य एक दूसरे के दुश्मन नहीं, दिल से दोस्त बनते हैं, तो दोनों तरफ सब नागरी और उर्दू लिपि में लिखेंगे।” (हरिजन सेवक, ५-१०-१९४७)

“मैंने अखबारों में पढ़ा कि आगे से यू० पी० की सरकार की सरकारी भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। इससे मुझे दुःख हुआ। . . . उचित बात यह है कि दोनों लिपियाँ रखी जायँ और सारे सरकारी कामों में उनमें से किसी का भी प्रयोग करने की मजूरी दी जाय।” (हरिजन सेवक, २६-१०-१९४७)

स्वराज्य हो जाने पर श्रीमती रेहाना बहन तैयब जी ने गांधी जी को लिखा कि “१५ अगस्त के बाद दो लिपियों के बारे में मेरे स्थाल बिलकुल बदल भये और अब पक्के हो गए हैं। हिन्दुस्तान पर उर्दू लिपि लादने में इतना ही नहीं कि कोई फायदा नहीं है, बल्कि सख्त नुकसान है। . . . उर्दू लिपि सामाजिक मेलजोल की जगह कभी नहीं ले सकती। . . . अगर वे हिन्दुस्तान में रहना चाहते हैं, तो हिन्दुस्तानियों की तरह रहें। बेशक उन्हें उर्दू सीखन की सहूलियतें दी जायँ। अगर उन्हें खुश करने की खातिर हिन्दुस्तान की सारी जनता पर उर्दू लिपि क्यों लादी जाय ? . . . उर्दू लिपि के आग्रह से हमारा बोझ चौगुना हो जाता है। . . . हम हिन्दुस्तानियों का यही सूत्र रहे कि हमारी राष्ट्रलिपि नागरी। बस।”

मगर गांधी जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा—“अगर राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है, तो उसे दोनों लिपियों में लिखने की छूट होनी चाहिए। अगर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना है, तो लिपि नागरी ही होगी, अगर उर्दू को बनाना है, तो लिपि उर्दू ही होगी। अगर हिन्दी-उर्दू के संगम के जरिये हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना है, तो दोनों लिपियाँ जरूरी हैं।”

(राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी)

महात्मा गांधी : कुछ स्मृतियाँ

आज जो हिन्दी में ये टूटी-फूटी पंक्तियाँ लिख पाता हूँ, इसका प्रमुख श्रेय गांधी जी को है। यद्यपि हिन्दी में मेरी पहली रचना १९३४ में 'कर्मवीर' में स्वर्गीय पं० माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रकाशित की, फिर भी जैसे राष्ट्रीयता की बर्दी खादी हमने विद्यार्थी-जीवन से पहननी शुरू की, सो आज भी बदन से चिपकी है। वैसे ही अपने देश की भाषा में लिखने की ओर मैं मुझा गांधी-आंदोलन से ही और सन् १९३९ में जब मैं उनके प्रथम संपर्क में आया तभी मैंने उन्हें वचन दिया कि अपना साहित्यिक काम हिन्दी में ही करूँगा।

सब जानते हैं कि मेरी मातृभाषा मराठी है और घर में आज भी हम वही भाषा बोलते हैं। प्रपितामह के समय से ही महाराष्ट्र छोड़ कर मध्यप्रदेश में हम लोग आ गये—मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ। शिक्षा-बीक्षा रत्नलाम, इन्दौर, आगरा में जहाँ मराठी भाषा पढ़ने का कोई मौका ही नहीं मिला। माता की कृपा से घर में मराठी सतों के और भक्तों के धर्म-ग्रंथों का पारा-यण करता रहा। कुछ लिखने भी लगा था। सन् ३७-३८ में मेरी रचनाएँ मराठी के प्रमुख भासिक-साप्ताहिकों में छपी थी। पर बाद में सारा ध्यान हिन्दी की ओर ही मुड़ गया। इसका प्रधान श्रेय सन् १९३५ में विद्यार्थी-जीवन काल में इन्दौर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी के आगमन को। और बाद में सन् १९३९ में उनके संपर्क में आने को है। सन् १९३७ में मैंने आगरा कालिज से दर्शनशास्त्र में एम० ए० किया और अपने मित्र वी० वी० द्रविड़ के साथ मैं १९३८ में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ का मंत्री हो गया। गुलजारीलाल नन्दा और हरिभाऊ उपाध्याय ने अहमदाबाद के मजूर-महाजन में मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा। तब मैं इक्कीस वर्ष की कच्ची उम्र का युवक था, कुछ तुफ-तान भी लिख लेता था। कहानियाँ भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने छापी थी। सन् १९३७ में 'जैनेन्द्र के विचार' ग्रंथ का संपादन भी किया था, जो नाथूराम प्रेमजी ने हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर में छापा था। मेरे मन में समाजवाद और गांधीवाद के बीच में खासा झंझ था। 'हुंत्' में भी मैं तब लिखता था। प्रेमचन्द जी ने मेरी कहानी 'अनजाने दाग' छापी थी; और 'चाँद' में महादेवी जी ने भी मेरी एक कहानी 'अश्रुमती गौतम' छापी थी। ऐसी मनोदशा में मैं मजूर-महाजन का ट्रेनिंग और इंदौर के मजदूर-संघ का मंत्री पद छोड़ कर उज्जैन में वर्षान का प्राध्यापक बन कर आ गया। कुछ समय मेरे जीवन में बहुत सन्देह और संशयात्मा-यन का गुञ्जरा। सन् १९३९ के दिसंबर में मैं अपनी दक्षिण-भारत की तीर्थ-यात्रा से लौटते हुए सेवा-ग्राम पहुँचा। यह क्रिसमस से एक दिन पूर्व की संख्या थी। मैं वहाँ आश्रम में ही अतिथि बनाया गया।

जिस बहन ने हमें 'रसोई' में भोजन दिया, वह शुद्ध गुजराती बोलती थी, और वह पर्वा नहीं करती थी। बाद में पता लगा कि वह जीहड़ा बहन अफ़्कर अली थीं। जो बाद में स्वयम् और उनके पति दिल्ली में ससद सदस्य बने। वे उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त की पठान थीं, पर आश्रम ने उन्हें एकदम अपने अहिंसक सौम्य सचि में ढाल दिया था। बाद में पता लगा कि वे मेरी भावी पत्नी की सहेली भी थीं।

दूसरे दिन सवेरे गांधी जी की कुटी में प्रार्थना में जाना हुआ। राजकुमारी अमृत कुँअर तब वहीं गांधी जी की सचिव थीं। क्रिसमस का दिन था और उन्होंने बाइबिल से प्रार्थना भावपूर्ण ढंग से पढ़ी। उपनिषद, गीता के साथ आपान के बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध-प्रार्थना पढ़ी। ज्ञान अबदुल शफ़्कार खाँ के कोई अनुयायी थे, उन्होंने कुरआन से आयते पढ़ी। सर्व धर्म सभभाव का अजब सम्राट् था ! उसी दिन सवेरे बापू के कमरे में मुझे उनसे बातें करने का सौभाग्य मिला। मुझे मिलानेवाले सज्जन गांधी जी की खेती और दुग्धशाला के प्रायः बीस वर्षों से संचालक (बाद में मेरे दबसुर) श्री य० म० पारनेरकर थे। बापू ने पहला प्रश्न गुजराती में पूछा—'तुम्हें गुजराती आती है ?'

मैंने कहा—'हाँ'।

बापू—'कहाँ सीखे ?'

मैंने हिचकिचाते हुए कहा—'पुस्तकों से। वैसे अहमदाबाद के मजूर-महाजन मे भी था।'

बापू—'मेरी गुजराती सीराष्ट्र की है। उसमें उच्चारण का थोड़ा फरक है। मैं तुमसे हिन्दी में ही बोलूंगा। तुम कहीं रहते हो ?'

मैंने कहा—'उज्जैन ?'

बापू—'क्या वहाँ की जनता सुखी है ?'

अब यह एकदम अप्रत्याशित प्रश्न था। मैं सहसा कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि 'सामान्यतः सुखी है, जैसे रियासतों में जनता का हाल है। अधिशित, गरीब...' तो बापू राजकुमारी अमृत कुँअर से कहने लगे—'मैं वहाँ नहीं गया हूँ। वह स्वालियर रियासत में है न ?' राजकुमारी ने उनसे कुछ कहा जो मुझे आज याद नहीं। वह कुछ देवी रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में था।

फिर बापू ने पूछा—'क्या करते हो ?'

मैंने कहा—'कालेज में पढ़ाता हूँ।'

बापू ने पूछा—'क्या पढ़ाते हो ?'

मैंने कहा—'दर्शनशास्त्र।'

बापू हँस पड़े। बोले—'देखो भाई, हम लोग तो यहाँ ऐसे रहते हैं। अच्छी तरह से देख-माल लो। बाद में यह न कहना कि तुम्हें यह पसंद नहीं था।'

अध्यात्म-वार्तापत्र, अंक १८११]

किसी ने परिचय मे कहा था कि 'ये लिखते भी हैं।'

बापू ने पूछा—'नया लिखते हो? किस भाषा में लिखते हो?'

मैंने बहुत ही संकोच से कहा—'मराठी में भी लिखता हूँ। हिंदी से प्रेम है। परीक्षाएँ ही हैं।' (मैं सन् १९३६ में साहित्यरत्न की परीक्षा आगरा से दे चुका था और सम्मेलन में प्रथम आया था)

बापू सहज भाव से बोल उठे—'हिंदी में ही लिखो। जहाँ रहते हो, वहाँ की जनता की भाषा में लिखना चाहिए। उर्दू भी लिखो।'

मैंने कहा—'हाँ, अब हिंदी में ही लिखूँगा।'

(वह दिन है कि उसके बाद मेरा मातृभाषा में लिखना काफी कम हो गया। सन् '४८ के बाद जब मैंने मध्यप्रदेश छोड़ दिया और इलाहाबाद रेडियो पर आ गया और बाद में सन् ५१-५२ से दिल्ली में ही रहने लगा, तो मेरा अधिकांश लेखन-कार्य हिन्दी में ही हुआ है। सब जानते हैं।)

गांधी जी इसके बाद मेरी ओर से मुझ कर मेरे साथ के अभिभावकों से गुजराती मे कहने लगे कि 'वह तो मुझे पसंद है। अब इसे लड़की को भी दिखाओ। दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, तो विवाह हो सकता है।'

इसके बाद महिलाश्रम, वर्षा जहाँ मेरी पत्नी पढ़ती थी, जाना हुआ। दूसरे दिन लड़की को भी बापू ने बुलाया। सोमवार का मौन-भ्रत था, पर उसे तोड़कर उससे सम्मति पूछी और निश्चित हो गया। मेरी पत्नी फिर आश्रम में आ गई और उसे भनसाली भाई, किशोरलाल मश्रूवाला, महादेव देसाई, प्यारेलाल जी, सुशीला नैयर, राजकुमारी अमृत कुँवर जैसे अध्यापकों का सौभाग्य मिला।

सन् '४० के प्रीम्भावकाश मे मैं गांधी जी के निमंत्रण पर आश्रम मे जाकर रहा। वहाँ सामान्य आश्रमवासी की तरह शरीर-श्रम, कतार्ह, प्रार्थना सब नित्य-नैमित्तिक कर्म करता था। वे गत महामुझ के आरंभ के दिन थे। महादेव देसाई ने मुझे गीता के अनासन्नित योग वाले गांधी-भाष्य की पांडुलिपि पढ़ने को दी। 'हरिजन' के लिए कुछ अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद भी मैं करता था। तब राजेन्द्र बाबू, आचार्य नरेन्द्रदेव, लुई फिशर जैसे अतिथि वहाँ आश्रम में आकर रहते थे। उनके दर्शनों का और उनसे विचार-विनिमय का सौभाग्य मिलता था। आशा देवी और आर्यनायकम् का बुनियादी तालीमी संघ का प्रधान्य मेरे लिए एक बहुत बड़ी नियामत थी। बीच-बीच में मैं वर्षा भी चला जाता जहाँ काका साहब कालेलकर की हिंदुस्तानी प्रचार-सभा थी। भदंत आनंद कौसल्यायन भी उधर ही रहते थे। महिलाश्रम मे काशीनाथ त्रिवेदी और भवानी शंकर मिश्र पढ़ाया करते थे। वर्षा शहर मे वाणिज्य महाविद्यालय के प्रिंसिपल सेठ जमनालाल जी के जमाई और 'तेरी का राग' के लेखक श्रीमन्नारायण (तब अग्रवाल भी) थे। मेरे मित्र मराठी के कहानी लेखक वामन चोरपडे वर्षा मे अध्यापक थे। वे बहुत मजे के दिन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरु ही हुआ था।

नवंबर १९४० को सेवाग्राम में बापू की कुटी के पीछे कुछ पीकित पं० परचुरे शास्त्री के पीरोहिय में, सवेरे, बा और बापू, सरोजिनी नायडू और डा० खान साहब, कुमारप्पा और मौलाना आजाद, महादेव भाई और भारतानंद आदि के साभिष्य में हमारा विवाह संपन्न हुआ। उसी दिन बर्षा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सभा थी और देश के अनेक मध्यमान नेता आये थे। ७ नवंबर को जी० रामचंद्रन् और डा० सीदरम्मा का विवाह हुआ था, जिसे बापू ने आशीर्वाद दिया था और ८ता० को हमारा। इसके बाद तो मेरी स्थिति और भी असाधारण हो गई। आश्रम का सब से छोटा जमाई था, इसलिए सब के लिए विनोद का विषय भी था। इस कारण से मुझे बापू की आरम्भियता पाने का बहुत सु-अवसर मिला। ८ अगस्त १९४२ में बापू के बंबई में गिरफ्तार होने तक मैं बहुत दार गया, और वहाँ की गतिविधि से निकटतम परिचय मेरा रहता था।

मेरे जीवन को मोड़ देने में गांधी जी के विचारों का और विचारों से भी अधिक उनकी जीवन-पद्धति का बड़ा सूक्ष्म प्रभाव रहा। मेरी पत्नी और स्वसुर तो वहीं पले-बढ़े, उनके विचारों से अभिभूत रहे। पर मैं अपने आपको उनकी तरह नैष्ठिक गांधीवादी नहीं मानता। मैं खदर जरूर पहनता हूँ। हिंदी में अधिकतर अपना काम भी करता हूँ। पर न तो मैं नित्य कातता हूँ, न मैंने 'विवाहोत्तर ब्रह्मचर्य' के गांधी जी के सिद्धांत का पालन किया। गुस्सा मुझे अब भी आता रहता है। खानपान में भी मैं उनका पूर्णतः अनुयायी नहीं—चाय भी पीता हूँ, मिर्च मसाले भी-खा लेता हूँ। औसत आदमी और औसत भारतीय हूँ। इसलिए चीन और पाकिस्तान के आक्षेपण के बाद शत-प्रति-शत अहिंसक बने रहने का भी दावा नहीं करता। यह कहना भी मुश्किल है कि मैं हमेशा सच ही बोलता रहता हूँ। कोशिश तो करता हूँ कि सत्य पर अड़ा रहूँ। पर कमजोर आदमी हूँ। कविता-कहानी-एकांकी लेखन में झूठ और कल्पना का भी सहारा ले लेता हूँ। बहर-हाल, अपने आपको गांधीवादी कहलाना बहुत ठीक नहीं समझता। गद्यवि विदेश में मैंने दो वर्ष तक काफी सफलता से गांधी-दर्शन अमेरिकी छात्रों को पढ़ाया। हाल में एक छोटी सी किताब 'गांधी स्मारक निधि' के शताब्दी-कार्यक्रम के लिए भी लिखी—'सी सवाल, एक जवाब' (शीर्षक दिवाकर जी ने दिया था)। सुनता हूँ इसकी तीस-चालीस हजार प्रतियाँ एक वर्ष में बिक गईं। मैंने रायल्टी नहीं ली—सारी गांधी स्मारक-निधि को दे दी।

जीवन में—जमी आधी सदी का ही अनुभव है, उसमें भी पहले दस वर्षों की स्मृति नहीं—यों चार दशकों में यही पाया कि अंततः अहिंसा बड़ी फलवती और उपयोगी सिद्ध होती है। अब यह साहित्य का ही क्षेत्र ले लीजिए। न जाने कितने निंदक, कितने कटु आलोचक, कितने ऐसे मिले जो हमें लेखक तो दूर 'शुद्ध हिन्दी लिख पानेवाला' भी नहीं मानते। (गो किताबें चालीस से ऊपर छप चुकी हैं, पी एच०-डी० भी हूँ, ईश्वर की दया से कुछ रचनाएँ कोर्स में भी लगी हैं और सासी हिन्दी बोल भी लेता हूँ।) अब ऐसे असूयाग्रस्तों का क्या कीजिए? गुटबाज हैं कि अपनी अपनी दुकाने लगाये-सजाये बैठे हैं। 'परस्पर भावयन्तः' में जुटे हैं, किसी को अपने दोस्त को 'ध्वनि' पसंद है तो किसी को उनका रूप। इस आपाधापी में क्या रक्खा है? अपने आवाह-मार्गदर्शक, शक १८९१]

सम्राज्य सारे उपेक्ष के घोर वातावरण में संतोष मान लेते हैं कि 'भरे भाई तुम तो किस खेत की झुंकी हो। तुम तो एक रजकण भी नहीं हो। जब इतने बड़े ध्यानार्थ और अहिंसा के आचार संप्रदायी को भी बुरा-मला कहने से लोग नहीं चूके।' सबसे मर्जी बात यह है कि चुपचाप रचनात्मक काम किये जाओ। एक न एक दिन आखिर 'सत्यमेव जयते' ही होगा। लड़-मिड़ कर, पीछ-चिस्लाकार भी आखिर एक दिन राम-नाम 'सत्य' ही तो होगा है। यह तटस्थता और मंत्र यशः-शान्तिता से उदासीनता हम जीवन में बापू से सीखे।

उन्हीं से हमने अपरिग्रह अपनाया, निर्व्यसनता और सादगी सीखी। हम दो वर्ष विश्व के अत्यंत बिलासी और आकर्षण-केंद्र अमेरिका देश में भी रहे। पर 'सूरदास या कारी कर्मरी' कभी न खीरो रंग! यह हम अपनी डींग हाँकने के लिए या आत्म-श्लाघा में नहीं कह रहे हैं, पर नये लिखनेवाले युवकों को देखता हूँ कि कैसे एक-स्तक लिखी और कुप्पा हुए; कैसे बिना पत्र-पत्र पर व्यसन के उन्हें 'भूढ़' नहीं आता, कविता नहीं सूझती! उनकी दशा दयनीय लगती है, उन पर हँसी आती है। जीवन में ऐसी कई बातें हैं जो सिलाने से सिलाई नहीं जाती, पर मोर्ची जी के आश्रम के वातावरण में रहने से आपसे आप आ गई। जैसे, श्रम की प्रतिष्ठा। जैसे, किसी भी काम को हलका न समझना। जैसे, किसी अनपढ़ या गरीब को भी ओछा न मानना। जैसे, परंपरा की अच्छी चीजों का आदर। जैसे, नये की भी बात मुन लेना। जैसे, सहिष्णुता। जैसे, सर्व भाषा समभाव' . . .

गांधी जी की भाषा-नीति के बारे में सब जानते हैं। टंडन जी से उनका मतभेद भी हुआ। दो बार वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापति बनाये गये थे पर उन्होंने सम्मेलन छोड़ दिया। उस सारे ऋट्ट विवाद की याद आज व्यर्थ है। दोनों ओर से सिद्धांतों का प्रश्न था। परन्तु जहाँ तक मेरा अपना सम्बन्ध है मैं गांधी जी के सर्व-भाषा-सम-भाव को बराबर अपनाता रहा। मैंने अनेक भारतीय भाषाएँ सीखी। सन् १९४८ में राजगि टंडन जी के पत्र लेकर मैंने भारत के आठ प्रान्तों की यात्रा की और महापंडित राहुल सांकृत्यायन संपादित 'शासन-शब्द-कोश' की पांडुलिपि लेकर अन्य कई भाषा भाषियों की शासकीय शब्दावली से तुलना करके संपादन में निपशुल्क सहयोग दिया। मेरे मन में भाषा या साहित्य की सेवा से कोई भौतिक या तुरंत लाभ-लोग का विचार कभी नहीं आया। इसी कारण से आज तक न प्रादेशिक व केंद्रीय कोई पुरस्कार मैंने पाया। न और लोभ करते हैं वैसे उसके लिए कोई प्रयत्न ही किया। हिन्दी-सेवा को प्रधान मान कर मैं आज तक कार्य करता रहा और सब बात कहता गया। जिसके कारण अनेक मित्र शत्रु बन गये। पर उस सबका यहाँ क्या गिला!

गांधी जी के ही कारण साहित्य जनोन्मुखी हो यह बात मेरी समझ में पक्की तरह से बैठ गयी। साहित्य केवल कल्पना-विलास नहीं हो सकता। वैसे होकर वह दिव्यगी ऐयाशी का रीतिकालीन वरजारीपनवाला साहित्य होगा। आज भी कई लोग इस तरह की 'कला के लिए कला' माननेवाले महानुभाव हिन्दी में ही नहीं सारे भारतीय साहित्य में हैं, जो केवल अपनी छोटी पिन थंडली के लिए ही लिखते हैं। उनके हाथ में अक्षरबार हैं, पत्र-पत्रिकाएँ हैं, परस्पर-

प्रशांसा के दौर भी चलते रहते हैं। पर जन-कल्याण उनके हाथ से छूट गया है। और मैं नहीं समझता कि दस बीस साल बाद उन्हें कोई पूछेगा भी। गांधी जी ने इस देश में जनसाधारण का चारित्रिक साहस बढ़ा दिया। अब साहित्य ही या राजनीति, दोनोंमें 'काठ की हँडिया' ज्यादा दिन नहीं चल सकेंगी। 'उबरहि अंत न ह्रींहि निबाहू' सच सिद्ध होता है। इसलिए केवल संस्थाओं के बल पर चलने वाले साहित्यकार, 'आया राम गया राम' की तरह भुला दिए जाते हैं। अब केवल पद-प्रतिष्ठा या व्यावसायिकता के स्तर पर साहित्य कितने दिन चल सकता है। ये बैसाखियाँ अब कभी की बेकार सिद्ध हो चुकी हैं। अब बही टिकेगा जो टिकने लायक होगा। बिकने लायक जो है वह अपनी दुकान जल्दी ही उठा लेगा।

गांधी जी की अनेक स्मृतियाँ हैं। परन्तु एक विनम्र हिन्दी सेवी और एक छोटे से लेखक के नाते आज इस समय जो याद सबसे अधिक उभर कर आई, वह लिख दी है। स्थानाभाव से संक्षेप में लिखा। 'धोड़ा लिखा, ज्यादा बाँच जो जी !'

गांधी जी : कुछ संस्मरण

मैं कोचिन रियासत में पैदा हुआ था और मेरे युवाकाल में जितने भी लोग, राजनीति में भाग लेना चाहते थे वे बाहुर मालाबार में चले जाते थे। कोचीन के देशप्रेम की भावना रखने वाले लोग गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेते थे और मैं उनमें से एक था। बचपन से ही गांधी जी के बारे में काफी मुना करता था और एक तरह से मेरे मन में गांधी जी की प्रतिमा की संस्थापना हो गई थी। जहाँ तक सम्भव हो गांधी जी का अनुयायी बनने की कोशिश भी करता था। मेरे माता-पिता उस समय स्वयंवासी हो गए थे जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और इसलिए राजनीति में भाग लेने से रोकनेवाला कोई नहीं था। लेकिन मैं उग्रवादी नहीं था और रचनात्मक कार्यों में, जैसे—खादी, हरिजन-सेवा, देशी चीजों का इस्तेमाल करना और उनका प्रचार करना यह सभी काम करता था।

जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब गांधी जी केरल में पहली बार आए थे। उनका दर्शन करने और उनके भाषण सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग खुले मैदान में शामिल हुए थे। मैंने दूर से ही बैठ कर उनको देखा और उनके व्याख्यानो को सुना। गांधी जी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था, यह सभी लोगों को विदित है। गांधी जी के शरीर, चालचलन, व्यवहार आदि का विश्लेषण करें तो यह कहना मुश्किल है कि गांधी जी मु अमूक मुख्य गूण हैं। लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी अजीब बात थी कि सभी लोग उनसे आकर्षित होते थे। उनका आदर करते थे और उनके विचारों से विशेषरूप से प्रभावित होते थे। गांधी जी के सामने मेरे स्कूल में गांधी जी का लण्डन करनेवाले इने-गिने लोग थे।

दूसरी बार गांधी जी केरल में आए थे तो मुझे गांधी जी के साथ निकट परिचय पाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं उस समय स्वयंसेवक दल का नेता था और गांधी जी जहाँ ठहरे थे वहाँ मेरी इयूटी थी, दर्शन के लिए आनेवालों की व्यवस्था करना। गांधी जी की दिनचर्या से सभी लोग परिचित हैं। इसलिए मैं यहाँ पर उसे दोहराना नहीं चाहता। वे केरल में आकर केरल की विशेष चट्टाई पर बैठ कर बैठते थे और धार्मिक लोग भी अलग से चट्टाइयों पर बैठते थे। मैं उन दिनों का जब स्मरण करता हूँ तो समाशा सा लगता है। कुछ लोग आते थे गांधी जी के विचारों के सम्बन्ध में बहस करने के लिए; कुछ लोग आते थे गांधी जी से अपनी कुछ संकाओं का समाधान पाने के लिए; कुछ लोग आते थे केवल गांधी जी से एक दो बातें करने के

लिए। मैंने देखा कि जो बहस करने के लिए आते थे वे गांधी जी के सामने बैठते ही ठंडे पड़ जाते थे यद्यपि गांधी जी उनसे मीठी भाषा में ही बातें करते थे। जो धंकाएँ लेकर आते थे उनको कुछ संकोच होता था और वह कुछ कुशल मंगल की बातें करके चले जाते थे। बाकी लोग थोड़ी देर गांधी जी के सामने बैठते थे और कुछ नहीं बोल सकते थे। ऐसे लोगों के साथ गांधी जी बड़े प्रेम के साथ नाम-वाम पूछते थे और उनको सतुष्ट करते थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि गांधी जी मुलाकात के समय बराबर चर्खा कातते रहते थे और लोगों से बातें भी करते जाते थे। एक देवी की मुलाकात का मुझे विशेष स्मरण आता है। उस महिला ने शायद सोचा था कि गांधी जी गवर्नर जैसे आदमी हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए सज्जण कर जाना चाहिए। वह बहन धनी परिवार की थी और निःसंकोच आकर बैठ गई। उसको गांधी जी से असल में कुछ पूछना नहीं था। लेकिन गांधी जी ने उनको देख कर विनोद के भाव से पूछा कि आपको बाहर जाने की तैयारी में कितना समय लगता है और आप बेशर्मा आदि में मासिक कितना खर्च करती हैं? गांधी जी के मन में विनोद की भावना थी लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं किया था। उस महिला ने एक-दो मिनट सोचने के बाद गांधी जी से कहा कि मैं बहुत समय लयाती हूँ और बहुत खर्च भी करती हूँ। आगे मैं इसको कम करूँगी।

यह आश्चर्य की बात है कि उस महिला ने वहाँ से जाते ही खादी के कपड़े खरीद लिए और सादा जीवन बिताने की शपथ ले ली। वह महिला अब भी जीवित है और समाज सेवा का कार्य करती है। मुझे याद नहीं कि गांधी जी की इस यात्रा में या दूसरी यात्रा में गांधी जी हरिजनो के लिए चन्दा, सोने के गहने आदि मागते थे। कितने ही लोगों ने किसी प्रकार के दबाव के बिना गांधी जी को पैसा दिया और बहुत सी महिलाओं ने अपने सोने के गहने भी उतार कर गांधी जी को भेंट किए थे। चीनी आक्रमण के समय जिस जोश के साथ लोग धन और सोना देते थे उतने ही जोश के साथ उस समय भी गांधी जी जहाँ-जहाँ जाते थे लोगों से भेंट पाते थे।

उसके बाद कई जगह गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मद्रास की एक घटना का उल्लेख करने में मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं उस घटना का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। उस समय मैं हिन्दी प्रचार-सभा का कार्यकर्ता था। सभा में गांधी जी आनेवाले थे और हम सब लोग मद्रास के सभा भवन में इकट्ठे हुए थे। गांधी जीके आने के दूसरे दिन सबेरे कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गयी थी। उस समय विचारणीय विषय था एक कार्यकर्ता का झण्डाधार। एक पत्नी के रहते हुए भी एक कार्यकर्ता ने दूसरी देवी के साथ सम्बन्ध स्थापित किया और यह बात खुल गयी, गांधी जी के निकट के वे कार्यकर्ता भिन्न थे। उन्होंने अपना कसूर कबूल किया और गांधी जी ने फौसला दिया कि तुम दूसरी स्त्री को भी अपनाओ और पहली स्त्री के रहन-सहन का उचित प्रबन्ध कर लो। उस कार्यकर्ता ने खुशी के साथ गांधी जी की सभी आज्ञाओं का पालन किया और गांधी जी ने हम सब लोगों को उपदेश दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र

आचरण—वार्त्तवार्त्त, शक .१८९१]

में काम करने वालों को कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। बुरा कार्य करने से आदमी का बाहर कच होता है और उसके कार्य का फल कम हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बुरा काम होता है तो उसके लिए स्वयं प्रायश्चित्त करना चाहिए तभी समाज-सेवा के कार्य में सफलता मिलती है।

गांधी जी चार बजे के पहले अरु उठते थे। मद्रास में मुझे यह देख कर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सबेरे तीन बजे मुलाकात के समय ऐसे बहुत से बड़े बड़े आदमी गांधी जी के दर्शन करने के लिए आते थे जिनके बारे में जनता में यह भावना है कि वे गांधी जी के विरोधी हैं। गांधी जी सबसे अच्छा व्यवहार करते थे और किसी को संकोच की स्थिति में नहीं डालते थे। सभी का अभिवादन सभान रूप से स्वीकार करते थे।

मेरे जीवन में सब से बड़े सौभाग्य के दो सप्ताह थे। गांधी जी हरिजन-सेवा के सिलसिले में केरल में दो सप्ताह का प्रोग्राम बना कर आए। उस समय मैंने उनसे निवेदन किया कि आप तो अंग्रेजी में भाषण देते हैं तो उसका भी अनुवाद करना पड़ता है। क्योंकि जो भाषण सुनने के लिए आते हैं उनमें १०-२० प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी समझते हैं। आप हिन्दी में भाषण दिया करें तो थोड़ा सा हिन्दी का प्रचार भी हो जाएगा। उन्होंने इसे सहर्ष मान लिया। केरल में पहली सार्वजनिक सभा हुई थी पालघाट में। मैं समय पर तो पालघाट पहुँच गया था लेकिन मंच के पास जाने में कठिनाई हुई। गांधी जी भाषण देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि मेरे हिन्दी अनुवादक कहाँ हैं? वे मेरा नाम भूल गए थे। मैं छोटा सा आदमी भी था। तो मैंने चिल्ला कर आवाज दी और भीड़ को चीरते हुए मंच तक पहुँच गया। गांधी जी ने अपना भाषण हिन्दी में दिया और मैं डरते-डरते उसका अनुवाद मलयालम में करता गया। कभी कभी गांधी जी दो चार वाक्य एक साथ बोल देते थे। तब मुझे कठिनाई हो जाती थी ऐसे अवसरों पर गांधी जी भीमे स्वर में मुझे अपना आवाज देते थे और मैं उनकी मदद पा कर अनुवाद करने में सफल हुआ। पालघाट से नागरकोयल तक कम से कम १०० सभाओं में उन्होंने व्याख्यान दिया और इन व्याख्यानों का अनुवाद करते-करते मैं उनके विचारों को अच्छी तरह समझ गया और १५-२० भाषणों के बाद अनुवाद का काम मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन सभा में मैंने एक जगह एक गलती कर दी, मलयालम न जाननेवाले गांधी जी ने मुझे रोका, अपने वाक्य को दोहराया और कहा कि अब ठीक से अनुवाद कर दो। मैं शर्मिन्दा तो हुआ लेकिन इस बात की खुशी हुई कि मेरी गलती सुधर गई। यद्यपि मैं गांधी जी के साथ रहा किंतु मुझे बाते करने का बहुत ही कम मौका मिल पाते थे। एक बार जब वे नाब में यात्रा कर रहे थे तो मुझे अच्छा मौका मिला। उस समय उत्तर-भारत हिन्दी-उर्दू का झगड़ा चल रहा था। मैंने गांधी जी से पूछा कि हम दक्षिण के लोग किस धौली की हिन्दी सीखें। उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम लोग (हिन्दीतर प्रान्त के लोग) हिन्दी सीखोगे तो राष्ट्रभाषा हिन्दी की एक ऐसी धौली स्वयं निकल आवेगी जो सारे देश के लिए मान्य होगी।

जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। जो सरकारी अफसर होते थे और सरकारी पक्ष के माने जाते थे वे लोग भी लुक-छिप कर पीछे बैठ जाते थे और गांधी जी के भावण मुन के मुख हो जाते थे।

मुझे गांधी जी के साथ वर्षा-आश्रम में भी थोड़े दिन रहने का सौभाग्य मिला था। वहाँ सभी लोगों को बारी-बारी से टट्टी साफ करना आदि कार्य करने पड़ते थे। मुझे वहाँ इन सभी कार्यों का थोड़ा-सा प्रशिक्षण मिला गया था। उस समय वे स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज के साथ एक कुटी में रहते थे। हम लोगों के लिए अलग कुटियाँ थीं।

दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार

इस देश में संस्कृत भाषा की मूल कोई भाषा कभी सारस्वत-कुम्भोज प्रदेश में मातृभाषा थी। उसका प्रयोग जन्म से ही समाज में होता था। बाद की शताब्दियों में जब संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा रह गई, देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में नई-नई भाषाओं का उदय हुआ, जिनका मूल उद्गम और प्रकृति संस्कृत की वह मूल भाषा ही थी, इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि सारस्वत प्रदेश की उस मातृभाषा की पुत्री संस्कृत ने किन्हीं कारणों से पूरे देश में अपना व्यापक प्रसार किया। अतः संस्कृत के बाद भी जो भाषाएँ आईं, उनकी प्रकृति संस्कृत से भिन्न नहीं थी क्योंकि संस्कृत सर्वत्र व्यवहार की भाषा हो गई थी। संस्कृत के इस प्रसार में और कारण जो भी रहा हो, भाषा की प्रकृति और उसके शब्दार्थ का प्रयोग-अन्वयन भी एक विशिष्ट हेतु था, जिसने कन्याकुमारी से ले कर हिमालय तक और सिन्धु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसको शिष्टजनों तथा विद्वानों की भाषा होने का गौरव दिया। हम समझते हैं कि संस्कृत की यह विशिष्टता इसी प्रदेश की मध्यकाल की बोली नागरी-खड़ीबोली या कौरवी में ज्यों की त्यों अभिविष्ट चली आई। यह खड़ीबोली हिन्दी का आज का मानक रूप है, और इसी हिन्दी का समूचे देश में पठन-पाठन अनेक भाषाओं के विपरीत बैसे ही व्यापक रूप से प्रसरित होता जा रहा है जैसे कभी संस्कृत का हुआ था। समूचे देश की राष्ट्रभाषा होने का प्यार और गौरव संस्कृत के बाद इस हिन्दी को, कौरवी (खड़ीबोली) हिन्दी को मिला है।

दक्षिण भारत में इस हिन्दी का प्रसार एक आन्दोलन के रूप में स्वतन्त्रता-संग्राम के साथ महात्मा गांधी की प्रेरणा से बीसवीं शती ई० में प्रारम्भ हुआ, किन्तु इसके पूर्व हिन्दी में साहित्य-सर्जन और इसके प्रयोग के व्यापक प्रमाण हमें समूचे दक्षिण भारत में मिलते हैं। एक हजार वर्ष से इस भूभाग में जो कवि या सन्त हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं और उपदेशों के लिए हिन्दी का प्रयोग किया है। उन सन्तों में से कोई बिहार-बंगाल के हैं, कोई महाराष्ट्र-राजस्थान के हैं, कोई पंजाब के हैं। आठवीं शती के सरहूपा आदि चौरासी सिद्धों से लेकर कबीर-सोकड़वीं शती की अबाधि तक के लोक-धर्म की कान्ति जगानेवाले अनेक सन्तों के नाम आते हैं। इनमें हिन्दीतर प्रदेशों के ख्यातिप्राप्त सन्त भी हैं, इन सन्तों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमें आज की खड़ीबोली के प्रयोग हैं। उन प्रयोगों को देख कर खड़ीबोली के लोक-व्यापक रूप का पता चलता है। नामदेव महाराष्ट्र के सन्त हैं, ये तेरहवीं शती में विद्यमान थे, इनके छन्द खड़ीबोली के रूपों से ओतप्रोत हैं—

माह न होती वाप न होते कर्म न होता कावा
हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया ?

यह सब खड़ीबोली हिन्दी की व्यापकता का इतिहास है। इसी प्रकार बारहवीं शती में गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान् हेमचन्द्र ने 'सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन' नामक ग्रन्थ बनाया, उसमें संस्कृत के साथ प्राकृत और अपभ्रंश के छन्दों के उदाहरण भी दिए गए हैं। ये उदाहरण अवश्य ही हेमचन्द्र के पूर्व के होंगे। इन उदाहरणों में यत्र-तत्र खड़ीबोली के रूप का दर्शन मिलता है—

भल्ला हुआ बू मारिया बहिणि महारा कन्तु।
लज्जेजं तु धर्यसि बहु जइ भग्ना घर एन्तु॥

महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास की रचनाओं में भी खड़ीबोली के प्रयोग हैं।

खड़ीबोली हिन्दी के दक्षिण भारत में इस व्यापक प्रसार के साथ दक्षिणी हिन्दी का इतिहास भी इससे जुड़ा हुआ है। जब दिल्ली में मुसलमानों की सल्तनत स्थापित हुई तब दिल्ली के आसपास की इस खड़ीबोली को उसके राजपुरुषों और फौजी छावनियों ने अपना प्रथम दे कर उमके प्रसार में विशेष सहयोग दिया। यद्यपि उनके प्रथम से उसके स्वरूप में कुछ अन्तर भी पैदा हुआ। और इस अन्तर के साथ सैनिकों द्वारा व्यवहृत होने के कारण फौजी बाजार के नाम पर इसका उर्दू नाम हुआ। फारसी का थोड़ा-बहुत प्रभाव भी उस पर पड़ा, लेकिन उतना ही जितना आत्मसात् हो सका। यह दक्षिण में पहुँची। आज इसे दक्षिणी हिन्दी कहते हैं। दक्षिणी हिन्दी में गद्य-पद्य का समृद्ध-साहित्य है। आरम्भ में दक्षिणी हिन्दी में जो साहित्य लिखा गया वह आज की हिन्दी के बहुत निकट है। उत्तरोत्तर उसमें फारसी की छाप अधिक होती गई है। गोलकुंडा के शासक अली आदिलशाह (सत्रहवीं उत्तरार्ध शती ई०) की दक्षिणी हिन्दी की रचना आज की हिन्दी की ही परम्परा में है, उनकी कविता का यह नमूना देखिए—

जोबन कड़कते हैं पिब मस्त हो मिलगे।
आलिंग बबल रदूँ अब बँद खोल देंगिया का॥

दक्षिणी हिन्दी के अन्य कवियों की रचनाएँ भी हिन्दी-खड़ीबोली की परम्परा से भिन्न नहीं हैं। यदि इतिहास को देखा जाए तो मुसलमान-शासकों के उस संरक्षता को हिन्दी भुला नहीं सकती। इसके साथ ही हम मराठा-शासकों को भी इस सन्दर्भ में नहीं भूल सकते। अठारहवीं शती में मुगल-साम्राज्य के पतन के साथ जब मराठा-साम्राज्य का उदय हुआ तो पेशवाओं ने संस्कृत के साथ राजकीय पत्र-व्यवहार में हिन्दी-भाषा को भी अपनाया। सन १७०५ ई० में विद्यमान मलयालम के हास्य कवि कुंचन् नम्प्यार ने अपनी कविताओं में हिन्दी के शब्दों का प्रयोग किया है।

आवाह—भार्यश्रीर्ष, शक १८९१]

इस प्रकार हम देखते हैं कि बीसवीं शती के पूर्व दक्षिणभारत में हिन्दी के प्रसार का एक लम्बा इतिहास है। अद्यतन आन्ध्र, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल में इसकी लोकप्रियता के अनेक उदाहरण हैं। किन्तु आन्दोलन के रूप में हिन्दी-प्रचार की योजना बीसवीं शती ई० के आरम्भ में स्वतन्त्रता-संग्राम के असहयोग आन्दोलन के साथ तीव्र हुई। इसमें हिन्दी के अनेक शुभचिन्तकों, सेवाव्रतियों तथा राष्ट्र के कर्णधारों का योगदान रहा है। विशेष रूप से महात्मा गांधी के दृढ़ स्ल से हिन्दी के प्रचार-आन्दोलन को बहुत बल मिला।

गांधी जी और हिन्दी-प्रचार की योजना

सन् १९१६ में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उसमें पहली बार महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे। अब तक कांग्रेस-अधिवेशन की समस्त कार्रवाई और भाषण अंग्रेजी में हुआ करते थे। गांधी जी ने पत्रकारों तथा अन्य सदस्यों के बहुत विरोध करने पर भी अपना भाषण हिन्दी में किया। इसका हिन्दी-प्रचार में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। लगभग सात वर्ष पूर्व हिन्दी-साहित्य सम्मेलन—प्रयाग की स्थापना हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से हो चुकी थी और सम्मेलन अपनी हिन्दी-गरीबाओं का संचालन भी करता था। हिन्दी के प्रति गांधी जी के उक्त साहसिक कदम ने सम्मेलन के संचालकों को आकृष्ट किया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने सन् १९१८ में इन्दौर में होने वाले सम्मेलन के अधिवेशन का सभापति महात्मा गांधी को निर्वाचित किया। इन्दौर का अधिवेशन प्रचार-कार्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। गांधी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषी प्रदेशों में हिन्दी प्रचार की आवश्यकता बताई और उस कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करने का अपील की। गांधी जी की माँग पर इन्दौर-नरेश महाराज यशवन्त राव होल्कर और नगर-सेठ हुजूमचन्द जी ने दस-दस हजार रुपये हिन्दी-प्रचार-कार्य की सहायता में दिये। इस घन का उपयोग दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार करने में किया गया। इस अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि दक्षिण भारत के छह युवक हिन्दी सीखने के लिए प्रयाग भेजे जाएँ और उत्तर भारत के छह युवक दक्षिण की भाषाओं को सीखने तथा हिन्दी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत भेजे जायें।

सन् १९१८ में मद्रास के 'भारत सेवा-संघ' (इंडियन सर्विस लीग) के हिन्दी-प्रेमी युवकों ने गांधी जी को लिखा कि हम हिन्दी सीखना चाहते हैं, हमारे लिए एक हिन्दी-प्रचारक भेजा जाए। गांधी जी ने अपने पुत्र श्री देवदास गांधी को, जो उस समय १८ वर्ष के ही थे, शीघ्र ही हिन्दी-प्रचार के लिए मद्रास भेजा। श्री देवदास गांधी ने अपने कार्य में सहयोग के लिए एक और व्यक्ति की माँग की, तब उनके सहायतार्थ सम्मेलन ने स्वामी सत्यदेव परिव्राजक को भेजा। श्री देवदास गांधी ने मद्रास में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक कार्यालय खोल दिया और इस प्रकार वे हिन्दी का प्रचार-कार्य करते रहे। बाद में श्री हृषीकेश शर्मा और श्री हरिहर शर्मा भी दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-कार्य के लिए गए। श्री हृषीकेश शर्मा ने आन्ध्र प्रदेश में और श्री हरिहर शर्मा ने मद्रास में प्रचार का कार्य किया। एक वर्ष पश्चात् जब श्री देवदास गांधी

मुंबरात लौटे तब मद्रास-स्थित हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यालय का भार उन्होंने श्री हरिहर शर्मा को सौंप दिया।

सन् १९२७ तक मद्रास-स्थित हिन्दी साहित्य सम्मेलन-प्रचार-कार्यालय के नाम से ही हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काम किया जाता रहा, पुनः महात्मा गांधी की सलाह से इस प्रचार-कार्यालय का नाम दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा, मद्रास कर दिया गया। अतः १९२७ से सम्मेलन का उक्त कार्यालय स्वतंत्र रूप से एक नई संस्था बन गया।

लगभग १० वर्ष के अनन्तर पुनः सम्मेलन ने मद्रास की भौति हिन्दी-प्रचार के लिए एक दूसरा केन्द्र वर्षा में प्रवर्तित किया। सन १९३६ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का २५वाँ अधिवेशन नागपुर में देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद जी की अध्यक्षता में हुआ। उसी अधिवेशन में गांधी जी की सलाह से हिन्दी-प्रचार-समिति वर्षा का संगठन किया गया, जिसका उद्देश्य उन चार अहिन्दी भाषी प्रदेशों को छोड़कर, जिनमें हिन्दी का प्रचार दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा (मद्रास) कर रही थी, शेष अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना निश्चित हुआ। सन् १९३८ में इसका नाम राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्षा कर दिया गया, उसकी शाखाएँ भारत के पूर्वी-पश्चिमी सभी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हैं और यह संस्था अब भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का अंग है। इस राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्षा के माध्यम सहयोग करने वाली १६ ऐसी अंगभूत संस्थाएँ हैं जो प्रदेश-स्तर की राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितियाँ हैं।

इन बड़ी संस्थाओं की प्रेरणा से समस्त दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार ने तीव्र आन्दोलन का रूप ले लिया। राष्ट्र के सभी कर्णधार जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके सामने यह समस्या थी कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद समूचे देश की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय कार्य-व्यवहार की भाषा कौन होगी? इसका उत्तर था—हिन्दी। अतः हिन्दी के प्रति समूचे देश में, विशेषतः दक्षिण भारत में जो आकर्षण पैदा हुआ, वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। हिन्दी सीखना या सिखाना एक राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन था। फलस्वरूप उक्त बड़ी संस्थाओं के कार्य-क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होते रहे और हिन्दी-प्रचार को और भी मुख्यस्थित करने के लिए प्रदेशीय स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं का भी जन्म हुआ, जिनमें मुख्य नाम ये हैं—१. हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (स्थापना १९३५ ई०), २. मैसूर हिन्दी-प्रचार-परिषद्, बगलोर (१९-४३), ३. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे (१९४५), ४. हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा, वर्षा (१९४२), ५. केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरुवनतपुरम्, ६. साहित्यानुशीलन समिति, मद्रास, ७. कर्नाटक हिन्दी-प्रचार सभा, धारवाड।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास को अपने हिन्दी-प्रचार कार्य में राष्ट्र के प्रमुख नेताओं का सहयोग मिलता रहा है। सन् १९२६ के बाद जब उसने स्वतंत्र संस्था का रूप लिया, महात्मा गांधी जी इसके आजीवन सभापति रहे। और मद्रास के प्रसिद्ध अग्रेजी दैनिक 'हिन्दू' के सम्पादक श्री ए० रंगास्वामी अय्यंगर उपसभापति। इसका प्रचार-कार्य योजनाबद्ध हुआ। दक्षिण भारत में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने का प्रथम श्रेय इस सभा को है। इसका कार्य-क्षेत्र **आषाढ़-महर्षीवर्ष, तक १८९१]**

मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और केरल अर्थात् तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा-भाषी प्रदेश रहे हैं। आरम्भ से सन् १९३६ तक पं० हरिहर शर्मा सभा के प्रधान मंत्री रहे हैं। उसके बाद श्री मोत्तूरि सत्यनारायण ने प्रधान मंत्री का कार्य संभाला। सभा का कार्य विस्तृत हो जाने के कारण साहित्य, परीक्षा तथा शिक्षा विषयक तीन और मंत्रियों की नियुक्ति हुई तथा प्रधान मंत्री के सहयोग के लिए एक संयुक्त मंत्री भी रखे गए। प्रथम संयुक्त मंत्री पं० रघुबरदयाल मिश्र रहे। सन् १९६० से श्री एस० आर० शास्त्री सभा के प्रधान मंत्री हुए। भारत सरकार ने १९६२ में सभा की महत्त्वपूर्ण हिन्दी-सेवा को देखते हुए एक विधेयक बना कर इसका नया गठन करने की योजना प्रस्तुत की और अब यह राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित हो चुकी है।

सभा की अपेक्षा राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्षा का कार्य-क्षेत्र और भी विस्तृत रहा। इसके संगठन का रूप कई-एक प्रदेशों के हिन्दी-प्रेमियों का सम्पर्क स्थापित करता है। इसके प्रथम मंत्री श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल थे। इम बीच महात्मा गांधी के विचार राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ और हो गए, उन्होंने हिन्दी और उर्दू के मिश्रित रूप हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा कहा और इस हिन्दुस्तानी के प्रचार के उद्देश्य से २ मई १९४२ को हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा वर्षा की स्थापना की। तब श्रीमन्नारायण जी ने हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का मंत्री-पद संभाला। और श्री पुष्पोत्तमदास टंडन की प्रेरणा से श्री भदन्त आनन्द कौमल्यायन ने राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति का मन्त्रित्व स्वीकार किया। सन् १९५१ तक वे इसके मंत्री रहे। उनके बाद से गांधी जी के 'नवजीवन' के व्यवस्थापक श्री मोहनलाल भट्ट समिति के मंत्री हैं। उन्होंने एक लम्बे अरसे से समिति के व्यापक कार्य-भार को संभाल रखा है।

हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा ने गांधीजी की सम्मति से दो लिपियों (नागरी, फारसी) का प्रयोग अनिवार्य किया। सन् १९४५ में हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा का कार्य गुजरात विद्यापीठ को सौंप दिया गया। और जब संविधान-सभा ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा उसकी लिपि देवनागरी स्वीकार कर ली तो विद्यापीठ ने भी दो लिपियों का अपना आग्रह समाप्त कर दिया।

हिन्दी के रचनात्मक प्रचार-कार्य में मद्रास, वर्षा, महाराष्ट्र तथा केरल का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस प्रसंग में महाराष्ट्र के महामहोपाध्याय श्री दत्तोवामन पोतदार एवं श्री गो० प० नेने के नाम उल्लेखनीय हैं। केरल में हिन्दी के प्रति विगत दो-तीन शताब्दियों से बर्हा की जनता की अभिरुचि रही है। उनके सामने शुद्ध हिन्दी तथा अरबी-फारसी मिश्रित दक्खिनी हिन्दी—हिन्दी के दो रूपों का प्रयोग था। पहले रूप का प्रयोग यात्री संन्यासी (मुसाई) करते थे और दूसरे का प्रयोग सुकं कर्मचारी। केरल के लोग जो उनके सम्पर्क में आते थे पहले रूप को गोसाईं भाषा तथा दूसरे को तुलुकक भाषा कहते थे। यह भी सुनने में आया है कि हिन्दी का एक कोष भी केरल में लगभग दो सौ वर्ष पहले तैयार हुआ था। आज भी हिन्दी के पठन-पाठन, विद्यालय-संचालन एवं लेखन के प्रति मलयालम-भाषी केरल-निवासी बहुत सजग हैं। ऐसे रचनात्मक कार्यों को प्रेरणा देनेवालों में कुछ नाम हैं—श्री के० कासुदेवन् पिळ्ळै, श्री देवभूत विद्याधी, डॉ० के० भास्करन् नायर, श्री पी० के० केशवन् नायर, श्री ए० चन्द्रहारसन् के०

सरोजिनी अम्मा, श्रीमती लक्ष्मी मुट्टि अम्मा, विद्वान् के० नारायणन्, डा० विश्वनाथब्रह्मर आदि। डा० के० आस्करन् नायर इस समय केरल हिन्दी-प्रचार-सभा के अध्यक्ष भी हैं। स्व० श्री के० बासुदेवन् पिल्लै केरल हिन्दी-प्रचार-सभा के संस्थापक थे।

दक्षिण भारत में हिन्दी का जो प्रचार-कार्य विगत दो-तीन दशान्दियों में हुआ और अब भी हो रहा है, उसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ ये हैं— १. हिन्दी-प्रचारको का सगठन, २. हिन्दी-शिक्षण विद्यालयों की स्थापना, ३. परीक्षाओंका संचालन, ४. हिन्दी के प्रकाशन-कार्य, पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें, ५. हिन्दी-प्रशिक्षण के सत्र, ६. वाक्-स्पर्धा, लेखन-स्पर्धा, ७. नाटक-अभिनय, ८. पुरस्कार का आयोजन, ९. पब्लीकेशन समारोह।

प्रचारकों का बहुत बड़ा सगठन दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा मद्रास तथा राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्धा का है। उनके अनुरूप ही इनकी परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या भी अत्यधिक है। इन संस्थाओं ने हिन्दी की प्रारम्भिक परीक्षा से लेकर उच्च, उच्चतम परीक्षाओं का आयोजन किया है। मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा ७ परीक्षाएँ और वर्धा की समिति १३ प्रकार की परीक्षाएँ संचालित करती है। इन परीक्षाओं को प्रदेशीय सरकार एवं भारत सरकार से मान्यताएँ प्राप्त हैं। सभा की परीक्षाओं में सवा लाख से अधिक तथा समिति की परीक्षाओं में सवा दो लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। इन परीक्षार्थियों की संख्या से दक्षिण भारतवासियों में हिन्दी के प्रति प्रेम का पता चलता है। समिति के प्रचारकों की संख्या लगभग सात हजार है। हिन्दी-प्रचार-सभा हैदराबाद की परीक्षाओं में भी चालीस हजार के लगभग परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। प्रायः प्रत्येक संस्था की हिन्दी-परीक्षाओं में सम्मिलित होनेवालों की संख्या उत्साह-वर्धक है।

संस्थाओं के अपने हिन्दी-विद्यालय भी हैं, जिनके द्वारा वे हिन्दी-शिक्षण-कार्य को गति देते हैं। वर्धा की समिति के सहयोग से उनकी अगभूत प्रादेशिक समितियाँ भी विद्यालयों का संचालन करती हैं। सन् १९६२ के आँकड़ों के अनुसार समिति के तत्त्वावधानमें ५३४ राष्ट्रभाषा विद्यालय और ३६ महाविद्यालय संचालित होते रहे हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से पुस्तकों का प्रकाशन भी संस्थाओं ने किया। उनकी मासिक पत्रिकाएँ भी निकलती हैं जिनमें आज भी प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाओं में ये मुख्य नाम हैं—राष्ट्रभारती (वर्धा), हिन्दी-प्रचार-सभाचार (मद्रास), राष्ट्रवाणी (पूना), राष्ट्र-बीणा (गुजरात), केरल-ज्योति (तिरुवनन्तपुरम्)। हिन्दी प्रचार-सभा हैदराबाद के 'अजन्ता' मासिक का प्रकाशन अब बन्द हो चुका है।

राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्धा ने प्रादेशिक भाषाओं के कुछ चुने हुए साहित्य को मूल और हिन्दी भाषा-न्तर के साथ नागरी लिपि में प्रकाशित कर पाठ्यपत्रिक आदान-प्रदान का सराहनीय कार्य किया है। इनके अतिरिक्त हिन्दी-प्रचार को गति देने के लिए समय-समय पर प्रचारक-सम्मेलन, वाक् स्पर्धा, लेखन-स्पर्धा, अभिनय, प्रशिक्षण-सत्रों के भी आयोजन होते हैं। वर्धा की समिति ने १५०० रु० का महात्मा गांधी पुरस्कार प्रति वर्ष अहिन्दी-भाषी हिन्दी लेखक को देने का आयोजन कर रखा है, जिन लेखकों को यह आश्चर्य-मर्मशील, शक १८९१]

पुरस्कार मिल चुका है, उनके नाम हैं—१. आचार्य कितिमोहन सेन, २. महर्षि श्रीपाद दामोदरं सातबलेकर, ३. स्व० बाबूराव विष्णु पराङ्कर, ४. आचार्य विनोबा भावे, ५. प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलाल संघवी, ६. पं० सन्तराम बी० ए०, ७. श्री काका साहब कालेलकर, ८. श्री अनन्तगोपाल शेवडे, ९. स्व० डा० रांगेय राघव।

इस प्रकार सन् १९१८ में महात्मा गाँधी की प्रेरणा से मद्रास को केन्द्र बना कर हिन्दी-प्रचार का जो आन्दोलन आरम्भ हुआ, उसने अब दक्षिण भारत में हिन्दी के निर्माण का रूप ले लिया है। दक्षिण भारत के अनेक विद्वान् हिन्दी की सेवा में तल्लीन हैं, उनमें उत्कट जिज्ञासा हिन्दी को समृद्ध करने की है। हिन्दी में उच्चस्तर का शोध-कार्य दक्षिण के कई पी-एच० डी० के स्नातकों ने किया है। वे हिन्दी-माध्यम से दक्षिण की भाषाओं का कोश भी तैयार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हिन्दी के व्यापक प्रसार के ये शुभ लक्षण हैं, जो हिन्दी-विरोधी-बर्ग की तमाम कूटनीतियों के विपरीत भी राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषा का उज्ज्वल भविष्य सँजोये हैं। दक्षिण भारत में अब हिन्दी-प्रचार का लक्ष्य हिन्दी के निर्माण-कार्य तथा प्रादेशिक भाषाओं से उसके परस्पर के आदान-प्रदान में ही संजीवनी पाएगा।

महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी

महात्मा गांधी की शती-समारोह के अवसर पर मुझे दक्षिण-अफ्रीका आने का अवसर मिला, इसे मैं अभूतपूर्व सयोग मानता हूँ, दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की इस प्रदेश में अनेक सस्याये हैं, जिन्होंने हिन्दी के कार्य में अच्छा हाथ बँटाया है। इनमें से एक संस्था दक्षिण अफ्रीका की आर्य प्रतिनिधि सभा है, और दूसरी पीटर मेरिट्ज बर्ग की वेदधर्म सभा। इन दोनों संस्थाओं ने मुझे इस देश में आने का निमंत्रण दिया। ५ अगस्त १९६९ को दिल्ली से वायुयान द्वारा उड़ कर बम्बई आया और फिर उसी दिन संध्या समय सूर्यास्त से पूर्व मैं मॉरिशस पहुँच गया। मॉरिशस में मुझे तीन दिन रुकने का अवसर मिला। यह छोटा सा द्वीप है, ३५ मील लम्बा और २० मील चौड़ा। इसकी जनसंख्या ८ लाख है, जिसमें ४ लाख भारतीय हैं। इन ४ लाख भारतीयों में १ लाख आर्य-परिवार के हैं। इस छोटे से टापू की आर्थिक स्थिति का अनुमान इसी बात से लग जायगा कि इस टापू में लोगों के पास ३० हजार टेलीविजन के सेट हैं, अर्थात् लगभग घर घर में टेलीविजन है। जब लोगों को मेरे मॉरिशस आने का पता लगा, तो मेरी वार्ता का एक प्रोग्राम टेलीविजन पर रक्खा गया। इस द्वीप में गन्ने और चाय की खेती होती है। मैं श्री मोहनलाल मोहित जी के घर पर ठहरा हुआ था। मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की विशेष आबादी है। ये सब चार-पाँच भाषायें बोल लेते हैं—हिन्दी, भोजपुरी, अंग्रेजी, फ्रेंच या क्रिओल और जूलू भाषा। मोहित जी के परिवार को वहाँ रहते हुए कई पीढ़ियाँ हो गयी हैं, फिर भी घर में भोजपुरी बोली जाती है। अधिकतर लोगों की मातृभाषा इस द्वीप में क्रिओल है, जो फ्रेंच भाषा का एक रूपान्तर है जिसका विकास मॉरिशस में ही हुआ है। मॉरिशस भारत के समान ही कॉमन-वेल्थ में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यहाँ इस समय श्री वीरेन्द्र पाल शर्मा भारतीय हाई कमिश्नर हैं। यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है कि क्रिओल और अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दी जाय। यहाँ के प्रधान मंत्री सर रामगुलाम जी से तो मेरी भेंट नहीं हो पायी, क्योंकि वे उन दिनों विदेश गए हुए थे और उनके स्थान पर अर्थ मंत्री श्री रामस्वामी कार्यवाहक प्रधान मंत्री थे। उनसे मिल कर मुझे प्रसन्नता हुई और उन्होंने आर्यसमाज और अन्य भारतीय संस्थाओं के कार्य की सराहना की, विशेषतया शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। इस छोटे से द्वीप में १०० के लगभग आर्यसमाज हैं, और प्रत्येक बड़े आर्यसमाज के भवन में शिक्षा-संस्था भी है, जिसमें हिन्दी सिखाने का प्रयत्न है। मुझे बम्बई से मॉरिशस जाते समय नव भारत टाइम्स के उत्साही युवक श्री जितेन्द्र कुमार मित्तल से परिचय आया—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

हो गया था। उन्होंने "भारत-मॉरिशस मैत्री संघ" की स्वामी कृष्णानन्द जी की प्रेरणा से स्थापना की है। स्वामीजी और अनेक बन्धु भित्तल जी का स्वागत करने हवाई अड्डे पर आये हुए थे, और मुझे भी सब का स्नेह मिला। इस संघ के प्रयत्न से मॉरिशस में भारतीयता और हिन्दी-प्रेम को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसी आशा है। मुझे लगा कि मॉरिशस हिन्दी बच्चों का सब से उत्तम उपनिवेश है। मोहितजी के परिवार का संबंध एक सिनेमा घर से भी है। सिनेमा और रेडियो एवं टेलिविजन द्वारा हिन्दी का अच्छा प्रचार इस देश में है।

८ अगस्त को मॉरिशस से चल कर उसी दिन सूर्यास्त से कुछ बाद मैं जोहान्सबर्ग में पहुँच गया जो रिपब्लिक ऑफ़ साउथ अफ्रीका का प्रमुख अन्तर्देशीय हवाई अड्डा है, और संभवतः इस देश का सब से बड़ा नगर। अनेक गुजराती और हिन्दी भाषी भाई मेरे आतिथ्य के लिए इस हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के तीन विशेषबर्ग हैं—हिन्दी भाषी प्रदेश के (पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के), गुजराती भाषी प्रदेश के और दक्षिण-भारत के। इन वर्गों में से तामिल, तेलुगु, हिन्दी और गुजराती चार वर्गों के लोगों ने अपनी भाषाओं को यहाँ जीवित रक्खा है। व्यावहारिक कार्यों में तो लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी हो गयी है, पर अंग्रेजी के अतिरिक्त दो विदेशी भाषायें सभी समझते और बोलते हैं—एक है, जिसका नाम है "अफ्रीकान" भाषा। यह डच भाषा के समीप की भाषा है, और जिसे यूरोप से आये हुए सभी देशों के लोगों ने यहाँ अपनी भाषा मान लिया है। स्कूल के बच्चों को भी यह भाषा अंग्रेजी के साथ-साथ पढ़ाई जाती है। विदेशी लोगों के अभिमान की यह भाषा है। प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजी के साथ इसे लिखा हुआ आप पावेंगे। अफ्रीकान-भाषा में साहित्य भी उत्पन्न हो रहा है। जर्मन भाषा से परिचित भारतीयों को यह भाषा जर्मन से बहुत भिन्न नहीं प्रतीत होगी। गुजराती भाइयों के एक सांस्कृतिक समारोह में डरबन में सम्मिलित होने और दो-शब्द बोलने का अवसर मुझे ९ अगस्त को मिला था। दर्शकों की भीड़ से विशाल हाल भरा हुआ था, और गुजराती सगीत, गुजराती नृत्य, गुजराती संवाद, गल्प, नाटिकाएँ, सबका इसमें प्रदर्शन था। इस समारोह में महात्मा गांधी की पुत्रवधू श्रीमती सुशीलाजी (श्री मणिलाल गांधी की पत्नी) से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मार्मिक शब्दों में मुझसे कहा—"मैं खादी पहनती हूँ, पर खादी पहननेवाली मैं अकेली इस देश में रह गयी हूँ।" इस समुदाय में दूसरा खादीवाला मैं था। गांधी शती समारोह का कार्य यहाँ जोर से चल रहा

१. अफ्रीकान भाषा का कुछ नमूना हवाई-पत्रों पर अंकित इन शब्दों से मिल सकता है—
 (अंग्रेजी) Sender's name and address; (अफ्रीकान) Naam en Adres van Afzender; (अंग्रेजी) Republic of South Africa; (अफ्रीकान) Republiek van Suid-Afrika; (अंग्रेजी) Air Letter; (अफ्रीकान) Lugbrief; (अंग्रेजी) By Air mail; (अफ्रीकान) Per Lugpos.

है। मैं किसी दिन फिनिकस (Focnix) भी जाऊँगा, जो गांधीजी के जीवन के साथ अमर-स्थान बन गया है।

मैं १० अगस्त से २४ अगस्त तक पीटरमेरिट्ज़बर्ग रहा जो नैटाल की राजधानी है, पहाड़ियों के षड्ढाव-उतार पर बसा हुआ बंगलोर के समान सुन्दर-सानगर। दक्षिण अफ्रीका का यह गण-राष्ट्र स्वतंत्र देश है, जो ब्रिटिश सामनवेत्स्य के बाहर है। इस राष्ट्र में चार सूबे हैं—ट्रान्सवाल, नैटाल, ऑरेंज्ज फ्री स्टेट और केप-प्रॉविन्स। प्रीटोरिया अगस्त राष्ट्र की राजधानी है, जैसे हमारे देश की नई दिल्ली। इस देश में सभी जगह अलग-अलग चार बस्तियाँ हैं—(१) गोरे लोगों की (Blank), जिसमें यूरोप के सभी लोग सम्मिलित हैं, (२) रगवार लोगों की (कलर्ड-पीपल), जिसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो यूरोपीय और अपने से इतर वर्ण वालों की संकर सन्तान हैं (जैसे हमारे देश में एंग्लोइण्डियन), (३) इण्डियन, जिन्हें कभी-कभी एशियाटिक भी नाम दिया जाता है, (४) दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी जिन्हें बाष्टू कहा जाता है। मैं परिचय के लिए नैटाल का उदाहरण दूँगा। इस सूबे या प्रदेश की पूरी आबादी ३,४०८,३०० है, जिसमें श्वेत लोगों की संख्या ३९७,०००; भारतीयों की ४६८,०००; वर्णसंकरों (रंगीन या कलर्ड) की ५३,००० और बाष्टूओं की २,४९०,००० है। श्वेत लोग नगरो के आसपास अलग बस्ती में रहते हैं, वहाँ और कोई नहीं रह सकता। बाष्टू लोग गाँवों में सर्वत्र ही हैं, और नगर के पास उनकी अलग बस्ती १२,००० वर्गमील की भी है। दक्षिण अफ्रीका में अधिकांश प्रवासी भारतीय नैटाल में ही रहते हैं, और बहुधा समुद्री तट के निकट। वर्णसंकरों की अधिकांश जनता डरबन और पीटरमेरिट्ज़बर्ग में है।

मैं लगभग दो सप्ताह पीटरमेरिट्ज़बर्ग में रहा, और दो दर्जन से ऊपर मैंने वहाँ व्याख्यान और वार्तायें विभिन्न संस्थाओं के तत्त्वावधान में दीं। प्रत्येक व्याख्यान अधिकतर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में देने पड़ते थे। यहाँ का बच्चा-बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोलता और समझता है, और घरों में या पाठशालाओं में षोड़ा-बहुत हिन्दी का अभ्यास करता है। इस काम के लिए उनकी अपनी अलग पुस्तकें हैं। प्रवासी भारतीयों में गायत्री मंत्र का विशेष प्रचार है। सभी समारोह का आरंभ इस मंत्र के पाठ से आरम्भ किया जाता है। भारतीय भजन और कीर्तनों में भी इनका अनुराग है, और मीठे संयत स्वर से सब भारतीय इनमें भाग लेते हैं।

पीटरमेरिट्ज़बर्ग के लोटस-हॉल में २१ अगस्त को "महात्मा गांधी" पर मेरा एक व्याख्यान हुआ। यह व्याख्यान इस नगर की गांधी-शती समारोह का पहला व्याख्यान था। वर्षाकों और श्रोताओं में उत्साह था। पीटरमेरिट्ज़बर्ग महात्मा गांधी के जीवन की एक ऐसी घटना से संबंध रखता है, जिसने उन्हें एक नया मोड़ दिया। मैं पीटरमेरिट्ज़बर्ग स्टेशन देखने गया जहाँ गांधीजी को रेल के एक डिब्बे से नीचे फेंक दिया गया था। यह घटना १८९३ ई० की है। वे भूल से उस डिब्बे में बैठ गए थे, जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। गांधीजी के ये शब्द हैं—“जाड़े का मौसम था। दक्षिण अफ्रीका में ऊँची जगहों पर बड़े डोर का जाड़ा पड़ता है। मेरिट्ज़बर्ग ऊँचाई पर था—इसमें खूब जाड़ा लगा। मेरा ओवरकोट सामान में रह

अध्याय—मार्चमार्च, एक १८९१]

गया था। सामान भांगने की हिम्मत न पडी। कहीं फिर बेइज्जती न हो। जाड़े में सिकुड़ता और ठिठुरता रहा।" दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के जीवन की यह पहली घटना थी, जिसने आगे चल कर, गांधीजी को संसार का एक महापुरुष बना दिया। आज भी पीटरमेरिट्ज़बर्ग का स्टेशन १८९३ ई० से कुछ भिन्न नहीं है। स्टेशन पर भीतर घुसने के दो भाग हैं—एक इवेंटों का, एक इवेंतेतरों का। रेल के डिब्बे भी इवेंटों के अलग और इवेंतेतरों के अलग। पोस्ट आफिस में भी दो कक्ष हैं, इवेंटों का अलग, इवेंतेतरों का अलग। होटल भी इवेंटों के अलग, टैक्सी भी अलग और इनकी बन्ती भी अलग। पीटरमेरिट्ज़बर्ग में एक विश्वविद्यालय है—यूनिवर्सिटी ऑफ नैटाल। उसमें केवल इवेंट ही पढ़ सकते हैं, अर्थात् केवल विशुद्ध यूरोपीय ही, वर्गसंकर इवेंट भी नहीं। व्यक्तिगत रूप से लोगों का व्यवहार अच्छा है। इवेंटों के इस विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यापकों ने मुझे स्नेह से अपनाया, और वहाँ मैंने दो व्याख्यान भी दिए। एक व्याख्यान वहाँ के विद्यार्थियों की यूनियन में था। वहाँ के दो गोरे रमायन के प्राध्यापक मेरे निवासस्थान पर भी आए। पर फिर भी गोरों की बस्ती यहाँ अलग है। डरबन में एक विश्वविद्यालय भारतीयों के लिए है। पीटरमेरिट्ज़बर्ग के स्टेशन के प्लेटफार्म पर जब गया, तो ऐसा लगा, कि मैं एक ऐसे तीर्थ में आ गया हूँ, जहाँ की एक छोटी सी घटनाने गांधीजी को नयी प्रेरणा दी। पीटरमेरिट्ज़बर्ग ने ही गांधीजी के हृदय में उन अहिंसात्मक प्रयोगों की भावनाओं को जन्म दिया, जिनसे सम्पन्न हो कर उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन का नेतृत्व किया, और भारत के वे राष्ट्रगिता बने। 'नैटाल मर्करी' नैटाल का सबसे पुराना समाचार पत्र है, जो गांधीजी के समय से ले कर अब तक पुरानी परम्पराओं को जीवित रखे हुए है, दादा अबुल्ला के परिवार के कुछ लोग अब भी यहाँ हैं।

सन् १९०५ में भाई परमानन्द जी दक्षिण अफ्रीका आये थे। १९०९ में पीटरमेरिट्ज़ बर्ग की वेदधर्म-सभा की संस्थापना स्वामी शंकरानन्द जी ने की। श्री भवानीदयाल संयासी जी की हिन्दी और आर्यसमाज की सेवाये सब को अवगत हैं; उनके परिवार के लोगों से भी मेरी मेंट हुई। पंडित ऋषिगज जी तीन बार यहाँ आ चुके हैं। मेरे पिता जी १९५० ई० में यहाँ आये थे और मुझे भी यहाँ अब आने का संयोग प्राप्त हुआ।

पीटरमेरिट्ज़बर्ग में हिन्दी शिक्षा की प्रमुख पाठशालाये इस समय ये हैं—वेदधर्म सभा हिन्दी पाठशाला, जिसमें २०० विद्यार्थी बाल वर्ग से छोटी कक्षा तक का पाठ्य-क्रम पढ़ते हैं। छह अध्यापक हैं। वर्षा की परीक्षाएँ भी बालक देते हैं। (२) रायसथोर्प आर्य-समाज हिन्दी पाठशाला, जिसमें १०० विद्यार्थी हिन्दी पढ़ते हैं। (३) माउण्ट पारट्रिज आर्यसमाज हिन्दी-पाठशाला, जिसमें १ अध्यापक और ५० विद्यार्थी हैं। (४) नार्थवेल सनातन वेद धर्म सभा हिन्दी पाठशाला जिसमें १२० विद्यार्थी और २ अध्यापिकाएँ हैं। (५) नार्थवेल डिवाइन लाइफ सोसायटी हिन्दी पाठशाला जिसमें एक अध्यापिका है।

बुधवार, १६ नवम्बर, सन् १८९० ई० में ३४१ प्रवासी भारतीय एस० एस० टूरो जहाज से पहली बार दक्षिण अफ्रीका आये। इस घटना का एक शती-समारोह १६ नवम्बर,

१९६० ई० में मनाया गया था। उस समय एक मध्य स्मृति-ग्रन्थ भी प्रकाशित हुआ। भारतीय प्रवासियों में निम्न अनुपात था—३३% तामिल, ३२% हिन्दी, १६% तैलगू, ७% गुजराती और ६% उर्दू-भाषी। १९५९ में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले ३३० विद्यालय इस देश में थे। १८९९ ई० में साधिया ज्ञानमू संगम नामक संस्था ने डरबन में तामिल भाषा सिखाने की पहली पाठशाला खोली। एक दूसरा विद्यालय तामिल-अंगम १९०५ ई० में सी० बी० पिस्ले द्वारा खोला गया। १९०७ में मंगमेन्स ऐसोसियेशन ने पीटरमेरिट्चबर्ग में एक तामिल स्कूल खोला। इसी प्रकार लेडीस्मिथ, न्यूकासेल, डम्बी आदि नगरों में भी छोटे-बड़े स्कूल खुले। १९०८ में तैलगू बैप्टिस्ट ऐसोसियेशन ने तैलगू स्कूल खोला, फिएररनी नगर में।

स्वामी भवानीदयाल जी ने १९१४ ई० में दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी प्रचारिणी सभा की संस्थापना जर्मिस्टन में की और बाद में ऐसी ही सभायें नैटाल के अन्य स्थानों पर, जैसे न्यू हासल, डैन हाउसर, हेटिंग्सप्रूट, लैको, बर्नसाइड, लेडी स्मिथ, बीनन, जेकाब्स और स्प्रिंगफील्ड में खुली।^१ आज डरबन में अनेक संस्थायें हिन्दी शिक्षण का कार्य कर रही हैं—युवक आर्यसमाज, क्लेअर वुड, आर्य युवक सभा, डरबन; नागरी प्रचारिणी सभा, स्प्रिंगफील्ड; भीअरवैक सनातन धर्म उन्नति सभा, नार्थ नैटाल हिन्दी युवक सभा, लेडी स्मिथ और हिन्दी शिक्षा सभा, स्वामी भवानीदयाल जी ने दक्षिणी अफ्रीका में दो पत्रिकायें भी हिन्दी में प्रकाशित की थीं, एक का नाम था “हिन्दी” और दूसरी का “धर्मवीर”, पर दोनों पत्रिकायें एक-दो वर्षों से अधिक नहीं निकल पायीं। तब से कोई और पत्रिका इस देश में हिन्दी में नहीं निकली।

दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों के मध्य में ४१ वर्षों से २० नरदेव जी वेदालंकार अच्छा कार्य कर रहे हैं। २५ अप्रैल १९४८ को इस देश में उन्होंने एक केन्द्रीय संस्था को जन्म दिया जिसका नाम हिन्दी-शिक्षा संघ है। इस संघ ने राष्ट्र की हिन्दी पाठशालाओं को एक सूत्र में पिरोया। संघ ने तीन कार्य किए—(१) सब पाठशालाओं के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया (इससे पूर्व पाठ्यक्रम केवल शिक्षक की इच्छा पर निर्भर था)। (२) विद्यार्थियों के लिए उनके परीक्षा-क्रम की व्यवस्था की। प्रारम्भ में विद्यार्थी हिन्दी-अध्यास की परीक्षा उत्तीर्ण करता है, और फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षों की प्रवेश, परिचय और कोविद परीक्षाएँ देता है। आज तक ५०-६० परीक्षार्थी कोविद हो चुके हैं, बालक भी और बालिकायें भी। एक विद्यार्थी श्री बाल गणेश जी (जो शिक्षा संघ के मंत्री हैं), वर्षों की राष्ट्रभाषारत्न की उपाधि भी ले चुके हैं। (३) पाठशालाओं को संघ से सम्बद्ध करना, यह संघ का संगठनात्मक कार्य है। लगभग ४० पाठशालायें संघ से सम्बद्ध हैं। मुख्यतः पाठशालायें (लगभग ३५) नैटाल प्रदेश की हैं। डरबन और पीटरमेरिट्चबर्ग की पाठशालाओं का मैं उल्लेख कर चुका हूँ। शेष प्रदेशों में ४-५ पाठशालायें ही हैं, जैसे ट्रान्सवाल में जाहिनेसबर्ग में, हिन्दी विद्या मन्दिर और स्प्रिंग्स में नेहरू

१. New castle, Dannhauser, Hattings pruit, Gleneve, Burnside, Ladysmith, Weenen, Jacobs, Springfield, Dundee.

विश्व-विद्वान्, विनोदनी में हिन्दी पाठशाळा, सेनेगियन में भारतीय संस्कृति केन्द्र; केप टाउन में केप प्रोविन्स के केप-कॉलेज में एक गुजराती-हिन्दी स्कूल है।

यह स्वल्प रचना बाह्य कि इन पाठशाळाओं द्वारा ३०,००० व्यक्तियों में से केवल ३००० व्यक्तियों को ही हिन्दी बढावी या रही है (लगभग १० प्रतिशत)। प्रयोजित अध्यापकों की कमी के कारण साहित्य के अध्ययन का प्रयत्न नहीं हो पाया है। अब तक ६० कोष हैं, जिनमें १०-१२ ही अध्यापक का काम कर रहे हैं। नैटाल की इण्डियन यूनिवर्सिटी में द्विती (बी० ए०) पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी को मान्यता दी गयी है, और ५० बरखाचार्यलू इसमें अध्यापक हैं, पर बिरले छात्र ही हिन्दी के अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। श्री नरदेव जी वेदालंकार एम० एल० मुल्तान टेक्नीकल कॉलेज में हिन्दी विषय के "पाठ-टाइम" अध्यापक हैं। हिन्दी-शिक्षण के लिए सरकार से कहीं भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, जो कुछ भी प्राप्ति है, वह जनता के दानों और प्रोत्साहन से है। फिर भी हिन्दी के प्रति लगन और स्फूर्ति यहाँ बहुत है। आबाल-बुढ़ २० वर्ष से एक प्रकार के "हिन्दी सेले" में रुचि लेते आये हैं। वर्ष में एक बार यह मेला पूनमनाम से लगता है। हिन्दी के गीत और भजन (जिन्हें ये धुन कहते हैं) इन्हें याद हैं। हिन्दी शिक्षा-संघ की ओर से स्वामी भवाजीदयाल की पुण्यस्मृति में प्रीतों के लिए एक वाद-प्रतिवाद प्रतिबोधिता का भी प्रबन्ध है।

मैंने दक्षिणी अफ्रीका और मॉरिशस में जो कुछ देखा, उससे लगा कि हिन्दी तो अन्तर-राष्ट्रीय जगत् में भारतीय संस्कृति के प्रसार की एक भाषा हो सकती थी। हिन्दी का उज्वल भविष्य है, और न जाने क्यों, भारत में रहनेवाले भारतीय ही इसकी ओर से इतनी उपेक्षा दिखाते हैं। साधा प्रत्येक देश के लिए अभिमान और गौरव की वस्तु है। दक्षिणी अफ्रीका में गोरों में उच्च लोगों की अपनी भाषा अफ्रीकान का प्रचार बढ रहा है, और संभवतः अंग्रेजी बहिष्कृत हो जायगी। भारत में अंग्रेजी की व्यापकता के प्रति हमारा मोह है।

दक्षिण अफ्रीका की इस यात्रा में न केवल मुझे अपने प्रवासी भारतीयों से मिल कर प्रबलता हुई, मैंने इस भूमि को पुण्यतीर्थ समझा जिसने महात्मा गांधी ऐसे युध्पुण्य का सृजन किया।

श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री

हिन्दी साहित्य सम्मेलन और गांधी जी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के दो बार संभाषित चुने गये थे। ये दोनों वार्षिक अधिवेशन इन्दौर नगर में ही सम्पन्न हुए थे। पहला अधिवेशन, जो सम्मेलन का आठवां अधिवेशन था, संवत् १९७४ अर्थात् सन् १९१८ ई० में तथा दूसरा अधिवेशन, जो सम्मेलन का २४वां अधिवेशन था, संवत् १९९२ अर्थात् सन् १९३५ ई० में सम्पन्न हुआ था।

प्रथम अधिवेशन के समय अर्थात् सन् १९१८ में सम्मेलन का कार्य यद्यपि अखिल भारतीय स्तर पर आरम्भ कर दिया गया था, किन्तु उसकी स्थिति अति सामान्य थी। प्रयाग के एक किराये के भवन में राजवि पुरुषोत्तमदास टण्डन ही प्रधानमंत्री के रूप में सम्मेलन का सारा कार्य चलाते थे और उन्हीं की सहायता के लिए कुछ अन्य मंत्रिगण भी थे। न केवल वित्तीय स्थिति अपितु उसकी अन्यान्य प्रवृत्तियों का विकास भी तबतक नहीं हुआ था। जिस वर्ष गांधी जी संभाषित बने थे उस वर्ष सम्मेलन का आय-व्ययक ८७३५ रुपये का था। इस घनराशि में सर्वाधिक ३००० रु० की घनराशि पैसा फण्ड में एकत्र किये जाने को थी तथा २१०० रु० परीक्षाओं के शुल्क से अनुमानित किया गया था।

भारतीय राजनीति के क्रांतिज पर गांधीजी का उदय ग्रीष्म के बालसूर्य की भाँति बड़ी प्रखर किरणों के साथ हुआ था और समूचे देश में यह आशा हो गयी थी कि इस महान् पुरुष के द्वारा परतंत्रता की बेड़ियाँ अवश्य कटेगी और देश के सांस्कृतिक जीवन में क्रान्ति होगी।

सम्मेलन की परम्परा के अनुसार सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन ने संभाषित पद के लिए गांधीजी के साथ महाभना मालवीयजी, लाला हंसराज, रीबा नरेस सर वेंकटरमण सिंहजी तथा महामहोपाध्याय डा० पं० गीरीशंकर हीराचन्द्र ओझा के भी नाम प्रस्तावित किए गए थे जिनमें से मतदाताओं ने गांधीजी को ही प्राथमिकता प्रदान कर अव्यक्त पद पर अवस्थित करने का निर्णय किया।

सम्मेलन द्वारा जब गांधीजी को यह सूचना दी गयी कि सम्मेलन ने उन्हें अपने वार्षिक अधिवेशन का संभाषित मनोनीत किया है तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और हिन्दी के प्रकार-प्रसार की आवश्यकता बताते हुए देश के भिन्न-भिन्न प्रांतों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचारार्थ अखिल भारतीय स्तर पर एक उप-समिति बनाने का सुझाव दिया और यह भी सुझाव दिया कि इस उप-समिति का सदस्य उन्हीं सज्जनों को बनाना चाहिए जो इस समिति में काम करने की

आस्था—मार्गदर्शक, अंक. १८९१]

स्वेच्छया तैयार हों। दूसरा सुझाव गांधीजी ने यह भी दिया था कि यदि अधिवेशन ईस्टर की छुट्टियों में हो तो उन्हें सुविधा रहेगी।

इन्दौर का यह प्रथम अधिवेशन पहले नवम्बर मास में होने वाला था, किन्तु अधिवेशन की तिथियों के पूर्व ही इन्दौर में भयंकर प्लेग फैल गया जिसके कारण अधिवेशन की तिथियाँ मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गयीं थीं और यह अधिवेशन २९, ३० और ३१ मार्च सन् १९१८ के होलिकात्सव के दूसरे दिन से आरम्भ हुआ था।

इस अधिवेशन का मैं प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं था क्योंकि मेरा जन्म ही सन् १९१९ में हुआ है, किन्तु इस अधिवेशन का जो विवरण और अन्य सामग्रियाँ हमारे कार्यालय में विद्यमान हैं, उनसे ज्ञात होता है कि अबतक के अधिवेशनों में सर्वाधिक भीड़ इस अधिवेशन में ही हुई थी और अधिवेशन के लिए तैयार किया गया विद्यालय पाण्डाल जिसमें दस हजार लोगों के बैठने का स्थान था, उसमें पन्द्रह-बीस हजार तक की भीड़ हो गयी और बड़ी कठिनाई हुई, लोगों को निराशा हो कर लोटना भी पड़ा।

गांधीजी ने इस अधिवेशन में सपत्नीक भाग लिया था। श्रीमती कस्तूरबा गांधी अधिवेशन के एक दिन पूर्व २८ मार्च को दिन में दस बजे की गाड़ी से बिहार के मोतिहारी स्थान से तथा महाराष्ट्र गांधीजी ११। बजे दिन में दिल्ली से आने वाले थे। स्टेशन पर भी अपार भीड़ थी। स्वागतकारिणी समिति की यह इच्छा थी कि गांधीजी की गाड़ी इन्दौर स्टेशन पर विश्राम-गृह के ठीक सामने लगे, किन्तु संयोगात् वैसा नहीं हो सका और विश्रामगृह से कुछ दूर पर जा कर लगी। भीड़ इतनी अधिक हो गयी थी कि बिम्बे से विश्राम-गृह तक जाने में स्वागत समिति को तथा प्रबन्धकारी फुलिस-दल को भयंकर कष्ट उठाना पड़ा। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह विश्राम-गृह में लाये जा सके जहाँ कुछ देर तक विश्राम किया। स्टेशन से बाहर जुलूस का सारा प्रबन्ध था। जिस गाड़ी में गांधीजी को बैठा कर जुलूस निकाला जानेवाला था उसके घोड़ों को स्कूल और कालेजों के विद्यार्थियों ने खोल लिया और यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की कि वे गांधीजी की गाड़ी स्वयं खींच कर ले जायेंगे। गांधीजी को जब यह बात बतायी गयी तो वे इस पर सहमत नहीं हुए और उधर विद्यार्थी भी अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। स्वागत-समिति बड़ी कठिनाई में फँस गयी। सत्याग्रह मंत्र के आविष्कर्ता को विद्यार्थियों के सत्याग्रह के सामने हार खानी पड़ी और अन्त में यह निश्चय करना पड़ा कि सौ कदम तक लड़के गाड़ी खींचेंगे और उसके बाद घोड़े गाड़ी में जोत दिये जायेंगे। ऐसा ही किया गया और अपार भीड़ के साथ इन्दौर नगर के प्रधान बाजारों से हो कर जुलूस निकाला गया। गाड़ी में एक साधारण सा खट्टर का कुर्ता और घुटनों तक की धोती पहने दोनों हाथ जोड़े गांधीजी पगड़ी बांधे हुए सपत्नीक बैठे हुए थे। गाड़ी खुली हुई थी। एक व्यक्ति ने छतरी लगानी चाही किन्तु गांधीजी ने उसे उतार दी। जुलूस के आगे एक सुसज्जित हाथी था और पीछे वैण्ड दल और स्वयंसेवकों की सेना। स्थान-स्थान पर पुष्प-माला, आरती, पान-सुपारी आदि से गांधीजी की अर्चना की गयी और खजूरी बाजार में आर्य-सहिष्णु विद्यालय के द्वार पर विद्यालय की कन्याओं ने बड़े ही मधुर स्वर में गीत गा कर गांधीजी

का स्वागत किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य उद्धरणीय है जिसे स्वागत-समिति के संघी ने वार्षिक विवरण में लिखा है—

“यह कहना अक्षरशः सत्य होना कि इन्दौर की प्रजा ने इससे विष्णु और रोमहर्षक वृषभ पक्षके कभी नहीं देखा था और न शायद भविष्य में कभी देख सकेगी।”

अधिवेशन के अवसर पर हिन्दी साहित्य की प्रदर्शनी का भी कार्यक्रम रखा गया था जिसके संयोजक साहित्य विभाग के उपसभापति बाबू सम्पूर्णानन्दजी थे। साहित्य विभाग के संघी पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी थे।

२९ मार्च को दिन में १२॥ बजे से जब अधिवेशन आरम्भ हुआ तो अत्यधिक भीड़ के कारण थोड़ी देर तक बड़ी अम्बबस्मा-सी फील गयी, किन्तु थोड़ी देर बाद स्थिति शान्त हुई। मुख्य मंच पर गांधी दम्पति के साथ करवीर मठ के जगदगुरु श्री शंकराचार्य, भेजर रामप्रसाद दुबे तथा होल्कर राज्य के युवराज श्रीमन्त यशवन्तराव जी भी उपस्थित थे। अन्य उपस्थित व्यक्तियों में राजर्षि दुष्योतभदास जी टण्डन, सेठ हनुमचन्द, पं० अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, काशी के सुप्रसिद्ध बाबू शिवप्रसाद गुप्त, डा० गोपालशरण सिंह, श्री वैकुण्ठानारायण तिवारी, सेठ कल्याणमल हीराचन्द कोठारी, सरदार माधवराव विनायक क्रिबे, श्री सिरेमल बापना, डा० सरयूप्रसाद, मं० लालबिहारीलाल प्रसूति गण्यभक्त्य सज्जन उपस्थित थे।

मंगलवारण ए वं स्वागतमान के रूप में पं० गिरिधर शर्मा नवरत्न ने संस्कृत छन्दों में जब समागत सज्जनों की प्रशस्ति की तो पंडाल करतल ध्वनि से गूज उठा। तदनन्तर पंडित श्रीवर पाठक, श्री जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी तथा श्री मैथिलीशरण गुप्त रचित राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्वागत गान किलोस्कर-नाटक मण्डली के गायकों द्वारा प्रस्तुत किये गए। स्वागत गान के अनन्तर दस वर्षीय होल्कर युवराज ने सात पंक्तियों का स्वागत भाषण किया और उनके अनन्तर स्वामी शंकराचार्य ने तथा सेठ हनुमचन्द ने स्वागत भाषण सुनाया।

गांधीजी अध्यक्ष पद से जब भाषण करने को उठे तो सर्वप्रथम उन्होंने अधिवेशन में महामना मालवीयजी की अनुपस्थिति पर हार्दिक श्लेद प्रकट करते हुए कहा कि हमारे पूजनीय और स्वार्थत्यागी नेता पण्डित मदनमोहनजी मालवीय सम्मेलन में नहीं आ सके। मैंने उनके प्रार्थना की थी कि जहाँ तक बने सम्मेलन में उपस्थित रहिएगा। उन्होंने बचन दिया था कि जरूर आयेंगे। पण्डितजी सम्मेलन में तो उपस्थित नहीं हुए पर उन्होंने एक पत्र भेज दिया है। मैं उम्मेद करता था कि यदि पण्डितजी नहीं आयेंगे तो उनका पत्र अवश्य आयेगा और मैं उसे आप लोगों के सामने उपस्थित कर सकूँगा। यह पत्र मुझे आज मिला है।”

अपने इस भाषण के बाद गांधीजी ने सर्वप्रथम मालवीयजी का वह पत्र पढ़ कर उपस्थित जनता को सुनाया।

आगे चल कर गांधीजी ने कहा कि “मैं बड़ी झंझटोंमें पड़ा हूँ। मेरी इस समय बड़ी दुर्दशा है। इससे मैं अपना व्याख्यान नहीं तैयार कर सका। पर मैंने कहा था आजना, आ गया। जो चीज सामने रखने का इरादा था, नहीं रख सका। यह भाषा का विषय बड़ा भारी और बड़ा

अज्ञान—सम्मेलन, पृष्ठ १८९१]

ही महत्वपूर्ण है। यदि सब नेता सब काम छोड़ कर केवल इसी विषय पर लगे रहें तो बस है। यदि हमलोग भाषा के प्रश्न को लेकर सम्मेलन से या इधर से मन हटा लेते तो इस समय लोगों में जो प्रभुति चल रही है, लोगों के हृदयों में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वह निष्फल हो जायगा।”

“... भाषा माता के समान है। माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए वह हम लोगों में नहीं है।...”

“विदेशी भाषा द्वारा आप जो स्वतंत्रता चाहते हैं वह नहीं मिल सकती क्योंकि उसमें हम योग्य नहीं हैं।... जैसे अंग्रेज अपनी मादरी जवान ही में बोलते हैं और सर्वथा उसे ही व्यवहार में लाते हैं वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिन्दी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बना कर हमे अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।”

“... अंग्रेजी भाषा राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं हो सकती है। अंग्रेजी भाषा का बोझ प्रजा के ऊपर रखने में क्या हानि होती है। हमारी शिक्षा का माध्यम आज तक अंग्रेजी होने से प्रजा कुचल दी गयी है। हमारी जातीय भाषा क्यों कंगाल हो रही है—इन सब विषयों पर मैं अपनी राय कई जगह दे चुका हूँ।...”

इसी प्रकार गांधीजी ने अपने भाषण में राष्ट्रभाषा हिन्दी की क्षमता, उपयोगिता तथा सार्वभूमिकता के सम्बन्ध में अनेक तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किए और इस बात पर भी बल दिया कि हिन्दुओं की बोली से फारसी शब्दों का सर्वथा त्याग और मुसलमानों की बोली से संस्कृत शब्दों का सर्वथा त्याग अनावश्यक और कुत्रिम है। दोनों का स्वाभाविक संगम गंगा-यमुना के संगम की तरह सुधोमित और अचल रहेगा।...

अपने सभापतित्व के सम्बन्ध में बर्चा करते हुए गांधीजी ने कहा कि “आपने मुझको इस सम्मेलन का सभापतिपद देकर कृतार्थ किया है। हिन्दी साहित्य की दृष्टि से मेरी योग्यता इस स्थान के लिए कुछ भी नहीं है। यह मैं खूब जानता हूँ। मेरा हिन्दी भाषा का असीम प्रेम ही मुझे यह स्थान दिलाने का कारण हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेम की परीक्षा में मैं हमेशा उत्तीर्ण होऊँगा।”

गांधीजी के इस सहज, सरल तथा मार्मिक भाषण का श्रोतृबुन्द पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा। इन्दौर के इस अधिवेशन में कुल १७ प्रस्ताव पास हुए थे। जिनमें से सर्वप्रथम प्रस्ताव में ब्रिटिश साम्राज्य को उस समय के भीषण संघाम में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयत्न करने हेतु सफलता प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गयी थी और द्वितीय प्रस्ताव में दादा भाई नौरोजी, बाबू शारदाचरण मित्र, पंडित शिवकुमार शास्त्री, सर सुन्दरलाल प्रभुति उस वर्ष के दिवंगत हिन्दी सेवियों तथा वेद-सेवियों के निधन पर शोक-प्रकाश और समवेदन प्रकट की गयी थी। इन दोनों ही प्रस्तावों को स्वयं गांधीजी ने सभापति-मंच से प्रस्तुत किया था। अधिवेशन में प्रस्तावों के बीच-बीच कविता पाठ आदि भी हुआ करते थे। ब्रजकोकिल पं० लखनारायणजी कविरत्न उस अधिवेशन में स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने गांधीजी पर अपनी स्वरचित

कविता सर्वप्रथम वहीं सुनायी थी। कविरत्न जी की कविता के अनन्तर प्रबल करतलम्बनि हुई।

इन्दौर अधिवेशन से सम्मेलन की महिमा बहुत बढ़ गयी और उसकी वित्तीय स्थिति भी बहुत सुन्दर गयी। पण्डाल में जब काशी के बाबू शिवप्रसाद गुप्त जी ने अत्यन्त हृदयवेधी और ओजस्वी शब्दों में सम्मेलन को घन देने की अपील की और महात्मा गांधीजी ने जब उस अपील का समर्थन किया तो उसका उपस्थित जनसमूह पर गंभीर प्रभाव पड़ा। सेठ हुकुमचन्द जी ने दस हजार रुपये और महाराजा साहब ने दस हजार रुपये तथा अन्य उपस्थित सज्जनों ने दस हजार रुपये—कुल तीस हजार रुपये का चन्दा हुआ और आगामी पांच वर्षों तक एक-एक हजार रुपया वार्षिक का चन्दा बाबू शिवप्रसाद गुप्त के अनुरोध पर किसी अज्ञातनाभा काशी निवासी सज्जन ने देने का वादा किया और इन्दौर के ही कुछ अन्य सज्जनों ने भी सौ-सौ रुपये प्रति वर्ष का निरन्तर पांच वर्षों तक दान देने के वचन दिये। फिर भी गांधीजी को यह घन अपर्याप्त मालूम पड़ा और उन्होंने इंग्लैण्ड की वाइविज सोसायटी का उल्लेख करते हुए इंग्लैण्ड की जनता के स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा की और सम्मेलन के कर्णधारों को यह सम्मति दी कि उन्हें डेपुटेशन बना कर नगर के धनी-मानी लोगों के पास चन्दे के लिए जाना चाहिए। उसी दिन संख्या समय साढ़े छै बजे गांधीजी ने इन्दौर के तुकोगंज मुहल्ले में मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति के भवन का शिलान्यास किया। इन्दौर का यह अधिवेशन सभी प्रकार से सफल रहा और इसके साथ ही सम्मेलन की प्रतिष्ठा और ब्याप्ति देश के जन-जन के हृदय में बैठ गयी। पिछले सात अधिवेशनों में सम्मेलन का जो कुछ भी कार्य बढ़ा था, इन्दौर अधिवेशन के बाद वह द्विगुणित वेग से बढ़ने लगा।

इन्दौर के दूसरे अधिवेशन में सन् १९३५ में जब गांधी जी पुनः समापित हुए तो सम्मेलन की प्रतिष्ठा और कार्य-सीमा बहुत व्यापक बन चुकी थी और उस समय तक महात्मा गांधी जी भी विषय के सम्मान्य पुरुष बन चुके थे। फलतः इन्दौर का यह दूसरा अधिवेशन पिछले अधिवेशन की अपेक्षा बहुत विशाल और व्यापक रहा। अधिवेशन की तिथियां २०, २१, २२ और २३ अप्रैल, १९३५ थीं। गांधी जी दिनांक २० अप्रैल को प्रातःकाल लगभग ८ बजे ट्रेन से इन्दौर पधारने वाले थे, किन्तु दर्शनीत्युक जनता की इतनी भीड़ थी कि गांधी जी को कष्ट न हो इस आशंका से उन्हें चौरला स्टेशन पर ही उतार लिया गया और वहां से वे मोटर द्वारा इन्दौर नगर में लाये गये। जहां मध्य-भारत हिन्दी साहित्य समिति भवन में ८॥ बजे उनका सार्व-जनिक स्वागत किया गया। अधिवेशन के विशाल पण्डाल के १६ विभाग थे जिनमें इन्दौर नगर तथा हिन्दी-जगत् के गण्यमान व्यक्ति उपस्थित थे। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं—श्रीमती कस्तूरबा गांधी, महादेव जी देसाई, माननीय श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, बाबू काशीप्रसाद जायसवाल, श्री सिरमल जी बापना, होलकर राज्य की दोनों राजमाताएं, महाराज रघुबीर सिंह, पण्डित रामनरेश त्रिपाठी, पं० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल, सेठ हुकुमचन्द जी, सेठ जमनालाल जी, प्रिंसिपल स्काट महोदय, श्रीमती कमला बाई किबे, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी, श्रीमती आबाद—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

श्रीलाक्ष्मी कुन्नी, श्री काका साहब कालेलकर, श्री मीरा बेन, श्री सियारामशरण गुप्त, श्री माधु राम जी प्रेमी, श्री जैनेन्द्रकुमार जी, डा० मधुरालाल जी शर्मा, बाबू गुलाबराय जी तथा डा० सरयूप्रसाद तिवारी प्रभृति के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना लिखित भाषण पढ़ा हुआ मान कर उसके अतिरिक्त मौखिक भाषण दिया। अपने मौखिक भाषण में गांधी जी ने सम्मेलन को अधिकाधिक आर्थिक सहायता देने की अपील करते हुए स्वागताध्यक्ष महाराज इन्दौर को याद दिलाया कि जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आठवां अधिवेशन इन्दौर में हुआ था तो आपने दस हजार रुपये की रकम हिन्दी प्रचार के लिए दी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वागत समिति की ओर से जो प्रार्थना आपसे की गयी है उसको भी पूरी करने के लिए मदद मिलेगी। उस समय आपने युवराज की हैसियत से मदद की थी तो इस समय महाराजा की हैसियत में मदद करें। हमारे करोड़पति सेठ हुकुमचन्द जी भी यहीं मौजूद हैं। आपने प्रातःकाल मुझे हार पहनाया था। यद्यपि वह हार तो कन्धे सूत का था परन्तु उसकी कीमत पहनाने वाले की हैसियत से हो जाती है। रायबहादुर डा० सरयूप्रसाद भी यहीं मौजूद हैं। उनका हिन्दी भाषा अथवा सम्मेलन के प्रति प्रेम कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पूर्णतया आशा है कि जो काम करना है वह सफल हो जायगा। यह होते हुए भी हिन्दी संसार में कुछ हलचल मच गयी है। वर्षों में मुझे इस बात का पता चल गया था और यहाँ आने के बाद मैंने और भी अधिक समझ लिया है। यह हलचल कैसे मच गयी इस बात का पता भी अभी तक नहीं है।

“दक्षिण भारत से जो हिन्दी-प्रचार हुआ है उसका सम्बन्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन से हो ही नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यह प्रचार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अविभाज्य अंग है। इस प्रचार की माता या पिता, जो कहो—यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन है। यदि ऐसा न माना जाय तो अब दक्षिण भारत में जो ६००००० अहिन्दी भाषी हिन्दी बोल या लिख सकते हैं वह मामुमिकिन बात थी। इस प्रचार के लिए भी धन्यवाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन को ही है। इसके लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके लिए मैंने जो कार्य किया था वह सम्मेलन के समापति की हैसियत से किया था। उसमें मैं तो कही नहीं था। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हिन्दी-प्रचार का यह कार्य सम्मेलन का अविभाज्य अंग है। यदि हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी भाषा का प्रचार न करके केवल साहित्य की वृद्धि करे तो हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा कैसे बन सकती है।”

अपने इस भाषण में गांधी जी ने देश की सभी भाषाओं के लिए एक लिपि की आवश्यकता बताते हुए कहा कि तमिल, तेलुगु, कनाड़ी आदि भाषाएं संस्कृत से भरी हुई हैं। बंगला भी संस्कृत से परिपूर्ण है। जब उनकी अपनी भाषा में कोई शब्द नहीं मिलता तो वे इससे शब्द लेते हैं और प्रयोग में लाते हैं। अतः सब भाषाओं की लिपि एक होना आवश्यक है। लिपि एक होने से सीकने और समझने में बड़ी सुगमता होगी।

इन्दौर के इस अधिवेशन में भी एक वर्जन से अधिक प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे और

शुद्धि अधिवेशन के साथ इतिहास परिषद्, विज्ञान परिषद्, साहित्य परिषद्, लिपि परिषद्, दर्शन-परिषद् और कवि सम्मेलन के आयोजन किये गये थे। इन परिषदों के अध्यक्ष अपने अपने विषयों के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। यथा इतिहास परिषद् के अध्यक्ष थे बाबू काशीप्रसाद जायसवाल, साहित्य परिषद् के सभापति थे आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल, विज्ञान परिषद् के डा० गोरक्षप्रसाद, लिपि परिषद् के आचार्य काका कालेलकर, दर्शन परिषद् के अध्यक्ष बाबू गुलाबराय और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता महादेवी वर्मा ने की थी।

इन प्रकार इन्दौर में हुए इन दोनों अधिवेशनों में गांधी जी ने सम्मेलन का सभापतित्व ग्रहण कर उसे अनेक दृष्टियों से समृद्ध और शक्तिशाली बनाया और अपने दैनन्दिन व्यस्त जीवन में भी वे हिन्दी तथा सम्मेलन की प्रवृत्तियों के प्रति रुचि रखते रहे।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की २४वीं स्थायी समिति का प्रथम अधिवेशन १८ मार्च, १९३५ को वर्धा में स्वयं गांधी जी के आश्रम में ही हुआ था। वर्धा की उस बैठक में गांधी जी ने प्रयाग से बाहर सम्मेलन की स्थायी समिति की उस बैठक को बुलाने का औचित्य प्रतिपादित करते हुए कहा था—“अब तक स्थायी समिति के अधिवेशन प्रयाग में ही होते रहे हैं। वर्धा में इसे मैं ने इसलिए बुलाया है कि प्रयाग से दूर रहनेवालों को भी इसमें शरीक होने का अवसर मिले और इसी प्रकार दूसरे-दूसरे स्थानों में अधिवेशन किये जायें तो इससे सम्मेलन का और हिन्दी का लाभ ही होगा। गांधी जी के सभापतित्व-काल में ही सम्मेलन की स्थायी समिति ने पं० बनारसीदास चतुर्वेदी का यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि सत्यनारायण कविरत्न की स्मृति में सम्मेलन सत्यनारायण कुटीर का निर्माण कराये। गांधी जी के सभापतित्व-काल में ही सम्मेलन ने अपनी परीक्षाओं में दक्षिण की भाषाओं को भी शामिल करने का निश्चय किया था।

सम्मेलन की स्थायी समिति का दूसरा अधिवेशन वर्धा में ही गांधी जी के आश्रम में ११ दिसम्बर, १९३५ में हुआ था। राजर्षि टण्डन ने इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से अनुरोध किया था कि वे हिन्दी-संग्रहालय भवन का उद्घाटन समारोह सम्पन्न करें और उसी अवसर पर सम्मेलन की रजत जयंती भी मनायी जाय, क्योंकि उसको कार्य करते हुए २५ वर्ष पूरे हो चुके थे। गांधी जी ने इन दोनों समारोहों में भाग लेने की स्वीकृति देते हुए बताया कि यदि अक्टूबर १९३६ में यह समारोह किये जायें तो मैं उपस्थित हो सकता हूँ। फलस्वरूप महात्मा गांधी जी ने सम्मेलन के संग्रहालय-भवन का उद्घाटन दिनांक ५ अप्रैल, १९३६ ई० को सम्पन्न किया और सम्मेलन की दर्शक पुस्तिका में अपने हस्ताक्षरों से निम्नलिखित वाक्य उल्लिखित किया—
“वाच उद्घाटन क्रिया की—मो० क० गांधी।”

इस प्रकार गांधी जी का सम्मेलन पर इन्दौर अधिवेशन के बाद भी लगभग दस वर्षों तक पूर्ण प्रभुत्व रहा और वह सन् १९४५ ई० के मई मास तक सम्मेलन की गतिविधियों पर बराबर प्रभुत्व रखते और उसके महत्व के कार्यों में पथ-प्रदर्शन भी करते रहते थे। गांधी जी के बाद सम्मेलन को २५वां अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसके अध्यक्ष देवदत्त डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद थे और २६वां सम्मेलन—आर्षकीर्ति, संक १८९१]

अधिवेशन भद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष सैठ जमनालाल जी बजाज थे। इस प्रकार यह त्रिमूर्ति लगातार तीन वर्षों तक सम्मेलन के सभापति पद पर विराजमान रही।

इसके बाद गांधी जी की हिन्दी में फारसी लिपि में लिखी जाने वाली उर्दू का भी समावेश हुआ और बिहार राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा कुछ ऐसी रीढ़ें प्रकाशित हुईं जो दोनों लिपियों में थीं उसमें महारानी सीता को बेगम सीता और राजा राम को बादशाह राम कर के लिखा गया था। स्वभावतः हिन्दी-जगत् पर इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई और सम्मेलन के अनेक अधिवेशनों में गांधी जी की भाषा-नीति से सम्मेलन का क्या सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर हिन्दी जगत् की भावनाएँ उग्र रूप से उठती रहीं किन्तु राजर्षि टण्डन जी के प्रयत्नों से खुल कर उभरने नहीं पाती थीं। अन्त में निरुपाय हो कर सम्मेलन के अबोहर अधिवेशन के पूर्व हिन्दी-जगत् की इस भावना को रोका नहीं जा सका और वह इस रूप में खुल कर सामने आयी कि डा० राजेन्द्रप्रसाद और डा० अमरनाथ झा इन दोनों ही के नाम अबोहर अधिवेशन के सभापति-पद के लिए जब आये तो हिन्दी-जगत् के बहुमत से डा० राजेन्द्रप्रसाद के स्थान पर डा० अमरनाथ झा ने ही सम्मेलन का सभापति बनाने में अपना हित समझा। फलतः डा० अमरनाथ झा के सभापति बनने के पश्चात् सम्मेलन के साथ गांधी जी की भाषा-नीति का विलगाव प्रकट रूप से सामने आ गया और उन्होंने २५-५-४५ को महाबलेश्वर से टण्डन जी को एक पत्र लिखा, जिसका निम्नलिखित उद्धरण-पटनीय है —

“भाई टंडन जी,

मेरे पास उर्दू खन आते हैं, हिन्दी आते हैं और गुजराती। सब पछते हैं, मैं कैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन में रह सकता हूँ और हिन्दुस्तानी सभा में भी? वे कहते हैं, सम्मेलन की दृष्टि से हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है जिसमें नागरी लिपि ही को राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, और जो भाषा न फारसीमयी है न संस्कृतमयी है। जब मैं सम्मेलन की भाषा और नागरी लिपि को पूरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूँ तब मुझे सम्मेलन से हट जाना चाहिए। ऐसी दलील मुझे योग्य लगती है। इस हालत में क्या सम्मेलन से हटना मेरा फ़र्ज नहीं होता है? ऐसा करने से लोगों को बुविधा न रहेगी और मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ।

कृपया शीघ्र उत्तर दें। मोन के कारण मैंने ही पत्र लिखा है लेकिन मेरे अक्षर पढ़ने में सबको मुसीबत होती है इसलिए इसे लिखवा कर भेजता हूँ।

आप अच्छे होंगे।

आपका

मो० क० गांधी”

टण्डन जी ने अत्यन्त विनम्र शब्दों में गांधी जी के उक्त पत्र में लिखी भावनाओं का आदर करते हुए बहुत मुक्तिपूर्वक उत्तर दिया और उनसे निवेदन किया कि यदि आप मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और आपका आत्मा यही कहता है कि सम्मेलन से अलग हो जाऊँ

तो आप के अलग होने की बात पर बहुत खेद होते हुए भी नतमस्तक हो आपके निर्णय को स्वीकार करूँगा।

गांधी जी ने इसके बाद भी टंडन जी को दो पत्र लिखे। पहला १३-६-४५ को पंचगनी से तथा दूसरा २५-७-४५ को सेवाग्राम से और अपने दोनों ही पत्रों में उन्होंने अपने तर्कों को सबल बनाते हुए अन्त में लिखा कि—

“... मेरा खयाल है कि सम्मेलन ने मेरी हिन्दी की व्याख्या अपनायी नहीं है। अब तो मेरे बिचार इसी दिशा में आगे बढ़े हैं। राष्ट्रभाषा की मेरी व्याख्या में हिन्दी और उर्दू लिपि दोनों शैली का ज्ञान आता है। ऐसा होने से ही दोनों का समन्वय होने का ही तो हो जायगा। मुझे डर है कि मेरी यह बात सम्मेलन को चुभेगी। इसलिए मेरा इस्तीफा कबूल किया जाय हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का कठिन काम करते हुए मैं हिन्दी की सेवा करूँगा और उर्दू की भी।”

टण्डन जी ने अपने ११-७-४५ तथा २-८-४५ के उत्तरों में गांधी जी से बहुत विनम्र शब्दों में अनुरोध किया कि “इन बातों से यह परिणाम नहीं निकलता कि आप अथवा हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के अन्य सदस्य सम्मेलन से अलग हों। सम्मेलन हृदय से आप सबों को अपने भीतर रखना चाहता है। आपके रहने से वह अपना गौरव समझता है। आप आज जो काम करना चाहते हैं वह सम्मेलन का अपना काम नहीं है किन्तु सम्मेलन जितना करता है वह आपका काम है। आप उससे अलग जो करना चाहते हों उसे सम्मेलन में रहते हुए भी स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं।”

किन्तु जब टण्डन जी ने देखा कि उनके इस अनुरोध के बाद भी गांधी जी अपने निश्चय पर अडिग हैं तो उन्होंने लिखा कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार खेद के साथ आपका पत्र स्थायी समिति के सामने रख दूँगा।

स्थायी समिति ने गांधी जी का यह त्यागपत्र जब रखा गया तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। किन्तु कर्तव्य भावना से सदैव ऊंचा रहा है। हिन्दी-जगत् ने बड़े ही खेद के साथ गांधी जी का यह त्यागपत्र निम्नलिखित प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया—

“महात्मा गांधी जी के त्यागपत्र के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि स्थायी समिति के सौर १२ संवत् २००२ के मंतव्य के उत्तर में महात्मा गांधी जी का जो उत्तर आया है उसे पढ़ने के बाद समिति अन्य कोई मार्ग न देख बहुत दुःख और नम्रता के साथ महात्मा गांधी जी का त्यागपत्र स्वीकार करती है...।”

इस प्रकार गांधी जी सम्मेलन की स्थायी समिति से भी अलग हो गये जिसके वह पूर्ण सहायता होने के कारण आजीवन सदस्य थे। किन्तु गांधी जी ने हिन्दी और सम्मेलन को कितना बढ़ाया और क्या दिया—इसका लेखा-जोखा लगाना बहुत सरल नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके चमत्कारी कर्तृत्व का ही प्रभाव रहा जो बहुत थोड़े ही दिनों में सम्मेलन को अपने उद्देश्यों में अपेक्षित सफलताएँ मिली और वह अपनी सर्वांगीण प्रवृत्तियों को विकसित और शक्तिमान् बनाने में सफल हुआ।

भाषाङ्ग-मार्गदर्शक, भाग १८९१]

साहित्य, आत्मतत्त्व और गांधी जी

विश्व आज जिन परिस्थितियों से होकर अपने विकास की मंजिलें पार कर रहा है— उसे देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है, चाहे जो कुछ हो, वह कितना ही आगे बढ़ने का बाका करे उसमें कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य है। भले ही उसका स्वरूप हमें स्पष्ट न हो। इस त्रुटि को पहचानने और पहचानकर उसे दूर करने के लिये बहुत से मनिषीगण आगे बढ़े और यथाशक्ति उन्होंने इसे दूर करने के उपाय भी बताये। इस तरह के उपाय बतलाने वालों में आधुनिक युग के दो व्यक्तियों के नाम बहुधा लिये जाते हैं। मार्क्स और फ्रायड।

मार्क्स ने बतलाया कि मनुष्य की सारी विडम्बनाओं का उत्तरदायित्व पूंजीवाद की व्यवस्था पर है जिसके कारण सम्पत्ति कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हो गयी है और अधिकांश व्यक्ति भूखों मर रहे हैं। यदि इस व्यवस्था में सुधार हो और सम्पत्ति का सन्तुलित वितरण हो तो विश्व की अनेक समस्याएं हल हो जा सकती हैं। आज विश्व में युद्ध की विभीषिका सबको आलंकित कर रही है। सब राष्ट्र अपनी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अस्त्र और शस्त्रों के उपकरण को अधिक से अधिक मात्रा में एकत्र कर रहे हैं। जो शक्ति जीवन को समृद्ध बनाने के लिए लगायी जा सकती है वह विध्वंसक अणुबमों के निर्माण में लगायी जा रही है। इसके मूल में आर्थिक विषमता है, यदि वह दूर कर दी जाय तो इस तरह की अशांति तथा अप्रतिबन्ध का आघात ही नष्ट हो जाय। मतलब यह है कि मार्क्स की दृष्टि बाहर से अन्दर की ओर जाती थी। अर्थात् वे यह समझते हैं कि मनुष्य बाहरी परिस्थितियों की उपज है और उनमें सुधार करने से उसकी आन्तरिक परिस्थितियों में परिवर्तन होगा और सुख और शांति की उपलब्धि होगी जो हमारा ध्येय है। व्यवहारिक क्षेत्र में भी करीब ५० वर्षों से इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने की चेष्टा हो रही है। एक बहुत बड़े राष्ट्र ने इसे अपने ढंग से प्रयोग में लाने की चेष्टा की है। परंतु हमने देख लिया है कि इससे समस्या के हल करने में यह तो नहीं कहा जा सकता कि हम आगे नहीं बढ़े हैं परन्तु उसका हल समीप नहीं नजर आता।

दूसरा प्रयत्न फ्रायड प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की ओर से हुआ। उन्होंने समस्या को अंदर की ओर देखा और बतलाया कि वह जीवन में जो कुछ भी विडम्बनायें उपस्थित हैं, मार-काट कीना झपटी दिसलायी पड़ती है, वह इसलिए है कि मनुष्य को अपनी सहज अभिव्यक्ति करने का अवसर नहीं मिलता। सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण उसकी भावनायें दमित हो गयी हैं और वे जब बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो विश्व में अवांछित हलचल होने लक्ष्मी हैं। यह हलचल कभी भी

वैयक्तिक स्तर पर कभी सामाजिक स्तर पर, कभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अतः मनुष्य के सहज होने में जितने प्रतिबन्ध हैं उन प्रतिबन्धों को हटा देना ही समाज के हित में कल्याणकारी है। कहना नहीं होगा कि समस्या के इस समाधान से भी विद्व की समस्याएं पूर्ण रूप से सुलझी नहीं है।

मतलब यह है कि अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक सभी अपने अपने ढंग से इस सुधार में लगे हैं। गांधी जी ने भी अपने ढंग में इस समस्या का हल उपस्थित करने का प्रयत्न किया था और वे इस निर्णय पर पड़चें थे कि चाहे जो कुछ हो दो बातें नहीं हो सकती हैं।

यदि मनुष्य की आत्मा शुद्ध नहीं है—बहु स्वयं अदर से परित्र नहीं है उसमें आस्था नहीं है तो वह चाहे कितनी भी लम्बी चौड़ी बाँन करे, उपदेश दे उसमें कोई भी उपयोगी प्रभाव नहीं पड़ सकता। मनुष्य अदर से जितना ही बड़ा होगा उसकी सिद्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। चाहे उसको बाहरी साधन या सहायता कुछ भी प्राप्त न हो। वे कहा करते थे कि अकेला व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होता है। दूसरी बात वह यह कहते थे कि बाहरी दृष्टि से दोखन वाली सफलता भ्रामक हो सकती है और वह असफलता का सबसे निकृष्टरूप हो सकती है, उसी तरह जिस तरह लोण बालू में गंगा की धारा अथवा साँपों में चाँदी का देख लेंते हैं। दूसरी ओर जिस हम असफलता कहते हैं वह सबसे बड़ी सफलता हो सकती है। वास्तव में जीवन न तो तथाकथित सफलता में समृद्ध होता है और न बाहरी वस्तुओं को उपलब्ध से। जीवन की सफलता साधनों की उत्कृष्टता और स्वच्छता में है। यदि हमारे साधन परित्र हैं तो सफलता स्वयं अपनी खोज कर लेगी। अथवा जो कुछ उपलब्ध होगा वह सफलता के सिवा और कुछ हो ही नहींसकता। सिद्धि या सफलता साधन से अलग होने के लिये नहीं है।

मतलब यह कि गांधी जी ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मतत्व को केन्द्र में रखा और कहा कि हम आत्मतत्व के व्यापकत्व की अनुभूति में ही मनुष्य में आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना जागृत होगी और तभी शान्ति की स्थापना होगी और प्रान्ति की स्थापना में जीवन समृद्ध होगा। मनुष्य के सारे व्यापार का उद्देश्य यही है। राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, विज्ञान, सभी इसी उद्देश्य का लेकर अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं। साहित्य भी यही करता है। सभी अपने को श्रेष्ठ कहते हैं। साहित्य भी अपने को इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपनी श्रेष्ठता का दावा करता है। वह क्यों करता है यही हमें देखना है।

जब हमारे पुराने विचारकों के सामने यह प्रश्न आया कि साहित्य क्या है तो उन्होंने उसे दो तरह से इसे समझाया। साहित्य भावः साहित्यम् अर्थात् साहित्य मानवता में पारस्परिक सहयोग, आत्मीयता, मोहार्द्र की भावना उत्पन्न करता है। दूसरा है हितस्य भाव साहित्यम् अर्थात् जिसके द्वारा हित के भावों का उन्मेष हो वह साहित्य है। चाहे कोई अर्थ लिया जाय दोनों में कोई अन्तर नहीं है। जीवन का कल्याण इसी में है कि उसमें पारस्परिक सहयोग का विकास हो, एक अक्षण्ड, व्यापक, चिन्मयतत्व की छत्र-छाया में उसका विकास हो। साहित्य का इष्ट है अक्षण्ड मानवता। साहित्य का इस अक्षण्ड मानवता में आस्था का प्रमाण यही है कि इसके लिए कोई

आवाह—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

भी वह चीज स्थाय्य नहीं है जो जीवन में पाई जाती है। यदि यहाँ श्रृंगार रस है तो बीभत्स एवं कर्ण रस का भी उतना ही महत्व पूर्ण स्थान है। संस्कृत के साहित्य-शास्त्रियों ने कहा कि—

रम्यं जुगुप्सितभुवारमथापि नीच
मुचं प्रसादि गहनं विकृतं च वस्तु ।
यद्वा अवस्तु कवि-भावकभाव्यमानं
तथास्ति यत्र रसभावमुपति लोके ।

मतलब वर्ण्य-वस्तु कैसा भी हो रम्य हो, जुगुप्सित हो, उदार हो, नीच हो, यहाँ तक कि अवस्तु ही क्यों न हो पर संसार में वैसी कोई चीज नहीं जो कवि भावक द्वारा भाव्यमान होकर रस-भाव से पूर्ण न हो जाय। इन पंक्तियों को पढ़कर गांधी जी की बात याद आ जाती है। जब उप्र साम्यवादी हिंसा के बल पर पूजापतियों से सभ्यपति को छीन कर सर्वहारा वर्ग को देने की बात कहते थे और कहते थे कि पूजापति वर्ग समाज की कोठ है जिसे साफ कर देना चाहिये उस समय गांधी जी हृदय-परिवर्तन की बात कहते थे। पूजापतियों का समाज की सम्पत्ति के दृष्टी रूप में अस्तित्व स्वीकार करते थे। अर्थात् गांधी जी समाज-व्यवस्था के केन्द्र में पैठ कर वहाँ में उसकी लड़ाई लड़ना चाहते थे। ऊपर से मोली दागना नहीं चाहते थे। साँप को मारना तो चाहते थे पर लाठी को तोड़ना नहीं। यही उनका हिसात्मक दृष्टिकोण था। पता नहीं कि गांधी जी ने अहिंसा का यह सूत्र कहाँ से लिया, इसका cue कहाँ पाया पर साहित्य में इसी अहिंसक नीति का पालन होना रहा है। इतिहास की कुरूप से कुरूप घटना साहित्यकार के स्पर्श से सुन्दर में सुन्दर बन गई है। राम कोई असाधारण व्यक्ति न थे, उनमें वे सब गुण या दुर्गुण थे जो साधारण व्यक्ति में पाये जाने हैं पर वे इतने कीर्तिपात्र हो गये वह आदिकवि का प्रभाव है। यही बात गांधी जी ने की थी। आग्रह सदा होता रहा है, असहयोग भी कोई नई वस्तु नहीं थी पर गांधी जी ने इन सबों के साथ deal करते हुए उसी नीति से काम लिया जिसे साहित्यालोचन के क्षेत्र में प्रबंधवक्रता कहते हैं। कालिदास को एक साधारण सा, नातिस्पृहणीय पात्र दुष्यन्त तथा शकुन्तला के रूप में मिला था पर दुर्बाशा के शाप की कल्पना ने क्या से क्या नहीं बना दिया। गांधी ने साहित्यिक दृष्टिकोण का व्यावहारिक प्रयोग किया। धी तो पुरानी बातें पर उन्होंने उन्हीं को सत्य और अहिंसा से जोड़ दिया और सारी दुनिया ही बदल गई। मैं इसे साहित्य की विजय मानता हूँ।

यह साहित्य के व्यापकत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। अन्य मानव व्यापार फिर भी कही न कही सीमित है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि में जीवन का कुछ न कुछ ऐसा क्षेत्र रह जाता है जो उसकी परिधि से बाहर पड़ता है पर साहित्य सबको अपनाता है, अपना संपोषण देता है। एक उदाहरण लीजिए। काटा कितना तुच्छ पदार्थ समझा जाता है, वृष्य, स्थाय्य निकाल कर बाहर फेंक देने के लायक। एक दिन वह राजनीति-व्यावहारिकता के पास गया। चाणक्य के पैरों में चुभ गया, चुभ गया, कहिए कि उसने तो अपना प्यार ही प्रकट किया।

पर परिणाम जो हुआ वह सब को विदित है। चाणक्य ने विष्व के सारे कण्टकों की जड़ में मट्टा डालकर खोद खोद कर उसको नेस्त-नाबूद करने की ही तैयारी की। यह तो यह कहिये कि एक कवि ने भी कांटे को देखा और कहा—

‘हबीबीं से रक्तीब अच्छे जो मर कर नाम लेते हैं,

गुलों से खार अच्छे है, जो दामन घाम लेते हैं।

तब वह जी उठा और इतना प्यारा हो उठा कि कहा तो पहले पौर में श्री चुभता था और वह कलेजे में रखने के काविल हो गया। ‘मेष ‘तो’ धूमज्योतिः सलिल मरुता सन्निपात’ के सिवा अर्थात् घुआ, अग्नि, जल और वायु के जोड़ के सिवा क्या है पर कवि ने उसे प्रेम की आँखों से देखा तो वह पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीय संदेशार्थं वाहन सामर्थ्य-सम्पन्न हो गया अर्थात् उममे इननी योग्यता आ गई कि वह उम संदेश के पहुंचाने में समर्थ हो गया जिसे चतुर लोग ही करने में समर्थ हो सकते हैं। दो विरोधी तत्वों की शाश्वतिक विरोधिताको हटाकर उनमें समान-धर्मित्व की स्थापना साहित्य के ही बूने की बान है।

हेरिक ने Daffodil पुष्प को देखा। हम सभी देखते हैं और आख फेर कर चले जाते हैं। पर हेरिक ने देखा तो मारा दृश्य ही बदल गया और हम उसके सामीप्य की कामना करने लगे।

Pair daffodils, we weep to see
your haste away so soon :
As yet the early rising Sun
Has not allarived his so noon
Stay, stay
Until the hasting day
Has sun
But to the even song;
And, having prayed to gether, we
Will go with you along

अब तक हम अपने में ही दूसरों से कट कर जी रहे थे पर अब वह दुनिया ही बदल गई। हम एक साधारण पुष्प के साथ मिल कर प्रार्थना करने के लिए उत्सुक हैं। यदि साहित्य नहीं होता, कवि नहीं होता तो यह जाहू किस तरह संभव होता।

अतः साहित्य की शरण में आकर व्यक्ति और समाज का सारा पार्थक्य नष्ट हो जाता है। आप साहित्य को व्यक्तिमूलक भले ही माने, उस पर व्यक्ति-हित की परिभाषा मानने पर समाजवाद के लिए इसे अनिष्ट मानने की आवश्यकता नहीं। अथवा साहित्य को आप समाज हिताय, बहुजन हिताय माने पर वह स्वान्तःसुखाय से भिन्न वस्तु, नहीं रह जाती। बाह्य दृष्टि से समाजवाद या आत्मवाद में जो भिन्नता दिखलाई पड़ती है वैसी विमुखता वह। है ही नहीं और इसे भाषा—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

स्पष्ट देखने का अवसर साहित्य में ही मिलता है। जिस परस्पराभिमुख, अहिंसक, शान्ति-पूर्ण मानवता की हम कल्पना करते हैं उसकी नींव यही पड़ती है। शैक्सपियर, कालिदास, इकबाल के यहाँ आकर सारी विभिन्नताएँ नष्ट हो जाती हैं।

कहलाने एकल बसत अहि मयूर मुग वाच
जगत तपोवन सो कियो दीरघ वाच निदाघ ॥

ऐसा तपोवन जिसमें सब अपना विरोध भूल जायें, वह इनी साहित्य के क्षेत्र में ही बनता है।

साहित्य के प्रति दो दृष्टिकोण हैं-समाजवादी और व्यक्तिवादी। मुझसे कोई वोट देने के लिए कहे तो मैं व्यक्तिवाद को ही वोट दूँगा। ब्रह्माण्ड की चिन्ता हम अपने ऊपर क्यों ओढ़ें। उसकी चिन्ता करनेवाला कोई दूसरा है। काजी शहर के अन्दर क्यों मरे। वह अपनी फिक्र करे। स्वधर्माचरण करने के लिये हमारे पास अपने 'स्व' के अतिरिक्त और क्या है जिस पर हम भरोसा करें। हम अम्बण्ड की साधना करने में यदि अपने प्रति ईमानदार हैं तो कौन कह सकता है कि हमसे भल सी होती हुई जो चीज लगती है वह अम्बण्ड का साधक नहीं हैं। वास्तव में यहीं पर साहित्य राजनीति से श्रेष्ठ हो जाता है। सभी राजनीति दुनिया की व्यवस्था पहले सँभालती है तब व्यक्ति को सुखी बनाती है, अर्थशास्त्र पहले पंचवर्षीय योजना बना लेता है, उसी ढाँचे में जीवन को डालता है, मानो कल्याण मानवता के करने की चीज न हो, अर्थशास्त्रियों के द्वारा बनाई जानेवाली वस्तु हो, वह जीवन से सहज रूप से विकसित होनेवाली वस्तु न हो, hot-house plant हो। पर साहित्य व्यक्ति-चेतना को परिष्कृत कर, संस्कृत तथा संगठित कर विश्व की सुव्यवस्था में सहयोग देता है। अतः यह सहज होता है और हमारी कल्पना के समाज के निर्माण में सहायक होता है। उसके द्वारा जो कल्याण होता है, उसमें म्यायित्व होता है और वह विकामशील होता है। हम भावी अहिंसक समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो इसके लिये मार्ग यही है जो साहित्य ने दिखलाया है। नवि ही सच्चा अष्टा है। जब किसी ने कहा था—

'अपारे खलु संसारे कबिरेब प्रजापतिः'

तो हमने विश्वास नहीं किया था। अथवा हाल के एक शायर ने कहा—

खींचो न कमारों को न तलवार निकालो।

जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो ॥

तो उसने झूठी बात नहीं कही थी। हम, जितना ही शीघ्र इसकी सत्यता को स्वीकार कर और इस पर अमल करें उतनी ही जल्दी विश्व को शान्ति के समीप लाने में सफल होंगे।

मानवता के विकास के इतिहास को देखा जाय तो पता चलेगा कि वह सदा ही अहिंसा की ओर बढ़ता रहा है। समाज का अर्थ ही है अहिंसा अर्थात् स्व का पर में विलयन तथा 'पर' का 'स्व' में स्वीकरण अर्थात् द्वैत भाव को मिटा कर अद्वैत चिन्मय तत्त्व की खोज। अहिंसा का प्रायः अभावात्मक अर्थ लिया जाता है कि हिंसा का अभाव। मतलब अहिंसा वह है जो हिंसा न हो। पर अहिंसा का एक भावात्मक पहलू भी होता है, उसका अपना स्वरूप भी होता है। वह हिंसा से ही रूप नहीं ग्रहण करता। प्रकाश केवल अंधकार का अभाव नहीं है। वह स्वयं में ही कुछ है।

गांधी-टंडन और राष्ट्रभाषा की समस्या

हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने का प्रश्न पहले-पहल भारत के अहिंदी-भाषी नेताओं ने ही उठाया। दक्षिण अफ्रिका के प्रवास में लौटकर जब श्री मोहनदास-कर्मचंद गांधी स्वदेश आए और एक बार सारे भारतका भ्रमण कर यह: की भाषासमस्यासे परिचित हो गए तब उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का स्वर काफी ऊँचा किया। गांधी जी के प्रभाव के साथ-साथ हिंदी का राष्ट्रीय महत्व भी बढ़ता गया। स्थायी रूप से अफ्रिका-प्रवास में भारत आने के पूर्व भी उन्होंने १९०८ ई० में, अपने "हिंद-स्वराज्य" में राष्ट्रभाषा हिंदी के औचित्य का प्रतिपादन किया था। गांधी जी नागरी लिपि में लिखी हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे, पर पीछे चलकर उन्होंने यह अनुभव किया कि मुसलमानों को मिलाये बिना भारत से अंग्रेजों को निकालना बड़ा कठिन है। अंग्रेजों ने यह नीति बना रखी थी कि हिंदू और मुसलमानों दोनों को विभक्त बनाये रखना ही ब्रिटिश सरकार के लिए कल्याणकारी है। मुसलमानों ने उर्दू भाषा तथा फारसी लिपि को सांप्रदायिक रूप दे दिया था। यो यह बात अलग थी कि पंजाब के हिंदू साधारणत उर्दू-फारसी का ही व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि अपने धर्म-ग्रन्थों का पारायण भी वे उर्दू-फारसी के माध्यम से ही करते थे। स्वामी दयानंद के आर्य-समाज के प्रभाव के कारण आर्यभाषा-हिंदी का प्रचलन धीरे-धीरे पंजाब में बढ़ रहा था। यह बात समझ में आने लगी थी कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की। इसके पूर्व भाषा को सांप्रदायिक आधार नहीं मिला था। बिना धार्मिक भेद-भाव के उर्दू-फारसी पंजाब में व्यपक रूप से प्रचलित थी, और दूसरी ओर भारत के पूरब बंगाल प्रदेश के मुसलमान संस्कृत-गर्भित बंगला भाषा को अपनी जातीय भाषा के रूप में मान्यता दे रहे थे। आज भी उनकी यह मान्यता कट्टर बनी हुई है। पाकिस्तान सरकार की राज-भाषा उर्दू अब तक वहाँ अच्छी तरह आदृत नहीं हो सकी है।

साहित्य समन्वयकारी होता है। उसमें जातिगत, धर्मगत, देशगत भेद नहीं होता। यही उसकी सच्ची कसौटी है और यही उसका साधारणीकरण भी है जिससे विश्व-साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य का बाहक या माध्यम भाषा है। जब उस पर राजनीति हावी हो जाती है तब उसमें भेद पैदा हो जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की राजनीति में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। यही स्थिति भारत की भी रही। गांधीजी ने स्वराज्य के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता को अनिवार्य माना। इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा के स्वरूप को उन्होंने हिंदी-

उर्दू तथा नागरी-फारसी से निर्मित करना चाहा। हिंदी का नाम बदलकर उन्होंने हिंदी-हिंदुस्तानी रखा। इतने से भी जब मुसलमानों को संतोष नहीं हुआ तब उन्होंने केवल हिंदुस्तानी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में देश के सम्मुख प्रस्तुत किया। नाम में भी मतभेद था, पर उनके स्वरूप का विवाद नाम से भी बढ़ा-बढ़ा था। हिंद की भाषा हिंदी और हिंदुस्तान की भाषा हिंदुस्तानी, ये दोनों ही नाम विदेशी हैं, पर भारतीय जीवन के साथ इतने घुल-मिल गए हैं कि उनके विदेशीपन का बोध नहीं होता। जब हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा के स्वरूप पर विचार किया जाता है तब अंतर स्पष्ट हो जाता है। हिंदी वह भाषा मानी गई जिसमें संस्कृत के तरसम-तद्भव शब्दों का मिश्रण हो और हिंदुस्तानी भाषा वह हुई जिसमें अरबी-फारसी के शब्दों का बाहुल्य हो। मुसलमानों को संतुष्ट करने के विचार से गांधीजी ने भारत की राष्ट्रभाषा के स्वरूप के सबंध में अपना यह विचार प्रकट किया—

“हिंदी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिंदी एकदम सस्कृतमयी नहीं है, न यह एकदम फारसी शब्दों से लदी हुई है। भाषा वहीं श्रेष्ठ है जिसको जनममूह सहज में समझ ले। देहाती बोली सब समझते हैं। भाषा का मूल करोड़ों मनुष्य रूपों हिमालय में मिलेगा, और उसमें ही रहेगा। हिमालय में निकली गंगाजी अनंत काल तक बहती रहेगी। ऐसा ही देहाती हिंदी का गौरव रहेगा और जैसे छोटी-सी पहाड़ी से निकला झरना सुख जाता है वैसे ही संस्कृतमयी तथा फारसीमयी हिंदी की दशा होगी।

“हिंदू-मुसलमानों के बीच जो भेद किया जाता है वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता हिंदी व उर्दू भाषा के भेद में है। हिंदुओं की बोली से फारसी शब्दों का सर्वथा त्याग और मुसलमानों की बोली से संस्कृत का सर्वथा त्याग अनावश्यक है। दोनों का स्वाभाविक सगम गंगा-यमुना के सगम-सा शोभित और अचल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम हिंदी-उर्दू के झगड़े में पड़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे।

“लिपि की कुछ तकलीफ जरूर है। मुसलमान भाई अरबी लिपि में ही लिखेंगे, हिंदू बहुत करके नागरी लिपि में लिखेंगे। राष्ट्र में दोनों का स्थान मिलना चाहिए। अमलदारों को दोनों लिपियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। अतः मैं जिस लिपि में ज्यादा सरलता होगी उसकी विजय होगी। व्यवहार के लिए एक भाषा होनी चाहिए। इसमें कुछ सदेह नहीं है।”

गांधीजी ने अपना यह विचार सन १९१० ई० में इंदौर में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से व्यक्त किया था। पुनः सन् १९३५ ई० में, सम्मेलन के इंदौर-अधिवेशन में ही उन्होंने लगभग ऐसा ही विचार व्यक्त किया था। मुसलमानों को भारत के स्वाधीनता-संग्राम में समभागी बनाये रखने के लिए गांधीजी राष्ट्रभाषा के स्वरूप-निर्माण के बारे में बहुत दूर तक आगे बढ़े। देश के दुर्भाग्य से मुसलमानों को वे अनंत मिला नहीं सके।

आवाह—भारतवासी, शक १८९१]

गांधीजी ने उर्दू को स्वतंत्र भाषा की मान्यता नहीं दी। वे उसे हिंदी की ही एक शैली मानते रहे, केवल लिपि की भिन्नता को स्वीकार किया। गांधी जी नागरी लिपि की विशिष्टता से परिचित थे। वे उसे देश की सभी प्रांतीय भाषाओं के लिए सामान्य लिपि बनाने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि यूरोप विभिन्न राष्ट्रों का भू-भाग है, जब समूचे यूरोप में रोमन लिपि का ही प्रचलन है तब भारत-जैसे एक राष्ट्र में सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक नागरी लिपि नयी नहीं चल सकती ?

गांधीजी के सम्मुख केवल एक ही प्रश्न था—वे भारत की राष्ट्रीय एकता चाहते थे जिसके बिना स्वराज्य प्राप्त करना संभव नहीं था। इतना होने पर भी, गांधीजी के हृदय प्रयत्न का मुसलमान शंका की दृष्टि से देखते थे। उर्दू नाम को हटाने के लिए मुसलमान तैयार नहीं थे। इधर गांधीजी थे जो उर्दू भाषा तथा उसके नाम को हिंदुस्तानी में ही समाहित रखना चाहते थे। केवल उर्दू की पृथक् लिपि फारसी को उन्होंने स्वीकार किया। यह ध्यान देने की बात है कि फारसी भाषा तथा फारसी लिपि से मुस्लिम धर्म का कोई संबंध नहीं है। यदि मुसलमानों का कुछ संबंध हो सकता है तो वह अरबी भाषा तथा उसकी लिपि से ही है। एक समय भारत में फारसी भाषा तथा फारसी लिपि को मुस्लिम बादशाहों का राजकीय संरक्षण प्राप्त था, इसी कारण फारसी भाषा तथा फारसी लिपि से मुसलमानों ने अपना संबंध बनाया रखा है। फारसी आर्यकुल की भाषा है, पर वह विदेशी है। उर्दू की अपनी कोई लिपि नहीं थी, अतः उसने फारसी लिपि को अपना माध्यम बनाया। उर्दू भाषा भारतीय है, पर उसकी फारसी लिपि विदेशी है। यो कहा जाय तो इस्लाम भी एक विदेशी धर्म है, पर इतना मानना ही चाहिए कि जो मुसलमान भारत में जन्मे हैं, भारत के भूगोल, इतिहास, परंपरा, संस्कृति से संबंध बनाये हुए हैं वे शुद्ध रूप से भारतीय हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अधिकांश मुसलमान द्विराष्ट्र का सिद्धांत मानते हैं और अपने को विजेता जाति की संतान समझते हैं।

गांधीजी ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं माना, पर उनके नहीं मानने पर भी द्विराष्ट्र-सिद्धांत की ही विजय हुई। भारत के दो खंड हुए—हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान। और यह दुर्घटना गांधीजी के जीवन-काल में ही घटी, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए उन्हें इतना अधिक मूल्य चुकाना पड़ा।

अखिल भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना सन् १९१०ई० में काशी में, महामना मालवीयजी की अध्यक्षता में हुई थी। सम्मेलन के स्थापना-काल से लेकर, अनेक वर्षों तक, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन उसके प्रधान मंत्री बने रहे। टंडन जी सम्मेलन के केवल प्रधान मंत्री ही नहीं थे, वे सम्मेलन के सब-कुछ थे और मृत्यु-पर्यन्त उसकी हित-साधना में साँस लेते रहे।

जब कर्मवीर गांधीजी ने भारत को पराधीनता के बंधन से मुक्त करने के लिए कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली तब देश के कुछ राष्ट्र-प्रेमियों के आग्रह से गांधीजी ने दो-दो बार हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की अध्यक्षता की और सारे देश में सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र

भाषा हिंदी के प्रचार के लिए काम करना शुरू किया। हिंदी-प्रचार को वे स्वराज्य-प्राप्ति का ही साधन मानते थे। इस प्रचार-कार्य में टंडनजी उनके एक प्रमुख सहायक थे। सारे देश में हिंदी-प्रचार के लिए सभा-समितियाँ गठित की गईं। बड़े उत्साह से काम आगे बढ़ा। उस समय हिंदी पढ़ना-पढ़ाना एक राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाता था। अपने बताये हुए रचनात्मक कार्यों की तालिका में गांधी जी ने हिंदी-प्रचार तथा मातृभाषा-प्रेम को बहुत महत्व दिया।

गांधी जी हिंदी भाषा या उसके साहित्य को मात्र भाषावैज्ञानिक या साहित्यिक दृष्टि से नहीं देखते थे। वे उसे स्वराज्य-प्राप्ति के एक साधन रूप में प्रयुक्त करना चाहते थे। अपनी मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व उन्होंने ता० २५ जनवरी, '४८ ई० के 'हरिजन-सेवक' में लिखा—“लिपियों में मैं सबसे आला दरजे की लिपि नागरी को ही मानता हूँ। यह कोई छिपी बात नहीं है। यहाँ तक कि मैंने दक्षिण अफ्रीका से गुजराती लिपि के बदले में नागरी लिपि में गुजराती खत लिखना शुरू किया था। इसे मैं समय न मिलने के कारण आज तक पूरा न कर सका। . . .

“हिन्दुस्तानी के बारे में मेरा पक्षपात है सही। मैं मानता हूँ कि नागरी और उर्दू लिपि के बीच अतः मैं जीत नागरी लिपि की ही होगी। इसी तरह लिपि का ख्याल छोड़कर भाषा का ही ख्याल करें तो जीत हिन्दुस्तानी की ही होगी। . . .

“... खूबी यह है कि पहले-पहल जब हिंदी साहित्य-सम्मेलन में मैंने हिंदी की व्याख्या की तब उसका विरोध नहीं के बराबर था। विरोध कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास बड़ा कठिना-जनक है। मैं उसे याद भी रखना नहीं चाहता। मैंने यहाँ तक बताया था कि हिंदी-साहित्य-सम्मेलन नाम ही राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए सूचक नहीं था, न आज भी है। लेकिन मैं साहित्य के प्रचार की दृष्टि से सदर नहीं बना था। स्व० भाई जमनालाल जी और दूसरे अनेक मित्रों ने मुझे बताया था कि नाम चाहे कुछ भी हो, उन लोगों का मन साहित्य में नहीं था; उनका दिल राष्ट्रभाषा में ही था और इसलिए मैंने दक्षिण में राष्ट्रभाषा का प्रचार बड़े जोरों से किया।

“उपवास के छठे दिन प्रातःकाल में प्रार्थना के बाद मैं यह लेटे-लेटे लिख रहा हूँ। कितने ही दुखदायी स्मरण ताजा होते हैं, पर उन्हें और बढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। . . .”

राष्ट्रपिता बापू ने अपने जीवन-भर जिस विश्वास के साथ अपनी कल्पना को साकार करने के लिए काम किया उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। हिंदू-मुस्लिम एकता के आधार पर भारत की अखंडता बनी नहीं रह सकी। नागरी-फारसी दोनों लिपियों में लिखी हिन्दुस्तानी भारतीय राष्ट्र की संघीय भाषा नहीं बन सकी। भारतीय संविधान में नागरी लिपि में लिखी हिंदी को ही संघीय भाषा की मान्यता मिली। अरबी-फारसी मूल के शब्दों को छोड़कर केवल संस्कृत-मूल के शब्दों से ही संघीय भाषा के स्वरूप को निर्मित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपिता का स्वप्न भंग हुआ। अंगरेजी को भी न हिंदी भगा सकी, न हिन्दुस्तानी। वह जमकर देश की छाती पर बैठे हैं।

इसी प्रसंग में एक दूसरे दृश्यपट की याद आती है। राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन परम देश-भक्त थे, उत्कट हिंदी-प्रेमी थे। इनका चरित्र गांधीजी के समान ही महान् था। जिस

आचार्य-सार्गशीर्ष, शक १८९१]

प्रकार गांधीजी अपने विश्वास के साथ जिस वस्तु को पकड़ते थे उसे जल्दी छोड़ते नहीं थे, उसी प्रकार टंडन जी भी अपने विचारों में बड़ी दृढ़ता रखते थे। टंडन जी हिंदू-मुस्लिम एकता के बड़े हिमायती थे, वे गांधीजी की तरह भाषा के संबंध में मुसलमानों को लंबी झोर देने को तैयार नहीं थे। टंडन जी उर्दू भाषा के विरोधी नहीं थे, प्रत्युत उसके समुचित विकास को आवश्यक मानते थे। जैसा कि गांधीजी के विचारों से स्पष्ट है, गांधीजी राष्ट्रभाषा के स्वरूप को भारत के हिंदू-मुसलमानों की एकता के आधार पर निश्चित करना चाहते थे। परिष्कृत राजनैतिक परिस्थितियों के कारण गांधीजी को राष्ट्रभाषा के स्वरूप में परिवर्तन करना पड़ा। राजर्षि टंडन इससे पूर्णतः सहमत नहीं थे। वे हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकृत कर राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षपाती नहीं थे।

सन् १९४०-४१ ई० से ही गांधी जी हिंदुस्तानी पर ज्यादा जोर देने लगे थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन से अपना सम्बंध-विच्छेद करने के पूर्व उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि सम्मेलन पर हिंदुस्तानी-विचारवालों का आधिपत्य हो जाय और इसीलिए देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद को उन्होंने सम्मेलन के अध्यक्ष-पद के प्रत्याषी के रूप में सजा होने के लिए प्रेरित किया। राजेन्द्र बाबू को गांधीजी के आदेश को शिरोधार्य करना पड़ा, पर वे निर्वाचन में पराजित हो गए और हिंदी के नाम पर डॉ० अमरनाथ झा विजयी हुए। उसके बाद अगस्त-आंदोलन का सिलसिला तीन चार वर्षों तक चलता रहा। आंदोलन समाप्त होने पर गांधी जी ने ता० २८ मई ४५ ई० को राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन के नाम एक पत्र भेजकर अपना यह विचार व्यक्त किया कि "जब मैं सम्मेलन की भाषा और नागरी लिपि को पूरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूँ तब मुझे सम्मेलन मे से हट जाना चाहिए, ऐसी दलील मुझे योध्य लगती है। इस हालत में क्या सम्मेलन से हटना मेरा फल नहीं होता है? ऐसा करने से लोगों को दुविधा न रहेगी और मुझे पता चलेगा कि मैं कहां हूँ।"

टंडन जी ने ता० ८ जून ४५ ई० को गांधीजी के पत्र का उत्तर देते हुए उन्हें सूचित किया कि "हिंदी-साहित्य-सम्मेलन और हिंदुस्तानी-प्रचार-सभा के कामों में कोई मौलिक विरोध मेरे विचार में नहीं है। आपको स्वयं हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का सदस्य रहते हुए लगभग २० वर्ष हो गए। इस बीच आपने हिंदी-प्रचार का काम राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया। वह सब काम गलत था, ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे। राष्ट्रीय दृष्टि से हिंदी का प्रचार वांछनीय है, यह तो आप का सिद्धांत है ही। आप के नये दृष्टिकोण के अनुसार उर्दू-शिक्षण का भी प्रचार होना चाहिए। यह पहले काम से निम्न एक नया काम है जिसका पिछले काम से कोई विरोध नहीं है। सम्मेलन हिंदी को राष्ट्रभाषा मानता है। उर्दू को वह हिंदी की एक शाखा मानता है जो विशिष्ट जनों में प्रचलित है।"

टंडनजी ने अपना विचार व्यक्त करते हुए अपने पत्र के अंत में लिखा कि "मुझे जो बात उचित लगी, ऊपर निवेदन की। किंतु यदि आप मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और आप की आत्मा यही कहती है कि सम्मेलन से अलग हो जाऊँ तो आप के अलग होने की बात पर बहुत खेद होते हुए भी नतमस्तक हो आपके निर्णय को स्वीकार करूँगा।"

जिस प्रकार गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा, नागरी और फारसी लिपि पर अटल थे उसी प्रकार टंडन जी भी हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि पर दृढ़ बने हुए थे। यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि गांधी जी ने शुरू-शुरू में अपने प्रभाव से हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि को सारे देश में प्रचलित करने में सबसे अधिक हिस्सा लिया। यह सब उन्होंने भारत के स्वराज्य के लिए विश्वास-पूर्वक किया। टंडनजी ने भी हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप तथा नागरी लिपि को अक्षुण्ण बनाये रखने की बड़ी सफल चेष्टा की। आज दोनों ही महापुरुष हमारे बीच में नहीं हैं, पर दोनों की महत्वपूर्ण सेवाओं से भारतीय राष्ट्र कृतज्ञ है।

बापू को खड़ीबोली के कवियों की पुष्पांजलियाँ

भारत के सांस्कृतिक जीवन की जितनी मशकत एवं सजीव अभिव्यक्ति वर्तमान युग में बापू के जीवन द्वारा हुई, अन्यत्र दुर्लभ है। बापू ने जीवन के मूल्यों का निर्धारण उस सांस्कृतिक रूप में किया था जिसमें सत्य, अहिंसा, आत्मबलिदान तथा आत्मत्याग की भावना सर्वोपरि है। सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्वबन्धुत्व, विश्वकल्याण, विश्वशान्ति, समष्टिगत सहिष्णुता आदि मानव-जीवन को उदात्त भावनाओं को उन्होंने जिस व्यावहारिक रूपमें अपना कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में घटाया वह केवल भारत ही के लिये नहीं, समस्त विश्व के लिये एक आश्चर्यजनक वस्तु है। आत्म-सुख-अर्जन की महत्वाकांक्षाओं से अछूता बापू का जीवन इस पृथ्वी की अपेक्षा दिव्यलोक से उतरी किसी अवतार-आत्मा सा प्रतीत होने लगता है या किसी माण्डव ऋषि के शापवश मानों धर्मराज ही पुनः बिदुर के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। (सांसारिक आकर्षणों से निलिप्त रहते हुए धृतराष्ट्र के राजमंत्री महात्मा बिदुर ने संपूर्ण जीवन कुरुराज्य की रक्षा-रहित तथा उनकी निःस्वार्थ सेवा में समर्पित किया था।) तटस्थ दृष्टि से देखा जाय तो बापू के व्यक्तित्व में उपलब्ध मानवीय गुणों का चरमविकास कोई नवीन वस्तु नहीं है। भारतीय ऋषि-मुनियों के तप-पूत त्यागमय जीवन की अनेक दिव्य तथा परोपकार पूर्ण गाथायें इस पृथ्वी के वायुमण्डल में आज भी प्रवाहमान हैं। बापू के जीवन में जो आश्चर्यजनक है वह यह कि आकांक्षाओं तथा महत्वाकांक्षाओं से पूर्ण आधुनिक समाज में रहकर एवं मृत्यु पर्यन्त संघर्षमय कर्मरत जीवन जीते हुए भी इस वायुमण्डल की गन्ध से वे बिलकुल अछूते निकल गये। आत्मसुख या स्व के नाम पर केवल राष्ट्रसुख या राष्ट्र-हित ही उनके प्राणों की ज्योति बने थे। राष्ट्र की अपनी आत्मा की पहचान मानकर देखने का वह भाव ही वस्तुतः अलभ्य है, अनमोल है। न यश की अभिलाषा, न ऐश्वर्य की चाह। रबासों के झंझट तारों में कोई गुंज थी तो वह थी एक सुखद 'स्वराज्य' जिसकी प्राप्ति और सेवा में ही बापू के जीवन की एक-एक बूद चुक गई। मन की कितनी कठोर साधना एवं एकाग्रता का परिणाम बापू का यह तप-पूत जीवन था इसे बापू या उनके भगवान् के अतिरिक्त सम्भवतः कोई नहीं जान सकता।

सहज ही में उपलब्ध ऐसे वेदपुरुष के जीवन से अनेक लेखक एवं कवि भाव विगलित हुए हैं। कहीं बापू की अहिंसा कवि के मन और प्राण को सुवासित कर रही है, कहीं उनका सत्य में अटल विश्वास काव्य में आलोकित हो रहा है। कहीं उनकी हुंकार काव्य का मेरुदण्ड बन रही है। कहीं

कवि का भाव-विह्वल हृदय ही युग-चरणों में समर्पित हो जाना चाहता है। तात्पर्य यह है कि कवियों की अंजलियों से अनेक छोटे बड़े भाव-सुमन बापू की काव्य-प्रतिभा के चरणों में धरे हैं।' सर्व-प्रथम कवि रामनरेश त्रिपाठी ने 'पथिक' काव्य में एक देश प्रेमी युवक के हृदय की तड़प को काव्य-कथा का आधार बनाया। कथा का रूपक देश की तत्कालीन अवस्था के अनुरूप है। अहिंसा, असहयोग, आत्मबल आदि उन सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति 'पथिक' के चरित्र द्वारा हुई है जो तत्काल गांधी जी के चरित्र में मूर्त हुई। 'पथिक' काव्य में महात्मा गांधी के असहयोग-आन्दोलन को मूर्तरूप दिया गया है। महात्मा गांधी ने इस काव्य को कई बार पढ़ा, इस काव्य की कई लाल प्रतियाँ हिन्दी संसार में बिकी हुई, इसीसे इसकी लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस काव्य की प्रत्येक पंक्ति में तत्कालीन वातावरण का चित्रण बड़ा ही अनूठा और चमत्कारिक ढंग से हुआ है।

राजनीतिक दृष्टि से गांधी जी का जीवन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अनेक ऐतिहासिक आन्दोलनों एवं सत्याग्रहों की कहानी है। गांधी जी के नेतृत्व में दासता के विरुद्ध राष्ट्र-प्रेम की ऐसी हिलोर भारतीय जन-मानस में उठी थी कि संपूर्ण भारतवर्ष विदेशी शक्ता से टक्कर लेने के लिए एक झण्डे के नीचे आ लड़ा हुआ था। जनसंगठन का वह चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि ने कृष्ण के रूप में बापू की कल्पना की—

आकर यहाँ बह सधुर उनकी सोहनी बंसी बजी।

सुनकर जिसे गिरिधारिणी गोपाल रण सेना सजी ॥'

राष्ट्रनायक के गौरवमय व्यक्तित्व की कवि गोकुलचन्द्र शर्मा ने प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की है। वंश-वर्णन तथा बाल्यकाल से लेकर सन् १९१६ तक की राजनीतिक जीवन की घटनाओं का सजीव वर्णन "गांधी गौरव" में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के अन्यायों के विरुद्ध गांधी जी के अभियान की कहानी, जेल जीवन के कष्टों, गांधी जी के नेतृत्व में जनता के सत्याग्रहों तथा नर-नारियों के उत्साह का चित्रण गांधी जी के नायकत्व की पृष्ठभूमि में हुआ है। आस्था से पूर्ण उनकी टेक में कवि को राम के वन-गमन के महत्त्व की सी अनुभूति हुई—

१. प्रबन्ध काव्य—“महाभाग” ठाकुरप्रसाद सिंह, “जननायक” रघुबीर शरण मिश्र, “जगदालोक” गोपालशरण सिंह। लच्छकाव्य—, “गांधी गौरव” गोकुलचन्द्र शर्मा, “बापू” सियारामशरण गुप्त, “बापू” रामधारी सिंह, “दिनकर” “मेरे बापू” तन्मय बुलारिया।

स्फुट कविताओं की तो इयत्ता ही नहीं। सुमित्रानन्दन पन्त, हरिबंशराय बघवन शान्तिप्रिय द्विवेदी, भास्करलाल बसुबेदी, बालकृष्ण शर्मा मधीन, नरेन्द्र शर्मा, “अंचल” आदि अनेक कवियों ने गांधी जी की महिमा तथा गुणों का गान अपनी कविताओं में किया है।

२. गांधी गौरव, पृ० ३७, गोकुलचन्द्र शर्मा।

प्रबन्ध—मार्तण्डिक, शक १८९१]

गांधी, तुम्हारी टेक किस अधिक को न विवेक है
श्रीराम के जनमन से क्या प्रिय अधिक अधिक है।

युगनेता के उर्जस्वित चरित्र का गान कवि सियारामद्वारा गुप्त द्वारा "बापू" लण्डकाव्य में हुआ है। काव्य की इककीस कविताओं में घटना-वर्णन के साथ-साथ बापू के सर्वोच्च गुणों की प्रशस्ति में श्रद्धा एवं भावपूर्ण उद्गार उल्लेखनीय है। दया के दूत को पाकर भारतभूमि धन्य हो उठी—

धन्य माय्य प्रभु की दया से हे क्या-भूत
ऐसे में हुए तुम प्रादुर्भूत
लज्जा के निवारण-से
बूबते हुए मैं समुत्तारण-से।
हाथ में तुम्हारे प्रेम-मन्त्र-भूत
शोभित अमल सूत
देखकर नूतन अभय में
आशा बंधी विश्व के हृदय में।

वे निखिल बन्धु हैं, उनके स्वर की वीणा में केवल एक ही रसलीन है—बहु रस है प्रेम-रस—
अपने जीवन का स्वरस दान करके प्रेम के सुकोमल पुष्प को सींचा। वे लोक-गुरु हैं, लोक के पुंजी-
भूत अछूतपन के उद्धारक हैं, जीवन की रुचिरता का एक मात्र आधार हैं। इतना ही नहीं पूर्वजों
के सभी गुण भी मानों बापू के व्यक्तित्व में समाहित हो गये हैं—

प्राप्त इसे दूर के अतल में
सत्य हरिश्चन्द्र की अटलता
श्री प्रह्लाद की अनन्त-भक्ति-समुच्चलता
भीष्म की अमूढी ब्रह्मचरता।^१

इसी भांति कवि की भावधारा अनेक स्थलों पर शतशः लण्डों में विभक्त होकर फूट पड़ी है।

रामधारी सिंह 'दिनकर' ने गांधी जी को अतिमानवीय एवं अलीकिक मानकर उनके चरणों में ("बापू" काव्य में) पत्र-पुष्प चढ़ाये हैं। बापू मानवता के पुजारी, क्षान्तिदूत तथा बन्धनीय हैं। "बापू" लण्ड काव्य में जहाँ एक ओर विशाल मानवता के इतिहास के कुछ चित्र

१. बापू, पृ० ५० सियारामद्वारा गुप्त।

२. "बापू", पृ० ६५, ६६।

कवि ने धानबत्ता के रक्षक के प्रति भावनामय उद्गार प्रकट किये हैं, वहां "महाबलिवान" के छन्दों में कवि के आकुल हृदय की छटपटाहट प्रकट हुई है।

महापुरुषत्व से आगे कवि बापू में देवत्व की प्रतिष्ठा करता है। उसका विराट् रूप जैसे कवि के छन्दों में समा ही नहीं पाता—

तू कार्लोबधि का महा स्तंभ
आस्था के नभ का तुंग केतु
बापू! तू मर्त्य-अमर्त्य
स्वर्ग-भूमी भू नभ का महासेतु।'

राष्ट्रीय जन जागरण की ऐतिहासिक महागाथा के सूत्रों में अनुस्यूत गांधी के जीवन की सूक्ष्मा-भिष्यक्ति ठाकुरप्रसाद सिंह के प्रबन्ध काव्य 'महामानव' में हुई है। दक्षिण अफ्रीका संग्राम के प्रथम अभियान से लेकर रक्त-रंजित नौआखाली में बापू के जाने तक की ऐतिहासिक जीवन-घटनाओं का समावेश हुआ है। मध्ययुग में राजपूत वीरों की वीरता, शारीरिक शक्ति की वीरता-में थी। युद्ध-सघर्ष में प्राणोत्सर्ग करके जननी-जन्म-भूमि की रक्षा के संदर्भ में उनके वीरत्व की परख होती थी। किन्तु बापू ने युद्धीय सघर्ष की अपेक्षा कर्मरत सघर्ष एवं आत्म-शक्ति के द्वारा सन्तु पर विजय प्राप्ति का नारा दिया। यह सर्वथा एक नवीन चेतना थी। साहस, आत्मशक्ति तथा दृढ़ता का अर्थ ही बापू के शब्द-कोष में सफलता एवं जीत थी। कवि ने इस विचारधारा को निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्ति दी—

साहस दृढ़ता आत्मशक्ति
का अर्थ सफलता जीत
बड़ी एक ही राह बची
मर जिंदे न हों भयभीत।'

और बापू की यह ललकार ही तत्कालीन देशभक्तों की मानो जीवन-साधना बन गई थी। ब्रिटिश-शासकों का नृशंसतापूर्ण व्यवहार भी कृतमंकल्प इन वीरों के उत्साह को किसी प्रकार भी

१. "बापू", पृ० ३३।

२. कवि ने भी कविता में यह बात कही है—

आज शस्त्र साथ युद्ध, मानव का मानव मन का
बड़ी विजय की राह गिर रहा खून जामरित जन का।।

—"महामानव" सर्ग छठवां

३. "महामानव"।

आस्था—मार्च/अप्रैल, स.क. १८९१]

कम नहीं कर सका था। संगीनों के मुकाबले में खुली छातियाँ—कैसा रोमांचकारी अटल व्रत था इन सपूतों का—

ऊपर नीला आसमान
नीचे धरती असह्य
खड़े लिये तुम शान्त लहर सागर की
भर उन्मेष
उठने दो तुम उन्हें धरा पर
दुन्द बांध कर
शास्त्र हिलाले
धोष उठाते
खून गिराते
खड़े रहो तुम ओ मेरे आदर्श
कि जैसे गहन यह कालार
उन्हें भोकने दो संगीने
और चलाने दो मशीनगन
गोला गोली
किन्तु अबल तुम !'

ब्रिटिश सरकार परेशान थी। जितने गिरने हैं उनसे दूनों की कतार फिर सम्मुख आ अड़ जाती है। आखिर मंत्रदाता को जनता से अलग कर कठोर कारावास में रक्खा गया। न होगा बास न बजेगी बांसुरी। किन्तु बापू के लिये बन्धन भी बन्धन नहीं रहे। करोड़ों भारतवासियों के प्राणों में उनके प्राण रहा करते थे। पवन की मुक्त साँसों में बापू की आवाज गूँजा करती थी। कवि शान्तिप्रिय द्विवेदी ने ऐसे बन्दी बापू को "मुक्त बन्दी" कहकर पुकारा है।^१ अपने प्रेरक के दर्शनों

१. "महामानव", सर्ग नवाँ, ठाकुरप्रसाद सिंह।

२. बन्धन, उसको क्या बन्धन ? तन मन जिसका सकल समाज।
अरे उसे तो बाँधे हैं बस इन श्लोपड़ियों की ही लाज।।
आज करोड़ों के प्राणों में करता है जो निशिचिन राज।।
कीन उसे बाँधेगा वह तो है सिरताजों का सिरताज।।
भुवन-भुवन में एक उसी के तो सब बुझरते हैं गान।
कैसे कैसे तू बाँधेगा ओ मरमाते पशुबल नादान।।
बाहू रहे हैं भारत भू के कण-कण भी होना आचाव।
बिटप बिटप में यही प्रतिध्वनि बाँधेगा कैसे सैम्याव।।

के लिये भारतीय जनता बेचैन रहती थी। नगर-नगर ग्राम-ग्राम से आकर नर-नारी, बाल-बूढ़ घण्टों पूर्व अपने देवता के दर्शनों के लिये पथ के दोनों ओर बैठ जाया करते थे। एक ऐसे ही दृश्य का वर्णन सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी एक लम्बी कविता में किया है—

बुढ़ रात रात भर नारी नर
बैठे उत्सुक पथ में आकर
कब रथ निकले सज धज घारी
बल ग्राम ग्राम से नगर नगर से
बूढ़ बाल आए अगमित
करने को शोचन सफल आज
भर वैद्य प्रेम से पावन चित्त।^१

बापू का जीवन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अनेक ऐतिहासिक आन्दोलनों एवं सत्याग्रहों की कहानी है। इन सत्याग्रहों में दांडी का ऐतिहासिक अभियान बापू एवं भारतीय जनसंग्राम के राग का चरम स्वर है। अनेक काव्य-रचनाओं में डांडी यात्रा का वर्णन हुआ है।^१ गांधी जी की आत्मदृढ़ता एवं आत्मविश्वास की एक यह बहुत बड़ी विजय थी।

ऐसे अटल बतधारी के लिये कवि जन जो भी कह दे कम प्रतीत होता है। किस प्रकार वह अपने हृदय के उद्गार उसे अर्पण करे वह मानों यही सोचता सा बैठा रह जाता है और तभी उसे अपने संपूर्ण अतीत के दर्शन इस ज्योतिपुत्र में होने लगते हैं। परमार्थ का आदर्श दधीचि मुनि ने प्रस्तुत किया था। कवि की वाणी में गांधी आधुनिक युग के दधीचि हुए—

मुनिवर दधीचि तपश्चरण से पूत पृथ्वी गोब में
स्थापी तपोवन के चरित देते निमग्न प्रमोद में।^२

कवि "दिनकर" कृष्ण को ही बापू में खोज कर कह उठे—

बापू तू कलि का कृष्ण
बिकल आधा जालों में नीर लिये

बन्द रहे वह बूढ़ तपस्वी चाहे खोलों में ही आज।

किन्तु पवन की मुक्त सांस में गुंजेनी उसकी आवाज।।

—विद्याल-भारत, मई, १९३०

१. 'सरस्वती', मुम्बई, १९३९।

२. अनूप शर्मा, दृष्टी-प्रयाण, सरस्वती, बनबरी, १९३९।

३. गांधी गौरव, पृष्ठ १२५, मोकुलचन्द्र शर्मा।

बी लाज ड्रीपवी की जाती
केशव सा बीड़ा थीर लिये।'

राजा हरिश्चन्द्र का सत्य में ऐसा अटल विश्वास था कि उन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। कवि ने गांधी जी में भी उसी अटल विश्वास की प्रतिध्वनि सुनी थी, और राम के अनन्य भक्त बापू की भक्ति का चरम रूप भी कितना आकर्षक है कि भक्त प्रह्लाद की कल्पना मानों उन्हीं में साकार हो उठती है—“श्री प्रह्लाद की अनन्तभक्ति-समुज्वलता” और साथ ही “भीष्म की अनूठी ब्रह्मचरता”। तन्मय ‘बुखारिया’ ने भी राम के सौम्य क्षुचि साधक, मर्यादा के पाषाण लेख, लक्ष्मण की दुर्घर्ष टोक, सत्य युधिष्ठिर के श्रीमुख, अर्जुन के गाण्डीव धनुष तथा युग दधीचि युग हरिश्चन्द्र^३ कहकर बापू का यशोगान किया है। माखनलाल चतुर्वेदी,^४ हरिवंशराय बच्चन^५ नरेन्द्र शर्मा^६ “अंचल”^७ डा० शिवमगल सिंह ‘सुमन’,^८ आनन्द मिश्र^९ आदि आदि अनेकानेक कवियों ने बापू की अर्चना की है। सुमित्रानन्दन पन्त ने “बापू”^{१०} “महात्मा जी के प्रति”^{११} “बापू के प्रति”^{१२} “अभिवादन”^{१३} आदि कविताओं में गांधी जी के गुणों तथा आदर्शों का वर्णन किया है। सन्त महात्मा जग के बापू तथा हम दोनों के बापू^{१४} कहकर मैथिलीशरण गुप्त ने भी बापू के व्यक्तित्व को वाणी प्रदान की।

वर्षा से दूर सेवाग्राम की स्थापना करके बापू ने अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दिया था। सेवा, आत्म निर्मरता, कर्ममय जीवन, एकता, पारस्परिक स्नेह यहाँ के जीवन में इस प्रकार घुल मिल गये थे कि मनुष्य-मनुष्य के बीच दूरी अथवा ऊंच-नीच का भाव ही विलुप्त हो गया था। घास फूस की बनी झोंपड़ियों में बैठकर राष्ट्र के कर्णधार देश की समस्याओं को

१. “बापू”, पृष्ठ २१, रामधारी सिंह ‘दिनकर’।
२. “मेरे बापू”, पृष्ठ ४०, तन्मय बुखारिया।
३. हिमकिरीटिनी।
४. “सूत की माला”, “सादी के फूल”।
५. “रक्त चन्दन”।
६. “विराम चिह्न”।
७. “पर आँसू नहीं भरें”।
८. “हिमालय के आँसू”।
९. ‘विशाल भारत’, जुलाई १९३८।
१०. ‘सरस्वती’, मार्च १९४०।
११. ‘सरस्वती’ जनवरी १९४०।
१२. ‘सरस्वती’ फरवरी १९४५।
१३. ‘विशाल-भारत’, अक्टूबर १९३८।

सुलझाया करते थे। "सिवाग्राम" कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने बापू के इस घाम की महिमा के बीत गायें हैं। आश्चर्य चकित हुआ कवि मानो अपने ही से पूछ उठता है—

कौन यह तीर्थ घाम
आते दर्शनार्थी जहाँ प्रतिघाम
मन्दिर है कहाँ यहाँ ?
प्रतिमा वह कौन कहाँ ?
किसकी यहाँ महिमा है
किसकी यहाँ गरिमा है
रुचिमा बनी जहाँ भूलल की सब विभूति।
कौन वह दिव्य मूर्ति
बेती जो शक्ति-स्फूर्ति ?'

और यह दिव्यमूर्ति वस्तुतः दिव्य थी, सर्वस्व त्याग कर जन सेवा में अर्पित हो जाने वाली। कवि "बच्चन" इस मूर्ति को सबसे ऊँचा आसन देते हुए कहते हैं —

बेचक वह सब से ऊँचे पद का अधिकारी
कर दे उस पर अपना सब बैभव बलिहारी,
रीझेगा, पर, उन पर कब तक यह संसारी।
उसने सीखा है
सुख संपत्ति को
ठुकराना।'

और एक दिन वह सुबह भी आई, अश्रुपूर्ण नेत्रों से बापू के चरणों में, जिसने अपनी प्रथम किरण भेंट की। नियति की सूचना प्राप्त करके जब संपूर्ण प्रकृति हाहाकार कर उठी थी। दूसरी सुबह होने भी न पाई थी कि वह दिव्य आत्मा अपने ज्योति पुजमे विलीन हो गई। त्रिस्व बंधुत्व की ज्योति जगाते-जगाते बापू अपनी ही संतान के हाथों अश्रुण्ड समाधि बन गये। यहाँ भी मानो त्यागमय व्यक्तिस्व की ही शलक दे गये। जिस पीधे को अपने रक्त से सींचा था, सहलाया था, कलियाँ फूटती हुई देखने से पूर्व ही किसी योगी की तरह नाता तोड़ कर चल दिये। संपूर्ण भू मण्डल किफर्तव्य विमूढ़ हो गया और जब चेतना लौटी तो अश्रुओं का सागर ही उमड़ पड़ा। कवि का मन तो पुकार-पुकार कर इस महादेवता को महाप्राण के पथ से लौटा लाना चाहता है, नगराज उसका पन्थ

१. 'सिवाग्राम' कविता से।

२. सूत की माला से।

रोक ले, अंबर शून्य दृष्टि से क्या देख रहा है, भागते हुए बापू के चरणों को पकड़ कर रोक क्यों नहीं केला ।' करोड़ों मनुष्यों के प्राण, आशा, अभिमान सभी कुछ बापू में केन्द्रीभूत हुए चले जा रहे हैं किन्तु सभी भीन मूक भाव से व्यथा के कण बिखराते हुए खड़े हैं। मार्च १९४८ की "सरस्वती" में दिवंगत बापू के लिए अनेक करुणा विगलित श्रद्धांजलियाँ अर्पित हुईं। पुण्य सलिला भाषीरषी मां की गोद में अंतिम विश्राम के लिए बापू का निःशेष जा रहा है। कवि सुमित्रानन्दन पन्त ने यह कहकर कि—“राजकीय गौरव से जाता आज तुम्हारा अस्थि फूल रथ” मानो बापू को अंतिम प्रणाम किया। इस प्रकार सड़ीबोली के आधुनिक कवियों ने जीवन-यात्रा से लेकर महाप्रयाण की परिधि तक के बापू के दिव्य जीवन से काव्य को महिमा-मंडित किया है।

-
१. पकड़ो, वे दोनों चरण पकड़ाकर
जिन्हें हर्षे सौभाग्य मिला
पकड़ो, वे दोनों चरण जिन्हें
छू कर जीवन का कुसुम मिला।

—रामचारी सिंह, 'दिनकर', "बापू" पृष्ठ ४२।

२. अस्थि-विसर्जन, मार्च १९४८, सरस्वती।

श्री जेठालाल जोशी

पूज्य बापू के पावन दर्शन

वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने पूज्य बापू के दर्शन किये हैं। इस नश्वर देह में इतनी बड़ी आत्मा का निवास करना अपूर्व घटना है। मानव कितनी महान विभूति है उसका परिचय पूज्य बापू के दर्शनों से हो सकता था। देह वही थी जो जन साधारण की होती है। परन्तु उस देह में युगावतार की आत्मा निवास करती थी। उस युग का हर व्यक्ति पूज्य बापू के दर्शनों के लिए लालायित रहता था। सन् १९१९ के जलियाँवालाबाग के क्रूरकांड ने देशभर को सन्नतोर दिया था। ब्रिटिश शासकों की नृसशता तथा पशुता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। पूज्य बापू का हृदय इस प्रकोप से जल उठा। वे अमृतसर के लिये रवाना हुए थे परन्तु इन्हें अहमदाबाद लाया गया। सारा नगर जनता के विद्रोह का रूप धारण किये हुए था। ब्रिटिश फौजों ने सारे नगर पर कब्जा कर लिया था। मार्शल-लों जारी कर दिया गया था। पाँच व्यक्ति एक साथ कहीं फिर नहीं सकते थे। सारा शहर अंधकार की गहरी छाया में छिपा हुआ था। भयंकर आतंक छाया हुआ था। फौजी सार्जेंटों की गोलियों से मारे गये लोगों को घर के आंगन में जलाया जाता था। शव को श्मशान तक ले जाने की स्थिति नहीं थी।

पूज्य बापू ने सरकार को लिखा कि मार्शल-ला हटाया जाय। कोई ग्यारह बजे पेंफलेटों से सूचना प्रसारित की गई कि मार्शल-लों हटाया गया है और शाम को गांधीजी का एक भाषण चंद्रभागा नदी के पास बाले स्थान पर रखा गया था। हमारी जबानी के दिन थे। २०-२१ की मेरी आयु थी। पूज्य बापू को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा प्रबल हो उठी। मार्शल-लों की परवाह किये बिना ही हजारों लोगों के साथ मैं भी भाषण सुनने चंद्रभागा के पासवाले मैदान में पहुँच गया। यहाँ बापू ने अपना भाषण दिया। छपा हुआ भाषण वितरित किया गया। इसका प्रधान स्वर था शांति रखो, किसी अप्रेज की हत्या न हो। हमें अहिंसा का ही आश्रय लेना है। पूज्य बापू का शरीर सुंदर तो नहीं था। दुबला पतला शरीर। सिर तथा शरीर पर मोटी खादी की टोपी, कुर्ता, मोटी धोती लेकिन व्यक्तित्व और वाणी ने सबों के हृदय और मन को जीत लिया। यह था पूज्य बापू का मेरा पहला दर्शन !

पूज्य बापू ने असहयोग आन्दोलन शुरू कर दिया। असहयोग आन्दोलन मे एक कार्य यह भी था कि सरकारी शिक्षण-संस्थाओं तथा सरकारी परीक्षाओं का परित्याग। मैं उस वर्ष मैट्रिक में पढ़ रहा था। परीक्षा मार्च में होनेवाली थी। मैंने सरकारी मान्य संस्था में पढ़ना तथा सरकारी परीक्षा न देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। हमारी पढ़ाई और हमारी परीक्षाओं का प्रबंध **आपाह—मार्गदर्शक. शक १८९१]**

गुजरात विद्यापीठ द्वारा किया जा रहा था। हमारी यह मैट्रिक की पहली ही परीक्षा थी। मार्च के अंतिम दिन थे। हम परीक्षार्थी प्रोग्रायटरी हाई स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। पूज्य बापू, आचार्य गिडवानी स्कूल के आचार्य श्री बल्लुभाई, आचार्य श्री दीवान थे चारों परीक्षा भवन का निरीक्षण कर रहे थे। पूज्य बापू आगे थे। आचार्य गिडवानी उनके पीछे थे। मैंने पूज्य बापू के यहाँ दूसरी बार दर्शन किये। मैं हृदय में अपने को घन्य अनुभव कर रहा था कि यह जीवन का कितना बड़ा अवसर है कि पूज्य बापू हमें परीक्षा-भवन में देखने आये हैं और हम इनके दर्शन कर रहे हैं।

मैंने अपने जन्मस्थान कुशलगढ़ में स्कूल में नौकरी कर ली थी। देशी रियासत थी। खादी, चरखा, गांधीजी तथा उनके 'नवजीवन' और 'यंग इण्डिया' से रियासत के दीवान चौकते थे। लेकिन ये सभी बातें हम नवयुवकों को तो जीवन-प्रेरणा देनेवाली थीं। मैं 'नवजीवन' और 'यंगइंडिया' दोनों का ग्राहक बन गया था। दोनों साप्ताहिक नियमित मिलते रहते थे। मैं इन्हें सरे बाजार में खड़े रहकर जोर-जोर से पढ़ा करता था। श्री रामजी मंदिर में कई सुननेवाले आया करते थे। वे दिन तो जीवन के मस्तीभरे चिरस्मरणीय दिन थे।

पूज्य बापू बेलगाँव कांग्रेस से सीधे दोहद भील सेवा मंडल में पधारनेवाले थे। पूज्य ठक्करबापा भील सेवा मंडल के संस्थापक, कर्णधार और सर्वोसर्ग थे। मैंने और कुछ युवकों ने दोहद पहुँचकर पूज्य बापू का दर्शन करना चाहा। आखिर सभी युवक डर गये। मैं और मेरे पिताजी के मित्र की पुत्री दोनों दोहद पहुँचे। पूज्य बापू के दर्शन किये। आपकी बाणी हृदय तक पहुँच जाती थी।

मैं देशी रियासत में कुछ बँधा सा जीवन बिता रहा था। चरखा, कातता था। खादी पहनता था। 'नवजीवन' और 'यंगइंडिया', 'अभ्युदय', 'बाम्बे क्रोनीकल' नियमित पढ़ता था। स्कूल में नौकरी करता था फिर भी वहाँ का जीवन अति संकीर्ण और बँधा सा लगता था। दिल तो अब यहाँ से उचट ही गया था। आखिर मैं एक हिन्दी शिक्षक के रूप में अपने गुरु आचार्य श्री यल्लुभाई की कृपा से अहमदाबाद महिला विद्यालय में पहुँच गया। फिर तो प्रति सप्ताह पूज्य बापू के दर्शनार्थ हम पतिपत्नी सत्याग्रहाश्रम साबरमती चले जाया करते थे। बापू की प्रार्थना में जाना भी जीवन का घन्य अवसर था।

एक प्रसंग याद आता है। भगुभाई के अहाते में डा० ऐनीबेसेन्ट की शोकसभा थी। पूज्य ठक्करबापा भी उस सभा में उपस्थित थे। इस सभा के अध्यक्ष थे पूज्य बापू। उन दिनों तूरभाषण नहीं थे। हजाराँ की भीड़ थी। व्याख्याता बीच में मेज पर खड़े होकर या बैठ कर भाषण देते थे। डा० नाणावटी नाम के एकवयोवृद्ध सज्जन भाषण देने खड़े हुए। उन्होंने सभा के एक सिरे पर बरामदे में जहाँ बैठे थे वहीं खड़े होकर भाषण देना शुरू किया। हम युवकों ने जोर से आवाज लगायी स्टेज स्टेज। पूज्य बापू ने सुना शोम शोम। पूज्य बापू जी ने श्री ठक्करबापा से पूछा कि ये युवक क्या चिल्ला रहे हैं। ठक्करबापा कुछ कानों से ऊँचा सुनते थे। उन्होंने भी बताया कि कुछ शोम शोम शब्द सुनायी पड़ रहा है। पूज्य बापू गुस्सा ही गये। गुस्से में भरे हुए अपने स्थान से उठे

और बड़ी तेजी से साथ स्टेज-मेज पर आ बैठे। सारी सभा छल्ल रह गई। किसी में भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। बापू ने कहा—“डा० नाणावटी भाषण शुरू करो।” डा० नाणावटी ने भाषण शुरू किया। अन्य वक्ताओं के भाषण के बाद पूज्य बापू ने अपना अध्यक्षीय भाषण शुरू किया। “मुझे बेहद दुःख और शर्म है कि ये युवक डा० नाणावटी जैसे के भाषण के समय शेष शेष की आवाज लगाते थे।” हम पास ही बैठे हुए थे। पूज्य बापू से निवेदन किया कि बापूजी यह शब्द नेम नहीं था। स्टेज था। यह सुनते ही बापू ने अट्टहास किया और कहा कि मैं तो नहीं सुन पाया था। परन्तु ठक्करबापा भी बहरे निकले। बापू ने युवकों को धन्यवाद दिया कि तुमने बड़ी आत्मीयता से मेरी रोष भरी बातों को बरबास्त कर लिया। यहाँ हमने पूज्य बापू का गुस्सा, अट्टहास तथा अपनत्वभरा स्नेह देखा। यही तो बड़ों का बहूप्यन है।

पूज्य बापू नियमित रूप से शाम को घूमने जाया करते थे। सत्याग्रह आश्रम के पास ही उत्तर की ओर साबरमती जेल है। बापू उसी ओर घूमने जाया करते थे। दर्शनार्थी शाम को बापू के पीछे पीछे चलते थे। बापू अपने साथियों से या मिलने आये हुए व्यक्तियों से बातें करते हुए चलते थे।

एक बार का प्रसंग याद आता है। हम बापू के पीछे-पीछे चल रहे थे। पूज्य काका साहब भी साथ थे। उस वक्त एक दुष्ट व्यक्ति बुरी तरह से बापू को भद्दी गंदी गालियाँ देता हुआ साथ चल रहा था। और जोर जोर से चिल्लाता था। आखिर गंदी गालियाँ सुनकर मुझे गुस्सा आगया। मैंने पूज्य काका साहब से कहा कि इस आदमी को साथ चलने से रोक दिया जाना चाहिये। आज्ञा दें तो मैं उसे यही पर रोक लूँ। काका साहब ने कहा—“कुछ मत बोलो, तुम देखते हो बापू इसकी आवाज को सुनते ही नहीं। ये तो शांति से मिलनेवालों से बातें करते हुए चल रहे हैं। यदि तुम गुस्से में आकर इस आदमी को डांटने के लिये बोलोगे तो बापू का ध्यान इस ओर हो जायगा और इनकी शांति में बाधा पहुँचेगी।” मैं मौन रहा। यह थी बापू की एकाग्रता।

एक बार बापू का स्वास्थ्य बिगड़ा। हृदयकुंज में बापू को देखने तीन चार डाक्टर शाम को पहुँचे। इन डाक्टरों में डा० कानूगो, डा० हरिप्रसाद देसाई, डा० हरिभाई देसाई भी थे। डाक्टरों ने बापू को देखा, जंघा और कुछ खान पान बदलने के बारे में परामर्श दिया। शायद अंठे लेने की सलाह दी गई हो पूज्य बापू ने इन डाक्टरों से कहा कि तुम डाक्टर लोग कोई नयी बात नहीं सोच पाते, क्या भारतीय अन्नहार में रोग मिटाने की तथा शरीर स्वस्थ रखने की शक्ति नहीं है? तुम्हें आहार-बिहार के बारे में भारतीय ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिये। कुछ सोच करनी चाहिये।

एक बार पंडित मोतीलाल जी नेहरू बापू से मिलने सत्याग्रहआश्रम पहुँचे। उन दिनों बापू श्री मगनभाई गांधी (गांधी जी के भतीजे) के निवास-स्थान पर रूहा करते थे। क्योंकि श्री मगनभाई गांधी के देहावसान से उनकी पत्नी को सान्त्वना मिलती रहे, इसलिए बापू ने हृदय-कुंज छोड़कर श्री मगनभाई के निवासस्थान पर रहना शुरू किया था। बापू पूर्वोक्तमूल बैठे थे। चर्चा कात रहे थे। पंडित मोतीलाल जी नेहरू उत्तराभिमुख बैठे हुए थे। बापू कुले शरीर थे।

आत्मक-वार्तावली, एक १८९१]

पंडित मोतीलाल जी खादी का कुर्ता पहने हुए थे। सिर खुला था, सिर के सफेद बाल संवारे हुए थे। छोटे से तकिये के सहारे बैठे थे। पंडित मोतीलाल जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये थे। उन दिनों पं० जवाहरलाल जी, श्री सुभाष बाबू तथा डा० आलम पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष के समर्थक थे और कांग्रेस मंच पर से पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कराने की परंवी में थे। पंडित मोतीलाल जी बापू से परामर्श करने यहाँ आये थे, दोनों नेताओं की बातें सुनने का सुअवसर भी जीवन का अमूल्य अवसर था। पंडित मोतीलाल जी ने बापू से कहा कि “इस जवाहरलाल को कैसे समझाया जाय।” बापू ने कहा कि जवाहर को समझाने का काम मुझ पर छोड़ दो। पूज्य बापू जवाहरलाल को अपना राजनैतिक उत्तराधिकारी जो मानते थे।

पूज्य बापू विनोदप्रिय तो थे ही। एक बार बापू घूमने जा रहे थे। आश्रम की कुछ लड़कियाँ साथ चल रहीं थीं। एकाध ने कहा कि बापूजी—तुम्हारे कान बड़े हैं। बापू के कान शरीर के अनुपात में कुछ बड़े थे। बापू ने उत्तर दिया—हाँ, कान जरूर बड़े हैं पर मैं गधा नहीं हूँ।

पूज्य बापू को अपनी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति का पूरा भरोसा था। एक बार बापू अहमदाबाद से बर्धा जा रहे थे। बापू आश्रम से साबरमती स्टेशन तक हमेशा पैदल ही जाया आया करते थे। सुबह का समय था। बापू सौराष्ट्र एक्सप्रेस पकड़ने आश्रम से चल पड़े। मैं साबरमती स्टेशन प्रातः पहुँच गया गौर आश्रम की ओर चला। आये रास्ते बापू के दर्शन हो गये। बापू ने समय पूछा कि मैंने अपनी घड़ी देखकर समय बताया और कहा कि मेरी घड़ी पाँच मिनट आगे है। बापू ने तुरन्त कहा कि—“पाँच मिनट घड़ी आगे रखनी पड़ती है” हमने कहा कि बापू हम आपको उठा लें और आप जल्दी स्टेशन पहुँच जायें। गाड़ी का समय हो गया है। बापू ने कहा “अभी तो मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि तुम जैसे दो को कंधे पर उठाकर चल सकता हूँ।” उन दिनों बापू साठ पार कर चुके थे।

बापू स्टेशन पर समय से एक मिनट पहले ही पहुँच गये। पूज्य कस्तूरबा पहले ही पहुँच गयीं थीं। गाड़ी आई, प्लेटफार्म पर रुकी। बापू तथा पूज्य कस्तूरबा गाड़ी में चढ़े। तीसरी श्रेणी का डिब्बा था। बापू और बा दोनों खड़े थे। लोमों में यह विवेक तो आया ही नहीं था कि इनके लिए जगह कर दें। पूज्य कस्तूरबा ने बापू से कहा कि मैं कहीं बैठूँ। बापू ने अपनी तलपदी भाषा में कहा कि “क्योंकि छडकाई जा ने।” कहीं जगह बना लो। मैं उम्मी गाड़ी में अहमदाबाद लौट रहा था। राष्ट्रपिता तथा राष्ट्रमाता की ये बातें कितनी प्रेरणादायी थीं।

मेरी ३२वीं वर्षगांठ थी। मैंने निश्चय किया कि मैं आज बिना कहीं रुके लगातार ३२ मील चलूँ। मैं प्रातः घर से चल पड़ा। आश्रम पहुँच गया। पूज्य बापू के दर्शन किये। आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूज्य बापू ने सिर पर हाथ रखा। मैं धन्य अनुभव करता हुआ वहाँ से बिदा हुआ। ३२ मील चलकर शाम को घर पहुँचा। आज उपवास तो था ही।

मैं एक दिन प्रातः आश्रम चला गया। हृदयकुंज में एक किनारे बैठ गया। पूज्य बापू ‘यंग इंडिया’ तथा ‘नवजीवन’ के प्रूफ देखने में तल्लीन थे। बापू पूर्वाभिमुख जमीन पर एक आसन बिछाये बैठे थे। दीवाल के सहारे एक लकड़ी की पट्टी रखी हुई थी। सामने लिखने के लिए

डिस्क था। बस कोई बेंड़ दो घंटे एकाग्रता से बापू प्रुफ देलने का कार्य करते रहे। मुझे देखा तक नहीं और टोका भी नहीं कि अभी बाहर बैठो। अपन कार्य पूरा करके बापू ने सिर उठाया और मेरी ओर देखा। मुझसे पूछा कबसे बैठे हो? उसी समय एक सज्जन बापू से मिलने कानपुर से आये थे। इन्होंने कानपुर के समाचार कह सुनाये। बाद में बापू केवल तीन वाक्य बोले—सरकार क्या करती है? लोभों की तैयारियाँ कितनी हैं? मुझे दिल्ली में फलाँ तारीख को मिलो। बापू की—एकाग्रता ने तथा अत्यल्पमितमाषिता ने मन पर बड़ा प्रभाव डाला।

एक बार मैं महिला विद्यालय की करीब बारह-तेरह छात्राओं को साथ लेकर बापू के दर्शनार्थ आश्रम गया। अहमदाबाद में रहते हुए इन छात्राओं ने पूज्य बापू के दर्शन नहीं किये थे तथा आश्रम भी नहीं देखा था। वह जमाना ही कुछ और था। लड़कियों के बाहर आने जाने की बात ही नहीं सोची जा सकती थी। आचार्या ने स्वीकृति नहीं दी। मैंने छात्राओं से कहा कि रविवार के दिन हम चलेंगे। इन बहनों को साथ लेकर साबरमती पहुँचा। पूज्य बापू हृदयकुंज में बैठे हुए थे। दर्शन किये। पूज्य बा रसोई घर में थी। उनके दर्शन किये। बा ने कुछ लड़कियों की पीठ पर हाथ फेरा और लड़कियों को खादी पहनने के लिए कहा। इन लड़कियों में से तीन चार ने आजीवन खादी पहनने का व्रत लिया और अभी तक उस व्रत का बराबर पालन करती हैं।

इन दिनों आश्रम में सेठ जमनालालजी बजाज, श्री मीराबहन, श्री नरहरिभाई पारीख भी थे। इनसे भी मिले। पूज्य बापू ने हम सबों को भोजन के लिए भी आग्रह किया कि भोजन का समय हो गया है, चलो, साथ बैठकर भोजन कर लो। ये छात्राएँ अपने साथ पाथेय लायी थी। अतः मैंने बड़ी चिन्मत्ता से बापू से निवेदन किया कि ये बहनें साथ खाना लायी हैं, हम चाहते हैं कि हम भोजनालय में कुछ मिनटों के लिए बैठें। बापू ने यह व्यवस्था करवा दी। हम भोजनालय में गये और बापू वाली कतार में शांतिपूर्वक बैठ गये। भोजनालय में करीब १००-१५० व्यक्ति अपने-अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे थे। भोजन बिना नमक मिर्च का था। सभी को परोसा गया। फिर प्रार्थना हुई और सबों ने खाना शुरू किया। भोजनालय की शांति तथा शुद्धता-पवित्रता का क्या कहना! हम शांति से भोजनालय से बाहर आये। हृदयकुंज के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ कर जो साथ लाये थे वह खाया। श्री नरहरिभाई ने पानी के बरतन वगैरा का तो प्रबंध कर ही दिया था। बापू की आत्मीयता हृदय को जीत लेनेवाली थी।

दांडी-कूच के दिनों में आश्रम के रास्ते पर काफी चहल-पहल थी। आवसियों तथा मोटरों का तांता लगा रहता था। सारा नगर एक तरह के चिन्ता-भार से दबा हुआ था। वह दिन भी था पहुँचा जिस दिन बापू अपने साथियों के साथ दांडी के लिए पैदल कूच करनेवाले थे। नगर के करीब-सभी नरनारी लाखों की संख्या में आश्रम के मार्ग पर आ बैठे थे। सभी मौन थे। लाखों की भीड़ थी लेकिन सभी सड़क के दोनों ओर चुपचाप बापू के इस महाभिनिक्रमण से भयान्त्रन्त स्थिति में खड़े थे। न कोई किसी से बात करता था न कुछ बोलता था। बहुतेरों की आँखों में आँसू थे।

अज्ञात-मार्गदर्शक, सप्ताह १८९१]

सबेरे प्रार्थना के बाद कोई साढ़े पाँच बजे बापू की यह टोली आश्रम से बिदा हुई। पूज्य बा ने बापू के ललाट में कुम्-कुम् लगाया। इस टोली में कोई अठहत्तर भाई थे। श्री नारायण मोरेश्वर खरे हाथ में तंबूरा लिये आगे थे। बाद में पूज्य बापू की यह टोली आश्रम से चल पड़ी। बापू की चाल तेज थी। लोगों की आँखें आँसुओं से भीगी थी। ये सभी मीन धारण किये हुए थे। सबके हृदय भयाक्रान्त तथा शोकविह्वल थे। सारा हृदय करुणा से भरा था। ब्रिटिश शासकों के उच्च पदाधिकारियों की दौड़धूप भी कुछ कम न थी। बापू की यह टोली ने सप्तर्षि के स्मृष्टान गृह के पास बाले रास्ते से साबरमती नदी पार की। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पास से होते हुए चंडोला तालाब पहुँचे। सबेरे का न बजे का समय था। दांडी कूच के सभी लोगों ने चंडोला तालाब में हाथ मूँह धोये। पाँच सात मिनट बैठे। पूज्य बापू ने यहाँ आखिरी संदेश दिया। बहनों और भाइयों तुम सब लौट जाओ। मेरा मार्ग दूसरा है। आपका मार्ग नगर की ओर है। जाओ शक्तिभर स्वरराज्य प्राप्त के आदोलन के कार्य में लग जाओ। राम बनवास गये और सारे नगरजन मन मलीन उदास चेहरे लिये हुए लाचार नगर को लौटे थे, वही यह दृश्य था।

पूज्य बापू, सारे संसार को भगवान बुद्ध, भगवान् श्रीराम, महान् पिंगंबर, क्राइस्ट की याद दिलानेवाले युगावतार महान् पुरुष सदियों के बाद मानव जाति को शांति का, सत्य और अहिंसा का संदेश देने आये थे। भारत भूमि धन्य है। भारतीय धन्य है कि यहाँ सत्य और अहिंसा का ऐसा महान् पुजारी उत्पन्न हुआ।

आचार्य श्री सीताराम खतुबंदी

महात्मा गांधी और हिन्दी

सन् १८८५ में जब कांग्रेस का श्रीगणेश हुआ उस समय भारत के सभी हितचिन्तकों का एक मात्र उद्देश्य था राष्ट्र की प्रगति के काम में जी जान से लगे हुए लोगों को एक दूसरे से परिचित कराना अर्थात् भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति और समस्याओं के समाधान के लिये ऐसा मंच तैयार करना जहाँ भारत के सब प्रदेशों के नेता एकत्र होकर भारत की प्रगति पर विचार करते हुए तत्कालीन ब्रिटिश शासकों से प्रार्थना करके भारतीय जनता के लिये वे सभी सुविधाएँ प्राप्त कर सकें जिनके अभाव में भारतीय जनता के अनेक प्रकार के कष्ट और असुविधाएँ हो रही थीं और अपमानित भी होना पड़ रहा था।

इस राजनैतिक मंच की कार्य-व्यवहार-भाषा अँगरेजी थी जो निरन्तर लगभग ४० वर्षों तक उस मंच पर निर्बाध गति से चलती रही। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अँगरेजी के अत्यन्त प्रभावशाली वक्ताओं का जैसा विशाल दूध उस युग में विद्यमान था उस टक्कर के क्या उससे उन्नीस पड़नेवाले भी हिन्दी के प्रभावशाली वक्ता महामना मालवीय जी—जैसे इनेगिने दो-चार ही महापुरुष हो पाए। क्योंकि धारा-प्रवाह सभाधीलयुक्त (पार्लामेंटरी) अँगरेजों के भाषण में पट्टा, दक्षता और कौशल प्राप्त करने के लिये जो साधना और अभ्यास उस समय किया जाता था और जिसकी बरिष्ठ परम्परा अँगरेजी शिष्ट-समाचार से उन मनीषियों को सुलभ थी वह साधना, वह अभ्यास और उस प्रकार की कोई परम्परा हिन्दी को सुलभ न हो सकी जिसके कारण आज हमारी विधान सभाओं और संसद् में इस प्रकार के अभद्र दृश्य और भाषा-प्रयोग के ऐसे जुगुप्सा-जनक कांड पढ़ने को मिलते हैं कि लज्जा भी आँचल में मुँह छिपाकर भाग सड़ी होती है।

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् राष्ट्र-भाषा या भारत की सर्व-व्यवहार-भाषा का प्रश्न राजनीति के ऐसे भीषण बात्याचक्र में डाल दिया गया कि वह उसीमें पड़ा हुआ वेग से ऐसा चक्कर काटता हुआ घूमे जा रहा है कि अब उसमें स्थिरता आ पाने की कोई क्षिति शेष नहीं रह गई है। इस विपन्न और अनिश्चित अवस्था में हिन्दी को पुनः अपनी सात्विक ऊर्ध्वस्वता के साथ अपनी नैसर्गिक सार्वजनीन क्षमता के बलपर अपना महत्व प्रतिष्ठित करना होगा और राजकीय आशय का भरोसा पूर्णतः छोड़ देना होगा।

सन् १९०५ में बंग-अंग के समुज्ज्वल के समुचित अवसर पर विदेशी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिये स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आन्दोलन-आवाह-मार्गदर्शक, शक १८९१]

रुम खलाया गया उसी समय यदि विदेशी भाषा के बहिष्कार और स्वदेशी भाषा के प्रयोग का ध्यानबोलन भी छेड़ दिया जाता तो संभवतः राष्ट्रभाषा की समस्या उतनी जटिल न हो पाती जितनी अब 'अपनी डपली अपना राग' गाने की वैधानिक सुविधा के कारण राजनीतिक अधिनायकों और सामन्तों ने बना दी है, जो राष्ट्र के हित की तनिक भी चिन्ता न करके अपनी गोटी लाल करने, अपना उल्लू सीधा करने और अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिये जनता के यूथ-मानस को भड़काने का सूत्र ढूँढ़ते रहने की ताक में लगे रहते हैं। यजमान चाहे स्वर्ग में जाय या नरक में, हमें अपने मालपूए से काम, यही उनका जीवन-मन्त्र है।

राजनीतिक नेताओं में सर्वप्रथम गांधीजी ने ही यह अनुभव किया कि अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये व्यवहार में आनेवाले मंच पर और अपने अन्तःप्रादेशिक व्यवहार के लिये विदेशी भाषा का व्यवहार करना नितान्त लज्जाजनक तथा दासता और परतन्त्रता का दरिद्र लक्षण है। अतः भारत की ही किसी सर्वाधिक प्रचलित, सरल और सर्वबोध भाषा को ही अन्तःप्रादेशिक व्यवहार और अपने देश की सर्व-व्यवहारशील भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना नितान्त आवश्यक है। यह गुण एक मात्र हिन्दी में ही था क्योंकि वह धर्मप्रचारकों और व्यापारियों के द्वारा बहुत पहले से ही भारत के अधिकांश भू भाग में व्यवहृत होने लगी थी। फलतः अहमदाबाद कांग्रेस में महात्मा गांधी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। गांधी जी अपनी बात के धनी थे। अपने इस संकल्प को दृढ़ और सशक्त करने के लिये गांधी जी ने इन्दौर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता इसी आधार पर स्वीकार की कि दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के लिये एक लाख रुपया मिले। संयोगवश एक लाख रुपया भी मिल गया और गांधी जी ने उस निधि से मदरास में दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार समा (अब हिन्दी प्रचार समा) की स्थापना करके दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का श्रीगणेश कर दिया।

उस समय के हिन्दी प्रचारकों ने किस निष्ठा, लगन, त्याग और तपस्या के साथ दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार किया उसका विवरण देना यहाँ असंगत न होगा। क्योंकि उससे यह समझने में सुविधा होगी कि हिन्दी के लिये गांधी जी के हृदय में कितनी निष्कपट निष्ठा थी और हिन्दी प्रचारको ने कितनी त्याग-भावना से अनेक असुविधाएँ सहकर और अनेक कठिनाइयाँ झेल कर निश्चल सेवाभाव से हिन्दी का प्रचार किया।

गांधीजी ने अपने भेजे हुए हिन्दी प्रचारकों को आदेश दे रक्खा था कि अपनी पुस्तक, अपनी चटाई और अपनी लालटेन लेकर सूर्योदय से पूर्व किसी भी शिक्षित परिवार के द्वार पर पहुँच जाओ और द्वार खुलने पर गृहपति, गृहलक्ष्मी या गृहकन्या से निवेदन करो कि 'गांधीजी ने हिन्दी सिखाने के लिये भेजा है, कृपया आध घंटा समय देकर हिन्दी सीखने का कष्ट कीजिए।' गांधी जी का यह भी आदेश था कि किसी भी गृहस्थ के घर न रहना, न किसी के यहाँ चाय-काफी पीना, न भोजन करना और न किसी प्रकार का पुरस्कार लेना; मन्दिर, मसजिद, विद्यालय आदि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या पेड़ के नीचे पड़े रहना अर्थात् कभी किसी पर भार न बनना।

इतना कठिन इत लेकर प्रचार-कार्य करनेवाले को केवल पाँच रुपए मासिक दक्षिणा दी जाती थी। आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार कितनी तपस्या के साथ किया गया।

येरे अपने अनुभव की बात है कि एक सहस्र से भी अधिक परिवारों से सम्पर्क करने पर एक भी परिवार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने हिन्दी सीखने में तनिक भी आसुर्य, अरुचि या क्षोभ का परिचय दिया हो। इतना ही नहीं, प्रचारकों के जाने पर घर के सभी बच्चे, बूढ़े, युवक, पुरुष, स्त्री सब बड़े चाव, रुचि और श्रद्धा से बैठकर हिन्दी पढ़ते थे। यह दुर्भाग्य की ही बात है जिस प्रदेश में लोगों ने इतनी निष्ठा के साथ हिन्दी पढ़ी और पढ़ाई उसीमें आज हिन्दी का विरोध हो रहा है।

इसी बीच अकस्मात् ऐसी चिन्तनीय घटना हो गई जिसने हिन्दी की इस वर्धमान प्रगति और वेग को झकझोर कर पंगु बना दिया। जिस हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के गाँधीजी अध्यक्ष रहे उससे उन्होंने सम्बन्ध-विच्छेद करने का दृढ़ निश्चय करके त्यागपत्र दे दिया। उनके इस निश्चय के कारण हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की प्रतिष्ठा को जो घक्का लगा वह तो लगा ही, हिन्दी के प्रचार का समग्र आवेग भी शिथिल पड़ गया। गाँधीजी की यह चारित्रिक विधेयता थी कि वे जिस बात को स्वतः ठीक समझ बैठते थे उसके लिये वे अंगद का पैर रोप देते थे और किसी भी प्रकार किसी के कहने पर भी वे तबतक टस से मस नहीं होते थे जब तक वे स्वयं उसकी व्यर्थता का अनुभव नहीं कर लेते थे और फिर महापुरुषों के समान वे अपनी भूल स्वीकार भी कर लेते थे। कृत्रिम हिन्दुस्तानी भाषा के प्रति उनका आग्रह भी उनकी उसी दृढ़ निष्ठा का परिणाम था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि उन्हें कुछ दिन और जीवित रहने दिया जा सकता तो अपनी स्वाभाविक सत्यनिष्ठा के कारण शीघ्र ही हिन्दुस्तानी भाषा के प्रति वह अपनी आस्था समाप्त कर देते और अपने तद्विषयक आग्रह को भूल मानकर उसका परिहार कर देते क्योंकि कोई भी भाषा अपनी प्रकृति के अनुसार अपना रूप-निर्माण करती चलती है, उसे किसी नियम और सिद्धान्त के अनुसार गढ़ा नहीं जा सकता।

जो भी हो, यह तो निर्विवाद घृव सत्य है कि भारत में हिन्दी के प्रचार को वेग, गति और व्यापकता प्रदान करने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो एक मात्र महात्मा गाँधी को।

श्री द्वारकाप्रसाद शास्त्री

गांधी-साहित्य: एक परिचय

विश्वबन्धु महात्मा गांधी युगपुरुष थे। उनका जन्म २ अक्टूबर १८६९ ई० में हुआ था और मृत्यु ३० जनवरी, १९४८ ई० में हुई। अपने दूतने वर्षों के जीवन काल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, गार्हस्थ्य धर्म का पालन किया और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करके देश में नई चेतना का संचार किया। उनके नेतृत्व में देश स्वाधीन हुआ। गांधी जी अपने जीवन भर जो कुछ कहते रहे और लिखते रहे वह सब समवेत रूप में साहित्य बन गया। वह विश्व के लिए आज चिन्तन और मनन का विषय है और आगे भी रहेगा। हम सब गांधी जी के उस साहित्य को 'गांधी साहित्य' कहते हैं। इसमें गांधी जी द्वारा लिखित ग्रन्थ, पत्र, भाषण, प्रवचन, वार्तालाप, डायरी और साक्षात्कार आदि सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री अन्तर्भूत है। गांधी साहित्य में गांधी जी के स्व-लिखित ग्रन्थ हैं और कुछ अन्य लेखकों द्वारा अनूदित, संकलित अथवा सम्पादित ग्रन्थ भी हैं जिनमें मूल रूप में गांधी जी के ही विचार हैं। गांधी साहित्य का प्रकाशन गांधी जी के समय से ही अंग्रेजी में तथा अनेक भारतीय भाषाओं में होता रहा है। इधर सम्पूर्ण गांधी साहित्य का प्रकाशन, 'गांधी वाङ्मय' के नाम से भारत सरकार की ओर से हो रहा है। इसके अबतक अनेक खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं।

गांधी जी के जीवन-काल में प्रकाशित हिन्दी में गांधी-साहित्य

जीवनी

- १९२८ आत्म कथा खण्ड १, २।
- १९३१ भारत के प्राण महात्मा गांधी की जीवन-कथा (आत्मकथा का सम्पूर्ण सारांश)
- १९३६ मेरे जेल के अनुभव।
- १९३६ संक्षिप्त आत्मकथा (सम्पादक महादेव देसाई और हरिभाऊ उपाध्याय)

सत्याग्रह और अहिंसा

- १९२२ गांधी जी का बयान या सत्याग्रह मीमांसा।
- १९२१ गांधी सिद्धान्त (८० न० गर्दे द्वारा सम्पादित)
- १९४० युद्ध और अहिंसा।
- १९४० सत्याग्रह क्यों? कब? और कैसे?

- १६३० सत्याग्रह युद्ध ।
 १६४१ एक सत्यवीर की कथा ।
 १६२४ दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह ।
 १६४४ मेरा जीवन या अहिंसा की परीक्षा (सम्पादक—रवीन्द्रनाथ अग्निहोत्री)

धर्म और नीति

- १६३० अनासक्ति योग (गीता भाषा टीका सहित)
 १६३१ अनासक्ति योग (अनुवादक काशिनाथ त्रिवेदी)
 १६३७ अनीति की राह पर अनुवादक बामू मूल्युंजय प्रसाद)
 १६३२ क्रुसित जीवन और साम्य विमर्श द्वि० सं० ।
 १६३८ गीता बोध द्वि० सं० ।
 १६४८ दिल्ली डायरी (१०-६-४७ से ३०-१-४८ तक के प्रार्थना प्रवचनों का संग्रह)
 १६३७ धर्मपथ ।
 १६४७ धर्म पालन (सं० प्रभुदास गांधी) नयी दिल्ली में एक अप्रैल से १६ अप्रैल १६४७ के प्रार्थना प्रवचनों का संग्रह)
 १६२१ नीतिधर्म अथवा धर्मनीति (अनुवादक, कृष्णलाल वर्मा)
 १६३६ ब्रह्मचर्य (संयम तथा ब्रह्मचर्य पर गांधी जी के लेखों का संग्रह)
 १६३८ ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम ('ब्रह्मचर्य के अनुभव' का संशोधित संस्करण)
 १६३२ ब्रह्मचर्य के अनुभव
 १६३६ ब्रह्मचर्य पर महात्मागांधी जी के अनुभव, द्वितीय संस्करण
 १६३६ भाइयों और बहिनों (प्रार्थना सभाओं में गांधी जी के भाषण ३ अंकों में)
 १६३८ मंगल प्रभात (द्वि० सं०) (प्रवचन)
 १६३१ यरवदा मन्दिर से ।
 १६३६ विवाह समस्या ।
 १६३२ सन्त महाप्रत (अनुवादक काशिनाथ त्रिवेदी, द्वि० सं०, ७ प्रवचनों का संग्रह)
 १६४८ हृदय मंथन के पाँच दिन (सम्पादक—यक्षपाल जैन) महात्मा गांधी के उपवास के दिनों के भाषणों का संग्रह ।
 १६४६ पूज्य बापू जी की प्रार्थना

समाज विषयक : सामान्य

- १६३१ बहिनों से (मद्य निषेध और धरना के विषय में ५ लेखों का संग्रह)
 १६४२ रचनात्मक कार्यक्रम (अनुवादक, शंकरलाल वर्मा)
 १६४६ रचनात्मक कार्यक्रम (अनुवादक, काशिनाथ त्रिवेदी द्वि० सं०)

आवृत्त—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

- १६३६ हमारा कलंक (अस्पृश्यता पर गांधी जी के लेखों का संग्रह)
 १६३३ मन्दिर प्रवेश और अस्पृश्यता निवारण ।
 १६२४ हिन्दू मुसलमानों का तनाजा : उसका कारण और उपाय, साम्प्रदायिक विद्वेष पर बापू के विचार (सं० एन० आर० मेहता)

राजनीति

- आगा खां महल से गांधी जी का पत्रव्यवहार (अनुवादक—कालीचरण पाण्डेय)
 १६३४ महारमा गांधी के कांग्रेस से अलग होने का कारण (१७ अगस्त और १५ अक्टूबर को प्रकाशित वक्तव्यों का अनुवाद) ।
 १६१७ स्वराज्य पर गांधी जी (गांधी जी का एक भाषण)
 १६३८ हिन्द स्वराज्य (नवीन संस्करण)
 १६४७ यूरोपीय युद्ध और भारत (सहलेखक नेहरू जी)
 १६४६ गो सेवा (अनुवादक—काशिनाथ त्रिवेदी)
 १६४६ नमक-कर
 १६४६ यन्त्रों की मर्यादा (यन्त्रों के विषय में गांधी जी के विचार और लेख)
 — सर्वोदय (अनुवादक, कृष्णलाल वर्मा)
 — स्वदेशी और बहिष्कार

खादी : अर्थशास्त्र

- १६४५ अहिंसक स्वराज्य साधना (सम्पादक, कनु गांधी)
 एक मात्र उद्योग-बर्ला
 गांधी जी के लेख ('खादी जगत' में प्रकाशित जुलाई १६४१ से जून १६४२ तक के लेखों का संग्रह)
 १६३८ ग्रामसेवा (ग्रामसेवा सम्बन्धी लेखों का संग्रह)
 १६३६ स्वदेशी और ग्रामोद्योग (गांधी साहित्य माला १)

शिक्षण

- १६४६ विद्यार्थियों से (सम्पादक—अनंत प्रसाद विद्यार्थी) सामयिक समस्याओं का विवेचन

राष्ट्रभाषा

- १६४३ राष्ट्रभाषा का प्रश्न
 १६४७ राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी (अनुवादक, काशिनाथ त्रिवेदी)

आरोग्य

- १६२० आरोग्य दिग्दर्शन (अनुवादक, पं० गिरिधर शर्मा 'नवरत्न') तृ० सं०
 १६३५ आरोग्य दिग्दर्शन ।
 १६२२ आरोग्य ज्ञान ।

अन्य

- १६५५ अमृतवाणी (जीवन-पथ का प्रदर्शन करने वाले ६० निजी पत्रों का संग्रह)
 १६५२ गांधी-वाणी
 —तीन रत्न (टालस्टाय की तीन कथाओं का गांधी जी द्वारा-कृत गुजराती अनुवाद का हिन्दी अनुवाद)
 १६२२ पञ्चरत्न (पांच निबन्धों का संग्रह)
 — पूर्व और पश्चिम ('चीन की आवाज' का गांधी जी—कृत सारांश)
 १६२३ महात्मा गांधी के निजी पत्र (१६०८-१६१७) तक के ८१ पत्रों का संग्रह, अनुवादक, लक्ष्मीधर वाजपेयी)
 १६५७ स्त्रियों की समस्याएँ, खण्ड १ और २ ।

विषय-विश्लेषण

गांधीजी के सम्पूर्ण वाक्यमय में निम्नलिखित मुख्य विषय हैं—कृषि, अहिंसा, अरब-इजराइल प्रश्न, आश्रम, अणुबम, भगवद्गीता, चरखा, बिहार-भूकम्प, संतति-निरोध, बहिष्कार, ब्रह्मचर्य, बुद्ध-धर्म, कैबिनेटमिशन, साम्प्रदायिकता, चीन, ईसाईमिशन, ईसाइयत, साम्प्रदायिक प्रश्न, साम्यवाद, कुटीर-उद्योग, रचनात्मक कार्यक्रम, क्रिस्मिमिशन, बेक समस्या, फूटडालो और राज्य करो, नशाबंदी और जुआ, शिक्षा, उपवास, अधिनायकवाद, भारत में अन्न-संकट और नियंत्रण, आर्थिक सिद्धान्त, नैतिक और दार्शनिक सिद्धान्त, समाजवाद, ईश्वर, हरिजन, स्वास्थ्य और सफाई, हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रश्न, हिन्दू मुस्लिम एकता, हिन्दुत्व, भारतीय सम्यता, बालविवाह, भारतीय विदेश नीति, भारत विभाजन, राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राजनीतिक दल, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत के राजे-महाराजे और उनके राज्य, भारतीय सुधार, भारतीय औद्योगिक सम्बन्ध, राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता, इस्लाम, जलियावालाबाग काण्ड, जिन्ना-वार्ता, कस्तूरबा गांधी, खिलाफत आन्दोलन, मजदूर और उचित मजदूरी, यंत्र या मशीनरी, चिकित्सा, अल्पसंख्यक समस्या, मोपला विद्रोह, 'मदर इंडिया' ग्रन्थ पर विचार, राष्ट्रभाषा का प्रश्न, पाकिस्तान, धरणाधी, धर्म और नीति, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, सर्वोपेय, सत्याग्रह सचिवाय अवज्ञा, भारत छोड़ो, साइमन कमीशन, दक्षिण अफ्रीका की समस्या, हड़ताल और तालाबन्दी, विद्यापियों और स्त्रियों की समस्याएँ, स्वदेशी, स्वराज्य, अस्पृश्यता, शाकाहार, रामोत्थान आदि ।

आचार्य-भाषासूची, खण्ड १८११]

मूल 'गांधी साहित्य' पर आधारित 'गांधी विषयक साहित्य' का सर्जन विपुल मात्रा में हुआ है। ऐसे साहित्य में गांधी जी की जीवनी और संस्मरण, उनके विचारों के पोषक ग्रन्थ, उनके विचारों के समालोचनात्मक ग्रन्थ, अभिनन्दन ग्रन्थ एवं श्रद्धांजलियाँ आदि हैं। गांधी जी के जीवन पर आधारित काव्य और नाटक आदि भी लिखे गये हैं।

गांधी जी महामानव थे। उनके विचारों को 'गांधीवाद' की संज्ञा दी गई। संसार की सभी प्रमुख और प्रसिद्ध भाषाओं में उनके विषय में बड़े-बड़े विद्वानों एवं विचारकों ने ग्रन्थ एवं लेख लिखे। इस प्रकार गांधी जी के निघन से पूर्व उन पर पर्याप्त अध्ययन-सामग्री प्रकाशित हो चुकी थी। यहाँ पर हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत और अंग्रेजी में प्रकाशित कुछ ग्रन्थों की सूची दी जा रही है जो गांधी जी के जीवन चरित्र और उनके विचारों पर सामान्य रूप से लिखी गई हैं।

हिन्दी

अग्रवाल, खन्नारायण और व्यास दीनानाथ

कन्हैयालाल बाबू
खंडेलवाल, शम्भोदरदास
गांधी, प्रभुदास

त्रिपाठी, कमलापति

" "

त्रिपाठी, रामनरेश

त्रिपाठी, सुन्दरलाल

दवे, जगतराम (अनुवादक, काशिनाराय त्रिवेदी)

देसाई, महादेवभाई (अनुवादक शंकरलाल वर्मा)

द्विवेदी, सोहनलाल (सम्पादक)

पाण्डेय, छविनाथ (सम्पादक),

फिथार, लुई (अनुवादक, सुदर्शन और कुलभूषण)

बाघेलाल, महाबल्लिसंह

बिडला, धनश्यामदास

"

भण्डारी, सुखसम्पतिराय

भवानीदयाल संन्यासी

भावे, विनोबा

टालस्टाय और गांधी

सत्याग्रही महात्मा गांधी
बापू की बात
महात्मा गांधी क्या कहते हैं ?
और क्या चाहते हैं ?

बापू और भारत

बापू और मानवता

गांधी जी कौन हैं ?

लंदन में लंगोटीवाला

गांधी जी

इंग्लैण्ड में महात्मा जी

गांधी अभिनन्दन-ग्रन्थ

संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष

गांधी जी के साथ सात दिन

गांधी-नीरव

डायरी के कुछ पन्ने

बापू

महात्मा गांधी

सत्याग्रही महात्मा गांधी

गांधी जी को श्रद्धांजलि

मालवीय, राधाकिशोर
राधाकृष्णन, सर्वपल्ली (सम्पादक) (अनुवादक)

जैनेन्द्र कुमार)

रामचन्द्र जी
रामनाथ 'सुमन'

—

रोलां, रोमा
लीस्टर, क्युरियल
वर्मा, मुकुन्दलाल
" "

वर्मा, रामचन्द्र
विद्यार्थी, प्रमुदयाल
शर्मा, गोकुलचन्द्र
शुक्ल, चन्द्रशंकर (सम्पादक)
साहित्य मन्दिर (प्रकाशक)
कालेलकर काका (सम्पादक)
तिवारी, रामदयाल
पालीवाल, श्रीकृष्णदत्त
फिशर, लुई
यशपाल
सदानन्द भारतीय

गुजराती

कृष्णमूर्ति, वाई० जी०
केलकर, केशव सदाशिव (अनुवादक)
गांधी, मोहनदास करमचन्द्र
चित्तिलिया, करसनदास मूलजी
दवे, कपिलाप्रसाद महासुखभाई
दवे, जगतराम
दिबेटिया, नरसिंह भो०
देसाई, डाह्या भाई भ०
देसाई पाण्डुराव जी०

भाषाङ्ग-मार्गदर्शक, शक १८९१]

महात्मा गांधी की नोआलाली यात्रा

महात्मा गांधी अभिनन्दनग्रंथ

गांधी यात्रा

गांधीवाद की रूपरेखा

युगाधार गांधी

महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष

गांधी जी की यूरोपयात्रा।

कर्मवीर गांधी

श्रद्धास्पद मोहनदास करमचन्द्र गांधी का
जीवन-चरित

महात्मा गांधी

गांधी जी

गांधी-गौरव

गांधीजी के सम्पर्क में

महात्मा गांधी का विश्वव्यापी प्रभाव

गांधीवाद-समाजवाद

गांधी-मीमांसा

गांधीवाद और मार्क्सवाद

गांधी और स्टालिन

गांधीवाद की शब्द परीक्षा

गांधी बनाम साम्यवाद

युगपुरुष गांधी

उदयचन्द्र वैद्य : महात्मा गांधी

सत्य का प्रयोग अथवा आत्मकथा

महात्मा गांधी

यीशु और गांधी

गांधी जी

महात्मा गांधी जी नुं जीवन रहस्य

मोहनदास करमचन्द्र गांधी

कर्मवीर मोहनदास करमचन्द्र गांधी

पटेल, राव जी भाई म०
पाठक रामनाथराव न०

”

बुध, पुरातन
बौद्धीबाला, नन्दलाल (सम्पा०)
याज्ञिक, इन्दुलाल
वर्मा, जयकृष्ण नागरदास

मराठी

केलकर, माधव सदाशिव
शांकर, मो० उ०
गोखले, अबन्तिका बाई

जावडेकर, शंकर दत्तात्रेय
जावडेकर, शंकर, द०
दामले, सीताराम के०
दीवाण, प्रभाकर—
धर्माधिकारी, दादा
शिखरे, दा० न०
साने गुप्ती, पा०स०

बंगला

गंगोपाध्याय, विनयकुमार
चट्टोपाध्याय, हरपव
बोधरी, मणीन्द्रमूषण
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ
दत्त, सत्येन्द्रनाथ
बसु, रवीन्द्रकुमार
मित्र, क्षणेन्द्र
मित्र, सुधीर कुमार
राय, सुबोध कुमार
मूखोपाध्याय, बोनेशचन्द्र
स्टैण्डर्ड बुक कम्पनी (प्रकाशक)

गांधी जी नी साधना
गांधी बापू
मुवाबतार गांधी
बापणा गांधी जी
महात्मा गांधी जी नुं जीवनमृतान्त
महात्मा-गांधी जी ना सहवास मां
महात्मा गांधी जी नुं जीवन

महात्मा गांधी
महात्मा (महात्मा गांधी चें चित्रमय चरित)
महात्मा गांधी यांग चें चरित, विशेष परिचय
लेख व व्याख्यान
लोकमान्य तिलक व महात्मा गांधी
गांधीवाद
महात्मा गांधी
गांधी जीच्यां साहित्यांत
गांधी जी
महात्मा गांधी यांचें चरित्र
गोष्टी रूप गांधी जी

मृत्युञ्जय गांधी जी
गांधी जी के जानते हले
महात्मा गांधी
महात्मा गांधी
गांधी कीर्तन (काव्य)
आमादेर बापूजी
महात्मा गांधी
आमादेर बापू जी
महात्मा गांधी (नाटक)
महात्मा गांधी
नेताजीर पथ ओ गांधीजीर मत्त

कन्नड़

कृष्णयंगार, डी०
गोवर्द्धन, राव, यन०
नारायणराव बी० एस०

गांधीजिय हास्य प्रकृति
गांधियवर चरित्रे
गांधीवाद

संस्कृत

भास्वैव क्लास्वी
भयवदाचार्य स्वामी जी
धर्मा, डी० एस०

श्री गान्धीचरितम् (काव्य)
भारतपारिजातम् (काव्य)
गान्धी-सुत्राणि

अंग्रेजी

अग्रवाल, ए० एन०
अम्बेदकर, बी० आर०
एन्ड्रयूज, सी० एफ०
एन्ड्रयूज, सी० एफ०
कानेटकर, एम० जे०
कृपलानी, के० आर०
केटलिन, जार्ज
गुप्ता, नगेन्द्रनाथ
जार्ज, पी० बी०
डांगे, एस० ए०
देसाई, महादेव
घबन, जी० एन०

नटराजन्, के०
नेहरू, जवाहरलाल
पोलक, हेनरी, एस० एल०
फिशर, लुइस
फिशर, लुइस
फुलुप, मिलर, आर०
बसु, निर्मल कुमार
वैरजाय, रावर्ट
बेरोस, जान (सम्पादक)

गांधिज्म-ए ससिलिस्ट एप्रोज
रानाडे, गांधी ऐण्ड जिन्ना
महात्मा गांधी हिज ओन स्टोरी
महात्मानांभीज आइडियाज
तिलक ऐण्ड गांधी
टैगोर गांधी ऐण्ड नेहरू
इन दि पाँथ आफ महात्मा गांधी
गांधी ऐण्ड गांधिज्म
दियूनिक क्राइस्ट ऐण्ड दि माइस्टिक गांधी
गांधी वर्सेस लेनिन
गांधी जी इन इंडियन विलजेज
दि पोलिटिकल फिलासफी आफ महात्मा
गांधी
महात्मा गांधी
नेहरू आन गांधी
महात्मा गांधी
गांधी ऐण्ड स्टालिन
एक बीक विद गांधी
लेस्लिन ऐण्ड गांधी
स्टडीज इन गांधीज्म
दि नेकेटु फकीर
महात्मा गांधी

बाइट, जे० एस०
मुंजु, के० एम०
मेहता, अशोक
याज्ञिक, इन्द्रलाल
राधाकृष्णन् एस० (सम्पादक)

रघन स्वामी, एम०
रोलां, रोमां
लीस्टर, म्यूरियल
वाडिया, पी० ए०
श्रीधराजी, कृष्णलाल
सीतारामैया, पट्टाभि
सीतारामैया, पट्टाभि
सुबेदार, मनु०
सेठ, एच० एल०
सेन, इला
सेन गुप्ता एण्ड चौधरी
हिन्दुस्तान टाइम्स (प्र०)
हुसेन, सैम्यद
होम, जे० एच०

गांधी साहित्य और गांधी विषयक साहित्य की परिचायक दो ग्रंथ-सूचियाँ अच्छी हैं—

(१) गांधी साहित्य—सूची :

श्री चाए कुरंग गणेश देशपाण्डे द्वारा सम्पादित और नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद द्वारा १९५८ ई० में प्रकाशित ।

(२) महात्मा गांधी : ए डिस्क्रिप्टिव विज्जियोग्रैफी ।

डा० जगदीशशरण शर्मा को इस ग्रंथ पर पी-एच० डी० की उपाधि मिचियन यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई है। इस ग्रंथ का प्रकाशन सन् १९५५ ई० में एस० चांद एण्ड कं० दिल्ली से हुआ था ।

उक्त दोनों ग्रंथ-सूचियों के संशोधित और परिवर्द्धित नये संस्करण प्रकाशित होने चाहिए क्योंकि उनके प्रकाशन के बाद गांधी विषयक साहित्य का प्रकाशन विपुल मात्रा में हुआ है ।

गांधी इज इंडिया
गांधी दि मास्टर
सोसलिज्म एण्ड गांधी जी
गांधी ऐंड आई नो हिम
महात्मा गांधी एसेज एण्ड रेफ्लेक्सेस आन
हिज वर्क
दि पोलिटिकल फिलासफी आफ गांधी
महात्मा गांधी
गांधी—वर्ल्ड सिटीजन
महात्मा गांधी
दि महात्मा एण्ड दि वर्ल्ड
गांधी एण्ड गांधीज्म
सोशलज्म एण्ड गांधीज्म
गांधीज्म ऐज० आई० अंडरस्टूड इट
गांधी नेषलिस्ट आर० इन्टरनेशनलिस्ट
गांधी, ए बाइब्रैफिकल स्टडी
महात्मा गांधी एण्ड इंडियाज स्टगिल फारस्वरराज्य
मेमोरीज आफ बापू
गांधी दि सेन्ट एण्ड स्टेट्स मैन
दि क्राइस्ट आफ टुन्डे

राष्ट्रपिता गांधी जी को 'महात्मा' की उपाधि

सन् १९१५ में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर हिन्दी तथा संस्कृत में प्रथम अभिनंदनपत्र समर्पण करने की रोचक कहानी

इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि संसार में समय-समय पर महान् आत्माओं ने जन्म लेकर अपनी अमृतवाणी से जगत् को प्रेम और शान्ति का सन्देश दिया। बीसवीं शताब्दी में गांधीजी का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने युग को नया मोड़ दिया, जो विश्व के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनके विचारों का अनेक देशों के राजनीतिक विकास में प्रभाव पड़ा है।

इंग्लैण्ड से भारत लौटने पर गांधीजी ने बैरिस्टरी आरम्भ की। सन् १८९३ में एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ रहते हुए, प्रवासी भारतीयों की दयनीय दशा देख कर उन्हें बड़ा कष्ट पहुँचा। उनकी दशा सुधारने के लिए उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया उससे वे प्रसिद्धि में और सन् १९१४ के मध्य तक एक सत्याग्रही नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गये।

भारत में बुद्धिजीवी लोग उन्हें साधारण श्रेणी के मनुष्यों से भिन्न एक कल्याणकारी सन्त के रूप में मानने लगे। १८ जुलाई १९१४ को गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दिया और अपने गृह गीखले से मिलने इंग्लैण्ड गये। वहाँ कई मास ठहरने के पश्चात् वह ६ जनवरी १९१५ की बम्बई आये। जनवरी के द्वितीय सप्ताह में वह काठियावाड़ गये। वहाँ राजकोट, पोरबन्दर और धोराजी की दस दिवसीय यात्रा करते हुए उन्होंने २४ जनवरी को गोंडल (काठियावाड़ की एक रियासत) पहुँच कर वहाँ चार दिनों तक ठहरने का निश्चय किया।

गांधीजी के गोंडल पहुँचने की पूर्व-सूचना, राज्य के दीवान श्री रणछोड़दास वृन्दावनदास पटवारी तथा बैचराज श्री जीवराज कालीदास शास्त्री (वर्तमान आचार्य श्री चरणतीर्थ जी महाराज) को यथासमय प्राप्त हो गई।

जिस प्रकार गांधीजी ने अपने असीम साहस, त्याग, एवं विजय-दृढ़ता आदि गुणों से दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के प्रति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर, राजनीति क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार वह भविष्य में, भारतवर्ष में महान् कार्य साधेंगे और देश के भाग्य को विश्व के भाग्य के साथ जोड़ कर, देश का गौरव बढ़ायेंगे, ऐसी अन्त-प्रेरणा उत्पन्न होने पर

आचार्य-नारायण, शक १८९१]

आचार्य श्री चरणतीर्थ जी महाराज ने गांधीजी को 'पुनः का महापुरुष' मानकर, शीघ्र ही, उन 'महात्मा' की पदवी से विभूषित करना समायोचित समझा। इसी भावना से प्रेरित हो कर उन्होंने गांधीजी का विशेष रूप से सम्मान करने के लिए अभिनंदनपत्र छपवाया, जिसमें 'महात्मा' पदवर्ष का समावेश किया। यह निश्चय हुआ कि यह अभिनंदनपत्र गांधीजी को रसशाला औषधश्रम में एक स्वागत समारोह में ता० २७ जनवरी १९१५ को भेंट किया जाये।


ता० २४ जनवरी १९१५ को गोंडल रेलवे स्टेशन पर बर्षकों की अपार भीड़ थी। डिब्बे से उतरते ही गांधीजी को पुष्पमाला पहनायी गई। स्टेशन से बाहर आकर वह अपनी पत्नी कस्तूरबा और बच्चों के साथ, चार घोड़ोंवाली बग्घी में बैठ गये। कोचबान ने घोड़े हटके। राज्य के बँह बजानेवाले, बँह बजाते हुए और पुलिस आगे चल रही थी। दल मुख्य सड़कों पर होता हुआ गर्ल्स स्कूल के समीप आ कर रुका जहाँ गोंडल के महाराज श्री भगवत सिंह जी गांधीजी से मिलने आये थे। गांधीजी और महाराज साहब अपनी-अपनी बगिचियों से उतर पड़े और परस्पर गले मिले। कुछ मिनटों तक वार्तालाप होने के पश्चात् दल पुनः चला और डेढ़ घण्टे में दीवान साहब पटवारी के बँगले पर पहुँच गया। गांधीजी ने उपस्थित जन-समुदाय की ओर मुस्कराते हुए देखा और हाथ जोड़ कर नमस्कार किया। तदोपरान्त दल विसर्जित हुआ। ता० २५ जनवरी को राज्य के उच्च कर्मचारियों और विशिष्ट व्यक्तियों ने गांधीजी से भेंट की। ता० २६ जनवरी को महाराज साहब ने गांधीजी को राजमहल में दावत दी। इसी दिन सायंकाल छह बजे दीवान श्री पटवारी जी के बँगले पर गोंडल राज्य और जनता की ओर से गांधीजी का अभिनन्दन समारोह संपन्न हुआ।

ता० २७ जनवरी १९१५ को गोंडल की सुप्रसिद्ध रसशाला औषधश्रम में गांधीजी के अभिनन्दन और उनको मानपत्र भेंट करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पाँच हजार श्रद्धालु जन, जिनमें एक हजार महिलाएँ भी सम्मिलित थीं, रसशाला औषधश्रम के प्रांगण में एकत्र हुए। जैसे ही घड़ी मे दस बजे चारों ओर शान्तमय वातावरण छा गया। गांधी जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सभा में पधारे। पटवारी जी की अध्यक्षता में सभा के कार्य का समारम्भ हुआ। पहले पटवारी जी ने गांधीजी के आगमन पर स्वागत भाषण दिया, उन्होंने कहा—

“दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की भावना प्रबल है। उसके विरुद्ध संघर्ष कर गांधीजी ने अपने देश का गौरव बढ़ाया है। इस संघर्ष में श्रीमती कस्तूर बा ने भी उन्हें सहायता पहुँचाई है। गोंडल की प्रजा को गर्व है कि महाराज साहब ने ३५०००, रुपये की रकम इस आन्दोलन के सहायताार्थ भेजी। दक्षिण अफ्रीका के इस संघर्ष ने विपव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, और इस प्रकार गांधीजी ने भारत और विशेष रूप से काठियावाड़ के गौरव को बढ़ाया है।”

“बैद्यराज जीवराम भाई संस्कृत और आयुर्वेद के विद्वान् हैं। गोंडल राज्य की प्रजा के लिए यह शोभनीय बात है कि उन्होंने आज गांधीजी को अभिनंदनपत्र और 'महात्मा' पदवी समर्पण करने का आयोजन किया है।”

गोंडल (सीराष्ट्र) में सन् १९१५ में परिवार के साथ महात्मा गांधी



२७ जनवरी सन् १९१५ को महात्मा उपाधि के प्रथम होने के अवसर पर रमणाला शोधालय, गोंडल (सीराष्ट्र) में यह चित्र लिया गया था। अगली पंक्ति में गांधीजी कम्बुन्या तथा परिवार के बच्चों के साथ बैठे हैं।

तत्पश्चात् श्री गौरीशंकर प्राणशंकर व्यास तथा अन्य सम्मान्य व्यक्तियों ने भाषण दिये।

इसके पश्चात् बैद्यराज जीवराम कालीदास शास्त्री ने निम्नलिखित मानपत्र पढ़ा —

ता० २७वीं जनवरी १९१५

महात्मा

की पदवी और अभिनन्दनपत्र

॥ हरिहरौ कुस्तां भवतां शिवम् ॥

भारतभूषण, दीन-दुःख-हर, पुण्यदलोक महात्मा श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के चरण कमलों में समर्पित।

अगद्वंदनीय महात्मा !

आप तथा आपकी अखंड सौभाग्यवती धर्मपत्नी श्री कस्तूर बा इत संस्था में पधारे, जिससे रसशाला और विशेष रूप से आयुर्वेद को बड़ा मान प्राप्त हुआ। इस हेतु आप श्रीमान् का तथा पूज्य श्री कस्तूर बा का अन्तःकरण से उपकार मानता हूँ। इस प्रसंग में लम्बा भाषण बे कर आपका समय नष्ट करना अभीष्ट नहीं है। आपका पराक्रम, आत्मयोग, और आपके जीवन के प्रत्येक प्रसंग का अवलोकन तथा मनन करने से ज्ञात होता है कि पूर्व काल के हरिश्चन्द्र, श्रीराम, श्रीकृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज आदि शिरसाबंध विभूतियों का गुण गान भारत-वासी किया करते हैं, उन्हीं में आपका एक चरित्र उभरता है। भारत में वस विद्याओं में आपका जीवन-चरित्र गाया जा रहा है। इतना ही नहीं, संसार के प्रत्येक देश में आपके चरित्र को आदर मिला है। इस छोटे से मानपत्र में इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? भारत की सारी प्रजा आपकी श्रेणी है, यह कहने को स्थान नहीं है। मैं आपके गुणों से प्रभावित हो कर संस्कृत में श्लोक-रचना कर आपका गुणानुवाद कर ब्राह्मण रूप से आपको आसीर्वाह देता हूँ।

पुण्यदलोक वैशद्यल "महात्मा" श्री मोहनदास करमचंद गांधी महोदयानां सपत्नी-कानां चरणकमलेषु सम्मानपत्रकम्।

[१]

मस्त्रीमंगलमाल्यवस्तव यथा दिक्केलिहास्यामितं
कण्ठे खेलति विचरतो नमगुणस्फूर्तं गिरां शिल्पिनाम्।
वग्न्वा साङ्गुरभालदुष्टिचवधोतेजस्रद्वया शुभा
विद्वन् कामरतीन्करोत्यवधितास्तेषां दिव्यः सत्वरः ॥

आवाङ्-मार्गशीर्ष, सप्त १८९१]

[२]

कुसुममभिनवं वा भाति यद्वद्वसंतेऽ
सितरत्ननिम्बे वा खन्निर्कोवेति यद्वद् ।
स्फुरति शुचि यशस्ते कर्मखन्नात्मजम्भम्,
परमविमलधाम्ना वाम्बि ! तादृग् विगन्ते ॥

[३]

माधुर्येण सुधारसं परिमलेनामोदिना सारसं
बैमल्येन विधोः करं तरलया काव्या च सुखसारसम् ।
क्षुब्धे कर्णविक्रमे नृणां तव यशो जित्वा कथं लीयते
गान्धीमोहनवासनामचिदुषे वीराय पत्नीसखे ॥

[४]

स्वर्वात्पीयूषधारा क्षरति किमथवा स्वर्गिणां पीतशेषा
अस्तो गंगाप्रवाहः क्षिशिरयति धराभूमिशमूलेः किमेव ।
किं वा इषोतन्ति कल्पद्रुमकुसुमरसास्तुष्टतः षट्पदानम्—
इत्थं नानाधिकल्पान् विदधति कवयः स्वाद्यन्तो यशस्ते ॥

[५]

यथा शीतभानुं हि दृष्ट्वा चकोरा
यथा चण्डभानुं च कोकाः प्रहृष्टाः ।
तथा गन्धिराजं हि दृष्ट्वा भवन्तं
परानन्दसिन्धौ निमग्ना मनुष्याः ॥

[६]

महाभाग्यमेतद्वि गान्धी-जि-नृणां
सुबिख्यात-सीराष्ट्र-सम्पन्नस्थितानाम् ।
यतः शौर्यं-धैर्यं-दृष्ट्वापेतोऽनवद्यः
सवा भारतीयाऽवने लब्धवीर्यः ॥

[७]

यावदस्ति त्रयी लोके अतुमुञ्जमुञ्जोद्गता ।
यावद्वा रामचरितं वाल्मीकि-कवि-चित्रितम् ॥

[८]

ध्यासस्य सूक्तयो धावच्छ्रीकृष्णवरितानुताः ।

वाग्देव्याः श्रेष्ठपुत्रस्य कालिदासस्य वा निरः ॥

[९]

धावच्छ वंशोऽस्त्यार्याणां सतीनां वरितानि च ।

तावस्तुकीतिरमला वेशसेवोद्भवमास्तु ते ॥

इस प्रकार रसशाला औषधाभ्रम और "आयुर्वेद रहस्यार्क" भासिक के हजारों ग्राहक, मैं और गोंडल की प्रजा परमात्मा से प्रार्थना करती है और आज आपके महान् कार्यों से प्रेरित हो कर, मैं अपनी संस्था की ओर से आपको "महात्मा" की पदवी और मानपत्र समर्पित करता हूँ।

महात्मा गांधी, आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किन्तु फिर भी यहाँ पधारने का कष्ट किया। इसका मैं आपका उपकार मानता हूँ।

इस अवसर पर आपके अभिनन्दन-कार्य में सहयोग देने पर बीवान साहब श्री पटवारी जी, महाराज साहब के सेक्रेटरी श्री प्राणशंकर भाई जोशी, प्राइवेट सेक्रेटरी श्री पानाचन्द भाई, श्रीमान् देवचन्द भाई पारिल बैरिस्टर, श्री गौरीशंकर प्राणशंकर व्यास एवं अन्य व्यक्तियों का आभार मानता हूँ। आपको मानपत्र और 'महात्मा' की पदवी के साथ संस्था की ओर से औषधियों की पेटी और पुस्तकें भी समर्पित करता हूँ।

आज मैं इस बात से गर्व और गौरव प्रतीत करता हूँ कि दक्षिण अफ़्रीका में आपका अभियान सफल हुआ। इससे भारत के यश और सम्मान में अभिवृद्धि हुई है। अब स्वदेश लौट आने पर आप अपना शेष जीवन देश सेवा और कल्याण में व्यतीत करें।

भारत वापस आने पर आपको सर्वप्रथम अभिनन्दनपत्र समर्पित करने में मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। और भी आपके इस देश-हितकारिणी संस्था रसशाला में पहले-पहले पधारने पर मैं आपका और श्री कस्तूर बा का आभारी हूँ।

आपका

राजवंध जीवराम कालीदास शास्त्री

अध्यक्ष, रसशाला औषधाभ्रम

और 'आयुर्वेद रहस्यार्क'

बिष्म संवत् १९७१

माघ शुक्ल १२

ता० २७ जनवरी १९१५

बुधवार, प्रातः ९-३० बजे

जब बँधराज ने मानपत्र पढ़ कर उसे चांदी की मंजूषा में रत्न कर गांधीजी के हाथों में अर्पित किया, तो उपस्थित जन समुदाय हर्षनाद कर 'गांधीजी की जय' बोल पड़ा।

अभिनन्दनपत्र समर्पण करने के उपरान्त गांधीजी सब का उपकार मानते हुए बोले—

"मैं गोंडल से थोड़ा परिचित हूँ, किन्तु अपने घनिष्ठ मित्र रणछोड़दास भाई और अपने

आचार्य-वार्धकीर्ण, अंक १८९१]

सहाय्यायी प्राणशंकर भाई जोशी के सम्पर्क से विदेश में गोंडल की याद बनी रहती थी। वहाँ रहते हुए घन की अत्यन्त आवश्यकता के समय महाराज साहब की भेजी हुई रकम हजार गुणा उपयोगी सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में जो सफलता मिली उसका श्रेय गोंडल महाराज को है। आपकी मदद मुझे समय पर न मिली होती तो परिणाम क्या होता, मैं कह नहीं सकता। यह देशसेवा का उज्ज्वल उदाहरण है जिसका अनुकरण अन्य राजाओं महाराजाओं को करना चाहिए। मैं पटवारी जी, प्राणशंकर भाई और वैद्यराज के मेरे अफ्रीका-प्रवास में सहायक होने पर, उनको धन्यवाद देता हूँ।”

“वैद्यराज संस्कृत और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं। उनके द्वारा स्थापित रसशाला, आयुर्वेद के द्वारा जनता की सेवा कर रही है। रसशाला की ओर से प्रकाशित साहित्य जनता के लिए बहुत उपयोगी है। मैं कुछ साहित्य अफ्रीका में पढ़ता रहा। ऐसे प्रकांड विद्वान ने मानपत्र में मेरे लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनसे मुझे बहुत आनन्द प्राप्त हुआ है। उन्हें मैं सदा याद रखूँगा। आयुर्वेद के लिए मेरे मन में बड़ा स्थान है। यह भारत की प्राचीन विद्या है, जो भारत के लाखों श.वों में बसनेवाले करोड़ों मनुष्यों को नीरोग बनानेवाली विद्या है। मैं जनता को आयुर्वेद के अनुसार जीवन बिताने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि रसशाला औषधाश्रम और वैद्यराज, आयुर्वेद के द्वारा अधिकाधिक सेवा करने में समर्थ हो।”

इसके पश्चात् श्री पटवारी जी के समयोचित समापन भाषण के उपरान्त सभा विसर्जित हुई।

गांधी जी का वह ऐतिहासिक भाषण !

भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी प्राचीनकाल से देश को नवीन सिद्धांतों का दर्शन कराती और राष्ट्र का नैतिक नेतृत्व करती रही है। देश के प्रमुख आध्यात्मिक, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक आन्दोलनों का श्रीगणेश यहीं से हुआ। इस पृष्ठभूमि में यह सर्वथा उचित था कि युग-पुरुष महात्मा गांधी भी यहीं से राष्ट्रीय आन्दोलन का शंखनाद करते। वस्तुतः वापू ने यही किया। काशी में आपने अनेक बार क्रान्तिकारी भाषण किए किन्तु १० फरवरी, १९२१ ई० को काशी विद्यापीठ की स्थापना के अवसर पर आपने जो उद्घाटन भाषण किया, उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। देश में मातृभाषा हिन्दी में अध्ययन-अध्यापन को इसमें जहाँ अत्यन्त आवश्यक बताया गया है, वही राष्ट्रीय शिक्षा के निमित्त आपने देश के युवक और प्रबुद्ध समाज का मार्ग-दर्शन किया था। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आपने देश के आर्थिक पक्ष का भी ध्यान रखा है तथा तत्सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण संकेत किये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना में महात्मा गांधी का यह उद्देश्य निहित रहा है कि ऐसे शिक्षालयों से राष्ट्र की सेवा करने के लिए युवक निकल सकें। सरकारी झण्डे के अंतर्गत चलनेवाले विद्यालयों में अध्ययन को आपने अनुचित बताया और विद्यार्थी समाज से कहा कि सरकारी सहायता से चलनेवाले विद्यालयों में पढ़ना पाप है। उद्घाटन भाषण में महात्मा गांधी ने कहा—“कल मेरे पास कानपुर के कई विद्यार्थी आये। वहाँ से वे पढ़ाई छोड़ कर आये हैं। मैंने उनसे पूछा—आप लोग पढ़ना छोड़ कर क्यों आये ?”

उन्होंने उत्तर दिया—“हम लोग चाहते हैं कि इससे बड़ कर कोई अच्छा राष्ट्रीय काम कर सकते।”

मैंने उनसे कहा यह समय अच्छा नहीं। यदि आप इस स्थाल से पढ़ाई छोड़ कर आये होते कि सरकारी सहायता से चलनेवाले विद्यालयों में पढ़ना पाप समझते हैं तभी अधिक लाभ होता। मेरी बात को वे कुछ समझ गये पर उनकी मुलाक़ाति से स्पष्ट छलकता था कि उनके हृदय में अभी कुछ संसय रह गया है क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया कि परीक्षा को केवल दो ही मास रह गये हैं और यदि हम लोग उपाधि लेकर असहयोग करें तो अच्छा है। मैंने कहा कि “यह ठीक नहीं है। जब हमें बूढ़ हो गया कि इन विद्यालयों में शिक्षा लेना पाप है तो इसे त्यागना ही उचित होगा।”

महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षापीठों में अध्ययन-अध्यापन को बल देते हुए सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के त्याग के लिए जो तर्क दिया था, वह भी विलक्षण आचार्य-सर्वसौर्भ, शक १८९१]

और मार्मिक रहा है। इस सम्बन्ध में आपने कहा कि—'हमारे बिस्तरे के नीचे पचासों बर्षों से सांप छिपा है। हमें उसका पता नहीं। आज हमे एकाएक इसका पता लगता है। हम उस बिस्तरे पर कभी नहीं रह सकते। चाहे हमारे पिता उसको छोड़ने के लिए हमे मना करें और चाहे वे उसके लिए हमे माली दें पर हम उस बिस्तरे पर कभी नहीं रह सकते। मैं पिता की आज्ञा नहीं मान सकता क्योंकि पिता को यह बात मालूम नहीं। बिस्तरे पर मेरी शान्ति नहीं रह सकती। यही खयाल कर विद्यालयो को छोड़िये। यह समय परीक्षा का प्रश्न उठाने का नहीं है। यही बात हमे यहाँ के विद्यार्थियो से भी कहनी है।'

देश में राष्ट्रीय विद्यापीठो की स्थापना तथा शिक्षा की उस समय क्या स्थिति थी और कौन लोग महात्माजी से इस विद्या में सहयोग कर रहे थे, इसका भी उक्त भाषण में उल्लेख हुआ है। महात्मा जी ने कहा—'कल हमें हमारे भाई एण्ड्रूज का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि जिम तरह यह चल रहा है उस तरह सफलता की आशा उन्हें गुजरात में भी नहीं है, जो हमारा घर है। पर दो स्थानो के लिए वे निश्चिन्त हैं—पटना और काशी। पटना में इसका भार बाबू राजेन्द्रप्रसाद के हाथ में है और काशी का भार बाबू भगवानदास के हाथ में है। इन पर सबका पूरा एतबार है, बाबू भगवान दास ने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। अन्य प्रान्तो में काम करने वालों में राजनीतिक प्रवृत्ति अधिक है। इसीलिए वे शिक्षा में भी भाग ले रहे हैं। काशी और पटना के लिए मैं भी निश्चिन्त हूँ। पर श्री एण्ड्रूज के उत्तर में यह कहना चाहता हूँ कि और स्थानो में भी यह काम राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया जा रहा है पर धार्मिक दृष्टि से हम लोगों को असहयोग को सफल करने में अपना चित्त रखना चाहिये। हम लोग विद्या भी ऐसी ही चाहते हैं कि एक वर्ष तक स्वराज्य का काम हो सके। विचार करने की बात है कि स्वराज्य कैसे मिल सकता है। सरकारी सहायता से चलाने वाले विद्यालयो का त्याग सम्भव है। लोग कहते हैं कि सरकार के असर में अनाज का त्याग क्यों न करो। मैं इससे सहमत हूँ पर यह सहज नहीं है। विद्या की प्राप्ति अन्य स्थानो में भी हो सकती है। बाबू भगवानदास ने अभी सीता के हरण की कहानी कह सुनायी है। भूमि की सरकारी अपने हाथ में नहीं है। यह अपरिहार्य है। अपरिहार्य को परिहार्य न करना क्षम्य है। पर शिक्षा परिहार्य नहीं। यदि इसके बदले में हमे कुछ भी न मिले तो भी सरकारी विद्यालय छोड़ देने चाहिये।'

गांधी जी ने अंगरेजो की शिक्षा-नीति तथा शासन को राबण-राज्य की संज्ञा दी थी। आपने इस सन्दर्भ में उक्त भाषण में कहा—'आज हमको राबण-राज के नेता क्या सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हम आपको साथ रख कर चलना चाहते हैं। बर्मा से केडाक साहब कहते हैं कि हम शस्त्र नहीं चलाते। हमको उन्हे कह देना चाहिये कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, केवल मजबूरी से ही आपका साथ दे रहे हैं। अली म्हाइयो का कहना है कि यदि हमें यहां कुरान पढ़ने के लिए भी मुद्रहृदयता नहीं मिल सकती तो हमे हिजरत करना चाहिये अर्थात् राज्य का त्याग करना चाहिये। तुलसीदास ने भी मलिन राज्य को त्याग करने के लिए कहा है। पर हम अभी उसका सर्वथा त्याग नहीं कर रहे हैं। उनको अभी मौका देंगे। हम अपने चित्त को समझावे कि

क्या इस राज्य को मिटाने या दुस्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि है तो ३० करोड़ के हिंजरत की क्या आवश्यकता है। थोड़ा यत्न ही काफी है। इसीलिए इस विद्यापीठ की स्थापना हो रही है। हमें विद्या ऐसे पुण्यदान को मँले हाथों से नहीं लेना चाहिये। जितने विद्यालय सरकार के असर में हैं, उनसे हमें विद्या नहीं लेनी चाहिये। जिस विद्यालय पर उनकी ध्वजा फहराती है, वहाँ विद्यादान लेना पापकर्म है। आपको निमन्त्रण है कि यदि आप उसे पाप समझते हैं तो यहाँ चले आइये। केवल इस ज्ञयाल से न आइये कि वहा शिक्षा बुरी है और यहाँ अच्छी मिलेगी। इससे आपको पादचात्ताप होगा।'

इस प्रकार अंग्रेजों की चलायी हुई शिक्षा तथा संरक्षित स्कूलों के बहिष्कार का आह्वान आपने काशी से ही बड़ी ओजस्विता तथा प्रभविष्णुता से किया।

मान्भाषा में अध्ययन-अध्यापन को भी महात्मा गांधी बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे। आपकी स्पष्ट मान्यता थी कि मान्भाषा में शिक्षा की व्यवस्था के बिना मच्छा स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता। इस प्रसंग में उस समय महात्मा गांधी ने कहा—'वहा की शिक्षा की बुराई हम भी मानते है। एक तो वहा अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्तानी है। जिसे २१ करोड़ आदमी बोलते हैं। अंग्रेजी को हम मातृभाषा का स्थान नहीं देना चाहते पर उसे त्यागना भी नहीं चाहते। वह बड़ी ओजस्वी भाषा है। उसमें व्यापार बहुत बढ़ा-बड़ा है। उसे सीखिए। हमारी मातृभाषा स्थान-भ्युत हो गयी है और उसका स्थान दूसरी भाषा ने ग्रहण कर लिया है। ऐसी ही और बहुत-सी घुटियां है पर उन्हें दूर करने और नई कार्यप्रणाली स्थिर करने के लिए हम ठहर नहीं सकते। हम उस झण्डे के नीचे नहीं रह सकते जिसकी सलामी करने के लिए हमारे लड़के मजबूर किये गये थे।

महात्मा गांधी ने उस समय मान्भाषा की उन्नति के लिये जो मुझ-व दिये थे, वे भी ध्यान देने योग्य हैं। कारण स्वाधीनता के बाइस वर्षों के बाद भी मातृभाषा हिन्दी की समुचित प्रतिष्ठा नहीं हो पायी है। उस समय महात्मा जी ने कहा था—मातृभाषा को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इसे लिख-पढ़ न सकना शर्म की बात है। जो कुछ अंग्रेजी में तालीम मिली है उसे मातृभाषा में हजम कीजिये। हिन्दू-मुसलमानों की कैसे सेवा हो सकती है, इसे सीखना है। हमें उर्दू और देवनागरी सीखनी चाहिये। हमें वह हिन्दी चलानी है जिसमें संस्कृत और उर्दू मिली हो, जिससे हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। अंगरेज कहते हैं कि यह मेल दिखावा मात्र है। हिन्दू-मुसलमानों का मेल कभी हो नहीं सकता। यह केवल अपने-अपने मतलब के लिए है। जहाँ मतलब सिद्ध हुआ कि फिर वही हालत हो जायगी। पर यह व्यर्थ है। यदि हिन्दू और मुसलमान परस्पर रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं तो यह नहीं हो सकता।


काशी विद्यापीठ की स्थापना के माध्यम से महात्माजी ने देश को राष्ट्रीयता का अभिनव मन्त्र दिया और स्वराज्य प्राप्ति का रचनात्मक कार्यक्रम। काशी विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य अनहूयोग आन्दोलन को अग्रसर करना रहा है। इस प्रसंग में गांधी जी ने कहा—'अगर हिन्दू-मुसलमान यहाँ मिल कर काम करेंगे तो हमारा स्वराज्य आपके मारफत आ जायगा।

इसी अभिलाषा से मैंने शिवप्रसाद और जवाहरलाल से कहा था कि इस कार्य का आरम्भ मेरे हाथ से कराइये। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि हो और यह विद्यालय राक्षसी सम्मत मत को मिटाने या दुस्त करने में हिस्सा ले।'

इस प्रकार गांधीजी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए आपने जो व्यावहारिक सुझाव रखे उन्हें आज के सन्दर्भ में भी समझने-परखने की आवश्यकता है। गांधीजी ने अंग्रेजी राज्य को राक्षसी राज्य अथवा रावण राज्य कहा है। इसे मिटा कर अथवा ठीक कर आप रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे। देश के युवकों के सम्मुख राष्ट्रीयता के आदर्श को उपस्थित कर आपने मातृभाषा के विकास को राष्ट्रीय उन्नति का मूल माना है। असहयोग आन्दोलन को अग्रसर करने के लिए आपने श्री शिव प्रसाद जी गुप्त तथा डाक्टर भगवानदास जी के सहयोग से काशी विद्यापीठ की स्थापना करायी। इसी समय महात्मा जी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का भी आन्दोलन शुरू किया था। आपका कथन था कि हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि विदेशी वस्त्र धारण करना महापाप है। इसलिये आपने सबसे पहला धर्म चरखा चलाना बताया। आपने कहा—'असहयोग ही हमारे लिए एक शस्त्र है। दूसरे तत्त्वज्ञान मजहबी लाम आदि शस्त्र नहीं है। यहाँ वणिक् बुद्धि का काम नहीं है। उसे हम हटाना चाहते हैं, उच्च करना चाहते हैं। अगर हम आज सेवा करते हैं तो स्वार्थ से, अपने स्त्री-बच्चों की सुख पहुँचाने की लालसा से, हमको राष्ट्र की सेवा करनी चाहिये। राष्ट्र के लिये हम सब काम करेंगे। हमे व्यापार में ज़ुआ नहीं खेलना है। हम हिन्दोस्तान को पुण्यभूमि बनावेंगे। यहाँ से हर साल ६० करोड़ रुपये कपड़ों के लिए विदेश चले जाते हैं। इसको रोकने का तरीका यहाँ बताया जायगा। सीता (भूमि) की स्थापना तो लका से लाकर करना है पर यदि वस्त्र के हरण को नहीं रोक सकते तो क्या कर सकते हैं? भूमि को अपना करना नामुमकिन है पर वस्त्र नहीं छिनने देना चाहिये। हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि विदेशी वस्त्र धारण करना महापाप है। हिन्दू मुसलमानों को यह बात सुनाने में बड़ा सुभीता है; क्योंकि दोनों का संयम और त्याग धर्म है। विदेशी कपड़ा पहनना पाप है। पहला धर्म चरखा चलाना है। विद्यालय के चलाने वाले इसे याद रखेंगे। हम लोग विद्यार्थियों के जरिये ६० करोड़ रुपया बचा सकते हैं। इसको बचाइये। विद्यार्थी यही करे। इसी से हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी।'

सन् १९२१, फरवरी में काशी विद्यापीठ की स्थापना के अवसर पर महात्मा गांधी का यह शुभारम्भ भाषण हमारे राष्ट्रीय जागरण, नवचेतना, नवसंस्कार तथा आर्थिक क्रान्ति का सूत्रपात करने वाला है। मातृभाषा की उन्नति तथा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक मूल्य है। गांधी शती जयन्ती के अवसर पर बापू के ये विचार आज भी हमारे उद्बोधन एवं उत्थान की प्रेरणा प्रदान करने हैं।

सन् १९१८ में इंदौर में होने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्वागतकारिणी समिति



१. महाराजा बलभद्र सिंह (शालरापाटन) २. पं० मधुसूदन त्रिवेदी, ३. गणेशदास त्रिवेदी, ४. गणेशदास त्रिवेदी (मन्मथगढ़ी) (मन्मथगढ़ी) (मन्मथगढ़ी)
५. रायबहादुर पंडित विष्णुदास शंकर, ६. महाराजा साधु (मन्मथगढ़ी) ७. रायबहादुर मंडल जमनालाल बजाज,
८. बाबू पुष्पात्मदास टंडन (मन्मथगढ़ी) ९. रायबहादुर मरदाग माधवराज विनायक किशोर, १०. पं० शंकरप्रसाद मुखर्जी,
११. रायबहादुर डाक्टर मरुप्रसाद (मन्मथगढ़ी), स्वागतकारिणी समिति १२. पंडित रामजीलाल शर्मा।

महात्मा गांधी

इन्दौर में होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के
अधिवेशनों के अध्यक्षीय भाषण



राष्ट्रभाषा और हिन्दी-प्रसार-प्रचार के संबंध में सार्वजनिक सभाओं, बैठकों, समितियों में प्रकट किये गये तथा 'यंग इंडिया' 'नवजीवन' 'हरिजन सेवक' आदि पत्रों में प्रकाशित गांधी जी के भाषण, विचार, वक्तव्य और मंतव्य।

इंदौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आठवाँ अधिवेशन

महात्मा गांधी का अध्यक्षीय भाषण

इंदौर में होनेवाले अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन में, जो २९ मार्च १९१८ में हुआ था, महात्मा गांधी ने निम्न भाषण दिया—

हमारे पूजनीय और स्वार्थत्यागी नेता पं० मदनमोहन जी मालवीय सम्मेलन में नहीं आ सके। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि जहाँ तक बने सम्मेलन में उपस्थित रहियेगा। उन्होंने वचन दिया था कि जरूर आयेंगे। पण्डित जी सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए पर उन्होंने एक पत्र भेज दिया है। मैं उम्मेद करता था कि यदि पण्डित जी नहीं आयेंगे तो उनका पत्र अवश्य आयेगा और मैं उसे आप लोगों के सामने उपस्थित कर सकूँगा। यह पत्र मुझे आज मिला है। मैंने स्वागतकारिणी सभा को हिन्दी के विषय में विद्वानों से दो प्रश्नों पर सम्मति लेने के लिए कहा था, उन्हीं का उत्तर पण्डितजी ने अपने पत्र में दिया है। उनका पत्र इस प्रकार है—

“प्रिय भाई गांधी जी,

मुझे खेद है कि मैं अब तक हिन्दी के विषय के आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। मुझे क्षमा कीजियेगा। अवकाश नहीं मिला था। आपको तो मालूम ही है कि मेरा यह मत है कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। बहुत अंश में वह अब भी है। उर्दू हिन्दी का एक विशेष रूप मात्र है और यदि कठिन संस्कृत, अर्बी या फारसी के शब्द उसमें बहुतायत से काम में न लाये जायें तो जो लोग उसको एक रूप में समझ सकते हैं वह दूसरे रूप में भी समझ लेंगे। संस्कृत से निकली मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया आदि भाषाओं से इसका निकट का सम्बन्ध है। इसलिए मद्रास प्रान्त को छोड़कर और सब प्रान्त के लोगों को उसका समझना कठिन नहीं। कुछ पाठरियों ने लिखा है कि मध्य एशिया में भी बहुत दूर तक हिन्दी बषवा सरल उर्दू, जिसे हिन्दुस्तानी कहते हैं, समझी जाती है।

पुराने समय में, जब हिन्दुस्तान में स्वदेशी राजाओं का राज्य था, संस्कृत राष्ट्रभाषा थी, पीछे प्राकृत थी। यदि इस देश में फिर स्वराज्य स्थापित होना है—जैसा कि हम आशा करते हैं कि शीघ्र होगा—तो यह आवश्यक है कि वह देशी भाषा, जिसको देश के सबसे अधिक लोग समझ सकते हैं, राष्ट्रभाषा मान ली जाय और दिन दिन सब प्रान्तों के पढ़े-लिखे लोग उसमें लिखने और बोलने का अभ्यास करें। संसार की वर्तमान राजनीतिक दशा में जब 'जिसका लोहा उसका देश' यह सिद्धांत प्रचण्ड रूप से गरज रहा है। हिन्दुस्तान अपनी रक्षा और उन्नति तभी कर सकेगा

जब इसका शासन वर्तमान के समान राष्ट्र के रूप में रहेगा। प्रांतीय भाषाओं में प्रांत का शासन अलग और स्वतंत्र रहना ठीक है, किन्तु उनके ऊपर जैसा अब है वैसा ही आगे भी एक राष्ट्रीय शासन रहना चाहिए। और यदि वर्तमान के स्थान में स्वतंत्रता की रीति का शासन स्थापित होना है तो उसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कार्रवाई देशी भाषा में हो, जिसमें देश के सर्व साधारण लोग उसको समझ सकें और उसका समर्थन या सङ्गठन कर सकें। मेरी राय में हर एक स्वराज्य के चाहने वाले देशभक्त का यह कर्तव्य है कि वह सब प्रांतों में पढ़े लिखे लोगों को हिन्दी बोलने और लिखने का अभ्यास बढ़ाने के लिए प्रेरणा करे।

हमारे देश की दशा के सुधार और उन्नति के लिए हमारा सबसे बड़ा साधन विद्या है। यही अमृत है कि जिसके सेवन करने से हमारे भाई-बहन फिर बलवान, धर्मवान्, ज्ञानवान्, धनवान् हो सकते हैं। प्रजा में विद्या का प्रचार उनकी मातृभाषा ही के द्वारा हो सकता है। जिस प्रांत में जो भाषा प्रचलित है उस प्रांत में उसी भाषा के द्वारा ऊँची से ऊँची शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिए। अंग्रेजी के द्वारा हमारा बहुत उपकार हुआ है, किन्तु हम अंग्रेजी पढ़े लोगों को उचित था कि अबतक प्रत्येक प्रांत की भाषा की ऐसी उन्नति करते कि उसके द्वारा ऊँची से ऊँची शिक्षा हमारे भाई और बहनों को दी जाती होती। विदेशी भाषा का ज्ञान मात्र प्राप्त करने में जितना समय हमारे युवकों को लगाना पड़ता है उतने ही समय में उनको बहुत से विषयों का बहुत ऊँचा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हर प्रांत में मातृभाषा के द्वारा ऊँची शिक्षा का अधिक प्रचार करना चाहिए। जहाँ जहाँ हिन्दी प्रचलित है वहाँ वहाँ उसी के द्वारा ऊँची से ऊँची शिक्षा देने का यत्न करना उचित है। वर्तमान समय में अंग्रेजी बहुत उपकारी भाषा है। इसलिए जहाँ सुविधा हो वहाँ उसको दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाना उचित है। इस घोर महाभारत का अन्त होने के बाद इससे भी भयंकर एक व्यापक-युद्ध प्रारंभ होगा। उसमें हमें अपना जातीय जीवन और धन बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम देश की कलाकौशल और वाणिज्य व्यापार सम्बन्धी शिक्षा फँसाने का प्राणपन से यत्न करें। यह यत्न भी मातृभाषा के ही द्वारा हो सकता है, विदेशी भाषा के द्वारा जाति की शिक्षा नहीं हो सकती और बिना ऐसी शिक्षा के जातीय जीवन का बूझ न हरा-भरा और न पुष्ट हो सकता है, और न रक्षित रह सकता है। इसीलिए सब प्रकार से देशी भाषाओं और विशेष कर हिन्दी भाषा का प्रचार और उन्नति करना हमारा धर्म है। जो लोग कहते या समझते हैं कि हिन्दी भाषा द्वारा ऊँची से ऊँची शिक्षा नहीं दी जा सकती, उनका यही प्रयोजन हो सकता है कि इस भाषा में आधुनिक ऊँचे से ऊँचे विषय के ग्रंथ अभी नहीं लिखे गये। यह कमी अवश्य है किन्तु इसको पूरा करने का यत्न हो रहा है। मुझे निश्चय है कि यत्न शीघ्र ही सफल होगा। ऐसा ही और और देश भाषाओं के विषय में भी है। हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यकता और उसके दूरतक पहुँचाने वाले लक्ष्यों को अभी हमारे पढ़े लिखे भाइयों में भी थोड़े ही लोगों ने समझा है। मैं आशा करता हूँ कि आपके शान्त और गम्भीर भाव को सुनकर हमारे भाई सचेत होंगे और इस परम उपकारी कार्य में सहायक होंगे। जैसा कि आपकी दूसरे पत्र में लिख चुका हूँ, मुझे खेद है कि मैं सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सकूँगा।

किन्तु जैसा आप जानते हैं इस कार्य में मेरी भाषा आपके साथ है और मैं अपनी पति से उसकी सिद्धि के लिए यत्न कर रहा हूँ।" मालवीय जी का पत्र पढ़कर गांधीजी ने पुनः कहा—

मैं दिलगीर हूँ कि जो व्याख्यान सम्मेलन में देने का मेरा इरादा था वह आपके सामने नहीं रख सका हूँ। मैं बड़ी संशयों में पड़ा हूँ। मेरी इस समय बड़ी दुर्बला है। इससे मैं यह काम नहीं कर सका। पर मैंने वादा किया था कि आर्जंगा आ गया, जो चीज सामने रखने का इरादा था, नहीं रख सका।

यह भाषा का विषय बड़ा भारी और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि सब नेता सब काम छोड़कर केवल इसी विषय पर लगे रहें तो बस हैं। यदि हम लोग भाषा के प्रश्न को गौण समझेंगे या इधर से मन हटा लेंगे तो इस समय लोगों में जो प्रवृत्ति चल रही है, लोगों के हृदयों में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वह निष्फल हो जायगा।

भाषा माता के समान है। माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए वह हम लोगों में नहीं है। मुझे तो सम्मेलन से भी वास्तविक प्रेम नहीं है। तीन दिन का जलसा होगा। तीन दिन कह-सुन कर हमें जो करना होगा उसे भूल जायेंगे। सभापति के भाषण में तेज नहीं है, जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह उसमें नहीं है। इससे भारी कंगालियत मैं नहीं जान सकता। हम पर और हमारी प्रजा के ऊपर एक बड़ा आरोप है कि हमारी भाषा में तेज नहीं है। जिनमें विज्ञान नहीं है उनमें तेज नहीं है। जब हममें तेज आयेगा तभी हमारी प्रजा में और हमारी भाषा में तेज आयेगा। विदेशी भाषा द्वारा आप जो स्वातंत्र्य चाहते हैं वह नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें हम योग्य नहीं हैं। प्रसन्नता की बात है कि इन्दौर में सब कार्य हिन्दी में होता है, पर क्षमा कीजियेगा प्रधान मंत्री साहेब का जो पत्र आया है वह अंग्रेजी में है। इन्दौर की प्रजा यह बात नहीं जानती होगी, पर मैं उसे बतलाता हूँ कि यहाँ अदालतों में प्रजा की अर्जियाँ हिन्दी में ली जाती है पर न्यायाधीशों के फैसले पर वकील बैरिस्टरों की बहस अंग्रेजी में होती है। मैं पूछता हूँ कि इन्दौर में ऐसा क्यों होता है? हाँ यह ठीक है, यह मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी राज्य में यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है, पर देशी राज्यों में तो सफल होना ही चाहिए। शिक्षित वर्ग, जैसा कि माननीय पंडित जी ने अपने पत्र में दिखाया है, अंग्रेजी के मोह में फँस गया है और अपनी राष्ट्रीय मातृभाषा से उसे अविश्वास हो गया है। पहली माता से जो दूध मिलता है उसमें जहर और पानी मिला हुआ है और दूसरी माता से शुद्ध दूध मिलता है। बिना इस शुद्ध दूध के मिले हमारी उन्नति होना सम्भव नहीं है। पर जो अंधा है वह देख नहीं सकता और गुलाम नहीं जानता कि अपनी बेडियाँ किस तरह तोड़ें। ५० वर्ष से हम अंग्रेजी के मोह में फँसे हैं, हमारी प्रजा अज्ञान में डूब रही है। सम्मेलन को इस ओर विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए। हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक वर्ष में राजकीय सभाओं में, कांग्रेस में, प्रान्तीय सभाओं में और अन्य सभा-समाज और सम्मेलनों में एक भी अंग्रेजी का शब्द सुनाई न पड़े, हम बिल्कुल अंग्रेजी का व्यवहार त्याग दें। अंग्रेजी सर्व व्यापक भाषा है, पर यदि अंग्रेज सर्व व्यापक न रहेंगे तो अंग्रेजी भी सर्व व्यापक न रहेगी। अब हमें अपनी मातृभाषा को और नष्ट करके उसका खून नहीं करना चाहिए। जैसे अंग्रेज मादरी जवान

अंग्रेजी में ही बोलते और सर्वथा उसे ही व्यवहार में लाते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिन्दी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। अब मैं अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ता हूँ।

लिखित भाषण

आपने मुझको इस सम्मेलन का सभापतित्व देकर कृतार्थ किया है। हिन्दी-साहित्य की दृष्टि से मेरी योग्यता इस स्थान के लिए कुछ भी नहीं है, यह मैं खूब जानता हूँ। मेरी हिन्दी भाषा का असीम प्रेम ही मुझे यह स्थान दिलाने का कारण हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेम की परीक्षा में मैं हमेशा उत्तीर्ण होऊँगा।

साहित्य का प्रदेश भाषा की भूमि जानने पर ही निश्चित हो सकता है। यदि हिन्दी भाषा की भूमि सिर्फ उत्तर प्रान्त होती तो साहित्य का प्रदेश संकुचित रहेगा। यदि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषक बंसी भाषा। भाषा-सागर में स्नान करने के लिए पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर से पुनीत महात्मा आयेगे तो सागर का महत्व स्नान करनेवालों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए साहित्य की दृष्टि से भी हिन्दी भाषा का स्थान विचारणीय है।

हिन्दी भाषा की व्याख्या का थोड़ा सा स्थूल करना आवश्यक है। मैं कई बार व्याख्या कर चुका हूँ कि हिन्दी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिन्दू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिन्दी एकदम संस्कृतमयी नहीं है, न वह एकदम फारसी शब्दों से लदी हुई है। देहाती बोली में जो माधुर्य मैं देखता हूँ वह न लखनऊ के मुसलमान भाइयों की बोली में, न प्रयाग के पबिलों की बोली में पाया जाता है। भाषा वही श्रेष्ठ है जिसको जन-समूह सहज में समझ ले। देहाती बोली सब समझते हैं। भाषा का मूल करोड़ों मनुष्य स्त्री हिमालय से मिलेगा, और उसमें ही रहेगा। हिमालय में से निकलती हुई गंगा जो अनन्त काल तक बहती रहेगी। ऐसे ही देहाती हिन्दी का गौरव रहेगा और जैसे छोटी सी पहाड़ी से निकलता हुआ झरना सूख जाता है वैसे ही संस्कृतमयी तथा फारसीमयी हिन्दी की दशा होगी।

हिन्दू मुसलमानों के बीच में जो भेद किया जाता है वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता हिन्दी व उर्दू भाषा के भेद में है। हिन्दुओं की बोली से फारसी-शब्दों का सर्वथा त्याग और मुखल्लयों की बोली से संस्कृत का सर्वथा त्याग अनावश्यक है। दोनों का स्वाभाविक संगम गंगा-यमुना के संगम सा क्षोभित अचल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम हिन्दी-उर्दू के क्षणों में पड़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे। लिपि की तकलीफ कुछ जरूर है। मुसलमान भाई अरबी लिपि में ही लिखेंगे, हिन्दू बहुत कर नागरी लिपि में लिखेंगे। राष्ट्र में दोनों को स्थान मिलना चाहिए। अमल्लवारों को दोनों लिपि का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। अन्त में जिस लिपि में ज्यादा सरलता होगी उसी की विजय होगी।

भारतवर्ष में परस्पर व्यवहार के लिए एक भाषा होनी चाहिए, इसमें कुछ संदेह नहीं है। यदि हम हिन्दी-उर्दू का झगड़ा भूल जायें तो हम जानते हैं कि मुसलमान भाइयों की तो उर्दू ही राष्ट्रीय भाषा है। इस बात से यह सहज में सिद्ध होता है कि हिन्दी या उर्दू मुगलों के जमाने में राष्ट्रीय भाषा बनती जाती थी।

आज भी हिन्दी से स्पर्धा करनेवाली दूसरी कोई भाषा नहीं है। हिन्दी उर्दू का झगड़ा न छोड़ने से राष्ट्रीय भाषा का सवाल सरल हो जाता है। हिन्दुओं को फारसी शब्द थोड़ा-बहुत जानना पड़ेगा। इस्लामी भाइयों को संस्कृत-शब्द का ज्ञान संपादन करना पड़ेगा। इससे हिन्दी भाषा का बल बढ़ जायगा, और हिन्दू-मुसलमानों में एकता का एक बड़ा साधन हमारे हाथ में आ जायगा। अंग्रेजी भाषा का मोह दूर करने के लिए इतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा कि हमें लाजिम है कि हम हिन्दी-उर्दू का झगड़ा न उठावें। लिपि की तकरार भी हम को न उठानी चाहिए।

अंग्रेजी भाषा राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं हो सकती है, अंग्रेजी भाषा का बोधा प्रजा के ऊपर रखने से क्या हानि होती है, हमारी शिक्षा का माध्यम आज तक अंग्रेजी होने से प्रजा कंसी कुचल दी गई है। हमारी जातीय भाषा क्यों कगाल हो रही है, इन सब बातों पर मैं अपनी राय भागलपुर और भरुच के व्याख्यानों में दे चुका हूँ। इसीलिए मैं यहाँ फिर नहीं देना चाहता। इन दोनों व्याख्यानों में से भाषा सम्बन्धी भाग में इस व्याख्यान के परिशिष्ट रूप में रख दूंगा। हकीकत में इस बात में संदेह नहीं हो सकता है। हमारे कविवर सर रवीन्द्रनाथ टागोर, विदुषी बेसेंट, लोकमान्य तिलक और अन्यान्य प्रतिष्ठित और अन्य व्यक्तियों का मतव्य इस विषय में ऐसा ही है। कार्य की सिद्धि में कठिनाइयाँ तो होंगी ही, किन्तु उसका उपाय करना इस सभा पर निर्भर है। लोकमान्य तिलक महाराज ने अपना अभिप्राय कार्य करके बता दिया है। उन्होंने 'केसरी' में और 'मराठा' में हिन्दी विभाग शुरू कर दिया है। भारतरत्न पण्डित मदनमोहन मालवीय जी का अभिप्राय भी हिन्दुस्तान में अज्ञात नहीं है। तो भी मुझे मालूम है कि हमारे कई विद्वान नेताओं का अभिप्राय है कि कुछ वर्षों तक तो सिर्फ अंग्रेजी ही राष्ट्रीय भाषा रहेगी। इन नेताओं से हम विनयपूर्वक कहेंगे कि अंग्रेजी के इस मोह से प्रजा पीड़ित हो रही है। अंग्रेजी शिक्षा पानेवालों के ज्ञान का लाभ प्रजा को बहुत ही कम मिलता है और अंग्रेजी शिक्षित वर्ग और आम लोगों के बीच बड़ा दरियाव आ पड़ा है।

कहना आवश्यक नहीं है कि मैं अंग्रेजी भाषा से द्वेष नहीं करता हूँ। अंग्रेजी साहित्य भण्डार से मैंने भी बहुत रत्नों का उपयोग किया है। अंग्रेजी भाषा के मार्फत हमको विज्ञान इत्यादि का खूब ज्ञान लेना है। अंग्रेजी का ज्ञान कितने भारतवासियों के लिए आवश्यक है। लेकिन इस भाषा को उसका उचित स्थान देना एक बात है, उसकी जड़-पूजा करनी दूसरी बात है।

हिन्दी-उर्दू राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, इस बात को सिर्फ स्वीकार करने से हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है, तो किस प्रकार हम सिद्धि पा सकेंगे? जिन विद्वानों ने इस मन्थप

को विभूषित किया है वे भी अपनी बक्तुता से हमको इस विषय में जरूर कुछ सुनायेंगे। मैं सिर्फ भाषा-प्रचार के बारे में कुछ कहूँगा। भाषा-प्रचार के लिए हिन्दी-शिक्षक होना चाहिए। हिन्दी बंगाली सीखनेवालों के लिए एक छोटी सी पुस्तक मैंने देखी है। वैसी ही मराठी में भी है। अन्य भाषाभाषियों के लिए ऐसी किताबें देखने में नहीं आई हैं। यह काम करना जैसा सहल है वैसा ही आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि यह सम्मेलन इस कार्य को शीघ्रता से अपने हाथ में लेगा। ऐसी पुस्तकें विद्वान् और अनुभवी लेखकों के द्वारा बनवानी चाहिए।

सबसे कष्टदायी मामला द्रविड़ भाषाओं के लिए है। वहाँ तो कुछ प्रयत्न ही नहीं हुआ है। हिन्दी भाषा सिखानेवाले शिक्षकों को तैयार करना चाहिए। ऐसे शिक्षकों की बहुत ही कमी है। ऐसे एक शिक्षक प्रयाग से आपके लोकप्रिय मंत्री भाई पुरुषोत्तमदास जी टण्डन के द्वारा मुझे मिले हैं।

हिन्दी भाषा का एक भी संपूर्ण व्याकरण मेरे देखने में नहीं आया है। जो हैं सो अंग्रेजी में विलायती पादरिओं के बनाये हुए हैं। ऐसा एक व्याकरण डाक्टर कॅलाग का रचा हुआ है। संशोधन से बनाया हुआ है। हिन्दुस्तान की अन्यान्य भाषाओं का मुकाबला करनेवाला व्याकरण हमारी भाषा में होना चाहिए। हिन्दी प्रेमी विद्वानों से मेरी नम्र विनंती है कि वे इस नुति को दूर करे। हमारी राष्ट्रीय सभाओं में हिन्दी भाषा का ही इस्तेमाल होना आवश्यक है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रयत्न होना चाहिए। मेरा अभिप्राय है कि यह सभा ऐसी प्रार्थना आगामी कांग्रेस के कर्मचारियों के सम्मुख उपस्थित करे।

हमारी कानूनी सभाओं में भी राष्ट्रीय भाषा द्वारा कार्य चलना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक प्रजा को राजनीतिक कार्यों में ठीक तालीम नहीं मिलती है। हमारे हिन्दी अखबार इस कार्य को थोड़ा सा करते तो हैं लेकिन प्रजा को तालीम अनुवाद से नहीं मिल सकती है। हमारी अदालतों में जरूर राष्ट्रीय भाषा और प्रांतीय भाषा का प्रचार होना चाहिए। न्यायाधीशों की मार्फत जो तालीम हमको सहज ही मिल सकती है उस तालीम से आज प्रजा वंचित रहती है।

भाषा की सेवा जैसी हमारे राजा-महाराजा लोग कर सकते हैं वैसी अंग्रेज सरकार नहीं कर सकती। महाराजा होलकर जी की काउन्सिल में, कचहरी में और हर एक कार्यों में हिन्दी का और प्रांतीय बोली का ही प्रयोग होना चाहिए। उनके उत्तेजन से भाषा और बहुत ही बढ़ सकती है। इस राज्य की पाठशालाओं में शुरू से आखिर तक सब तालीम मादरी जबान में देने का प्रयोग होना चाहिए। हमारे राजा-महाराजाओं से भाषा की बड़ी भारी सेवा हो सकती है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि होलकर महाराज और उनके अधिकारी वर्ग इस महान् कार्य को उत्साह से उठा लेंगे।

ऐसे सम्मेलन से हमारा सब कार्य सफल होगा, ऐसी सभ्य हम ही हैं। जब हम प्रति दिन इसी कार्य की धुन में लगे रहेंगे तब ही इस कार्य की सिद्धि हो सकेगी। सैकड़ों स्वार्थ-त्यागी विद्वान् जब ही इस कार्य को अपनायेंगे तब ही सिद्धि सम्भव है।

आषाढ-कार्तिकी, शक १८९१]

मुझे श्रेय तो यह है कि जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी है वहाँ भी उस भाषा की उन्नति करने का उत्साह नहीं दिखाई देता है। उन प्रान्तों में हमारे शिक्षित वर्ग आपस में पत्र-व्यवहार और बातचीत अंग्रेजी में करते हैं। एक भाई लिखते हैं कि हमारे अखबार चलानेवाले अपना व्यवहार अंग्रेजी के भारफत से करते हैं, अपने हिसाब किताब वे अंग्रेजी में ही रखते हैं। बात छोटी है, लेकिन उसमें रहस्य बहुत है। फ्रांस में रहनेवाले अंग्रेज अपना सब व्यवहार अंग्रेजी ही में रखते हैं, हम अपने देश में अपने महत्त्व कार्य विदेशी भाषा में करते हैं। मेरा लज्ज, लेकिन कुछ भयिप्राय है कि जबतक हम हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नहीं देंगे तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक हैं। इस सम्मेलन द्वारा भारतवर्ष के इस बड़े प्रश्न का निराकरण हो जाय, ऐसी मेरी आशा और प्रभु प्रति प्रार्थना है।

इन्दौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चौबीसवाँ अधिवेशन

इन्दौर में २० अप्रैल सन् १९३५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चौबीसवाँ अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी ने निम्न भाषण दिया—

ईश्वर की गति गहन है। अक्टूबर मास से मैं इस बोझ को टाल रहा था। यह पद पूजनीय मालवीय जी महाराज का था। पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण, और उनको विदेश जाना था इसलिए उन्होंने त्याग पत्र भेजा। दूसरा सभापति चुनने में आपको कुछ मुसीबत थी। मेरा नाम तो स्वागत समिति के सामने था ही। मुझको जब स्वागत समिति का सकट बताया गया तो मैं विवश हो गया और पद-ग्रहण करना स्वीकार कर लिया।

स्वीकृति देने का मेरे लिये अन्य कारण तो था ही। गत वर्ष जब मेरे पास इस अधिवेशन के सभापतित्व का प्रस्ताव आया तब मैंने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार के लिए दो लाख रुपये मांगे। भला आजकल दो लाख इस काम के लिए कौन दे? हाँ, हम प्रयत्न करेंगे। आपके पद स्वीकार करने से सफल होंगे—समिति की ऐसी बातों में फँस जाऊँ ऐसा भला मैं कब था? मैंने तो दो लाख की गारण्टी मांगी। मैंने समझा कि इस पर मित्रों ने मुझे छोड़ दिया।

लेकिन ईश्वर को दूसरी ही बात करनी थी। उसे मेरे मार्फत हिन्दी-प्रचार की कुछ और सेवा लेनी थी। मालवीय जी महाराज न आ सके। उनको ईश्वर शतायु करे। मैंने आपके अधिवेशनों की रिपोर्टें कुछ अंशों में देखी हैं। सबसे पहला अधिवेशन सन् १९१० में हुआ था। उसके सभापति मालवीय जी महाराज ही थे। उनसे बढ़ कर हिन्दी-प्रेमी भारत वर्ष में हमें कहीं नहीं मिलेंगे। कैसा अच्छा होता यदि वे आज भी इस पद पर होते। उनका हिन्दी प्रचार-क्षेत्र भारतव्यापी है, उनका हिन्दी-ज्ञान उत्कृष्ट है।

मेरा क्षेत्र बहुत मर्यादित है। मेरा हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं के बराबर है। आपकी प्रथमा परीक्षा में मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकता हूँ। लेकिन हिन्दी भाषा का मेरा प्रेम किसी से कम नहीं ठहर सकता है। मेरा क्षेत्र दक्षिण में हिन्दी-प्रचार है। सन् १९१८ में जब आपका अधिवेशन यहाँ हुआ था, तब से दक्षिण में हिन्दी-प्रचार के कार्य का आरम्भ हुआ है। वह कार्य तब से उत्तरोत्तर बढ़ ही रहा है। घनाभाव के कारण वह रुकना नहीं चाहिए। पं० हरिहर शर्मा धन के लिये मुझे नित्य सताते हैं। उनसे मैं कहता हूँ कि अब मुझे मत सताओ। दक्षिण से ही आपको पैसे मिलने चाहिए। इतना भी करने की क्षक्ति यदि आपमें नहीं है तो आप अपना प्रयत्न निष्फल समझिये। कहने को तो मैं यह कह देता हूँ, पर इतनी बड़ी संस्था को २१ वर्ष तक नाबालिग रहने का भी तो हक होना चाहिए। इसलिये जब मौका आया तब मैंने

आत्मसन्-मार्थसौर्भ, शक १८९१]

को लाख की माँग की। इतना द्रव्य अधिक भी नहीं है। लेकिन जो सज्जन मेरे पास आये उन्होंने रुई का दाम एक दम गिर जाने से दो लाख के लिये अपनी असमर्थता प्रकट की। बात भी ठीक थी। जमनालाल जी ने भी उन भाइयों का पक्ष लिया। मैंने भी हार मान ली और एक लाख की शर्त कबूल कर ली। अब किसी न किसी तरह से पर सचाई के साथ आपको मुझे एक लाख देना है।

आप पूछ सकते हैं कि केवल दक्षिण ही में हिन्दी प्रचार के लिये क्यों? मेरा उत्तर यह है कि दक्षिण भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है। वह तो एक महाद्वीप सा है। वहाँ चार प्रान्त और चार भाषाएँ हैं—तामिल, तेलुगु, मलयाली और कानडी। आबादी करीब सवा सात करोड़ है। इतने लोगों में यदि हम हिन्दी-प्रचार की नीव मजबूत कर सके तो अन्य प्रांतों में बहुत ही सुभीता हो जायगा।

यद्यपि मैं इन भाषाओं को संस्कृत की पुत्रियाँ मानता हूँ, तो भी ये हिन्दी, उडिया, बंगला, आसामी, पंजाबी, सिन्धी, मराठी, गुजराती से भिन्न हैं। इनका व्याकरण हिन्दी से बिल्कुल भिन्न है। इनको संस्कृत की पुत्रियाँ कहने से मेरा अभिप्राय इतना ही है कि इन सब में संस्कृत शब्द काफी हैं, और जब संकट आ पडता है तब ये संस्कृत माता को पुकारती हैं और उसका नये शब्द रूपी दूध पीती हैं। प्राचीन काल में भले ही ये स्वतंत्र भाषाएँ रही हों, पर अब तो ये संस्कृत में से शब्द लेकर अपना गौरव बढ़ा रही हैं। इसके अतिरिक्त और भी तो कई कारण इनको संस्कृत की पुत्रियाँ कहने के हैं, पर उन्हें इस समय जाने दीजिये।

जो भी हो, इतनी बात तो निर्विवाद है कि दक्षिण में हिन्दी-प्रचार सबसे कठिन कार्य है। तथापि १८ वर्षों से हम व्यवस्थित रूप में वहाँ जो कार्य करते आये हैं उसके फल-स्वरूप इन वर्षों में छः लाख दक्षिणवासियों ने हिन्दी में प्रवेश किया, ४२००० परीक्षा में बैठे, ३२००० स्थानों में शिक्षा दी गई, ६०० शिक्षक तैयार हुए और आज ४५० स्थानों में कार्य हो रहा है। सन् ३१ से स्नातक परीक्षा का भी आरम्भ हुआ, और आज स्नातकों की संख्या ३०० है। वहाँ हिन्दी की ७० किताबें तैयार हुईं और मद्रास में उनकी आठ लाख प्रतियाँ छपीं। सत्रह वर्ष पूर्व दक्षिण के एक भी हाई स्कूल में हिन्दी की पढ़ाई नहीं होती थी, पर आज सत्तर हाई स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। सब मिलाकर वहाँ ७० कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आज तक इस प्रयास में चार लाख रुपया खर्च हुआ है, उसमें से आधे से कुछ कम रुपये दक्षिण में ही मिले हैं। यहाँ एक और बात कह देना जरूरी है। काका साहब अपने निरीक्षण के बाद कहते हैं कि दक्षिण में बहनों ने हिन्दी प्रचार के लिये बहुत काम किया है। वे इसकी महिमा समझ गई हैं। वे यहाँ तक हिस्सा ले रही हैं कि कुछ पुरुषों को यह फिक्र लग रही है कि यदि स्त्रियाँ इस तरह उद्यमी बनेंगी तो घर कौन सँभालेगा।

क्या इतनी प्रगति सन्तोषजनक नहीं मानी जा सकती? क्या ऐसे कुछ को हमें और भी न बढ़ाना चाहिये? आज जब कि मुझे यह स्थान दिया गया है तब भी मैं इस संस्था की चिरस्थायी बनाने का यत्न न करूँ तो मेरे जैसा मूर्ख कौन माना जा सकता है? मुझको यदि दुबारा यह पद

लेने का कुछ भी अधिकार है तो सिर्फ मेरे दक्षिण हिन्दी-प्रचार के कार्य के कारण ही। भले ही उस कार्य में मैंने कोई पद लेकर काम न किया हो, पर हर हालत में उस वृक्ष को संभलने में तो मैंने काफी हिस्सा लिया ही है। उसके संरक्षक श्री जमनालाल बजाज, श्री राजगोपालाचारी, श्री रामनाथ गोयनका, श्री पट्टाभि सीताराममैया और श्री हरिहर शर्मा हैं। इसका कौड़ी-कौड़ी का हिसाब रक्खा गया है, जो समय-समय पर प्रकाशित होता रहता है।

मैंने आपको इस संस्था का उज्ज्वल पक्ष ही दिखाया है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसका काला पक्ष है ही नहीं।

अङ्ग खेतान गुण बीष मद्य, चिक्क कीन्हु करतार।

संत हंस गुण गृहहि पय, परिहरि बारि विकार॥

निष्कलता भी काफी हुई है। सब कार्यकर्ता अच्छे ही निकले, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि सब कार्य आरम्भ से अंत तक अच्छा ही रहता तो अवश्य और भी सुन्दर परिणाम आ सकता था। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यदि अन्य प्रान्तों के हिन्दी-प्रचार से इसकी तुलना की जाय तो यह काम अद्वितीय ठहरेगा।

रही एक लाख के व्यय की बात। क्या यह व्यय सम्मेलन के प्रयागस्थ केन्द्र से होना आवश्यक नहीं है? यदि ऐसा न किया गया तो क्या इससे सम्मेलन का अपमान नहीं होगा? इन प्रश्नों के उत्तर मे मेरा नम्र निवेदन यह है कि इसमें अपमान की कोई बात नहीं है। सम्मेलन न होता तो दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा भी न होती। सन् १९१८ में इसी शहर में इसी सम्मेलन की छाया मे इस संस्था का उद्भव हुआ। बाद के इतिहास में जाना अनावश्यक है। अंत में इस संस्था को सम्मेलन ने स्वतंत्र कर दिया, या यो कहिए कि 'डोमीनियन स्टेट्स' दे दिया। इससे सम्मेलन का गौरव बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। यदि सम्मेलन से सम्बन्धित सब सस्याएँ स्वावलम्बी बन जायें तो इससे ज्यादा हर्ष की बात सम्मेलन के लिए कौन-सी हो सकती है? आप से जो एक लाख रुपये की भिक्षा मांगी जा रही है वह इस स्वतंत्र संस्था के लिए है। उसको भी झडा तो सम्मेलन का ही फहराना है।

पर तब प्रश्न उठ सकता है कि क्या अन्य प्रान्तों की बात छोड़ दी जाय? क्या अन्य प्रांतों में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता नहीं है? अवश्य है। मुझे दक्षिण का पक्षपात नहीं है, और न अन्य प्रान्तों से द्वेष! मैंने अन्य प्रान्तों के लिए भी काफी प्रयत्न किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण वहाँ इतनी क्या थोड़ी भी सफलता नहीं मिल सकी। बेचारे बाबा राघवदास उत्कल, गंगाल और आसाम में हिन्दी-प्रचार के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ सफलता भी मिली है लेकिन उसे नहीं के बराबर ही मानना चाहिए। जो कुछ भी सहायता मैं उनको दिला सकता था वह दिलाने की चेष्टा भी मैंने की है। बाबा जी के मार्फत आसाम में मोहाटी, जोरहुट, शिवसागर और नोगांव में प्रयत्न हो रहा है। वहाँ १६० विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। दो छात्रों और दो छात्रावों को छात्रवृत्ति देकर काशी विद्यापीठ और प्रयाग महिला विद्या-

आवाह—मार्च/अप्रैल, सन १८९१]

पीठ में पढ़ाया जा रहा है। एक आसामी भाई बरहज (गोरखपुर) में हिन्दी पढ़ रहे हैं और वहाँ बालों को आसामी पढ़ा रहे हैं। आसामी प्रतिष्ठित लोग इस प्रचार-कार्य में कम रस लेते हैं। जो मदद बाबा जी को मिली भी है वह एक ही वर्ष के लिए है।

उत्कल में कटक पुरी और बरहजपुर में कुछ प्रयत्न हो रहा है। उत्कल के बारे में एक बड़ी आशाजनक बात यह है कि श्री गोपबन्धु चौधरी और उनकी धर्मपत्नी रमा देवी हिन्दी-प्रचार में बहुत दिलचस्पी लेती हैं। अपने परिवार को भी उन्होंने हिन्दी का काफी ज्ञान प्राप्त करा दिया है। वे सब आजकल एक देहात में रहते हुए ऐसी ही क्रियात्मक सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दूसरे भी त्यागी कार्यकर्ता उत्कल में हैं। इसलिए उत्कल में हिन्दी-प्रचार की आशा अवश्य रखी जा सकती है।

बंगाल में तो एक समिति भी बन गयी थी, सब कुछ हुआ था, हिन्दी पर प्रेम रखने वाले बंगाली भी काफी हैं। श्री रामानंद बाबू, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी की मदद से 'विशाल भारत' निकाल रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। कलकत्ते में हिन्दी प्रेमी-मारवाड़ी सज्जन भी कम नहीं हैं। तो भी बंगाल में जितना कुछ हो रहा है वह बहुत ही कम समझा जाना चाहिए।

पंजाब की बात में छोड़ देता हूँ, क्योंकि पंजाब में उर्दू तो सब समझते हैं। वहाँ तो केवल लिपि की बात रह जाती है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए काका माहब की अध्यक्षता में लिपि-परिषद् हो रही है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब रहे सिंध, महाराष्ट्र और गुजरात। इन तीनों प्रान्तों में जो कुछ हो रहा है वह शायद ही उल्लेख योग्य हो। पर मेरी उम्मीद है कि इसी सम्मेलन में हम वहाँ के लिए भी कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करने का निश्चय करेंगे।

सारी मुश्किल तो यह है कि सम्मेलन के उद्देश्यों में तो अन्य प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार का खासा स्थान रहता है, लेकिन मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि सम्मेलन ने इस प्रचार कार्य पर उतना जोर नहीं दिया है जितना कि परीक्षाओं पर। मेरा निवेदन है कि इस सम्मेलन में हम इस बारे में ध्यानपूर्वक विचार करके इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति ग्रहण करें।

मेरी राय में अन्य प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार, सम्मेलन का मुख्य कार्य बनना चाहिए। यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना है तो प्रचार-कार्य सर्वव्यापी और सुसंगठित होना ही चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। सम्मेलन के केन्द्र में हिन्दी-शिक्षकों के लिए एक विद्यालय होना चाहिए जिसमें एक ओर तो हिन्दी प्रांतवासी शिक्षक तैयार किये जायें और उनको जिस प्रांत के लिए वे तैयार होना चाहें उस प्रांत की भाषा सिखायी जाय, और दूसरी ओर अन्य प्रांतों के भी छात्रों को भरती करके उन्हें हिन्दी शिक्षा दी जाय। ऐसे प्रयास दक्षिण के लिए तो किया भी गया था, जिसके फलस्वरूप हमको पं० हरिहर शर्मा और हृषीकेश मिले।

आप जानते हैं कि मेरी सलाह से काका साहब कालेलकर दक्षिण में प्रचार कार्य का निरीक्षण करने और पं० हरिहर शर्मा को मदद देने के लिए गये थे। उन्होंने तामिलनाडु, मल्लाबार, त्रावणकोर, मैसूर, आंध्र और उत्कल तक भ्रमण किया, हिन्दी-प्रेमियों से मिले और कुछ

बन्ना भी इकट्ठा किया। इस भ्रमण में उनका अनुभव यह हुआ कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम प्रान्तीय भाषाओं को नष्ट करके हिन्दी को सारे भारतवर्ष की एक मात्र भाषा बनाना चाहते हैं। इस गलतफहमी से भ्रमित होकर वे हमारे प्रचार का विरोध भी करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करके ऐसी गलतफहमियाँ दूर करनी चाहिए। मैं हमेशा से यह मानता रहा हूँ कि हम किसी हालत में भी प्रान्तीय भाषाओं को मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए हम हिन्दी भाषा सीखें। ऐसा कहने से हिन्दी के प्रति हमारा कोई पक्षपात नहीं प्रगट होता। हिन्दी को हम राष्ट्र-भाषा मानते हैं। वह राष्ट्रीय होने के लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है जिसे अधिक संख्यक लोग जानते और बोलते हों और जो सीखने में सुगम हो। ऐसी भाषा हिन्दी ही है, यह बात यह सम्मेलन सन् १९१० से बता रहा है और इसका कोई वजन देने लायक विरोध तक सुनने में नहीं आया है। अन्य प्रान्तों ने भी इस बात को स्वीकार कर ही लिया है।

काका साहब ने कुछ लोगों में दूसरी गलतफहमी यह देखी कि वे समझते हैं कि हम हिन्दी को अंग्रेजी भाषा का स्थान देना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ तक समझते हैं कि अंग्रेजी ही राष्ट्र-भाषा बन सकती है, और बन भी पमी है।

यदि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले तो कम से कम मुझे तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन अंग्रेजी भाषा के महत्व को हम अच्छी तरह जानते हैं। आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति, आधुनिक साहित्य के अध्ययन, सारे जगत् के परिचय, अर्थ-प्राप्ति, राज्याधिकारियों के साथ सम्पर्क रखने और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए अंग्रेजी ज्ञान की हमें आवश्यकता है। इच्छा न रहते हुए भी हमको अंग्रेजी पढ़नी होगी। यही हो भी रहा है। अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है।

लेकिन अंग्रेजी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। आज इसका साम्राज्य-सा जरूर दिखायी देता है। इससे बचने के लिए काफी प्रयत्न करते हुए भी हमारे राष्ट्रीय कार्यों में अंग्रेजी ने बहुत स्थान ले रखा है। लेकिन इससे हमें इस भ्रम में कभी न पड़ना चाहिए कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बन रही है। इसकी परीक्षा प्रत्येक प्रान्त में हम आसानी से कर सकते हैं। बंगाल अथवा दक्षिण भारत की ही लीजिये, जहाँ कि अंग्रेजी का प्रभाव सबसे अधिक है। वहाँ यदि जनता की मार्फत हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो वह आज हिन्दी द्वारा भले ही न कर सकें। पर अंग्रेजी द्वारा तो नहीं ही कर सकते। हिन्दी के दो चार शब्दों से हम अपना भाव कुछ तो प्रगट कर ही देंगे। पर अंग्रेजी से तो इतना भी नहीं कर सकते। हाँ, यह अवश्य माना जा सकता है कि अब तक हमारे यहाँ एक भी राष्ट्रभाषा नहीं बन पायी है। अंग्रेजी राज-भाषा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अंग्रेजी का इससे आगे बढ़ना मैं असम्भव समझता हूँ, चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय। हिन्दुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो—चाहे कोई माने या न माने राष्ट्र-भाषा तो हिन्दी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता। हिन्दू मुसलमान दोनों को मिलाकर, करीब बार्दिस करोड़ मनुष्य की भाषा बोड़े बहुत फेरफार से—हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही अन्तर्-साम्राज्य, एक १८९१]

है। इसलिफ उचित और सम्भव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्त में उस प्रान्त की भाषा, सारे देश के पारस्परिक व्यवहार के लिए हिन्दी, और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए अंग्रेजी का व्यवहार हो। हिन्दी बोलनेवालों की संख्या कुछ लाख से आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी। इसका प्रयत्न भी करना जनता के साथ अन्याय करना होगा।

मैंने अभी 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग किया है। सन् १८ में जब आपने यही पद दिया था तब भी मैंने यही कहा था, हिन्दी उस भाषा का नाम है जिसे हिन्दू और मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्न के बोलते हैं। हिन्दुस्तानी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने पर वह हिन्दी और अरबी में लिखी जाने पर उर्दू कही जाती है। जो लेखक या व्याख्यानदाता चुन-चुन कर संस्कृत या अरबी-फारसी के शब्दों का ही प्रयोग करता है वह देश का अहित करता है। हमारी राष्ट्रभाषा में वे सब प्रकार के शब्द आने चाहिए जो जनता में प्रचलित हो गये हैं। श्री धनश्यामदास बिड़ला ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रभाषावादियों को चाहिए कि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में जो शब्द रूढ़ बन गये हैं और जो राष्ट्रभाषा में आने के लायक हैं उन्हें वे ले लें। हर व्यापक भाषा में यह ग्राहक शक्ति रहती ही है। इसी लिए तो वह व्यापक बनती है। अंग्रेजी ने क्या नहीं किया है? लैटिन और ग्रीक में से कितने ही मुहावरे अंग्रेजी में लिए गये हैं। आधुनिक भाषाओं को भी वे लोग नहीं छोड़ते। इस बारे में उनकी निष्पक्षता सराहनीय है। हिन्दुस्तानी शब्द अंग्रेजी में काफी आ गये हैं। कुछ अफ्रीका से भी लिए गये हैं। इसमें उसका 'फी ट्रेड' कायम ही है। पर मेरे यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि बगैर अवसर के भी हम दूसरी भाषाओं के शब्द लें, जैसा कि आज-कल अंग्रेजी पढ़े-लिखे युवक किया करते हैं। इस व्यापार में बिबेक दृष्टि तो रहती ही होगी। हम कगाल नहीं हैं पर कंजूस भी नहीं बनेंगे। कुरसी को खुशी से कुरसी कहेंगे, उसके लिए 'चतुष्पाद पीठ' शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे।

इस मौके पर अपने कुछ की भी कुछ कहानी कह दूँ। हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बने या न बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदास का पुजारी होने के कारण हिन्दी पर मेरा मोह रहेगा ही। लेकिन हिन्दी बोलनेवालों में रबींद्रनाथ कहाँ हैं? प्रफुल्लचन्द्र राय कहाँ हैं? जगदीश बोस कहाँ हैं? ऐसे और भी नाम मैं बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी अपवा मेरे जैसे हजारों की इच्छामान से ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होनेवाले हैं। लेकिन जिस भाषा को राष्ट्रभाषा बनना है उसमें ऐसे महान् व्यक्तियों के होने की आशा रक्खी ही जायगी।

वर्षा में हमारे यहां एक अन्धा-आश्रम है। वहाँ सम्मेलन की परीक्षा के लिए कई लड़कियाँ तैयार हो रही हैं। शिक्षक वर्ग और लड़कियाँ भी शिक्षायत करती हैं कि जो पाठ्य-पुस्तकें नियत की गयी हैं उनमें से सब पढ़ने लायक नहीं हैं। शिक्षायत के लायक पुस्तकें शृंगार रस से भरी हैं। हिन्दी में शृंगार-साहित्य काफी है। इस ओर कुछ वर्ष पूर्व श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने मेरा ध्यान खींचा था। जिस भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं उसका साहित्य स्वच्छ, तेजस्वी और उच्चगामी होना चाहिए। हिन्दी-भाषा में आजकल गन्दे साहित्य का काफी प्रचार

हीं रहा है। पत्र-पत्रिकाओं के संचालक इस बारे में असावधान रहते हैं, अपनी गन्दगी को पुष्टि देते हैं। मेरी राय में सम्मेलन को इस बारे में उदासीन न रहना चाहिए। सम्मेलन की तरफ से अच्छे लेखकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लोगों को सम्मेलन की तरफ से पुस्तकों के चुनाव में भी कुछ सहायता मिलनी चाहिए। इस कार्य में कठिनाई है, लेकिन कठिनाई से हम थोड़े भाग सकते हैं।

परीक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों में से एक पुस्तक के बारे में एक मुसलमान की भी, जो देव नागरी लिपि अच्छी तरह जानते हैं, शिकायत है। उसमें मुगल बादशाह के लिए भली बुरी बातें हैं, वे ऐतिहासिक भी नहीं हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि पाठ्य-पुस्तकों का चुनाव विवेक और सूक्ष्मदृष्टि के साथ होना चाहिए और उसमें राष्ट्रीय दृष्टि रहनी चाहिए, और पाठ्यक्रम भी आधुनिक आवश्यकताओं को स्थान में रख कर निश्चित करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरा यह सब कहना मेरे क्षेत्र के बाहर है। लेकिन मेरे पास जो शिकायतें आई हैं उन्हे आपके सामने रखना मैंने अपना धर्म समझा।

गांधी जी का मौखिक भाषण

मैं आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी इस उद्घाटन के लिए महाराजा साहब को धन्यवाद देता हूँ। और आपका आभार मानता हूँ। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जब मैं पहले इन्दौर सम्मेलन के सभापति का स्थान ग्रहण करने के लिए आया था तब आप युवराज थे। उस पदवी से आपने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और अब आप महाराज हैं और इस हैसियत से सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं। उनका व्याख्यान आप लोगों ने भी सुना है और मैंने भी बहुत ध्यान से सुना है। मैं उसके लिए कुछ वे सकता हूँ तो धन्यवाद ही दे सकता हूँ। महाराजा साहब ने हिन्दी भाषा के लिए जो भाव प्रदर्शित किए हैं यदि उनको सारे भारत-वर्ष में अमल में लाना है तो ऐसे महाराजाओं को भी कुछ असली काम करना होगा। स्वागताध्यक्ष ने अपने भाषण में यह याद दिला दिया है कि जब आठवाँ अधिवेशन इन्दौर में हुआ था तो आपने १००००) की रकम हिन्दी-प्रचार के लिए दी थी और इसी तरह से अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वागत-समिति की ओर से जो प्रार्थना की गयी है उसको पूर्ण करने के लिए पूरी सहायता मिलेगी। मैं तो इस बात के लिए सद्भाग्य समझता हूँ कि उस समय आपने युवराज की हैसियत से मदद की थी तो इस समय महाराज की हैसियत से मदद करेंगे। हमारे करोड़-पति सेठ हुकूमचंदजी भी यहीं मौजूद हैं। आपने प्रातःकाल मुझे हार पहनाया था। यद्यपि वह हार तो सूत का था परन्तु उसकी कीमत पहनानेवाले की हैसियत से हो जाती है। रायबहादुर बा० सरजूप्रसाद जी भी यहाँ मौजूद हैं। वे बीमार हैं, इसके लिए जैसा आप लोगों को दुःख है वैसे ही मुझे भी दुःख है। उनका हिन्दी भाषा अथवा सम्मेलन के प्रति प्रेम कम है, ऐसी तो कई बात नहीं है। मुझे पूर्णतया आशा है कि जो काम करना है वह सफल हो जायगा। यह होते हुए भी हिन्दी संसार में कुछ हलचल मच गयी है। वर्षा में मुझे इस बात का पता चल गया था

आषाढ-मार्गशीर्ष, शक १८९१]

और यहाँ जाने के बाद मैंने और कुछ अधिक समझ लिया है। यह हलचल कैसे भ्रम गयी इस बात का पता भी अभी तक नहीं है। दक्षिण भारत में जो हिन्दी-प्रचार हुआ है उसका सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य सम्मेलन से है ही नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वह प्रचार हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का अविभाज्य अंग है। इस प्रचार की माता या पिता जो कहे यह साहित्य-सम्मेलन है। यदि ऐसा न माना जाय तो अब दक्षिण भारत में जो ६००००० आदमी हिन्दी बोल या लिख सकते हैं, यह नामुमकिन बात थी। इस प्रचार के लिए भी धन्यवाद साहित्य-सम्मेलन को ही है। इसके लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसके लिए मैंने जो काम किया था वह सम्मेलन के सभापति की हैसियत से ही किया था। उसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं था। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हिन्दी-प्रचार का यह कार्य सम्मेलन का अविभाज्य अंग है। यदि हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी भाषा का प्रचार न करके केवल साहित्य की वृद्धि करे तो हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा कैसे बन सकती है? हाँ, साहित्य की वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है, किन्तु साहित्य की वृद्धि से यह भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। क्योंकि साहित्य तो बंगला में भी इतना है कि उसके बराबर किसी दूसरी भाषा में नहीं। साहित्य में दूसरा स्थान मराठी रखती है। हिन्दी को तो शायद तीसरा या चौथा नम्बर मिल सकता है, इसमें भी मुझे तो शक है। किन्तु हिन्दी भाषा को बहुत से आदमी बोलते हैं और यह भाषा मीखने और पढ़ने में सरल है। इसलिए यही राष्ट्र-भाषा होने का अधिकार रखती है। यदि हिन्दी-प्रचार इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अंग न हो तो मेरे सरीखे व्यक्ति को इसका सभापति बनाना योग्य नहीं। क्योंकि हिन्दी के साहित्य के विषय में तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने लिखे हुए भाषण को पढ़ना चाहता था किन्तु वक्ताओं ने प्रस्ताव आदि रख कर वह समय ले लिया। प्रस्ताव रखना व्यर्थ था क्योंकि मेरे अधिकार तो कोई छीन नहीं सकता था। सम्मेलन का कार्यक्रम कुछ मिनट का बँधा हुआ है। इस लिए ७-३० बजे तक मैं इसे खतम कर देना चाहता हूँ। हिन्दी साहित्य की दृष्टि से तो मैं बहुत कम योग्यता रखता हूँ। जो चंद लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं उसमें बहुत सी प्रथमा उत्तीर्ण हो चुकी हैं और मध्यमा की तैयारियाँ कर रही हैं। यदि मैं प्रथमा में ही बैठ जाऊँ तो ये पुस्तोत्सवदास जी मुझे उत्तीर्ण होने लायक नम्बर ही न देंगे, क्योंकि मैं व्याकरण तो जानता ही नहीं। जायसवाल जी ने जैसा कहा है वैसा मानने में मुझे भी कोई एतराज नहीं। मुझे गुजराती से कोई पक्षपात नहीं। मुझे जो सभापति बनाया गया है वह इसलिए कि मेरे द्वारा हिन्दी का कुछ प्रचार हो। योग्यता की ही कोई बात होती तो एक लड़की को भी यहाँ बिठा दिया जा सकता था, जैसा महाराणी विक्टोरिया के लिए हुआ था। सचिव ने कह दिया था कि सारा काम तो मैं कर लिया करूँगा, आप तो केवल सही कर दें। परन्तु ऐसा नहीं है। मुझे सभापति चुना है और एक लाख रुपये देने की जो शर्त मंजूर की है, वह इसलिए है कि मेरे द्वारा हिन्दी का अच्छा प्रचार हो। काव्य के कई विभाग हो गये हैं। उनकी बातें तो कवियों से भरपेट सुन सकते हैं, किन्तु मेरे द्वारा तो आप केवल हिन्दी-प्रचार की बात सुन सकते हैं। क्योंकि दूसरे पर मेरा अधिकार ही नहीं है।

जब मैं इन्दौर में यही सभापतिपद लेने के लिए पहले आया था, तो पुण्यश्लोक मालवीय-जी महाराज से आशीर्वाद की भिक्षा मांगी थी। तब उन्होंने एक लम्बा पत्र लिख कर मुझे आशीर्वाद भेज दिया था। अब तो वे बीमार पड़े हैं और उनके पास काम भी बहुत है। मैं केवल आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। मालवीय जी की धार्मिक स्थिति भी बिगड़ गयी है और उनको बाहर भी जाना था इसलिए उन्होंने यह पद ग्रहण नहीं किया, तब मजबूर होकर स्वागत समिति ने मुझे चुन लिया।

मालवीय का भी तार आ गया है जिसमें उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। बाकी तार का तरजुमा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि भगवान् उनको शतायु बनावें और सौ वर्ष तक क्षेम-शुशल रखें। उनकी उम्र सत्तर वर्ष की है और जब वे काम करते हैं तो सत्रह वर्ष के जवान की तरह करते हैं। बात: उनको भगवान् दीर्घायु करे। वे हिन्दुस्तान की जैसी अविच्छिन्न सेवा कर रहे हैं वैसी ही करते रहें। मैं तो उनका आशीर्वाद लेकर उनका प्रतिनिधि बन कर आया हूँ। उन्होंने दक्षिण भारत तथा अन्य प्रान्तों में जो हिन्दी-प्रचार किया है वह किसी से छिपा नहीं है। इसके लिए उनके हृदय में उतना ही प्रेम है जितना आप में और मुझमें है। आज हमारे सामने जो बातें उपस्थित हैं उनका खुलासा कर देना आवश्यक है। पैसा देनेवालों के लिए तीन बातें उपस्थित हैं। पहली बात विश्वविद्यालय की है जिसका उल्लेख महाराजा साहब ने अपने भाषण में किया है और प्रसन्नता भी प्रकट की है। उसके लिए भी भिक्षा मांगनी है। लोग उसमें पैसा दें या प्रचार कार्य में दें। जिसके पास तीन कौड़ी देने को है उसके लिए तो कोई बाधा नहीं, परन्तु जिसके पास एक ही कौड़ी है वह किसको दे ? क्योंकि एक कौड़ी के टुकड़े तो नहीं हो सकते। यहाँ पर महाराजा साहब, सेठ हुकमचंद जी और डाक्टर सरजूप्रसाद जी आये हुए हैं। वे भी ऐसा कह दें तो भी मैं कह सकता हूँ कि इन्दौर-वासियों को पहले विश्वविद्यालय को सहायता देनी चाहिए। यदि उनको भली प्रकार विश्वास हो जाय कि यह कार्य अच्छा है, कार्यकर्ताओं में शक्ति है तथा उसमें असली काम करने की इच्छा है। कई लोग तो कई प्रकार की बातें सुना देते हैं, परन्तु जब उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तब वे कह देते हैं कि हममें तो कवित्व शक्ति है। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको विश्वास हो जाय कि विश्वविद्यालय के सब सारथन तो तैयार हैं केवल धन की ही कमी है, तो आपको सब से पहले उसमें योग देना चाहिए। इसके बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन और फिर दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का प्रयत्न है। यह बात मैं सभापति की हैसियत से कहता हूँ। क्योंकि इस सम्मेलन का सभापति रहते हुए उसको कोई हानि पहुँचे, अर्थ-संग्रह में घकका आये, ऐसा कार्य मेरे हाथ से नहीं हो सकता और ऐसा कार्य मैं कर्लंगा भी नहीं जो आपकी नियमावली के विरुद्ध हो। क्योंकि इस पद से मैंने अपने सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी ले ली है जिसका मैंने चन्द घण्टों में ज्ञान कर लिया है, उसको सफल बनाना मेरा काम है। इसलिए मुझमें जितनी शक्ति है और भगवान् जितनी शक्ति देगा उसका इस्तेमाल इस कार्य को सफल बनाने में कर्लंगा ऐसा आप विश्वास रखो। हिन्दी-प्रचार के लिए लिपि का एक होना भी आवश्यक है। इसके

आवाह-मार्गशीर्ष, शक १८९१]

लिपि भी एक लिपि-परिवर्त होनेवाली है जिसके लिए विशेष आपको काका साहब सुनावेंगे। हिन्दी भाषा संस्कृत से पैदा हुई है। आसाम और बंगाल भी इसी से बहुत संबंधित हैं। दक्षिण भाषा द्राविड़ी भाषा मानी जाती है। मैं तो यह मानता हूँ कि वह संस्कृत से पैदा हुई है। द्राविड़ी लोगों के विषय में कुछ लोगों का कथन है कि पहले वे अनार्य थे पीछे से आर्य बनाये गये। परन्तु तामिली लोगों का कथन है कि हम जंगली नहीं थे। हममें आर्यता और संस्कृत मौजूद थी। तामिल, तेलुगु, कनाड़ी आदि भाषाएँ संस्कृत से भरी हुई हैं। बंगला भी संस्कृत से परिपूर्ण है। जब उनको अपनी भाषा में कोई शब्द नहीं मिलता तो वे इससे शब्द लेते और उसका प्रयोग करते हैं। अतः सब भाषाओं की लिपि एक होना आवश्यक है। इसके लिए हिन्दी में धार्यद संशोधनों की आवश्यकता है। परन्तु मैं इस संकट में नहीं पड़ना चाहता। मैंने तो एक सवाल आपके सामने रख दिया है क्योंकि लिपि के एक होने से सीखने में बड़ी सुगमता और सरलता होगी। इसकी बागडोर काका साहब ने अपने हाथ में ली है सो वे चलावेंगे। जब काका साहब दक्षिण भारत से आसाम और उत्कल गये तो उनके सामने एक बड़ी भारी कठिनाई विध्याचल के समान खड़ी हो गयी। वहाँ के लोग कहने लगे कि ये हमारे प्रान्त की भाषा को मिटा कर हिन्दी का प्रचार करने आये हैं परन्तु वास्तव में बात यह नहीं है। अपने प्रांत में वह भाषा तो चले किन्तु हिंदी का प्रचार विशेष हो जिससे यह राष्ट्रभाषा बन सके। यों तो बंगला का साहित्य भी बहुत है, परन्तु वह राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। परन्तु मैं तो इसकी भी मर्यादा रख देना चाहता हूँ, जिससे हिन्दी अन्य प्रान्तों की भाषाओं का स्थान न ले ले। इसके लिए साहित्य सम्मेलन में प्रस्ताव रख कर इस बात को साफ कर देना होगा।

हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। उसमें संस्कृत के शब्द भर-पेट रख दिये जावें ऐसा नहीं हो सकता। कई एक गद्य भी ऐसे आगे हैं जो संस्कृत के शब्दों से भरे रहते हैं, जिसको ग्रामीण लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। सात करोड़ मुसलमान भाइयों को छोड़ कर हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहें यह बात भी ख-पुष्प के समान होगी याने आकाश में पुष्प लगाकर उससे सुगन्ध लेने के समान है। ग्रामीण लोग बहुत भोले-भाले हैं। उनके समझने के लिए सीधी और सरल भाषा होनी चाहिए। यहाँ जो प्रवर्धनों की गयी है उसमें भी यह बताया गया है कि इन्दौर स्टेट में क्या होता है। आपके देहाती भाई क्या चीज बनाना चाहते हैं। वे चीजें हमारे लायक हैं या नहीं। हमारा याने शहरी लोगों का संपर्क देहाती लोगों से है या नहीं यह बात जानना आवश्यक है। बहुत से शहरी लोग जानते हैं कि हमारा ग्रामीणों से बहुत कम संबंध है परन्तु मुझे तो जितना ज़्यादा ज्ञान होता जाता है, मैं जानता हूँ कि शहरी लोगों का देहातियों से घनिष्ठ संबंध है। मैं तो कहूँगा कि जो कुछ हिन्दुस्तान को मिलता है वह किसानों की मार्फत ही मिलता है। यदि वे लोग इन्कार कर दें कि हम आप का कार्य नहीं करेंगे तो हमें भूखा रहना पड़ेगा और उसमें महाराजा साहब का भी नम्बर आ जाय और सेठ हुकम-शब्द जी का भी नम्बर हो जाय। क्योंकि कोई भी चाँदी या सोने से पेट नहीं भर सकता। यह

मेरी तरह सत्याग्रह करके नहीं किन्तु यह कह कर कि हमें भर-पेट भोजन नहीं मिलता तो हम भूखे रह कर काम कैसे करें, शहरी लोगों को बड़ी मुसीबत उठाना पड़े। भारतवर्ष में सारा कार्य देहातियों पर ही निर्भर है। इसलिए वे समझ सकें कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अरबी का या फारसी का कोई शब्द या जाय तो उसका हम एक दम तिरस्कार कर दें यह ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा करने से हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, मैं तो इस कार्य के लिए आप लोगों से भिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह कार्य महाराजा साहब के आशीर्वाद से चल सकता है। किसी को महात्मा कहो या कुछ कहो काम करने पर ही यह कार्य सफल हो सकता है। मैं आपका एक लाख रुपया ले कर भाग नहीं जाऊँगा। किन्तु इस कार्य को विशेष विभूषित करने के लिए प्रयत्न करूँगा।

हरिद्वर शर्मा प्रयाग से कुछ हिन्दी शीख कर भद्रास गये थे और वहाँ जाकर उन्होंने हिन्दी साहित्य का प्रचार किया जिसका छोटा सा प्रबंधन यहाँ लाये हैं। आप लोग देखना चाहते हैं तो आज भी देख सकते हैं, उस ओर आपका ध्यान धीचाना मेरा काम था। दस मिनट में कितना कार्य करना है और अब समाप्त करना है, यह तो महाराजा साहब की बात है, मेरे हाथ की बात नहीं।

दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव

इन्दौर के अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में कुछ खास उपयोगी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। एक में तो हिन्दी भाषा की परिभाषा बताई गई है, और दूसरे में यह मत प्रकट किया गया है कि उन समस्त भाषाओं को देवनागरी लिपि में ही लिखना चाहिए, जो या तो संस्कृत से निकली हैं या संस्कृत का जिनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहला प्रस्ताव इस तथ्य पर जोर देता है कि हिन्दी प्रान्तीय भाषाओं को नष्ट नहीं करना चाहती, किन्तु उनकी पूतिरूप बनना चाहती है, और अखिल भारतीयता के सेवा-क्षेत्र में हिन्दी बोलनेवाले कार्य-कर्ताओं के ज्ञान तथा उपयोगिता को बढ़ाती है। वह भाषा भी हिन्दी है, जो लिखी तो उर्दू लिपि में जाती है, पर जिसे मुसलमान और हिन्दू दोनों ही समझ लेते हैं। इस बात को स्वीकार करके सम्मेलन ने इस सन्देह को दूर कर दिया है कि उर्दू लिपि के प्रति सम्मेलन की कोई दुर्भावना है। तो भी सम्मेलन की प्रामाणिक लिपि तो देवनागरी ही रहेगी। पंजाब तथा दूसरे प्रान्तों के हिन्दुओं के बीच देवनागरी लिपि का प्रचार अब भी जारी रहेगा। यह प्रस्ताव किसी भी प्रकार देवनागरी लिपि के महत्त्व को कम नहीं करता, वह तो मुसलमानों के इस अधिकार को स्वीकार करता है कि अब तक जिस उर्दू लिपि में वे हिन्दुस्तानी भाषा लिखते आ रहे हैं, उसमें अब भी लिख सकते हैं।

दूसरे प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि से एक समिति बना दी गई है, जिसके अध्यक्ष और संयोजक श्री काका साहब कालेलकर हैं। यह समिति देवनागरी लिपि में यथा-सम्भव ऐसे परिवर्तन और परिवर्द्धन करेगी, जो उसे और भी आसानी के साथ लिखने के लिये आत्मा—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

आवश्यक होंगे, और मीठवा अक्षरों से जो शब्दध्वनि व्यक्त नहीं हो सकती, उसे व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि को और भी पूर्ण बनायेंगे।

अगर हमें अन्तर्प्रान्तीय संपर्क बढ़ाना है, और यदि हिन्दी को प्रान्त-प्रान्त के बीच लिखा-पढ़ी का माध्यम बनाना है, तो उसमें इस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक है। फिर इधर मत २५ वर्ष से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उद्देश्य-भूति में योग देनेवाले सज्जनों का यह निश्चित कर्तव्य भी रहा है। इस लिपि-सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा तो अक्सर हुई, पर गम्भीरता पूर्वक वह कभी हाथ में नहीं लिया गया। अन्य प्रान्तीय भाषाओं का ज्ञान आज असम्भव-सा है। बंगाली लिपि में लिखी हुई 'गीतांजलि' को सिवा बंगालियों के और पढ़ना ही कौन ? पर यदि वह देवनागरी लिपि में लिखी जाय, तो उसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द उसमें बहुत अधिक हैं, जिन्हें दूसरे प्रान्तों के लोग आसानी से समझ सकते हैं। मेरे इस कथन की सत्यता को हर एक जाँच सकता है। हमें अपने बालकों को विभिन्न प्रान्तीय लिपियः सीखने का व्यर्थं कष्ट नहीं देना चाहिये। यह निर्दयता नहीं तो और क्या है कि देवनागरी के अतिरिक्त तामिल, तेलगु, मलयाली, कानड़ी, उड़िया और बंगाली इन छः लिपियों को सीखने में दिमाग खपाने को कहा जाय ? हाँ, यह जानने के लिये कि हमारे मुसलमान भाई क्या कहते और लिखते हैं, हम उर्दू लिपि सीख सकते हैं। जो अपने देश का या मनुष्यमात्र का प्रेमी है, उसके सामने मैंने कोई बहुत प्रचण्ड प्रोग्राम नहीं रखा है। अगर आज कोई प्रान्तीय भाषायें सीखना चाहे ? और प्रान्तीय भाषा-भाषी हिन्दी पढ़ना चाहे, तो लिपियों का यह अमेघ प्रतिबन्ध ही उसके मार्ग में कठिनाई उपस्थित करता है। काका साहब की यह समिति एक ओर तो इस सुधार के पक्ष में लोकमत तैयार करेगी, और दूसरी ओर सक्रिय उद्योग के द्वारा इसकी इस महान् उपयोगिता को प्रत्यक्ष करके दिखायेगी कि जो लोग हिन्दी या प्रान्तीय भाषाओं को सीखना चाहते हैं, उनका समय और उनकी शक्ति बच सकती है। किसी को भूलकर भी यह कल्पना नहीं करनी चाहिये कि यह लिपि-सुधार प्रान्तीय भाषाओं के महत्त्व को कम कर देगा। सच पूछिए तो वह उनकी उस प्रकार श्री-वृद्धि ही करेगा, इस प्रकार एक सामान्य लिपि स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप प्रान्तीय व्यवहार-विनिमय सरल हो जाने से यूरोप की तमाम भाषायें समृद्ध हो गई हैं।

(हरिजन सेवक, १०-५-३५)

अखिल भारतीय साहित्य-परिषद्, नागपुर

नागपुर में परिषद् की पहली बैठक के सभापति-पद से गांधी जी न लिखित भाषण दिया जो इस प्रकार है—विद्वान् लोग एक दूसरे के साहित्य का कुछ ज्ञान प्राप्त करें, इसी से हमें कोई सन्तोष नहीं हो सकता। हमें तो वेदाती साहित्य की भी दरकार है, और वेदातिमों में आधुनिक साहित्य के प्रचार की भी। घरम की बात है कि आज चैतन्य की प्रसादी भारतवर्ष के सभी भाषा-भाषियों को अप्राप्य है। तिरुवेल्लुवर का नाम तक शायद हम सब नहीं जानते होंगे। उत्तर भारत की जनता तो उस सन्त का नाम जानती ही नहीं। उसने थोड़े शब्दों में जैसा ज्ञान दिया है, वैसा बहुत कम सन्त लोग दे सके हैं। इस बारे में इस वक्त तो तुकाराम का ही दूसरा नाम मेरे स्थाल में आता है।

अगर हम सारे हिन्दुस्तान के साहित्य के विद्याल क्षेत्र में प्रवेश करें, तो क्या उसकी कुछ सीमा-भर्यादा होनी चाहिये? मेरी राय में अवश्य होनी चाहिये। मुझे पुस्तकों की संख्या बढ़ाने का मोह कभी नहीं रहा। मैं इसे आवश्यक नहीं मानता कि प्रत्येक प्रान्त की भाषा में लिखी और छपी प्रत्येक पुस्तक का परिचय दूसरी सब भाषाओं में कराया जाय। ऐसा प्रयत्न सम्भव भी हो, तो उसे मैं हानिकर ही समझता हूँ। जो साहित्य ऐक्य का, नीति का, शौर्यादि गुणों का और विज्ञान का पोषक है उसका प्रचार प्रत्येक प्रान्त में होना आवश्यक और लाभदायक है।

आजकल शृंगारयुक्त अश्लील साहित्य की बाढ़ सब प्रान्तों में आ रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एक शृंगार को छोड़कर और कोई रस है ही नहीं। शृंगार-रस को बढ़ाने के कारण ऐसे सज्जन दूसरों को 'त्यागी' कहकर उनकी उपेक्षा और उपहास करते हैं। जो सब चीजों का त्याग कर बैठते हैं, वे भी रस का त्याग तो नहीं कर पाते। किसी न किसी प्रकार के उससे हम सब भरे हैं। दादाभाई ने देश के लिये सब-कुछ छोड़ा था, फिर भी वे बड़े रसिक थे। देश-सेवा को ही उन्होंने अपना रस बना रखा था। उसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। चैतन्य को रसहीन कहना रस ही को न जानना है। नरसिंह मेहता ने अपने को भोगी बताया है, यद्यपि वे गुजरात के भक्त-शिरोमणि थे। अगर आपको मेरी बात न अखरे, तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं शृंगार रसको तुच्छ रस समझता हूँ, और जब उसमें अश्लीलता आती है, तब उसे सर्वथा त्याग्य मानता हूँ। यदि मेरी चले तो मैं इस संस्था में ऐसे रस को त्याग्य मनवा दूँ। इसी तरह जो साहित्य कौमी भेदों को, धर्मान्यता को तथा प्रजा में अथवा व्यक्तियों में वैभनस्य को बढ़ाता है, उसका भी त्याग होना आवश्यक है।

यह कार्य कैसे किया जाय? मुंशी जी और काका साहब ने हमारा मार्ग एक हद तक साफ कर रखा है। व्यापक साहित्य का प्रचार व्यापक भाषा में ही हो सकता है। ऐसी भाषा अन्य भाषा की अपेक्षा हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही है। हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहने का मतलब यह है कि उस भाषा में फारसी मुहावरों का त्याग न किया जाये।

भाषा—मर्षीजी, शक [८९१]

अंग्रेजी भाषा कभी सब प्रान्तों के लिये वाहन या माध्यम नहीं हो सकती, यदि सच-मुच ही हम हिन्दुस्तान के साहित्य की वृद्धि चाहते हैं। और भिन्न-भिन्न भाषाओं में जो रत्न छिपे पड़े हैं, उनका प्रचार भारतवर्ष के करोड़ों मनुष्यों में करना चाहते हैं, तो यह सब हम हिन्दुस्तानी की मारफ़त ही कर सकते हैं।

इस परिषद् का उद्देश्य यह है कि सब प्रान्तीय साहित्यों की सारभूत बातें संग्रह करके हिन्दी में उन्हें उपलब्ध किया जाय। इसके लिये मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा। निस्सन्देह हर एक आदमी को अपनी मातृभाषा अच्छी तरह जाननी चाहिये, और इसके साथ ही हिन्दी के द्वारा अन्य भाषाओं के महान् साहित्य का भी उसे ज्ञान होना चाहिये। लेकिन साथ ही, परिषद् का यह भी उद्देश्य है कि वह हम लोगों में अन्य प्रान्तों की भाषायें जानने की इच्छा को प्रोत्साहन दे। जैसे, गुजराती लोग तामिल जानें, बंगाली गुजराती जानें, और दूसरे प्रान्तों के लोग भी ऐसा ही करें। मैं तजरबे के साथ आपसे कहता हूँ कि दूसरी देशी भाषा सीख लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसके साथ एक सर्वमान्य लिपि का होना आवश्यक है। तामिलनाड में ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि इस सीधी-सादी बात पर ध्यान दीजिये कि ६० फीसदी से भी ज्यादा हमारे देशवासी अशिक्षित हैं। हमें नये सिरे से उनकी शिक्षा शुरू करनी होगी। तब सामान्य लिपि के द्वारा ही हम उन्हें शिक्षित बनाने की शुरुआत क्यों न करें? यूरोप में वहाँ वालों ने सामान्य लिपि का प्रयोग किया और वह बिल्कुल सफल रहा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम भी यूरोप की रोमन लिपि को ही ग्रहण कर लें। लेकिन फिर वाद-विवाद के बाद यह विचार बन चुका है कि हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है, और कोई नहीं। उर्दू को उसका प्रतिस्पर्धी बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू या रोमन किसी में भी बँसी संपूर्णता और ध्वन्यात्मक शक्ति नहीं है, जैसी देवनागरी में है। याद रखिये कि आपकी मातृभाषाओं के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तामिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ तो जरूर रहनी चाहियें और रहेंगी, लेकिन इन प्रदेशों के अशिक्षितों को हम देवनागरी लिपि के द्वारा इन भाषाओं के साहित्य की शिक्षा क्यों न दें? हम जो राष्ट्रीय एकता हासिल करना चाहते हैं, उसकी खातिर देवनागरी को सामान्य लिपि स्वीकार करना आवश्यक है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बात सिर्फ यह है कि हम अपनी प्रान्तीयता और संकीर्णता छोड़ दें। तामिल और उर्दू लिपियाँ मुझे पसन्द न हों, सो बात नहीं है। मैं इन दोनों को जानता हूँ। लेकिन मातृभूमि की सेवा में, जिसके लिये मैंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया है, और जिसके बिना मेरा जीवन निरर्थक होगा, मुझे सिखाया है कि हमारे देश के लोगों पर जो आनाबन्धक बोझ है, उनमें उन्हें मुक्त करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तमाम लिपियों को जानने का बोझ अनावश्यक है, और उससे आसानी से बचा जा सकता है। इसलिये सभी प्रान्तों के साहित्यिकों से मैं प्रार्थना करूँगा कि वे इस सम्बन्ध के अपने भेद-भावों को भुलाकर इस अत्यन्त आवश्यक विषय पर एक मत हो जायें। तभी भारतीय साहित्य-परिषद् अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है।

भाषा का हमारा साहित्य कुछ ही लोगों के काम का है, यानी जो लोग शिक्षित हैं, उन्हीं

के मतलब का है। यहाँ तक कि शिक्षितों में भी ऐसे थोड़े ही होंगे, जिनकी साहित्य में विलचस्पी हो। गाँवों में तो हम बिल्कुल गये ही नहीं। सेवाग्राम के लोगों में एक फीसदी भी ऐसे नहीं हैं, जो साहित्य पढ़ सकें। हमारी रात्रिशाला में नियमित रूप से अखबार सुनने के लिये भी आवे दर्जन से ज्यादा आदमी नहीं आते। इस अज्ञान को दूर करने का महान् कार्य हमें करना है। क्या मुट्ठी भर आदमियों के सहारे हम इसे कर सकेंगे? हमें तो आप सबके सहयोग की जरूरत है।

मैं साहित्य के लिये साहित्य का रसिक नहीं हूँ। यह जरूरी नहीं कि बौद्धिक विकास के जो अनेक साधन हैं, उनमें साक्षरता को भी एक साधन माना ही जाय। हमारे प्राचीन काल में ऐसे-ऐसे बुद्धिवाली महापुरुष हुए हैं, जो बिल्कुल अशिक्षित थे। यही कारण है कि हमने अपने को ऐसे ही साहित्य तक सीमित रखा है, जो अधिक-से-अधिक स्पष्ट और हितकर हो। जब तक हमें आपका हार्दिक सहयोग नहीं मिलता, और आप अपनी-अपनी भाषा में उपयुक्त साहित्य चुनने के लिये तैयार नहीं होते, तब तक हमें इसमें सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है?

(हरिजन सेवक, ३-४-३७)।

×

×

×

राष्ट्रभाषा

बंगलौर में हिन्दी के उपाधि-वितरण-समारोह के अवसर पर गाँधी जी ने निम्न भाषण दिया—

आज जिन्हें उपाधि और प्रमाण-पत्र मिले हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, और आशा रखता हूँ कि वे रोज अपना अभ्यास चालू रख कर अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। साधारण स्कूलों और कालेजों में पढ़नेवाले लोग 'केरियर' के खयाल से पढ़ते हैं, परीक्षा के लिये पढ़ते हैं, और परीक्षा भवन से निकलते ही अपनी पुस्तकों को और उनसे प्राप्त ज्ञान को भूल जाते हैं। अधिकांश लोगों को ज्ञान की अपेक्षा उपाधि की चिन्ता विशेष होती है। किन्तु जिन्हें आज यहाँ उपाधि मिली है, उन्होंने उपाधि के लिये उपाधि नहीं ली है। जिसका सीधा-सादा कारण यह है कि हिन्दी-प्रचार समा का उद्देश्य नौकरी दिलाता नहीं है। आपको मिली हुई यह उपाधि उस ज्ञान का बिल्कुलमात्र है, जो आपको अपने शिक्षक से मिला है। अलबत्ता, यह हो सकता है कि आप में से कुछ अपने इस हिन्दी ज्ञान की मदद से थोड़ा कमा सकें, किन्तु निश्चय ही वह आपका उद्देश्य नहीं।

मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आज के सफल विद्यार्थियों में अधिक संख्या बहनों की है। यह भारतमाता के और हिन्दी प्रचार के उज्ज्वल भविष्य की एक निशानी है, क्योंकि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुस्तान की भुक्ति उसके स्त्री-समाज के त्याग और ज्ञान पर निर्भर है। स्त्रियों की समा में मैं यह बात हमेशा और देलकर कहता रहा हूँ कि जब हम अपने देवों, देवियों आचार्य-मार्गदर्शक, तक [१८९१]

या प्राचीन वीर स्त्री-पुरुषों के बारे में कुछ कहते हैं, तो हम स्त्री का नाम पहले लेते हैं। जैसे, सीताराम, राधाकृष्ण आदि। हम रामसीता या कृष्णराधा कभी नहीं कहते। यह प्रथा निरर्थक नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री का आदर किया जाता था, और स्त्रियों के कार्यों और उनकी योग्यता की सत्ता कदर की जाती थी। हमें यह पुराना रिवाज अक्षरशः और अर्थात् जारी रखना चाहिये।

इस अवसर पर मैं आपको इस बात के कुछ स्पष्ट कारण समझाऊँगा कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभाषा क्यों होनी चाहिए। जब तक आप कर्नाटक में रहते हैं और कर्नाटक से बाहर आपकी दृष्टि नहीं दौड़ती, तब तक आपके लिये कन्नड़ का ज्ञान काफी है। लेकिन अगर आप अपने किसी गाँव को देखेंगे, तो फौरन ही आपको पता चलेगा कि आपकी दृष्टि और उसके क्षेत्र का विस्तार हुआ है। आप कर्नाटक की दृष्टि से नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की दृष्टि से सोचने लगे हैं। कर्नाटक के बाहर की घटनाओं में आपकी दिलचस्पी बढ़ी है। लेकिन अगर भाषा का कोई सर्व-साधारण माध्यम या वाहन न हो, तो आपकी यह दिलचस्पी बहुत आगे नहीं बढ़ सकती। कर्नाटक वाले सिन्ध या संयुक्त प्रांतवालों के साथ किस तरह अपना सम्बन्ध कायम कर सकते हैं या उनकी बातें सुन और समझ सकते हैं? हमारे कुछ लोग मानते थे, और अब भी मानते होंगे, कि अंग्रेजी ऐसे माध्यम का काम दे सकती है। अगर यह सवाल हमारे कुछ हजार पढ़े-लिखे लोगों का ही सवाल होता, तो जरूर ऐसा हो सकता था। लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें हमसे किसी को सन्तोष न होगा। हम और आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग अन्तर्प्रान्तीय सम्बन्ध स्थापित करें। ऐसा सम्बन्ध कभी अंग्रेजी द्वारा स्थापित हो भी सके, तो भी स्पष्ट है कि अभी कई पीढ़ियों तक वह मुमकिन नहीं। कोई वजह नहीं कि वे सब अंग्रेजी ही सीखें। और, अंग्रेजी जीविका का अच्छा और निश्चित साधन तो हरगिज नहीं। अगर उसकी ऐसी कोई कीमत कभी रही भी होगी, तो जैसे-जैसे अधिक संख्या में लोग उसे सीखने लगेंगे, वैसे-वैसे उसकी वह कीमत कम होगी। फिर, अंग्रेजी सीखना जितना कठिन है, हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखना उतना कठिन है ही नहीं। अंग्रेजी सीखने में जितना समय लगेगा, उतना हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखने में कभी नहीं लग सकता। कहा जाता है कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी बोलने और समझनेवाले हिन्दू-मुसलमानों की संख्या २० करोड़ से ज्यादा है। क्या १ करोड़ १० लाख कर्नाटक के भाई-बहन अपने इन २० करोड़ भाई-बहनों की भाषा सीखना पसन्द न करेंगे? और क्या वे उसे बहुत आसानी से सीख नहीं सकते? अभी ही जिस एक घटना ने मेरा ध्यान खींचा है, उससे इस सवाल का जवाब मिल जाता है। आपने अभी-अभी लेडी रमण के हिन्दी व्याख्यान का कन्नड़ अनुवाद सुना है। उसे सुनते समय इस बात की तरफ आपका ध्यान अवश्य आकषित हुआ होगा कि लेडी रमण के बहुत से हिन्दी शब्द भाषान्तर में ज्यों के त्यों बरते गये थे—जैसे, प्रेम, प्रेमी, संघ, सभा, अध्यक्ष, पद, अनन्ध, भक्ति, स्वागत, अध्यक्षता, सम्बन्धन आदि। ये शब्द हिन्दी-कन्नड़, दोनों में प्रचलित हैं। अब मान लीजिये कि यदि कोई अंग्रेजी में इसका उल्था करता, तो क्या वह इनमें से एक भी शब्द का उपयोग कर सकता? कभी नहीं? इनमें से हरएक शब्द का अंग्रेजी पर्याय श्रोताओं के लिये बिलकुल नया होता। इसलिये

जब हमारे कुछ कर्नाटकी मित्र कहते हैं कि हिन्दी उन्हें कठिन मालूम होती है, तो मुझे हँसी आती है, साथ ही गुस्सा और बैसबी भी कुछ कम नहीं मालूम होती। मेरा बहु विश्वास है कि रोज कुछ घण्टे लगन के साथ मेहनत करने से एक महीने में हिन्दी सीखी जा सकती है। मैं ६७ साल का हो चुका हूँ। लोग कहेंगे कि नया कुछ सीखने की मेरी उमर नहीं रही। लेकिन आप यह सच मानिये कि जिस समय मैं कन्नड़ अनुवाद सुन रहा था, उस समय मैंने यह अनुभव किया कि अगर मैं रोज कुछ घण्टे अभ्यास में दूँ, तो कन्नड़ सीखने में मुझे आठ दिन से ज्यादा समय न लगे। माननीय शास्त्री जी और मेरे जैसे दस-पाँच को छोड़कर बाकी के आप सब तो बिल्कुल नौजवान हैं। क्या हिन्दी सीखने के लिये आप एक महीने तक गोज के चार घण्टे भी नहीं दे सकते ? अपने २० करोड़ देशबन्धुओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिये क्या इतना समय देना आपको ज्यादा मालूम होता है ? अब मान लीजिए कि आप में से जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वे उसे सीखने का निपटचय करते हैं। क्या आप मानते हैं कि प्रतिदिन चार घण्टों की मेहनत से आप एक महीने में अंग्रेजी सीख सकेंगे ? कभी नहीं। हिन्दी इतनी आसानी से इसलिये सीखी जा सकती है कि दक्षिण भारत की चार भाषाओं के सहित हिन्दुस्तान के हिन्दू जो भाषायें बोलते हैं, उन सब में संस्कृत के बहुत से शब्द हैं। हमारा इतिहास कहता है कि पुराने जमाने में उत्तर-दक्षिण के बीच का व्यवहार संस्कृत द्वारा चलता था। आज भी दक्षिण के शास्त्री उत्तर के शास्त्रियों के साथ संस्कृत में बातचीत करते हैं। अनेक प्रान्तीय भाषाओं में मुख्य भेद व्याकरण का है। उत्तर भारत की भाषाओं का तो व्याकरण भी एक-सा है। अलबत्ता, दक्षिण भारत की भाषाओं का व्याकरण भिन्न है, और संस्कृत से प्रभावित होने के पहले उनके शब्द भी भिन्न थे। लेकिन अब उन्होंने भी बहुत से संस्कृत शब्द ले लिये हैं, और वे इस हद तक लिये गये हैं कि जब मैं दक्षिण में घूमता हूँ, तो यहाँ की चारों भाषाओं में जो कुछ कहा जाता है, उसका सार समझ लेने में मुझे कोई कठिनाई नहीं मालूम होती।

आप अपने मुसलमान मित्रों की बात लीजिये। वे अपने-अपने प्रान्त की भाषा तो स्वभावतः जानते ही हैं, इसके अलावा वे उर्दू भी जानते हैं। दोनों का व्याकरण एक सा है, लिपि के कारण दोनों में जो फर्क है, सो है, और इस पर विचार करने से मालूम होता है कि हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू, ये तीनों शब्द एक ही भाषा के सूचक हैं। इन भाषाओं के शब्द-भण्डार को देखने से हमें पता चलता है कि इनके अधिकांश शब्द एक में हैं। इसलिये एक लिपि के सवाल को छोड़ दें, तो इसमें मुसलमानों को कोई कठिनाई नहीं हो सकती। और, लिपि का सवाल तो अपने-आप हल हो जायगा।

इसलिये फिर अपनी शुरु की बात पर लौटकर मैं कहता हूँ कि अगर आपकी दृष्टि-मर्यादा उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में कराँची से पूर्व में डिब्रूगढ़ तक पहुँचती हो—और इतनी बहू पहुँचनी भी चाहिये—तो उसके लिये आपके पास हिन्दी को छोड़कर और कोई साधन नहीं। मैं आपको समझा चुका हूँ कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। अंग्रेजी से मुझे नफरत नहीं। थोड़े पंडितों के लिये अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, अन्तर्राष्ट्रीय आवाह—मार्यालोर्ष, शक १८९१]

सम्बन्धों के लिये और पश्चिमी विज्ञान के ज्ञान के लिए उसकी जरूरत है । लेकिन जब उसे वह स्थान दिया जाता है, जिसके योग्य वह है ही नहीं, तो मुझे दुःख होता है । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा प्रयत्न विफल ही हो सकता है । अपनी-अपनी जगह ही सब शोभा देते हैं ।

आपके दिमाग में व्यर्थ ही जो एक डर घुस गया है, उसे मैं निकाल डालना चाहता हूँ । क्या हिन्दी कन्नड़ की जगह लिखाई जायगी ? क्या यह कन्नड़ को उसके स्थान से हटा देगी ? नहीं, उल्टे मेरा दावा तो यह है कि जैसे-जैसे हम हिन्दी का अधिक प्रचार करेंगे, वैसे-वैसे हम अपनी प्रान्तीय भाषाओं के अभ्यास को न केवल विशेष प्रोत्साहन देंगे, बल्कि उनकी शक्ति भी बढ़ायेंगे । यह बात मैं भिन्न-भिन्न प्रान्तों के अपने अनुभव से कहता हूँ ।

दो शब्द लिपि के बारे में । जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, तब भी मैं मानता था कि सस्कृत से निकली हुई सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी होनी चाहिये, और मुझे विश्वास है कि देवनागरी के द्वारा द्राविडी भाषायें भी आसानी से सीखी जा सकती हैं । मैंने तामिल-तेलगू को और कुछ दिन तक कन्नड़ व मलयालम को भी उनकी अपनी लिपियाँ द्वारा सीखने का प्रयत्न किया है । मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यह साफ दिखाई पड़ रहा था कि अगर इन चारों भाषाओं की लिपि देवनागरी ही होती, तो मैं इन्हे थोड़े ही समय में सीख सकता था, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे चार-चार लिपियाँ सीखनी होंगी, तो मैं मारे डर के घबरा उठा । मेरी तरह जिसे चारों भाषायें सीखने का उत्साह है, उसके लिये यह कितना बड़ा बोझ है ? और क्या यह समझाने के लिये भी किसी दलील की जरूरत है कि दक्षिणवालों के लिये अपनी मानुभाषा के सिवा दूसरी तीन भाषायें सीखने के लिये देवनागरी लिपि अधिक-से-अधिक सुविधाजनक हो सकती है ? राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रश्न के साथ लिपि का प्रश्न मिलाना न चाहिये । मैंने यहाँ उसका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये किया है कि हिन्दुस्तान की सभी भाषायें सीखनेवाले को लिपि के कारण कितनी कठिनाई हाँती है ।

(ह० से०, ५-७-३६)

राष्ट्रभाषा के पद पर हिन्दी

महात्मा गाँधी ने दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा के पदवीदान-समारम्भ के अवसर पर दीक्षान्त भाषण दिया था । उसका एक अंश इस प्रकार है—

मैंने अपने मनमें कहा, गुजराती मेरी मातृभाषा है, पर वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । देश की ३०वें हिस्से से अधिक जन-संख्या गुजराती भाषा-भाषी नहीं है । उसमें मुझे तुलसीदास की रामायण कहाँ मिलेगी ? तो क्या मराठी राष्ट्रभाषा हो सकती है ? मराठी भाषा से मुझे प्रेम है । मराठी बोलनेवाले लोगों में मेरे साथ काम करनेवाले कुछ बड़े पक्के और सच्चे साथी हैं । महाराष्ट्रियों की योग्यता, आत्मबलिदान की उनकी शक्ति और उनकी विद्वत्ता का मैं फायदा हूँ । तो भी जिस मराठी भाषा का लोकमान्य तिलक ने गजब का उपयोग किया, उसे राष्ट्रभाषा बनाने की कल्पना मेरे मन में नहीं उठी । जिस वक्त मैं इस प्रश्न पर अपने दिल में दलीलें कर रहा

था—मैं आपको बता दूँ कि उस वक्त मुझे हिन्दी भाषा-भाषियों की ठीक-ठीक संख्या भी मालूम नहीं थी—उस वक्त भी मुझे खुद-ब-खुद यह लगा था कि राष्ट्रभाषा की जगह एक हिन्दी ही ले सकती है—दूसरी कोई जवान नहीं। क्या मैंने बंगला की प्रशंसा नहीं की? मैंने की है, और चैतन्य, राममोहन राय, रामकृष्ण, विवेकानन्द और रवीन्द्रनाथ ठाकुर की मातृभाषा होने के कारण मैंने उसे सम्मान की दृष्टि से देखा है। फिर भी मुझे लगा कि बंगला को हम अन्तर्प्रान्तीय आदान-प्रदान की भाषा नहीं बना सकते। तो क्या दक्षिण भारत की कोई भाषा बन सकती है? यह बात नहीं कि मैं इन भाषाओं से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। पर तामिल या दूसरी कोई दक्षिण भारतीय भाषा राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है? तब हिन्दी जवान, बाद को जिसे हम हिन्दुस्तानी या उर्दू भी कहने लगे हैं, और जो देवनागरी और उर्दू लिपि में लिखी जाती है, वही माध्यम हो सकती है, और है।

(हरिजन सेवक, ३-४-३७)

बंबई के हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बैठक में

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नवें अधिवेशन की तैयारी के सिलसिले में आयोजित एक बैठक में ग.वी.जी ने निम्न भाषण दिया था। उनका भाषण गुजराती में था, भाषण का अनुवाद इस प्रकार है—

आज हम जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं उसकी दृष्टि से मुझे हिन्दी में बोलना चाहिए। लेकिन इस समय मैं जान-बूझकर हिन्दी में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस भाषा की खूबियाँ आपको समझाना चाहता हूँ, ये खूबियाँ मैं आपको गुजराती में समझाऊंगा। मेरा क्याल है कि गुजराती भाषा में इन्हें बता सकने की मुझमें विशेष शक्ति है। हिन्दुस्तान में इस समय जो सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा है, हिन्दी भाषा का आग्रह भी उसमें आ जाता है। सत्य का आग्रह करना, सत्याग्रह की मुख्य बात है। और यदि हम इस पर विचार करने बैठें तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इस विचार से राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमें हिन्दी में ही बोलना पड़ेगा। ऐसी एक भी अन्य देशी भाषा नहीं है जो हिन्दी के साथ स्पर्धा कर सके।

हिन्दी भाषा क्या है, हमें इस बात पर थोड़ा विचार करना होगा। मैं यह नहीं मानता कि हिन्दी अर्थात् वह भाषा जिसमें संस्कृत के शब्द आते हैं, कृत्रिम भाषा है। इसी तरह उर्दू भी, जिसमें फारसी के शब्द आते हैं। हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में जिस भाषा को बोलना चाहते हैं वह हिन्दी और उर्दू का मिलाजुला रूप है। बहुत करके यह भाषा इस समय बिहार, दिल्ली तथा पंजाब में बोली जाती है। हिन्दू और मुसलमान दोनों एक नहीं हैं, जब यह भावना लोगों के दिलों में घर करने लगी और जब दोनों के बीच द्वेष-भाव उत्पन्न हुआ तब इन दोनों भाषाओं में रस्सा-कशी होने लगी। कुछ-एक लोगों ने, जिसमें संस्कृत के शब्द होते हैं उस भाषा को ही हिन्दी कहा तथा कुछ ने फारसी और अरबी भाषा से युक्त भाषा को ही उर्दू कहा। लेकिन सामान्य हिन्दू

आषाढ—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

और मुसलमान जो बोलते हैं, वह भाषा तो ऐसी नहीं है। हम चाहे जिस जगह जायें और हिन्दू-मुसलमानों को बोलते हुए सुनें तो देखेंगे कि उसमें संस्कृत, फारसी तथा अरबी के शब्द आते हैं, और हिन्दू ही अथवा मुसलमान, कोई भी इनका त्याग नहीं करते। ऐसी मिश्रित भाषा को स्वीकार करने से हम हिन्दू और मुसलमानों का हृदय स्वच्छ हो जायेगा। इस तरह की जिस भाषा की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसे उत्तर अथवा दक्षिण का प्रत्येक मुसलमान भाई समझ सकता है, हालांकि उसे अपने प्रान्त की भाषा आती है। (भारत के) मानचित्र पर दृष्टिपात करते समय (आप देखेंगे कि) मद्रास के थोड़े से हिस्से को छोड़कर शेष भागों के हिन्दू भी इस भाषा को समझते हैं। और फिर, उनको भी यदि भागों में विभाजित करने बैठें तो महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, और सिन्ध के अलावा दूसरे अन्य प्रान्तों में यह भाषा बोली जाती है। गुजरात आदि प्रान्तों में भी मौलवी और हिन्दू धर्मगुरुओं ने दोनों भाषाओं का प्रचार किया है। तुलसीकृत 'रामायण' से कदाचित् ही कोई अनभिज्ञ होगा। हिन्दी कहिए अथवा उर्दू दोनों का व्याकरण एक ही है। हिन्दुस्तान में यदि कोई भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह यही हिन्दी-उर्दू है। इससे किन्नी को यह अर्थ नहीं लगाना है कि हम अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाएँ भुला दें। राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए हमें ऐसी भाषा निश्चित करनी चाहिए कि जिसका अन्तर्प्रान्तीय उपयोग हो सके। इसलिए हिन्दी-उर्दू मिश्रित जिस भाषा की मैंने चर्चा की है उस भाषा को हमारे शिक्षित वर्ग को तो सीख ही लेना चाहिए। मैं अपनी अल्प-बुद्धि के अनुसार इस बात से अवगत हूँ कि इस देश में बड़े-बड़े विद्वान् यह मानते हैं कि (अन्तर्प्रान्तीय उपयोग के योग्य भाषा तो) अंग्रेजी भाषा ही है। लेकिन वह भाषा कदापि राष्ट्रभाषा नहीं हुई है। क्योंकि उसमें और हिन्दी भाषा में किसी प्रकार की भी समानता नहीं है। राष्ट्रभाषा ऐसी सहल होनी चाहिए कि जिसे कोई भी सीख सके। यदि हम पराधीनता से ग्रस्त न हों तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसी सामान्य भाषा की आवश्यकता है। अंग्रेजी सीखने के पीछे लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद गिने-चुने लोग ही इस भाषा को सीख सके हैं और ऐसा होने पर भी उस भाषा पर पूर्ण अधिकार रखनेवाले लोग तो इक्के-दुक्के ही होते हैं। इस भाषा को सीखने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे देखता हूँ तो मुझे तो ऐसी प्रतीति होती है कि उससे देश का तेज क्षीण होता जा रहा है।

इस प्रश्न के भीतर भारत की उन्नति के बीज निहित हैं। जिस राष्ट्र ने अपनी भाषा का अनादर किया है उस राष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रीयता खो बैठते हैं। हममें से अधिकांश लोगों की यही हालत हो गई है। पृथ्वी पर हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां मां-बाप अपने बच्चों के साथ मातृभाषा में न बोलकर अंग्रेजी में बोलते हैं। मैं अंग्रेजी से ब्रेष नहीं करता। मुझे यह भी लगता है कि कुछ कामों के लिए कुछ लोगों को अंग्रेजी सीखनी है। हम लोगों में दुभाषिये का काम करने के लिए (कुछ लोगों को) अंग्रेजी सीखनी चाहिए। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसके लिए अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमारे अन्य कार्यों के लिए, अदालतों और केन्द्रीय विधानसभा में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी भाषा में कामकाज चलाने से राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है। जब तक हम इस तरह को ग्रहण नहीं कर

लेते तब तक हमारी सारी मेहनत बेकार जायेगी। इसी से मैंने पिछले वर्ष यह कहा था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन बम्बई में किया गया होता तो अच्छा होता। हम देखते हैं कि ऐसा किया गया है। अधिवेशन इस मास की १८, १९ और २० तारीख को होगा। पंडित मालवीय जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। इसलिए आप लोग अधिवेशन की मदद करें। मंत्रियों ने बताया है कि इस अधिवेशन पर १०,००० रुपया खर्च होगा। इसमें आप जितनी सहायता देंगे वह सम्मेलन को दी गई सहायता मानी जायेगी। वैसे यह कोई ऊंचे दर्जे की सहायता नहीं है। ऊंचे दर्जे की मदद तो वह कही जायेगी कि जो लोग यहाँ उपस्थित है वे जल्दी ही इस भाषा को सीख लें। रात को एक-एक घंटे किसी शिक्षक के पास बैठकर सीखने से (कुछ ही समय में) यह भाषा सीखी जा सकती है। मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता।

मुझे उम्मीद है कि आप मेरे विचारों पर मनन करेंगे और उचित जान पड़ने पर उन पर अमल करेंगे। अनेक बार यह देखने में आता है कि हम कोई बात सुनते और पसन्द तो करते हैं परन्तु उस पर अमल नहीं करते। पसन्द की हुई वस्तु के सम्बन्ध में तुरन्त कार्रवाई करने का परिणाम अच्छा होता है। ऐसा करने से हम आगे बढ़ेंगे।

गुजराती २०-४-१९१९

विद्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम

कलकत्ता में एक सभा मे गांधी ने कहा—

हाल में हुए साहित्य-सम्मेलनों की कार्यवाही की खोज खबर रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारी राष्ट्रीय जाग्रति केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है। इन जलसों में जो उरसाह देखने में आया वह एक शुद्ध परिवर्तन का द्योतक है। वैचारिक रूप से हम अपने राष्ट्रीय जीवन में मातृभाषाओं को उनका उचित स्थान देने लगे हैं। हमारे देश में कई ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो जल्दबाजी में अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में अपना मत व्यक्त कर देते हैं। अदालती भाषा के रूप में अंग्रेजी का वर्तमान दर्जा उनके विचार में जरूरत से ज्यादा महत्व रखता है। वे नहीं समझ पाते कि अंग्रेजी का वर्तमान दर्जा हमारे लिए कोई बुराई की बात नहीं है और न वह एक सच्ची जनतात्त्रिक भावना के विकास में सहायक ही है। करोड़ों आदमी कुछ सी अधिकारियों की सुविधा के लिए एक विदेशी भाषा सीखें, यह पहले दर्जे की हिमाकत है। देश की केन्द्रीय सरकार को मजबूत करने के लिए एक सर्वसामान्य माध्यम की आवश्यकता प्रमाणित करने के हेतु बहुधा हमारे विगत इतिहास से उदाहरण पेश किया जाता है। एक सामान्य माध्यम की आवश्यकता पर किसी को आपत्ति नहीं। परन्तु वह माध्यम अंग्रेजी हो नहीं सकती। अधिकारियों को देशी भाषाओं को मान्यता देनी पड़ेगी। अंग्रेजी के पक्षपातियों को जो दूसरी बात अपील करती है वह है साम्राज्य में भारत की स्थिति। सीधे शब्दों में कहा जाये तो उनके तर्क का अर्थ यही निकलता है कि साम्राज्य के अन्य भाषा—मार्गदर्शक, शक १८११]

हिस्सों के लाभार्थ—जिनकी जनसंख्या १२ करोड़ से अधिक नहीं—३१ करोड़ भारतीयों को अपनी सामान्य भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही स्वीकार करना चाहिए।

इस समस्या पर विचार करनेवाले प्रत्येक अध्येता के लिए प्रथम विचारणीय तथ्य तो यह है कि भारत में १५० वर्षों से ब्रिटिश शासन रहने पर भी अंग्रेजी एक सर्वसामान्य माध्यम का स्थान ग्रहण नहीं कर सकी। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि एक तरह की टूटी-फूटी अंग्रेजी हमारे नगरों में माध्यम बनने में सफल हो गई प्रतीत होती है। परन्तु यह तथ्य केवल उन्हीं लोगों को चकित कर सकता है जो बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में हमारी राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने की बात करते हैं। किन्तु उनकी आबादी ही कितनी है? वह भारत की कुल आबादी का केवल २.२ प्रतिशत है। दूसरा तथ्य जिसे अंग्रेजी के हिमायती अनदेखा करते हैं यह है कि हमारी देशी भाषाओं में से बहुतेरी एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं और इसके कारण हिन्दी एक सामान्य माध्यम के रूप में मद्रास प्रान्त के अलावा सभी प्रान्तों को अनुकूल पड़नी है। हिन्दी के पक्ष में इस लाभ को ध्यान में रखते हुए तथा हमारी वर्तमान राष्ट्रीय चेतना को देखते हुए हम अंग्रेजी को सर्वसामान्य माध्यम के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

इस समस्या का हल ही देशी भाषाओं के माध्यम का निर्णय करेगा। हमारी शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी को देशी भाषाओं की तुलना में अस्वाभाविक प्रघानता दी जानी है। अंग्रेजी के कट्टर हिमायतियों का कहना है कि यथासम्भव छोटी से छोटी उम्र में ही अंग्रेजी का प्रयोग शिक्षा के माध्यम की तरह होना चाहिए। यह तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि विदेश में बच्चे छोटी उम्र में ही उस देश की भाषा बिना कठिनाई के सीख लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने इस तर्क का खण्डन करते हुए कहा है:

“विदेशों में तो बच्चे के चारों ओर लोग उमी देश की भाषा बोलते हैं, पर कक्षा में वह ऐसे लोगों के बीच होता है जो शिक्षक के अलावा सभी भाषा के नये माध्यम से उतने ही अनभिज्ञ होते हैं जितने कि बच्चे। इस कक्षा में एक व्यक्ति अनेक को पढ़ाता है, न कि अनेक एक को, और यहाँ केवल प्रयोगों द्वारा ही कक्षा में शिक्षण देने के तरीके निकालने में सफलता मिल सकती है।”

आयोग ने शिक्षा-प्रणाली में देशी भाषाओं के प्रचलन से होनेवाली शैक्षणिक (समय इत्यादि की) बचत के लाभ को मान्यता प्रदान की है। इसके बाद लाजिमी कदम यही होगा कि विश्वविद्यालयों में भी माध्यम के रूप में देशी भाषाओं के व्यवहार की सिफारिश की जाये। सेंडलर आयोग ने माध्यमिक स्कूलों और कालेज के विभागों में शिक्षा के माध्यम के रूप में देशी भाषाओं के प्रयोग के लिए मेट्रिक को ही सीमा माना है। भविष्य के लिए एक द्वैभाषिक शिक्षा प्रणाली की बात उमने अपनी राय के रूप में रखी है। परन्तु उसने यह भी कहा है—

“भविष्य के बारे में अभी से कोई राय नहीं देना चाहते। यह भविष्यवाणी करना हमारा काम नहीं कि आगे चलकर कभी भविष्य में बंगला के ही अधिकतम प्रयोग की स्वाभाविक अभिलाषा अन्ततः इतनी बलवती हो जाये कि जिसके परिणामस्वरूप

हम एक ऐसी सर्व सामान्य भाषा के माध्यम को छोड़ने के लिए तैयार हो जायें— जो केवल भारत के शिक्षित वर्ग की ही नहीं बल्कि अन्य किसी भाषा की अपेक्षा जनसमूह द्वारा अधिक व्यवहृत हो और जिसके जरिये हम विश्व के साहित्य और वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में सहज ही प्रवेश पा सकें।”

यद्यपि आयोग के सामने प्रस्तुत साध्य को देखते हुए आयुक्तों को विदर्शविद्यालयों में भी देशी भाषाओं के प्रयोग के पक्ष में भावी नीति निर्धारित करने के लिए तो राजी नहीं किया जा सका, लेकिन यह भी इतना ही सही है कि साध्य में उनको ऐसा कुछ नहीं मिला जो अंग्रेजी के हिमायतियों या द्विभाषा-समर्थकों की दलीलों का समर्थन करता हो। इस प्रकार यद्यपि आयुक्तों के प्रश्नों के उत्तर भविष्य का निर्णय आप नहीं करते फिर भी वे यह तो प्रकट करते हैं कि विदर्शविद्यालयों के कुछ कामों में नुरन्त और सभी कामों में अन्ततोगत्वा बंगला का प्रयोग शुरू करने के पक्ष में एक प्रबल आन्दोलन मौजूद है, एक ऐसा आन्दोलन जिसका कोई आभास १९१५ की गांधी विधान परिषद् की बहस में नहीं मिलता।

आयुक्तों ने उत्तरों की जो व्याख्या की यदि उसका अध्ययन करें तो उनके कथन को अधिक सही रूप में पूरी तरह समझ सकेंगे। गवाहों से प्रश्न किया गया था, क्या आपका विचार है कि मेट्रिक से ऊपर विदर्शविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हर स्तर पर प्रशिक्षण और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाना चाहिए? प्राप्त उत्तरों का वर्गीकरण इस प्रकार है—

(१) १२९ का जवाब निश्चय ही स्वीकारात्मक है।

(२) २९ का जवाब स्वीकारात्मक तो है पर कुछ किन्तु-परन्तु के साथ है।

(३) ६८ ने एक ही शिक्षा संस्था में एक साथ या दो समान संस्थाओं में अंग्रेजी और देशी भाषा के समुक्त प्रयोग के पक्ष में मत दिया।

(४) ३३ उत्तरों में देशी भाषाओं को क्रमशः अंग्रेजी के स्थान में रखने का उद्देश्य रखने की बात सुझाई गई है।

(५) ३७ उत्तर विरोध में हैं, और

(६) ९ उत्तर किसी वर्ग में नहीं रखे जा सकते।

इस प्रकार १५५ जवाब अंग्रेजी माध्यम के पक्ष में हैं और लगभग १३८ देर-सबेर देशी भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाने के विरुद्ध नहीं है। निश्चय ही यह अनुपात देशी भाषाओं के हिमायतियों का उत्साह बढ़ानेवाला है। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम की हिमायत करने-वाले लोगों का काफी बड़ा भाग ऐसा है जो विदेशी माध्यम की सलाह सिर्फ इसलिए देता है कि विभिन्न विषयों पर सही किस्म की यथेष्ट पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था नहीं है। ये शिक्षा-शास्त्री भी सिद्धान्तः देशी भाषाओं के माध्यम के विरोधी नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि हम तैरना सीखे बिना ही पानी में उतर पड़ें। वाकी गवाही का साधय इसी तरह का अधिक निदचायात्मक है जो अंग्रेजी माध्यम का समर्थन करता है। शेष साध्य देशी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अनुपयुक्त करार देता है। ये गवाह हमारी देशी भाषाओं के इतिहास से अनभिज्ञ आचार्य-नार्यशीर्ष, शक १८९१]

प्रतीत होते हैं। एक समय था जब समस्त हिन्दू-दर्शन का एकमात्र माध्यम संस्कृत थी। परन्तु कुछ उस्ताही विद्वानों ने अपनी देशी भाषाओं का भण्डार दर्शन-साहित्य के सुन्दर ग्रंथों से समृद्ध किया और वे हिन्दू-दर्शन को आम जनता के निकट ले आये। क्या हम संगठन सम्बन्धी आधुनिक कल्पनाओं का सहारा लेकर या उनके बिना ही देशी भाषाओं में विज्ञान के क्षेत्र में भी वही काम नहीं कर सकते जो किसी समय दर्शन के क्षेत्र में देशी भाषाओं के उन विद्वानों ने किया था ? इन गवाहियों की शंकाओं के विरोध में देशी भाषाओं के पक्षपाती जापान का उदाहरण पेश कर सकते हैं। सेंट पाल्स केथिड्रल कालेज, कलकत्ता के प्रिंसिपल रेवरेंड डब्ल्यू ० ई ० एस ० हालेंड अपनी गवाही में लिखते हैं कि—

जापान ने अपनी भाषा के प्रयोग से एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली खड़ी कर दी है जिसका पाश्चात्य जगत् सम्मान करता है।

‘माडर्न रिव्यू’ के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी की गवाही और भी अधिक विश्वासोत्पादक है। वे कहते हैं :

“विश्वविद्यालय की शिक्षा के सभी स्तरों पर देशी भाषाओं का प्रयोग अपरिहार्य है। इसके विरुद्ध जिनको भी आपत्तियाँ हैं उनका महत्त्व अन्धारी ही है, क्योंकि अत्यन्त विकसित आधुनिक भाषाएँ और साहित्य अपने प्रागर्भिक चरण में बगला से किसी भी तरह बेहतर नहीं थे। सतत प्रयोग से ही वे विकसित हुई हैं और हम भी उसी तरह प्रयोग से ही अपनी भाषा का विकास कर सकेंगे।”

इस प्रकार हम पाते हैं कि यद्यपि आज डॉ ० सैंडलर के आयोग के भी समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य विश्वविद्यालय की रक्षा के लिए देशी भाषा का माध्यम अपनाने के पक्ष में नहीं है, फिर भी वह भविष्य में देशी भाषा को माध्यम बनाने के हित में बड़ी आशा बँधाता है। एक समय था जब देशी भाषा के पक्षपातियों के उद्देश्य को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था। अब उसे सन्देह की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इतना ही नहीं सन्देह का स्थान विश्वास ने ले लिया है। हाल में दो महत्वपूर्ण संस्थाएँ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय हो गयी हैं। पुना का महिला विश्वविद्यालय और हैदराबाद का उस्मानिया विश्वविद्यालय, दोनों ही माध्यम के रूप में केवल देशी भाषाओं का व्यवहार कर रहे हैं। उनकी प्रगति पर बहुत लोगों की आँखें जमी हुई हैं और जैसा कि जस्टिस सर अब्दुला रहीम ठीक ही कहते हैं कि इन संस्थाओं की सफलता देशी भाषाओं की समस्या का हल आसान बना देगी। हिन्दू विश्वविद्यालय के पिछले दीक्षान्त समारोह के दौरान माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय ने देशी भाषाओं के सभी प्रमुख विद्वानों को एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। आशा है कि ऐसे सुनियोजित प्रयत्नों से देशी भाषाएँ शीघ्र ही शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता पा लेंगी।

‘देशी भाषाओं के हित को प्रान्तों के वर्तमान विभाजन ने भी किसी अन्य चीज से कम नुकसान नहीं पहुँचाया है। भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्विभाजन करने के बाद विश्व-विद्यालयों की व्यवस्था एक नये सिरे से करनी होगी।

ऊपर हमने देवी भाषाओं के हित के लिए तीन परस्पर मिले-जुले कार्यक्षेत्र बतलाये हैं। जाहिर है कि जबतक हम इस हित को आगे नहीं बढ़ायेगे तबतक हम अपने देश के विभिन्न स्त्री-पुरुषों और विभिन्न वर्गों और जनता के बीच निरन्तर चौड़ी होती हुई बौद्धिक और सांस्कृतिक खाई को पाट नहीं सकेंगे। यह भी निश्चित है कि केवल देवी भाषा के माध्यम से ही अधिकांश लोगों में वैचारिक मौलिकता पैदा की जा सकती है।

यंग इंडिया, २१-४-१९२

हिन्दी नवजीवन

बहुत से हिन्दी-भाषी मित्र इस बात के लिए उत्सुक थे कि मैं 'नवजीवन' के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन का दायित्व अपने ऊपर ले लूँ। मैं स्वयं भी उसके लिए उत्सुक था। किन्तु यह अब तक सम्भव नहीं हो सका। 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' के सम्पादन का काम सँभालना काफी कठिन होता है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि मैं अपने विचारों और गिद्दानों को पसन्द करता हूँ। मेरी पक्की गय है कि वे भारत के लिए हितकर हैं। और यदि मुझे पूर्ण विनम्रता में इतना कहने की अनुमति हो तो वे सभी के लिए हितकर है, इस कारण मैं मित्रों और कार्यकर्ताओं के हिन्दी संस्करण निकालने के दबाव के आगे झुक रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि भारत के विभिन्न भागों में मेरे लेखों के अनेक हिन्दी अनुवाद छपते हैं। किन्तु सभी चाहते थे कि 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' के चुने हुए लेखों का एक अधिकृत स्वतन्त्र अनुवाद एक जगह छपे। यह कार्य अब किया जा रहा है। इस संस्करण की हिन्दी वस्तुतः हिन्दुस्तानी होगी जो ऐसे हिन्दी और उर्दू मरल शब्दों से बनी मिली-जुली भाषा होगी जिन्हें हिन्दू और मुसलमान दोनों समझते हैं। प्रयत्न यह किया जायेगा कि इसमें कोई सजावट न की जाये। असल बात तो यह है कि मैं चाहता था कि इसका उर्दू रूप भी साथ ही निकले। किन्तु अभी यह नहीं निकाला जा सकता। मैं पाठकों से यह भेद भी छिपाना नहीं चाहता कि 'हिन्दी नवजीवन' के प्रकाशन में जो यह जल्दी की गई है उसके पीछे मेरा अपने मारवाड़ी भाइयों और खासतौर से जमनालाल जी के प्रति आदरभाव है। जमनालाल जी ने प्रकाशक के रूप में और श्री शंकरलाल बँकर ने मुद्रक के रूप में अपने नाम की सूचना अदालत में दे दी है। गुजराती और अंग्रेजी संस्करणों की तरह 'हिन्दी नवजीवन' में भी विज्ञापन नहीं रहेंगे। इसे उन दोनों की तरह स्वालम्बी भी बनाना होगा, इसलिए इसे जो सहायता मिलेगी इसका अस्तित्व उम्मी पर कायम रहेगा। हिन्दी संस्करण का चन्दा ४ रुपये वार्षिक होगा और ६ मास का २ रुपये होगा। जो लोग ग्राहक बनना चाहते हैं उनको मेरी सलाह है कि वे अभी आधे साल का चन्दा भेजें। 'हिन्दी नवजीवन' का प्रकाशन अभी परीक्षण के रूप में किया जा रहा है। मेरे पास कार्यकर्ता भीमित हैं। यदि मुझे स्वामी आनन्दानन्द की अथक शक्ति और सूझबूझ का सहारा न मिलता तो मैं इस जिम्मेवारी को उठाने से इनकार कर देता। हमने यह देख लिया है कि सबसे अच्छा काम वे लोग ही करते हैं जो स्वेच्छा

आवाह—मार्गदर्शक, अंक १८९१]

से काम करते हैं। और इस प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करनेवाले लोगों को बूढ़ना आसान नहीं है। इसलिए मैं उन हिन्दी प्रेमियों का, जिन्होंने असहयोग को जीवन का सिद्धान्त बना लिया है, आश्चर्य करता हूँ कि वे 'नवजीवन' को परीक्षण के रूप में छः मास तक अपना संरक्षण ब। यह कहने की जरूरत नहीं कि वे पत्र मुनाफा कमाने के लिए नहीं निकाले गये हैं। इसलिए यदि कोई बचत होगी तो वह तीनों संस्करणों के विकास में लगाई जायेगी। पाठकों की दिलचस्पी यह जानने में भी होगी और उन्हें इससे प्रसन्नता होगी कि मौलाना मुहम्मद अली ने अपनी 'कामरेड' की मशीनें, टाइप और अन्य सामग्री बिना कुछ लिये हमें दे दी हैं। इस प्रकार अशुभ शक्तियों से असहयोग की लड़ाई शुभ शक्तियों के निकटतम सहयोग पर निर्भर है। मैं सरकार की शक्तियों की अशुभ शक्तियों को अशुभ शक्तियाँ और असहयोग की शक्तियों को असहयोगियों की समस्त श्रुतियों और सीमाओं के बावजूद शुभ मानता हूँ।

१८-८-२१

राष्ट्रीय शिक्षा

अब रही शिक्षा के माध्यम की बात। इस विषय पर मेरे विचार इनने विदित हैं कि यहां उनके दुहराने की जरूरत नहीं। इस विदेशी भाषा के माध्यम ने लड़कों के दिमाग को सिधिल कर दिया है और उनकी दिमागी शक्तियों पर अनावश्यक बोझ डाला है। उन्हें गुरु और नकलची बना दिया है। मौलिक विचारों और कार्यों के लिए अयोग्य कर दिया है और अपनी शिक्षा का साग अपने परिवार वाले तथा जनता तक पहुँचाने में असमर्थ बना दिया है। इस विदेशी माध्यम ने हमारे बच्चों को अपने ही घर में पूरा-पक्का परदेसी बना दिया है। वन-मान शिक्षा-प्रणाली का यह सबसे बड़ा दुःखान्त दृश्य है : अंग्रेजी भाषा के माध्यम ने हमारी देशी भाषाओं के विकास का रोक दिया है। यदि मेरे हृष्य में मनमानी करने की सत्ता होती। तो मैं आज से ही विदेशी भाषा के द्वारा अपने देश के लड़के-लड़कियों की पढ़ाई बन्द करवा देता। और सारे शिक्षकों और अध्यापकों से यह माध्यम तुरन्त बदलवाता या उन्हें बरखास्त करा देता। मैं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार न करता। वे तो परिवर्तन के पीछे-पीछे चली आयेंगी। यह खराबी तो ऐसी है, जिसके लिए तात्कालिक इलाज की जरूरत है।

१-९-१९२१

मारवाड़ी भाइयों और बहिनों से

आपके प्रेमवश होकर मैंने 'हिन्दी नवजीवन' निकालने का साहस किया है। जबसे मैं भारतवर्ष में आया हूँ, तब से मेरा आपका सम्बन्ध निकट आता जा रहा है। आपने मेरी प्रवृत्ति को प्रेम भाव से देखा है और मुझे सहायता दी है। आपने हिन्दी-प्रचार में सूब मद्दद की है। आपकी

[भवन ५५, संख्या ३, ४

ही सहायता से आज ब्राह्मिण प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार अच्छी तरह हो रहा है। आप भाई और बहने असहयोगी हैं। आप राष्ट्रीय जीवन में रस लेते हैं। आपने देख लिया है कि घनी पुरुष और स्त्रियाँ राष्ट्रीय जीवन के पराङ्मुख नहीं रह सकते।

आप धर्मप्रेमी हैं। धर्म के लिए आप लाठीं उपया देते हैं। आपमें साहस भी है। ब्रह्मो-पार्जन आपका प्रधान क्षेत्र है। (नयापि) धनिकवर्ग के अलग रहते हुए इस धर्म में, जो आज भारत वर्ष में छिड़ रहा है, सफलता मिलना मुझे बहुत ही कठिन दिखाई देता है।

अखिल भारत की राष्ट्रीय समिति ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अब जो कदम उठाया है, उसमें आप लोगों की ओर से सहायता मिलने पर ही सम्पूर्ण सफलता मिल सकती है। उक्त समिति ने निश्चय कर लिया है कि आगामी ३० सितम्बर तक विदेशी कपड़ों का पूरा बहिष्कार कर दिया जाये। मैंने आपके ही विश्वास पर सितम्बर मास की अवधि रखने की मत्याह दी। अतएव इस स्वदेशी आन्दोलन को प्रबल बनाने के समय 'हिन्दी नवजीवन' का प्रकाशित होना उचित ही है।

'हिन्दी-नवजीवन' १९-८-१९२१

कलकत्ता की सार्वजनिक सभा में

मैं हिन्दुस्तानी में काफी बोल चुका हूँ और मुझे आशा है कि काफी श्रोताओं ने मेरी टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी समझ भी ली है। मुझे इस बात से हार्दिक वेदना होती है कि जब कभी मैं दक्षिण में या बंगाल में जाता हूँ तो मुझे शिक्षित भाइयों को अपनी बात समझाने के लिए अंग्रेजी में बोलने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि दक्षिण और बंगाल के लोग आलस्य छोड़ दें और अपनी मातृभाषा के ज्ञान के साथ-साथ हिन्दी या हिन्दुस्तानी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प कर लें। हिन्दी, केवल हिन्दी ही भारत में अन्तर्प्रान्तीय विनिमय की भाषा बन सकती है। अंग्रेजी को, जैसा कि उसे होना चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक भाषा, और ससार के विभिन्न राष्ट्रों की पारस्परिक विचार-विनिमय की भाषा रहने दिया जाये। किन्तु जो विशेष काम हिन्दी या हिन्दुस्तानी से सघ सकता है, वह अंग्रेजी से कभी सम्भव नहीं है। आपको यह जानना चाहिए कि भारत के करीब २० करोड़ लोग मेरी टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी समझ लेते हैं। लोगों को ऐसा कहने का अवसर मत दीजिए कि भारत के १० करोड़ लोग भारत के २० करोड़ लोगों पर अपनी भाषा या अंग्रेजी भाषा लादना चाहते हैं।

ढाका की सार्वजनिक सभा में

मुझ बंगाल आने पर बंगला भाषा की सुन्दर ध्वनि सुनने को मिलती रही है। इसलिए चाहे कितना ही धानदार क्यों न हो, अंग्रेजी में धाराप्रवाह भाषण से मेरी रक्षा करें। यदि आप अन्त्या-मार्गशीर्ष, षष्ठ १८९१]

हिन्दुस्तानी में अपनी बात न कह सकें तो खुद बंगला में ही कहें। शायद बंगाल सारे भारत को एक यही मन्देश देना चाहता है मेरा खयाल है कि अब बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपनी कार्यवाहियाँ, विशेषकर ऐसी कार्यवाहियाँ, प्रान्तीय भाषाओं या हिन्दुस्तानी में ही चलायें। एक समय ऐसा आयेगा जब हम सब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने से शर्म मानेंगे। मेरा खयाल है कि यह बात मैं पहले भी कह चुका हूँ।

१७ मई, १९२५

हिन्दी प्रचार कार्यालय, मद्रास में

यह जगह ऐसी है जहाँ माना जाता है कि लोग हिन्दी समझ लेंगे। फिर भी मुझे यहाँ आपके सम्मुख अंग्रेजी में बोलना अजीब लगता है। चूँकि उपस्थित लोगों में अधिकांश आज हिन्दी नहीं जानते, अतः मैं अपना भाषण अंग्रेजी में ही दूँगा। मेरी राय में भारत में सच्ची राष्ट्रीयता के विकास के लिए हिन्दी का प्रचार एक जरूरी बात है, विशेष रूप से इसलिए कि हमें उस राष्ट्रीयता को आम जनता के अनुरूप साँचे में ढालना है। आज से पाँच वर्षों में कुछ पहले इनकी कल्पना इन्दौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में की गई थी जिसकी अध्यक्षता मैंने की थी। उस समय ऐसा सोचा गया था कि प्रचार का सारा काम मद्रास अहाते से बाहर के क्षेत्रों में इकट्ठे किये हुए धन से चलाया जाये क्योंकि उस दिन के अधिकांश वक्ता मारवाड़ी सज्जन थे और उन्हें हिन्दी से प्रेम है। इस बात को पाँच साल हो चुके हैं और इस प्रकार-कार्य को आरम्भ-निर्भर बनाने की विधा में कुछ काम भी किया गया है। इसलिए मैं इस अवसर पर फिर कहना चाहता हूँ कि इस अहाते को इस काम का बोझ उत्तर भारत के कन्धों से हटाकर अब खुद अपने कन्धों पर लेना चाहिए। ऐसा करना उमका कर्तव्य ही है। बहुत थोड़े में नौजवान हैं जो हिन्दी सीखते और उसका अध्ययन करते हैं। जब इस योजना को रूप दिया गया था तब मैंने सोचा था कि इन निःशुल्क हिन्दी कक्षाओं में नौजवान कांग्रेस के नाम पर बड़ी संख्या में यथासम्भव जायेंगे। लेकिन मुझे और इन कक्षाओं को चलानेवाले लोगों को यह देखकर बड़ी निराशा हुई है कि इनमें बहुत ही कम नौजवान आये हैं। लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए। जबतक हिन्दी सीखने का इच्छुक एक भी तमिलभाषी रहेगा तबतक यह संस्था बनी रहेगी, जिन लोगों ने अपने ऊपर यह भार लिया है उन्हें अपने-आप पर पूरा भरोसा है। साथ ही तमिल लोगों को उनके प्रान्त में आकर हिन्दी सिखाने का काम जिन हिन्दी-प्रेमियों ने उठाया है, वे उनसे यह कहे बिना न रहेंगे कि तमिल लोगों ने पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया है।

२४ मार्च, १९२५

दंबनागरी का प्रयोग

मैं ज्यों ज्यों ज्यादा धूमता हूँ त्यों त्यों यही देखता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान की सारी भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जायें कर दें तो इससे हमारी राष्ट्रीयता को बहुत बड़ी ताकत मिले। असमिया, बंगला, पंजाबी, सिन्धी इत्यादि भाषाएँ यदि देवनागरी में लिखी जायें, तो उनके समझने में बहुत ही थोड़ी दिक्कत हो। इसमें कोई शक नहीं। ऐसा होने से इन सब भाषाओं के पढ़ने वालों का बहुत-सा समय बच जाये और भाषा बड़ी आसान मालूम होने लगे।

४-६-१९२१

श्रीरंगम् की सार्वजनिक सभा में

श्रीरंगम् की सार्वजनिक सभा में महत्मा गांधी को जनता की ओर से मानपत्र समर्पित किया गया। मानपत्र का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा—

इस सुन्दर मानपत्र के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैंने इसे सुन्दर इसलिए कहा कि यह पत्रो पर छपा हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि एक कारण से इसकी सुन्दरता में कमी आ गई है। वह यह है कि आपने मानपत्र अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी के बजाय एक ऐसी भाषा में लिखा या छपा है जिसका हमारे राष्ट्रीय सम्पर्क की भाषा के रूप में कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपसे अंग्रेजी का प्रयोग एक महानतम विश्वभाषा के रूप में ही करने का अनुरोध करूँ तो आप मुझे गलत न समझेंगे। मैं समझता हूँ, अंग्रेजी साहित्य में ऐसा बहुत कुछ है, जिसका अध्ययन करके हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जैसे गलत स्थान में रखी गई चीजों को कचरा कहते हैं, वैसे ही जहाँ अंग्रेजी के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, जैसा कि यहाँ हुआ, वहाँ उसका प्रयोग गृहित है, जब जब मुझे अपने देशमाइयों को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। जब जब मुझे हमारी आपसी बातचीत में अंग्रेजी सुनने को मिलती है, तब तब इस उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अपमान का दंश मुझे और अधिक चुभने लगता है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रान्त में हिन्दी के प्रचार के लिए भारवाही भाइयों से मैंने ५०,००० रुपया चन्दा इकट्ठा किया है। अतः मुझे पूरी आशा है कि अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करने की बेकार कोशिश के बजाय हम ईमानदारी के साथ अपनी-अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में कुशलता हासिल करने की कोशिश करेंगे।

हिन्दुस्तानी

अखिल भारतीय कांग्रेस महाममिति में हिन्दुस्तानी—अर्थात् सर्व-साधारण भाषा—बड़ी तेजी से विचार-प्रकाशन का माध्यम होती जा रही है। समिति के बहुत से सदस्य अंग्रेजी का आभाव—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

एक भी शब्द नहीं समझते और मद्रास प्रान्त के सदस्य हिन्दुस्तानी नहीं समझते। बंगाल के सदस्य कठिनाई से हिन्दुस्तानी समझते हैं। वे हिन्दी-भाषा में बोलने की आवश्यकता को मानते हैं और जब समिति की कार्यवाही हिन्दुस्तानी में चल रही थी तब उन्होने उस पर नाक-भो नहीं चढ़ाई। किन्तु द्रविड भाइयों के लिए तो वह एक प्रकार का सचमुच त्याग ही था। गत अधिवेशन में मद्रास का सिर्फ एक ही सदस्य था और मलाबार से भी अधिक लोग नहीं आ सके थे। किन्तु जब सब द्रविड सदस्य उपस्थित होंगे तब तो सचमुच बड़ी मुश्किल होगी। परन्तु फिर भी उमें दूर करने का इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही दिखाई नहीं देता कि द्रविड भाई जितनी जल्दी हो सके काफी हिन्दुस्तानी सीख लें। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनसे तो यह अपेक्षा की नहीं जा सकती कि वे अंग्रेजी पढ़ लेंगे और अब तो लोक-संस्थाओं की नीति अधिकाधिक यही होनी चाहिए कि उनमें ऐसे ही सदस्य रहें जो अंग्रेजी न जानते हों। इसलिए, हिन्दुस्तानी के भावनात्मक अथवा राष्ट्रीय महत्त्व की बात छोड़ दें तो भी यह दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक आवश्यक मालूम होता जा रहा है कि तमाम राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को हिन्दुस्तानी सीख लेनी चाहिए और राष्ट्र की तमाम कार्यवाही हिन्दी में ही की जानी चाहिए। किन्तु, यद्यपि गत अधिवेशन में यह बात तय हुई थी, तथापि द्रविड और बंगाली सदस्य यह बात सुनना ही नहीं चाहते थे कि उनके अनुगार समिति कोई बड़ा नियम बना दे। हाँ, वे इतना तो खुशी से सहन कर लेते हैं कि जिसका जी चाहे वह हिन्दुस्तानी में बोलें, परन्तु वे यह पसन्द नहीं करते कि समिति ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करके लोगों को उसके लिए मजबूर करे। आखिर यह बात कार्यकारिणी समिति पर छोड़ दी गई। किन्तु इस दुविधा के होने हुए ऐसे कोई सुझाव देना कार्यकारिणी समिति के लिए बहुत कठिन है जिसे सदस्य एकमत से मंजूर कर लें।

१०-११-१९२१

प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी

मैं प्राथमिक शिक्षा की किसी भी योजना में अंग्रेजी का ज्ञान शामिल करने के औचित्य पर आपत्ति करता हूँ। मेरी राय में इस देश के हजारों लड़के-लड़कियों को अंग्रेजी जानने की कतई जरूरत नहीं है। उन्हें भाषाओं के बजाय विचारों की ज्यादा जरूरत है। अंग्रेजी के प्रति हममें अंधा मोह पैदा हो गया है।

यंग इंडिया, २४-११-१९२०

राष्ट्रभाषा

भाषा पर विचार करते समय मुझे हिन्दुस्तानी का अपना अनुभव याद आता है। मेरी हिन्दुस्तानी में व्याकरण सम्बन्धी दोष बहुत होता है। तथापि लोग मेरी हिन्दुस्तानी प्रेमपूर्वक

[भाग १५, संख्या ३, ४

सुनते हैं। अनेक स्थानों पर मैंने विद्यार्थियों से कहा है कि मैं अंप्रजी में बोलने के लिए तैयार हूँ, तब भी वे लोग मेरा हिन्दुस्तानी में ही बोलना पसन्द करते हैं। ऐसे प्रसंग विशेष रूप से तीन-जबहू—इलाहाबाद, पटना और नागपुर में आये हैं। मेरे वैकल्पिक प्रस्ताव पर भी विद्यार्थियों ने हिन्दुस्तानी में ही बोलने की माँग की। सब लोगों की धारणा थी कि ढाका में अंग्रेजी बोले बिना मेरा निस्तार नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी लोगों ने हिन्दुस्तानी में ही बोलने की माँग की और मेरे हिन्दुस्तानी भाषण को ध्यानपूर्वक सुना। मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे सार्वजनिक कार्य करनेवाले लोगों के लिए, जो हिन्दी अच्छी तरह बोल लेते हैं, सारे हिन्दुस्तान में कार्य करने का मार्ग सरल हो जाता है। सिर्फ बंगाल और मद्रास प्रदेश में ही थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे-जैसे सामान्य वर्ग में जागृति होती जायगी वैसे-वैसे सार्वजनिक वक्तव्यों का अपने-अपने प्रांतों से बाहर हिन्दुस्तानी बोले बिना काम नहीं चलेगा, यह बात अनुभव से सिद्ध होनी जाती है। गुजरात के उन वक्तव्यों के लिए, जो सारे हिन्दुस्तान में काम करना चाहते हों, हिन्दुस्तानी सीखना नितान्त आवश्यक है।

२६-१२-१९२०

कलकत्ता में राष्ट्रीय महाविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप हिन्दुस्तानी पढ़ना आरम्भ करेंगे तब आपमें से कुछ को वह बहुत सरल और सुगम मालूम होगी। आपमें से कुछ को उसके गन्द विरुक्त स्वाभाविक लगेँगे, क्योंकि बंगला, हिन्दी और भारत की अधिकांश भाषाओं की शब्दावली एक है। केवल द्रविड देश की भाषाएँ अपवाद हैं। आप यह भी देखेंगे कि इससे आपको मानसिक स्वराग मिलेगी और इससे पढ़े-लिखे बर्गालियों की बौद्धिक आवश्यकताएँ पूरी होगी। यदि आप साहित्य पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिन्दी और उर्दू दोनों में से जिस लिए को आप सीखेंगे और पहले-पहल जिन किताबों को आप पढ़ेंगे उन्हीं में आपको ज्ञान का छिपा हुआ भंडार मिलेगा। आप हिन्दी भाषा की साहित्यिक दरिद्रता की बात कहते हैं—आप वर्तमान हिन्दी की गरीबी की बात कहते हैं, किन्तु यदि आप तुलसीदास की 'रामायण' को गहराई से पढ़ें तो शायद आप मेरी इम राय में सहमत होंगे कि संसार की आधुनिक भाषाओं के साहित्य में उसके मुकाबिले में कोई दूसरी किताब नहीं ठहरती। उस एक ही ग्रन्थ ने मुझे जितनी श्रद्धा और आशा दी है उतनी किसी दूसरी किताब से मुझे नहीं मिली। मेरा खयाल है वह हर तरह की आलोचना और छानबीन के बाद साहित्यिक सौन्दर्य, अलंकार और धार्मिक प्रेरणा—सभी दृष्टियों से खरी उतरेंगी।

स्वामी सत्यदेव को पत्र

आपका पत्र मिला। आप सब कहते हैं देवदास के साथ भेजा हुआ पत्राग से आप सन्तुष्ट नहीं हो सकते। पत्र नहीं लिखने का सबब सिर्फ मेरा आलस्य ही है। मुझे क्षमा कीजियेगा।

आपका—मार्गदर्शक, एक [१८९१]

देविदास को मैंने कहा था कि आप सन्तुष्ट न होंगे तो मैं अवश्य लेखित उत्तर भेज देऊँगा। हिन्दी शिक्षा के लिए मद्रास प्रान्त में आप सब योग्य प्रबन्ध कर सकते हो। सारा इलाका में गुम सकते हो। जन जग हिन्दी पाठशाला निश्चित कर सकते हो। पाठशालाओं के लिये आपने चुने हुए शिक्षकों आप ही निर्मित कर सकते हो। आप पढ़ाने का कार्य न करें परन्तु सब पाठशालाओं का निरीक्षण योग्य समय पर करते रहे। जब सारे इलाके में आपको संतोष मिले, ऐसी पाठशाला खुल जाये और आपके सिवाय इन पाठशाला चल सके, ऐसा आप निश्चितता से कह सके, उस वक़्त आप मद्रास इलाका छोड़ सकते हो। इस प्रवृत्ति में आप दस हजार रुपैया तक खर्च कर सकते हो। आपको पैसा भेजने की जबाबदारी मेरे क्षीर पर है। आपको प्रयाग जी की साहित्य कमिटी से कुछ बी संबंध नहि रहेगा। परन्तु मैं सब पैसा प्रयाग जी से मांगना चाहता हूँ। उसमें कुछ आपत्ति आ जायेगी तो मैं दूरग प्रबंध कर लोगा। अब मुझे पता लगता है आपका मब प्रश्न का उत्तर मैंने दे गया। यदि कुछ त्रुटि होती आप कहेंगे। सुरेन्द्र के लिये मैं कल देविदाम कुलवा पत्र लिखा है। इस समय सुरेन्द्र मानसिक व्याधि से ग्रस्त है। उसको इंग्रेजी पाठशाला का प्रबंध पर माह उत्पन्न हुआ है। इस मोह मे उसकु छोड़ाना आवश्यक भालुम पडता है। आप उसको शांति दे सकेंगे। यदि आप उसका विचार की पसंद करत होंगे तो आप मुझे समजायेगा।

(हस्तलिखित दपतरी प्रति (एस० एन० ६४३८) की फाटो-नकल में।)

हमसे गलतियां हो जाती हैं

मैं सोचता हूँ कि अपने ३५ वर्ष के जीवन मे राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी के बजाय, जिस हमारे देशवासियों का एक अत्यन्त छोटा वर्ग ही समझता है, यदि अपनी कार्यवाही हिन्दुरतानी मे ही की होती तो क्या से क्या हो गया होता।

‘पंग इंडिया’, ८-१०-१९१९

संकलन: श्री प्रह्लादनारायण खन्ना

गांधी : राष्ट्र-वाणी

(१)

सन् १९२७ ई० दिसम्बर में कोयले की खानों मजदूरों ने गांधी जी को एक अभिनन्दन पत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत किया। अंग्रेजी के प्रति गांधी की क्या प्रतिक्रिया हुई, वह इस प्रकार है—

“उन हजार लोगों में जो सभा में आये थे, मुश्किल से चापद पचास अंग्रेजी जानते होंगे। भारी बहुसंख्या उनकी थी जो हिन्दी आसानी से समझ सकते थे, और एक बड़ी संख्या उनकी थी जो बंगाली जानते थे। उक्त संगठन के अगुआ बंगाली व्यक्ति थे। यदि अंग्रेजी का प्रयोग मेरे लिए किया गया था तो मैं कहूँगा कि वह व्यर्थ था। वे अभिनन्दन-पत्र बंगला में लिख सकते थे और मुझे उसका हिन्दी या अंग्रेजी-अनुवाद दे सकते थे। परन्तु यदि अंग्रेजी अभिनन्दन-पत्र उस बड़ी सभा पर धोपा गया तो नेताओं का अनादर ही होगा। मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही वह समय आ रहा है जब श्रोतागण ऐसी सभाएँ छोड़कर चले जाएँगे, जहाँ सभा की कार्यवाही उस भाषा में की जाती है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझ सकते।”

(‘यंग इंडिया’, २०-१-१९२८)

(२)

“मैं अपने देश के बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने निरदोएं और अपनी उगती हुई शक्तियों का ह्रास होने दें। आज जिस अस्वाभाविक परिस्थिति में रह कर हमें अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, उस परिस्थिति का निर्माण करने वालों को मैं जरूर गुनहवार मानता हूँ। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता। इसके कारण देश का जो नुकसान हुआ है, उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद उस सर्वनाश से घिरे हुए हैं। मैं उसकी भयंकरता का अन्दाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं निरन्तर देश के करोड़ों मूक, बलिष्ठ और पीड़ित लोगों के सम्पर्क में आता रहता हूँ।”

(३)

“मुझसे अंग्रेजी का या दूसरे पश्चिमी लोगों का श्रेय न कभी था न आज है। उनका कल्याण मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि हमारे देश का। इसलिए मेरे छोटे से ज्ञान-मण्डार में से अंग्रेजी का बहिष्कार कभी नहीं होगा। मैं उस भाषा को भूलना नहीं चाहता, न चाहता हूँ कि सारे हिन्दुस्तानी अंग्रेजी भाषा को छोड़ें या भूलें। मेरा आग्रह हमेशा अंग्रेजी को उसकी आवाज़—मार्चशीर्थ, तक १८९१]”

योग्य जगह से बाहर न ले जाने का रहा है। वह कभी राष्ट्र-भाषा नहीं बन सकती और न हमारी तात्कालिक जरिया।”

(१-१-४८)

(४)

“विभिन्न प्रदेशों में अंग्रेजी बोलनेवाले लोग काफी मिल जाते हैं, किन्तु उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है और हमेशा थोड़ी ही रहेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि यह भाषा कठिन और विदेशी है। साधारण मनुष्य इसे ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए यह सम्भव नहीं कि अंग्रेजी के जरिये भारत एक राष्ट्र बन जाए। अतः भारतीयों को भारत की ही कोई भाषा पसन्द करनी होगी।”

(गुजराती, से १८-८-१९०६)

(५)

“... जो स्थान इस समय अनुचित ढंग से अंग्रेजी भोग रही है वह स्थान हिन्दी को मिलना चाहिए।... शिक्षित वर्ग की एक भाषा अवश्य होनी चाहिये और वह हो सकती है हिन्दी। हिन्दी के द्वारा करोड़ों व्यक्तियों में आसानी से काम किया जा सकता है। इसलिए उसे उचित स्थान मिलने में जितनी देर हो रही है उतना ही देर का नुकसान हो रहा है।”

(चम्पारन : १८-७-१९१७)

(६)

“यदि हम मातृ-भाषा की उन्नति नहीं कर सके और हमारा सिद्धान्त यह हो कि अंग्रेजी ही के द्वारा हम अपने ऊँचे ख्यालात बना सकेंगे और बढा सकेंगे तो हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं। जब तक हमारी मादरी जबान मे हमारे सब ख्यालात को जाहिर करने की ताकत नहीं आ जाएगी, जब तक हम वैज्ञानिक शास्त्र मातृ-भाषा में नहीं समझा सकेंगे, तब तक कौम को नये ज्ञान की प्राप्ति नामुमकिन है।”

(भामलपुर : १५-१०-१९१७)

(७)

“अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा में कम-से-कम सोलह वर्ष लगते हैं। यदि इन्हीं विषयों की शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जाय, तो ज्यादा-से-ज्यादा दस वर्ष लगेंगे। यह राय बहुत से अनुभवी शिक्षकों ने प्रकट की है। हजारों विद्यार्थियों के छः-छः वर्ष बचने का अर्थ यह होता है कि कई हजार वर्ष जनता को मिल गये।”

(द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलन, १९१७ में दिया गया भाषण)

(८)

“संस्कृत हमारी भाषा के लिए गंगा नदी है। मुझे लगता है कि वह सूख जाए तो भाषाएँ निर्मात्य बन जाएँगी। मुझे यह महसूस होता है कि उसका साधारण ज्ञान आवश्यक है।”

(३-५-३५)

[भाग ५५, अध्याय ३, ४

(९)

“हमारा जीवन अपने इन किसानों और मजदूरों के ऊपर निर्भर करता है और हमारी संस्कृति भी इस बीज को स्वीकार करती है। इन किसानों और मजदूरों की भाषा—ऐसी भाषा जिसे वे सहज ही समझ सकें—हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही है। वही हमारी राष्ट्र-भाषा हो सकती है।”

(३-५-३५)

(१०)

“जिस तरह हमारी आजादी को जबरदस्ती छीनेवाले अंग्रेजों की सियासी हुकूमत को हमने सफलतापूर्वक इस देश से निकाल दिया, उसी तरह हमारी संस्कृति को दबानेवाली अंग्रेजी जबान को भी हमें यहाँ से निकाल बाहर करना चाहिये। हाँ, व्यापार और राजनीति में अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के नाते अंग्रेजी का अपना स्वाभाविक स्थान हमेशा कायम रहेगा।”

(२१-९-४७)

(११)

‘हर एक पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा का, हिन्दू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को पाश्चियन का और सबको हिन्दी का ज्ञान होना चाहिये। कुछ हिन्दुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों को और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिये। उत्तर और पश्चिम में रहनेवाले हिन्दुस्तानी को तमिल सीखनी चाहिये। सारे हिन्दुस्तान के लिए तो हिन्दी ही होनी चाहिए। . . . हिन्दू-मुसलमान के विचारों को ठीक रखने के लिए बहुतेरे हिन्दुस्तानियों को दोनों लिपियाँ (उर्दू और नागरी लिपि) जानना जरूरी है। ऐसा होने पर हम अपने आपम के व्यवहार से अंग्रेजी को बाहर कर सकेंगे।”

(‘हिन्द स्वराज्य’ १९०९)

(१२)

‘अंग्रेजी राष्ट्रीय-भाषा नहीं बन सकती, क्योंकि राष्ट्रीय-भाषा होने के लिए ५ लक्षणों का होना अनिवार्य है और वे अंग्रेजी में नहीं हैं :

(१) अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिये।

(२) उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकता चाहिये।

(३) यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।

(४) राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिये।

(५) उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिये। हिन्दी भाषा में ये सब लक्षण हैं।”

(भड़ोच, गुजरात-शिक्षा-परिषद, १९१७)

(१३)

“मुझे अंग्रेजी भाषा से नफरत नहीं है। अदृष्ट भाष्यकारमयी यह भाषा है। ज्ञान-इच्छा से बरी हुई है। तथापि मेरा मन्तव्य यह है कि सभी हिन्दुस्तानियों को यह भाषा सीखने की जरूरत नहीं है।”

(बारपहवाँ बिहारी छात्र-सम्मेलन, १५-१०-१७)

(१४)

“अंग्रेजी शिक्षा पानेवालों के ज्ञान का लाभ प्रजा को बहुत ही कम मिलता है, और अंग्रेजी शिक्षित वर्ग और आप लोगों के बीच बड़ा दर्याव आ पड़ा है। इस भाषा को उसका (विज्ञान आदि के अध्ययन के सम्बन्ध में) उचित स्थान देना एक बात है, उसकी जड़-पूजा करनी दूसरी बात है।”

(अ० भा० हिन्दी सा० स० इन्दौर, २८-३-१९१८)

(१५)

“प्रायः ही और अन्य भारतीयों के बीच लगभग न पटनेवाली खाई पड़ गयी है। निश्चय ही हिन्दी भाषा इसे पाटनेवाला छोटे-से-छोटा और कारगर सेतु है। अंग्रेजी कभी उसका स्थान नहीं ले सकती। जब सुसंस्कृत लोगों की साधारण भाषा हिन्दी हो जाएगी तब शीघ्र ही हिन्दी का शब्द-भाण्डार आम जनता में भी फैल जाएगा।”

(हनुमन्तराव को लिखे गये पत्र का अंश, २५-५-१८)

(१६)

“मुझे पूर्ण विश्वास है कि अन्य कई क्षेत्रों की तरह हिन्दी को एक सामान्य माध्यम बनाने तथा इस प्रकार अंग्रेजी प्रयोग में लगनेवाली मानसिक शक्ति की हानि से देश को बचाने के क्षेत्र में भी दक्षिण ही हमारी अगुआई करेगा।”

(नडियाड, १०-४-१८)

(१७)

“हमारी बहुत सी देशी भाषाएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं, और इसलिए सब प्रान्तों के लिए राष्ट्र-भाषा के नाते हिन्दी अनुकूल है।”

(‘यंग इंडिया’ २१-५-१९२०)

(१८)

“अंग्रेजी जानने से उन थोड़े लोगों के साथ ही विचार-विनियम के द्वार खुलते हैं। इसके विपरीत हिन्दुस्तानी का कामचलाऊ ज्ञान अपने देश के बहुत ही ज्यादा भाई-बहनों के साथ बाधपीत करने की शक्ति प्रदान करता है।”

(‘यंग इंडिया’, २-२-१९२१)

(१९)

“बेशी भाषाओं को अपनी जगह से हटाकर अंग्रेजी को बैठाने की प्रक्रिया अंग्रेजों के साथ हमारे सम्बन्ध का एक सबसे दुःख प्रकरण है।”

(‘यंग इंडिया’, २७-४-२१)

[अध्याय ५५, संस्करण ३, ४]

(२०)

“हिन्दुस्तानी के सिवा दूसरी भाषा राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती, इसमें कुछ भी शक नहीं। जिस भाषा को करोड़ों हिन्दू-मुसलमान बोल सकते हैं वही अखिर भारतवर्ष की सामान्य भाषा हो सकती है।”

(‘हिन्दी-नवजीवन’, १९-८-२१)

(२१)

“अहाँ तक हो सके, कांग्रेस में हिन्दी-उर्दू का इस्तेमाल किया जाए, यह एक महत्त्व का प्रस्ताव माना जाएगा। अगर कांग्रेस के सभी सदस्य इस प्रस्ताव को मानकर चलें, इस पर अवलक करें, तो कांग्रेस के काम में गरीबों की दिलचस्पी बढ़ जाय।”

(२२)

(नवजीवन, ३-१-२६)

“मैं अंग्रेजी से नफरत नहीं करता। पर मैं हिन्दी से अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं हिन्दुस्तान के शिक्षितों से कहता हूँ कि वे हिन्दी को अपनी भाषा बना लें।”

(हिन्दी नवजीवन, १५-१२-२७)

(२३)

“भारत की तमाम भाषाओं के लिए एक ही लिपि का होना फायदेमन्द है, और वह लिपि देवनागरी ही हो सकती है। . . . हमें एक ऐसी सर्व-सामान्य लिपि की जरूरत है, जो जल्दी-से-जल्दी सीखी जा सके। और, देवनागरी के समान सरल, जल्दी सीखने योग्य और तैयार लिपि दूसरी कोई है ही नहीं।”

(हिन्दी नवजीवन, २१-७-२७)

(२४)

“मैं हिन्दी के जरिये प्रान्तीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता, किन्तु उनके साथ हिन्दी को भी मिला देना चाहता हूँ, जिससे एक प्रान्त दूसरे के साथ अपना सजीव सम्बन्ध जोड़ सके। इससे प्रान्तीय भाषाओं के साथ हिन्दी की भी श्री-वृद्धि होगी।”

(नवजीवन, २३-८-२८)

(२५)

“विशवासियों के इस संघ में जब आपको देशवासियों के साथ ही काम-काज करना है, और मौजूदा वातावरण अपना असर आप पर डाल रहा है, तब आपको धर्म है कि आप अपना काम-काज राष्ट्र-भाषा में करें।”

(नवजीवन, १२-४-३१)

(२६)

“हिन्दी-भाषी लोगों को शिक्षण की भाषा सीखने की जितनी जरूरत है, उसकी अपेक्षा शिक्षणवालों को हिन्दी सीखने की आवश्यकता ही अधिक है। सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी बोलने वालों-भारतीयों, शक १८९१]

और समझनेवालों की संख्या दक्षिण की भाषा बोलनेवालों से तुलनी है।... एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त से सम्बन्ध जोड़ने की भाषा तो हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।”

(नवजीवन, २१-६-३१)

(२७)

“अगर हिन्दुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है, तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्र-भाषा तो हिन्दी ही बन सकती है; क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता।... हम किसी भी हालत में प्रान्तीय भाषाओं को मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए हम हिन्दी भाषा सीखें।”

(सम्मेलन, ८ वाँ महाधिवेशन इन्दौर, २०-४-३५)

(२८)

“वह भाषा भी हिन्दी ही है, जो लिखी तो उर्दू लिपि में जाती है, पर जिसे मुसलमान और हिन्दू दोनों ही समझ लेते हैं।”

(हरिजन सेवक, १०-५-३५)

(२९)

“हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू एक ही भाषा के मुस्तलिक्क नाम हैं। हमारा मतलब आज एक नई भाषा बनाने का नहीं है, बल्कि जिस भाषा को हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू कहते हैं, उसे अन्तःप्रान्तीय भाषा बनाने का हमारा उद्देश्य है।”

(हरिजन सेवक, २३-५-३६)

(३०)

“अंग्रेजी से मुझे नफरत नहीं। थोड़े पण्डितों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है; अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए और पश्चिमी विज्ञान के ज्ञान के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन जब उसे वह स्थान दिया जाता है, जिसके योग्य वह है ही नहीं, तो मुझे दुःख होता है।”

(हरिजन बन्धु, ५-७-३६)

(३१)

“हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है, और कोई नहीं। उर्दू को उसका प्रतिस्पर्धी बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू या रोमन किसी में भी वैसी सम्पूर्णता और ध्वन्यात्मक शक्ति नहीं है, जैसी देवनागरी में है।”

(हरिजन सेवक, ३-४-३७)

(३२)

“हिन्दी” शब्द हिन्दुओं का गढ़ा हुआ नहीं है। यह तो इस मुल्क में मुसलमानों के आने के बाद उस भाषा को बतलाने के लिए बनाया गया था, जिसे उत्तर में हिन्दू बोलते और लिखते-पढ़ते थे।”

(हरिजन सेवक, १०-४-३७)

[भाग ५५, संख्या ३, ४

(३३)

“किसी प्रान्त या जिके अथवा जनता पर एक भाषा या हिन्दी के एक रूप को लाने का जतन करना देश के सर्वोत्तम हित की दृष्टि से घातक है।”

(हरिजन सेवक, ३-७-३७)

(३४)

“रोमन लिपि न तो हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि हो सकती है, और न होनी चाहिये। यह तो हमारी फारसी और देवनागरी के बीच ही हो सकती है। और इसके अपने मौलिक गुणों को अलग रख दें, तो भी देवनागरी ही सारे हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि होनी चाहिये।”

(हरिजन सेवक, ३-७-३७)

(३५)

“प्रान्तीय भाषाओं से समृद्ध, एक उन्नतिशील राष्ट्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस हिन्दुस्तानी को अनेक पर्यायवाची बूझ्या करने पड़ेंगे। बंगाल या दक्षिण के श्रोताओं के सामने जो हिन्दुस्तानी बोली जाएगी, उसमें स्वभावतः संस्कृत से उत्पन्न शब्दों का प्राचुर्य होगा। वही भाषण जब पंजाब में किया जायगा, तो उसमें अरबी-फारसी से पैदा हुए शब्दों की काफी मिलावट होगी।”

(हरिजन सेवक)

(३६)

“मैं सभी भारतीय भाषाओं का प्रेमी हूँ। यथासम्भव अधिक-से-अधिक लिपियों को सीखने की मैंने कोशिश भी की है। . . . जहाँ तक देवनागरी का सवाल है, सौन्दर्य या सजावट की दृष्टि से लज्जित होने जैसी कोई बात उसमें नहीं है। अगर देवनागरी लिपि को ग्रहण कर लिया जाए, तो निश्चय ही भाषी सन्तति के परिभ्रम और समय की बचत करके उनसे दुआएं पायी जा सकेंगी।”

(हरिजन सेवक, ५-८-३९)

(३७)

“मेरी राय में अंग्रेजी एक खूली सिढ़की है, जिसकी राह हम पश्चिमवालों के विचारों और वैज्ञानिक कार्यों से परिचित रह सकते हैं। यह काम भी मैं कुछ बुनिन्दा लोगों को ही सौंपना चाहता हूँ, और उनके जरिये यूरोप के ज्ञान का प्रचार देश में देशी भाषाओं द्वारा करना चाहता हूँ।”

(हरिजन सेवक, १-२-४२)

(३८)

“बहुतेरी प्रान्तीय भाषाएँ संस्कृत से निकट सम्बन्ध रखती हैं, और यह भी सच है कि निम्न-निम्न प्रान्तों के मुसलमान अपने-अपने प्रान्त की ही भाषाएँ बोलते हैं। इसलिए यह ठीक है ही कि उनके लिए देवनागरी लिपि और हिन्दी आसान रहेगी।”

(हरिजन सेवक, २६-४-४२)

(३९)

“राष्ट्र-भाषा की मेरी कामना में महान् प्रांतीय भाषाओं को उनके स्थान से भ्रष्ट करने का समावेश नहीं होता, बल्कि उसके अनुसार तो मातृ-भाषा का ज्ञान प्रांतीय भाषा के ज्ञान के उपरान्त प्राप्त करने की बात है।”

(हरिजन सेवक, १७-५-४२)

(४०)

“मेरी अपनी राय तो यह है कि जो भी कोई लड़का या लड़की हिन्दुस्तान की भाषाएँ न जाने, जानना चाहिये कि उसके संस्कार और शिक्षण में कमी रही है।”

(हरिजन सेवक, १७-५-४२)

(४१)

“हिन्दुस्तानी वह भाषा है, जिसे उत्तर हिन्दुस्तान के शहरो और गाँवों में हिन्दू, मुसलमान आदि सब लोग बोलते हैं, समझते हैं और अपने कारोबार में बरतते हैं, और जिसे नागरी और फारसी दोनों लिखावटों में लिखा पढ़ा जाता है और जिसके साहित्यिक रूप आज हिन्दी और उर्दू नाम से पहचाने जाते हैं।”

(हरिजन सेवक, ९-८-४२)

(४२)

“हिन्दी और उर्दू एक ही राष्ट्र-भाषा की दो साहित्यिक शैलियों को एक-दूसरी के नजदीक लाना जरूरी है।”

(सेवाग्राम, २७-११-४४)

(४३)

“अगर हिन्दी और उर्दू मिल जाएँ, तो गंगा-यमुना से बड़ी सरस्वती हुगली की तरह बन जाएगी। हुगली तो गंदी है। मैं इसका पानी नहीं पीता। पर अगर यह हुगली बन गई, तो यह बड़ी सुबधूरत होगी।”

(वर्षा, २७-२-४५)

(४४)

“लोग जिसे अपनावेंगे, वही उनकी भाषा बन सकती है। अगरचे अंग्रेजी तोजस्वी भाषा है, तो भी वह राष्ट्र-भाषा तो बन ही नहीं सकती। अगर अंग्रेजों का राज्य जब तक सूरज और चाँद है तब तक रहने वाला है, तो वह उनके अमलों की भाषा जरूर होगी, लेकिन आम जनता की कमी नहीं।”

(हरिजन सेवक, १०-२-४६)

(४५)

“नये विचारों को समझने की मेरी पूरी तैयारी के रहते भी नागरी और उर्दू लिपि के बजाय रोमन बर्णमाला फैलाने के लिए लोगों को उकसाने का क्या खास कारण हो

[भाष ५५, संख्या ३, ४

सकता है, सो मैं नहीं समझ पाया हूँ। . . . नागरी या उर्दू अक्षरों को सीखने में अंग्रेजी अफसरों की सुस्ती ही शायद उर्दू को रोमन में लिखने का कारण हो।”

(हरिजन सेवक, २१-४-४६)

(४६)

“मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियाँ क्यों न हों मैं उसमें उसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह अपनी माँ की छाती से। वही मुझे जीवन प्रदान करने वाला दूध दे सकती है।”

(हरिजन सेवक, २५-८-४६)

(४७)

“राष्ट्रभाषा दो नहीं, एक ही हो सकती है। वह संस्कृत से भरी हिन्दी या फारसी से भरी उर्दू नहीं हो सकती। वह तो दोनों के सुन्दरसंगम से ही बन सकती है, और उर्दू या नागरी किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है।”

(हरिजन सेवक, १०-८-४७)

(४८)

“हिन्दुस्तानी की खूबी ही यह है कि उसे न संस्कृत में बैंग है, न अरबी-फारसी से। हिन्दुस्तानी तो तर्कतवर तब बनेगी, जब वह अपनी मिठास को कायम रखकर दुनिया की सब भाषाओं का महारा लेगी। लेकिन उसका व्याकरण तो हमेशा हिन्दी ही रहेगा।”

(हरिजन सेवक, ९-११-४७)

(४९)

“लिपियों में मैं सबसे आला दर्जे की लिपि नागरी को ही मानता हूँ। यह कोई छिपी बात नहीं है। (फिर) नागरी लिपि यदि सम्पूर्ण है—दूसरी लिपियों के मुकाबले में पूर्ण है, तो उसी का साम्राज्य अंत में होगा।”

(हरिजन सेवक, २५-१-४८)

(५०)

“जैसे तमिल आदि सूबाई भाषाएँ हैं और हिन्दुस्तानी राष्ट्र-भाषा, ठीक उसी तरह अंग्रेजी विषय-भाषा है—जगत की भाषा है, इससे कौन इन्कार कर सकता है? अंग्रेजों का साम्राज्य जाएगा, क्योंकि यह दूषित था और है; लेकिन अंग्रेजी भाषा का साम्राज्य कभी नहीं जा सकता।”

(हरिजन सेवक, २५-१-४८)

(५१)

“हिन्दुस्तानी के बारे में मेरा पक्षपात है सही। मैं मानता हूँ कि नागरी और उर्दू लिपि के बीच अन्त में जीत नागरी लिपि की ही होगी। इसी तरह लिपि का खयाल छोड़कर भाषा का खयाल करें, तो जीत हिन्दुस्तानी की ही होगी।”

(हरिजन सेवक, २५-१-४८)

अषाढ़-भार्गवीर्ष, शक १८९१]

राजषि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन



जन्म . १ अगस्त १८८२

निधन : १ जुलाई १९६२

राजर्षि टण्डनजी : राष्ट्रभाषा हिन्दी
व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन-संस्मरण
(द्वितीय खण्ड)

श्रद्धांजलि



हिन्दी साहित्य सम्मेलन के निकट स्थापित राजर्षि टंडन जी की पूर्णाकार कांस्य-प्रतिमा, जिसका अनावरण-समारोह गत २० दिसम्बर सन् १९६८ ई० को आचार्य विनोबा के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ था। प्रस्तुत कविता उसी पावन स्मृति-दिवस के उपलक्ष में लिखी गई है।

आज सजा शुभ : साज,
प्रयागराज की महिमा !
स्मरण हुआ पावन दर्शन
चिन्तन गृण-गरिमा !
प्रकट हुआ राजर्षि रूप
पुरुषोत्तम पावन !
सर्वक दास बने अब सेव्य
सदा प्रेरक सब जन !
गुणमय रत्नाकर
प्रशान्त सागर लहराया,
ऋषि-प्रतिमा वे अनावरण
का अवसर आया !
हिन्द हमारा देश-वतन है
हिन्दी फल-फूलवारी,
सन्तों ने अपनाया है यह
सबकी बोली प्यारी !
मृत्यु-प्रेम करुणास्वरूप
श्री सन्त विनोबा !
स्वयं पधारें संवर्धित
नगरी की शोभा !
दर्शनराज-ऋषि-प्रतिमाका
ब्रह्म-ऋषि के द्वारा,
यहां हो रहा आज संगठित
सकल सगाज हमारा !
जनसमाज में आज
नया उत्साह समाया,
गांधी-स्मृति अन्तर्गत
धन्य दिवस यह आया !
श्रद्धांजलि अर्पण करने का
अवसर आज मिला है,
बालक, युवक सभीशामिल
ये स्वजनों का मेला है !

[भाग ५५, संख्या ३, ४]

राजर्षि टण्डनजी और राष्ट्रभाषा

जब मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा का पाँच वर्ष तक प्रधानमंत्री था, उस समय श्रद्धेय पुण्योत्तमदास जी टण्डन से काफी नज़दीक का सम्बन्ध आया और उनके व्यक्तित्व के कई उज्ज्वल गुण देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वे कई बार पूज्य गांधी जी से मिलने के लिए वर्षा पधारे थे। उनकी उत्कट इच्छा थी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार सभी अहिन्दी प्रान्तों में तेज़ी से हो, ताकि सारे राष्ट्र को एक प्रेम-सूत्र में बाँधा जा सके।

कुछ वर्ष बाद हिन्दी और हिन्दुस्तानी सम्बन्धी मतभेद के कारण पूज्य बापू जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से न्यायपत्र दे दिया। जब मन् १९४२ में हिन्दुस्तानी-प्रचार सभाकी स्थापना वर्षा में हुई तब गांधी जी ने मुझे ही उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऐसी अवस्था में मुझे वर्षा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। फिर भी मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्य में सदा दिलचस्पी लेता रहा और मेरा यह निरन्तर प्रयत्न रहा कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी मतभेद के कारण राष्ट्रभाषा-प्रचार की गति धीमी न पड़े।

यद्यपि राजर्षि टण्डन जी की मातृभाषा हिन्दी थी, फिर भी मैंने हमेशा पाया कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनका प्रेम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। उनमें संकुचित दृष्टि नहीं थी। श्रद्धेय टण्डन जी दिन-रात इसी का चिन्तन करते थे कि किस तरह सारे देश को राष्ट्रभाषा-प्रचार द्वारा एकता के धागे में बाँधा जा सके। पूज्य टण्डन जी स्वयं फारसी और उर्दू के अच्छे विद्वन् नृ थे। उनके मन में देश की प्रादेशिक भाषाओं के प्रति भी गहरा आदर था। लेकिन उनका दृढ़ मत था कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नहीं किन्तु एक स्वदेशी भाषा ही बन सकती है और वह हिन्दी ही हों सवती है। राष्ट्रभाषा हिन्दी संस्कृतनिष्ठ ही हो ऐसा उनका आग्रह नहीं था। हा, क्योंकि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में संस्कृत का प्राचुर्य है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रभाषा में अधिकतर संस्कृत के ही शब्द हो ताकि सारे देश में आसानी से समझी जा सके। किन्तु उर्दू-जवाबदारी से टण्डन जी को कोई विद्वेष नहीं था और उनकी दृष्टि शुद्ध राष्ट्रीयता से भरी थी।

कभी-कभी टीका की जाती है कि श्रद्धेय टण्डन जी में हिन्दू साम्प्रदायिकता का आभास था। लेकिन जहाँ तक मैं समझ सका यह धारण नितान्त भ्रामक है। जब उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का भी तीव्र विरोध किया तब भी उनकी दृष्टि राष्ट्रीय ही थी और वे समझते थे कि देश के दो टुकड़े होने से हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही भयंकर कष्ट सहने पड़ेंगे।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा गांधी-शताब्दी के अवसर पर एक विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इस विशेषांक द्वारा, महात्मा गांधी और राजर्षि टण्डन ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की जो बहुत वर्षों तक भरी-रथ-सेवा की, उस पर समुचित प्रकाश डाला जा सकेगा।

पूज्य बाबू जी

[१]

वाणी और विराट् व्यक्तित्व से जिन्होंने राष्ट्रीयता के क्रांड़ में हिन्दी को अंकुरित किया वे हमारे पूज्य बाबू जी थे। अखिल भारतीय सस्था के रूप में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रतिष्ठा उनके जीवन की सच्चित साधना थी और उन्होंने उस साधना को राजनीति के क्षेत्र में भी क्रियाशील किया। उनके जीवन का उपसंहार इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हिन्दी के लिये अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी नगण्य समझा और सदैव इस बात की घोषणा की कि भारती (हिन्दी) के बिना भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चिन्त्य है। भाषा और साहित्य के प्रति उनकी दृष्टि सांस्कृतिक ही थी और वे बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र की कल्पना भी नहीं करना चाहते थे। उनके सांस्कृतिक 'महायान' में राजनीति 'हीनयान' ही बन कर रह गई थी। भारत के 'पुरुषोत्तम' को 'नापोत्तम' की भावना अनिवार्य थी। ऐसा अनुभव होता था कि उनकी वाणी में सत्य का सहज साक्षात्कार है।

[२]

मैं बीमार पड़ा हूँ। सम्मेलन की परीक्षा-समिति की बैठक में अनुपस्थित हूँ। परीक्षा-मन्त्री कभी बीमार हो तो परीक्षा-समिति की बैठक कैसे हो? बाबू जी को सूचना मिलती है। वे परीक्षा समिति में स्वयं जाते हैं और अनौपचारिक ढंग से सभी महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय कर देते हैं। सम्मेलन के प्रत्येक कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व सम्हालना बाबूजी का सहज स्वभाव था। बैठक के उपरान्त वे सीधे मेरे घर चले आते हैं। साथ में सम्मेलन के मन्त्रापति पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हैं। उनका स्वागत करने के लिये घर के बाहर कोई नहीं है। नौकर दवा लेने के लिये बाजार चला गया है। मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ और मेरी पत्नी पेटा पथ्य तैयार करने के लिये रसोईघर में है। बाहर है, मेरा कुत्ता जो निरंतर भौंक रहा है। वह क्या समझे कि मकान के फाट रुक का पास इस देश के दो महापुरुष खड़े हैं। बाबूजी कुत्ते को पुचकारते हैं। हाथ से बुलाते हैं, कभी डाँटते भी हैं और अपनी छड़ी भी दिखलाते हैं। किन्तु छड़ी देखकर कुत्ता और भी खोर से भौंकने लगता है। वे मेरा नाम लेकर खोर से पुकारते भी हैं किन्तु घर से कौन उत्तर दे? बहुत परेशान होकर वे लौट जाने को तैयार होते हैं। तभी पत्नी कुत्ते का भौंकना सुन कर बाहर आती हैं। वे बाबूजी को पहचानती हैं। उन्हें बड़ी लज्जा लगती है कि कुत्ता बाबूजी को अन्दर गद्दी आने देता। वे कुत्ते को खाने का लालच देकर अन्दर बुला लेती हैं और बाबूजी चतुर्वेदी जी

के साथ भीतर आते हैं। बाबूजी का 'मूड' खराब है। पत्नी उनसे क्षमा माँग कर उन्हें भीतर लाती हैं। वे बैठने के पहले ही खीझ भरे स्वर में कहते हैं—'साहित्यिको को कुत्ते नहीं पालना चाहिये।'

मालनलालजी मुस्कुराकर कहते हैं—'ठीक है, क्योंकि साहित्यिक स्वयं भौंकना सील गये हैं। उन्हें कुत्तो की क्या आवश्यकता।?'

[३]

बाबूजी बीमार पड़े हैं। उनका तेजोमय मुख-मंडल मलीन हो गया है। दुर्बलता इतनी अधिक है कि डॉक्टरों ने उन्हें बोलना मना कर दिया है। वे लिख कर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उत्तर लिखते समय वे मुस्कुरा भी देते हैं। अब भी उनका साहस उन्हे संजीवनी दे रहा है। दर्शन और भेंट करनेवालों की भीड़ बाहर बरामदे में है,—

मैंने कागज पर लिखा—आपको प्रणाम करता हूँ। अब स्वास्थ्य कैसा है ?

वे लिखते हैं—'ज्वर विशेष नहीं है। दो-चार बार बढ़ गया है। इधर तीन दिन से नहीं है। यक्ष्मा मेरा रोग समझा गया है, इस बूढ़ापे में।' इतना लिखकर डॉक्टरों के प्रति एक व्यंग्य भरी हँसी हँसते हैं, फिर लिखते हैं—'तुम्हारी उम्र कितनी है?' मैंने लिखा—'तिरपन वर्ष, मेरा जन्म सन् १९०५ में हुआ।'

फिर लिखते हैं—'स्वास्थ्य तो अच्छा है,' मैंने लिखा—'मैं तो बाबूजी आप जैसी स्वास्थ्य-गम्पनि कहाँ अर्जित कर सका। शायद १०० वर्ष तक भी जीता हुआ अस्वस्थ रहूँ, बाबूजी लिखते हैं, आप दिन-दिन उन्नति करे और हिन्दी को अपनी ऊँची कृतियों से अधिक मान्य और पुष्ट बनाये, यह मेरी अभिलाषा है। मेरी शुभकामना सदा आपके साथ है।'

मैंने प्रणाम किया और लिखा—'आपकी यही कामना मुझे निरन्तर बल देती रहेगी।' उन्होंने फिर लिखा—'रुपया तो आपने काफी कमाया होगा।'

मैंने उत्तर में लिखा—'बाबूजी! सब खर्च हो गया।' उन्होंने लिखा—'मुझे अब रुपया मार लग रहा है, जो थोड़ा सा मेरे पास बचा है, उसी को निकालना चाहता हूँ।'

मैंने लिखा—'आपका एक फोटो चाहता हूँ।'

उन्होंने उत्तर लिखा—'फोटो मेरे पास होना निश्चय नहीं। शायद 'पासपोर्ट' साइज की कोई प्रति हो। यह संसद के लिये मॅगवाई गई थी। वह मेरा आइडेंटिटी कार्ड (Identity Card) है।' 'आइडेंटिटी कार्ड' पर काफी हँसी हुई।

थोड़ी देर बाद मैं प्रणाम कर चला आया। उनका लिखा हुआ प्रश्नोत्तरों का कागज मैं अपने साथ ले आया। उनके हस्ताक्षरों का कागज मेरी अमूल्य निधि है।

बाबूजी का वत्सल्य प्राप्त होने के कारण मैं उनके अनेक सम्मरणों को अपने हृदय में सुरक्षित किये उन्हें बार-बार स्मरण करता हूँ।

आज वे नहीं हैं। इन्हीं सम्मरणों की पुष्पाञ्जलि से मैं उनकी पुण्यस्मृति को प्रणाम करता हूँ। उनकी एक-एक स्मृति दीपावली का एक-एक आलोकपूर्ण दीप है।

आवाह—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

श्री गोपाल शास्त्री, वशनकेसरी

राजर्षिचरितम् (संक्षिप्तम्)

सर्वतः प्रथमं श्रीपुरुषोत्तमस्य राजर्षिटण्डनस्य स्मृतिलेखावगमे नैषधकाव्यीय पद्य स्मृति-पद्यमायाति—

**“वाग्जन्म—वैकल्यमसह्यशूल्यं
गुणाद्भुते वस्तुनि मौनिता वेत् ॥”**

अद्भुतगुणशालिनो ययार्थनाम्नः श्रीपुरुषोत्तमदामटण्डनस्य प्रथम-समागमो मे काशीविद्यापीठ-शिक्षापरिषदि अभूत् । ततः प्रभृति-भारतीय-संस्कृति-सम्मेलनकार्येण अतीवमात्रिण्येन तेन सह समजनि । यतश्च तस्य हिन्दीराष्ट्रभाषा-प्रेम्णा वयं सर्वेऽपि काशीस्था विद्वांसः ममकृपा अभूम् ।

स्वतन्त्रतान्दोलने काश्यां समागतस्य तस्य काशीपण्डितमभाकार्य्यालयेऽपि समुपस्थित-रभूत् । तदानीमेव तदानीन्तनाध्यक्षेण श्रीपञ्चाननसर्करत्नमहोदयेन तस्मै स्वहस्तेन लिखिता-भिनन्दनपत्रेण सहैव ‘भारतरत्नम्’ इति विशिष्टोपाधिः प्रदत्तोऽभूत् । तत्पश्चान् गोग्क्षपुर-प्रान्तीय-देवरियामण्डलस्वमहायोगिना देवरहवाबाबामहात्मना ‘राजर्षि’ रित्युपाधिरुपहृतः ।

इत्येवं तस्य देशसमाजसाहित्यमेवया सर्वेऽपि संस्कृतज्ञा मनीषिणोऽपि प्रभाविता आसन् । तस्य संस्कृतभाषाज्ञानेऽपि प्रावीण्यमासीत् । संस्कृतभाषा गाम्भीर्यं तस्य तु वयमेव जानीमः । येषां हि तेन सह बहुकालावधिं भारतीय संस्कृतिसम्मेलनप्रसङ्गतः साक्षिण्यमासीत् ।

स हि नारीणां चरित्रबलस्य सतीत्वस्य संरक्षणार्थमपि बहु प्रयतितवान् । भारतीय-संस्कृतिसम्मेलनाधिवेशनेषु नारीणां शिक्षासम्बन्धे तस्य सर्वथा प्रस्तावा एतादृशा एव भवन्ति स्म । यतो भारतीया वीराङ्गनाः पुनरपि संस्कृतप्रधान-राष्ट्रभाषा-हिन्दी-शिक्षया विभूषिताः स्युः । पूर्वं संस्कृतभाषाभवीत्यैव ता अन्याः भाषा अधीयीरन् । हिन्दी-राष्ट्रभाषया सह संस्कृता-ध्ययनमार्थमहिलानामावश्यकं समुक्तिं च मन्यते स्म । वर्णाश्रमस्याव्यवस्थामपि स द्रढयितु-मिच्छति स्म । बहुदिनावधिं तस्य कर्मणा वर्णव्यवस्था पुनः संशोधनीयति संस्कृतिसम्मेलनेना-न्दोलनं चालितमभूत् ।

**“व्यवस्थितार्थमव्ययः कृतवर्णाश्रमस्थितिः ।
अव्या हि रजितो देशः प्रसीदति न सीदति ।”**

इति चाणक्य-राजनीती तस्य दुर्ढा विश्वास आसीत् । न हि "आश्रमादाश्रमं गच्छेत्" इत्यस्यैव समर्थकोऽभूत् । न हि स वाल्यकालात् संन्यासग्रहण समर्थकोऽभूत् । स हि राजविः राजनीत्या सह भारतीयसमाजनीतेरपि मर्मज्ञ आसीत् । तस्यैव प्रेरणया मया 'भारतीय मस्कृतिः' इत्यभिधानं पुस्तकं लिखितमस्ति । यच्चाधुनापि सम्मेलन-परीक्षायां पाठ्यमस्ति । तत्र मया संश्लेषतो राजविटण्डनस्य विशिष्टगुणाः प्रत्यक्षतां वीक्ष्य निरूपिताः सन्ति । तानिवेहान्ते संस्मृत्य लेखमिमं संक्षिपामि ।

'भारतरत्न !' राजर्वे ! विद्यापीठ-प्रसगतः ।
 शिक्षप्रसादाद् भवता सहासीम्भे समागमः ॥१॥
 स्वतन्त्रे भारते ज्ञाते प्रयागे कुम्भपर्वणि ।
 सम्मेलननिमित्तेन भारतीयसंस्कृतेः ॥२॥
 आद्ययोरतिसाक्षिष्याङ्गुणास्ते स्फुटतामगुः ।
 महापुरुषतोदारहृद्यता वीर्यबुद्धिता ॥३॥
 सवाचारेऽभूतं वीर्यं लोक-शास्त्रोभयज्ञता ।
 समाजराष्ट्रसाहित्य-धर्म-कर्तव्यसेविता ॥४॥
 राष्ट्रभाषा-प्रचारेहा देशकालस्मरविता ।
 भारतीयसमाजस्य पुनरुद्बुद्धौ कामिता ॥५॥
 भारते 'भारती'-नाम्न्या भाषायाः स्थापनेविता ।
 राष्ट्रभाषापदे तस्याः प्रतिष्ठापनकारिता ॥६॥
 इत्यादिसवगुणैर्विष्यैः प्रेरितेन मयाधुना ।
 उपाहृतेयं भवतां पुस्तिका पाणिपद्ययोः इत्यादि ।

वस्तुनो राजविटण्डनस्यैवाध्यवसायफले यत्-सम्प्रति भारते राष्ट्रभाषा हिन्दीभाषा विद्यते । अङ्कनामपि हिन्दीकरणार्थं तस्यान्दोलनमासीत् । स नेच्छति स्म यद् अंग्रेजीभाषाङ्कः तत्र प्रयुक्ताः स्युरिति । तस्य हिन्दीभाषाप्रचाराय पृथक् मन्त्रिमण्डलसंस्थापनस्यापि प्रस्तावा अभवत् । सम्प्रति तु सर्वथा पश्चिमायुक्ते केन्द्रमन्त्रिमण्डले कः शृणोति सूक्ष्मप्रेरणामिमाम् अस्तु राजर्वेः सूक्ष्मेक्षिका यदि मफलिता म्यात्तहि भारतस्य विभाजनमेव न स्यात् । स एवैको भारतविभाजनविरोधी आसीत् । महात्मागान्धी अपि पूर्वं तत्समर्थको भूत्वापि पश्चात् कार्य-कारिणी सदस्याना बहुमतं वीक्ष्योदासीनोऽभवत् । इति कियन्त एव जानन्ति । इत्थं हि सूक्ष्म-विवेचकः सोऽभूदिति वयमेव जानीमः ।

किं बहुना भारतीयनेतृषु चतुरस्रविचारदक्षतायां लोकमान्यबालगङ्गाधरतिलक-महामुनि मालवीय-राजवि-टण्डन-प्रभृतय एव द्वित्रा नेतारो गणिता भविष्यन्ति । येषां विशालदृष्ट्या भारतदेशो हि सर्वस्मिन्नपि धर्म-ममाजशिक्षा-राजनीति-साहित्यादिविषये स्वाम्मुदयं कुर्वन् बद्धिष्यते । इत्यलम् मर्मज्ञानां पुरतो विस्तरविवेचनयेति विरम्यते मया ।

आषाढ-मार्गशीर्ष, शक १८९१]

आदर्श जीवन

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। सभी हिन्दी-प्रेमी उन्हें "सम्मेलन के प्राण" जो कहा करते थे वह केवल औपचारिकता नहीं थी, वे सचमुच सम्मेलन के ही नहीं हिन्दी-आन्दोलन मात्र के प्राण थे।

हिन्दी को वे भारत की राष्ट्रीयता की आधार-शिला मानते थे। उनकी दृष्टि में हिन्दी की अभिवृद्धि और प्रचार केवल एक साहित्यिक कार्य नहीं था, यह राष्ट्र-निर्माण की नींव दब करने का काम था। भारत के संविधान में हिन्दी को जो स्थान प्राप्त है, उसमें उनका विशेष योगदान रहा है। संविधान में राष्ट्रभाषा का स्थान निश्चित हो जाने पर भी इसकी निष्पत्ति जिन कारणों से नहीं हुई, उसके विषय में टण्डन जी बहुत चिन्तित रहा करते थे। उन्हें लगता था कि जिन लोगों के हाथ में राजनैतिक सत्ता है वे राष्ट्र-निर्माण की पहली मांग को ही पूरा नहीं करा पाए हैं, ऐसी दशा में देश की एकता और एकात्मता को सकट बना रहेगा।

टण्डन जी भारतीय संस्कृति के निष्ठावान् पुजारी थे। उसके उद्धार और प्रचार के लिये उन्होंने भारतीय संस्कृति सम्मेलन आयोजित किये और पाश्चात्य प्रभाव से देश के जन-मानस को बचाने के लिये वे आजीवन प्रयत्न करते रहे। परन्तु इन सम्मेलनों से अधिक उनका जीवन भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। उनका जीवन रहन-सहन, खान-पान, क्रिया-कलाप एक जीवन-प्रेरक उपदेश था। भाषा, चाहे वह कितनी ही रससिक्त, भाव और अर्थ-गर्भित और मार्मिक हो, दूसरे के मन पर वैसा गम्भीर प्रभाव अंकित नहीं कर सकती जैसा एक सन्त का आचरण। उनका शरीर तप-पूत था। तितिक्षा और संयम, अपरिग्रह और अहिंसा, लोक-संग्रह और लोक-सेवा उनकी प्रकृति बन चुके थे। इन सबके लिए उन्हें उद्योग करना या अपने मन अथवा शरीर पर बोझ डालना नहीं पड़ता था। यह तो उनका स्वभाव बन गया था।

जैसे वे "सम्मेलन के प्राण" थे वैसे ही सम्मेलन भी उनका प्राण था। सम्मेलन की जो बुरबुरा न्यायालयी कार्यवाहियाँ चल जाने के कारण हुई, उससे वे अत्यन्त दुखी थे। जीवन के अन्तिम दिनों में जब वे रोग-शय्या पर पड़े थे, शरीर कृण होकर केवल अस्थि-चर्म का ककाल रह गया था, तब भी केवल सम्मेलन की ही चिन्ता से वे चिन्तित रहते थे। उन्होंने मुझे दिल्ली से बुलाया और सम्मेलन का नया ढाँचा बनाने को कहा। उनका श्वास तिष्ठता था और बोलना बहुत कठिन था। कुछ संकेतों से कुछ टूटे-फूटे अस्फुट शब्दों से वे अपना भाव बताते थे। तदनुसार जब मैं कुछ प्रारूप बना कर ले गया तो उन्होंने अवधानपूर्वक सब सुना और सुनकर संकेत से

सहमति और प्रसन्नता प्रकट की। मैं सन्तुष्ट ही नहीं कृतकृत्य होकर लौटा कि उनकी अन्त-बेदनाओं को सम्भवतः कुछ सान्त्वना मिली होगी। इसके पश्चात् दो-एक दिन में ही उन्होंने यह नश्वर शरीर छोड़ दिया। जब अन्त इतना निकट था, तब उन्हें और कोई चिन्ता, इच्छा या बांछा नहीं था। केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भविष्य का विचार उनके मन पर छाया हुआ था। हिन्दी का भविष्य, सम्मेलन का भविष्य, उनके प्राणों के साथ बँधा था। किसी भी आदर्श के लिए ऐसी गहन और अनन्य निष्ठा बहुत दुर्लभ होती है।

उनके आशीर्वाद से सम्मेलन का नया रूप बनने जा रहा है। हम हिन्दी-सेवियों का राजाधि के प्रति यह कर्तव्य है कि सम्मेलन को अब फिर हिन्दी-जगत् के वास्तविक प्रतिनिधि का स्थान प्राप्त करा दें और इसके माध्यम से जहाँ एक ओर हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में सहायक हों, वहाँ दूसरी ओर हिन्दी को भारत महा देश की राष्ट्रभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित कराकर इसके द्वारा भारत की राष्ट्रीयता को दृढ़ और सदा के लिये अभेद्य बनाने में और उस राष्ट्रीयता का विकास शुद्ध भारतीय आधारों पर स्थापित करने में सफल हों।

राजवि श्री पुरुषोत्तमवास टंडन

कविता

कविता सृष्टि का सौन्दर्य है, कविता ही सृष्टि का सुख है, और कविता ही सृष्टि का जीवन-प्राण है। परमाणु में कविता है, विराट् रूप में कविता है, बिन्दु में कविता है, सागर में कविता है, रेणु में कविता है, पर्वत में कविता है, वायु और अग्नि में कविता है, जल और थल में कविता है, आकाश में कविता है, प्रकाश में कविता है, अन्धकार में भी कविता है, सूर्य और चन्द्र और तारागण में कविता है, किरण और कौमुदी में कविता है, मनुष्य में कविता है, पशु में कविता है, पक्षी में कविता है, वृक्ष में कविता है, जिधर देखो कविता ही का साम्राज्य है। प्रकृति काव्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अद्भुत महाकाव्य है। जिस मनुष्य ने इस सारगर्भित रसमयी कविता के आनन्द का स्वाद चखा, वही भाग्यवान् है। जिसने इस सरस्वती-मन्दिर में कुछ शिक्षा ग्रहण की और मनन किया वही पण्डित है। जिसने इस पवित्र प्रवाह में अपने को बहा दिया, वही विरक्त है। जिसने इस अमृत-प्रवाह में डूबकर, दो चार कलश भरकर, प्यासे थके हुए रोगी वा मृतप्राय यात्रियों को कुछ बुँदे पिलाकर उन्हें शक्ति दी और पुनर्जीवित किया, वही कवि है।

ईश्वरीय सौन्दर्य को—प्राकृतिक कविता का भाषा की छटा द्वारा संसार को दर्शाना ही कवि का कर्त्तव्य है। जितना गहरा वह अपनी प्रतिभा द्वारा इस सौन्दर्य-सागर में डूबता है, उतना ही अधिक वह अपने कर्त्तव्य में सफल होता है। ससागर के पदार्थों और घटनाओं को सभी देखते हैं, परन्तु जिन आँखों से उन्हें कवि देखता है वे निराली ही होती हैं। गँवार के लिए पहाड़ों के भीतर से आती हुई नदी एक नदी मात्र है, कवि के लिए उस श्वेतवस्त्रा शोभायुक्त लाजवती का नाचता हुआ शरीर शृंगार की रंगभूमि है। आँव वही, पर चित्तवन में भेद है। बिहारी ने यह तो सच कहा है—

अग्निधारे हीरक बयन, किसी व तरबि जयान ।

वह चित्तवन कछु और है, जिहि बस होत सुजान ॥

किन्तु बिहारी ने इस रसीले दोहे में केवल बाहरी आँखों ही के रस का वर्णन किया और वह भी अधूरा। वास्तव में बस करनेवाली आँखों में इतना भेद नहीं होता, जितना बस होनेवाली आँखों में। हीरे की परख जौहरी की आँखें करती हैं, कुब्जा के सौन्दर्य की पहचान रस-प्रवीण कृष्ण ही को होती है, पदार्थ रूपी चित्रों में चित्तरे के हाथ की महिमा कवि की ही आँखें पहचानती

हैं, प्राकृतिक दैवी संबोध उसी के कान सुनते हैं। विज्ञानवेत्ता पदार्थों के जाहरी अंगों की छान-बीन करता है, और उनके अवयवों का सम्बन्ध ढूँढ़ता है, नीतिज्ञ उनसे मनुष्य-समाज के लिए परिणाम निकालता है, किन्तु उनके आन्तरिक सौन्दर्य की ओर कवि ही का लक्ष्य रहता है। विज्ञानिक और नीतिज्ञ भी जैसे-जैसे अपने लक्ष्य की खोज में गहरे डूबते हैं वैसे-वैसे कवि के (भी)प पहुँचते जाते हैं। सभी विचारों और शास्त्रों का अन्त और उनकी सफलता कविता में कीन होने में ही है। कवि के सम्बन्ध में कहा है:—

जानाते यत्न चन्द्रार्को जानते यत्न योषिनः।
जानीते यत्न भर्षोपि तच्छान्ताति कविः स्वयम् ॥

यह कवि और कविता का आदर्श है, इसी आदर्श की ओर सच्चा कवि जाता है। जितना ही वह उसके समीप पहुँचता है, उतना ही वह प्रभावशाली और उसकी कविता स्थायी होती है। भाषा तो केवल एक पहनावा मात्र है। उसकी कविता वास्तव में संसार के लाभ के लिए होती है, क्योंकि कवि की सृष्टि में सम्पूर्ण प्रजातन्त्र है, समष्टिवाद का शुद्ध व्यवहार है। यहाँ स्वतंत्रता है, स्वच्छन्दता है, अपरिमित सम्पत्ति है। कोई रोकनेवाला नहीं, जितना चाहो उनसे से लेते जाओ, वह घटती नहीं। तुममें केवल इच्छा और शक्ति की आवश्यकता है।

हिन्दी बोलनेवालों का यह सौभाग्य है कि कविता के ऊँचे आदर्श के समीप तक पहुँचने वाले कई कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिन्दी-भाषा द्वारा अपनी अमूल्य वाणी से संसार का उपकार किया है। मनुष्य-जाति सदा उनकी ऋणी रहेगी। कबीर और सूर और तुलसी—अहा! इनके नामों का स्मरण करते ही किस दीप्यमान सौन्दर्य और पवित्र आनन्द की सृष्टि के द्वार खुल जाते हैं—इनके भावों को जिसने समझा, वह सच्चा पण्डित है, इनके मर्म को जिसने पाया, वह स्वयं महात्मा है। संसार साहित्य की चर्चा करता है, कांच को हीरा जानकर उसके पीछे दौड़ता है, खेल के गुड्डेको बालक समझकर उसका ब्याह करता है, और अपनी करतूत पर अभिमानी बनता है। अनेक भाषाएँ अपने-अपने कांच के टुकड़ों को सामने रख हीरे का दम भरती हैं, किन्तु जैसा कबीर ने कहा है—

सिंह के लँहड़े नहीं, हुंसव की बहि पात।
शाक्य की बहि बोरियाँ, साधु व चले जवात ॥

कवियों में भी लँहड़े नहीं होते। वह काल, वह देश प्राग्गवान् है जहाँ एक भी कवि उत्पन्न हो जाय। कबीर, सूर और तुलसी यह हिन्दी भाषा ही के नहीं, संसार-साहित्य के लाल हैं, परखनेवाले की आवश्यकता है। कबीर के दोहों और शब्दों की परख कौन करता है? सूर के पदों और तुलसी के चौपाइयों को कौन तोलता है? मात्रा और अक्षरों के गिनेवाले समा-लोचक? छिः। परखने के लिए कुछ हृदय की सामग्री चाहिए, पुस्तकों के आडम्बर की आवश्यकता नहीं। इन कवियों के हँसने और देने का अर्थ कौन समझता है? इनके वाक्यों के

आवाह—आवासीर्थ, शक १८९१]

मर्त्य तक कौन पहुँचता है। स्वयं कोई मस्त प्रेमी, कोई कविता का मतवाला, जो शुद्ध हृदय से, अभिमान छोड़, इस सृष्टि के भीतर नम्रतापूर्वक सिध्य बनकर आता है।

“बाई अक्षर प्रेम का, धड़े सो पण्डित होय।”

कुछ काँच पहचाननेवाले समालोचक हिन्दी-भाषा में साहित्य की कमी देखते हैं। गाँव का रहनेवाला, जिसने अपनी गाँव की दूकान में रंग-बिरंग के काँच के टुकड़े देखे हैं, नगर में आकर जब एक बड़े जौहरी की दूकान में जाता है तो अपने गाँव की दूकान के समान रंगीले काँचों को न देखकर बहुमुल्य मणियों का तिरस्कार करता है, और कहता है—हमारे गाँव की दूकान के समान यहाँ मणियाँ तो हैं ही नहीं। ठीक यही दशा इन समालोचकों की है। “यह गाहक करबीन के, तुम लीनी कर बीन।” यदि मणि की परख न हो तो मणि का दोष नहीं, परखनेवाले का दोष है। किन्तु काँच का भी संसार में काम है, ये भी चमकीले होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। काँच के टुकड़े भी धन्य हैं, उनमें भी सौन्दर्य है, वे आनन्द बढ़ाते हैं—किन्तु हीरो और लालो की बात कुछ और ही है।

बन्दर सभा-महाकाव्य'

(तीन चुटकिन मां)

पहिली चुटकी

एक बात अब्भुत हम कह्ही। पारो मुनियो कान लगाय ॥
 इतने दिन बहिका भा बीते। अता पता कीउ सकै न पाय ॥१॥
 कलियुग इापर त्रेता सतयुग। इन सब से पहिले की बात ॥
 भये न ईश पयम्बर देवा। और रही नहि जात अब पात ॥२॥
 लाल लाल जीवन कै बसती। बने बहुत बड़वार मकान ॥
 बड़े बड़े ऊंचे तच जाये। टीले बिकट पहाड़ महान ॥३॥
 यही पेड़ टीलन कै चोटी। बसत रहे बन्दर बलवान ॥
 नाम देश कै गड़ बन्दर औ। मल्लू वा राजा कै नाम ॥४॥
 सारा देश उजाड़ परा रह। बीजत कछू न कर्हू निसान ॥
 ऊंचो चोटी चलन माहि बस। बनो इमारत जालीसान ॥५॥
 इनहि घरन के बीच बीच महं। लम्बे लम्बे बांस विसांय ॥
 बाही ऊपर हवा खान को। प्रभन सिगरे बन्दर जाय ॥६॥
 घर में टेबुल मेज सब हैं। उन पै चुने अनेक गिलास ॥
 तामे दूटे कूट बहुत हैं। और घरी बोलल हैं वास ॥७॥
 नात नात सब भज के कमरे। तितिर बितिर पै सब समान ॥
 यहि ते एक निमिल में जानो। यहाँ बस बन्दर बलवान ॥८॥
 चिलमन परदे रंग डंग के। किये द्वार द्वार के बीच ॥
 फटे किये पै बहुत ठीर बे। बेत नवाही जाचत नीच ॥९॥
 एक मेदान म घारी तखता। बायें चुनी रकाबी पास ॥
 कुर्तान पै बहु बानर बँठे। कलछिन लं लं साबें मांस ॥१०॥

१. प्रुष्य राजर्षि टंडन जी ने यह लोकप्रिय और व्यंग्य कविता १९०५ में दिल्ली में होने वाले राज-दरबार को दृष्टि में रखकर लिखी थी। यह रचना स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण अष्ट की द्वारा संपादित 'हिन्दी प्रदीप' में २४ जुलाई तन् १९०५ के अंक में प्रकाशित हुई थी—संपादक।
 भाषाङ्ग-भाषाशास्त्र, भाग १८९१]

यह कौतुक अचरज हम बेला। पूछा एक बानर से जाय ॥
 बोला बानर सुनो विवेसी। यह सब केवल घाँस खाय ॥११॥
 घाँसी पत्ती खाय लेत हैं। कबहूँ लोह करे अहार ॥
 बानर मिले बहु का खावे। खान-पान को नहीं विचार ॥
 यह बातें कोइ बिरला समझें। यहूँ की लीला अपरम्बार ॥१२॥

दूसरी चुटकी

हियाँ की बातें हियनं रह गईं। अब आगँ के सुनौ हवाल ॥
 गड़ बन्दर के देश बीच में। पड़ा रहा एक खेत बिसाल ॥१३॥
 सो बोजन लम्बा अठ चौड़ा। अरबन बानर जायें समाय ॥
 तामे बानर भये इकट्ठा। जीन बच्चे बे आवे पाय ॥१४॥
 जब सगरा मँदनवां भरि गा। पूँछे टोपी लगी दिखाय ॥
 सब के सब कुरसिन से उछले। हाथ पाँव से ताल बजाय ॥१५॥
 इतने में मल्लू-सा आवे। बंदरी और मुसाहब साथ ॥
 बंदरी बड़ी घटक चमकीली। यामे मल्लूसा को हाँच ॥१६॥
 ओढ़े गडन लगाये टोपी। हीरे अड़े पाँत के पाँत ॥
 मटकत आवत भाव दिखावत। आखिर मेहरारू की जात ॥१७॥
 मल्लूसा भट कुसीं चढिगे। घरी एक ऊँचे मस्तूल ॥
 रानी भी हुम झाड़ु बगल भई। तब बोले बातें निरमूल ॥१८॥

तीसरी चुटकी

सुनौ, मुसाहब सबे सभ्यगन। अब राजे फौजी कप्तान ॥
 न्याय धर्म उद्यम कौंसिल के। शस्त्र विवेश कार मेंबरान ॥१९॥
 हम राजा इस गड़ बन्दर के। कँसर किंग डार सुल्तान ॥
 हमरें हुकुम हियन पर चालें। जानो हमें इंस रहिमान ॥२०॥
 आज बरस दिन फेर मिले हम। तुम्हें सुनावें निज करतूत ॥
 कठपुतली सम प्रजा नचावें। फौलावें स्वारथ के हुत ॥२१॥
 यह हुम सब तो जानत हइहौ। आपन एक यही उचूल ॥
 जीन भाँति से क्यया आवे। बो ही धर्म न्याय को मूल ॥२२॥
 येही बात बिबित संसारें। एक जात रहती यहि ठौर ॥
 जिन के हुम उन तनको नाहीं। हमरा लाल रंग उन और ॥२३॥
 येही ते बुइ न्याय धर्म बुइ। बुहरी सगरी बात हमार ॥
 मुँह कुछ बरे पेट कुछ धारें। बगा कूट को करे अहार ॥
 येहूँ से जो काम न निकले। तो फिर कँब भार फिटकार ॥२४॥

पाँच बड़ बड़ भागन मां। देस भार की भई तकसीम ॥
 पहिले न्याय बनाया अचरज। वो अफीम सब नीम हकीम ॥२५॥
 बगना करी कहा यह कल की। रपया असकं खींचे पास।।
 धनी दीन पछित अरु भूरस। सब ही फंस गये याके फांस ॥२६॥
 तेहि पर बेबुम के जे बानर। उनका अस के अकड़ा जाय।
 तनिकी हाँथ पाँव फटकारे। हन के थप्पड़ बिया लगाय ॥२७॥
 यह तो बन्दर न्याय बखाना। एक और कुंजी है हाँथ ॥
 न्याय बाय सबही के ऊपर। सबहि घुमावे अपने साथ ॥२८॥
 ओकर नाम गुप्त राखेगे। यह तो भीतर मन की बात ॥
 ऊपर हमरी खुली कचहरी। रपया बेत न्याय ले जात ॥२९॥
 दूसर धर्म बड़ा फन्दा यह। जो जो हमसे करे विरोध ॥
 जहां ग्लास एक हमसे लेबें। आबे तुरतहि उन कहें बोध ॥३०॥
 सबहि लड़ाई छूट जात है। लेकचर बेन जाय सब भूल ॥
 झूठी बुमठु लगाय लेत हैं। औरठु बातें करे फजूल ॥३१॥
 जूठु साथ नहीं सकुचावे। पूजाहि सर जो हमरा वेव ॥
 खरूी सर चिल्लात फिरत हैं। लेव स्वर्ग मुफते ले लेव ॥३२॥
 बिना कसाले का बिहिस्त है। ऐसन अबसर फिर नहि आय ॥
 हमरी सर जो बड़ा अकासा। सब कोउ पूछ धाम छदि जाय ॥३३॥
 जो नहि मानै बात हमारी। ऊ बस सीधा नरकहि जाय।
 चार पाँव से चलन न पइहै। बुद्धय से विसलायत आय ॥३४॥
 हुआ न कबन कौ तब मिलिहै। और न मिलिहै बंदरी संग।
 कपड़ी जीबे का नहि मिलि है। नहीं घास मास के रंग ॥३५॥
 मरन बाब इन सुख कहें चाही। हमरी बात करी बिस्वास।
 पडनी लिखनी पूजन छांडौ। हमरे सर की धारी आस ॥३६॥
 यही भात हम धरम खलावा। दूसर के सिखवन के काज।
 धन स्त्री अरु मान लोम बँ। फासा जेहि नहि सकता भाज ॥
 आपन देव एक रपया पै। आहें बाडे हमरा साथ ॥३७॥
 तीसर उद्यम भाग गिनाऊं। एकर केबल मनसा बेह।
 जितना धन अन पैदा होबै। सब बोइ आबे हमरे नेह ॥३८॥
 जितने बँबुम के ह बानर। उनका हरी हरी विसलाय।
 धूनी भूसी उग्हें फँक बें। बडिया माल लेय गठियाय ॥३९॥
 यही भाग उद्यम का ऐसा। जेहि मा रबे कितानी जाल।
 और देस के बानर जेहि लै। नहि जाने हमरा महबल ॥४०॥

ऊपर से यह परगट करहीं। सगरी परजा बड़ी अमीर।
 लीन लंगोटी छीन छीन के। हम जानाहिं वे फिर फकीर ॥४१॥
 मरं सुख से जाड़े से बा। हम से येहिं से कुछ नहिं काम।
 हम का खाली मिले रुपैया। हम घर बैठ करें जाराम ॥४२॥
 चौथा बड़ा डिपाटमेन्ट है। करे बिदेसन को व्यवहार।
 रीछ स्थार सूकर बसते अहं। हम सन जिनके हें सरदार ॥४३॥
 कबहुं आस दात दिसलावे। लें उराय बस काम निकाल।
 कबहुं नम होय सीख सुनारिं। रवे ब्रति के जाल कराल ॥४४॥
 ऐसे बंभे तो डर जावे। वा फंस जावे हमरे जाल।
 जो भं तनकु अकड़ने वाले। तिनके लिए अनेकन खाल ॥४५॥
 जानूसी में निपुण सिपाही। तब छूटे साधन को कार।
 दगा झूठ विष मब मेहराल। और छिपी सीखी तलवार ॥४६॥
 उते सरजाम हें पूरे। पं येह जो खाली जाय।
 पंचवा भाग करे तब हलचल। नये शस्त्र तबही दिसलाय ॥४७॥
 सबसे बड़ी शस्त्र की कौतिल। यहै राज्य को हमरे मूल।
 यहिके बिमड़े सबे चातुरी। एक छन मं जावे भूल ॥४८॥
 याही तं जे लड़नेवाले। उनके हम बहु करते मान।
 सब ने घूस रुपैया लावे। इनही को बस देते दान ॥४९॥
 बड़े बीर हमरे यह सैनिक। पहिले डुम से करे प्रहार।
 डुम जौ कटे भाज फिर जावे। यह में घूस करवे ललकार ॥५०॥
 परथर की तलवार बनी है। मट्टी की गोली बाकब।
 जहां चले यह सैन्य हमारी। और लगरावे पेकी कूब ॥५१॥
 बिरबन पंडन सुरतहि नासै। घूम मचावे लूटे माल।
 सीधे जीवन मारं काटे। हमहूँ सुन होय निहाल ॥५२॥
 अब हम लेकर सतम करत हं। बैठे अपनी कुरसी जाय।
 तबही ताली ऐसी बाजी। कानी की चमड़ी उड़ि जाय ॥५३॥
 फिर एक मोटा बानर बोला। धन्यवाद हम बेयं पुकार।
 मल्लूसा को जिनकी परजा। जो धन राखे औरत मार।
 येहिं में हम का पाले पोखे। और बड़े हम कुल परिवार ॥५४॥
 इतना कह वह बानर बैठा। सभा उठी भागी चहुं ओर।
 मोहूँ आल्हा गावत भाय्यों। जे जे सुनिन कीन्ह सेंग मोर ॥५५॥

प्रयाग, २४ जुलाई १९०५

आचार्य विनोबा भावे

राष्ट्रभाषा और नागरी लिपि

गत २० दिसम्बर सन् १९६८ को प्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में सम्मेलन के प्राण राजवि पुनर्वासमवास टंडन की कांस्यमूर्ति के अनावरण का ऐतिहासिक समारोह का उद्घाटन मुख्य आचार्य विनोबा भावे के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ था। आचार्य के भाषण की टेपरेकार्डिंग की गई थी। आचार्य जी का भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा देवनागरी लिपि की महत्ता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भाषण नीचे दिया जा रहा है।

(इस अवसर पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम गानानुष्ठान में अन्तर्गत ३० सेठ गोविन्ददाम ने आचार्य का स्वागत करते हुए कहा था—'इस प्रथम अवसर है कि जय



टंडन की पूर्वाहार कांस्य प्रतिमा के अनावरण-समारोह के अवसर पर उद्घाटन-भाषण करते हुए संत विनोबा।

आचार्य-भाषणीय, संक १८११]

कि इस प्रकार के मूर्ति-अनावरण-समारोह में आचार्य ने भाग लेने की स्वीकृति दी है। इससे पूर्व किसी भी महापुरुष के चित्र अथवा मूर्ति के उद्घाटन, अनावरण आदि के कार्यक्रमों में किसी भी विनोबा जी की रुचि नहीं रही है। टडन जी का महान् व्यक्तित्व था, जिसके पारंग अपनी पूत श्रद्धांजलि देने आचार्य विनोबा जी यहाँ पधारें हैं। ब्रह्मिणि द्वारा यह राजर्षि के प्रति अदृष्ट श्रद्धा व्यक्त करने के लिए पधारना एक ऐतिहासिक घटना है।)

मेरे मित्र जानते हैं कि पचास साल कर्मक्षेत्र में बिताने के बाद अभी-अभी दो-तीन माल से मैंने सूक्ष्म कर्मयोग में प्रवेश किया है। मैंने उसको सूक्ष्म कर्मयोग नाम दिया है। उममें स्थूल क्रियाएं कम हो जाती हैं। अब, मैं यहाँ पर अनावरण के लिए आया, यह स्थूल क्रिया मानी जायगी। लेकिन फिर भी मैं आया, क्योंकि मैं पहले से ही वचन दे चुका था कि मैं आऊंगा। और मुझे खुशी है कि उस वचन से आज मुझे मुक्ति मिल रही है। राजर्षि टडन जी की सेवाओं के बारे में प्रयाग में कुछ बोलना व्यर्थ ही होगा। प्रयाग के लोग सब जानते हैं, उनकी सेवाएँ तरह-तरह की हुई हैं। इसलिए उनके नाम से यहाँ टडन-पार्क भी बना है और इस टडन-पार्क में भी बोलने का मौका मुझे मिला था। और उम वक्त मेरे व्याख्यान के लिए राजर्षि टडन जी ही अध्यक्ष थे, जब मैं भूदान के मिलसिले में यहाँ आया था। लेकिन जहाँ तक प्रयाग का मवाल है, प्रयाग ने भारत को बहुत बड़े-बड़े नेता दिए हैं। यह प्राचीन काल से नेतृदान जो चल रहा है प्रयाग का, बिल्कुल याज्ञवल्क्य से भारद्वाज तक लेकर—यह अक्षण्ड सिलसिला है। यहाँ से भारत को नेतृत्व मिला। अनेक नाम हैं नेताओं के, लेकिन तीन नाम अगर हम लें, जो सर्वोपरि हैं सब के मन में—महामना मालवीय जी, प० जवाहरलाल नेहरू और राजर्षि टडन। तो ये अपने प्रयाग की, प्रयाग के लिए त्रिमूर्ति ही कहलाएंगे। अपने हिन्दू धर्म में एक त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है—ब्रह्मा, शिव, विष्णु। ऐसे ही आधुनिक जमाने में प्रयागदत्त त्रिमूर्ति है। टडन जी की सेवाएँ विविध क्षेत्रों में हुई हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने जो सहन किया, आजादी की प्राप्ति के बाद पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो काम किया, पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस में जो काम किया, वह सब महान् है और उसी के कारण भारत के महान् नेताओं में उनका एक स्थान बना। इसके अलावा वह रचनात्मक क्षेत्र में भी बहुत रुचि रखते थे और बहुत काम उन्होंने इस क्षेत्र में किया। आप लोग जानते ही हैं कि जैसे यहाँ पर सर्वेन्ट ऑफ इण्डिया सोमायटी गोबले की स्थापित की हुई, एक शाखा यहाँ है, उसी के नमूने पर लाला लाजपत राय ने एक पीपुल सोसायटी बनाई थी, जिसमें रचनात्मक सेवा करे भारत की, ऐसी कल्पना थी। और उनके लिए बाँड़ा मानदेय, अल्प ही, देने की योजना थी, बिल्कुल गोबले के नमूने पर, उसके टडन जी एक सदस्य थे और लाल-बहादुर शास्त्री भी उसी में थे। लालबहादुर शास्त्री ने उममें बड़ा योग, कुशल योग दिया—इधर टडन जी—उधर जवाहरलाल नेहरू। उन सब के विचारों में कुछ बातों में कोई भेद, यह सब होते हुए दोनों का सम्पर्क रखना, दोनों का प्रेम हासिल करना, यह कुशलता उन्होंने दिखायी। वह सब हम लोगों की आँख के सामने हुआ है। तो रचनात्मक क्षेत्र में बहुत सेवा टडन जी ने की। सर्वोदय में वे रुचि लेते थे। सर्वोदय की सभाएँ जहाँ-जहाँ होतीं थी वहाँ वह

जाते थे। भूदान में उन्होंने काफ़ी इन्टरेस्ट लिया और भूदान में जो जमीन दी जायगी वहाँ पर एक बाटिका बननी चाहिए, हर गाँव में, ऐसा उनका सुझाव था, जो हमने मंजूर किया। जहाँ जहाँ भूदान में जमीन दी जायगी वहाँ उस गाँव में एक बाटिका बने गाँव के लिए—यह कल्पना उनकी सुन्दर थी। यह सब मैंने इसलिए कहा कि रचनात्मक क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सेवा की। तो रचनात्मक क्षेत्र में उन्होंने सेवा की, उनके अलावा राजनैतिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में जो काम उन्होंने किया, उनके अलावा उनकी हिन्दी की जाँ सेवा है वह सब लोगों के सामने प्रमुखतया उपस्थित है और जिसके कारण हम सब लोग प्रभावित हैं। उन्होंने हिन्दी को एक विशेष स्थान देना चाहा और यह सोचा कि आज नहीं कल, कभी सारे राष्ट्र की सेवा के लिए हिन्दी उपस्थित होगी और सबके लिए हिन्दी उपयोगी साबित होगी—ऐसा स्वरूप हिन्दी का हो और वह नागरी लिपि में लिखी जाय, यह उनका आग्रह था। बहुत लोगों का गन्त खयाल है कि वे उर्दू के खिलाफ़ थे—ऐसा है नहीं। उनके भाषण मैंने कई सुने हैं। उनके भाषणों में जो हिन्दी बोली जाती थी उसमें काफ़ी उर्दू शब्द आते थे और जो उर्दू शब्द हिन्दी में पच गए हैं और हिन्दी की शोभा जिन उर्दू शब्दों ने बढ़ाई है, उन शब्दों को कायम रखने के पक्ष में वे थे, उनके बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे। वे स्वयं उत्तम उर्दू जानते थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने फ़ारसी भाषा का भी उत्तम अध्ययन किया था, यहाँ तक कि फ़ारसी में वे बोल भी सकते थे और फ़ारसी के अनेक महान् कवियों के साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था। यह मारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिन्दी भाषा का उनका जो आग्रह था, उसमें उर्दू इत्यादि का कोई द्वेष नहीं था बल्कि वह मानते थे और ठीक मानते थे कि उर्दू हिन्दी का ही एक प्रकार है और हिन्दी की सुन्दरता उर्दू से बढ़ती है, तो वह हिन्दी के लिए अच्छी चीज़ है—ऐसा वे मानते थे। उर्दू लिपि के वे खिलाफ़ नहीं थे। मुससलमान लोग उर्दू में लिखे पाठशालाओं में, उसमें उनकी कोई चिन्ता नहीं थी, वे जरूर सीखे, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रभाषा का ताल्लुक है वह राष्ट्रभाषा नागरी में प्रकट हो, यह उनका आग्रह था। और मैंने कहा कि मैं इससे सहमत हूँ और सहमत था पहले भी। यह सोचने की बात है भारत के लिए, कि हिन्दी जितनी मदद करेगी एकता के लिए उससे नागरी लिपि कम नहीं, ज्यादा ही मदद करेगी—ऐसा मेरा अनुभव है। मुझे अनेक भाषाएँ सीखने का मौका मिला है—भारत की बहुत सारी भाषाएँ सीखी हैं। उन्हें सीखने के लिए अनेक लिपियों का अध्ययन करना पड़ा, जिसके कारण मेरी आँखों पर प्रभाव पड़ा—अच्छा नहीं, बुरा प्रभाव। और परिणामस्वरूप मेरी आँखों को तकलीफ़ भी हुई है लेकिन फिर भी वह सारी लिपियाँ मैंने सीख ली और उन भाषाओं में जो सर्वोत्तम साहित्य है उसका परिचय करने का थोड़ा बहुत मौका मुझे मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने दुनिया में पाई नहीं (करतल ख़बिन्)। हिन्दुस्तान में तो खैर अनेक लिपियाँ हैं। वे नागरी के करीब-करीब हैं, नागरी में से ही बाँधा बहुत फर्क कर के बनी हुई हैं। लेकिन यूरोप की जो लिपियाँ हैं वे भी यूरोपियन लैम्बेजेज के लिए उत्तम नहीं हैं बल्कि रोमन लिपि, आज जो अंग्रेज़ी लिखी जाती है रोमन लिपि में अंग्रेज़ी के लिए भी रोमन अच्छी नहीं—ऐसा खयाल बननाई शा का था और इसीलिए उन्होंने आधा—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

अपने विल में, व्यक्तिगत मे कुछ पैसा रखा था कि ऐसी एक लिपि शुरू की जाय अंग्रेजी के लिए, जिससे कि अंग्रेजी का एक-एक वर्ण ठीक उच्चारण बता दे। आज जो केवल अराजकता है अंग्रेजी लिपि मे उससे अंग्रेजी भाषा मुक्त हो, इस वास्ते उन्होंने कुछ पैसा रखा था, उसका उपयोग करके एक लिपि बनाई गई। अंग्रेजी भाषा लिखने के लिए नई लिपि की खोज की गई। अनेक लोगो ने अपनी-अपनी लिपियाँ पेश की, उसमें जो सब से अच्छी मालूम हुई वह चुनी गई और वह लन्दन टाइम्स में प्रकट हुई। जब वह प्रकट हुई, तो वहाँ से उसकी प्रति मेरे पास आ गई—लन्दन टाइम्स की प्रति। और उसमें मैंने देखा कि उन्होंने कोशिश की कि जिम प्रकार से एक वर्ण और एक उच्चारण, ये व्यवस्था पाणिनि के व्याकरण के अनुसार माहेरवरी सूत्र का उपयोग कर के नागरी लिपि ने बनाई है, वह तत्व उसमे लाने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन वह लन्दन टाइम्स में प्रकट हुई और जिमने ईजाद की, उसको इनाम भी मिला होगा। निर्धारित जा किया होगा लेकिन वह चली नहीं। अंग्रेजी के लिए वह चल नहीं सकती थी, क्योंकि जिस भाषा में लाखों ग्रन्थ लिखे जा चुके, अब वह नई लिपि एक्सेप्ट करेगी?—यह सत्यता थी नहीं। फिर भी वह एक मनुष्य था, उसका एक स्वप्न था—या कहिए कि एक फैंड था उसका और उसने वह बात की। इसका मैंने उल्लेख इसलिए किया कि अंग्रेजी के लिए भी रोमन लिपि बहुत सार्थक नहीं है। ऐसा उम्मेद सवोत्तम उम्मीदवार बनाईं शा का भी मन था। और यह सब समझने की बात है कि इस प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से लिखी जाने वाली जो लिपि है उसका गौरव हम सब को महसूस करना चाहिए। उसमें किसी काम का मवाल नहीं। यह तो एक विज्ञान का मवाल है, साइन्स का मवाल है, जैसा साइन्स में कोई जर्मि का मवाल आता नहीं—वैसे ही इस नागरी लिपि में भी जर्मि का मवाल नहीं है, वैज्ञानिक लिपि है। आप लोगो को तो इस लिपि का अच्छा परिचय है, दूसरी लिपियाँ म क्या-क्या बाँव है उनकी पूरी जानकारी तो आपका होगी नहीं। अंग्रेजी के अलावा बहुत-सी भाषाएँ हैं। बहुत-से लोग जानते नहीं हैं लेकिन मैंने चीनी जापानी भाषा लिखने की कोशिश की है। मेरी यात्रा मे एक जापानी भाई मम्पक मे आगे थे और एक महिला, मवा महिला वे मेरे साथ रहे थे यात्रा मे। एन्वाभिशा उनका नाम है। बहुत बड़े आदर्मी है। तो वे यात्रा मे घमे थे। उनके साथ रोज घंटा भर देकर के पदयात्रा मे जापानी भाषा का अध्ययन किया था। तो उस वक्त ध्यान मे आया कि जापानी लोग एक लिपि की तलाश मे हैं। और जापानी भाषा की रचना है वह अपने हिन्दुस्तान की भाषा के अनुरूप है यानी थोडा मै आपका किचित् स्थित्करण की आंर ले जाऊंगा, थोडी तकलीफ हाँगी समझने मे। जैसे हमारी भाषा मे प्रियाजीशंस नहीं है जैसे 'इन दि रुम' कहते है अंग्रेजी मे—हम कहते है—'कोठरी मे'— 'मे कोठरी' नहीं बोलते 'कोठरी मे' बोलते है। यानी वह शब्द अव्यय कहते हैं, जो बाद में आते हैं। तो वह रचना वहाँ है जापानी भाषा मे, इसलिए यह अपनी भाषा के अनुकूल पड़ती है वह रचना। अगर मान लीजिए, नागरी लिपि भारत भर मे चले, तो जापानी लोग भी उसको खुशी से एक्सेप्ट करेगे और बडी सुन्दरता से उनका काम होगा, क्योंकि आज उनको लिपि की तकलीफ है। खैर, यह तो मैंने आगे की बात की, भगवान चाहेगा तो होगा—नहीं तो नहीं होगा। लेकिन हम लोगो को अपने पास

जो लिपि प्राप्त है उस लिपि का निम्नमानतापूर्वक अभिमान रखना चाहिए। इसमें अभिमान का सवाल नहीं है! व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय किसी के अभिमान का सवाल नहीं है, इसमें विज्ञान के अभिमान का सवाल है। तो इस वास्ते विज्ञानवेत्ता जरूर कहेगा कि यह लिपि चलनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि टंडन जी की जो यह राय थी, वह सर्वथा योग्य राय थी इसमें कोई शक नहीं (करतल ध्वनि)। और यह जो उनकी हिन्दी की सेवा उससे प्रभावित लोग हैं, और हमारे गोविन्ददास जी उससे विशेष प्रभावित हैं, तो उनके मन में इमलिए आया था—यह गौरव इस त्रिमूर्ति के द्वारा यहाँ प्रकट करे। अब जैसे टंडन जी के बारे में एक गलतफहमी यहाँ नाहक हो गई—वैसे ही गोविन्ददास जी के बारे में नाहक गलतफहमियाँ हैं। मैं उनको जानता हूँ, मेरे साथ वह जेल में रहे हैं। बेल्जियम में। और लगभग साल, डेढ़ साल, पीने दो साल हम एक साथ थे और मैंने देखा कि वहाँ उन्होंने तेलुगु भाषा का अध्ययन किया और रोज कई घंटे उसके अध्ययन में वह देते थे। उस जेल में सारा कारोबार अंग्रेजी में चलता था। इसलिए कारोबार के लिए सीखने की जरूरत नहीं थी, वह सारा अंग्रेजी में चलता था वहाँ। अगर तेलुगु नहीं सीखते तो कोई हमको सुनीता कम होता—ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आपने तेलुगु का अध्ययन ऐसा किया, जैसे हाई स्कूल का बच्चा अध्ययन करना होगा—वैसे ही रट-रट के उच्चारण का, उसकी जो कवितारें हैं उन कविताओं का, हालाँकि आप कविता के तो प्रेमी हैं इसलिए कविता छोड़ के कैसे चलेगा आपका—तो उनकी कविता का अध्ययन भी उन्होंने किया—यह मारा मैंने देखा है। ना जिन किमी ने यह माना कि गोविन्ददास जी दक्षिण भाषा के द्वेषी हैं, उन्होंने गोविन्ददास को पहचाना नहीं है। आज भी हिन्दी भाषा जबर्दस्ती से किसी पर लादने के पक्ष में वे हैं नहीं। प्रेम से प्रचार हो—ऐसा वह चाहते हैं और उन्होंने फिलहाल अभी ऐसा ही सोचा है कम से कम, कि भाई! जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी है, जैसे—बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का कुछ हिस्सा और इधर मध्यप्रदेश, राजस्थान—अब ये जो भाग हैं उसमें आपम-आपस में व्यवहार सरकारी तौर पर अंग्रेजी में क्यों चलता है? वह हिन्दी में क्यों नहीं चलना चाहिए? प्रान्तिक सरकार, दिल्ली की सरकार से पत्र-व्यवहार करने, एक प्रान्तिक सरकार, दूसरी प्रान्तिक सरकार से हिन्दी में पत्रव्यवहार करे—ये सारा क्यों न करे नागरी में और हिन्दी में और यहाँ माध्यम हिन्दी क्यों न रखा जाय? यूनिवर्सिटी वगैरह में हिन्दी क्यों न चले? और ये सारा उनका एक प्राथमिक कार्य उन्होंने अपने सामने रखा है कि कम से कम इसमें तो हों ही जाना चाहिए। और जब तक ये नहीं होना, हम किस मुँह से दूसरों से कहेंगे कि भाई तुम भी जग सीख लो। ये किम मुँह में कहेंगे? इस वास्ते इनना तो ही जाना चाहिए—यह उनका विचार है। और अभी वे मद्रास मिलने के लिए आये थे। वहाँ बोधगया में—वहाँ आये थे अपने काम के लिए। उन्होंने देखा कि मेरा मित्र वहाँ बैठा है। तो मित्र के नाते मिलने के लिए आये थे। तो उनसे मिलने के बाद जो कुछ थोड़ी सी बात हुई, प्राथमिक बात होती है—औपचारिक—वह होने के बाद तुरन्त मैंने कहा कि आपका जो हिन्दी का कार्य चल रहा है उससे मैं पूरा सहमत हूँ। अनाहूत कोई उनकी भांग नहीं थी, न उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, लेकिन मैंने ही कह दिया तो उनको विशेष आनन्द आया—**मार्च-अप्रैल, १८९१]**

होना स्वाभाविक है। और आज मैं यहाँ आ सका, इसका मुझे भी बहुत आनन्द है। हिन्दी के बारे में मैंने जो कहा, बहुतांश का खयाल है कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी के खिलाफ हैं, ऐसा है नहीं। मैं दक्षिण भारत देख चुका हूँ। तमिलनाडु और बंगाल—इन दो प्रान्तों में जो भाषाएँ चलती हैं वह बहुत उनमें भाषाएँ हैं, सम्पन्न भाषाएँ हैं, हममें कोई शक नहीं। उन भाषाओं का अध्ययन करने का मीका मुझे तो मिला ही है और दक्षिण के लोग हिन्दी सीखने के लिए तैयार नहीं हैं—ऐसा मेरा अनुभव नहीं। परन्तु प्रतिक्रिया होती है, अगर हम बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं। और हिन्दीवाले ऐसे आलसी बन जाते हैं कभी-कभी, कि हिन्दी के अलावा और कुछ चीज सीखते नहीं—और भ्रम में ये राष्ट्रभिमानी! मैंने मिखा दी हिन्दी भाषा, बस हो गया—राष्ट्रभिमानी। एक कौड़ी का खर्चा नहीं हुआ—परिश्रम थोड़ा भी करना नहीं पड़ा—एकदम ऐसे ही हम राष्ट्रभिमानी बन गए। और दूसरे लोगों से हम कह रहे हैं कि वह सीखे हमारी भाषा। तो इस प्रकार से आग्रह रखते हैं आलस्य रख कर के। एक सारी बात। और भाषा तें छोड़ दी जाए—मराठी ली जाए। मराठी लिपि नागरी है। यानी जिस लिपि में हिन्दी लिखी जाती है उसी लिपि में मराठी लिखी जाती है। लेकिन हम लोगों ने वचन से तुलसी रामायण पढ़ी, आप में से कितने लोगों ने तुकाराम पढ़ी? इसका उत्तर आया कि नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ी? अपनी हिन्दी है, राष्ट्रभाषा है, चलती है अपने को क्या जरूरत है! दूसरी भाषा सीखने की और हिन्दी और मराठी में फर्क भी कितना? एक मराठी पद्य मैं आपको मुनाऊ तुकाराम का—

चित्त शुद्ध तरी, शत्रु मित्र होती
व्याघ्रगी न खाती सर्प तथा।

चित्त शुद्ध तरी—अगर चित्त शुद्ध है तो शत्रु मित्र होते हैं अथवा उसके शत्रु मित्र बनते हैं और, 'व्याघ्रगी न खाती'—ऐसे निर्वेद पुरुष का, शुद्ध चित्त पुरुष को घेर भी नहीं खा सकते और न सर्प ही उसको काट सकते हैं। अब उसको सम्झना में कहता हूँ—चित्त शुद्ध तर्हि शत्रु मित्र भवति—यह हो गया सम्झन। और मराठी—

'चित्त शुद्ध तरी', चित्त शुद्ध तर्हि
'शत्रु मित्र होती', शत्रु मित्र भवति

अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या यह सीखने में मुश्किल हो जायगा? वही चित्त, वही शुद्ध, वही शत्रु, वही मित्र, वही सारे संस्कृत शब्द (करतल ध्वनि)। आप की स्टेट, ये हमारे आप की स्टेट, घन सब इस्तमाल करते हैं—शब्द वही और लिपि वही। अब पुस्तक खोल दी, पढ़ना शुरू किया। अब करना क्या पड़ेगा? लेकिन फिर भी सीखते नहीं कोई। खैर, सीखते कम हैं, मालूम नहीं, लेकिन मैं पूछूंगा कि यहाँ कितने लोगों ने मराठी पढ़ी है? मेरा खयाल है कि कोई मराठी आदमी यहाँ बैठा हुआ है। तात्पर्य यही है कि हम थोड़े आलसी बन जाते हैं हिन्दी लोग,

बहु ठीक नहीं। अगर हम अपना यह आग्रह छोड़ेंगे, तो दक्षिण के लोग सीखने को तैयार होंगे। हिन्दी के सिलसिले में मैंने एक व्याख्यान दिया था, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, जब मैं घूम रहा था, पदयात्रा में और तमिलनाडु में लगभग एक साल मैं घूमा हूँ। तो एक जगह मैंने विद्यार्थियों को समझाया। बंटा भर बीला, सब लोगो ने शान्ति से बात सुन ली। मैंने कहा, देखो भारत में क्रिकेट का खेल (गेम) जो है सारे भारत में। क्रिकेट की एक ईनिंग होती है। ऐसी ईनिंग हुई है वैदिक काल में, वैदिक ऋषि दक्षिण में गये, जैन दक्षिण में गये, बौद्ध दक्षिण में गये। तो ये जैन और बौद्ध विचार उत्तरी हिन्दुस्तान से दक्षिण हिन्दुस्तान में गये। यह उत्तरी हिन्दुस्तान की ईनिंग हो गई। उसके बाद दक्षिणी हिन्दुस्तान की ईनिंग शुरू हुई। शंकराचार्य, रामानुज, माध्व और बल्लभ—ये सारे दक्षिण भारत में उत्तर भारत में आये। और उन्होंने अपने विचार यहाँ दे दिए। और यहाँ तक उनका प्रभाव पड़ा कि आपके उत्तम से उत्तम महान् पुरुष हिन्दी के—कौन इनसे बड़ कर नाम लिया जायगा, कबीर और तुलसीदास—दोनों स्वामी रामानन्द के शिष्य और रामानन्द रामानुज के। अब रामानुज का प्रभाव कबीर और तुलसीदास पर पड़े, यह कोई सामान्य बात थी क्या? इनका प्रभाव उनका पड़ा तो उनकी ईनिंग चली यहाँ पर। शंकर का प्रभाव ज्ञानेश्वर महाराज पर पड़ा, महाराष्ट्र और बंगाल में विवेकानन्द, रामकृष्ण पर पड़ा, तो ठीक इसी प्रकार से दक्षिण भारत की ईनिंग हो गयी। तो कैमै हो गयी? क्या आधार मिला उसको? संस्कृत भाषा का आधार मिला। उन दिनों संस्कृत राष्ट्रभाषा थी, राष्ट्र के मुख्य-मुख्य लोग संस्कृत जानते थे। अगर मान लीजिए शंकराचार्य ने मलयालम भाषा में लिखा होता, तो शंकराचार्य की दिग्विजय जो सारे भारत में हुई, वह नहीं हुई होती—ये जाहिर है। रामानुज ने अगर तमिल में लिखा होता—उनकी मातृभाषा तमिल थी और तमिल में रामानुज ने थोड़ा लिखा भी है। शंकर ने मलयालम में कुछ नहीं लिखा, लेकिन रामानुज ने तमिल में लिखा। शंकर ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बचपन से ही छोड़ कर वह इधर आ गये थे और ३२ साल की उनकी आयु। और रामानुज की आयु १२० साल। तो हम मानते उनको काफी मौका मिला सीखने का। तो तमिल में भी उन्होंने कुछ लिखा लेकिन थोड़ा लिखा। और ज्यादातर जो लिखा वह सारा संस्कृत में लिखा—गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्रभाष्य—ऐसे प्राचीन भाषा में भाष्य लिखे हैं, कि आज तक भाषा के वैभव के लिए शंकराचार्य का और रामानुज का दृष्टान्त देना पड़ता है। और हिन्दुस्तान के महान्-महान् पंडित लोग कहते हैं कि उनसे बड़ कर अच्छी भाषा लिखनेवाले कोई खास लेखक हम लोगों के मार्डन टाइम में हुए हों, इधर पंद्रह-सी साल में—ऐसा नहीं कह सकते। तो मैंने वहाँ लोगों को समझाया कि अगर रामानुज ने तमिल में ही लिखा होता—और संस्कृत में नहीं लिखा होता, तो क्या रामानुज का प्रचार होता? रामानुज की ईनिंग चलती? नहीं चलती। तब उन्होंने राष्ट्रभाषा का आश्रय लिया—जो संस्कृत थी उस जमाने में। मैं आपको मिसाल दूँ—रामानुज एक छोटे आदमी माने जाते हैं तमिलनाडु में। जो बड़े महान् माने जाते हैं, वहाँ, वह हैं—नाम्मानबाल्ह। अब नाम्मानबाल्ह के शिष्य थे रामानुज और नाम्मानबाल्ह का लेखन तमिलनाडु में घर-घर में पढ़ा जाता है। जैसे वहाँ तुलसीदास घर-घर में आये

वैसे तमिलनाडु में नाम्यानवाल्ह घर-घर में आये। लेकिन नाम्यानवाल्ह का नाम भी आप लोगों को मालूम नहीं है और रामानुज का नाम तो जाहिर है, क्योंकि रामानुज ने राष्ट्रभाषा का आधार लिया तो उनकी ईनिंग चली। उसके बाद अंग्रेजी सत्तनत यहाँ आई और इधर अंग्रेजी का अच्छा प्रचार चला बंगाल वगैरह में, तो इधर से ईनिंग शुरू हुई और बिबेकानन्द वहाँ पहुँच गये। रवीन्द्र-नाथ पर वहाँ असर पड़ा। रानाडे हाल वहाँ विलेगाँ आये। मद्रास में गोकुले का असर पड़ा। अब आइए यहाँ सारे उत्तर भारत के लोगों पर गौरी का असर पड़ा। तो ये सारे उत्तर भारत की ईनिंग चली। अब आप अपनी ईनिंग चला रहे हैं कि नहीं। यह मैंने उनसे पूछा और खास कर के तमिलनाडु में गौरी-गौरी में उत्तम देवालय होते हैं और सारी जर्मन और मारी लोगों की शक्ति उन मंदिरों की है—ऐसी एक भावना वहाँ चलती है। और वहाँ कितने उत्तम मन्दिर होते हैं? आपको जो सर्वोत्तम मन्दिर माने जाते हैं, यहाँ बड़े-बड़े उत्तर भारत के, जैसे मबुरा के, अयोध्या के इत्यादि—वहाँ तो ऐसे मन्दिर गौरी-गौरी में होते हैं, छोटे छोटे गौरी में। लेकिन मीनाक्षी मन्दिर, जहाँ हजार-हजार खभो का तैयार किया हुआ मण्डप—वह सारा वैभव देखने वालों में ही अनुभव किया होगा। कितना सुन्दर वैभव वहाँ मन्दिरों का प्रकट हुआ है। तो मन्दिरों की एक संस्कृति है, सम्यता है और मारी जमीन वगैरह जितनी है सब मारी गौरी की है—ऐसी भावना वहाँ है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी मारी संस्कृति और सम्यता दक्षिण की ले कर के तुम्हारी ईनिंग लाओ न उत्तर भारत में? लेकिन अगर तमिल का आग्रह रखोगे तो चलेगी नहीं। अंग्रेजी के आधार पर कहोगे, तो अंग्रेजी के आधार से यहाँ के चन्द लोग समझेंगे, लेकिन ईनिंग चलेगी नहीं! ईनिंग के लिए तो असर पड़ना चाहिए आम जनता पर। तो उम्मी प्रकार से दक्षिण भारत की ईनिंग फिर से चलनी हो, जैसी कि चलनी चाहिए और दक्षिण भारत को भारत को देने के लिए, दक्षिण भारत के पाम देने के लिए बहुत चीजे हैं। मिसाल के तौर पर—उत्तरी हिन्दुस्तान में जितने मिनेमा घर अब हैं, उतने मिनेमा आप यहाँ देखते नहीं, नबर एक। यहाँ पर आबादी बढ़ रही है दो परसेंट हर साल, यानी २० परसेंट दस साल में। वहाँ की आबादी दस-बारह परसेंट बढ़नी है, २० परसेंट नहीं बढ़नी क्योंकि जो विलामिता यहाँ आ गई वह विलामिता वहाँ मन्दिरों के कारण ढकी हुई है और सम्यता अधिक प्रमाण में वहाँ स्पष्ट है। यह सारा आपको वहाँ जाने पर पता चलता है। तो मैंने कहा—जो आपकी संस्कृति की सम्यता है और विशेषता है और अभिहित भारतीय संस्कृति वहाँ मौजूद है, यहाँ उत्तरी हिन्दुस्तान में मिथित संस्कृति हो गयी है। आप देखते हैं, बिहार में जाइए मुश्किल से दस हजार श्रोताओं की सभा होगी और दस-बीस स्त्रियाँ होगी और बाकी सब स्त्रियाँ जेल में पड़ी हुई हैं, गृह रूपी जेल में। और वहाँ आप जाएँ तमिलनाडु में तो १० हजार की मीटिंग होगी तो ४-५ हजार स्त्रियाँ ऊपर होंगी। जितने पुरुष होंगे लगभग उतनी ही स्त्रियाँ होंगी। ऐसी वहाँ की संस्कृति है। तो वह सारी आपकी संस्कृति अभिहित भारतीय संस्कृति है। और उत्तर भारत की जो संस्कृति है वह मिथित संस्कृति हो गई है। तो स्वच्छ निर्मल और अभिहित संस्कृति लेकर के जायें आप उत्तर भारत में। लेकिन किस भाषा के आधार पर आ सकेंगे, जरा आप देख लीजिए। अगर आपको अपनी ईनिंग करनी है तो थोड़ा

टुकटुका कर सीखना पड़ेगा थोड़ा हिन्दी। तो उन लोगों ने चुपचाप सुना। सारे मेरे व्याख्यान वहाँ हिन्दी में होते थे और उसका तर्जुमा वहाँ किया जाता था। मैं भी थोड़ी तमिल सीखा हूँ। तो दो-चार वाक्य इधर-उधर बोल लेता था, तो मालूम हो जाता था कि अपना ही है और अपनी भाषा के लिए उसको प्रेम है। तो सब प्रकार से उन्होंने मेरे व्याख्यान का गौरव किया।

अब, यह बात मैंने काहे को कही? कि हिन्दी के लिए प्रतिकूल वातावरण वहाँ है, इसका मेरे पर अमर नहीं। अगर हम ठीक ढंग से काम करें और प्रेम से प्रचार करें, लादे नहीं किसी पर और मेरा खयाल है कि गाँविन्ददास जी का भाषा किर्मी पर लादने का विचार नहीं है जहाँ तक उनको मैं ममज्ञता हूँ। मेरे प्यारे भाइयो! मैं दो-चार मिनट और लेके खत्म करूँगा। आपने जिक्र किया गोविन्ददास जी न, कि बाबा ने किर्मी मूर्ति का अनावरण तो आज तक किया नहीं। गाँधी जी की मूर्तियाँ हैं, और मूर्तियाँ हैं। लेकिन बाबाजी ने अनावरण किया नहीं, अगर आज बाबा यहाँ आया है, यह अनहोना बात हो गई है। यह बात ठीक है। तो मैं क्यों मूर्तियों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं हूँ, चिन्तों के लिए क्यों ज्यादा अनुकूल नहीं? और यह टउन पार्क उमका नाम देने के लिए क्यों अनुकूल नहीं? एक दो मिनट में ममज्ञाऊँगा। 'महात्मा गाँधी रोड' बाम्बे, गाँधी जी के स्मारक में नाम दे दिया राम्ने का। पेर मे खबर आई कि 'महात्मा गाँधी रोड पर डाका पडा, महात्मा गाँधी रोड पर कतल हुआ।' तो मूर्तियों का भी यही हाल है—मूर्तियाँ यहाँ खड़ी कर दे—लोग अपनी वन में जा रहे हैं, वाने करने जा रहे हैं, गालियाँ बकते जा रहे हैं, मूर्ति वहाँ खड़ी है। तो मूर्तियों की उपेक्षा करने की आदत पड़ जाती है। अगर ऐसा हो कि मूर्ति खड़ी है। तो जो भी जायेगा वहाँ, एक पाँच मिनट वहीं रुकेगा—परमात्मा का नाम लेकर। फिर आगे बढ़ेगा।—लेकिन मूर्तियाँ खड़ी होनी हैं तो लोगों को तो ठहरने की फुसंत तो है नहीं, तो उनका मारा घवा, जो भी बुरा-भला चलना है, उधर से जायेगे और उन मूर्तियों की उपेक्षा करने की एक आदत पड़ गयी है। फिर भी मैं मानता हूँ कि मूर्तियों का अपना एक स्थान है—उसका पूजक तो हिन्दुस्तान रहा ही है। तो मैं उसका कोई विरोध नहीं करूँगा। लेकिन मैं इसके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं हूँ। और इस मामले में सबसे अधिक महत्व की बात मैं मानता हूँ इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर का चित्र नहोना। मॉहम्मद पैगंबर स्वयं बादशाह थे और नबी भी थे। सन्त और बादशाह दोनों एकट्ठा थे। तो जैसे भगवान कृष्ण थे, तो उनका चित्र बनाना कोई कठिन नहीं था। आप देखते हैं कि हज्जारों चित्र तरह-तरह के बनते हैं, काल्पनिक होते हैं कुछ तो, लेकिन बनते हैं। राम-कृष्ण की तस्वीरें पचासों बनती हैं। और आये दिन तो हम देखते हैं गाँधी जी के चित्र तो जगह-जगह लगा दिये लोगों ने। मेरा खयाल है कि शाब्द इस साल भरमार होगी। इसमें गाँधी जी की महिमा नहीं, यह गणितशास्त्र की महिमा है। गाँधी जी के जन्म के ९९वें साल में यह महिमा नद्दी और एक सी एक साल में नहीं रहेगी। ये शताब्दी में होती है। तो गणितशास्त्र का गौरव है और इस साल तो हज़ जगह चित्र, चित्र चित्रकरेगे और चित्रों की उपेक्षा करने की सब की आदत पड़ जायगी। कहेंगे—'यह तो है, देखा है, चलो आगे बढ़ो।' लेकिन ऐसी कोई अवज्ञा आवाह-आर्गवार्थ, एक १८९१]

मोहम्मद पैगम्बर की नहीं हो सकती। अगर जरा भी इशारा होता उनका, अनुकूलता होती उनकी इसके लिए, तो हजारों चित्र मोहम्मद पैगम्बर के बन सकते थे। उनके जीवन में अनेक किस्से हुए हैं, उन किस्सों को लेके अनेक चित्र बन सकते थे। और दुनिया में ४० करोड़ लोग हैं जो कि उनके नाम से प्रभावित हैं। लेकिन फिर भी उनका चित्रण नहीं ही हुआ। यह तय किया मोहम्मद पैगम्बर ने, जाहिर किया कि मनुष्य का चित्र बिल्कुल गलत और परमात्मा का चित्र तो ही नहीं सकता। समाप्त मामला। दुश्मर से समाप्त और उधर से समाप्त। परमात्मा अव्यक्त है इसलिए उसका चित्र बनाना अपनी कल्पना मात्र हो सकता है। इसलिए वह नहीं चाहिए—नंबर एक। और मनुष्य का चित्र बनाना और उसका महत्व बढ़ाना बिल्कुल गलत। और ये जो इस्लाम की विशेषता है उसके कारण इस्लाम एक बड़ा आकर्षण हुआ है। अब एक चर्चा चली है, समन्वय आश्रम वहाँ है... वहाँ भिन्न भिन्न धर्मों की, भिन्न-भिन्न सस्थाओं की, उनकी मूर्तियाँ वहाँ रखी जायें—कृष्ण की मूर्ति, रामानुज की मूर्ति, राम-कृष्ण की मूर्ति इत्यादि। तो फिर मोहम्मद पैगम्बर का क्या किया जाय? यह सवाल आया। तो बोले कि मोहम्मद पैगम्बर मूर्ति तो रख नहीं सकते, तो हम वास्तु उनका अल्फानहा, उनका जो पहला सुरा है, “अलहन्दो लिस्ला हे रब्बिल आलमीन...” इत्यादि, वह लिखा जाय पत्थर पर और चाँद-मितारे दिखाए जाय मिम्बालिकल। तो मैंने महज पूछा कि समन्वय करने के लिए सब की मूर्तियाँ हो और बीच में यह इस प्रकार की चीज हो? तो मोहम्मद पैगम्बर की विशेषता अत्यन्त प्रकट होगी और तुकसान तो नहीं है, इसे मानना चाहिए। तो इस वास्ते आज की मॉर्टिंग में जो मेरा विचार है मूर्ति के बारे में वह आपके सामने प्रकट किया। मैंने हिन्दू धर्म का एक लक्षण बनाया है—वे दो श्लोक मे हैं—आपके सामने रखना और समाप्त करूँगा।

यो वर्णाश्रमनिष्ठावान्, गोभक्तः श्रुतिमात्रिकः।

मूर्ति च नावजानानि...

मूर्ति की अवज्ञा नहीं करता। यह नहीं लिखा कि मूर्ति की पूजा करना जरूरी है हिन्दू होने के लिए। ‘मूर्ति च नावजानानि, सर्वधर्मसमादरः।’ ‘उत्प्रेषते पुनर्जन्म तरमाग्नोश्च न हीयते। मतानुकूलं भजते सर्वं हिन्दू न विधत्तः।’ तो ‘हिन्’ और ‘दू’ ये दो अक्षर उसमें पडे हैं। तो ‘हिन्’ यानी हिंसा और ‘दू’ यानी ‘दूयते चित्त’ जिसका चित्त हिंसा से दुखित होता है, वह हिन्दू है। ‘हिन्’ यानी हिंसा—दू यानी दुखना—हिंसा से जिसका चित्त दुखित होता है वह हिन्दू है। इस प्रकार से हिन्दू की एक व्याख्या मैंने कर दी। तो उसमें मूर्ति के बारे में यह लिखा कि ‘मूर्ति च नावजानानि’ मूर्ति की अवज्ञा नहीं करते, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हिन्दू धर्म का आदर्श नहीं है। लेकिन मूर्ति की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पूजा करता है तो उसको भग नहीं करना चाहिए—यह हिन्दू धर्म की मर्यादा है।

मेरे प्यारे भाइयो! मैंने आपका काफ़ी समय लिया और मुझे बहुत खुशी है यहाँ आ के। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैंने अनाचरण स्वीकार किया वह टंडन जी की

जी-विविध सेवाएं राजनैतिक क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में और हिन्दी के क्षेत्र में थी। लेकिन उससे आकर्षित हो कर मैं यहाँ आया नहीं हूँ। मैं आया हूँ जो टंडन जी की सत्यनिष्ठा थी, वह जो उनका महान् गुण था, उससे मेरा हृदय खिच गया (करतल ध्वनि)। मैं मानता हूँ एक मामले में गाँधी जी की जो निष्ठा थी सत्य निष्ठा . . . वैसे ही टंडन जी की निष्ठा थी। और कभी उनके व्यक्तित्व-गत जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने हुए, या किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए कभी भी, उन्होंने आश्रय लिया होगा झूठ का—यह संभव नहीं। इतने अत्यन्त निष्ठावान् ये युगपुरुष अत्यन्त निष्ठ थे। तो वह जो उनमें सत्य की उपासना का गुण था उससे मैं अधिक से अधिक प्रभावित हुआ हूँ और इसीलिए मैं आया हूँ। मब को प्रणाम। जयहिन्द !

भाषा-स्वराज्य

द्वार एक व्याख्यान माला तैयार करने के मिलसिले में मुझे गांधीजी के राष्ट्रभाषा-संबंधी विचार लिखित रूप में देखने को मिले। एक बार मन् १९२० ई० में लेकर मन् १९४८ ई० तक का भाषा-संबंधी मंत्रधी मारा चित्र फिर आत्मों के मामले साक्षान् आ गया। गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका से लौट आने पर ही यह विचार बहुत स्पष्ट रूप में देश के सामने रखा था कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है अथवा नहीं। अपने व्याख्यानों और लेखों में बार-बार उन्होंने इसी बात पर जोर दिया। इन विषय में देश में जो आन्दोलन हुए, उसमें पूज्य टंडन जी का प्रमुख हाथ था। उन्होंने महात्मा जी के नेतृत्व में कबूतरी में कथा मिला कर भाषा-स्वराज्य प्राप्त करने का काम किया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर गांधीजी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के टन्दोर के प्रथम अधिवेशन में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार मन्त्रालय की स्थापना कराई और पूज्य टंडन जी के ही कहने से अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा परिषद् (कांग्रेस) के कानपुर अधिवेशन में राष्ट्रभाषा संबंधी प्रस्ताव पास किया। गांधीजी की कल्पना थी, उत्तर भारत में सामान्य जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। वह जानते थे कि इन भाषा की एक अर्बो-फारसी से आकांत शैली है और दूसरी वह जिनमें विदेशी शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्द हैं। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यही कहेंगे कि एक ही भाषा की ये दो शैलियाँ हैं। गांधीजी का विचार था कि इन दोनों शैलियों का एक मिला-जुला रूप निम्न आएगा जो देश की साधारण जनता को चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, स्वीकार होगा। किन्तु गांधीजी की यह आशा निराशा में परिणत हो गई और अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंदी और उर्दू दोनों रूपों को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए और सभी देश प्रेमियों को दोनों सीखनी चाहिए। साथ ही दोनों लिपियाँ भी सीखनी चाहिए। यही पर सम्मेलन और गांधीजी में मतभेद आरम्भ हुआ। सम्मेलन का पक्ष संस्कृत-प्रचुर भाषा के प्रहल की ओर था और लिपि देवनागरी को ही सम्मेलन स्वीकार कर रहा है। गांधीजी उर्दू लिपि और उर्दू भाषा को भी स्वीकार करवाना चाहते थे। सम्मेलन इसपर राजी नहीं हुआ। उस समय सम्मेलन में मैं सक्रिय भाग ले रहा था। मुझे याद है कि वर्षों में किसी समिति की बैठक में गांधीजी ने कहा था कि अब मुझे सम्मेलन छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा कि आप सम्मेलन के महापति रह चुके हैं और उस नाते स्थायी समिति के जीवन पर्यंत सदस्य हैं। आप सम्मेलन नहीं छोड़ सकेंगे। गांधीजी ने तुरत कहा कि क्या आप हमें रख सकेंगे और उस समय टंडन जी और मैं तथा अन्य समिति-सदस्यों ने जोर से कहा कि अवश्य रखेंगे।

वह मौखिक त्यागपत्र गांधी जी का हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों बाद हिंदुस्तानी प्रचार सभा के स्थापित हो जाने पर गांधी जी ने अपना त्यागपत्र भेजा और पूज्य टंडन जी को वह मतेद स्वीकार करना पड़ा। आज ये सब इतिहास की बातें हैं। किन्तु ऐसा लगता है कि हम गांधी जी को सम्मेलन से अलग न होने देने तो देश के लिए अच्छा होता।

संविधान में सम्मेलन की वांछित राष्ट्रभाषा स्वीकार हो जाने के बाद हिंदी-उर्दू का संघर्ष मिट गया। पूज्य टंडन जी हमें यही कहते थे कि हिंदी का आंदोलन भाषा-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए है। इसका संघर्ष किसी भी भारतीय भाषा से नहीं है, इसका संघर्ष तो अंग्रेजी से है। अंग्रेजी का यह संघर्ष अब फिर उग्र रूप धारण कर रहा है। मेरा निवेदन है कि सभी हिंदी प्रेमी इस बात को ठीक तरह से समझ लें और छोटी-मोटी बातों को न केवल भुलावें बल्कि उर्दू आदि भारतीय भाषाओं को अपने मे समेटने का यत्न करें। ऐसा करने में संभव है कुछ बातें हमें ऐसी भी करनी पड़ें जो कि तर्क संगत नहीं हैं और पसंद भी नहीं है तब भी उन्हें करने में मैं कोई बुराई नहीं देखता। गांधी-दर्शन की एक बात मैंने समझी है और वह यह कि प्रत्येक भारतीय और भारतीय वर्ग हमारे अपने संघ है। और यदि वह गलत चीज भी मनवाना चाहते हैं तो हमें मंत्राति मान लेना चाहिए, और इस प्रकार उमको संतोष दे कर उमके हृदय में परिवर्तन लाना चाहिए। इस दृष्टि से काम करने से ही संभव है कि हम देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर सकेंगे। भारत में भाषा-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तन-मन-धन से प्रयत्न करने वालों को पूज्य गांधी जी और पूज्य टंडन जी दोनों के नाम सर्वदा सर्वप्रथम लिये जाएंगे।

राजनीतिक दृष्टि से पराधीन देश अर्न्तबाह्य दोहरी यातना से पीड़ित रहता है, क्योंकि बाह्यबन्धन उसके अन्तर्जगत् का भी बन्धन बन जाता है। ऐसे युग में जो स्थिति-परिवर्तन का प्रयत्न और मुक्ति के साधनों की खोज करते हैं वे एकाकी नहीं होते। उन्हें अपने देश के बाह्य और अन्तर्जगत की मुक्ति का प्रयत्न करना पड़ता है, अतः उनका लक्ष्य राजनीतिक मुक्ति मात्र न होकर, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि मुक्तियों का संयात् ही रहता है।

लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व इन्हीं मूल्यों को प्रमाणित करते हैं। वे प्रथमतः चिन्तक और अन्ततः कर्मनिष्ठ सैनिक हैं, अतः न राजनीतिक लक्ष्य तक उनकी दृष्टि सीमित है और न मनुष्य की बाल स्वाधीनता उनके प्रयत्नों की सीमा है। इतना ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र के अन्तर् में उनके निकट ओछे पड़ जाते हैं। मानव-कल्याण के सर्वमान्य सिद्धांत ही उनके साधन हैं, जिससे वे जीवन को समग्रता में स्पर्श करते चलते हैं।

उम युग की जाग्रत चेतना के उत्तराधिकारी होने के कारण टंडन जी भी जीवन का उमकी ममप्रता में देखने के अन्तर्भासी हों तो इसे स्वाभाविक ही कहा जायगा। राजनीतिक क्षेत्र में तो वापू का अन्तर्गमन ही करणीय था, किन्तु सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी कल्पना को वर्म की अधिक उर्ध्वधर्मी प्राप्ति हुई। पराधीन देश की वाणी भी बन्दिनी हो जाती है, अतः उसकी आत्मा का स्वर सुनने के लिए वाणी की मुक्तावस्था भी अनिवार्य हो उठती है। इस दिशा में श्री टंडन जी के प्रयास देशव्यापी ही नहीं जीवनव्यापी सार्थकता पा सके हैं।

जीवन के वनस्पति में ही उन्होंने मुल्ल-सुविधामय जीवन के स्थान में निरन्तर संघर्षमय जीवन, सम्पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार किया। इसके अनिश्चित, उन्होंने मानों परिग्रह की ओर न द्वार बन्द कर लेने के लिए ही लोक सेवक मण्डल को अपना जीवन निवेदित कर दिया। कारागार के भीतर और बाहर के अनिश्चित आवागमन के क्रम में भी उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जीवन के हर अंबेरे कोने को आलोकित करने का प्रयास करती रही।

राजनीति, टंडन जी का आपद्-धर्म साधना स्वधर्म और सस्कृति उनका व्यापक जीवन-धर्म रही है। ऐसी स्थिति में, राजनीति उनकी जीवन-नीति से शामिल होकर ही क्रियाशील हो सकती थी। जिस युग में राजनीति देश की सर्वांगीण मुक्ति का साधन मात्र थी, उस युग में जीवन की व्यापक और सर्वमान्य नीति से उनका संघर्ष सम्भव नहीं था। किन्तु जब शासन-स्वातन्त्र्य के उपरान्त राजनीति साधन से साध्य बन गई तब अन्य व्यापक और उदात्त नीतियों से उसका सघर्ष स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य हो उठा। आज वह आपद्धर्म न होकर चुनाव-विजिनीया का एक मात्र स्वधर्म है। अतः टंडन जी जैसे साधको का, राजनीति की लक्ष्यपरेखा में बन्दी न रहना ही स्वाभाविक कहा जायगा। जीवन सीमित है—उसमें प्रहर बनते मिटते हैं, उषःकाल और सन्ध्या-वेला आते-जाते हैं, किन्तु साधना में न कोई प्रहर है न याम न उमने प्रभात है, न संध्या। वह तो कालानीत आलोक की अकूल अछोर तरंग है जो जीवन का स्पर्श उजबल कर देती है।

आचार्य-सामर्थी, शक १८९१]

राजनीतिक दृष्टि से पराधीन देश अन्नबाह्य दोहरी यातना से पीड़ित रहता है, क्योंकि बाह्यबन्धन उसके अन्तर्जगत का भी बन्धन बन जाता है। ऐसे युग में जो स्थिति-परिवर्तन का प्रयत्न और मुक्ति के साधनों की खोज करते हैं वे एकाकी नहीं होते। उन्हें अपने देश के बाह्य और अन्नजगत की मुक्ति का प्रयत्न करना पड़ता है, अतः उनका लक्ष्य राजनीतिक, मुक्ति मात्र न होकर, साम्प्रतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि मूल्यों का सवात ही रहता है।

लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व इसी सत्य का प्रमाणित करने हैं। वे प्रथम चिन्तक और अन्ततः कर्मनिष्ठ सैनिक हैं, अतः न राजनीतिक लक्ष्य तक उनकी दृष्टि सीमित है और न मनुष्य की बाल स्वार्थानता उनके प्रयत्नों का र्थिमा है। इतना ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र के अन्तर्गत् उनको निकट आते पड़ जाते हैं। मानव-कल्याण के सर्वमान्य सिद्धान्त ही उनके साधन हैं, जिसमें वे जीवन का समग्रता में मग्न करने चलते हैं।

उम्र युग का जाग्रत चेतना से उन्नत कार्यकारी होने से कारण टंडन जी भी जीवन का उसकी समग्रता में स्थान के अन्तर्गत् ही न तो उसे स्वाभाविक ही कहा जायगा। राजनीतिक क्षेत्र में तो राष्ट्र का अग्रमन ही करणीय था, किन्तु साम्प्रतिक क्षेत्र में उनकी कल्पना को बर्षों की अधिक उर्वर धर्म प्राप्त हो सका। पराधीन देश की वाणी भी बहिर्दली हो जाती है, अतः उसकी आरम्भ का स्वर मृतन के लिए वाणी की मक्तावस्था में अनिवार्य हो उठती है। उम्र दिशा में श्री टंडन जी के प्रधान देशध्यायी ही नही जीवनध्यायी साधकता पा सके हैं।

जीवन के वगमन में ही उन्होंने मृत्यु-मृविधामय जीवन के स्थान में निरन्तर मनुष्यमय जीवन, सम्पूर्ण निरुत्थान के साथ रचीकार किया। उसके अतिरिक्त, उन्होंने माना परिग्रह की ओर सद्धार बन्द कर लेने के लिए ही लोक सेवक मण्डल को अपना जीवन निवेदित कर दिया। कारागार के भीतर और बाहर के आनन्दिष्ठ आवागमन के क्रम में भी उनकी साम्प्रतिक दृष्टि जीवन के हर अंगरे कोन का आलोकित करने का प्रयाग करनी रही।

राजनीति, टंडन जी का आपद्-धर्म साधना स्वधर्म और सम्प्रति उनका व्यापक जीवन-धर्म रही है। ऐसी स्थिति में, राजनीति उनकी जीवन-नीति में शामिल होकर ही क्रियाशील हो सकती थी। जिस युग में राजनीति देश की सर्वोच्च मुक्ति का साधन मात्र थी, उम्र युग में जीवन का व्यापक और सर्वमान्य नीति में उसका मध्य सम्भव नहीं था। किन्तु जय शागत-स्वातन्त्र्य के उपरान्त राजनीति साधन में माध्य बन गई तब अन्य व्यापक और उदात्त नीतियों में उसका मध्य स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य हो उठा। आज वह आपद्धर्म न होकर वनविजिगीषा का एक मात्र स्वधर्म है। अतः टंडन जी जैसे साधकों का, राजनीतिक की लक्ष्यमण्डल में बन्दी न रहना ही स्वाभाविक कहा जायगा। जीवन सीमित है—उम्र में प्रहर बनते मिटने है, उस काल और मन्ध्या-वेला आते-जाते है, किन्तु साधना में न कोई प्रहर है न याम न उम्र में प्रभात है, न मध्या। वह तो कालान्ति आलोक की अकाल अछोर तरंग है जो जीवन का रणनी ज्वल कर देती है।

आषाढ-मार्गशीर्ष, शक १८९१]

पूज्य बाबूजी का नैतिक व्यक्तित्व

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन के आदर्श जीवन की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, तब उनके विविध लोक-सेवा-कार्य हृदयत् हमारे सामने आ जाते हैं। वे कार्य है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक। अपनी-अपनी अभिवृत्ति और अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार टंडन जी के जीवन के किन्हीं एक पहलु का हमलोग ले लेते हैं और उन्हीं पर सोचते हैं और कहते हैं और लिखते हैं।

एक समीक्षक का कहना है कि टंडन जी मफल राजनीति नहीं थे, राजनीति में दौड़पैदों से जैसा चाहिए पैसा उनका परिचय नहीं था। यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष-पद को छोड़ कर उन्होंने अपनी कमजोरी ही दिखाई थी। गहरी-गहरी के कहने में यदि वह कार्य-कारिणी में एक-दो व्यक्तियों को शामिल कर लेते या एकाध का छात्र बनें, तो उससे ऐसा क्या बिगड़नेवाला था? पर वह तो अपनी जिद पर अड़ गए और अंत में उन्होंने अध्यक्ष-पद ही छोड़ दिया। टंडन जी की दलील, जो नीति के पाए पर नहीं थी, बहुत से मित्रों के गले नहीं उतरी क्योंकि अबसर उसी सुपरिचित राजनीति को माना जाता है, जो कितने ही रंगों को पल-पल पर पलटना जानती है, जिसमें अपने कुछ साथियों को गिरा कर अपने आपको उठाया जा सकता है और उसूलों का जिसमें कोई गहरा अर्थ नहीं लगाया जाता। आवश्यक्यं यही था कि राजनीति में अघकच्चे होते हुए भी वह कांग्रेस के उच्च शिखर तक आकर पहुँचे कैसे! यदि वह स्वयं ही उस पर चढ़ गए, तो उन्होंने रास्ता कोई गलत नहीं पकड़ा था, बल्कि प्रयास वह ऊँचा ही था। और यदि दूसरी ने यानी जनता के बहुत बड़े हिस्से ने उनका उस पद तक पहुँचाया था तो उसका भी वह कदम गलत क्यों कहा जाए? देश की सेवा टंडन जी ने कई अनेक लोक-नेताओं की तरह, उस युग में की थी, जिस पर भोगवाद हावी नहीं हों पाया था। जनसेवा के उस क्षेत्र तक पहुँचने में तब राजनीति के पर कांपा करते थे। उत्तर प्रदेश के मजलूम किसानों के अन्दर उसी जमाने में टंडन जी ने प्राण फूँके थे, किसान-समाजों का मजबूत संगठन किया था। तत्कालीन शासकों ने भी इस संगठन को राजनीति का एक पुस्ता कदम माना था। जमींदारी और ताल्लुकेदारी के पैरों से कुचले हुए किसानों ने टंडन जी को एक त्राता के रूप में देखा और पहचाना था।

समाज के उपेक्षित और आत्मीरि पंक्ति में खड़े हुए उस अंग में, जिसे छूने से भी परहेज किया जाता था, अपने प्रति ममताभरी स्नेह की भावना टंडन जी में पाई थी। जो समाज और जो घराना अस्पृश्यता को मानता था, उसे टंडन जी ने ललकारा, उसके खिलाफ विद्रोह किया।

सड़ी-गली रुढ़ि को तोड़ कर फेंक दिया। यहाँ तक कहा और माना कि भंगी को मल मूत्र ठठाने का मन्दा पेशा सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। अपना कमोड भी उन्होंने कई बार अपने हाथों से साफ किया। समाज में प्रचलित और भी अनेक कुरीतियों को मानने से उन्होंने स्वयं तो इन्कार किया ही, दूसरों को भी उनके विरुद्ध विद्रोह खड़ा करने की सलाह दी।

जब जहाँ कोई संकट आया, टंडन जी वहाँ तत्काल पहुँचे, उनके निवारण का काम उन्होने स्वयं किया तथा अपने साथियों से भी कराया। तब स्वभावतः यह कहा गया कि टंडन जी को समाज-सेवक मानना ही अधिक उपयुक्त है।

टंडन जी के अनेक समीक्षकों, बल्कि भक्तों ने उनको भारतीय संस्कृति का उद्धारक माना। 'राजर्षि' की उपाधि से भी इसी कारण उनको अलंकृत किया गया। सांस्कृतिक प्रलो में, इसमें सन्देह नहीं वह गहरी रूचि रखते थे। किन्तु कुछ गलतफहमी भी किसी-किसी को हो जाती थी। हिन्दू धर्म की चन्द घिसी-पिसी मान्यताओं या परम्पराओं पर विस्वास करना, इसी को बहुतेरे लोग संस्कृति मानते हैं। टंडन जी ऐसे विषयों से बहुत दूर थे। 'कल्चर' शब्द को भी वह संस्कृति के रूप में नहीं लेते थे। जो कृति सम्यक् हो, सच्ची हो, दूसरो का उद्वेग करने वाली न हो और सब प्रकार से समीचीन हो, सुन्दर हो, उमी को वह भारतीय संस्कृति मानते थे। वह आक्रमणात्मक नहीं, किन्तु समन्वयात्मक थे। मगर समन्वय वह, जिसमें न तो तुप्टीकरण होता है और न स्वार्थ की गन्ध पाई जाती है। इसी सरकृति के टंडन जी उपासक थे और इसी के पुनरुद्धार के लिए वह व्याकुल रहते थे। इस अर्थ में, दुर्भाग्य है कि, टण्डनजी को सही तौर पर नहीं पहचाना गया।

अनेक समीक्षकों ने टंडन जी को एक साहित्यिक के रूप में लिया है, किन्तु कुछेक के मत में वह साहित्यिक नहीं थे, पर साहित्य के एक ऊँचे प्रेमी निम्नदेह थे। जिन्होंने उनको साहित्यिक माना, उन्होने उनका हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष-पद में दिया गया भाषण, उनके कुछ फुटकर लेख और दार्शनिक उनकी रची कविताओं को उदाहरण के तौर पर सामने रखा। जिन समीक्षकों ने साहित्यकारों की श्रेणी में टंडन जी को बैठाने में हिचकिचाहट दिखाई उनके सामने तो कुछ पुराने तथा कुछ नए रीति-सिद्धान्तों के चीखटे पड़े हुए थे। परन्तु एक बहुत बड़े बहुमत ने यह तो माना ही कि टंडन जी की अनन्य निष्ठा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रति थी। मगर इस तथ्य की तह तक बहुत बम समीक्षक पहुँचे तूँगे कि ऐसा क्या था। तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा है कि वही शरीर सबसे सुन्दर और सर्वोत्तम है जिसके द्वारा राम का दर्शन हो सके। टंडन जी ने भी सम्मेलन के प्रति इसीलिए अनन्य ममत्व रखा कि उनका विद्वान् था कि इस सस्था के द्वारा सारे राष्ट्र में हिन्दी का प्रचार होगा और हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो विभिन्न प्रदेशों के को ऐक्य-सूत्र में बाँध सकती है। इस विद्वान् से रहित सम्मेलन उनके पूजा-गृह में स्थापित कोई शालिग्राम की बटिया नहीं था।

टंडन जी को कई समीक्षकों ने एक धार्मिक पुरुष के रूप में देखा है और कुछेक टीकाकारों ने सो उन्हें एक पंथ-विशेष का अनुयायी ही कहा है। यह सही है कि राधास्वामी-पंथ के साथ सम्बन्ध-परमर्शपूर्ण, शक १८९१]

उनका पैतृक सम्बन्ध था, परन्तु वास्तव में उनकी व्यापक दृष्टि पंथों और सम्प्रदायों से बहुत परे थी। हर एक धर्म की बुनियादी मन्त्रियों के प्रति उनके हृदय में पूरा जादर-भाव था। अर्थहीन रुढ़ियों के वह कभी कायल नहीं थे। बुद्धि को, बगैर हृदय की अवहेलना किए, उन्होंने मदा ही आगे रखा था।

सो, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न दृष्टियों से टंडन जी को उनके ममीझकों और मित्रों ने देखा, उन्हें ममझने का भी प्रयत्न किया। देखनेवालों की दृष्टि में उनका रूप वैसा ही हो सकता था, जैसा कि उन्होंने देखा। परन्तु केवल वही उनका रूप नहीं था। वह किसी की दृष्टि में सफल तो किसी के दृष्टि में विफल राजनीतिक व्यक्ति थे। किसी की समझ में पूरे तो किसी की समझ में आंशिक रूप में वह समाज-सेवक थे। कोई-कोई मानते थे कि वह भारतीय या केवल हिन्दू-संस्कृति के उपासक थे। किसी-किसी का कहना था, कि वह स्वभाव से तो माहिन्धिक थे, परन्तु परिस्थितियों के कारण साहित्य-क्षेत्र में 'फिट' नहीं हो सके। यह तो हममें से बहुतेरे मानते हैं कि हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए टंडन जी ने अपने जीवन में सब से अधिक काम किया। परन्तु यहाँ भी उनके उस सही हेतु को बहुतेरो ने नहीं समझा, जिसके मूल में एक परिणाम में विशुद्ध राष्ट्रीय ऐक्य की भावना निहित है, जो सर्वथा असाम्प्रदायिक है। जहाँ तक उनके धार्मिक पुरुष होने की बात कही गई, उसमें अधिक मनभेद की गृहांश नहीं पाई गई। प्रायः सभी ने टंडन जी को एक सन्त पुरुष माना।

किसी पारदर्शी यंत्र से टंडन जी के आन्तरिक जीवन को झाँका जाए, तो उनकी राजनीति, उनकी समाज-सेवा, उनकी सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, साहित्य और हिन्दी के प्रति उनकी गहरी निष्ठा तथा उनकी मनुष्य धर्म-प्रियता इन सभी के मूल में हम उनका एक ही लक्ष्य पाते हैं, जो था सत्य, और जिमकी सिद्धि के लिए साधना थी नैतिक। नीति भी वह, जो अपने साथ 'राज' या ऐसे ही किसी दूसरे शब्द का जोड़ना पसंद नहीं करती है, वह अपने आप में अपने आप को पूर्ण मानती है। इसी नीति का हाथ पकड़ कर टंडन जी ने सत्य तक पहुँचने का जीवन भर अनेक क्षेत्रों में प्रयास किया। उनके विविध जीवन-कार्यों का दर्शन एवं विदलेषण उनके इसी साध्य और साधन के द्वारा हो सकता है। इन दो को छोड़ कर ऊपर-ऊपर से उनके किए हुए किसी भी कार्य को हम देखेंगे, तो सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकेंगे।

डाक्टर सूर्यनारायण व्यास

आदर्श महामानव राजर्षि टंडन जी

राजर्षि टंडनजी के सर्वप्रथम दर्शन का सुयोग मझे भरतपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समय मिला था, तभी से मुझ पर उनकी असीम कृपा रही है। सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए उस रोज बाबा राधवदास आए थे, वे भी उसी कक्ष में पहुंच गए जहाँ माननीय टंडनजी ठहरे हुए थे, टंडन जी ने बाबाजी के लिए तुरंत एक नया खादी का चादर निकाला और बाबाजी को ओढ़ा दिया, और दोनों ने प्रेमपूर्वक कण्ठालेष किया। वहाँ हम लोग जो बैठे हुए थे, इस प्रेमपूर्ण मिलन को देख गद् गद् हो उठे थे।

इसके बाद वर्षों प्रत्यक्ष सेंट का कोई अवसर नहीं मिला। हाँ, कांग्रेस के अधिवेशनों में ६२ में दर्शन होने रहे। सन् १९४० में यह (मध्यभारत) में मध्य भारतीय हिन्दी साहित्यसम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ, और उसकी अध्यक्षता के लिए मझे विचार बनाया गया था। उस समय एक प्रस्ताव स्वीकृत करवाया गया था कि मध्य भारत में एक स्वतंत्र हिन्दी विश्व विद्यालय की स्थापना की जाए। इस प्रस्ताव पर हजारों हस्ताक्षर लेकर हम लोगों ने एक अभियान आरंभ किया और पूरे मध्यभारत में विश्व-विद्यालय दिवस मनाया गया। इसी संदर्भ में उज्जैन में भी एक विशेष आयोजन किया गया। हमने सोचा कि अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति को भी उज्जैन में आमंत्रित किया जाए, और उसमें बाबू जी, अमरनाथ झा आदि को विशेष रूप में आमंत्रित किया जाए। बाबूजी से निवेदन किया गया, उन्होंने कृपा कर हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, सम्मेलन में शायद यह पहली घटना थी कि उनकी स्थायी समिति का अधिवेशन कहीं प्रयाग में बाहर किया गया हो। बाबूजी उज्जैन आए, तीन दिनों तक रहे, यह भीटिंग बहाने महत्वपूर्ण हुई थी, इसमें विश्वविद्यालय की रूपरेखा पर विचार किया गया था और सम्मेलन ने पूरी तरह समर्थन देने का निश्चय किया था। यही नहीं स्वयं बाबूजी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल महाराजा खालियर के निकट भेजने का भी निश्चय किया गया था। इस मीटिंग में विशेष रूप से खालियर राज्य के दो शासकीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे, एक बैरिस्टर बृजकिशोर चतुर्वेदी (अब स्वर्गीय) जो उन दिनों राज्य के गृहसचिव थे तथा श्री दामोदा जॉ गिप्सा के डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर जनरल थे। इन्होंने विशेष रूप से विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित चर्चा के लिए ही शासन ने सभा में निजवाया था। इसके पश्चात् सार्वजनिक सभाओं में भी बाबूजी ने विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में बहुत महत्वपूर्ण एवं ओजस्वी भाषण दिए थे, इनका प्रभाव

आचार्य-संस्मृतिका, स.क. १८९१]

शासन पर बहुत अनुकूल हुआ था। इसी के बाद आबोहर सम्मेलन होने वाला था, वहाँ हमने मध्य भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से दो प्रतिनिधियों को बाबूजी के अनुरोध पर भिजवाया था, और उस सम्मेलन में विश्वविद्यालय के विषय में एक प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था, तथा महाराजा खालियर से बाबूजी का पत्र व्यवहार भी हुआ था, ऐसे अनेकों प्रयासों के फलस्वरूप उज्जैन में विक्रम विश्व-विद्यालय की स्थापना हुई सकी है जिसमें राजर्षि टण्डन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस समय मैंने विक्रम-संवत् के दो हजार वर्ष पूर्ण हो रहे थे, उस समय महत्त्वाब्दी मनाने का देशव्यापी प्रयत्न आरंभ किया, उसमें विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रम कीर्ति मंदिर, विक्रम स्मृति ग्रंथ के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था। इस ममारोह के नेतृत्व लेने के लिए महाराजा खालियर से अनुरोध किया, और कृपाकर उन्होंने स्वीकार कर एक लाख रुपये देकर कार्य आरंभ किया। उसमें मेरे तीनों प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, और विक्रम विश्वविद्यालय की रूपरेखा बनाने के लिए महाराजा ने सर राधाकृष्णन्, अमरनाथ झा, आदि चार सदस्यों की समेटी बनाई, और रिपोर्ट तैयार होने पर ४० लाख रुपये देने की घोषणा की। इसी तरह विक्रम कीर्ति मंदिर भी उज्जैन में स्थापित हो गया (४ लाख की लागत से) तथा हिन्दी-भारती और अंग्रेजी में २००० पृष्ठों के विक्रम स्मृति ग्रंथों का प्रकाशन भी हुआ।

उन्के पश्चात् जब हरिद्वार में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ (१९४२) उस समय बाबूजी के आदेश के अनुसार ही विज्ञान-परिषद् की अध्यक्षता करना स्वीकार कर हरिद्वार गया था। मेरा भाषण सुनकर सर्वप्रथम बाबूजी ने बड़े वात्सल्य के साथ मुझे हृदय से लगाकर कहा था कि "विज्ञान जैसे रक्ष समझे जानेवाले विषय पर इतना सुंदर साहित्यिक भाषण आज सुना कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई—बचाई" मेरे लिए बाबूजी के ये शब्द १०० 'पद्मभूषणों' की उपाधि से बहुत महत्व के बन गए। मैं नतवदन हो गया था।

समयतः १९४६ की बात है। मुझे डिफेन्स ऑफ इण्डिया के अन्दर अपने ही स्थान पर स्वावलंब (नजरबंद) कर लिया गया था, जब पत्रों से बाबूजी ने यह जाना तो जामन को 'तार' देकर अपनी-नाराजी प्रकट की, और उस समय के कांग्रेसी अध्यक्ष डा० पट्टाभि सीता रामैया से कह कर शासन के प्रति विरोध प्रगट करवाया, इस प्रकार बाबूजी की मुझपर सबैव असीम कृपा बनी रही। आखिर मे बाबूजी से मेरी भेट इवार में कांग्रेस के अधिवेशन के समय हुई। बाबूजी अकेले तर्क से टिके हुए बैठे हुए थे, पंडितजी (नेहरूजी) का भाषण चल रहा था। और बाबूजी उसी सन्दर्भ में मुझे से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने जा रहे थे, लगभग आधा घण्टा हम लोगों की विभिन्न चर्चा होती रही, मेरे लिए यही अंतिम दर्शन थे, उसके बाद कभी अबसर नहीं आया। किंतु बाबूजी का विक्रम विश्व-विद्यालय की स्थापना में जो योग्य रहा वह कभी विस्मृत नहीं हो सकेगा। मेरा यह स्वप्न साकार करने में बाबूजी का मुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ था, मैं बाबूजी के प्रति अनेक आदर भाव रखता आया हूँ। उनके जैसे आदर्श, निष्ठाशील, विद्वान्, सिद्धांत प्रिय, न्याय-तत्पर और मानवमौलिक महामानव तथा उच्चकोटि के पुरुष एवं आजन्म हिन्दी के उन्नायक की पावन स्मृति में मेरा अर्घ्य अर्पित है।

हिन्दी-गंगा के भगीरथ

युग-पुरुषोत्तम, महान् सन्त, राजर्षि इंद्रन श्रीमद्भगवद्गीता-निर्दिष्ट 'स्थितप्रज्ञ' योगी थे। वे ऐसे महात्मा थे, जो मन, अचन और कर्म में एक होते हैं, जिनका 'कृप-श्ल-अपंच मे बहुत दूर रहता है - 'मनस्येकं बचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्'। वे राष्ट्र के हित को ही सर्वोपरि समझते थे और उसी के लिए समर्पित थे। वे एक प्रह्लाद मगठन गर्ता थे: पर गिर'हन-दी या गुठबंदी से गंदे कीचड़ से सबादूर रहे। इसीलिए हम उन्हें लीडर न कह ऋषि और संत कहते हैं। भेड़ों को अपने पीछे चला लेना कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु प्रबुद्ध विद्वानों को एक जगह लाकर रखना बहुत कठिन है। राजर्षि टंडन जिस संगठन के 'प्राण' थे, वह प्रबुद्ध राष्ट्रभक्तों का संगठन (नव) था। वे सब सोचने की शक्ति रखते थे और सोच-विचार कर, अपना मत प्रकट करते थे। विचार-मन्थन के बाद जो निर्णय होता था, उसे सब शिरोधार्य करने थे। यह सब इसलिए होता था कि राजर्षि टंडन उम संगठन के सचालक थे।

राजर्षि टंडन अपने विवेक राष्ट्रीय क्षेत्र में अप्रतिम थे; अब भी है और मदा रहेंगे। कुछ मतापुरुष अद्वितीय हुए हैं। हम अपने इस पिछले युग की बात कर रहे हैं, जिसके सम्पर्क में हम रहे हैं। लोकमान्य पं० बालगंगाधर तिलक जैसा महान् विद्वान् कोई दूसरा नहीं हुआ; महर्षि पं० मदनमोहन मालवीय जैसा समन्तोभद्र (विविध राष्ट्रीय कार्यों में व्यस्त) समन्वयी नेता कोई दूसरा नहीं देखा गया; महात्मा गांधी को राष्ट्र का जो व्यापक सम्मान तथा विश्वास प्राप्त हुआ, वह अन्य किसी भी नेता को नहीं; निर्वासित जीवन में भी दुर्भ्रंश सैन्य-संगठन करके राष्ट्र-शत्रु से लोहा लेने में अमर सेनानी, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ('आजाद हिन्द सरकार के प्रथम प्रेसीडेंट') श्री सुभाषचन्द्र बोस के समान इस युग में कोई दूसरा नहीं हुआ। हाँ, बहुत पहले (नेता युग में) भगवान् रामचन्द्र ने वह काम जरूर किया था। और, अपनी राष्ट्रभाषा (हिन्दी) को सविधान द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने में राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन सर्वोपरि हैं।

गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का काम बहुतां ने किया था; परन्तु लाए भगीरथ। बहुत बाधाएँ आईं, शंकर की जटाओं ने उस बेगवती धारा को कुछ काल तक उलझाए रखा; परन्तु फिर भगीरथ ने जोर मारा और उस चक्कर से निकल आई—पृथ्वी पर (ममत्तल में) आ गई। हिन्दी की गंगा को ब्रह्म लोक से पृथ्वी पर लाने का प्रयास भी टंडन जी से पहले कुछ महापुरुषों ने किया था—साहित्य-क्षेत्र से आगे (राज-लोक) में उसे ले आने का प्रयत्न किया था।

महर्षि मालवीय ने बड़ी ही कठिनाई से उत्तर प्रदेश की सरकारी अदालतों में नागरी लिपि को (फारसी लिपि के साथ) बैठाया था; यद्यपि वह जम न पाई थी। सन् १९१० के अक्टूबर की १० तारीख हमारे राष्ट्र के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, जिस दिन 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' का जन्म हुआ। सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष महर्षि मालवीय निर्वाचित हुए, वे स्वामी रूप 'सम्मेलन' को मिला और प्रथम मंत्री निर्वाचित हुए—बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील। टंडनजी प्रयाग के ऋषि प० बालकृष्ण भट्ट के हिन्दी-शिक्षक और मन्त्रिण मालवीय के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रकट हो चुके थे। 'सम्मेलन' का कार्यालय बना टंडन जी का कमरा और उनका (अदालती) मुंशी ही 'सम्मेलन' का सचिव सम्मेलन आगे बढ़ा; अनेक मंत्री बने और टंडनजी प्रधान मंत्री बने। सम्मेलन का पृथक् कार्यालय भी बना। देश में राष्ट्रीय भावना से सम्मेलन को पूर्ण समर्थन मिला। 'सम्मेलन' के वापिक अधिवेशन के विभिन्न प्रदेशों के (कलकत्ता जैसे) बड़े नगरों में हुए, जिनके अध्यक्ष महान् साहित्य-कार, चोटी के विद्वान् तथा शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ वर्णन किए गए थे। मातृपि माडल न 'सम्मेलन' को बल दिया और यह बल प्राप्त हुआ टंडन जी के अध्यक्षता से।

आठवें अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए टंडन जी की दृष्टि कर्मवीर मांहीनदास कर्मचारी गांधी पर गई, जो उस समय एक उदीयमान शक्ति के रूप में प्रकट हो रहे थे और हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रहास कर रहे थे। टंडन जी श्रावित थे—'ऋषिर्दत्तान्'। बहुत आगे की बात को देख-गमन लेते थे। भयवान् ने उन्हें यह शक्ति दी थी। उन्होंने समझ लिया कि यह उदीयमान शक्ति माधारण नहीं है। उन्होंने 'कर्मवीर गांधी' जो का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित कर दिया और सम्मेलन के इस आठवें (इन्दौर) अधिवेशन पर गांधीजी का बल पूर्ण रूप से हिन्दी को मिला। राष्ट्रीय अन्दोलनों का मंचालन काप्रेस तथा सम्मेलन के द्वारा हो रहा था—स्वातंत्र्य तथा राष्ट्रभाषा के प्रति भावना साथ-साथ आगे बढ़ रही थी। एक का मंचालन गांधी जी के हाथ में था और दूसरे का टंडन जी के हाथ में।

महात्मा गांधी की नई राष्ट्रभाषा

दस-गन्नाह वर्षों तक महात्मा गांधी मार्ग रहे—सम्मेलन में टंडन जी के और टंडन जी काप्रेस में गांधीजी के एक तेजस्वी नायबों में एक, परन्तु आगे चल कर महात्मा गांधी ने अपना मत एक दूसरे रूप में प्रकट किया। हिन्दी का वह रूप उन्होंने राजभाषा के लिए स्वीकार किया, जो 'सरल उर्दू' के नाम से जाना जाता है। इसका नाम 'हिन्दुस्तानी' तथा नहीं, अंग्रेजों का रखा हुआ है। उसी 'हिन्दुस्तानी' को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में महात्मा जी ने पसन्द किया तथा इस भाषा के लिए नागरी और फारसी दोनों लिपियों का समान रूप से उपयोग उन्होंने पसन्द किया। सो ठीक; परन्तु 'सम्मेलन' को भी उन्होंने जब उसी 'हिन्दुस्तानी' का समर्थन-प्रचार करने का कहा, तब मत-भेद 'बाबूजी' और 'वापूजी', में हुआ। हिन्दी की धारा बगवती थी और भगीरथ भी सचेत थे; फिर भी हिन्दुस्तानी की उत्तुंग शैलश्रेणियों में—शिव-जटाजूट

में—कुछ समय तक चक्कर काटने पड़े। भगीरथ सिव-मन्त्र से और शिवजी गंगा को उलझाए रखने के पक्ष में न थे; फिर भी वह उलझन वाही गई। भगवान् की छुपा, गंगा की शक्ति तथा भवीश्व की तपस्या थी कि उस चक्कर से किसी तरह पिंड छूटा और फिर भगीरथ उस पवित्र जीवनधारा को संविधान-समुद्र तक ले गए। 'गंगा-सागर' बड़े महत्त्व की चीज है और अब गंगा को सागर से पूथक करना किसी के बस की बात बात नहीं है।

एक बात स्पष्ट है कि देश में स्वतंत्रता के लिए कोई भी प्रयत्न न हुआ होता, तो भी सन् १९४५-४६ में पराधीनता की बेड़ियाँ कट जातीं। हर हिटलर की तलवार ने संसार के सभी देशों को (मायि—बिन मायि) स्वराज देने की स्थिति ला दी थी। परन्तु हिन्दी के लिए वह प्रयत्न न होता, तो अंग्रेजी पिंड न छोड़ती।

शंकर आशुतोष हैं, भोले भी हैं

भगवान् शंकर आशुतोष हैं और 'भोले बाबा' भी हैं। कभी-कभी राक्षस भी उनकी भक्ति करके बड़े-बड़े बगवान्-समर्पण प्राप्त करते रहे हैं और उसी के कारण लोक-स्थिति खलते में पड़ती रही है। वैसी स्थिति शंकर के लिए भी बड़ी चिन्ताजनक हुई; परन्तु भगवान् विष्णु बराबर ऐसी स्थिति में अपनी शक्ति काम में लाते रहे हैं और फिर सब ठीक हो जाता रहा है। फिर भी, विष्णु को कभी किसी ने 'शंकर' नहीं कहा। स्वयं विष्णु भी उन्हें ही 'शंकर' कह कर पूर्ण सम्मान देते रहे हैं, जिनके भोलैपन से वैसी भयकर स्थिति पैदा हो जाती रही है।

सन् १९२२-२३ के आन्दोलन में गांधी जी जब जेल में रहे, तो सभी तरह के भक्तों को उनके निकट-सम्पर्क में रहने का सुअवसर मिल गया। वहाँ कुछ भक्तों ने उन्हें 'अपनी' बातें समझा दीं। बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि 'हिन्दू-मुस्लिम मेल के बिना स्वराज मिल नहीं सकता।' इसलिए हमें उस का ध्यान सदा रखना है।

गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि 'सम्मेलन' की परीक्षाओं में महाकवि भूषण के वे पद्य न रहने चाहिए जिनसे मुसलमान बुरा मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा—'सत्यार्थप्रकाश' में दूसरे मजहबों की कबी निन्दा की गई है और यह ठीक नहीं है। इस पर आर्यसमाजी बहुत छुट्ट हुए और कहा कि उन दूसरे मजहबों के ग्रन्थों के बारे में गांधी जी ने कुछ भी नहीं कहा, जिनमें अन्य मजहबों के बारे में घातक बातें कही गई हैं। कुछ दिनों तक आर्यसमाज में बड़ा रोष रहा और फिर धीरे-धीरे शान्ति हो गई।

'भूषण'—काव्य के बारे में 'सम्मेलन' ने विचार किया। सर्वसम्मति से निर्णय यह था कि महाकवि भूषण के काव्य में कहीं भी कोई साम्प्रदायिक विद्वेष नहीं है। उन्होंने केवल आत-तापी औरंगजेब की ही भर्त्सना की है, जो कोई दोष नहीं; राष्ट्रीय भावना का गुण है। इसलिए 'भूषण-ग्रन्थावली' से कोई भी पद्य अलग करना ठीक नहीं। टंडन जी यह सब सुन-समझकर भी, गांधी जी को साथ रखने के लिए, इस पक्ष में रहे कि हिन्दी का व्यापक हित देखते हुए हमें गांधी जी की बात मान कर 'भूषण-ग्रन्थावली' से वे पद्य हटा देने चाहिए, जिन्हें गांधी जी ठीक नहीं

अन्वय-वार्तावीथी, पृष्ठ १८९१]

समझते। 'सम्मेलन' के बहुमत ने टंडन जी की बात मान ली और 'भूबध-ग्रन्थावली' से वे अंश अलग कर दिए गए। परन्तु कुछ तेजस्वी लोगों ने विरोध प्रकट किया था, और (विरोध में) 'सम्मेलन' की 'स्वायी समिति' से त्यागपत्र दे दिए। 'सम्मेलन' के भूतपूर्व अध्यक्ष पं० जगन्नाथ-प्रसाद चतुर्वेदी ने भी स्वायी समिति से त्यागपत्र दे दिया था। फिर भी अन्ततः हिन्दी-हितसचकने एक जगह ले आया।

सन् १९३०-३२ के आन्दोलन में गांधी जी जेल गए, तो वहाँ कुछ भक्तों ने उन्हें (हिन्दी की जगह) 'हिन्दुस्तानी' को राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाने की प्रेरणा दी। जेल से बाहर आकर वे 'हिन्दुस्तानी' का समर्थन करने लगे और सन् १९३७-३८ में (देश के विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेसी सरकार बन जाने पर) 'हिन्दुस्तानी' का जोर बहुत बढ गया। डा० ताराचन्द और श्री मुन्दरलाल जैसे सेनानी मैदान में आ गए। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। उसका एक पृथक् इतिहास है। यहाँ यह प्रासंगिक चर्चा।

“ऐसो को उबार जग माहीं ?”

हमने देखा है कि बड़े से बड़े 'जनतंत्रीय' संगठन जनतंत्र का महाराग ले कर लौग बड़े हुए, बड़े; परन्तु बड़े से बड़े अपने निर्वाचित पदाधिकारी को धाधागर्दी से उलाड़ फेका! अपनी सचि का निर्वाचन न होने पर संगठन के बड़े से बड़े नेता, ने विरोध की आवाज उठाई और फिर बड़े से बड़ा वह निर्वाचित अधिकारी इस तरह उड़ गया, जैसे कि तेज आंधी के झोकें में रुई उड़ जाती है।

परन्तु 'सम्मेलन' की सर्वोच्च सत्ता ने—राज्य टंडन ने—कभी भी कोई वैसी चीज नहीं होने दी। यही कारण है कि जैसे प्रबुद्ध जनों का वैसा संगठन वे बना-चला सके। यहाँ एक घटना दी जा रही है, जिससे टंडन जी की जनतंत्र में अमित आस्था, सहिष्णुता तथा उदारता प्रकट हो जाएगी।

'सम्मेलन' के शिमला-अधिवेशन पर हिन्दी के प्रबल समर्थकों की पूरी सेना पहुँची थी कि 'हिन्दुस्तानी' के जो चरण धीरे-धीरे सम्मेलन को डिगाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें दृढ़ता से हटा दिया जाए। इस महती सेना के सर्वोच्च नायक पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी। महाकवि निराला जैसे दुर्घर्ष महारथी चतुर्वेदी जी के नायकों में थे। जम कर लोहा लिया गया और सदा के लिए 'हिन्दुस्तानी' सम्मेलन से हट गई।

तीन दिन तक ऐसा संघर्ष रहा कि क्या पूछो। सफलता पूरी मिली; परन्तु थक कर सब चूर-चूर हो रहे थे। चौथे दिन के लिए अब एक ही काम रह गया था कि प्रतिनिधि-जन सम्मेलन की 'स्वायी समिति' के लिए नियत संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करें। टंडन जी उस समय असेंबली के 'स्पीकर' थे—विधान सभा के अध्यक्ष। जरूरी काम से जल्दी लखनऊ जाना था। थके ती वे सबसे ज्यादा थे ही।

उत्तने सदस्यों के निर्वाचन में चार-पाँच घंटे लभते ही थे! सोचा यह गया कि नियमावली में निर्दिष्ट संख्या के अनुसार एक सूची बना ली जाए और उसी को प्रतिनिधियों से पास

कहा किया जाए, तो एक घंटे में ही सब हो जाएगा। पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी तथा (सम्मेलन के अध्यक्ष) श्री पं० बाबूराव विष्णु पराडकर ने मिल कर बैसी सूची बनाई और टंडन जी को दिखा कर संस्तुति प्राप्त कर ली। सबसे आठ बजे प्रतिनिधि जन सभवेत हुए, तो उनके सामने यह सूची यह कह कर पढ़ी गई कि खूब सोच-विचार कर यह सूची बनाई गई है। यदि इसे ही आप सब स्वीकार कर लें, तो समय की बचत हो जाएगी।”

सभापति के साथ टंडन जी तथा चतुर्वेदी जी बैठे थे अपने 'हाई' कमान की यह बात सब ने स्वीकार कर ली परन्तु मैंने—केवल मैंने—इसका विरोध किया और कहा कि नियमावली में निर्वाचन का विधान है, सूची पास करने का नहीं। सो, विधिवत् निर्वाचन होना चाहिए।

एक आवाज आई—“यह निर्वाचन ही है। सर्वसम्मति से यह सूची स्वीकार है; केवल एक सदस्य का विरोध है, और सो भी बेकार! अन्य कोई नाम प्रस्तावित है ही नहीं।” इस पर मैंने अपना नाम स्वयं ही प्रस्तावित कर दिया। अनुमोदन-समर्पण का नियम इस निर्वाचन के लिये न था।

सब लोग मेरी ओर विरोध-दृष्टि से देख रहे थे। टंडन जी ने पं० नरदेव शास्त्री वेद-तीर्थ को भेजा कि जा कर वाजपेयी को समझाओ। उन्होंने मुझे समझाया, पर मैं माना नहीं। फिर टंडन जी ने अपने पास बुलाकर मुझे बहुत समझाया तो भी मैंने निर्वाचन की जिद न छोड़ी, इसी विरुद्ध में लगभग एक घंटा लग गया। सब तंग आ कर एक सदस्य ने कहा—

“वाजपेयी जी जिद कर रहे हैं, तो सभापति महोदय मत लेकर समझा समाप्त कर दें।” इस पर एक दूसरे सदस्य ने कहा—“मत भी नहीं लिए जा सकते; क्योंकि वाजपेयी जी का समर्पण ही किसी ने नहीं किया है। वे अकेले ही हैं।”

तब राजर्षि टंडन बोले—

“यह नियमावली की बात है। सब लोग सूची स्वीकार कर ले, तब तो ठीक; अन्यथा, एक भी सदस्य यदि आपत्ति प्रकट करता है, तो सूची नहीं स्वीकृत हो सकती; निर्वाचन तो।”

सब चुप हो गए। नाम प्रस्तावित होने लगे। बीसों नए नाम प्रस्तावित हुए। सब पर मत-दान हुए। तीन घंटे इस तरह निर्वाचन में लग गए! परन्तु चुने वे ही गए, जिनके नाम उस सूची में थे।

बाहर निकल कर टंडन जी ने मेरी पीठ थपथपाई। समझा कि यह 'सत्याग्रही' है। और मैंने उसी दिन उन्हें अपना नेता मान लिया। आगे फिर आँसू बन्द करके उनके पीछे चलने लगा। पर भाषा-नियमन संबंधी विचारों में मैंने नेता के विरुद्ध मत प्रकट किया। टंडन जी हिन्दी शब्दों की लिंग-व्यवस्था करके एक संघट्ट हटा देना चाहते थे, जो प्रायः अहिन्दीभाषी जनों के सामने आती है। समर्पण भी उन्हें पूरा मिल गया था; परन्तु मेरे विरोध के कारण उनका यह उद्योग सफल न हुआ। हिन्दी-संस्कृतशासन बन कर प्रकाशित हो जाने के बाद भी वे बराबर अपनी बात कहते रहे; पर मेरे मन न चमका! इसका बैसा ही मुझे दुःख है, जैसा कि गांधी जी का 'सम्मेलन' से त्यागपत्र स्वीकार करते समय उन्हें हुआ था।

आत्मक-वार्त्तिका, भाग १८९१]

हिन्दुस्तानी और टण्डन जी

गांधी इरविन पैक्ट ही चुका था। सत्याग्रह वापस ले लिया गया था। सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए हम बच्चों को अवकाश मिला। आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विषय-विशालयों तथा उनसे संबंधित स्कूलों के बहिष्कार के कारण राष्ट्रीय विचारवाले परिवारों के बच्चे इन संस्थाओं में नहीं पढ़ सकते थे। सो अब वे कहाँ पढ़ें, यह सवाल उत्पन्न हुआ। यही निर्णय लिया गया कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा तथा उसके बाद मध्यमा की पढ़ाई की जाय। इसके लिए वर्षा में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं का केन्द्र भी खुलवाया गया और हमारे परिवारों के लोगों के साथ अन्य दूसरे भी उन परीक्षाओं में सम्मिलित होते रहे।

सन् १९२५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन के पूर्व आदरणीय टण्डन जी वर्षा आये थे और बजाजबाड़ी में हम लोगों के पास ही ठहरे हुए थे। पूज्य बापू को वह इन्दौर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उसमें पूज्य काकाजी (पिताजी—रवर्गीय श्री जमनालाल बजाज) की मदद चाहते थे। दोनों आपस में बात करके बापू के पास गये।

बापू को अन्य बातों का समाधान किया जा सका पर उन्होंने एक शर्त लगा दी कि हिन्दी प्रचार के लिए एक लाख रुपये की राशि इकट्ठा हो, तभी वह अध्यक्ष पद स्वीकार करेंगे। टण्डनजी ने आश्वासन दिया कि सम्मेलन वाले पूरा प्रयत्न करेंगे, और उन्हें उम्मीद है कि राशि जमा होने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बापू तो बनिया थे। वह इस तरह की कम्पनी बातों में ब्राने वाले नहीं थे। उन्हें तो पक्का आश्वासन चाहिए था कि राशि पूरी होगी ही।

टण्डनजी पूरा आश्वासन दे नहीं सकते थे और बापू को समाधान ही नहीं सकता था। जब दोनों के बीच अन्तर रह ही गया, तब काकाजी ने कहा कि वह इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, स्वयं उस राशि को इकट्ठा करने में मदद करेंगे। फिर भी रकम मे यदि कमी रह गई तो उसकी पूर्ति वह स्वयं करेंगे, बापू की बात गृह गई और टण्डन जी का हौसला बढ़ा।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का शिमला-अधिवेशन हो सका था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में बापू के शामिल हो जाने से उसमें एक नया चैतन्य और उत्साह आ गया था। राष्ट्रीय वृत्ति के अनेक लोग उसमें शामिल हो गये थे। हिन्दी के प्रचार कार्य में भी तेजी आ गई थी और प्रचार कार्य का केन्द्र भी वर्षा से शिफरित होता जा रहा था। उधर हिन्दी के आग्रही जो साहित्य सम्मेलन में थे और राष्ट्रीय वृत्ति के कार्यकर्ताओं में 'हिन्दी' और हिन्दुस्तानी की वजह से विचार, नीति, वृत्ति, और कार्य पद्धति में फर्क पनपने लगा। इस अंतर को दूर करने के लिए

टण्डनजी बर्बा आये और बाकाबाड़ी में ही ठहरे। काकाजी से जो उनकी बर्बा हुई उसका सार कुछ इस प्रकार था—

काकाजी (श्री जमनलालबाब) इस पत्र में थे कि 'हिन्दुस्तानी' राष्ट्रभाषा बने। टण्डनजी 'हिन्दी' को ही राष्ट्रभाषा का सम्मान मिले, इसके कायल थे। काकाजी का कहना था कि नाम का आग्रह नहीं है लेकिन राष्ट्रभाषा जो होगी उसमें हिन्दी भाषा व देव नाचरी लिपि के साथ-साथ उर्दू भाषा व लिपि का स्वाभाविक समावेश होगा। राष्ट्रियता के नाते राष्ट्रभाषा का यह सम्मिलित स्वरूप स्वाभाविक और व्यवहारिक होगा और उसमें बुद्धि-मत्ता व समझदारी भी होगी। साथ ही काकाजी का कहना था कि राष्ट्रभाषा को इनकी लचीली होना जरूरी होगा जिससे अन्य प्रान्तीय (प्रदेशिक) भाषाओं का प्रभाव वह मेल सके और उन भाषाओं के भी प्रचलित और प्रतिष्ठित शब्दों को राष्ट्रभाषा में शामिल किया जा सके। इसमें राष्ट्रभाषा का उपयोग व समावेश प्रादेशिक भाषा में भी हो सकेगा। इस तरह का आदान-प्रदान स्वाभाविक विकास का ही लक्षण होगा। इससे सभी प्रदेशों के लोगों में आत्मीयता पनप सकेगी और वह राष्ट्रियता के हक में होगा। उसको रोकना एक कृत्रिम प्रयास होगा और वह राष्ट्र के हक में ठीक नहीं है।

दूसरी ओर टण्डनजी का कहना था कि हिन्दी का स्वरूप शुद्ध रहना चाहिए नहीं तो वह भाषा विगड़ जायगी। यदि तामिल, तेलगु, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि अपनी भाषाओं को शुद्ध रखने के अधिकारी हैं तो हिन्दी को भी उसी तरह से शुद्ध रखने का हमें हक है और उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उर्दू भाषा और लिपि से टण्डनजी का काफी विरोध था। उर्दू लिपि को स्वीकार करने की वह आवश्यकता महसूस नहीं करते थे और उसे ठीक भी नहीं समझते थे। उर्दू भाषा पन्ने उसमें उन्हें विरोध नहीं था। उसका पनपना वह पसंद भी करते थे। लेकिन उसका असर राष्ट्रभाषा हिन्दी पर हो, यह उनके लिए असह्य था।

काकाजी को इस बात का विरोध नहीं था कि हिन्दी को शुद्ध रखने का आग्रह नहीं किया जा सकता। फिर भी वह मानते थे कि जैसे-जैसे अन्य भाषा-भाषियों का आपसी संपर्क बढ़ता जायगा, एक दूसरी भाषाओं पर आपस में प्रभाव पड़े जिना रह नहीं सकता। गुलाम देश की भाषायें होने के बावजूद हमारी भाषाओं में से अंग्रेजों को भी कई शब्द लेने पड़े। जिस तरह की शुद्धता टण्डनजी चाहते थे वह काकाजी के मतानुसार अस्वाभाविक थी और वांछनीय तो कतई नहीं। काकाजी ने कहा कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तरह हिन्दी को शुद्ध रखने का हिन्दी-भाषा भाषियों का ध्येय हो तो उसे वह समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दी को प्रादेशिक भाषाओं की तरह छोड़कर राष्ट्रभाषा के लिए 'हिन्दुस्तानी' नाम का आविष्कार जो बापू ने किया, स्वीकार कर लेने के लिए उन्हें निःसमझाने का प्रयत्न किया।

काकाजी और टण्डनजी दोनों ही राष्ट्रभाषा के प्रेमी थे। राष्ट्र में एक भाषा अच्छी तरह से संपर्क-भाषा बन सके, इसके आग्रही थे। दोनों ने ही इस दृष्टि से देश में विनोद कार्य किये थे। लेकिन 'हिन्दी' और 'हिन्दुस्तानी' को लेकर जो भाषिक फर्क दोनों के विचारों में अन्तर्गत-वार्तादीर्घ, अंक १८९१]

स्पष्ट दिखाई देता था वह मिटाया नहीं जा सका। काफी घंटों की चर्चा के बाद भी कुछ निकलने नहीं निकला। कमरे से बाहर आते समय हम चर्चाओं को देखकर टण्डनजी ने काकाजी से कहा, "हम लोग तो एक रात पर नहीं जा सकेंगे, हमारा अमाना भी अब कितना रहा? अविष्य तो इन चर्चाओं के हाथ में है। इन्हीं से पूछो कि ये क्या चाहते हैं?"

टण्डनजी खूब अच्छी तरह से जानते थे, कि हम सबके हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में बैठे हुए हैं और हिन्दी का अभ्यास विशेष रूप से हम लोगों ने कुछ किया है। शायद उन्हें उम्मीद थी कि हम लोग हिन्दी का ही पक्ष लेंगे। काकाजी ने कहा कि आप ही पूछिये। टण्डनजी ने मुस्कराकर हम लोगों से पूछा कि राष्ट्रभाषा 'हिन्दी' होनी चाहिए या 'हिन्दुस्तानी' हम लोग बड़े धर्मसंकट में फँस गये। हम लोगों के विचार बापू और काकाजी के विचारों के अनुकूल ही थे। टण्डनजी के लिए हमें श्रद्धा थी, साथ ही वह हमारे आदरणीय मेहमान भी थे, तो क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता था। अचानक मुझे सूझा और मैंने कहा, 'आप दोनों ही हम लोगों के चुबुर्न हैं, आदरणीय हैं। आप दोनों के मतभेद देखकर हमें श्लेष होता है, और अफसोस भी। लेकिन हमें डर इस बात का है कि आपके इस हिन्दी-हिन्दुस्तानी के सगड़े में कहीं हमारा हलवा, बर्फी, कलाकंद बनना भारत में बन्द न हो जाय।' वहां उपस्थित सभी लोग हँस पड़े। टण्डनजी ने कहा कि बड़ी चतुराई से तुमने जबाब दिया है और अपनी खुशी भी उन्होंने बताई। मैंने कहा कि हम हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा दिए हुए हैं। इतनी-सी बात भी यदि हमें कइनी नहीं आती तो फिर इन परीक्षाओं का देना ही व्यर्थ हो जाता।

बात वहीं पर थोड़े में टल गई। बाद में इसकी चर्चा बापू से भी हुई। विनोबाजी से भी टण्डनजी ने बातचीत की। विनोबाजी ने अन्य कई कारण देते हुए टण्डनजी को समझाया कि अब तक हिन्दी में अरबी, फारसी व उर्दू शब्दों का इतना समावेश हो चुका है कि उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन जब उनका स्पष्टता से इंकार देखा तो कहा कि तुलसीकृत रामायण में, जो लगभग ३०० वर्ष पूर्व लिखी गई है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे तो आपको स्वीकार ही होंगे? टण्डनजी ने 'हाँ' कहा। विनोबा ने रामायण में से चौपाइयों को दुहराते हुए पचासों उर्दू शब्द टण्डनजी के सामने रख दिये। शायद किसी को ख्याल भी नहीं था कि रामायण में इतने उर्दू शब्द हैं। टण्डनजी कुछ जवाब नहीं दे सके। बाद में मैंने टण्डनजी से पूछा कि शायद इतना ख्याल क्वचित् ही किसी को होगा कि उर्दू के इतने शब्दों का उपयोग तुलसीकृत रामायण में हुआ है। टण्डनजी ने कहा कि तुलसीदास, बापू, विनोबा वे सब तो महारथी हैं। महारथियों की तो अलग ही दृष्टि होती है। उनकी बात तो दूसरी है। हमको तो सांसारिक दृष्टि से देखना है। मैंने कहा कि आप भी तो ब्रह्मरथी ही हैं। आपका जीवन इन लोगों से किस प्रकार कम है? बात को टालते हुए उन्होंने दुहराया कि सवाल तो व्यावहारिक और समाज की दृष्टि से सोचने का है।

आपस में इन गुंजनों की काफी चर्चा होने के बाद उनमें किसी प्रकार समझौता नहीं हो सका। हिन्दी साहित्य सम्मेलन से बापू और बापू के अनुकूल विचार रखनेवाले लोग अलग

हो गये और हिन्दुस्तानी प्रचार समा का निर्माण करके राष्ट्रभाषा के प्रचार में वे लग गये। काका कालेलकर, राजेन्द्रबाबू, श्रीमन्नारायणजी, श्री० सत्यनारायणजी आदि का महत्वपूर्ण योग्य उसमें रहा। यदि उस समय बापूजी की सही दृष्टि मान ली जाती तो आज राष्ट्रभाषा को लेकर जो एक विकट परिस्थिती देश में निमित्त हो गई है, खासकर दक्षिण और उत्तर में, उससे हम बच जाते और भारत की एकता में भी अधिक मजबूती रहती।

पंडित हरिभाऊजी और श्री मार्तण्ड उपाध्याय के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। इलाहाबाद के दैनिक 'भारत' में गलती से ऐसा समाचार छप गया कि श्री मार्तण्डजी का स्वर्गवास हो गया। टण्डनजी ने मार्तण्डजी के 'स्वर्गवाम' पर संवेदना का पत्र लिखा। बाद में उन्हें पता चला कि मार्तण्डजी नहीं बल्कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। उन्होंने दूसरा पत्र लिखा जिसमें पहला समाचार 'अशुद्ध', ऐसा जिक्र किया। जब वह पत्र मेरे पढ़ने में आया तो ख्याल हुआ कि टण्डनजी ने 'अशुद्ध' शब्द का प्रयोग वहाँ कैसे किया, वह शुद्ध प्रयोग नहीं महसूस हुआ। कुछ सोचने से मालूम हुआ कि 'गलत' उर्दू शब्द होने की वजह से उस शब्द का प्रयोग उन्होंने टाला है और उस अर्थ का पर्यायवाची दूसरा अनुकूल शब्द हिन्दी में नहीं होने की वजह से 'गलत' शब्द की जगह 'अशुद्ध' शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इससे हिन्दी के प्रति उनकी निष्ठा तथा उर्दू शब्दों के प्रति उनका विरोध कितना कड़ा और दृढ़ था, इसकी झलक मिलती है।

डाक्टर उदयनारायण तिवारी

राजर्षि टण्डन जी: एक संस्मरण

आदणीय राजर्षि पुरुषोत्तमदास जी टण्डन के निर्वेश में मुझे सन् १९३० से उनके निष्पन्न-पर्यन्त लगभग ३० वर्षों से अधिक कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। इस अवधि के बीच मुझे बाबू जी को निकट से देखने का असवर मिला। जब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षों की स्थापना हुई और उसकी बैठकें वर्षों में होने लगीं तो मैं प्रायः बाबू जी के साथ वर्षों समिति के सदस्य के रूप में वहाँ जाया करता था। वहाँ की अधिकांश बैठकों में राष्ट्रपिता बापू जी भी उपस्थित होते थे। अतएव इन बैठकों में उनके भी दर्शन का मौका मुझे मिलता रहा। मैंने अनुभव किया कि बाबू जी और बापू जी, दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यधिक स्नेह और श्रद्धा रखते थे। मैंने श्रद्धेय टण्डन जी को केवल दो व्यक्तियों के चरण-स्पर्श करने हुए देखा है। इनमें से एक थे पण्डित महामना मदनमोहन मालवीय तथा दूसरे थे राष्ट्रपिता गांधी जी। वास्तव में इन दोनों व्यक्तियों से ही प्रेरणा ग्रहण कर बाबू जी ने अपने जीवन का मार्ग निर्धारित किया था। यह प्रेरणा दो रूपों में प्रतिकलित हुई थी। इममें एक थी भारत को एकसूत्र में बांधने के लिए हिन्दी का प्रचार और प्रसार तथा दूसरी प्रेरणा थी भारत को स्वतंत्र करने की कामना। इन दोनों की प्रेरणा आरम्भ में टण्डन जी को महामना प० मदनमोहन मालवीय जी से ही प्राप्त हुई थी। मालवीय जी एक ओर जहाँ कांग्रेस के एक सुदृढ़ स्तम्भ एवं देश के स्वतंत्रता-संग्राम के सेनानी थे वहाँ दूसरी ओर हिन्दी को राष्ट्रभाषा रूप में स्वीकृत कराने के आन्दोलन के भी प्रवर्तक थे।

सच बात तो यह है कि सन् १९०१ से १९१० ई० के बीच का इतिहास भारतीय नव-जागरण का इतिहास है। इसी समय में लार्ड कर्जन ने बंगभंग किया जिसके कारण बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। इसी समय सूरत की कांग्रेस के अधिवेशन में क्रान्तिकारी-दल की विजय हुई और भारत के उदार-दल का कांग्रेस से सदा के लिए निष्कासन हुआ। उत्तर प्रदेश-स्थित भारतीय क्रान्तिकारियों का एक दल संगठित हुआ जिसमें महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, गुजरात आदि प्रदेशों के नवयुवक शामिल थे। इस युग में राष्ट्रीयता की जो लहर उठी उसने राष्ट्रभाषा की ओर भारतीय तरुणों का ध्यान आकर्षित किया। उसके फलस्वरूप राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी, राष्ट्रीयता का अविभाज्य अंग, बनने लगी।

इधर उत्तरी भारत में हिन्दी को समुन्नत करने तथा उसे राष्ट्रभाषा पद पर आसीन कराने का आन्दोलन चल पड़ा। यह सर्वथा स्वाभाविक था। हिन्दी उत्तर भारत की जनता

की मान्यभाषा थी किन्तु उसे कचहरियों तथा सरकारी कार्यालयों में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। इस आन्दोलन के प्रवर्तक महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय जी थे।

उत्तर प्रदेश (तब संयुक्त प्रान्त) की कचहरियों में वैकल्पिक रूप से हिन्दी में लिखी अज्रियाँ भी ले ली जाया करें, इसके लिए लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा कर उस समय के गवर्नर सर ऐंथनी मेकडोनेल के पास मालवीय जी की प्रेरणा से एक पत्र भेजा गया। इस कार्य में बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने महामना मालवीय जी की सहायता की। सन् १८९३ ई० में स्थापित नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने भी इस आन्दोलन में मालवीय जी का हाथ बँटाया। आगे चलकर १० अक्टूबर सन् १९१० में नागरी प्रचारिणी सभा के प्रायण में ही 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' की स्थापना हुई, इसका प्रथम अधिवेशन भी काशी ही में हुआ और इसके सभापति भी महामना मालवीय जी ही हुए। सम्मेलन के संगठन मन्त्री बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन जी मनोनीत हुए। सम्मेलन ने अपनी प्रथम नियमावली में ही 'हिन्दी' को राष्ट्रभाषा तथा 'देवनागरी' को राष्ट्रलिपि घोषित किया।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ गांधी जी का सहयोग

सन् १९१४ ई० में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आये। एक बार उन्होंने बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन जी को अपने एक पत्र में लिखा, 'मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न तो स्वराज्य का प्रश्न है।' ठीक यही बात टण्डन जी के मन में भी थी। सन् १९१७ ई० में टण्डन जी की प्रेरणा से गांधी जी 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' इन्दौर के वार्षिक अधिवेशन के सभापति हुए। इसके बाद दूरी वार सन् १९३५ ई० में बापू इन्दौर में पुनः सम्मेलन के सभापति बने। सम्मेलन में गांधी जी के भागमन से हिन्दी राष्ट्रभाषा-आन्दोलन को बहुत बल मिला। गांधी जी की प्रेरणा से ही सम्मेलन के तत्वावधान में दक्षिण में हिन्दी का प्रचार कार्य आरम्भ हुआ और 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की नींव पड़ी। सन् १९२१ के बाद गांधी जी भारत की राजनीति के कर्णधार बन गये। उन्हें अन्य कार्यों के साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी का भी सदैव ध्यान रहा।

श्री टण्डन जी एवं गांधी जी के अनवरत प्रयत्न से राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य में ऐसी अभूतपूर्व सफलता मिली कि उस समय की ब्रिटिश सरकार भी राष्ट्रभाषा के आन्दोलन से उत्तनी ही घबड़ाने लगी जितनी कि वह स्वराज्य के आन्दोलन से घबड़ाती थी। अमहयोग आन्दोलन की विफलता के बाद हिन्दू तथा मुसलमानों की राजनीतिक विचारधाराओं में जो अन्तर आने लगा उसका प्रभाव राष्ट्रभाषा पर पड़ना आवश्यक था। जिस प्रकार से देश में एक वर्ग कांग्रेस का विपक्षी बन गया, उसी रूप में वह वर्ग राष्ट्रभाषा का विरोधी बन बैठा और टण्डन जी को यह वर्ग हिन्दी का कट्टर पक्षपाती एवं उर्दू का शत्रु मानने लगा। इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ न कहकर मैं केवल बाबू जी के सन् १९२३ के कानपुर 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के भाषण के हिन्दी-उर्दू के सम्बन्ध में उनके विचारों को उद्धृत करता हूँ।

आवाह-भारतीय, शक १८९१]

‘आज हिन्दी और उर्दू दो भिन्न सम्यताओं की सूचक भाषाएँ बन गयी हैं। उनका धार्मिक प्रोत्साहन भी भिन्न उपमाओं एवं रूपको एवं भिन्न दिव्य पुरुषों द्वारा होता है। किन्तु वास्तव में भाषा का आधार एक ही है और अभी यह दोनों खोत इतनी दूर एक दूसरे से नहीं हुए हैं कि फिर मिल कर एक प्रबल धारा में परिणत हों, भारतवर्ष भर को अपनी शक्ति से सुसज्जित कर दे। मुझ तो आधुनिक हिन्दी और उर्दू भाषाओं के पोषक देशभक्तों का यही तात्कालिक कर्तव्य जान पड़ता है। कुछ हिन्दी प्रेमी मेरे इस कथन को सुन कर, संभव है, भयभीत हों और मन्त्रे कि मैं हिन्दी भाषा के रूप को विकृत करने की सम्मति दे रहा हूँ और यह कहे कि इस प्रकार के विकृत रूप में न हिन्दी भाषा का माधुर्य, न प्रमाद और न प्रीकृता ही रह जायगी... हिन्दी भाषा के आधुनिक रूप के विकृत होने से उसकी शक्ति रुक जायगी, यह मैं नहीं मानता। प्रतिभाशाली कवि और प्रौढ़ लेखक हिन्दी और उर्दू की मिली हुई भाषा में भी वही शक्ति उत्पन्न कर देंगे जो सदा आपको पद्यभ्रष्ट (अपभ्रंश ?) किन्तु जीवित भाषाओं में मिलती आयी है।’ ये हैं हिन्दी उर्दू के समन्वय के सम्बन्ध में बानू जी के विचार, जिन्हें एक वर्ग के लोग उर्दू का शत्रु ममज्ञते रहे। सच बात तो यह है कि इस सम्बन्ध के प्रश्न पर उर्दू के गणपार्थियों ने कभी गभीरता से विचार नहीं किया और जब वे तैयार न हुए तो अन्तगोत्वा समन्वय कैसे होता ?

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सन् १९३५ के इन्दौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था जिसके अनुसार देश की प्रांतीय भाषा के साहित्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करने तथा हिन्दी भाषा की वृद्धि में उनका सहयोग प्राप्त करने के अभिप्राय से एक समिति का निर्माण किया गया था। इस समिति के संयोजक उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिक-लाल मुन्शी जी थे। इस समिति ने दूसरी भाषाओं के साहित्यिक तथा सस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किया तथा सन् १९३६ में नागपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर भारतीय साहित्य परिषद् की स्थापना के लिए एक अधिवेशन भी किया। इस अधिवेशन के सभापति पूज्य गांधी जी थे। अंजुमन तरकिका-उर्दू के सर्वेसर्वा डा० अब्दुलहक भी आमंत्रित होकर इस अधिवेशन में उपस्थित थे। जब वहाँ यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि परिषद् की कार्यवाही किन भाषा में हो तो उन्होंने (डा० हक ने) ‘हिन्दुस्तानी’ नाम पसन्द किया। पूज्य गांधी जी को हिन्दी-हिन्दुस्तानी नाम अधिक उपयुक्त जंचा। बहुमत से गांधी जी द्वारा दिया हुआ नाम ही स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् डा० हक ने भारतीय साहित्य परिषद् तथा पूज्य गांधी जी के विषय लेख लिखा जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि महात्मा गांधी ने बोले की चादर उतार फेंकी और असली रंग में नजर आने लगे। यह वाक से हिन्दी का प्रचार करें। वह हिन्दी नहीं छोड़ सकते तो हम उर्दू नहीं छोड़ सकते।

ऊपर की कटु आलोचना के बावजूद भी पूज्य बापू हिन्दी-उर्दू समन्वय के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। डा० अब्दुलहक तथा उनकी-सी मनोवृत्तिवाले लोगों की सतत आलोचना के कारण परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने हिन्दी-हिन्दुस्तानी से ‘हिन्दी’ शब्द निकाल कर केवल ‘हिन्दुस्तानी’ नाम को स्वीकार कर लिया। यह अन्याय कहा जा चुका है कि दक्षिण में हिन्दी के

प्रचार के लिए सम्मेलन के तत्वावधान में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना हुई थी। कई वर्षों तक यह सभा सम्मेलन के निर्देशन में कार्य करती रही किन्तु अग्रे चलकर वह स्वतंत्र संस्था बन गयी। जब बापू हिन्दुस्तानी की ओर झुके तो इस सभा ने भी अपना नाम बदल कर 'दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा' के बजाय 'दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' रख लिया। इस कारण उत्तर भारत के हिन्दी भाषा भाषियों में थोड़ा क्षोभ भी हुआ। उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषी हिन्दी और उर्दू दोनों से भलीभांति परिचित थे। यहाँ के प्रबुद्ध लोग इस बात को पूर्ण रूप से अनुभव करते थे कि हिन्दी-उर्दू का समन्वय वास्तव में साहित्यिक स्तर पर उत्तर भारत के हिन्दी-उर्दू के लेखकों एवं साहित्यकारों के द्वारा होगा। बापू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने इसके लिए अपने कानपुर के सम्पादन-भाषण में उर्दू वालों को आमंत्रित भी किया था, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। हिन्दी के प्रबुद्ध लोग एवं साहित्यिक गांधी जी के एकतरफा उद्योग से क्षुब्ध थे। किन्तु बापू सम्पूर्ण भारतीय जनता के हृदय-सञ्चाट थे। अतः एव इस सम्बन्ध में उनकी आलोचना प्रत्यालोचना करने का बहुत कम लोगों में सहस्र हुआ। इसी बीच यह भी प्रयत्न होने लगा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी 'हिन्दुस्तानी' रबीकार करने के लिए प्रेरित किया जाय। इसके लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नियमावली में परिवर्तन आवश्यक था। उस वक्त अद्वैत टण्डन जी जेल में थे और सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने में वे असमर्थ थे। इसी समय देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद जी का एक प्रस्ताव आया जिसका आशय यह था कि सम्मेलन 'राष्ट्रभाषा' के सारे प्रश्न को अपने कार्यक्षेत्र से हटा दे और तत्सम्बन्धी समस्याओं को तीन व्यक्तियों को सुपुर्ब कर दे। जहाँ तक मुझे स्मरण है इसमें एक नाम पूज्य गांधी जी का था। अन्य दो व्यक्तियों के नाम मुझे इस समय स्मरण नहीं हैं। उन दिनों मैं कलकत्ते में रहकर अपनी डी० लिट्० का अधिनियन्ध तैयार कर रहा था। मैंने इस विषय में टण्डन जी से निर्देशन प्राप्त करने के लिए सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ के पते से एक पत्र लिखा था। मेरा यह पत्र ३० आश्विन संवत् १९९८ को लिखा गया था जिसका उत्तर बापू जी ने मेरे कलकत्ते के पते पर ८ कार्तिक ९८ (२५-१०-४१) को दिया था। यह पत्र सेन्सर होकर २७-११-४१ को फतेहगढ़ जेल से चला। इस पत्र की प्रतिलिपि मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ—

सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़

८ कार्तिक ९८

२५-१०-४१.

प्रिय त्रिपाठी जी, नमस्कार।

आपका ३० आश्विन का पत्र संख्या ३२०७, जिसके साथ आपने राजेन्द्र बाबू के एक प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजी है, और जिसमें आपने उम प्रस्ताव पर मेरी सम्मति मांगी है, मिला।

वास्तव में यह नियम-परिवर्तन का प्रस्ताव है। यहाँ नियम ४८ लागू होगा। नियम परिवर्तन स्वीकृति के बाद ही या इसके साथ सम्मेलन की ओर से वह बातें की जा सकती हैं जो

आस्ताद-आर्गुमन्त, पृष्ठ १८९१]

बाधू चाहते हैं। किन्तु यह स्पष्ट न कह कर कि किन-किन नियमों में क्या परिवर्तन किये जाय, प्रस्तावक ने केवल यह कहा है कि नियमावली में जहाँ-जहाँ आवश्यक हो योग्य परिवर्तन किया जाय। प्रस्तावक का तात्पर्य यह जान पड़ता है कि मंत्रीगण नियमों में हेरफेर अपनी बुद्धि के अनुसार प्रस्ताव के आशय को समझ कर कर लें। यह अनियमित और दायित्वहीन बात है। प्रस्तावक का यह दायित्व है कि वह बतावे कि नियमों के किन अंशों में क्या परिवर्तन बहू चाहता है। उससे तात्पर्य भी अधिक स्पष्ट होगा। नियमावली परिवर्तन के प्रस्ताव माचारण प्रस्तावों की भांति नहीं होते। उनकी शब्दावली सदा बहुत पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए।

परिवर्तन का ठीक रूप सामने न होते हुए प्रस्ताव के शब्दों से यह जान पड़ता है कि प्रस्तावक की यह इच्छा है कि सम्मेलन राष्ट्रभाषा के सारे प्रश्न को अपने कार्यक्षेत्र से हटा दे और उन तीन व्यक्तियों को मुपुर्व करे जिनके नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं। मुझे तो यह भाग सर्वथा अनुचित और अनैतिक लगती है।

राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिन्दी का प्रचार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आरम्भ से रहा है। हिन्दी की अन्तर्हित राष्ट्रीयता और उसके राष्ट्रीय स्वरूप का हिन्दी भाषियों तथा अहिन्दी भाषियों को अनुभव कराना, यह हिन्दी माहित्य सम्मेलन की देन देश भग के लिए और विशेष कर राष्ट्रवादियों के लिए रही है। किसी का यह कहना, जैसा सर्वोदय के वर्तमान भाग के अंक में कहा गया है कि सम्मेलन माहित्य के कार्य में लगे और राष्ट्रीय प्रचार का काम (और उसकी नीति) दूसरों को अर्थात् वर्षों से काम करने वाले भाइयों को दे दे और स्वयं राष्ट्रभाषा के विषय से तटस्थ हो जाय, यह सम्मेलन को उसके मुख्य उद्देश्य से हटाने और उसकी नैतिक आत्महत्या कराने का आह्वान है। यह मैंने सदा माना है कि ऊँचे हितों के लिए संस्थाओं की भी बलि उसी प्रकार हो सकती है जैसे व्यक्तियों की। हिन्दी का हमने यदि हित ही तो हिन्दी माहित्य सम्मेलन नामक संस्था की बलि में स्वीकार कर सकता हूँ। किन्तु जो प्रस्ताव आया है और जिसकी भूमिका 'सर्वोदय' में पहले ही प्रकाशित हो चुकी है उसमें न हिन्दी का हित है, न राष्ट्रीयता का। उसमें केवल भ्रम, अनौदार्य और अशुद्ध आग्रह मुझे दिखायी पड़ता है। राष्ट्रीय आत्मा के सजग होने के साथ-साथ हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप विकसित हो रहा है और होने वाला है। राष्ट्रभाषा के प्रश्न का महत्व दिन पर दिन बढ़ेगा। उस प्रश्न के निराकरण का दायित्व सम्मेलन ऐसी प्रतिनिधि संस्था अब अपने कन्धे से हटा कर तीन व्यक्तियों के ऊपर बिना किसी नियंत्रण के सदा के लिए छोड़ दे, इसमें राष्ट्रभाषा और देश का हित नहीं है।

जिन तीन व्यक्तियों को इस दायित्व के सौंपने का प्रस्ताव है उसमें से एक मेरे पूज्य हैं और दो ऐसे पुराने मित्र और सहकारी हैं जिनके लिए मेरे हृदय में सदा गहरा प्रेम और आदर रहा है। सम्मेलन को इन तीनों की शक्ति का लाभ रहा है। इस समय भी वे सम्मेलन की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में अग्रणी हैं। अहिन्दी प्रान्तों में प्रचार—कार्य के लिए वह समिति भी स्वावलम्बी है। अवश्य ही सम्मेलन के नियमों के अनुसार उसे अपनी नीति स्थिर करनी पड़ती है। नागपुर सम्मेलन में इस समिति का संघटन हुआ। उस समय केवल प्रचार के लिए

यह बनी थी। किन्तु कुछ ही दिनों बाद सम्मेलन ने उसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया। अपनी राष्ट्रभाषा परीक्षाओं और उन परीक्षाओं के लिए पुस्तक प्रकाशन का कार्य भी उस समिति को, वर्षों के भाइयों की इच्छा के अनुसार, सुपुर्द किया। मैं भी उस समिति का सदस्य हूँ। सम्मेलन के कुछ पदाधिकारी पदेन उसके सदस्य हैं। मेरा विश्वास है कि जो प्रस्ताव आया है, उसके प्रस्तावक इस बात को स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के वास्तविक प्रचार में कोई मतभेद नहीं उठा है और समिति का कार्य सफलतापूर्वक बढ़ता गया है। फिर उस समिति को हटा कर उससे सम्बन्ध रखनेवाले तीन व्यक्तियों को ही सम्पूर्ण अधिकार देने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? मुझे स्पष्ट दिखायी देता है कि इसमें, कारण राष्ट्रभाषा हिन्दी नहीं किन्तु हिन्दुस्तानी है जिसका प्रचार यह समिति सम्मेलन के नियमों के अनुसार नहीं कर सकती। इस विषय में अवश्य समिति में मतभेद उठा है। साथ ही समिति पर सम्मेलन के नियमित उद्देश्य (नियम २ (ख) (छ) और (ट) और उपनियम (३८) का नियंत्रण रहा है। समिति ने पिछले वर्ष अन्तिम निश्चय यही किया था कि उसके कार्यों में राष्ट्रभाषा के लिए 'हिन्दी' शब्द ही मान्य है। जिन महानुभावों का दृष्टिकोण 'राष्ट्रभाषा' हिन्दी' के नाम के बारे में पिछले लगभग डेढ़ वर्षों में सम्मेलन से अलग हो गया है, उनके ही हाथों में सम्मेलन अपने राष्ट्रभाषा हिन्दी-सम्बन्धी आदर्श के संचालन का भार सौंपे—यह प्रस्ताव तो वैयक्तिक दृष्टि से भी उचित नहीं है।

मुझे यह विश्वास है कि वे हिन्दुस्तानी के नाम से भी कार्य कर हिन्दी से भाग नहीं सकते। किन्तु सम्मेलन द्वारा अपने 'हिन्दुस्तानी' काम की वह नींव डालें और सम्मेलन की ओर से पूर्णाधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि की रीति से काम करें, यह मुझे न्याय और औचित्य के बाहर लगता है।

सम्मेलन की 'हिन्दी, हिन्दुस्तानी' के विषय में क्या नीति रही है इस पर मैंने एक लेख पिछले वर्ष लिखा था जो कई पत्रों में प्रकाशित हुआ था। वह 'सम्मेलन पत्रिका' में भी है। उसे आप समय हो तो पढ़ लीजिएगा।

डा० मकसेना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सदस्य थे। उन्हें भी अच्छी जानकारी समिति के बारे में है। वह तथा प्रबन्ध मंत्री और उस समय के प्रचार मंत्री इस विषय की बातचीत के लिए वर्षों गये थे और अन्तिम निर्णय के समय उपस्थित थे।

पूना सम्मेलन के बाद पिछली बार वर्षों में मुझसे जो बातें हुई थी उनसे मुझे विश्वास था कि मेरे जेल में रहते इस प्रकार के झगड़े न उठेंगे। किन्तु यह प्रस्ताव आ गया है तब आपको विचार करना ही है। आप लोग जैसा उचित समझें, करें। यदि मैं बाहर होता तो प्रस्ताव का दृढ़ता से विरोध करता और उसके वापस लिये जाने का भी प्रयत्न अपने प्रस्तावक और समर्थक भाइयों से करता। मैं हिन्दी-जनता के भावों से परिचित हूँ। इस प्रस्ताव के कड़वापन उत्पन्न होने का भय है। यह यत्न कीजिएगा कि जो लोग अपना मत प्रकाश करें वे वितय न छोड़ें और प्रस्तावित महानुभावों की पिछली हिन्दी सेवाओं को न भूलें।

(ह०) पुष्पोत्सववास्त दृष्टान्त

इस पत्र में टण्डन जी ने जिस दृढ़ता से आयरणीय राष्ट्रीय भाव के प्रस्ताव का विरोध किया है वह इष्टव्य एवं विचारणीय है। सच बात तो यह है कि राष्ट्रभाषा-अकार से विरत होकर केवल साहित्य-सर्जना के लिए सम्मेलन की स्थापना नहीं हुई थी। उसकी स्थापना का मूल उद्देश्य था स्वतंत्रता के साथ-साथ भारत को एकता के सूत्र में आवद्ध करने के लिए एक सशक्त राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार करना। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक भाषा, परस्पर विचार-विनिमय के लिए आवश्यक होती है। इसके बिना स्वराज्य का कुछ भी अर्थ नहीं, पूज्य बापू हिन्दुस्तानी द्वारा यह कार्य सम्पन्न कराना चाहते थे। किन्तु उनके सतत प्रयत्न के बावजूद भी भारत का विभाजन हुआ और भारत ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देव-नागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में, अपने संविधान में स्थान दिया। आज, हिन्दी तथा देश के संविधान में स्वीकृत अन्य भाषाओं के संबर्द्धन के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जा रहा है यदि स्वराज्य-प्राप्ति के तुरन्त बाद वह दिया गया होता तो राजभाषा की समस्वा कभी हल हो गयी होती। श्रद्धेय टण्डन जी इसके लिए बराबर छटपटाते रहे किन्तु उस समय के शिक्षामंत्री के विरोध के कारण यह कार्य सम्पन्न न हो सका और धीरे-धीरे राष्ट्र-भाषा एवं राज्यभाषा की समस्या उलझती गयी। यदि उस युग की राजनीति के कर्णधार इस समस्या की ओर ध्यान दिये होते तो आज जो स्थिति है वह उपस्थित नहीं हुई होती। जो हो, देश में पूर्ण रूप से स्वराज्य की स्थापना के लिए इस समस्या को हल करना ही है।

यहाँ एक बात में उर्दू-हिन्दी समन्वय के सम्बन्ध में कह देना चाहता हूँ। उर्दू-हिन्दी का समन्वय आज भी आवश्यक है। उर्दू की उत्पत्ति चाहे जैसी भी स्थिति में हुई हो, वह हमारे देश की एक विशेष परिस्थिति तथा संस्कृति को व्यक्त करती है, जिसका ऐतिहासिक महत्त्व है। यह सच है कि सार्वभौमिक दृष्टि से उर्दू में विदेशी विचारों एवं भावनाओं का प्राचुर्य है किन्तु उर्दू में हाली, चकवस्त तथा अन्य अनेक राष्ट्रीयता के पोषक कवियों की कविताओं में भी भारतीय भावनाओं का सम्यक् चित्रण हुआ है। इस प्रकार के सभ्य साहित्य को नागरी लिपि में उपलब्ध करने की आवश्यकता है। उर्दू-हिन्दी विवाद पुराना है। इस विवाद में विदेशी शासकों का भी कम हाथ नहीं रहा है। उनकी विभेद-नीति के कारण भी एक ही भाषा की दो शैलियाँ दूर हटती गयीं। फारसी लिपि ने भी इन दोनों के पार्श्व में पर्याप्त सहायता पहुँचायी। चूँकि वह लिपि तत्सम, तद्भव एवं देशी शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने में असमर्थ है अतएव विदेशी (अरबी-फारसी) शब्दों की भरमार इसमें आवश्यक हो गयी। अतीत में चाहे हिन्दी-उर्दू में भले ही प्रतिद्वन्द्विता रही हो किन्तु आज राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से उसका अन्त हो जाना चाहिए। इस प्रतिद्वन्द्विता को हटाने में हिन्दी के युवा पीढ़ी के लेखक एवं कवि प्रयत्नशील हैं। वे केवल हिन्दी में शूहीत अरबी-फारसी के शब्दों का ही प्रयोग अपनी रचनाओं में सहज रूप में नहीं कर रहे हैं, अपितु वे गाँवों में प्रचलित अर्धव्यंजक शब्दों को अपनी रचनाओं में स्थान दे कर हिन्दी को एक मजबूत भाषा बना रहे हैं। कतिपय उर्दू के लेखक भी इस अभियान में हिन्दी लेखकों के साथ कन्धे में कन्धा मिला कर चल रहे हैं। देश की एकता के लिए यह शुभ लक्षण है। मेरा

अपना विश्वास है कि सम्पूर्ण उर्दू-शास्त्रमय का प्रकाशन नागराक्षरों में अत्यावश्यक है। हिन्दी-उर्दू समन्वय की वस्तुतः दो आधार शिलाएँ हैं। इनमें से एक है नागरी लिपि तथा दूसरी है राष्ट्रीय भावना। इन्हीं के द्वारा भविष्य में हिन्दी-उर्दू समन्वय पूर्ण रूप से संभव हो सकेगा। पूज्य गांधी जी एवं श्रेष्ठेय बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन जी जीवन भर इस समन्वय का स्वप्न देखते रहे। क्या गांधी जन्म शताब्दी के पुनीत वर्ष पर हिन्दी-उर्दू के लेखक बापू जी तथा बाबू जी के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयत्न करेंगे ?

राजर्षि टण्डन जी : एक संस्मरण

जब से मैं हिन्दी के क्षेत्र में आया तभी से टण्डन जी के बारे में सुनता रहा। वे उन दिनों हिन्दी साहित्य सम्मेलन की वागडोर अपने हाथ में लिए हुए थे और एक तरह में राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए भी हिन्दी के भी कार्यकर्ता थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष थे और प्रदेश में उनका काफी सम्मान था। वे इतने आदर्शवादी थे कि कभी-कभी लोग उनको हठी भी कह दिया करते थे। वे हर विषय का सुचारु रूप से चिन्तन किया करते थे, अपनी राय बना लेते थे और फिर दृढ़ हो कर अपनी राय को प्रकट करते थे। उन के कोष में समझौता नामक शब्द नहीं था। यद्यपि वे गांधी जी को भाई समझते थे और उन के हर काम में बड़ी निष्ठा के साथ सहयोग देते थे। यह बात प्रसिद्ध है कि हिन्दी के विषय में उनकी राय गांधी जी की राय से थोड़ी-सी भिन्न थी। गांधी जी हिन्दू-मुस्लिमों का एक मानते थे और हिन्दी-उर्दू का भी एक मानते थे। लेकिन टण्डन जी कट्टरता न रहते हुए भी जिन्ना साहब के इस रुत के विरुद्ध थे कि धर्म का राजनीति में ला कर गड़बड़ पैदा की जाय। इसलिए वे राष्ट्रभाषा के रूप में उर्दू या हिन्दुस्तानी शब्दों को मानने के लिए तैयार नहीं थे और नागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा मानते थे। गांधी जी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। यहाँ तक कि उन्होंने बाबू राजेन्द्र प्रसाद को भी अपने पक्ष में कर लिया। उनके मन में शायद यह विचार था कि जो मुस्लिमों के हक को भारतीयों के हक के मुकाबले में पेश करता है उसको पाकिस्तान में चला जाना चाहिए। मुझे टण्डन जी से मिलने के कई मौके मिले थे। एक मजेदार घटना अब भी मुझे याद आती है। शायद यह १९४४ की बात है, इलाहाबाद में एक परीक्षा-बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड के दूसरे सदस्य थे स्वर्गीय श्री ललिताप्रसाद शुक्ल। मैं शुक्ल जी को पत्र लिख कर इलाहाबाद चला गया। लेकिन जिस दिन मैं इलाहाबाद पहुँचा उस दिन वहाँ कोई मेला चल रहा था। शुक्ल जी स्टेशन पर नहीं मिले। मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन ठीक-ठीक पता नहीं लगा, मैं थका-मादा था। सर्दी के दिन थे और मेरे पास गम कपड़े कम थे। तब मुझे एक बात सूझी। मैंने एक एक्के बाले को बुलाया और कहा कि मुझे टण्डन जी के मकान पर ले चलो। वह सीधा मुझे टण्डन जी के मकान पर ले गया। मैंने उनको इसके पहले कभी नहीं देखा था। घर के स्वागत कक्ष में, एक दुबला-पतला, नाटा आदमी जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बैठा था। मैंने दरवाजे पर खड़ा होकर कहा कि मैं दक्षिण से आया हूँ और श्रीललिताप्रसाद शुक्ल जी से मिलना चाहता था

लेकिन मिल नहीं सका। इसलिए टण्डन जी का नाम लेकर यहाँ चला आया हूँ। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा आलिंगन किया और कहा कि दक्षिण के हिन्दी-प्रेमी को इलाहाबाद में आकर पहले पहल मुझसे ही मिलना चाहिए, किसी शुक्ल जी से नहीं। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया। मेरा सामान रखवाया और मेरे रहने का प्रबन्ध कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कच्चा खाएँगे या पक्का। मैं अपने को हिन्दी का बड़ा अध्यापक मानता था और मेरे मन में यह गर्व था कि मैं हिन्दी अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन इस कच्चे-पक्के का फर्क मेरी समझ में नहीं आया। तो मैं मन में सोचने लगा कि हिन्दीवाले कच्ची चीजे भी भोजन मान कर खाते हैं। तब टण्डन जी को मालूम हुआ कि मेरी कठिनाई क्या है। उन्होंने माफ़ पूछा कि आप रोटी खाएँगे या चावल खाएँगे या पूरी खाएँगे या पराठा खाएँगे। तब मुझे आश्वासन मिल गया कि बात क्या है और मैंने कहा कि इनमे से कोई भी चीज मैं बड़े आराम से खा सकता हूँ। उसके बाद ही मुझे कच्चे-पक्के का असली मतलब समझ में आया। भोजन के बाद उन्होंने हिन्दी के बारे में और केरल के हिन्दी-प्रचार के बारे में मुझसे बहुत बानों की और मेरी बातें सुन कर उनका बहुत आनन्द आया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक आदमी के साथ शुक्ल जी के घर पर पहुँचा दिया। मेरे मन में यह भावना पैदा हुई कि इतने बड़े नाम का आदमी कद में इतना छोटा हूँ सकता है, इतनी सादगी रख सकता है और बाहर के आदमी का इतनी आबभगत कर सकता सकता है। नौकरों के रहते हुए भी उन्होंने मेरा सब काम करा दिया।

टण्डन जी के साथ फिर मेरी निकट मुलाकात १९४८ में हुई। जब दिल्ली में संविधान बन रहा था तब हिन्दी साहित्य सम्मेलन की तरफ से देश के कोने-कोने से बहुत से विद्वान् बुलाए गए थे और नामी हिन्दी का पक्ष प्रबल बनाने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। टण्डन जी उसके मुखिया थे। केरल से मेरे अलावा स्वर्गीय महाकवि वल्लत्तोल भी बुलाए गए थे। वल्लत्तोल भी मैथिलीशरण जी के स्तर के राष्ट्रवादी कवि थे और उन्होंने बड़े जोरों के साथ टण्डन जी का समर्थन किया। उस समय कांस्टीट्यूशन क्लब में एक बड़ी सभा हुई उसमें हम सब लोगों ने भाषण दिए और शुद्ध हिन्दी का समर्थन किया। टण्डन जी की जीत हुई और उर्दू वाले ठड़े पड़ गए। हिन्दी क्षेत्र में बच्चा बच्चा टण्डन जी की पूजा करता है और उनका नाम अमर है। जब मैं भारत सरकार के हिन्दी-निदेशालय का निदेशक बन कर आया तो उस समय मेरे सम्मान में एकछोटी सी गोष्ठी हुई। उसमें बच्चन जी ने भाषण देते हुए कहा कि चन्द्रहासन केरल के टण्डन है। मैंने सभा के बाद बच्चन जी से कहा कि आपके कथन में इतनी सच्चाई जरूर है कि मैं कद में टण्डन जी के करीब-करीब बराबर हूँ लेकिन भविष्य में बाकी बातों में भी टण्डन जैसा बनने की कोशिश करूँगा।

स्वाधीनता-संग्राम के वीर सेनानी टण्डन जी

हमारे देश के स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में राजपि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन का स्थान मदा बहुत ही ऊँचा रहेगा। इस देश को जिन लोकवन्द्य विभूतियों ने इस संग्राम में हमारे नैतिक आदर्शों को अपने जीवन के क्षण क्षण के कार्यों से उत्कर्ष प्रदान किया है उनमें राजपि का महत्वपूर्ण स्थान है। इस देश के मुझ मरीचे लाखों नीजवानों के हृदयों में उनकी वाणी ने देशभक्ति का पावन मंत्र फूँका है, मानुभूमि की दासता के बंधनों को तोड़ने के लिए अपना सर्वस्व न्याछावर करने के लिये आह्वान किया है, जीवन में उत्साह और सकल्प की शक्ति दी है, मानुभाषा हिन्दी के प्रति अमित अनुग्रह दिया है, भारतीय संस्कृति के अमर आदर्शों के प्रति अदम्य आस्था दी है और दृढ़ता के साथ स्वविवेक पर अडिग रहने का शुभ सकल्प दिया है।

आज में लगभग ५० वर्ष पहले की बात है जब मैं केवल १२ वर्ष का बालक था। राष्ट्र-पिता विप्लवबन्ध महात्मा गांधी का असहयोग आन्दोलन देश में व्याप्त हो रहा था और मानु-भूमि को दासता से मुक्त करने का आह्वान इस देश के जनमानस को आन्दोलित कर रहा था।

मेरे मानस को भी बापू की वह ओजस्वनी वाणी आन्दोलित कर चुकी थी और पढ़ना-लिखना छोड़कर अपनी तर्हील के स्वयंसेवकों की सेना में भर्ती भी हो चुका था। सिरसा में एक सभा हुई, जिसमें पहले-पहल मुझे बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन के दर्शन और उनके ओजस्वी भाषण सुनने का अवसर मिला। पं० गौरीशंकर मिश्र, पं० कपिलदेव मालवीय और श्री टण्डन जी सिरसा में असहयोग आन्दोलन का संदेश सुनाने, विदेशी वस्तुओं, मादक द्रव्यों के बहिष्कार एवं तिलक-स्वराज्य कोष के संग्रह के लिए आये थे। उस समय गांधी में मोटर का कोई प्रचार नहीं था। मेजा रोड स्टेशन में उतर कर ये लोग इनके से सिरसा पधारे थे। मेरे मन में अनीक उत्साह और उत्कलन था और मैं उन सभा के लिए उछल-कूदकर गांव में नोटिस बाँटता और गला फाड़कर सभा के लिए प्रेरित कर रहा था। उदासी बाबा के बबूतरे पर संभा हुई जहाँ मैंने कालि केश और दाढ़ी वाले इस ओजस्वी नरपुंगव को शंभुवल खादी के कुर्ते धोती और पगड़ी के वेष में काठ की चट्टी पहने हुए पहले पहल देखा। मेरा मानस किसी अनिर्बचनीय भावना से पुलकित हो उठा। वहाँ मैंने इन तीनों महानुभावों के ओजस्वी भाषण सुने। इन सबके भाषणों में राजपि टण्डन जी का भाषण बड़ा ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी था

जिसके परिणामस्वरूप एक अव्यक्त स्वर लहरी मेरे मानस में यूँ उठी। मोहप्रस्त अर्जुन को जिन शब्दों में भगवान् श्रीकृष्ण ने उद्बोधित किया था। टण्डन जी द्वारा उद्धृत वे दोनों श्लोक,

‘कलैव्यं वा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वद्युपपद्यते ।
 शुभ्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः ॥
 हतौ वाप्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोष्यसे महान् ॥
 तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते य युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

मेरे कानों में आज भी यूँजते रहते हैं, जैसे स्वयं भगवान् कृष्ण ने नुसँ सम्बोधित किया हो और जो मोह और संशय के हर क्षण में गुरुमंत्र की तरह आत्मतत्त्व का सम्बल देते रहते हैं।

राजर्षि का सारा जीवन तप और निष्ठ का जीवन रहा। भारतीय संस्कृति जिसने उच्च आदर्शों को आत्मसात् करके अनादि काल से जन्म का उद्बोधन किया है वे सब राजर्षि में मूर्तिमान थे। सत्य और अहिंसा को वे परम धर्म मानते थे। अपनी वाणी और किसी भी कार्य से न केवल मनुष्य अपितु प्राणिमात्र को क्लेश न हों, यह उनका सदैव प्रयास रहा। एक बार की घटना है। वे भूमि पर प्रायः चटाई बिछाकर लिखते-पढ़ने का कार्य कर रहे थे। एक बार एक चींटा बार-बार उनके पास आता रहा और वे उसके निवारण का प्रयास करते रहे, किन्तु हठी चींटा अपने मन्तव्यों से विमुख नहीं हो रहा था। सम्भवतः कुछ चिठ कर उन्होंने उसको कागज की दफती से अथवा हाथ के पंखे से कुछ तेजी से हटा दिया। इस झटके से चींटी की एक टाँग टूट गई। जैसे ही उनकी नुष्ट उस पर पड़ी और उन्होंने उसकी टाँग टूटी हुई देखी, उनके दुःख का पारावार न रहा।

वे दूध और धी का प्रयोग नहीं करते थे, उनका यह मत था कि मनुष्य को अपने शैशव में केवल अपनी माँ के दूध पीने का अधिकार है। दूध मनुष्य का उसी समय तक नैसर्गिक आहार है, जब तक उसके दाँत नहीं निकलते। दाँत आ जाने के बाद उसे दुग्धाहार का कोई अधिकार नहीं है। गाय, भैंस अथवा बकरी, किसी भी दुग्धदायी पशु के दूध को ग्रहण करना वह अनुचित कार्य समझते और उस पशु के दूध पर उसके वत्स का एकमात्र अधिकार मानते थे। उस वत्स को उससे वचित करना वे हिंसा मानते थे। राष्ट्रपिता पूज्य बापू की सम्मति में भी यह अहिंसा की पराकाष्ठा है। इस अहिंसा के कठोर-त्रल को राजर्षि ने अपने जीवन में आत्मसात् करके दिखाया था। वे राजा हरिश्चन्द्र के समान सदैव सत्य के दृढ़ पुजारी रहे। उन्होंने अपने जीवन को कठोर तप में तपाया हाईकोर्ट की बकालत छोड़ने के बाद, उनको जिस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, वह किसी भी बड़े से बड़े धर्यशील के धीरज को भी तोड़ सकता था। राजर्षि ने सत्तु और चने पर अपने परिवार का पालन किया और स्वाधीनता संग्राम के कठोर तप से कभी विचलित नहीं हुए। वे अक्सर कबीर के शब्दों में कहा करते थे—‘यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहि, सीस उतारे मुई धरै, तब पीठे या माँहि।’ ‘राजर्षि रुड़ियों के सदैव कठोर विरोधी रहे और स्वविवेक

को ही उन्होंने सदा उच्च स्थान दिया। वह भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक एवं पोषक होते हुए भी नकीर्ण रुढ़िवादी कभी नहीं रहे। वेद, शास्त्र एवं स्मृतियों तक को उन्होंने चुनौती देने में कभी गुरेज नहीं की। वे लीक पर चलने के कट्टर विरोधी रहे। 'लीक लीक गाड़ी चले लीकें चलै कपूत। बिना लीक सीन चलै सायर, सूर, सपूत।' यह टण्डन जी के भाषणों में प्रायः सुनने को मिलता रहा।

दलाहाबाद जिले एवं गहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से लेकर प्रादेशिक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष-पद तथा विधान सभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की हैसियत तक हमारे स्वाधीनता-संग्राम एवं भारतीय जागरण, अम्युत्थान एवं नव-निर्माण के इतिहास में उनका विशिष्ट स्थान था। जिनकी हमारे राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सदैव अभिष्ट छाप बनी रहेगी। किन्तु राजर्षि टण्डन की सबसे बड़ी देन हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर पदासीन करना था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना से लेकर आज तक उसके कार्यों में राजर्षि टण्डन उसकी आत्मा और प्राण के समान व्यस्त रहे और आज सारे देश में हिन्दी भाषा और साहित्य का जो व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है, उसका एक बड़ी सीमा तक श्रेय राजर्षि के अदम्य मकल्प, अनवरत परिश्रम और मर्बनुकरणीय उत्साह को रहा है। इस देश की तीन चौथाई जनता की जनभाषा को आज वह आत्मसम्मान और गौरव कदापि प्राप्त न होता यदि उसके लिए हमें आज राजर्षि जैसे एकनिष्ठ नेता समर्थक तथा मार्गदर्शक न मिलते। हिन्दी भाषा और साहित्य के उत्थान के इतिहास में राजर्षि का नाम सदैव स्वर्णक्षरो में अंकित रहेगा। वास्तव में आज इस देश में हिन्दी भाषा और राजर्षि टण्डन जी यह एक दूसरे के पर्याय से हो गये हैं।

श्री तारकेश्वर पांडेय

साधु पुरुष राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन : संस्मरण

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन का मेरा प्रथम साक्षात्कार मिर्जापुर में आयोजित प्रदेशीय कांग्रेस अधिवेशन की बैठक के अवसर पर हुआ था। गांधी-इरविन पैक्ट के बाद जब हम लोग जेल से छूटे उसी समय सन् १९३१ में, मिर्जापुर में होनेवाली प्रादेशीय कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर टण्डन जी का दर्शन हुआ। उन्हें स्वागत समिति के लोगों ने एक गानदार कोठी में ठहराया था। उस कोठी की शान शौकत और सम्पन्नता का उन पर कोई प्रभाव नहीं पडा था। वे तड़क-भड़क की बनावटी जिन्दगी से अलग थे। उस समय प्रदेश के नेताओं में उनसे अधिक मुझे किसी ने भी आकृष्ट नहीं किया। वे सौम्यता, सादगी, स्पष्टवादिता तथा भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतीक थे। सन् १९३१ में मैं उनके सम्पर्क में अलीभांति आया और आजीवन उनसे मेरा सम्पर्क बना रहा।

जब मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासूत्री था, उस समय कांग्रेस के जो परिपत्र मेरे नाम से निकलते थे उनपर मैं पांडे (Pande) हस्ताक्षर करता था, परन्तु टण्डन जी को इसकी अशुद्धि खटकनी थी। मुझे उन्होंने समझाया कि इसका शुद्ध रूप 'पांडे' नहीं 'पांडेय' है। परन्तु शुरू से ही पांडे लिखने की आदत होने के कारण मैं उनके द्वारा समझाए गये शुद्ध रूप का प्रयोग कभी नहीं कर सका।

मेरा आवास दिल्ली में उनके निवासस्थान के समीप ही था, मैं समय-समय पर टण्डन जी के घर जाता रहता था। वे लोक-सभा के सदस्य तथा मैं राज्य-सभा का सदस्य था। इसी संदर्भ में उनके घोर आदर्शवादी जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता। दिल्ली में उनके यहाँ जो अतिथि आते और टिकते थे उन्हें बहू दाल-सब्जी खिलाया करते थे। एक बार तीन अतिथि, जो टण्डन जी के यहाँ टिके थे, काफी रात गये मेरे पास आये और उन्होंने भोजन करने का प्रस्ताव किया। मैंने उन अतिथियों को तत्काल भोजन कराया। तब मैंने उन लोगों से पूछा कि टण्डन जी के यहाँ आप लोगों ने भोजन क्यों नहीं किया, तो उन अतिथियों ने बतलाया कि उनके पास राशन का अभाव था, वे इतने घोर आदर्शवादी हैं कि जितना बँचा हुआ राशन उन्हें कार्ड पर मिलता है उससे अधिक राशन लेना वे अनुचित समझते हैं। इस प्रकार के सत्यनिष्ठ, व्यावहारिक, आदर्शवादी लोग मेरे जीवन में देखने में कम आए।

वे अपने कार्यक्रमों के प्रति नियमित थे और उनका व्यक्तिगत विनययुक्त था। इस संदर्भ में मैं एक दूसरी घटना का जिक्र करना चाहूँगा। एक दिन जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तो

आत्मक-वार्तापत्र, छक १८९१]

टेलीफोन बुला हुआ था। मैंने तत्काल अपने घर टेलीफोन किया। उस समय संसद-सदस्यों को भी टेलीफोन 'फ्री' नहीं था। टण्डन जी ने अपने टेलीफोन में ताला लगा रखा था और उसी के पास एक छोटा डिब्बा रखवा दिया था और उस पर लिखा हुआ था कि फोन करने पर पैसा डिब्बे में डालिये। मेरे टेलीफोन करने के बाद उन्होंने मुझे उस बाक्स में पैसा डालने के लिए कहा परन्तु मैंने उन्हें उत्तर दिया कि हम लोग तो सहुपीगी हैं, समानधर्मा हैं, उन्होंने तत्काल अपने नौकर को बुलाया तथा उससे पैसे लेकर उस डिब्बे में डाल दिया। इस छोटी सी घटना से उनके नियमित होने का अन्दाज लगाया जा सकता है।

जब वे उत्तर प्रदेश की असेम्बली के स्पीकर थे तब हम पद से उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीतने के बाद त्यागपत्र दे दिया। और सरकारी आवास त्याग कर अपने नये आवास में रहने लगे। त्यागपत्र के तुरन्त बाद ही उसी दिन सरकारी आवास छोड़ दिया। आज त्याग तथा मिद्वान्त का ऐसा समन्वय बड़ा कठिन दीख पड़ता है।

हमारे प्रदेश के कुछ मुसलिम अधिकारियों ने मुझसे कहा कि टण्डन जी के अध्यक्ष होने से मुसलमानों में भय का वातावरण व्याप्त है। उस अधिकारी ने चुनाव के पूर्व ही मुझसे पूछा था कि आप किसे बोट देंगे। मैंने कहा कि मैं अपने साथियों सहित टण्डन जी का समर्थन कर रहा हूँ। उस अधिकारी ने कहा कि आप एक साम्प्रदायिक का बोट मत बीजिए। मैंने उन्हें समझाया कि यह झूठी अफवाह है कि टण्डन जी साम्प्रदायिक हैं। वे फारसी और उर्दू के विद्वान् हैं और कालेज के दिनों में परसियन के विद्यार्थी भी रहे हैं। साम्प्रदायिकता की भावना उनमें नहीं है। मेरे समझाने पर वे अधिकारी मुझसे महमत हुए। जब टण्डन जी अध्यक्ष हुए तब उनके कार्यकाल में उनके भाषण तथा उनके किसी प्रकार के कार्य में कभी साम्प्रदायिकता की गंध तक नहीं आई। उन्होंने अपने जीवन में देश भक्तिकी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र की सेवा की। साम्प्रदायिकता की भावना से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के स्पीकर के पद से उन्होंने मीलिक, सैथानिक व्यवस्थाओं की स्थापना की। वे व्यवस्थाएँ आज भी सैथानिक संकटों के समय मार्गदर्शन करती हैं। वे निष्पक्ष एवं निरभिमानी सत्पुरुष थे।

टण्डन जी भारतीय सस्कृति के प्रबल उपासक एवं राष्ट्रभाषा के प्राण थे। जब गांधी जी के नेतृत्व में देश का बड़ा से बड़ा नेता 'हिन्दुस्तानी' के प्रबल प्रवाह में प्रवाहित हो गया तो टण्डन जी ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के 'हिन्दुस्तानी' के विरोध का नेतृत्व किया। गांधी जी की मान्यता थी कि देश की भाषा का नाम हिन्दुस्तानी है, जो नागरी एवं फारसी लिपियों में लिखी जाती है। टण्डन जी ने सारे देश की जनता और उनकी जनमानस की भावना का नेतृत्व प्रदान किया। टण्डन जी की मान्यता थी कि हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है जो केवल देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू तो अवधी, ब्रज, मागधी, शौरसेनी और मोजपुरी की भाँति हिन्दी की एक शैली मात्र है। टण्डन जी ने भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकृत कराने में जो संघर्ष किया उसके लिए देश उनका ऋणी रहेगा।

टण्डन जी वर्ण-व्यवस्था में विश्वास करते थे परन्तु वे कर्मणा वर्ण-व्यवस्था के समर्थक थे। वे जन्मना वर्ण-व्यवस्था के पोषक नहीं थे। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है—'जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारान् द्विज उच्यते'।

उन्होंने कर्मकांड का भी हिन्दीकरण करने का यत्न किया, परन्तु इसे वे जन-जीवन में प्रचलित न करा पाये। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने देश का विभाजन कराकर स्वतन्त्रता क्यों स्वीकार कर ली? टण्डन जी के दोनों नेत्र मार्मिक व्यथा से भर उठे, उनके नेत्रों से गगनमुखा प्रवाहित होने लगी। टण्डन जी ने पूज्य मालवीय जी द्वारा लखनऊ पैसट के प्रसंग में (क्रिश्चियन तथा मुसलिम लीग पैसट) उनके हस्ताक्षर करने का वर्णन करते हुए यह बतलाया कि तिलक के हस्ताक्षर करने पर ही महाभारत में अपना हस्ताक्षर किया था। इस प्रसंग में यह भी चर्चा चली कि उसी दिन भारत-विभाजन का बीजारोपण हुआ। इस घटना का वर्णन करते हुए उनको बड़ी वेदना हुई।

प्रयाग की गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में मालवीय, सत्रु, नेहरू और बुंजक जैसे अन्तर्-ष्ट्रीय क्रांति के और अखिल भारतीय महत्त्व के नेताओं को जन्म दिया। इन साधन-सम्पन्न नेताओं के मध्य टण्डन जी जैसे अभावग्रस्त महापुरुष को अपने सिद्धान्त, आदर्श एवं भाष्यनाओं को लेकर जो देशभरानी सवर्ष करना पड़ा, उसे समझना कठिन है। इस सवर्ष में टण्डन जी की प्रतिभा, आदर्श, लगन और त्याग ही उनके जीवन के सम्बल थे जिससे वे निरंतर संघर्षों के मध्य निखरते गये और ऊपर उठने गए। वास्तविकता यही है कि राजर्षि टण्डन जी से युवा पीढ़ी सर्वदा प्रेरणा लेती रहेगी।

प्रोफेसर गुणप्रसाद वंडन

पूज्य बाबूजी, हमारा परिवार और लोकपक्ष

पूज्य बाबूजी का साग जीवन मृत्यु, आत्ममयम और राष्ट्रीयता की धुरी पर स्थिर रहा है। उनकी हिन्दी-सेवा तो राष्ट्रीयता की पर्यायवाची थी। विघ्न और कष्ट आये पर उन्हें लक्ष्य से विचलित न कर सके। सामाजिक प्रयोगों को कुचलनेवाली उनकी राष्ट्रीयता कठोर आत्मसंयम की शिला पर अवस्थित आध्यात्मिक सुख की ही एक अंग थी। संकल्प और क्रिया का सुखद समन्वय उनमें मूर्तिमान था।

परिवार संतमत्त में दीक्षित था। हमारे दादा श्री शालिग्राम जी सतमत्त में दीक्षित हुए थे। दादी तो नित्य अंतरमुड्यास्थित बाबूजी महाराज के मत्संग में जाती थी और मतदानियों का पाठ करती थी। बाबूजी यथावकाश मत्संग जाते थे और हम सब छोटे-बड़े बच्चे प्रायः रविवार को मत्संग का लाभ उठाते थे। पारिवारिक संस्कारों के समय हमारे घर में भी मत्संग हुआ करता था। बाबूजी के आचार-विचार, आदर्श और संस्कारों के निर्माण में सन-साधना का व्यापक प्रभाव अवश्य था। किन्तु उनकी दृष्टि एकान्तिक न होकर लोकसंग्रही थी, वैदिक संस्कृति के वे अनन्य भक्त थे और मूढसाहित्य के कटु आलोचक। दुर्गा महात्म्य और भगवद्गीता से उनकी राष्ट्रीयता अनुप्राणित थी। गीता का दूसरा अध्याय उन्हें कंठस्थ था और हम सभी माई-बहिनों को उन्होंने कंठस्थ कराया था।

हिंसक उपायों पर बाबूजी की श्रद्धा नहीं थी पर आत्मरक्षा के निमित्त लाठी, पटेबाजी, गतकरी, कुश्ती-मल्लविद्या आदि के अभ्यास को वे प्रोत्साहन देते थे। देशविभाजन पर विघटनकारी तत्वों के परिहार हेतु सन् १९४७ में उन्होंने 'उत्तर प्रदेशीय रक्षक दल' का संगठन किया था। सामाजिक अन्याय के प्रति मौन रहने को वह डरपाकपन और कायरता की निशानी कहा करते थे। सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध और अहिंसा में कोई संयति नहीं समझते थे। उनकी दृष्टि में मच्छा अहिंसक निर्भीकतापूर्वक कटु से कटु सत्य का भी समीक्षात्मक करता है। मृत्यु की आराधना में उनके पास कबीर की प्रखर दृष्टि थी और तत्त्वचिंतन में प्लेटो की आदर्शवादी अंतर्दृष्टि तथा शिववच भावना का संयोग था। उनकी अहिंसा में शांतिपूर्वक हृदय-परिवर्तन तो सन्निविष्ट है किन्तु शक्ति और तेज का उपहास उन्हें कदापि सह्य नहीं था। वे कहा करते थे कि इ मनस्वी तेजस्वी और पीछेवाले व्यक्ति ही सक्रिय अहिंसक होनेके पात्र है। कर्मवीरत्व के लिए उनका प्रेरणामंत्र था—

कलेभ्यं नत स्मयतः पार्थ नैतत्स्वप्नुपपन्नदे ।

जुष्टं हृदय दीर्घत्वं त्यक्तचोत्थित परंतप ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता)

सामाजिक त्यौहारों और पर्वों पर, वशाहरा, दीपावली या होली पर, सामूहिक हँसी-झुंठी में भाग लेते हुए श्री बाबू जी की प्रकृति वीतरागी की सी रहती थी। वे मगोतत्र थे, सितार और हारमोनियम मधुर बजाते थे। अपने कालेज-जीवन में शेक्सपीयर के नाटकों में सफल अभिनय उन्होंने किया था और महामना मालवीयजी के साथ प्रयागम्ब 'हिन्दी नाट्य समिति' के मूल संगठन-कर्त्ताओं में भी थे। दो-एक बार होलिकोकसव पर भवतां और साधको के निनादित गीतों का आनन्द उनकी भावुक, हारकली आँखों में मैंने देखा था। मूर्च्छना की ताल पर उनकी आँखें आनन्द-विभोर हो मिच-सी जाती थी। अधिक स्फूर्ति वशाहरे पर मिलती थी क्योंकि यह पर्व दुरन्त शक्तियों के विनाश का प्रतीक है और बाबूजी के मत में "वीरभोग्या वसुधरा" का पाठ पढ़ाकर हमें दासता से मुक्ति दिलानेवाला तथा बल का कारण है। सगे-संबंधी इष्ट मित्रों के खान-पान की व्यवस्था उक्त पर्वों पर होती थी। प्रायः वे स्वतः ही निरीक्षण करते थे और बड़े चाव एवं उल्लास से फल, मिठाई, नमकीन, पकवान आदि खिलाने में जुट जाते थे। स्वतः ध्वेत चीनी नहीं ग्रहण करते थे, अतः खाँड़ के शर्बत या कुछ नमकीन से ही वे तृप्ति-लाभ करते थे।

क्रिकेट के वे अच्छे खिलाड़ी थे और म्योर सेंट्रल कालेज टीम के कप्तान रह चुके थे। बच्चों के साथ भंगे वे खल में रस लेते थे किंतु उस समय स्वच्छदता कदाचित् मर्यादित हो जाती थी, कोई चनाचूरीना व्यवहार नहीं कर सकता था। एक बार वे हम लोगों को क्रिकेट खेला सिखा रहे थे। मैं 'हित' के स्थान पर निर्विष्ट था और बाल-बुद्धि से मोमफली भी खाता जाता था। बाबू-जी गेंद फेंक रहे थे। उन्होंने तुरन्त मोमफली फेकवा दी और कहा कि दोनों काम एक साथ नहीं होते, गेंद पर ध्यान रखो। मैं एकाम्र हुआ और उनके निर्देशानुसार एक खिलाड़ी की हित लीक कर उसे आउट करने में मैंने सहायता पहुँचाई।

परिवार में उनका प्रेम गहन ममत्व और त्याग के दुकूलों का स्पर्श करता था। पुरखों की रीति का पालन परंपरा के अनुसार घर में होता आया है। कभी-कभी इस व्यावहारिक पक्ष में बाबूजी का हस्तक्षेप हो जाता था और उनके आदर्शों के विरुद्ध किसी बात पर यथा अपात्र को दान इत्यादि—मेरी माँ से कोई वृत्ति हो जाती थी तो उन्हें ब्रत करना पड़ता था और बाबूजी भी ब्रत करते थे। सन् १९३० में मेरी छोटी बहिन के विवाह पर ऐसा एक प्रसंग मुझे आज भी स्मरण है। इसे अपवाद ही समझिए, साधारणतया उनकी सहृदयता क्षतुदिक व्याप्त थी। हम सब बच्चों, बहू-भेटियों के बीच उनका ऋषितुल्य व्यक्तित्व जलपानगोठी, कीचुक और गान-बाद्य और मनोरंजन आदि में भी भाग लेता था। उनकी उपस्थिति से ही चारों ओर जीवन और उल्लास का प्रकाश-पुञ्ज बिखर जाता था। बच्चों में उनके निकट पहुँचने की होड़ मच जाती थी पर मर्यादा का हम सभी को ध्यान था कि कहीं कोई अशिष्टता न कर बैठे कि डाँट अत्याक्त-मार्तादीर्घ, शक १८९१]

खानी पड़े। उनमें क्रीच का आवेश सहज न होते हुए भी कम नहीं था, कभी-कभी रोते बच्चों को पीट कर वे चुप कराते थे।

सन् १९२० के असह्योग आन्दोलन ने संयम, त्याग और स्वावलम्बन में परिवार को घेर लिया। उन दिनों की स्मृतियाँ मधुर भी हैं, कठोर भी। हाईकोर्ट की बकाालत ठुकराकर बाबूजी गाँव-गाँव घूमकर स्वराज्य का मंत्र फूंकने लगे और हम सब भाई अंग्रेजी स्कूल या कालेज की पढ़ाई छोड़कर स्वयंसेवक का कार्य करने लगे। कुछ समय बाद प्रदेय वियोगीहरि के निरीक्षण में मैं अपने छोटे भाई संतप्रसाद-महित हिन्दी विद्य.पीठ का छात्र हो गया। प्रयागस्थ इत्येष्वरनाथ महादेव के पड़ोसी ७२ जानस्टनगंठ के दुमंजिले किराये के घर में हम लोग रहते थे। हम सब भाई-बहिन छोटी अवस्था के थे, बड़े भैया सतरहवें में पैर रख रहे थे। पढ़ना छोड़ना बाल-कौतुक में अच्छा ही लगा था। देश के उफान के साथ एक वर्ष में गांधीजी के स्वराज्य का मधुर स्वप्न मैं देखा करता था, स्वराज्य-फड के मिश्रित गली-कूचों में दौड़-घुप कर चंदा इकट्ठा करने में गर्व का अनुभव करता था, खिलाफत और कायेस में तब एकता थी। कितने प्रेम से मुस्लिम भाइयों से भी मैंने चंदा उगाहा था।

तब बाबूजी की दिनचर्या—एक सामाजिक राष्ट्रीय कामकर्ता की दिनचर्या के सिवा और क्या हो सकती थी। उनका व्यक्तित्व स्पष्ट, अगोपनीय था—एक तपसी साधक का—सा लुला जीवन था। सुबह से रात तक कार्यकर्ताओं का आवागमन, आन्दोलन का संगठन और ग्राम-यात्रा की योजनाएँ दृष्टिगत थी। खाने-पीने का न कोई समय और न उन्हें सुवि, और फिर बाबूजी का जन्मजात आतिथ्य प्रेम। कितनी ही बार दिन-दोपहरी कुछ कार्यकर्ता आ जाते थे जब भोजन उठ चुकता था। कभी कभी तो बउआ—मेरी माँ—अपना हिस्सा ही अतिथि को दे देती थी और कभी कभी उन्हें फिग से भोजन बनाना पड जाता था। हम लोग मन ही मन बाबूजी पर खीझते थे पर विवश थे। हिन्दू परिवार में नारी का सेवा धर्म कितना ऊँचा है। यह मैं तभी समझ पाया था। जेठ की कठोर तपन और छप्पर के नीचे चरहा। उसके बुझने और असमय जलने में रसोई बनाने वाले की मर्यादाभंग चाहे हुई हो पर बउआ की कठोर त्याग-साधना उससे ज्वलंत थी। दिन में ही नहीं रात्रि में भी। असामयिक मेहमानों की आवभगत के कारण कभी कभी बउआ भी खीझ उठती थी पर लोकपक्ष उनकी जबान बंद पिये था।

स्वराज्य फण्ड की धन-राशि एकत्र करने की अंतिम तिथियाँ निकट थी। बाबूजी ने प्रयाग में रहते हुए भी राष्ट्रीयहित में घर से १५ दिनों का प्रवास ले लिया। मैं उस समय भीत छत्र से प्रस्त था। वे मेरी दशा के विषय में घर के नीचे से पूछताछ कर चले जाते थे।

बाबूजी के जेल जाने पर कई हितैषियों ने आर्थिक सहायता करनी चाही पर विनम्रता के साथ बाबूजी ने मनाकर दिया। श्रैया साहित्य भवन लिमिटेड में मैनेजर का कार्य करने लगे थे और छोटे भाई वि० सतप्रसाद काढ़ने की मन्तोन का काम सीख आये थे। उनसे कुछ आय हो जाती थी और दो-एक व्यापारियों के पास बाबूजी का कुछ रकबा ठूकानों में लगा था। उनसे थोड़ा ब्याज आता था। इस प्रकार लगभग १००) महीने में हम लोगों का निर्वाह स्वावलम्बन

पूर्वक ही जाता था—कोई खेद नहीं था क्षोभ नहीं था क्योंकि लक्ष्य सभी के उदात्त थे। जेल के साथ-साथ जुमनि का दंड भी बाबूजी को मिलता था, कांग्रेस-नीति जमाना देने के प्रतिक्ल भी ही। जमाना न देने पर दो बार सरकारी कुड़की हुई। हमारे ओढ़ने-बिछाने का सामान चला गया—पर हम सब अपनी छोटी-सी पूँजी में स्वाधिमान पूर्वक रहते रहे, जेल में भेंट के समय बाबूजी कहा करते थे कि प्रसन्नता दरिद्रता, अभाग्य या कष्ट से मुक्ति में नहीं है, वह तो इनसे ऊपर उठने की शक्ति में और इन पर विजयी बनने में है। अतः असुविधाओं की चिन्ता न कर बाबूजी के त्याग के आदर्श से हम लोग आश्वस्त रहते थे और किंचित् अभाव में भी हर्ष का अनुभव करते थे।

राष्ट्रीय गति के अनुरूप ही कुटुंब के वैवाहिक संस्कारों में शुद्ध खादी वस्त्र और मटका रेशम—जिसमें जीवहत्या नहीं होती और बाबूजी का अहिंसा का समन्वय है—का व्यवहार प्रचलित हो गया। भारतियों के लिये भी खादी का प्रतिबन्ध अनिवार्य था। घर के कई जेठे मयाने भाग्य मंत्रियों की खादी वेशभूषा में बाबूजी का नैतिक आदर्श ही मुझे मूर्तिमान् दिसलाई पड़ता था। निमंत्रणपत्र भी हाथ के बने कागज पर छपता था।

हिन्दू विवाह-पद्धति का वैदिक रीति का स्वागत करते हुए भी बाबूजी अपनी विश्लेषण प्रवृत्ति के बल पर ढकोसलों से दूर रहने के पक्षपाती थे। अतः काशी और प्रयाग के कुछ विद्वान् पंडितों की सहायता से उन्होंने “विवाह पद्धति” का शुद्ध हिन्दी भाषान्तर कराया था। उनका मत था कि विवाह जैसे उत्तरदायित्व पूर्ण संस्कार को समझना वर-कन्या के लिए आवश्यक है और परम्पर दोनों को ही प्रतिजार्ण करना चाहिए। पंडितवर-कन्या की ओर से मंत्र उच्चरित करे, इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतः सन् १९३० के बाद से परिवार में सभी भाई-बहिन, भाजे-भतीजों का विवाह शुद्ध हिन्दी मंत्रों द्वारा ही उन्होंने कराया। कई विवाह संस्कार पंडित की उपस्थिति में भी उन्होंने स्वयं ही हिन्दी के प्रति श्रद्धा के कारण कराए थे। हिन्दी विवाह पद्धति का प्रचलन हमारे परिवार में अब भी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अंग्रेजी में अनुदित बाइबिल ने जिस तरह लैटिन की दासता से मुक्त होकर क्रांति की है उसी तरह “हिन्दी विवाह पद्धति” प्रचलित हो जाय तो हमारी सामाजिक एकता बलवती हो सकती है।

बाबूजी अपनी बात के हठी थे। असहयोग आन्दोलन के शान्त होने पर अधिकांश कांग्रेसियों ने पुनः वकालत शुरू कर दी थी किन्तु वे शूककर चाटनेवालों में नहीं थे, अपने सिद्धान्त पर अडिग थे। अतः हम लोगों की स्कूल कॉलेज की शिक्षा में, जिसके प्रति बाबूजी अनुदार थे, तीन-चार वर्षों का व्यवधान पड़ा, सच तो यह है कि जब लाला लाजपतरायजी के अनुरोध से लाहौर के पंजाब नैशनल बैंक का सेक्रेटरी पद १९२५ में बाबूजी ने स्वीकार किया तभी आर्थिक दृष्टि से हम भाइयों की उच्च शिक्षा संभव हो पाई। भारतीय संस्कृति और सदाचार के आयुष्यों के रक्षा-हेतु वे गवर्नमेंट कॉलेज या क्रिश्चियन कॉलेज में हमसब को शिक्षा दिलाने के विवक्ष्य थे, सनातन धर्म कॉलेज या डी० ए० पी० कॉलेज के पक्ष में थे। गवर्नमेंट या क्रिश्चियन कॉलेज आर्थिक दृष्टिसे निविचत होने के कारण सुयोग्य आचार्यों-प्राध्यापकों से संपन्न रहते हैं; श्रेष्ठतम छात्रों की आवाह—भारतवर्ष, शक १८९१]

प्रतिबद्धता और खेल कूद की प्रचुर सुविधाएँ यहाँ रहती हैं। परन्तु बाबूजी बचलती प्रवृत्तियों के साथ शीघ्रे समझौता न कर सकते थे। थोड़ी बहस हुई। फलतः लाहौर के समाप्तन धर्म कॉलेज से इंटर पास करने के बाद मुझे हास्टेल में रहकर उच्च शिक्षा निमित्त प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। शिक्षा-काल में सुयोग्य छात्र उमंगपूरित क्षेत्र निषारित करते हैं किन्तु जब सरकार से लड़ाई है तब आई०सी०एस० या अन्य उच्च प्रतियोगिता की परीक्षाओं में हम या हमारे भाई कैसे बैठ सकते थे ?

मुझे विदित है कि आज के कितने ही कांग्रेसी नेता अपने पद का लाभ उठाकर विदेशी विनिमय (Exchange) का उपयोग करते हैं और विदेशी में अपने बच्चों की शिक्षा राष्ट्रीयता के विरुद्ध अनिवार्य संभलते हैं। बाबूजी चाहते तो हमें पाठ्यालय शिक्षा में निष्ठात बना सकते थे किन्तु उनकी आस्था तो भारतीय थी। कथनी और करनी में वे अंतर नहीं स्वीकार कर सकते थे। बकालत पास करते हुए भी मैंने बकालत नहीं की क्योंकि बाबूजी से प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि सविनय अवज्ञा भग का आन्दोलन छिड़ चुका था।

घर में कोई पैतृक व्यवसाय तो था नहीं, मुझे और मेरे छः भाइयों को अपने अपने अध्ययन और शिक्षा के लिये अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ा। हमारे कार्य-क्षेत्र के संबंध में आजी-विका-निर्वाह या भौतिक पद लाभ की दिशा में बाबूजी ने न कभी किसी अधिकारी या सहयोगी से कुछ कहा, न कोई सहायता ही पहुँचाई। अपने बच्चों के लिए किसी से कुछ कहना उनके सिद्धान्त-विरुद्ध था। भारत के स्वतंत्र होने पर राष्ट्रीय कार्यकर्ता की सन्तान होने का सरकारी लाभ भी हममें से किसी को परिवार में नहीं मिला। भाई अतीजावाद और प्रांतीयता ने हमारे सर्वोच्च नेताओं की आँखें आज कितनी धूमिल कर दी हैं। कहाँ यह दशा और कहाँ मेरे पिताजी की कर्तव्यनिष्ठा ! उनके व्यवहार से बच्चों के प्रति समुचित कर्तव्य में चाहे उदासीनता ध्वनित हो पर बाबूजी का स्वामिमानी लोकादर्श इतना ऊँचा उठ जाता है जो समसामयिक किसी अन्य नेता में कठिनाई से मिलेगा।

देश की पुकार पर सन् १९२९ में पंजाब नेशनल बैंक का सेक्रेटरी पद छोड़कर बाबूजी 'लोक सेवक मंडल' के अध्यक्ष हो गए और जीवन पर्यन्त उसी पद पर बने रहे। उसका एक कार्यालय प्रयाग में भी स्थापित हुआ। पहले मीरगंज में और फिर फ्रास्वैट रोड पर उसका कार्यालय रहा है। वहीं "सम्मेलन" के निकट हम लोगों की एक छोटी-सी भूमि है जहाँ सन् १९३० में "सविनय अवज्ञाभंग" के उपलक्ष्य में सबसे पहले नमक का कानून तोड़ा गया था। वहाँ घर बन चुका है जो मेरी माँ के नाम है। एक अवसर पर लोक सेवक मंडल के कार्यालय विभिन्न घर की खोज होने लगी। घर में किसी के मुँह से निकल गया कि 'सोसाइटी' (अर्थात् लोक सेवक मंडल) चाहे तो हम लोगों का घर ले ले। बाबूजी इसपर बहुत बिगड़े, कहते लगे, "तुम लोग हमें असदुमार्ग सिखाते हो। क्या मैं 'सोसाइटी' से निजी घर का किराया ले सकता हूँ ?" उक्त पारिवारिक घर में कुछ समय तक लोक सेवक मंडल कार्यालय रहा और 'सोसाइटी' का घर कन्याश्रीदेवी पर बन जाने के बाद ही कार्यालय का स्थानान्तरण हुआ।

प्रयाग में कल्याणीदेवी पर लोक सेवक मंडल ने विस्तृत भूमि ले रखी थी। उसमें से जाधी भूमि के बँचने की बात हुई। जिस मूल्य पर दूसरों को भूमि बँची गई उसी मूल्य पर मेरे भाई भूमि चाहते थे। पर बाबूजी ने अस्वीकार किया। उनका कठोर नैतिक लोकपत्र था कि भूमि घरवालों के हाथ नहीं बँची जा सकती, संसार न जाने क्या कहेगा ? सामाजिक शांकाओं के स्पर्ध से भी वे बहुत दूर रहना चाहते थे।

उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के 'स्पीकर' पद पर कई वर्षों तक बाबूजी रहे थे। १९३८ में वे हृदयरोग से ग्रस्त हो गए। बँदरियाबाग स्थित लखनऊ की विशाल कोठी में, जिसने वे रहते थे, एलीवैटर लगाने की बात चली क्योंकि डाक्टरों के मत से उनका ऊपर चढ़ना-उतरना ठीक नहीं था किंतु केवल अपनी सुविधा के लिए सरकारी व्यय पर विचार कर उन्होंने एलीवैटर नहीं लगने दिया। उक्त कोठी में टमाटर, पत्तागोभी, लौकी, ककड़ी आदि की अच्छी उपज थी। उनका उपयोग लखनऊ में रहकर तो होता था पर प्रयाग हम लोग नहीं ला सकते थे। बाबूजी तो मरकारी रीति से रिजर्व डिब्बे में रिक्विजीशन फार्म भरकर रेल यात्रा करते थे किंतु हम परिवार के बच्चे उनके साथ रहते हुए भी प्रयाग टिकट लेकर आते थे।

वकालत के समय बाबूजी की वेशभूषा प्रतिबंधी हूट के स्थान पर साफा, बंद गले का कोट, कालर, पैण्ट और चर्म रहित कैनवस जूते से समन्वित थी। असहयोग आन्दोलन के दिनों में काठ की चट्टी और खादी की अच्छकन पहनकर भी दो-एक बार वे हाईकोर्ट गए थे। सदैव उनकी दृष्टि अपनी आवश्यकतायें कम से कम करने की ओर थी। जीवन के पिछले बीस-पचीस वर्षों से तो उन्होंने पैबन्द लगे कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया था। बउआ विरोध करती थी पर वे मानते नहीं थे और फिर बड़बो से (क्योंकि वे मना करने का साहस नहीं कर सकती थी) वे फटे कपड़े गुंथवाते थे। उसकी भी एक सीमा थी। कभी कभी बहुएँ हँसकर कह देती थी—“बाबूजी इन कपड़ों में तो अब दम नहीं है, इन्हें तो हम कहार को दे देती हैं।” तब कही हँसी के निहार बीच पैबन्दी कपड़ों से पिठ छूटता था।

उनमें दया-भाया प्रबल थी। विविध हिन्दी सेवी एवं राजनीतिक संस्थाओं की ही नहीं, संबंधियों, इष्टमित्रों की भी आर्थिक सहायता वे करते रहते थे पर उजागर नहीं करते थे। अस्वस्थ बच्चों की शुश्रूषा में भी वे लग जाते थे और नौकर-चाकर के चोट लग जाने पर अपने हाथ से दवा लगाकर पट्टी बाँधते थे।

बाबूजी के कार्यक्षेत्र का घेरा विशाल था—कांग्रेस, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, लोक सेवक मंडल, लोक सभा, किसान संघ, मोशाला, अपाहिज आश्रम, गौरी पाठशाला आदि। रात को प्रायः १२ बजे तक वे कठोर परिश्रम करते रहते थे और सक्रिय रूप से अपना नैतिक आदर्श सर्वत्र प्रतिपादित करते थे। बार-बार के जैल-जीवन ने उनके स्वास्थ्य को जर्जरित कर दिया था। विशेषतया अंतिम बार “बरेली जेल” से वे अत्यन्त शिथिल होकर निकले थे। कठोर आदर्शों के कारण पीरिटक खान-पान या अमीरी फल-फूल से वे समझौता नहीं कर सकते थे। बाल में भी लेते नहीं थे

जंगल-जाँच-सूत्र, भाग १८९१]

शरीर टूटता जा रहा था' किन्तु फिर भी अधिक अशक्त होने से पूर्व तक अपने हाथ से ही अपने कपड़े नित्य साबुन से धोते थे।

महात्मा गांधी की भाँति सरल और शुद्ध जीवन के द्रती बाबूजी थे और ग्रामोपवीची समाजवाद के दृढ़ उपासक। आज Boerkely से Tykye और Boris से montreal तक सर्वत्र विद्रोही छात्रवर्ग का स्वर 'पूजीवादियों को नष्ट कर दो' का नारा लगा रहा है। इस विचित्र नये युग के जगत में जहाँ हमारे पूर्व निर्णय टूट रहे हैं यह चिंतन आवश्यक है कि नवयुग के लिए समाज की आर्थिक और सामाजिक योजना क्या है। इस विषय में बाबूजी की ग्रामयोचना, भूमि वितरण, किसान संघ तथा भारतीय अनुशासन और मध्यम पश्चिमी देशों के लिए सुझाव रूप में रखे जा सकते हैं।

बाबूजी में प्रखर दूरदर्शिता थी। १९५० के सविधानुनिर्माण पर राष्ट्रभाषा हिन्दी के संबंध में वे दृढ़नीति के पक्षपाती थे किन्तु कांग्रेसी सरकार की भाषा नीति डुलमुल रही। उसीका यह परिणाम है कि अराष्ट्रीय गति से देश के प्रान्त विभक्त होते जा रहे हैं और केन्द्र से स्वतंत्र होने की बात साँचते हैं; राष्ट्रीय एकता खण्डित होती जा रही है।

इनमें संदेह नहीं कि बाबूजी आत्मशक्ति से उत्पन्न एक आदर्शलोक के प्राणी थे किन्तु उनके आदर्श काल्पनिक न होकर देशहित में ही बने और पनपे थे। वे प्रकाशस्तम्भ की भाँति अनिवाच्यत अकेले थे और वहाँ करते थे—

सिंहन के सँहड़े नहीं, हंसन की माँह पाँत।

लालन को नहिँ खोरियाँ, साधु न चलें जमत ॥

—कबीर

राजनीति के दौब पेंच एव दलबंदी से दूर निःस्वार्थ लोक सेवा के वे प्रतीक थे। यहाँ कारण है कि देश-विभाजन पर १५ अगस्त, '४७ को भारतीय स्वातंत्र्य के हर्षोन्माद से दूर एकान्त में ही दुःखी हृदय से उन्होंने समययापन किया था। देशवासियों ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें गौरवान्वित किया। दो वर्षों तक उक्त पद पर वे रहे। जब कार्यकर्ताओं में उनके सिद्धान्त के विरुद्ध विषमता आने लगी तब तुरन्त ही अध्यक्ष पद का परित्याग कर दिया और अपने आदर्शों के कारण देश की दृष्टि में अधिक महान् हो गए। भौतिक सुख-समृद्धि या पब-लालसा से विरत हो वे तो उस पुरीत लोक के अधिवासी थे जहाँ स्वार्थ-परमार्थ समाज के निम्नातिनिम्न अंग से मिलकर झीड़ा करते हैं और सुख की खोज अपनी आत्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति स्रष्टे रहने में होती है।

१. अपने कालेज जीवन में बाबू जी ने किसी बूकान पर धी में खर्ची मिलाने देखा था इसलिए धी से परहेज था। इसी प्रकार पशु-हिंसा से संबद्ध होने के कारण चमड़े के जूते और पशु-कंकाल दग्ध कोयले के स्वच्छ होने के कारण ध्वेत चीनी का व्यवहार वे न करते थे। हृष्य रोग से ग्रस्त होने के बाद उन्होंने नमक भी छोड़ दिया था।

भारतीय संसद में राजर्षि टण्डन जी

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी के प्रतीक बन गये। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने जो कुछ भी किया, वह तो टण्डन जी की प्रेरणा और उनके पथ-प्रदर्शन में हुआ ही। भारत की राजधानी दिल्ली में बैठकर टण्डन जी ने हिन्दी के लिये जो संघर्ष किया उसका इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण है। आज हम यह मान कर बैठे हैं कि हिन्दी राजभाषा के पद पर विराज गई है। यह कार्य कितना कठिन था, इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने सन् ४७ से लेकर १९५० तक की संविधान सभा की कार्यवाही और उसने भी महत्वपूर्ण कांग्रेस दल की कार्यवाहियों पर निगाह रखी है।

संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू या डा० राजेन्द्र प्रसाद के मुझाव पर अपने आप हिन्दी को वह दर्जा नहीं प्राप्त हो गया जो कि उसे प्राप्त है। जब संविधान में हिन्दी-सम्बन्धी शारदाओं को लिखने की बात आई तो पहला मोर्चा संविधान सभा की लेखन समिति में जमा। उस समिति में श्री गोपालस्वामी अयंगर, डा० कृष्णास्वामी अय्यर और श्री टी० टी० कृष्णाभाचारी जैसे धुरंधर विद्वान हिन्दी को कहीं टिकने ही नहीं देना चाहते थे। बाबूजी का यह काम था कि जो भी सदस्य हिन्दी का समर्थन कर सके, उसको हिन्दी के लिये तैयार करें, हिन्दी विरोधी तत्वों का उत्तर दे और जब कांग्रेस दल की बैठकें जो उस समय कांस्टीट्यूशन हाल में हुआ करती थी, इस प्रश्न पर चर्चा हुई तो टण्डन जी ने अपनी सारी संगठन शक्ति, सारी सूझबूझ और अपना सारा प्रभाव हिन्दी को उसके आमन पर बैठाने पर लगा दिया।

यद्यपि यह सही है कि उस समय सरदार पटेल जिन्दा थे और सरदार पटेल हिन्दी के कट्टर समर्थक थे, परन्तु यह बात भी सही है कि देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके साथ दल का अहुमत समझा जाता था, एक देश भाषा को राजभाषा बनाने के पक्ष में तो थे, परन्तु वह यह स्थान हिन्दुस्तानी को देना चाहते थे जो हिन्दी और उर्दू दोनों लिपियों में लिखी जा सके। टण्डनजी को देवनागरी में लिखी हिन्दी के लिये अनवरत परिश्रम करना पड़ा और अन्त में कांग्रेस दल में उनकी विजय केवल एक मत से हुई। यह इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष कितना कठिन था। उस समय टण्डन जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री को दिल्ली बुला लिया था और यहाँ यद्यपि सेठ गोविन्ददास हिन्दो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे परन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलन **आवाह-आवाहोर्षि, पृष्ठ १८९१]**

की ओर से सारा आन्दोलन उन्होंने संचालित किया। वस्तुतः वह एक युद्ध परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे थे जिस परिषद् में सेठ गोविंददास, पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन, श्री वियोगी हरि और श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी जैसे लोग थे। उस समय हिन्दी के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार का कार्य मुझे सौंपा गया था। कांग्रेस दल की बैठकों की जो कार्यवाही होती थी वह अंग्रेजी की समाचार समिति यलन मही ढंग से प्रचारित करती थीं। इसलिये टण्डन जी ने मुझे यह दायित्व सौंपा कि मैं उसके सम्बन्ध में हिन्दी पत्रों को सही जानकारी भेजूं। कांग्रेस दल की बैठक में क्या हुआ, और उसमें कौन-सा भाग हिन्दी के पक्ष में था और कौन विपक्ष में, इसकी मुझे जानकारी दे दी जाती थी जिसमें तार, टेलीफोन व डाक के जरिए हिन्दी-क्षेत्रों के समाचार-पत्रों तक पहुँचा देता था। एक समय आया जब पता लगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्री उगमना रहे हैं और इस बात की संभावना है कि वे जवाहरलाल जी का साथ देंगे। उस समय मुझे कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और पटना के समाचार पत्रों के सम्पादकों से मिलने के लिए भेजा गया जिससे कि समाचार पत्र अपने क्षेत्र के सविधान सभा के सदस्यों पर जोर डालकर उन्हें हिन्दी के पक्ष में मत देने के लिये प्रेरित करे। इस आन्दोलन का सीधा परिणाम यह हुआ कि बिहार के उगमनाते वोट हिन्दी के पक्ष में पड़े।

देवनागरी हिन्दी के पक्ष में लिया गया मतदान हिन्दी की पहली विजय थी। इस विजय के लिये टण्डन जी ने बड़ी चतुराई से दक्षिण भारत के सभी नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया था। जिस एक मत द्वारा हिन्दी को राजभाषा बनाने की चर्चा की जाती है, उस मतदान में तमिलनाडु, मैसूर, केरल और आन्ध्र प्रदेश के सदस्यों ने आँसू बंद कर टण्डन जी का साथ दिया था। परन्तु इस सहायता के लिये टण्डन जी से एक गहरी कीमत माँगी गई। श्री कृष्णामाचार्य ने यह आग्रह किया कि टण्डन जी रोमन अक्षरों को मान लें। इस विषय पर टण्डन जी के बड़े-बड़े समर्थक जैसे पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन टण्डन जी से अलग हो गये। यह सोचा जाने लगा कि सेठ गोविंददास क्या करेंगे। टण्डन जी कांग्रेस दल की बैठक में तो पराजित हो ही गये परन्तु जब उन्होंने सविधान सभा में रोमन अक्षरों का विरोध किया तो उनको बहुत थोड़े समर्थक, तीन-चार व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने उनका पूरा-पूरा साथ दिया। टण्डन जी साधारणतः हिन्दी में बोलते थे। परन्तु उस दिन अपने अहिन्दी भाषी मित्रों को समझाने के लिये उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि सारे सदन ने एकाग्र होकर, स्तब्ध होकर उनका भाषण सुना। जब उनका भाषण समाप्त हो गया तो मेरे बगल में बैठे हुये उस समय इंडियन न्यूज क्रोनिकल के विशेष प्रतिनिधि श्री एस० ए० शास्त्री ने, जो बहुत अच्छे अंग्रेजी के लेखक हैं, कहा, टण्डन जी से बढ़कर शुद्ध अंग्रेजी बोलनेवाला इस संविधान सभा में दूसरा कोई नहीं।

टण्डन जी के दर्शन मैंने सबसे पहले १९४१ में प्रयाग में किये थे, जब मैं वहाँ पर पत्र-कारिता के सिलसिले में गया था। हिन्दी माहित्य सम्मेलन का काम उस समय भी उनकी देख-रेख में होता था। जनपदीय आन्दोलन और विकेन्द्रीकरण के प्रयत्न को लेकर मेरे और टण्डन जी

के विचारों में बहुत समानता थी। हिन्दी के रूप के बारे में हम एक राय के नहीं थे। लेकिन जब संविधान सभा के सदस्य के रूप में मैंने टण्डन जी के दर्शन किये और जब उनके साथ हिन्दी का कार्य किया तो मैं उनकी निष्ठा और उनकी सदाशयता का भक्त बन गया।

टण्डन जी के कमरे में उनके दो आदर्श वाक्य देखने को मिलते थे। एक था : "सिंहन के लहूँडे नहीं।" और दूसरा : "कबिरा इतना दीजिये जा में कुटुम समाय। मैं भी भूखा ना रूहूँ साधू न भूखा जाय।" वास्तव में टण्डन जी वह सिंह थे जो आपको कभी भी एक से अधिक नहीं मिलेगा। जब वे क्रोधित होते थे तो उनका रोष संभालना कठिन हो जाता था। मैंने लोक सभा में मौलाना आजाद के 'पुरफरेबत वैयुल' शब्द पर उन्हें नाराज होने देखा और ऐसा लगा कि उसी दिन लोक सभा भंग हो जायेगी। मौलाना आजाद ने फारसी के शब्द ममूह को यह समझ कर बोल दिया था कि शायद कोई इसका अर्थ नहीं समझेगा परन्तु जिन टंडन जी का सारा जीवन पारदर्शक ईमानदारी से भरा हो, वह भला अपने लिये 'पुरफरेब' शब्द को कैसे हजम कर सकते थे। केवल मौलाना आजाद से ही उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की हो, ऐसी बात नहीं। कहते हैं कि जब राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर संसदीय समिति की रिपोर्ट लिखी जा रही थी तो अध्यक्ष श्री गोविंदवल्लभ पन्त को डांटते हुए टण्डन जी ने कहा था कि तुम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तब भी मुझे शक था कि तुम हिन्दी के प्रति निष्ठावान नहीं हो। परन्तु अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि तुम हिन्दी के प्रति गद्दार हो। उनके इन शब्दों के कहते ही पन्त जी की छड़ी जो सदैव उनके हाथ में रहती थी, जमीन पर थिर पड़ी। पन्तजी की उम्रिन्नता का यह नमूना था। ऐसा श्री कुलदीप नायर ने अपनी पुस्तक "बिटवीन बीलाइनुस" में लिखा है। स्वयं जवाहरलाल जी ने टण्डन जी के जन्म-दिन पर होने वाले एक समारोह में कहा था कि "टण्डन जी से हमें सदैव डर लगता है, न जाने वे कब बिगड़ पड़ें और डांट दें।"

टंडनजी एक जोर यदि कठोर हो सकते थे तो उदार भी हृद दर्ज के थे। सन् १९५० में वे नासिक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे। इससे पहले एक निर्वाचन में डा० पट्टाभि सीतारमैया से वे हार भी चुके थे। मैं डा० पट्टाभि सीतारमैया का भी सम्मान करता था और टण्डन जी का भी। नासिक कांग्रेस में टण्डन जी ने अपना हिन्दी में भाषण पढ़ा और कांग्रेस की कार्यवाही का संचालन भी हिन्दी के माध्यम से किया। परन्तु उनके श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद बढ़ते गये जिनके निराकरण के लिये दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में टण्डन जी ने यह कह कर कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इस समय जवाहरलाल की जरूरत है, अपना त्याग पत्र दे दिया। उस समय का दृश्य देखने लायक था। एक शाम पहले तक यह खबर थी कि श्री एस० के० पाटिल टण्डन जी के बहुत बड़े समर्थक हैं। वे सबसे पीछे बैठे हुये थे लेकिन फौरन लपक कर सबसे आगे आये और सबसे पहले उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि श्री जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाये जाय। कौन किस के साथ है, और कितनी देर तक रह सकता है, इसका पता टण्डन जी को तत्काल लग गया। इस घटना के

अन्तः-संवादीय, संक० १८९१]

बोर्डे दिन बाध ही इंपीरियल होटल में जवाहरलाल जी को संभवतः उनकी ६० वीं वर्षगांठ पर एक अभिवंदन शंख भेंट किया गया। उस समारोह की अध्यक्षता टण्डन जी ने की थी। टण्डन जी ने जिस प्यार भरे शब्दों में जवाहरलाल जी का गुणानुवाद किया, उससे पता चलता था कि टण्डन जी संभवतः उन्हीं जवाहरलाल की बात कर रहे हैं जिनको उन्होंने इलाहाबाद के कांग्रेस संगठन और सार्वजनिक जीवन में अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया था या जिसे प्रतापगढ़ के किसान आन्दोलन में अपना सहकारी बना कर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि सारे देश के किसान आन्दोलन को दिशा निर्देश दिया था।

संसद में जब कभी हिन्दी का प्रश्न आया तो टण्डन जी सबसे आगे रहे। लेकिन केवल बाध विवाद तक ही उनका कार्य सीमित नहीं था। वे जानते थे कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का यह अर्थ भी है कि उसका शब्द भंडार उजलत किया जाये। इसलिये उन्होंने ऐसे अनेकों कार्य किये जिनसे हिन्दी साहित्य और हिन्दी भाषा की स्थायी सेवा हुई। टण्डन जी के आप्रहू पर यह निर्णय किया गया कि संसदीय, विधिक और शासकीय शब्दों के हिन्दीपर्याय निर्दिष्ट करने के लिये एक सम्यक्त समिति नियुक्त हो। इनमें सभी देशी भाषाओं के प्रतिनिधि थे और टण्डन जी अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा इस समिति को लगभग २०,००० शब्दों का चयन करना पड़ा। आठ महीने तक चलने वाली इस समिति की ११३ बैठकें बुलाई गईं जिनमें ३६५ घंटे काम किया गया और समिति की सारी बैठकों में श्री टण्डन जी उपस्थित थे। सवेरे ११ से ५ बजे तक समिति में बैठना, फिर पाँच बजे से रात के आठ बजे तक रिपोर्ट तैयार कराना और उसके साथ ही साथ अन्य सारे काम निपटाना यह टण्डन जी के ही बूते की बात थी। उस समिति में टण्डन जी का बखतर यह काम होता था कि डा० रघुबीर जैसे विद्वानों तक से पूछते थे कि उन्होंने ऐसे कठिन शब्द क्यों लिख दिये जिनका प्रचलन सरल नहीं होगा। टण्डन जी यद्यपि संस्कृत के शुद्ध और व्याकरण सम्मत रूप को स्वीकार करते थे, परन्तु "रिबेट" के लिये "घटीती" जैसा शब्द भी स्वीकार करने में वे पीछे नहीं थे। जब यह कार्य चल रहा था तभी टण्डन जी बीमार पड़ गये और वो तीन महीने अस्पताल में भी रहे।

टण्डन जी जब संसद में बोलते थे, तो उनके कुछ प्रिय विषय थे। उनका हमेशा यह आप्रहू था कि गाँवों का पुनर्विर्माण इस प्रकार हो कि प्रत्येक घर के चारों ओर एक छोटा सा बगीचा हो। यद्यपि उनका आचर-विचार बड़ा कड़ा था पर औरो के लिये उनकी उदारता कहीं भी जाने के लिये तैयार थी। यद्यपि समझा यह जाता था कि टण्डन जी कट्टरपंथी और प्रतिक्रिया विचारधारा के हैं, परन्तु एक बार जब संसद में आचार्य कृपलानी ने हरिद्वार के कुम्भ के सम्बन्ध में यह कह दिया कि इस प्रकार के स्नानों को जो महत्व दिया जाता है, वह लोगों को भ्रम में डालता है जिसमें कोई मूलभूत धार्मिक बात नहीं है। इस पर अत्यन्त प्रवृत्तिशील श्री एन० डी० चटर्जी ने कहा कि एक दुर्घटना तो हो ही गई थी, दूसरी दुर्घटना यह हुई है कि आचार्य कृपलानी ने इस प्रकार का भाषण दिया है। इस पर टण्डन जी ने खड़े होकर कहा कि कृपलानी भी ठीक कहते हैं। यह विन्तुक मुझपर है कि इस इस स्नान में पुष्य या पाप देखें। टण्डन जी

ने कृपलानी जी को चुनाव में हराया था पर सदन में जोरदार समर्थन किया जिसके बाद अनाहुरलाह जी ने भी कहा कि हाँ मैं टण्डन जी से सहमत हूँ।

टण्डन जी जब दिल्ली में रहे तो उन्होंने हिन्दी के लिये हवा पैदा कर दी। संसद ही, दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन ही, लोक सभा ही या राज्य सभा, टण्डन जी के कारण सदैव हिन्दी के पक्ष का वातावरण बढ़ता गया। उन्हीं के प्रयत्नों से राजभाषा आयोग की स्थापना हुई और उनकी मृत्यु के पश्चात् हिन्दी ने जो स्थान प्राप्त कर लिया था, उस पर भी आज हिन्दी जगत को विचार करना है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन और राजर्षि टण्डन जी

“...हिन्दी साहित्य सम्मेलन से मेरा सम्बन्ध उसके प्रारम्भ काल से है। उसके द्वारा हिन्दी के काम में मेरे जीवन की मुख्य परिधि बनी है। सम्मेलन मेरे प्राणों में समा गया है...।”

—राजर्षि टण्डन।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन का आरम्भ काल से ही कैसा अनेक सम्बन्ध रहा है, इस तथ्य को प्रकट करने के लिए ही उक्त पक्तियाँ उद्धृत की गयी हैं। यन्तुत यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आज जो कुछ भी स्वरूप और आकृति-प्रकार दिखायी पड़ रहा है, उन सबके निर्माण में टण्डन जी का ही सर्वोपरि हाथ रहा है। सन् १९१० ई० में काशी में सम्पन्न होने वाले सम्मेलन के सर्वप्रथम अधिवेशन में लेकर सन् १९५१ के अन्तिम अधिवेशन (कोटा) तक सब में वे न केवल आदि से अन्त तक उपस्थित ही रहे वरन् उन सभी अधिवेशनों में जो कुछ भी हुआ वह सब उनकी इच्छा और प्रेरणा में ही हुआ। सम्मेलन के सर्वतोमुखी विकास और प्रसार में ही टण्डन जी की कल्पनाओं का ही मार्ग रूप विद्यमान है। जब तक टण्डन जी जीवित थे, तब तक उनके बिना हिन्दी साहित्य सम्मेलन ही बर्बाद कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिस प्रकार काब्रेम के साथ महात्मा गांधी का, हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ महामना मालवीय का, आन्ति-निकेतन के साथ महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर का नाम सन्देश की भाँति अविच्छिन्न है, उसी प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ टण्डन जी का नाम भी अनेक, अछेद और अविभाज्य है।

प्रयाग में बने हुए सम्मेलन के विशाल भव्य भवनो की एक-एक ईंट से लेकर उसकी बहुमुखी प्रवृत्तियों और प्रयत्नों की मजिल के एक-एक पग में टण्डन जी की क्रियात्मक प्रेरणा और सर्जनात्मक प्रतिभा का प्रभाव बिखरा हुआ है।

भगवान् विश्वनाथ की नगरी विद्यापुरी काशी में हिन्दी के कुछ हितैषियों और प्रेमियों ने एक सम्मेलन इमालि बुलाया था कि उसमें बैठ कर हिन्दी की उन्नति एवं विकास के सम्बन्ध में कुछ विचार-विनिमय किया जाय। ऐसे सम्मेलन आज भी आये दिन बुलाये जाते हैं, किन्तु किसी बिरले सम्मेलन का ही ऐसा स्वरूप प्राप्त होता है, जो आज हिन्दी साहित्य सम्मेलन का है। उत्तम कल्पनाओं के एक वट-बीज ने असायबट की पुष्पभूमि प्रयाग में आ कर किस प्रकार इतना

बिनालक्ष ब्रह्मत्व प्राप्त किया—इसकी कहानी किसी उपन्यास से कम रोचक नहीं है। इसके तपस्वी नायक ने अपनी निरञ्जल, स्वार्थ-बिहीन तपोमयी साधना एवं सतृप्त जागरूक निष्ठा के द्वारा किस प्रकार उसका पालन-पोषण, सम्बर्द्धन और अलंकरण किया, इसे बही लोग भली-भाँति समझ सकते हैं जो कभी टण्डन जी के सम्पर्क में एक-दो घड़ी के लिए भी आये होंगे। चतुर माली की भाँति उन्होंने अपने इस मनोहारी ब्रह्म को आजीवन न केवल संरक्षण ही प्रदान किया, प्रस्तुत उसे सभी इति-भित्तियों और विपत्तियों से भी बचाते रहे और सोते-जागते, उठते-बैठते उसी के कल्याण का चिन्तन करते रहे।

टण्डन जी का सम्बन्ध सम्मेलन के साथ, जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, उसके जन्म के समय से ही रहा है। सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १० अक्टूबर १९१० ई० को महामना मालवीय जी की अध्यक्षता में काशी में बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ था। वह एक सामाजिक और सामयिक भूख थी। हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल का वह स्वर्णिम युग था। समूचे देश में जागृति के पूर्व की सुबुद्धि विद्यमान थी। कहीं-कहीं स्वदेश-प्रेम और राष्ट्रीयता की लोरियाँ अवश्य सुनायी पड़ती थीं, किन्तु जनभावनाओं को कोई उचित दिशा-निर्देश नहीं मिल रहा था। राजनीतिक चेतना भी दिङ्मूढ़-सी थी और साहित्य-प्रेम अथवा भाषा-प्रेम के प्रतीक के रूप में छोटी-मोटी संस्थाएँ भी यत्र-तत्र बन गयी थी। किन्तु इन संस्थाओं के द्वारा ऐसे ठोस कार्य नहीं हो रहे थे जिनके द्वारा इस विशाल देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को संतृप्त किया जा सके। उस्ताह और लगन की कोई कमी नहीं थी, कमी थी केवल हृदयगत भावनाओं को मूर्तरूप दे कर अपसर होने वाले नेताओं की। बंगला, गुजराती, मराठी तथा उर्दू के साहित्य-सेवियों के सम्मेलन देश में यत्र-तत्र होने लगे थे और इन सम्मेलनों में अपनी-अपनी भाषा तथा साहित्यकारों की महत्वाकांक्षाओं और समस्याओं का समाधान करने में सफलता भी प्राप्त होने लगी थी, किन्तु देश की बहुसंख्यक जनता की भाषा हिन्दी के साहित्यकारों का ऐसा कोई सगठन नहीं बन सका था, जिससे देश भर के हिन्दी साहित्यकार, कवि, लेखक और प्रेमी जन एकत्र होकर सामूहिक रूप से हिन्दी और हिन्दी साहित्य की उन्नति के सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श अथवा निश्चय कर सकते।

काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हो चुकी थी और वह अपने सीमित साधनों द्वारा बहुत कुछ कार्य भी कर रही थी, किन्तु अभी तक उसके कार्यों की परिधि इतनी विस्तृत नहीं बनी थी कि उसमें समूचे देश की हिन्दी-प्रेमी जनता की आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों के विकास का स्वल्प देखा जा सके। विद्वान् अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य सम्मेलनों की देखा-देखी हिन्दी के साहित्यकारों का भी एक विशाल सम्मेलन बुलाने की माँग जब प्रथम बार की गयी तो उसकी समूचे देश में अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। उस समय हिन्दी के समाचार-पत्र बहुत कम निकल रहे थे। जो दो एक-पत्र थे उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उनकी पुरानी प्रतियाँ भी देखने को नहीं मिलती थीं। उनमें यदि कोई अपील की जाती थी या कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती थी तो उसकी समूचे हिन्दी जनत में व्यापक प्रतिक्रिया होती थी। अतः हिन्दी के साहित्य-अग्रदूत-नागरीप्रचारिणी, शक [१८९१]

कारों का सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में जब विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी तो षट्पदिक ऐसा बोल-बरण बन गया कि इस भाग की उपेक्षा करना कठिन हो गया।

बीरे-बीरे भाग के साथ सुझाव और निर्देश भी आने लगे और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी कि इस विशाल हिन्दी सम्मेलन के बुलाने का साहस अपने आप उसके आयोजकों में जन्मूत हो उठा। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा को वह बृहद सम्मेलन बुलाने का निश्चय करना पड़ा और १ मई, १९१० के अधिवेशन में सर्व-सम्मति से यह निश्चय किया गया कि शीघ्र ही हिन्दी के साहित्यकारों और प्रेमियों का एक विशाल सम्मेलन किया जायगा। इस संवाद के प्रकाशित होते ही हिन्दी जगत में प्रसन्नता की एक लहर-सी दौड़ गयी और संयोग-दान की तथा सहानुभूति की वर्षा-सी होने लगी। शीघ्र ही काशी में गण्यमान नागरिकों की एक स्वायत्त-कारिणी समिति बनी जिसने समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति द्वारा हिन्दी प्रेमियों की सम्मतिया आमंत्रित कीं कि यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन कब किया जाय, किसे इसका सभापति बनाया जाय और इसमें कौन-कौन से विषय विचारार्थ रखे जायें। सूचना प्रकाशित होते ही चारों ओर से सुझावों और सम्मतियों की बाढ़-सी आ गयी और आगत सम्मतिरा के आधार पर यह निश्चय किया गया कि सम्मेलन का आयामी अधिवेशन उसी वर्ष के आश्विन के नौरात्र में हो और उसके सभापति तारकालिक भारत की सांस्कृतिक चेतना के एकमात्र आराध्य पण्डित भवनमोहन मालवीय बनाये जायें। विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले विषयों की तो भरमार हो गयी। फलतः वह पहला अधिवेशन बड़े ही सहज उत्साह, उल्लास और समारोह के साथ आश्विन मास के नौरात्र की सप्तमी सोमवार, १० अक्टूबर, १९१० को काशी की नागरी प्रचारिणी सभा-भवन के पश्चिम वाले मैदान में विशाल पाण्डाल के नीचे निरन्तर तीन दिनों तक उसी जोश-सुरोश, भीड़-भाड़ और उमंग के वातावरण में सविधि सम्पन्न हुआ।

समूचे देश में हिन्दी के साहित्यकारों और प्रेमियों का यह पहला ही अधिवेशन था, किन्तु उसमें देश के विभिन्न अंचलो में रहने वाले पाँच सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और प्रतिदिन दोनो समय के अधिवेशनों में अपार भीड़ होती थी। इसमें कुल १५ प्रस्ताव पारित हुए थे जिनमें से तीन औपचारिक तथा बारह सौहार्दक थे। पहले प्रस्ताव द्वारा सन्नत सप्तम एदवर्ड की मृत्यु पर शोक प्रकाश था, द्वितीय प्रस्ताव द्वारा सन्नत जार्ज पंचम के राज्या-न्विक पर हर्ष प्रकट किया गया था और तृतीय प्रस्ताव द्वारा उस वर्ष विघ्नत हुए हिन्दी के चार सेवकों के निधन पर शोक प्रकट किया गया था। शेष प्रस्तावों में से आठ प्रस्तावों में हिन्दी एव नागरी के बहुमुखी प्रचार-प्रसार और उन्नति के प्रयत्नों की प्रेरणा तथा समीक्षा थी और अन्य चार प्रस्तावों का सम्बन्ध इस प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के भविष्य से सम्बन्धित था।

इस प्रथम अधिवेशन के सभापति महाशय मालवीय जी की जन्मभूमि एवं उस समय तक की कर्मभूमि प्रयाग ही थी। वहीं के सार्वजनिक कार्यों द्वारा ही उनके मनोमोहक व्यक्तित्व एवं अम्लान स्वभावके प्रतिभा को उज्वल हुआ था। उनकी प्रसिद्धि का परिचय यद्यपि भारत-

कम्पनी बन चुका था, तथापि अब भी वे प्रयाग नगर के ही नौरथ वे और पुरुषोत्तमदास जी टण्डन उनके अनन्य अनुयायी और अविचल श्रद्धावान भक्त थे। टण्डन जी उन दिनों प्रयाग उच्च न्यायालय में बकाालत कर रहे थे। काशी में आयोजित हिन्दी के साहित्यकारों के इन प्रथम सम्मेलन में वे बैसे भी भाग लेते किन्तु अब स्वयं महामना मालवीय जी ही उसके सभापति बनावे श्रेय थे तो प्रयाग से अपने दल-बल के साथ वाराणसी के इस प्रथम अधिवेशन में भाग लेना उनका पाषन कर्तव्य ही गया। प्रयाग के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में मालवीय जी के साथ टण्डन जी का सहयोग निरन्तर बढ़ रहा था। टण्डन जी उन दिनों लगभग २७ वर्ष के थे। नीरोग और स्फूर्ति से भरे उनके सुन्दर शरीर और सात्विक तथा वृद्धतापूर्ण निश्चयो में अदम्य शक्ति भरी हुई थी। उस वय में भी वे नितान्त गम्भीर, सूक्ष्मनिश्चयी, सात्विक विचारों से ओतप्रोत स्वार्थत्याग और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने की उत्कट लालसा से भरे हुए थे। बोलते कम थे किन्तु जो कुछ बोलते थे उसमें उनके हृदय की भावनाएं मुखरित होती थी और लिखते कम थे किन्तु जो कुछ लिखते थे उसमें नितान्त संयम और चिन्तन भरा होता था। वाराणसी में मालवीय जी के साथ टण्डन जी जब प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित हुए तो उन्होंने सभी प्रस्तावों को तैयार करने में मालवीय जी की सहायता की और अधिवेशन में प्रस्तुत चौथे रचनात्मक प्रस्ताव को उन्होंने ही अधिवेशन के सामने प्रस्तुत किया। सम्मेलन के अधिवेशन में उनके प्रथम भाषण का कुछ अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है जिससे उस युवास्वस्था में भी टण्डन जी में छिपे अधिष्य के स्वरूप का पदे-पदे दर्शन होता है।

“... यह सम्मेलन इस बात पर शोक प्रकट करता है कि जिस आशा को इन प्रान्तों की गवर्नमेण्ट ने हिन्दी जानने वाली प्रजा के हित के लिए, अदालतों में नागरी अक्षरों के व्यवहार के विषय में १८ अप्रैल सन् १९०० की आज्ञानुसार जारी किया था, उससे हिन्दी जानने वाली प्रजा को कही कही अमलों और हाकिमों के नागरी से पूरा परिचय न होने के कारण और कही बकीलों और मुस्तारों के स्वार्थ अथवा उदासीनता के कारण उचित लाभ नहीं पहुंच रहा है। यह सम्मेलन इन प्रान्त की गवर्नमेण्ट से प्रार्थना करता है कि वह समय-समय पर इस बात की जांच करा लिया करे कि गवर्नमेण्ट की ऊपर कही हुई आज्ञा का पालन ठीक-ठीक होता है या नहीं। जो अमले अदालतों में नियत किये जाते हैं, उनके दोनों लियियों का परिचय काम करने योग्य है या नहीं। यह सम्मेलन गवर्नमेण्ट से नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि वह यह आज्ञा कर दे कि जो लोग तबबीज और हजहार आदि की नकलें नागरी में लेने की प्रार्थना करें, उनको वे सब नागरी में मिल आज्ञा करें।

“यह सम्मेलन गवर्नमेण्ट का ध्यान इस बात की ओर आकषित करता है कि जिस प्रकार मुसलमान्त का गवर्नमेण्ट गण्ट अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू में भी प्रकाशित होता है उसी प्रकार उसको नागरी अक्षरों में भी प्रकाशित होने की यह आज्ञा कर दे।”

“यह सम्मेलन गवर्नमेण्ट का ध्यान इस बात की ओर भी दिशाता है, कि चुगी तथा दूसरे टैक्सों की रकमें तथा अन्य कागजात, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपलिटियों से जारी होते हैं

वे सब अधिक 'वा प्रजा के सुभीते के लिए नागरी अक्षरों में लिखे जाने चाहिए' और आशा करता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपलिटियाँ इस बात पर शीघ्र ध्यान देंगी।"

"नागरी प्रचार के लिए सम्मेलन उचित समझता है कि युक्तप्रान्त के प्रत्येक जिले में इस कार्य के सम्पादन के लिए हिन्दी प्रेमियों की एक-एक मना स्थापित हो और सम्मेलन की कमेटी उनके स्थापित होने में सहायता करे और उनके कार्य की जांच के लिए तथा उनके सम्बन्ध में अन्य कार्य करने के लिए एक इन्स्पेक्टर नियुक्त करे।

"यह सम्मेलन उन देशी राज्यों से, जिनके दफ्तरों में अब तक हिन्दी का प्रचार नहीं हुआ, अत्यन्त विनीत भाव से प्रार्थना करता है कि वे अपनी प्रजा के सुभीते के लिए तथा उन्नति के लिए राज्य के दफ्तरों में हिन्दी का व्यवहार करने की आज्ञा जारी कर दें।"

"इस सम्मेलन की सम्मति है कि अदालतों में नागरी प्रचार के कार्य तथा हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिए एक कोश इकट्ठा किया जाय जो केवल उसी कार्य में लगाया जाय।" . . .

टण्डन जी का यह भाषण काफी बड़ा है। इसे यदि समग्र रूप से यहाँ उद्धृत किया जाय तो पाठकों को सहज ही यह ज्ञात हो सकता है कि हिन्दी के महान् भविष्य और महती संभावनाओं के सम्बन्ध में यवक टण्डन जी के मतिस्क में कितनी ऊँची कल्पनाएँ थी और हिन्दी की वर्तमान दुरवस्था से वे कितने दुःखी थे। उनके भाषण का एक लघु अंश इस प्रकार था—

"... ऐसी भाषा हिन्दी ही है, जो समूचे देश में सहज ही फैलाई जा सकती है। हिन्दी भाषा के जानने वाले अन्य भारतवर्षीय भाषाओं के जानने वालों से कहीं अधिक हैं। हिन्दी भाषा अन्य गृणों से भी सर्वां सपूर्ण है, उसका साहित्य भी अच्छा है और उसके साहित्य की दिन-दिन उन्नति होने की संभावना भी है। जिस भाषा में ऐसे लेख नहीं लिखे जा सकते हैं, जो कि पढ़ने वाले पर अपना प्रभाव डाल सके जो उनके भावों को बदल सके या जो उनके भावों की धारा को एक दूसरी ओर बहा सके, उस भाषा के साहित्य की उन्नति होने की संभावना नहीं होती। हिन्दी भाषा में वह सभी गृण विद्यमान है, जिससे कि हिन्दी में उक्त प्रकार के लेख लिखे जा सकते हैं। हिन्दी भाषा को भारतवर्ष के हर प्रान्त के लोग समझते और समझ सकते हैं। अब यह उपाय करने चाहिए, जिनसे कि हिन्दी भाषा की सर्वप्रकार की उन्नति होवे। जिस भाषा को राजा का सहारा नहीं है, वह शीघ्र उन्नति नहीं कर सकती है। लोग उसका उतना आदर नहीं करते जितना कि राजभाषा का। उर्दू भाषा की उन्नति इसका प्रमाण है। हम सबको उद्योग करना चाहिए कि जिसमें कि हमारी हिन्दी को भी 'राजद्वार' में स्थान मिले। ऐसा उपाय कीजिए जिसमें कि हिन्दी भाषा का प्रचार हर एक प्रान्त के गाँव-गाँव में हो।" . . .

टण्डन जी के इस भाषण के भीतर ही भाषी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उद्देश्य बीजरूप में छिपे हुए थे। आगे चल कर सम्मेलन को अतिमान और विराट बनाने की उन्होंने जो रचनाएँ रचीं, जो उपाय किये उन सब में उनके इस भाषण के शब्दों की चरितार्थता पदे-पदे है। इसी अधिवेशन में हिन्दी की उन्नति एवं प्रचार के लिए धन-संग्रह करने के हेतु 'हिन्दी पैसा फण्ड' की स्थापना हुई थी जिसके द्वारा आगे चल कर हिन्दी की उन्नति के प्रयत्नों को विशेष बल मिला।

टण्डन जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया था उसमें केवल धनकोष की स्थापना का विचार रखा गया था, किन्तु उनके प्रस्ताव के इस अंश का समर्थन सिंहभूमि जिले के पीड़ाहाट स्टेट की राजधानी बक्रम पुर के प्रतिनिधि बाबू रामजीज सिंह ने किया था। वे बक्रमपुर में २१ नवम्बर, १९०९ में स्थापित 'हिन्दी पैसा फण्ड समिति' की ओर से इस अधिवेशन के प्रतिनिधि बन कर आये थे। उन्होंने बड़े मर्मस्पर्सी और तर्कपूर्ण ढंग से हिन्दी की उन्नति एवं विकास की महुती आवश्यकताओं की ओर उपस्थित प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए जो भाषण दिया, उसका भी अनुकूल प्रभाव पड़ा। हिन्दी साहित्य के यशस्वी विद्वान् एव लेखक मिश्रबन्धुओं में से एक राजराजा पण्डित श्यामबिहारी मिश्र ने भी टण्डन जी के इस प्रस्ताव का तथा हिन्दी पैसा फण्ड की स्थापना का जोरदार समर्थन किया और सब के अन्त में अपनी ललित मनोहर प्राञ्जल भाषा और तर्कशैली से उपस्थित प्रतिनिधियों का मन मोहनेवाले अधिवेशन के सभापति महामना मालवीय जी ने जो अपील की उसका अमोघ प्रभाव पड़ा और तत्काल ही भरी सभा में चारों ओर से पैसों की वर्षा-सी होने लगी। देखते ही देखते पैसा फण्ड में १३१२८ पैसे नकद २१४१८ पैसे के वचन प्राप्त हुए, जिनका योग २२५५४६ पैसे अर्थात् उस समय के ३५२४) रुपये बार्ड आने होते थे, एकत्र हुए। यही नहीं हुआ, इस सम्मेलन की प्रमोदनी काशी नागरी प्रचारिणी सभा पर उस समय तक कुल छः हजार रुपये का ऋण चढ़ चुका था। उस समय के लिए यह धनराशि किसी नवजात संस्था को समाप्त कर देने के लिए पर्याप्त थी। सभा के संबालकों के लिए यह भारी ऋण राशि दिन रात चिन्ता का विषय बनो हुई थी। भरी सभा में जब चारों ओर से पैसों की वर्षा हो रही थी, ५० श्यामबिहारी मिश्र ने उपस्थित प्रतिनिधियों तथा दर्शकों को जब यह मुबद संवाद सुनाया कि किसी एक उदार महानुभाव ने, जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते, यह प्रतिज्ञा की है कि शीघ्र ही वह काशी नागरी प्रचारिणी सभा का छः हजार का उक्त ऋण चुकता कर देंगे तो सभा में प्रसन्नता एवं उल्लास का उन्माद सा छा गया और चारों ओर से ऐसा वातावरण बन गया कि हिन्दी के लिए जनता में कितना अपार उत्साह और उमंग है।

इस प्रकार काशी का यह प्रथम अधिवेशन न केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महान भविष्य के लिए ही प्रेरणाप्रद और सहायक बना बल्कि उसकी जननी नागरी प्रचारिणी सभा के वर्तमान संकटों को दूर करने में भी बरदायक सिद्ध हुआ। टण्डन जी के इस प्रस्ताव की सर्वसम्मति से स्वीकृति एवं उसके परिणामस्वरूप लगभग दस सहस्र रुपयों की आर्थिक निधि के संघटन से उपस्थित प्रतिनिधियों एवं दर्शकों का उल्लास कई गुना बढ़ गया। सर्वत्र उत्साह की लहर-सी दौड़ने लगी और सब को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि हिन्दी के साहित्यकारों एवं हितैषियों का यह सम्मेलन अब भविष्य में भी प्रतिवर्ष निर्बाध रूप से चलता रहेगा और इसके द्वारा हिन्दी की सभी प्रकार की कठिनाइयाँ एवं समस्याओं का ही अवसान न होगा बल्कि हिन्दी के सर्वांगीण विस्तार एवं प्रचार-प्रसार में भी यह अपूर्व योगदान करेगा।

आचार्य-वार्त्तापत्र, सन् १८९१]

अधिवेशन समाप्त होने के पूर्व एक प्रस्ताव द्वारा वेस भर के गण्यमान ४१ व्यक्तियों की एक ऐसी समिति बनायी गयी जो हिन्दी के साहित्यकारों के ऐसे वार्षिक सम्मेलन की एक नियमावली एवं भविष्य में उसकी गतिविधि का निर्धारण कर वर्ष भर तक इस सम्मेलन में स्वीकृत मंतव्यों आदि पर कार्य करे। यह भी निश्चय हुआ कि जब तक कोई नियमावली बन कर वार्षिक बैठक में स्वीकृत न हो जाय, तब तक इसी प्रकार की समिति प्रतिवर्ष बनती रहे। उस सर्वप्रथम ४१ सदस्यीय समिति में महामना मालवीय जी के अतिरिक्त जो अन्य ४० महानुभाव थे उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—

“लाला मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द), साहित्याचार्य पं० रामावतारशर्मा, बाबू शारदाचरण मिश्र, सर गुरुदास बनर्जी, बाबू हरिकृष्ण जोहर, पण्डित अमृतलाल चक्रवर्ती, पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पं० श्यामबिहारी मिश्र, राजा नरपति सिंह (चक्रधरपुर), महामहोपाध्याय पण्डित आदित्यराम भट्टाचार्य, डा० गंगानाथ झा, पण्डित बालकृष्ण भट्ट, महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी और बाबू श्यामसुन्दर दास आदि। टण्डन जी आगामी वर्ष के लिए इस सम्मेलन के मंत्री चुने गये और एक प्रस्ताव द्वारा यह भी निश्चय किया गया कि आगामी वर्ष इसी प्रकार का दूसरा सम्मेलन करने के लिए प्रयाग नगर की नागरी प्रचारिणी सभा का निमन्त्रण-पत्र स्वीकार किया जाय। यही नहीं जिस समय काशी में प्रथम सम्मेलन समाप्त हो रहा था उसी समय इस प्रथम सम्मेलन के सभापति महामना मालवीय जी ने प्रयाग से आनेवाले अपने साथी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि—“यदि सम्मेलन को दृढ़ करना है और उसे सचमुच स्थायी रूप देना है तो दूसरा सम्मेलन प्रयाग नगर में हो।”

प्रयाग के प्रतिनिधियों ने भी महामना मालवीय जी की प्रेरणा से सम्मेलन की नींव को दृढ़ करने के अभिप्राय से ही उस आगामी वर्ष के लिए प्रयाग में निर्मात्रित किया था और प्रमाणों से प्रकट है कि सम्मेलन के प्रयाग में होनेवाले इस द्वितीय अधिवेशन ने ही सम्मेलन को स्थायी रूप दे दिया। काशी में प्रथम अधिवेशन के सम्बन्ध में हिन्दी-जगत् में उत्साह का होना तो उसकी नवीनता के कारण स्वाभाविक ही था परन्तु प्रयाग के द्वितीय सम्मेलन में पहले से भी अधिक लोग जब एकत्र हुए और वाराणसी से भी बढ़ कर प्रयागवासियों में सम्मेलन के प्रति अत्यधिक उत्साह और आकर्षण देखा गया तो यह निश्चय हो गया कि सम्मेलन चिरजीवी रहेगा। वाराणसी के प्रथम अधिवेशन को प्रायः सभी लोग काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का ही एक बृहद अधिवेशन कहते थे और उसकी नागरी प्रचारिणी सभा से अलग कोई विशेष स्थिति नहीं थी। किन्तु इस सम्मेलन के मंत्री के रूप में टण्डन जी ने प्रयाग में आ कर अपने अन्यान्य सहयोगियों के साथ उसकी गतिविधि को जिस प्रकार अग्रसर किया और जिस अदृष्ट निष्ठा और लगन से उसके कार्यों में रुचि ली उससे कुछ ही महीनों के भीतर नागरी प्रचारिणी सभा से अलग इस सम्मेलन की एक स्थिति जनता के सामने आ गयी। उन्होंने उसका एक स्थायी कार्यालय ही नहीं स्थापित किया वरन् उसकी बहुमुखी प्रवृत्तियों और संभाषनाओं को भी मूर्त-रूप देना शुरू किया।

इस प्रकार विद्यानगरी वाराणसी में जन्म ले कर और महात्मना मालवीय जी के बरद हाथों अमृत-रसमय घूँटी का पान कर और मनस्वी टण्डन जी की तपस्या और लगन से एक वर्ष के भीतर ही सम्मेलन को स्थायी रूप प्राप्त हो गया।

द्वितीय वर्ष में सम्मेलन का सभापतित्व पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र ने किया। इस सम्मेलन के स्वागतार्थ्य टण्डन जी के माहिल्यिक गुरु पण्डित बालकृष्ण जी भट्ट थे। प्रयाग के इस द्वितीय अधिवेशन से सम्मेलन को बड़ी शक्ति मिली और हिन्दी-जगत् में यह धारणा बढभूल ही गयी कि सम्मेलन का मविष्य विशाल है और एक दिन यह देश की महती संस्था बनेगी। सम्मेलन के इस द्वितीय अधिवेशन में एक स्वतंत्र नियमावली स्वीकृत की गयी जो केवल एक वर्ष के लिए ही थी और यह स्वीकार किया गया कि सम्मेलन का मुख्य कार्यालय एक वर्ष के लिए प्रयाग नगर में ही रहेगा। इन द्वितीय सम्मेलन में भी सम्मेलन के मंत्री-गद पर श्री टण्डन जी सर्व-सम्मति से चुने गये, क्योंकि उनकी जैसी अपार हिन्दी-निष्ठा और लगन तथा सम्मेलन को सब प्रकार से उन्नत, समृद्ध और गतिमान बनाने की महत्वाकांक्षा किसी अन्य व्यक्ति में नहीं थी। अपने एक वर्ष के सीमित कार्यकाल में ही उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि सम्मेलन को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है।

सम्मेलन का तृतीय अधिवेशन हमारे देश के वाणिज्य-व्यवसाय के प्रमुख केन्द्र कलकत्ता नगर में बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ और इसके सभापति हुए हिन्दी के यगस्वी कवि और साहित्यकार उपाध्याय पण्डित बदरीनारायण चौधरी प्रेमचन। इस तीसरे अधिवेशन से तो सम्मेलन को अपूर्व शक्ति मिली और अनेक हिन्दीतर भाषा-भाषी महानुभावों का भी सम्मेलन की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। इस सम्मेलन के स्वागतार्थ्य थे पण्डित छोटलाल मिश्र और स्वागत मंत्री थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद, जो उन दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट में बकाकत कर रहे थे। कलकत्ता अधिवेशन में बंगाल के शीर्षस्थ साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, वकीलों, वैरिस्टरों और पत्रकारों के अतिरिक्त वहाँ के प्रमुख गण्यमान नागरिकों तथा घनपतियों का भी सहयोग सुलभ हुआ। उपस्थित प्रतिनिधियों में मद्रास, उड़ीसा, बम्बई, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, सिन्ध, राजस्थान, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली आदि प्रदेशों के सहजों व्यक्ति थे। इन अधिवेशन में एक विशेष प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सम्मेलन के मंत्री श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन के प्रति उनकी अनवरत सेवा और परिश्रम के लिए हाँदिक कृतज्ञता व्यक्त की गयी और उन्हें अधिकार दिया गया कि वे इस सम्मेलन की स्थायी समिति की रजिस्ट्री करा लें। इस प्रकार प्रयाग नगर में सम्मेलन के स्थायी कार्यालय की एक प्रकार से सम्पुष्टि की गयी।

सम्मेलन का चौथा अधिवेशन बिहार के भागलपुर नगर में हुआ और उसके सभापति हुए आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध नेता महात्मा मृगधीराम, जो स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से विख्यात थे। इसी अधिवेशन में हिन्दी के प्रचार के हेतु तथा हिन्दी-साहित्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए सम्मेलन की परीक्षाओं-सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत की गयी और नाथरी वर्णमाला पर विचार आयाङ-आर्यसोर्ध, सङ १८९१]

करने के लिए एक उपसमित का संगठन किया गया और यह भी निश्चय किया गया कि सम्मेलन का मुख्य कार्यालय प्रयाग नगर में ही रहेगा। हिन्दी-जगत् में यह धारणा बन गयी कि टण्डन जी ही इस सम्मेलन के सर्वेसर्वा हैं और जो भी सम्मेलन का विकास और उन्नयन हुआ है वह एकमात्र उन्होंने के प्रयत्नों का सुफल है।

पाँचवाँ अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि पण्डित श्रीधर पाठक बने। लखनऊ सबसे बड़े हिन्दी भाषी राज्य की राजधानी था अतः यह अधिवेशन अबतक के अधिवेशनों में सर्वाधिक मीडिया और धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इसमें इतने अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जितने अब तक किसी भी अधिवेशन में नहीं आये थे। इसी अधिवेशन में प्रथम बार सम्मेलन की परिषदाजों में उतीर्ण स्नातकों को उपाधि-पत्र प्रदान किये गये।

लखनऊ के अधिवेशन तक सम्मेलन के कार्यालय की अपनी स्थिति बन चुकी थी और उसे ब्रह्मिल भारतीय महत्व भी मिल चुका था किन्तु वा वह अब भी टण्डन जी के निजी भवन के एक कमरे में ही। उनके बकालतखाने के कमरे में ही एक ओर सम्मेलन का सी आफिस रहता था और दिन-रात टण्डन जी सम्मेलन के कार्यों में वैसी ही रुचि लेते थे मानो वह उनके निजी व्यसाय का ही एक अविभाज्य अंग हो।

सम्मेलन का छठा अधिवेशन लाहौर में होने वाला था किन्तु किसी अप्रत्याशित कारण-वशा वहाँ नहीं हो सका, इसलिए टण्डन जी ने उसे प्रयाग में सोत्साह सम्पन्न कराया। हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान् बाबू श्यामसुन्दरदास इस अधिवेशन के सभापति थे।

इस प्रकार अब सम्मेलन प्रयाग में स्थायी रूप से जम गया और धीरे-धीरे टण्डन जी के बरद साधिष्य में उसकी समस्त प्रवृत्तियों का विकास हुआ।

सातवाँ सम्मेलन जबलपुर में पण्डित रामावतार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन का आठवाँ अधिवेशन इन्दौर में सन् १९१८ ई० में सम्पन्न हुआ। यह अधिवेशन सभी दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इसके सभापति कर्मबीर महारमा गांधी हुए, जो उन दिनों परतन्त्र भारत की कोटि-कोटि जनता के एकमात्र आशास्तम्भ थे। गांधी जी के महान् व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के पुष्प संस्पर्ण से सम्मेलन को नवजीवन प्राप्त हुआ। उसकी सुप्रतिष्ठा समूचे भारत में फैल गयी और उसे अच्छी आर्थिक सहायता भी मिली। अहिन्दी भाषियों के हृदय में भी सम्मेलन को आदर प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से इन्दौर अधिवेशन में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का कार्य आरम्भ करने के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसके परिणाम-स्वरूप समूचे दक्षिण भारत में राष्ट्रभारती हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार करनेवाली संस्था दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा का जन्म हुआ। आरम्भ के कई वर्ष तक यह संस्था हिन्दी साहित्य सम्मेलन की एक शाखा तथा अविभाज्य अंग के रूप में कार्य करती रही और इसकी सभी प्रवृत्तियों एवं कार्यों का नियमन तथा संचालन सम्मेलन के मुख्य केन्द्र प्रयाग से ही होता रहा किन्तु आगे चल कर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण विशेषकर महात्मा गांधी जी की

इच्छा के अनुसार इसे एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करने के लिए सम्मेलन से पृथक कर दिया गया। सम्मेलन का नवाँ अधिवेशन बम्बई में पुनः महात्मना मालवीय जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में बड़ीदा के महाराज द्वारा प्रदत्त (५०००) की आर्थिक सहायता से सम्मेलन द्वारा साहित्यिक प्रकाशनों का श्रीगणेश हुआ। विश्वबंध महात्मा गांधी तथा महात्मना मालवीय जी जैसे पुण्यश्लोक महानुभावों के सभापतित्व तथा टण्डन जी के महान मनस्वी तथा अनवरत हितचिन्ता में रत मंत्री के सतत सांनिध्य से इन आठ-नी वर्षों के भीतर सम्मेलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हो गया। वह अपने अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यिक सम्मेलनों अथवा सघटनों के लिए न केवल स्वर्षा का विषय बन गया अपितु उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि संघा की धारा की भाँति हिन्दी में अजेय शक्ति है और वह न केवल एक दिन इस विशाल देश की राष्ट्रभारणी होने की पूर्ण क्षमता रखती है अपितु, समूचे देश की एकता एवं राष्ट्रीय विचारधारा की बाहिनी भी है।

सम्मेलन का दसवाँ अधिवेशन स्वर्गीय पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल के सभापतित्व में पटना नगर में हुआ और पुनः कलकत्ता में सम्मेलन का व्याहर्षा अधिवेशन किया गया जिसके सभापति डा० भगवानदास बनाये गये। कलकत्ते के इसी व्याहर्षे अधिवेशन में हिन्दी के सर्वप्रथम, सर्व श्रेष्ठ मंगलाप्रसाद पारिलौषिक की स्थापना हुई। कलकत्ता नगर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी वाराणसी-निवासी बाबू गोकुलचन्द्र जी ने अपने स्वर्गीय भाई श्री मंगलाप्रसाद जी की स्मृति में (४०,०००) रु० सम्मेलन को इसलिए प्रदान किये कि इन धनराशि के व्याज से प्रतिवर्ष (१२००) का एक पुरस्कार मंगलाप्रसाद पारिलौषिक के नाम से किमी मौलिक हिन्दी-ग्रन्थ के रचयिता को प्रदान किया जाय।

व्याहर्षा अधिवेशन सर्वप्रथम द्वार उर्दू भाषा के गढ़ पंजाब की राजधानी लाहौर नगर में हुआ जिसके सभापति पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्बेदी थे। इस अधिवेशन के पूर्व तक टण्डन जी अनवरत सम्मेलन के मंत्री पद पर इसलिए बराबर बने रहने के लिए बाध्य किये गये थे कि उनके शक्तिमान् एवं कर्मठ व्यक्तित्व के सिवा सम्मेलन को चलाने और संभालने की शक्ति किसी अन्य व्यक्ति में नहीं थी। प्रत्येक अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधियों और सभापति आदि पदाधिकारियों के अनुरोध को वे टाल नहीं पाते थे। इसका मुपरिणाम यह हुआ कि सम्मेलन की स्थिति उत्तरोत्तर सुदृढ़ बनती गयी। उसकी लोकप्रियता परीक्षाओं का प्रचार समूचे देश में हो गया और उससे कुछ आघ भी होने लगी और सुदूर दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक सम्मेलन से सम्बद्ध हिन्दी संस्थाओं द्वारा उसकी सगठन-शक्ति से हिन्दी की लोक-प्रियता, प्रचार और प्रगति में अपूर्व वृद्धि हुई। हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी-जगत् की महत्वा-कांक्षाओं के प्रतीक के रूप में एक सुदृढ़ संस्था के रूप में विख्यात हो चुका था और उसके वार्षिक अधिवेशनों द्वारा हिन्दी की सर्वांगीण समस्याओं और कठिनाइयों पर विचार करने और विषय प्राप्त करने के लिए हिन्दी जगत को एक अखिल भारतीय मंच मिल गया था।

काव्यज्ञ-वार्त्तावीर्य, शक १८९१]

टण्डन जी संवत् १९६७ से १९७७ तक सम्मेलन के प्रधानमंत्री पद पर रहे और सम्मेलन के ग्यारहवें अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हुआ, उन्होंने यह भार अपने एक सहयोगी प्रो० वृजराज की सौंप दिया। अपने प्रधानमंत्रित्व के १० वर्षों में सम्मेलन को आगे बढ़ाने में टण्डन जी ने वही काम किया जो स्नेहमय तथा महन्वाकांक्षी पिता अपने इकलौते बेटे के सर्वतोमुखी उत्कर्ष एवं कल्याण के लिए निजी सुख-दुख भूल कर किया करता है। उस समय सम्मेलन के पास धन-सम्पत्ति तो दूर कार्यालय के लिए छोटी-सी कोठरी भी नहीं थी और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आरम्भ के कई वर्षों तक टण्डन जी का निजी कमरा ही सम्मेलन का कार्यालय था और उनके निजी मुन्शी ही सम्मेलन का बहुत कुछ काम किया करते थे। शेष कामकाज या तो टण्डन जी स्वयं करते थे अथवा अपने पास से ही वेतनादि दे कर आंशिक समय के कार्य-कर्ताओं द्वारा कराने थे। परीक्षाओं के शुल्क और पुस्तकों के प्रकाशनों द्वारा अब सम्मेलन को थोड़ी-बहुत आय होने लगी। तब भी सम्मेलन का अनावश्यक एक पैसे का व्यय टण्डन जी कभी न करते थे। वह युग भी वैसे ही था। बहुत थोड़े वेतन में तन-मन लगा कर काम करते वाले अनेक योग्य व्यक्ति टण्डन जी को मुलम हुए, जिन्होंने आरम्भ के दिनों में उनके साथ रह कर सम्मेलन के कार्यों को आगे बढ़ाया। उस समय सम्मेलन के कार्यकर्ताओं के लिए न तो काम का कोई चपटा नियत था और न वेतनादि का ही कोई क्रम था। आज तो सम्मेलन में काम करने वाले कर्मचारियों का मासिक वेतन लगभग ३२,०००) मासिक है, किन्तु उन दिनों तो इतने रुपयों में सम्मेलन का सभी कार्य कई वर्ष तक चलाया जाता था। सम्मेलन के एक-एक पैसे का व्यय, बहुत विचारपूर्वक और अत्यन्त आवश्यक होने पर ही किया जाता था। किसी कर्म-चारी की आठ आने वार्षिक वेतनवृद्धि करते समय कार्य-समिति में टण्डन जी की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होती थी। जिन बैठकों में संयोगात् वे अनुपस्थिति रहने थे उसमें ऐसा कोई विचारणीय विषय नहीं रखा जाता था जिसमें अर्ध-सम्बन्धी कोई समस्या हो।

टण्डन जी के बाद सम्मेलन के प्रधानमंत्रियों की परम्परा में अनेक सुयोग्य व्यक्तियों के नाम आते हैं जिनमें से अनेक ने कई वर्षों तक सम्मेलन के कार्यों को प्रगति देने और सम्मेलन की प्रतिष्ठा को ऊँचा उठानेवाले कार्य भी किये हैं, किन्तु उन सभी प्रधानमंत्रियों के तथा अन्य विभागीय मंत्रियों के प्रेरणा-स्रोत अथवा संचालक टण्डन जी ही थे। पण्डित रामजीलाल शर्मा, पण्डित कृष्णाकान्त मालवीय, पण्डित रमाकान्त मालवीय, पण्डित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, सरदार नर्मदाप्रसाद मिश्र, डाक्टर बाबुराम सक्सेना, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, पण्डित मौलिचन्द्र शर्मा, डाक्टर उदयनारायण तिवारी, पण्डित बलमद्रप्रसाद मिश्र, डाक्टर रामचरण अग्रवाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किन्तु यह कहना उचित होगा कि प्रधानमंत्री अथवा मंत्री कोई भी हो, किन्तु सम्मेलन का सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल टण्डन जी के संकेतों पर ही चलता रहा है। सम्मेलन का छोटा से छोटा कार्य भी उनके परामर्श के बिना नहीं किया जाता था। इस दीर्घावधि में कुछ ऐसे भी प्रसंग आये हैं जब टण्डन जी ने एक-दो प्रधान मंत्रियों के कार्यकाल में अपना निर्ब-धन बीला कर के उन्हें पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दे दी थी, तथापि ऐसे उदाहरण

मिळते हैं जिनके प्रकट है कि इस प्रयोग का अनुभव अच्छा नहीं रहा। सम्मेलन की स्थिति पर इससे जबरदस्त बक्के लगे और उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने टण्डन जी के नियंत्रण को अपनी और सम्मेलन की स्वतंत्रता में बाधक समझा था, पुनः टण्डन जी से अपना नियंत्रण पूर्ववत् रखने की प्रार्थना की।

सम्मेलन के बहुमुखी विकास की कल्पना बहुत कुछ टण्डन जी के अपने मस्तिष्क की उपज थी। यह सत्य है कि उन्होंने सम्मेलन के कार्यों को आगे बढ़ाने में अपन अनेक सुयोग्य सहयोगियों और सन्नित्रों से सहायता प्राप्त की, किन्तु यह भी सत्य है कि टण्डन जी की उन कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की क्षमता उन्हीं में थी। जिस समय सम्मेलन की स्थापना हुई, हिन्दी समूचे भारत में उपेक्षित थी। अपनी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि में ही उसका कोई स्थान नहीं था। इन प्रदेशों की ८० प्रतिशत जनता उर्दू पढ़ने के लिए विवश थी। डाकघर, पुलिस, रेलवे, सरकारी कार्यालय, जिला बोर्ड आदि में सर्वत्र अंग्रेजी के साथ उर्दू प्रचलित थी। स्कूलों-कालेजों में भी हिन्दी की कोई पूछ नहीं थी। हिन्दी की न तो उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें थीं और न पाठ्य विषय ही था। ऐसे युग में सम्मेलन की परीक्षाओं का सञ्चालन एवं उनकी पाठ्य-विधि के प्रयोगात्मक रूप में आगे बढ़ाने के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से टण्डन जी ने हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की। यह एक नयी दिशा ही नहीं, नूतन प्रयोग भी था। बताते हैं, प्रयाग में हिन्दी विद्यापीठ का टण्डन जी ने जब समारम्भ किया तो सर्वप्रथम अपने पुत्रों को ही उसका नियमित विद्यार्थी बनाया। यह एक कठिन तथा अनुपम कार्य था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं के अनुकरण पर बाद में चल कर अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी हिन्दी परीक्षाओं की पद्धति आगे बढ़ी। स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में हिन्दी को पाठ्य विषय बनाने में भी सम्मेलन की परीक्षाओं का ही मुख्य हाथ रहा है और सम्मेलन के हिन्दी विद्यापीठ के अनुकरण पर तो न केवल हिन्दी भाषी राज्यों में ही बरन् हिन्दी-तर भाषी राज्यों में भी ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई।

सम्मेलन के १३ वें अधिवेशन में अपने मित्रों तथा हिन्दी-जगत के आग्रह से विवश हो कर टण्डन जी को सम्मेलन का सभापति-पद ग्रहण करना पड़ा। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। इसके स्वागताध्यक्ष थे आचार्य श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी। इस अधिवेशन में टण्डन जी ने जो महत्वपूर्ण भाषण किया था वह अनेक दृष्टियों से अबतक के सभापतियों के अभिभाषणों से भिन्न था। अपने इसी भाषण में टण्डन जी ने सम्मेलन के अन्तर्गत उस हिन्दी-संग्रहालय की स्थापना की चर्चा की थी जो बाद में उन्हीं के प्रयत्नों से आज हिन्दी-जगत् का अनुपम संग्रहालय है।

सम्मेलन के २४ वें अधिवेशन में, जो संवत् १९९२ में पुनः इन्दौर में सम्पन्न हुआ था, महात्मा गांधी जी पुनः सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गये और इसके २५ वें अधिवेशन में डा० राजेन्द्र-प्रसाद तथा २६ वें में श्री जमनालाल बजाज सभापति चुने गये थे। इसके बाद महात्मा गांधी जी के साथ दो लिपियोंवाली हिन्दुस्तानी को ले कर सम्मेलन का और टण्डन जी का मतभेद इस अन्तः-संघर्षार्थक, शक १८९१]

तक पहुँचा कि गांधी जी ने सम्मेलन की स्थायी-समिति के त्यागपत्र दे दिया। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा जब सम्मेलन से पृथक् होकर स्वायत्त रूप में दो खिपियों वाली हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के रूप में काम करने लगी तो सम्मेलन को हिन्दीतर भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए सन् १९३७ ई० में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना करनी पड़ी और इसका मुख्य कार्यालय वर्धा में ही रखा गया।

सम्मेलन की स्थापना के आज ५९ वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन ५९ वर्षों में से निम्न ५२ वर्षों तक सम्मेलन के साथ टण्डन जी का अभेद्य सम्बन्ध रहा था। इस दीर्घ अवधि में अपने जीवन का कितना उत्तम समय टण्डन जी ने सम्मेलन के कार्यों के लिए लगाया इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। दुर्भाग्यवशात् टण्डन जी के अन्तिम दिनों में सम्मेलन पर आदाता (रिस्ति-वर) का नियंत्रण था। किन्तु फिर भी अपनी अत्यन्त रुग्णवस्था में भी टण्डन जी को सम्मेलन की ही चिन्ता विचलित किये हुए थी। अपनी स्वस्थावस्था में तो वह प्रतिदिन ही नहीं, प्रति क्षण सम्मेलन की चिन्ता रखते थे। इन पक्तियों के लेखक का निजी अनुभव है कि कभी-कभी ऐसे भी अवसर आये हैं जब दिन-रात के २४ घण्टों में टण्डन जी ने १६-१६ घण्टों तक बैठा कर केवल सम्मेलन का ही कार्य किया है। सम्मेलन कार्यालय, मुद्रणालय, संप्रहालय, अतिथि-भवन आदि की भव्य इमारतें आधुनिक भारतीय वास्तुकला की एक सुन्दर नमूना हैं। इन सब के निर्माण में राजर्षि टण्डन जी की एवं उनके अनन्य सहयोगी श्री नन्दकिशोर अग्रवाल इंजीनियर की कल्पना ही मूर्तिमान कही जा सकती है। सम्मेलन के विशाल संप्रहालय कक्ष में प्रवेश द्वार के सम्मुख हंसवाहिनी सस्मितवदना मरस्वती की तेजस्विनी स्फटिक प्रतिमा है और उसके बाहरी दीवारों में हिन्दी के प्रमुख कवियों की रचनाएं सगरमर पर उत्कीर्ण हैं। संप्रहालय के भीतर हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों का विशाल भाण्डार है। संप्रहालय के वसु-कक्ष में प्रयाग के स्वनामधेय चिकित्सक एवं इतिहासवेत्ता मेजर वामनदास बंसु के मूल्यवान् पुस्तकालय से प्रदत्त लगभग ५००० दुर्लभ पुस्तकों का एक दुर्लभ संग्रह है जो टण्डन जी की प्रेरणा एवं सत्प्रयत्न से ही सम्मेलन को सुलभ हुआ है और इनके निर्माण में उन्हीं की कल्पना है।

संप्रहालय के एक दूसरे कक्ष में हिन्दी एवं संस्कृत की हस्तलिखित प्राचीन पाण्डुलिपियों का विशाल भाण्डार है। कक्ष में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के अमेठी राज्य के राजा रणजय सिंह द्वारा प्रदत्त अन्य बहुमूल्य पाण्डुलिपियाँ भी हैं, जिनकी संख्या पाँच हजार से अधिक है। संप्रहालय का राजर्षि कक्ष स्वयं टण्डन जी की देश के कोने-कोने से प्राप्त मूल्यवान् सामग्रियों से भरा है। इस कक्ष को टण्डन जी के जीवन के सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संघर्षों का एक जीवन्त स्मारक भी कह सकते हैं। इसमें उनके बाल्यकाल से लेकर अन्तिम समय तक के दुर्लभ चित्रों का सुन्दर संग्रह है। टण्डन जी को प्राप्त सहस्रों अभिनन्दन-पत्रों में से कुछ को छोट कर इसमें सजाया भी गया है। साथ ही चन्दन, हाथी दाँद, सुवर्ण, रजत, कौह एवं विविध धातुओं से बनी मेट-सामग्रियाँ भी इस कक्ष में सुरक्षित हैं। टण्डन जी को राजर्षि उपार्णव अर्पित

किये जाने के अवसर के पुण्य बरतन भी यहीं रखे गये हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उनकी सम्मानित उपाधियाँ भी यहीं हैं।

इस प्रकार सम्मेलन के चतुर्मुखी विकास एवं उन्नयन में उसके जन्म से लेकर अपनी अन्तिम स्वांस (१ जुलाई सन् १९६२ ई०) तक टण्डन जी का कितना बड़ा हाथ रहा है उसका यहाँ एक अति संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह कह सकता हूँ कि जब तक टण्डन जी जीवित रहे, सम्मेलन की छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी समस्याओं से अवगत रहते थे और उसके निराकरण का उपाय भी करते थे। सम्मेलन की अर्थ से वर्तमान तक की जितनी जानकारी उनको थी उतनी किसी एक व्यक्ति को नहीं थी—भले ही वह सम्मेलन का कोई नियमित बैठकिक कर्मचारी ही क्यों न हो। ऐसा प्रतीत होता था जैसे सम्मेलन उनके हृदय की धड़कन में बस गया हो जैसा कि आरम्भ की पंक्तियों में कहा भी गया है।

आज सम्मेलन का कार्य, टण्डन जी की ही अन्तिम इच्छा के अनुसार केन्द्रीय शासन के नियंत्रण में, उसी द्वारा निर्मित प्रथम शासी निकाय संस्थापित कर रखा है, जिसके अध्यक्ष हिन्दी के यणस्वी नायक तथा टण्डन जी के अनन्य अनुगामी डा० सेठ गोविन्ददास जी हैं और जिसके सचिव टण्डन जी के अनन्य विपदासभाजन तथा सम्मेलन के पूर्व प्रचानभन्धी पण्डित मौळि-चन्द्र जी शर्मा हैं। श्री वियोगी हरि जी, श्री रामचारी सिंह दिनकर, श्री बालकृष्ण राव, डा० सन्तप्रसाद टण्डन, श्री बापाल चन्द्र सिंह प्रभृति हिन्दी के यणस्वी सेवक एवं उन्नायक इस निकाय के सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति राजवि टण्डन जी की इच्छा के अनुसार केन्द्रीय शासन ने की थी।

राजवि के पूज्य चरणों में शतशः प्रणाम।

राजर्षि टण्डन जी : सत्यता और त्याग के प्रतीक

महात्मा गांधी और महात्मना मालवीय जी के बाद पूज्य टण्डन जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देख कर मेरा मस्तक धड़ा से झुक जाता है। उनके सम्मुख जा कर ऐसा जान पड़ता था कि सचमुच किसी प्राचीन ऋषि का दर्शन कर रहा हूँ। पूज्य बापू ने जहाँ पवित्रता और मालवीय जी में निर्मलता थी वही टण्डन जी में एक ऐसी निश्छल बाल-सुलभ सरलता थी जो उनके निकट बरबस सब को खींच ले जाती थी। उनसे मिल कर मनुष्य जैसे उनके घर का एक प्राणी हो जाता था। ऐसा स्नेहपूर्ण व्यवहार अब किसी नेता में दिखाई नहीं पड़ता। जिन लोगों को मेरी तरह उनके चरणों के निकट बैठ कर कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे जानते हैं कि पूज्य टण्डन जी का रहन सहन, स्वभाव और आचरण सब कुछ एक तपस्वी के समान था। उनका सारा जीवन देशसेवा, सच्चाई और सादगी का इतिहास है।

मुझे पहली बार उनके दर्शन १९३० में हुए थे जब मैं अपना जल्दा ले कर पैदल राय-बरेली जा रहा था। हम लोग रोज दस मील चलते थे और रात में किसी गाँव में ठहरा जाते थे। उस दिन हम लोग जिस गाँव में ठहरे वह सड़क के करीब आध मील हट कर था। पूज्य टण्डन जी लखनऊ से प्रयाग मोटर द्वारा जा रहे थे। रात हो गई थी मोटर भी एकदम जर्जर थी लेकिन वे उस अंधेरे में उस गाँव में पहुँच गये और हम लोगों की कुशल-खेमपूछ कर ही आगे बढ़े। ऐसा भला आज कौन कर सकता है? ऐसे तपस्वियों के त्याग और तपस्या के बल पर ही हमारी कांग्रेस चल रही है। नहीं तो गद्दी के लिये लड़नेवाले कांग्रेसी तो उसे कब के रसातल को भेज देते।

नमक सत्याग्रह के ही दरमियान कई बार प्रयाग जाना पड़ा और प्रत्येक बार मैं पूज्य टण्डन जी के दर्शन करने उन के स्थान पर गया और तब से जब तक वे जीवित रहे मुझे उनका स्नेह उसी प्रकार मिला।

ब्रिटिशों पर जब मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसे देख कर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। हिन्दी के सेवक के नाते उनका स्नेह और भी बढ़ गया। जब कभी उन से मिलता था थोड़ी देर तक हिन्दी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करते।

सन् ५० में एक बार जब वे कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष थे तो कई सज्जनों के साथ मेरा नाम भी काउंसिल के लिए प्रस्तुत हुआ। सब के साथ किसी न किसी मिनिस्टर की शिफारिश थी लेकिन मेरा नाम बिना शिफारिश के ही था।

पूज्य टण्डन जी ने मेरा नाम देखते ही कहा, "मैं इन्हें बचपन से ही जानता हूँ। इन्हें जरूर काँउंसिल में जाना चाहिए।" जब बोटींग का संबाल हुआ तो टंडन जी ने दृढ़ता से कहा, "अगर यह नाम न रखा गया तो मैं इस्तीफा दे दूँगा।"

उनकी जिद देख कर उस दिन कार्यवाही स्थगित कर दी गई और मुझे कुछ मिनिस्टर्सों ने, जो एक दूसरे सज्जन को चाहते थे, बुला कर कहा कि मैं इस बार अपना नाम वापस ले लूँ क्योंकि वे लोग उन सज्जन से बायपास कर चुके हैं। मैंने अपना नाम वापस ले लिया तो टण्डन जी मेरे ऊपर बिगड़ गये। मैं मिलने गया तो बोले, "मैं तो तुम्हारे लिये सब से लठ गवा और तुमने अपना नाम हटा लिया—यह कैसी हिमाकत है?"

मैंने जब उन्हें बताया कि काँउंसिल में बहुत रुपया चलता है तो तुरन्त बालकों की तरह बड़े सरल स्वभाव से बोले, "अच्छा ऐसा होता है, तुमने ठीक किया, रुपया दे कर बोट खरीदने से अच्छा है कि चुनाव ही न लडो।" और वे पहले जैसे प्रसन्न हो गये।

एक बार श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी ने अपने यहाँ हिन्दी प्रेमी-विधायकों तथा मित्रों को आमंत्रित कर के एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया। पूज्य टण्डन जी भी, जो उस समय असेम्बली के स्पीकर थे, पधारे। पूज्य निराला जी तथा श्री पंत जी भी थे। मुझे जी आने की आज्ञा मिली थी। जब सब लोग जमा हो गये तो टण्डन जी ने हजर-उधर देख कर पूछा, "निराला जी कहाँ हैं? निराला जी से और टण्डन जी से उन दिनों साहित्य सम्मेलन को ले कर कुछ मन मुटाव चल रहा था, इसी से निराला जी एक ऊनी चादर ओढ़े एक कोने में चुपचाप बैठे थे। जब सब लोग जमा हो गये और कविता पाठ का समय आया तो टण्डन जी ने इधर उधर देख कर फिर कहा, "निराला जी कहाँ हैं?"

निराला जी ने उठ कर नमस्कार किया तो टण्डन जी ने बड़े प्रेम से कहा, "वहाँ कोने में कहाँ बैठे हो? यहाँ आओ तुम्हारी जगह यहाँ है।" निराला जी का मान उनके स्नेह-सिक्त धीतल बचन से काफूर की तरह उड़ गया और वे आ कर उनके बगल बैठ गये और हिन्दी के उन दोनों महान् लेखकों को प्रेमपूर्वक बातें करते देख कर हम लोगों का हृदय गद्गद् हो गया।

आज जब हिन्दी पर फिर संकट के बादल छाये हैं, हमें उस तपस्वी का अभाव बहुत खटकता है जो हिन्दी के लिये अपना सब कुछ न्योछावर करने में कमी नहीं हिचका। आज हिन्दी की जो कुछ भी उन्नति हम देखते हैं उस में उस कर्मयोगी महापुरुष का सब से बड़ा हाथ था। उन्होंने हिन्दी के लिये इतना त्याग किया है कि राष्ट्रभाषा के इतिहास में उनका नाम सर्वै स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा।

पूज्य बाबू जी के कुछ संस्मरण

पूज्य बाबू जी का प्रथम दर्शन मैंने सन् १९२१ ई० में किया था। मैं उस समय मैट्रिक में पढ़ता था। हिन्दी के प्रति मेरी आस्था बचपन से ही थी। यह आस्था क्यों थी, कहा नहीं जा सकता। जानसेनगढ़ चौक में जहाँ इस समय किम्स कम्पनी है, उनी भवन में नीचे के हिस्से में साहित्य-भवन की पुस्तकालय की दुकान थी। मैं प्रायः हिन्दी कवियों तथा लेखकों की रचनाएँ पढ़ने तथा उनकी पुस्तकें खरीदने जाता करता था। एक दिन मैं दुकान में बैठे कुछ पुस्तकें देख रहा था। सन्ध्या काल लगभग ४ बजे का समय था। उसी समय एक बच्ची (टमटम) आकर दुकान के सामने खड़ी हो गई। काली अचकन, बूड़ीदार पैजामा और सफेद गोल माफा बांधे, दाढ़ी रखे एक व्यक्ति उतर कर बाहर खड़ा हो गया। मैं दुकान के भीतर से टकटकी लगा कर उस भय्य व्यक्तित्व की ओर देखने लगा। पूछने पर पता चला कि यही बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन हैं। मैंने बचपन से ही बाबू जी का नाम सुन रखा था। उनके हिन्दी प्रेम तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सचलक के नाते भी उनका यहाँ देश में व्यापक हो रहा था।

मैं गोरखपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन में एक दर्शक की हैसियत से सम्मिलित हुआ। गोरखपुर-अधिवेशन के अध्यक्ष हुतात्मा स्वर्गीय श्री गणेशाशकर विद्यार्थी थे, हिन्दी के नवयुवकों को उनसे बड़ी प्रेरणा मिली थी। बाबू जी तो सम्मेलन के प्राण ही थे, उनकी उपस्थिति से अधिवेशन में एक नया जीवन उत्पन्न हो जाता था। सम्मेलन के नून्दावन अधिवेशन में मैं एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ था किन्तु पूज्य बाबू जी वहाँ उपस्थित नहीं थे। उस समय सम्मेलन में दो मत के लोग अपनी-अपनी लीचातानी में लगे थे। बाबू जी उन दोनों मत वालों में सन्तुलन की ओर अपनी शक्ति का प्रयोग समय-समय पर करते रहते थे। एक दल में पण्डित रामजीलाल शर्मा, पण्डित द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी, साहित्याचार्य प० चन्द्रशेखर शास्त्री, श्री शालिग्राम वर्मा, पण्डित लक्ष्मीधर बाजपेयी, पण्डित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल तथा अध्यापक रामरत्न आदि थे और दूसरे दल में प्रोफेसर ब्रजराज (जो कई वर्षों तक सम्मेलन के प्रारम्भिक काल में उसके प्रधान मंत्री रह चुके थे), प्रोफेसर गोपालस्वरूप भार्गव, प्रोफेसर शालिग्राम भार्गव, श्री लक्ष्मीनारायण नागर तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के कुछ प्राध्यापक थे। पूज्य बाबू जी दोनों दलों में सदा मेल-मिलाप कराने में अपनी शक्ति लगाया करते थे। मैं भी सम्मेलन का सदस्य होने के नाते यह सब सदा देखा करता था। परन्तु यह कहने में भुलते सकोच नहीं है कि पूज्य बाबू जी की आन्तरिक सहानुभूति दूसरे दल के साथ अधिक रहती थी।

में बहुते दल का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। इसलिए मेरे प्रति उनकी भावना बहुत अच्छी नहीं थी, ऐसा मैं अनुभव करता था। इस प्रकार का दलीय संघर्ष सम्मेलन में प्रारम्भ से ही रहा है। किन्तु जहाँ तक सम्मेलन के हित का प्रश्न है, वहाँ तक प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी पूज्य बाबू जी के आदेशों का ही पालन करने की प्रतीक्षा करता था।

काशी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष पं० अम्बिका-प्रसाद नाजपेयी थे। इस सम्मेलन में मैं स्थायी समिति के सदस्य की हैसियत से सम्मिलित हुआ। इस अधिवेशन में नये मन्त्रिमण्डल का भी चुनाव हुआ। मेरे बिहार के कुछ मित्रों ने मेरा नाम साहित्य-मंत्री पद के लिये प्रस्तावित किया, कुछ सदस्यों की ओर से डा० रामकुमार वर्मा का नाम प्रस्तावित हुआ। मतदान में मुझे अधिक मत मिले और मैं साहित्य-मंत्री चुन लिया गया। पूज्य बाबू जी की सहानुभूति डा० वर्मा के प्रति अधिक थी और मेरे प्रति कम, क्योंकि मैं उनके साध्विष्य में उस समय तक पूर्णरूपेण नहीं आ पाया था। तो भी पूज्य बाबू जी ने मेरे साहित्य-मंत्री चुने जाने पर कुछ मित्रों से कहलवाया कि उनसे (मुझसे) कह देना कि उन्हें सबके साथ सहयोग से काम करना चाहिए। इस घटना के बाद से मैं बाबू जी के सम्पर्क में पूरी तरह से आ गया और उनसे प्रेरणा ग्रहण करता हुआ सम्मेलन की सेवा करने लगा। धीरे-धीरे वह मुझसे बड़ा स्नेह करने लगे और समय-समय पर अपने सुझावों से मेरा मार्ग-दर्शन करने रहे। बाबू जी हृदय के बड़े उदार, सहृदय और अपने से छोटों पर बड़ा स्नेह रखते थे। फिर भी मुझको यह कहते संकोच नहीं है कि वे बड़े आदमी थे और बड़े आदर्शियों की एक कमजोरी होती है, कान का कच्चा होना। उनके पीछे भी कुछ लोग ऐसे लुजाभिदी और काटकार लगे रहते थे, जो अपना मतलब सिद्ध करते थे, जो कभी-कभी उन्हें उलटी-सीधी भी समझाया करते थे। मुझे प्रतिवाद का अवसर नहीं मिलता था इलाहाबाद के कुछ लोगों का मेरा साहित्य-मंत्री होना अच्छा नहीं लगा। और वे बाबू जी का कान भरते रहे, जिससे मैं अगले वर्ष साहित्य-मंत्री न हो सकूँ। बाबू जी की आज्ञा से मैंने सर्वप्रथम सम्मेलन के साहित्य विभाग से डा० पीताम्बर दत्त बड़वाल का शोध ग्रन्थ 'गोरखदानी' का प्रकाशन करवाया था। बाबू जी की ओर भी बहुत-सी योजनाएँ थीं जिनको मैं भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए सोच रहा था।

सम्मेलन का नया अधिवेशन अबीहर में हुआ। पण्डित अमरनाथ झा इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अधिवेशन के अन्तिम दिन रात्रि में मन्त्रिमण्डल का चुनाव हुआ। इस चुनाव में श्री रामचन्द्र टण्डन साहित्य-मंत्री चुने गये। इस घटना से मुझे बड़ा दुःख हुआ। दुःख इसलिए नहीं हुआ कि मैं साहित्य-मंत्री नहीं चुना गया, बरंच मैंने सोचा कि यदि मुझे एक ही वर्ष में साहित्य-मंत्री के पद से मुक्त करना था तो कम-से-कम पूज्य बाबू जी को यह बात मुझ से पहले से बता देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं यह जानता था कि बिना उनकी आज्ञा के कोई उनका अनुयायी चुनाव में मेरा विरोध नहीं कर सकता था। मैं उस समय युवक तो था ही, कुछ क्रोधी भी था। उस समय मैं अपने को संभाल नहीं पाया, मैंने अपने को बड़ा अपमानित अनुभव किया। मैं चुनाव के कन्दरे से बाहर निकल कर पूज्य बाबू जी के कुछ अनुयायियों को जो भी भला-बुरा

कहते बना मैंने सब कह डाला। उस समय यह दृश्य बड़ा भयंकर हो गया था। सम्मेलन की स्थायी-समिति के सदस्य तथा साहित्यकार भी बहुत परेशानी में पड़ गये कि किस प्रकार समस्या का समाधान किया जाये। अन्त में कई सदस्य डा० सम्पूर्णानन्द के पास बीच-बिबाद करनेके लिये पहुँचे, अधिवेशन में डा० सम्पूर्णानन्द जी दर्शन-परिषद् के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हुए थे। डा० सम्पूर्णानन्द जी तत्काल मेरे पास आये और बोले—“यह सब तुम क्या कर रहे हो? मालूम होता है तुम्हें सार्वजनिक जीवन का कोई अन्भव नहीं है। यह सब तो होता ही रहता है। मैं गिजा मंत्री हूँ (डा० सम्पूर्णानन्द जी उस समय उत्तर प्रदेश के गिजा मंत्री थे), मेरे ही बारे में लोग पता नहीं क्या अनाप-शनाप बका करते हैं, अगर मैं इन बातों पर अपनी बुद्धि भ्रष्ट करूँ तो मैं कितने दिन चल सकता हूँ। तुम्हें कुछ जरूर हुआ होना और मेरी राय भी है कि तुमसे इस चुनाव के सम्बन्ध में पहले से बता देना चाहिए था, लेकिन यह सब यों ही चलता है।” डा० सम्पूर्णानन्द जी ने मुझे बहुत समझाया तब मैं वहाँ से अपने सोने के कमरे में चला गया। पूज्य बाबू जी के कुछ अन्यायियों ने प्रचारित किया कि मैंने पूज्य बाबू जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया किन्तु बात ऐसी नहीं थी, साथ ही मैंने कभी भी इस प्रकार के प्रचारित विचारों का प्रतिवाद भी नहीं किया।

यह मेरा सीमाध्य था कि मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के काशी, बम्बई और मेरठ अधिवेशनों में तीन बार साहित्य मंत्री चुना गया। इन वर्षों में मैं बाबू जी के बहुत नजदीक पहुँच गया था। उनके आदेशों के अनुसार अनेक साहित्यिक पस्तकों का सम्मेलन द्वारा प्रकाशन कराया। साहित्य-समिति की प्रत्येक बैठक में बाबू जी की उपस्थिति अनिवार्य थी।

पूज्य बाबू जी की नैतिकता प्रसिद्ध है। वे अनैतिक आचरण करनेवालों के प्रति झुंझला जाते थे। वे अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति का भी अनैतिक आचरण करने पर विरोध करते थे। मुझे एक घटना का स्मरण हो रहा है। मैं सम्मेलन का साहित्य-मंत्री था। उस समय डा० बाबू-राम सक्सेना प्रधान मंत्री थे। सम्मेलन की स्थायी समिति, कार्यकारिणी समिति, परीक्षा समिति तथा साहित्य समिति में अनेक विषयों के निर्णय के हेतु प्रायः वाद-विवाद हुआ करते थे। हम में और डा० सक्सेना में कभी-कभी विचारों में मतभेद भी हो जाया करता था। तात्पर्य यह है कि डा० सक्सेना मुझसे प्रसन्न नहीं थे। उसी समय सम्मेलन का अगला अधिवेशन होने वाला था। वर्ष पूरा हो ही चुका था। अधिवेशन में स्वीकृति के लिए पिछले वर्ष का कार्य-विवरण तैयार हो चुका था। उस कार्य-विवरण में प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में मेरे सम्बन्ध में कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिख दी थीं कि यदि वह विवरण अधिवेशन में स्वीकृत के लिए उपस्थित कर दिया जाता तो वाद-विवाद हो जाने की पूरी आशांका थी। अकस्मात् मेरा ध्यान कार्यविवरण की उन पंक्तियों की ओर अधिवेशन में जाने के दो दिन पूर्व ही आकर्षित हो गया। मैंने इस विषय को पूज्य बाबू जी के सामने उपस्थित किया और कहा कि प्रधान मंत्री का इस वक्तव्य में अपने किसी सहयोगी तथा उसके कार्यों के सम्बन्ध में ऐसी पंक्तियाँ लिखना क्या उचित है? इस वक्तव्य से सम्मेलन की प्रतिष्ठा भंग होगी। बाबू जी ने उस वक्तव्य को पढ़ा और कुछ कुछ

और दुःखी होकर तुरन्त मुझे लेकर डा० सक्सेना के घर पहुँचे। पहुँचते ही बाबू जी वार्षिक विवरण का वह अंश डा० सक्सेना को दिखाकर बोले—“बाबुराम जी ! देखिए, क्या इसे आपने लिखा है ?” डा० सक्सेना ने धीमे स्वर में होकर अपनी स्वीकृति दी। बाबू जी कुछ होकर बोले—“बाबुराम जी ! यह ‘रिवेन्ज’ है ‘रिवेन्ज’। वार्षिक विवरण में अपने किसी सहयोगी के बारे में ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए। आन्तरिक रूप से हम सब के विचारों में मतभेद हो सकता है किन्तु यदि यह विवरण इसी रूप में अधिवेशन में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इससे सम्मेलन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचेगा। आप इसे काट दीजिए। नहीं तो मैं इस वार्षिक विवरण को अधिवेशन में उपस्थित नहीं होने दूँगा। आपसी मतभेद को सार्वजनिक रूप में लाना अनुचित है।” बाबू जी के कहने से डा० सक्सेना ने अपनी उन पक्तियों को काट दिया। और बाबू जी की आज्ञा से वह विवरण पुनः छपवाकर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। पूज्य बाबू जी के इस नैतिक आचरण ने मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। और मैं यह समझ गया कि बाबू जी की जानकारी में कभी कोई अनुचित काम ही हो नहीं सकता।

पूज्य बाबू जी विधान और नियम के बड़े पाबन्द थे। वह सम्मेलन में प्रत्येक कार्य वैधानिक रूप से ही करते थे। सम्मेलन की समितियों में समय-समय पर ऐसे भी निर्णय होते थे जो बाबू जी को सचिकर नहीं लगते थे। परन्तु वह सदा बहुमत के निर्णय का आदर करते थे। वह अपनी इच्छाओं को जबर्दस्ती किसी मंत्री या समिति पर लादते नहीं थे। यदि कोई निर्णय कभी ऐसा हो जाता था जिसे वे उचित नहीं समझते थे, तो उसका समाधान वैधानिक रूप से ही कराते थे। मुझे एक घटना का स्मरण हो रहा है; सम्मेलन में कलकत्ते के सेठ सीताराम सेकसरिया द्वारा प्रदत्त सेकसरिया पारितोषिक महिलाओं को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए दिया जाता है। एक बार सेकसरिया पारितोषिक के लिए महिला लेखिकाओं से उनकी कृतियाँ माँगी गईं। पारितोषिक समिति ने एक निश्चित तिथि और समय पुस्तकों की प्रति के लिए निश्चिन्ना किया। कई कृतियाँ पारितोषिक के लिए आईं और श्रीमती महादेवी वर्मा की ‘नीरजा’ कृति भी पारितोषिक के लिए विचारार्थ आई, परन्तु निर्धारित समय के दो घंटे बाद। समिति ने अपनी बैठक में यह निश्चय किया कि श्रीमती महादेवी वर्मा की कृति पर इस वर्ष विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह समय पर नहीं आई। पारितोषिक समिति में श्रीमती चन्द्रावती त्रिपाठी, श्रीमती कल्लता पाठक, कुमारी रामेश्वरी गोयल, श्रीलक्ष्मीधर बाजपेयी और मैं था। मैंने समिति में इस निर्णय का विरोध किया और कहा कि यदि महादेवी जी की ‘नीरजा’ पर पारितोषिक समिति इस वर्ष विचार न करेगी तो मैं समिति से त्यागपत्र दे दूँगा। यदि कोई श्रेष्ठ कृति पारितोषिक के लिए निर्धारित समय से कुछ देर बाद भी प्राप्त हो तो समिति को उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। परन्तु महिला-प्रधान इस समिति ने यही निश्चय किया कि श्रीमती महादेवी वर्मा की ‘नीरजा’ पर इस वर्ष विचार न होवे। मैंने इस समस्या को पूज्य बाबू जी के सामने प्रस्तुत किया और उनसे भी यही कहा कि मैं ऐसी समिति में नहीं रहूँगा जिसमें इस प्रकार के रागद्वेष-पूर्ण निर्णय किये जाते हैं। पूज्य बाबू जी कुछ देर सोचते-विचारते रहे।

आचार्य-वार्तावर्ष, सफ. १८९१]

यदि वे चाहते तो महादेवी जी की 'नीरजा' को अपने संकेत-मान से पुरस्कार-समिति में स्थिर राध रखवा देते किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे विधान और नियम के अनुकूल ही कार्य-वाई करना चाहते थे। उन्होंने समिति की कार्यवाई यह कह कर रोकवा दी कि समिति के इस निर्णय का अन्तिम निर्णय शीघ्र ही होने वाली स्थायी समिति में किया जायगा। अन्त में यही हुआ कि स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई और उसमें पारितोषिक समिति के निर्णय के प्रतिकूल निर्णय हुआ, तथा 'नीरजा' उसी वर्ष के पारितोषिक में विचारार्थ सम्मिलित की गई और निर्णायको ने 'नीरजा' पर सेकसरिया पुरस्कार देने की घोषणा की।

पूज्य बाबू जी सम्मेलन का एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने देना चाहते थे। इसके लिए वह बड़े सतर्क रहते थे। सार्वजनिक पैसे का उपयोग करना वे भली-भाँति जानते थे। हमें एक घटना का स्मरण है—'आधुनिक कवि' ग्रन्थमाला में हमारी इच्छा थी कि पन्त, महादेवी और रामकुमार वर्मा के काव्य-संग्रह के प्रकाशन के बाद निगला जी के काव्य-संग्रह का प्रकाशन भी किया जाये। मैंने इस सम्बन्ध में निराला जी से बातचीत की। उनका काव्य-संग्रह संगृहीत होकर सम्मेलन कार्यालय में आ भी गया, रह गयी भूमिका लिखने की बात। निराला जी ने घात लगाई कि सम्मेलन मुझे पाँच सौ रुपये अग्रिम दे दे तो मैं भूमिका लिख दूँ। साहित्य-समिति में यह प्रश्न विचारार्थ उपस्थित हुआ और निश्चय किया गया कि निराला जी को रुपया दे दिया जाय, यद्यपि उस समय सम्मेलन के प्रकाशनो पर किसी लेखक को अग्रिम नहीं दिया जाता था, तो भी बाबूजी मेरे कहने पर निराला जी को अग्रिम देने को तैयार हो गये। चेक बन गया। चेक निराला जी के पास जाने ही वाला था कि एकाएक दूसरे दिन बाबू जी ने मुझे बुलाया और कहा, "मेरी राय में यह रुपया निराला जी को अभी मत भेजिए। मेरी समझ में निराला जी आज-कल-व्यग्र हैं और वह पुस्तक की भूमिका नहीं लिखेंगे और सम्मेलन का यह रुपया ऐसा न हो कि यों ही चला जाय। मेरी समझ में पुस्तक की भूमिका मिलने पर उन्हें रुपया दिया जाये।" इस प्रकार अग्रिम रुपया निराला जी को नहीं भेजा गया। अन्ततः निराला जी के काव्य-संग्रह का प्रकाशन नहीं हो सका।

सम्मेलन एक सार्वजनिक सत्सा है और इसका विधान पूर्ण रूप से जनताधिकार है। इसलिए वहाँ दलबन्दी होना स्वाभाविक था। जहाँ भी मतदान पर प्रत्येक निर्णय निर्बंध है वहाँ दलबन्दी भी अनिवार्य है। सम्मेलन में मुकदमेबाजी प्रारम्भ हुई और मैंने बाबू जी का ही समर्थन किया। मैंने अनेक बार बाबू जी से प्रार्थना की थी कि सभी दल एक साथ मिल-जुल कर काम करें किन्तु सम्भव नहीं हो सका। पूज्य बाबू जी दलबन्दी नहीं चाहते थे, मुकदमेबाजी से उनको बड़ा दुःख हुआ, इसलिए उन्होंने अन्त में सम्मेलन को सरकार के अधिकार में देने का निर्णय किया। पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मेलन का गत्यावरोध दूर करने के लिए कानून बनवाया किन्तु उच्च न्यायालय के द्वारा वह कानून अस्वीकृत कर दिया गया, इसलिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया और एक नया अधिनियम लोक सभा से स्वीकृत करके सम्मेलन का गत्यावरोध दूर करवाया। मैंने अनेक अवसरों पर पूज्य बाबू जी से इस सम्बन्ध में

दार्ते की थीं, वे हृदय से कभी नहीं चाहते थे कि सम्मेलन सरकार के हाथ में जाय किन्तु अचालती गरयवरोध घूर करने का इसके सिवा उनके सामने कोई चारा भी नहीं था।

पूज्य बाबू जी में अनेक गुण थे। वे आदर्श और सिद्धान्त की प्रतिमूर्ति थे। उनके आदर्शों से हम लोग कभी-कभी ऊब जाते थे, फिर भी हम सब उनकी आज्ञाओं की प्रतीक्षा करते थे। अम्यागतों का स्वागत करने में मैंने उनकी समता का दूसरा व्यक्ति नहीं देखा। निर्धन हिन्दी-लेखकों तथा जन-कार्यकर्ताओं की वे निजी रूप से समय-समय पर आर्थिक सहायता भी किया करते थे और उनके सुख-दुःख से अवगत होकर यथासाध्य उममे अपना भी हाथ बँटाते थे।

पिछले तीस वर्षों से मैंने उनको बहुत पास से देखा है अनेक अवसर्गो पर उनके साथ यात्राएँ की हैं। वीरों की भाँति उनको आदर्श और सिद्धान्त के लिए विरोधियों से लड़ते देखा है। वे जीवन में कभी अपने सिद्धान्त से विचलित नहीं हुए। महात्मा गांधी से भी उन्होंने राष्ट्र-भाषा-हिन्दी के सम्बन्ध में लोहा लिया। समस्त जीवन उन्होंने हिन्दी को अर्पित कर दिया। आज हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा बन गयी है। उसका श्रेय राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन को ही प्राप्त है। भारतीय संविधान-परिषद् में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पूज्य टण्डन जी ने जो अथक प्रयास किया उसका सक्षी भावी इतिहास होगा। हम आज भी उस महान् स्वर्गीय आत्मा का स्मरण करके प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए अपने को कृतकृत्य समझते हैं।

राजर्षि टण्डन जी के कुछ संस्मरण

सन् १९३८ की १९, २०, २१, फरवरी के दिन, ताप्ती नदी का तट हरिपुरा कासेस अधिवेशन का विशाल दृश्य। श्री नदलाल बोंम की दम्बभाल में बनवाये गये कलापूर्ण द्वार, सरदार पटेल का सुप्रबध, अखिल भारत का औद्योगिक तथा हस्तकला उद्योग के नमूने की अपूर्व प्रदर्शनी, नेताजी सुभाष बाबू के स्वागत का भव्य आयोजन, वाचन बेंलों से जुड़ा प्राचीन-कला पूर्ण रथ, ये मारे दृश्य काश्रम के इतिहास के अपूर्व दृश्य-दर्शन थे। नेताओं का निवाम-स्थान तो काश्रम की विगालता, लोकप्रियता तथा भारत की आशा-आकांक्षाओं का मूर्तिमान् स्वरूप था। काश्रम का यह इष्कावनर्वा अधिवेशन भारत के इतिहास में बंगोड कहा जा सकता है। इस अवसर पर मैं भी हरिपुरा पहुँचा था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मंत्री श्री मत्य-नारायण जी, श्री माहनलाल जी मट्ट भी परिगध् के मिलमिले में वहा पहुँच गये थे।

यही पर मैंने सर्वप्रथम श्रद्धेय टण्डन जी के दर्शन किये। मैं सन् १९२७ से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं का अहमदाबाद केन्द्र के केन्द्र-व्यवस्थापक होने के नाने श्रद्धेय टण्डन जी के नाम से सुपरिचित था। आपका दुबला पतला मँझला कद, शूद्र खादी की अचकनवाली पोशाक, खुला सिर, भरी हुई गगाजमनी बालों वाली दाढ़ी, भव्य ललाट तथा हृदय को माँह लेनेवाली तेजस्वी आँखें। बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व हृदय और दिल में श्रद्धा पैदा करनेवाला था। मैं अधिक तो क्या बाने कर सकता था। मैंने सिर्फ अपना तथा अपने केन्द्र का अति सक्षेप में परिचय दिया तथा आपसे निवेदन किया कि—सम्मेलन की परीक्षाओं का परीक्षका का कुछ पत्र-गुप्य के रूप में पुरस्कार देने की व्यवस्था करना ठीक होगा। आपन श्रुत से इसका प्रतिबाध किया कि डा० गगानाथ झा जैसे परीक्षका का पत्रम्-गुप्यम् के रूप में क्या दिया जाय? क्या ये परीक्षक रूप में रुपयो के ठीकरो के लिये थोड़े ही कार्य करत है? य सभी हिन्दी के प्रति श्रद्धा से अपना मनम वेते हैं। मैं आगे कुछ न बोल सका। आप कार्य-समिति के लिये रवाना हो गये।

मैं उम राज से आपके प्रति उत्तरातर श्रद्धाशील बनता गया। सन् १९४२ में दो लिपियोवाली हिन्दुस्तानी प्रचार मन्षा की स्थापना हुई। देण के माधने और हम हिन्दी प्रचारको के सामने गभीर सभस्या थी कि बोन नी राह अपनाये। गुजरात के प्रधान नगर अहमदाबाद में मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का केन्द्र व्यवस्थापक था। पूज्य बाबू जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। विद्यार्थी-जीवन में मैंने कुछ उर्दू सीली थी। मैंने गुजरात में हिन्दु-स्तानी परीक्षा का पहला प्रश्नपत्र देवनागरी-उर्दू में बनाया था और उसे विद्यापीठ में बैठकर

साबकोस्टाइल जी किया था। दो तीन महीनों की अन्तर्वेदन के बाद इस विषय पर मैं पहुँचा था कि देव की राष्ट्रलिपि तो एक देवनागरी ही हो सकती है। इस निश्चय के बाद मेरा मार्ग स्पष्ट था।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा के मंत्री थे आदरणीय श्री मदनत आनंद कौसल्याबन। उनके सामने भी समस्या थी कि वे हिन्दुस्तानी के प्रबल वातावरण में समिति का काम कैसे सँभालेंगे। मैंने इन्हीं दिनों अख्येय टण्डन जी को एक पत्र लिखा था कि आप गुजरात के राष्ट्रभाषा प्रचार के बारे में निश्चिन्त रहें। मैं देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी का प्रचार करने में अपने को खपा दूँगा। गुजरात देवनागरी लिपि को ही अपनायेगा। इस पत्र के बाद से पूज्य टण्डन जी का प्रेम मेरे प्रति खूब बढ़ता गया। मैं कह सकता हूँ कि टण्डन जी का हम दोनों भाइयों के प्रति अपार स्नेह था।

सन् १९४५ का वर्ष, सम्मेलन का उदयपुर-अधिवेशन, मीरानगरी में सम्पन्न होने जा रहा था। पूज्य बापू जी तथा पूज्य बाबू जी दोनों के बीच हिन्दी-हिन्दुस्तानी तथा देवनागरी तथा उर्दू लिपि को लेकर पत्र-व्यवहार हुआ। दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए थे। आखिर मे बापू के सिद्धान्तानुसार कार्य करनेवाले भाई-बहनों के आग्रह में पूज्य बापू ने सम्मेलन से त्यागपत्र दे दिया। यह त्यागपत्र उदयपुर अधिवेशन में स्वीकृत के लिए आनेवाला था। सारा हिन्दी-अगन्तु चिन्तनप्रस्त था। पूज्य बापू के परम अनुयायी श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये थे। विषय-विचारिणी में यह त्यागपत्र बड़े दुःख के साथ स्वीकृत किया गया था। त्यागपत्र स्वीकृत करनेवाला जो प्रस्ताव था उसमें उर्दू लिपि के बारे में एक शब्द 'अनर्गल' का प्रयोग हुआ था। मैंने प्रस्ताव की भाषा पढी। मुझे यह अनर्गल शब्द अक्षरा। मैं दीडा-दीडा भदन्त आनंदजी के पास गया। हम दोनों सम्मेलन के तत्कालीन मंत्री श्री मौलिकंद्र शर्मा के निवास स्थान पर गये। उन्हें भी मेरी बात ठीक लगी। हम तीनों आदरणीय श्री मुन्शी जी के पास गये। उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है परन्तु यह प्रस्ताव तो इन्हीं शब्दों में विषय विचारिणी में पारित हो गया है। श्री मुन्शी जी ने सुझाव दिया कि यह बात टण्डन जी तक पहुँचा दी जाय तो वह कुछ मार्ग निकाल सकते हैं। हम पूज्य बाबू जी के पास गये। श्री टण्डन जी ने कहा कि इसके स्थान पर दूसरा कोई शब्द दो।

श्री टण्डन जी ने इस अधिवेशन में मुझे एक काम सौंपा था कि मैं बराबर इस बात का ध्यान रखूँ कि पूज्य बापू जी के विरुद्ध कोई कुछ न कहे और अपने भाषण में कौन क्या कह गया उसकी मैं आपको रिपोर्ट दूँ। मुझे बराबर याद है कि अधिवेशन में सभी व्याख्यानताओं ने अपने भाषण में पूरा संयम रखा था। अधिवेशन की कार्यवाही चल रही थी। रात के ड़ाई बजे का समय था पूज्य बाबू जी को १०२-१०३ डिग्री बुलार था। फिर भी वे बराबर मंच पर उपस्थित रहे थे। आपने मुझे पास बुलाया और कहा कि 'अनर्गल' के स्थान पर 'अग्राह्य' शब्द का प्रयोग कैसा रहेगा? मुझे अपार आनंद और संतोष हुआ।

आगत-वार्ता, अंक १८९१]

इसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा की बैठकों में अनेक बार बाबूजी से मेंट होती रही। वर्षा में यह बैठकें सेठ श्री जमनालाल जी बजाज के निवास-स्थान बजाजवाड़ी में हुवा करती थीं। कभी-कभी वर्षा-समिति की बैठकें दिल्ली, इलाहाबाद में भी होती थीं। अश्रेय टण्डन भी इन बैठकों में अवश्य उपस्थित रहते थे और बड़ी आत्मीयता से वर्षा समिति की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखते हुये कार्य-संचालन में मार्ग-दर्शन करते थे।

मुझे हैदराबाद अधिवेशन की विषय-विचारिणी समिति का प्रसंग याद है। मैंने अश्रेय टण्डन जी के अनुरूप एक सुन्दर स्मारक की बात कही थी। उस बात को रखते हुये पहला वाक्य मैंने "यदि" से शुरू किया था कि यदि हम अश्रेय टण्डन जी के प्रति श्रद्धा रखते हों तो"—मेरी बात पूरी हुई उसके दो तीन मिनट बाद उस वक्त के मंत्री श्री बलमद्रप्रसाद जी ने कहा कि मुझे "यदि" शब्द वापस ले लेना चाहिये। मैंने यदि शब्द तो वापस ले लिया परन्तु मैं रंगरंग देख रहा था कि जो श्रद्धा अपने नेता के प्रति चाहिये वह उस वक्त सबों के दिल में नहीं थी। यह बात कोटा सम्मेलनके बाद स्पष्ट ही गई और सम्मेलन दलबंदी के कारण मुकदमे बाजी के दलदल में ऐसा फँसा कि आज १९ वर्षों के बाद भी उस दलदल में से बाहर नहीं निकल पाया है।

एक बार सम्मेलन तथा हिन्दी-जगत् के गणमान्य पुरुष लखनऊ में जमा हुए। मैं भी उस वक्त लखनऊ गया था। अतिथियों को ठहराने का प्रबंध एक छात्रालय में किया गया था। मैं रात के साढ़े आठ बजे लखनऊ पहुँचा और छात्रालय में चला गया। वहाँ एक चौकीदार को छोड़कर ओर कोई नहीं था। मैं रात भर वहीं रहा। दूसरे दिन प्रातः शौच-स्नान से निवृत्त हो बाबू जी के निवास-स्थान पर पहुँचा। उन दिनों टण्डन जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) थे। मुझे देखते ही आपने कहा कि "किस गाड़ी से आये" अभी तो कोई गाड़ी नहीं आती।" मैंने निवेदन किया कि मैं रात को यहाँ पहुँचा था। आपने पूछा—"कहाँ ठहरे हो?" मैंने छात्रावास का नाम बताया। आपने जरा कड़ककर कहा "तुम्हारा छात्रावास से क्या संबंध" मैंने उत्तर में कहा कि मुझे यही पता दिया गया था। आपने पूछा—क्या यहाँ का पता मालूम नहीं था? तुम तो पहले भी यहाँ आये हो" मैंने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं आपका निवास-स्थान अच्छी तरह जानता था, पहले दो बार आया था ही। लेकिन रात का समय था। हम प्रतिनिधियों को ठहराने का जो प्रबंध किया गया है उसी के अनुसार मुझे छात्रालय चले जाना चाहिये था। आपने बड़ी आत्मीयता से कहा कि अहमदाबाद रात को दाड़ी पहुँचती हो तो क्या स्टेशन पर ही पड़े रहते हो या घर चले जाते हो? यह तो घर या रात को यहीं चला जाना था। आपने ड्राइवर से कहा कि इनके साथ चले जाओ और इनका सामान ले जाओ। बाबू इतनी आत्मीयता कौन बतायेगा।

इसी लखनऊ में मैं और भाई श्री कान्तिराल दोनों ठहरे हुए थे। इलाहाबाद से यहाँ आपके आग्रह से गये थे। प्रातः काल का समय था। हम जलपान करने बैठे थे। बाबू जी तो पूर, दही, ची या उससे बना कोई पदार्थ लेते ही नहीं थे। नमक तक आपके भोजन जलपान में वर्ज्य था। लेकिन हमारे लिये मीठा और नमकीन दोनों जलपान में था। लेकिन एक पदार्थ

बाबू जी ने हमें खिलाया था उसे मैं नहीं भूल सकता। इलाहाबाद से आपके यहाँ से तिलगुड मिलाकर कूटा गया पदार्थ था। बाबू जी ने हम को भी दिया कि यह ताजा है और घर से आया है। आपने हमारे लिए नगर के दर्शनीय स्थानों को दिखाने तथा गोमती स्नान का प्रबंध करवा दिया था।

इलाहाबाद के कई संस्मरण आज भी प्रेरणादायी हैं। एक बार मैं अकेला इलाहाबाद गया था। बाबू जी सम्मेलन के सामनेवाले एक किराये के मकान में रहते थे। मैं उन दिनों ब्राह्मण को छोड़कर अन्य किसी जाति के हाथ का बना भोजन नहीं खाता था। यहाँ मेरे भोजन का प्रश्न आया। बाबू जी ने बड़ी आत्मीयता से कहा कि हमारे यहाँ भोजन भगवान को भोग लगाने के बाद ही परोसा जाता है। शुद्धता और पवित्रता का खयाल रखा जाता है। उस दिन आपके यहाँ भोजन करनेवाले हम दो ही थे। एक थे परम आदरणीय श्री आचार्य नरेन्द्रदेव जी और दूसरा मैं। आम का मौसम था। बाबू जी ने खूद अपने हाथ से लंगड़े आम की फाँक करके हमें परोसा था। यह आनंद और आत्मीयता कभी भुलायी जा सकती है ?

इसी तरह एक बार मैं अपने भाता-पिता के साथ यात्रार्थ प्रयागराज गया था। मेरे साथ दो तीन महिलाएँ भी थीं। पूज्य बाबू जी ने हम सबके भोजन का प्रबंध सत्यनारायण कुटीर में अपनी ओर से करवाया था।

एक बार आदरणीय श्री मोहनलाल जी अट्ट और मैं दोनों दीवाली के दिन सत्यनारायण कुटीर में ठहरे हुए थे। मुकदमेबाजी के कारण सम्मेलन की ओर से कोई प्रबंध होने की संभावना नहीं थी। पूज्य बाबू जी वहीं सामनेवाले बँगले में रहने थे। आपने सारा प्रबंध करना चाहा लेकिन किसी अन्य आयोजन के कारण घर अपराह्न में ढाई तीन बजे पहुँचे। हम दोनों ने भोजन का कुछ प्रबंध कर लिया था। आपको यह अच्छा नहीं लगा। रात को दीवाली के अनुरूप मिष्ठान सहित पूरा भोजन आपके यहाँ हुआ।

एक और संस्मरण ताजा ही है। सन् १९४४ का वर्ष। १९४२ की राष्ट्रव्यापी विरफ्तारी के बाद नेतागण आगस्ता महल से झूटकर अपने-अपने नगर पहुँचे थे। पंडित जवाहरलाल जी भी इलाहाबाद पहुँचे थे। उसी प्रसन्नता में नगर भर में दीपक जलाये गये थे। हम कोई पाँच भाई थे। त्रिवेणी स्नान करके सम्मेलन लौट रहे थे। श्री अनसूयाप्रसाद जी पाठक ने एक बात हमारे सामने रखी कि हम पंडित जी से मिलने चले जायें। बाबू जी से कहकर उनका समय ठीक कर लिया जाय। बाबू जी से कहने का काम मुझे सौंपा गया। मैंने बाबू जी से यह निवेदन किया कि हम पंडित जी से मिलना चाहते हैं। आपने तुरन्त फोन उठाया और पंडित जी के मंत्री श्री उपाध्याय जी से बात की कि कुछ प्रान्तीय संचालक जवाहरलाल से मिलने जाना चाहते हैं। श्री उपाध्याय जी ने पंडित जी से समय ठीक करके उत्तर दिया कि कल ७। बजे यहाँ आ जायें। हम दूसरे दिन प्रातः ठीक समय पर पंडित जी के आनंदमवन पहुँच गये और उनसे मेट की। वही पर आचार्य कृपलानी जी से भी मेट हो गई और वहीं पंडित सुंदरलाल जी को देखा।

राज्यायण प्रचार समिति के समारोह के सिलसिले में श्रद्धेय टण्डन जी अहमदाबाद पधारे। आपको ठहराने का प्रबंध सेठ श्री बाहीलाल लल्लुभाई के बड़े भाई श्री चीनुभाई सेठ की कोठी पर किया गया था। सेठ श्री चीनुभाई तथा उनके परिवार को अपार हर्ष था कि उनके घर राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन पधारनेवाले हैं। टण्डन जी के लिए भोजन का सुप्रबंध किया गया था। तरह तरह के पकवान तथा शाक-तरकारियाँ बनवायी गई थीं। इस बार टण्डन जी के साथ कोई निजी सचिव नहीं था। हालांकि आप उन दिनों उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष थे। अहमदाबाद पहुँचते ही आपने मुझे बुलवा लिया और कहा कि मुझे आपके निजी सेक्रेटरी के रूप में साथ रहना है। पूज्य बाबू जी कभी साबुन का उपयोग करते नहीं थे। इन सद्गुरुस्य के यहाँ स्नानघर में बढिया से बढिया साबुन का प्रबंध था लेकिन टण्डन जी को तो चाहिये शूद्र मिट्टी। आखिर खेत से मिट्टी लायी गयी और टण्डन जी के हाथ पैर धोने की व्यवस्था की गई।

पूज्य बाबू जी ने मुझे कहा कि उनका भोजन सिर्फ दाल रोटी हो और वह भी बिना ची तथा बिना नमक मिर्च मसाले के। सेठ श्री चीनुभाई की माता जी को बड़ा कष्ट हुआ कि यह फिर खातरी क्या है। आपके लिये बनवाया भोजन ऐसा ही रह गया और नये सिर से मूँग की दाल और गेहूँ की बिना चुपडी रोटी परोसी गई। दूसरे दिन बाबू जी ने चाहा कि अहमदाबाद नगर के संस्कृत के विद्वानों को वहाँ भोजन पर बुलाया जाय। इन पंडितों में अधिकांश तो महामोक्ष माननेवाले नहीं थे और सभी पीताम्बर पहन कर भोजन करनेवालों में से थे। कुछ ऐसे भी थे जो फलाहार ही करनेवाले थे। सबों के लिए भोजन का, फलाहार का प्रबंध किया गया। श्रद्धेय टण्डन जी ने मनुहार करके अपने हाथ से इन निमन्त्रित पंडितों को पकवान, मेवा, मिठाइयाँ तथा फल परोसे। भोजनोपरान्त गोष्ठी का आभोजन हुआ। यही पर बडीदा से दो तीन आर्य-सभायी संस्कृतज्ञ पंडित टण्डन जी से मिलने आये। इन विद्वानों ने टण्डन जी से शिकायत की कि हमारे देश में ब्राह्मणों का योग्य मत्कार नहीं होता, उन्हें कोई ऊँचा पद नहीं दिया जाता। एक तरह से उनकी अवहेलना सी होती है। टण्डन जी ने इन्हें समझाया कि यह शिकायत कोई मानने नहीं रखती। क्या ब्राह्मण को राष्ट्रपति बनाया जाय, क्या ब्राह्मण को न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाय, क्या ब्राह्मणों को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाय। क्या ब्राह्मण को सरसेनापति बनाया जाय! आखिर आप चाहते क्या हैं? स्वराज्य में योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान प्राप्त होना ही। आपने इन पंडितों को मार्गदर्शन दिया कि आप संस्कृत के समर्थ विद्वान बनें तथा हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद्, पुराण, शास्त्रद्वयगदि के अधिकारी विद्वान बनें कि जिससे इनका उपयोग हमारे राजदूतों के साथ विदेश भेजने में किया जाय।

श्रद्धेय टण्डन जी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गये। स्वराज्य के बाद कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन नासिक नगर में हुआ। टण्डन जी अध्यक्ष पद पर थे। सरदार पटेल तथा पंडित जवाहर-लाल, मौलाना अबुलकलाम आजाद, पंडित गोविंदवल्लभ पंत इत्यादि मौजूद थे। पंडित जवाहरलाल जी का भाषण पूरा हुआ और कुछ लोग उठकर चले जाना चाहते थे। जैसे कि

उन दिनों होता था कि पंडित जी के भाषण के बाद बहुत से लोग पंडाल से बाहर निकल जाने की चेष्टा करते थे। टण्डन जी ने गंभीर आदेशात्मक वाणी में कहा "जो बाहर जाना चाहें चले जायें, मैं तीन मिनट का समय देता हूँ।" पंडाल में इस वाणी का प्रभाव पड़ा। सब लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ गये। तीन मिनट पूरे हुए। कहीं कहीं एक दो व्यक्ति खड़े दिखायी दिये। टण्डन जी ने फिर से गर्जना की "स्वयंसेवक सूत की तरह कर्माँ लड़े हों, इन लड़े हुए व्यक्तियों को बैठो" फिर तो इस प्रकार शांति फैल गई कि पंडित जी के बाद बोलनेवालों के भाषण सबों ने ध्यान देकर सुना। यह था टण्डन जी की वाणी का प्रभाव।

एक बार आप हमारे पदवीदान सभारंभ में पधारे। यह समारोह गुजरात कालेज के सभागृह जार्जफिथ हॉल में सम्पन्न हो रहा था। सभागृह तथा उनकी दीर्घायें सभी लक्षाक्षत्र भर गई थी। पैर रखने को जगह नहीं थी। फर्श पर भी लोग बैठे थे। टण्डन जी का विद्वत्पूर्ण वीरान्त भाषण हुआ। आप करीब ५० मिनट बोले। सभागृह में सिवाय टण्डन जी की वाणी के और कोई आवाज नहीं थी। यह था दिव्य वाणी का प्रभाव।

ऐना अपूर्व शांतिसूत्र वातावरण हमने इलाहाबाद में श्रद्धेय टण्डन जी के सम्मान समारोह के समय देखा। इलाहाबाद के कालेज के खुले मैदान में यह आयोजन हुआ था। राष्ट्रपति देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद उस समारोह के अध्यक्ष थे। कोई दो तीन लाख आदमी जमा थे। टण्डन जी का स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था। आप कोई बीस मिनट बोले होंगे लेकिन इतनी शांति थी कि अगर आलपीन गिरे तो उसकी आवाज भी सुनायी दे।

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपने देशभर का दौरा किया। आप अहमदाबाद ए० आई० सी० सी० का बैठक के सिलसिले में पधारे थे। आप सीधे दिल्ली से अहमदाबाद रात के नौ बजे पहुँचनेवाले दिल्ली मेल से अहमदाबाद पहुँचे। स्टेशन पर आपका अपूर्व स्वागत हुआ। करीब तीस बालिस हजार आदमी स्वागतार्थ स्टेशन पर जमा हुए थे। पुष्पमालाओं का तो ढेर लग गया था। माननीय श्री मोरारजी भाई का मुखबंद था। कोई साढ़े दस बजे आप साबरमती तट पर आये हुए सेठ श्री मरुतलाल के बगले पर ठहराये गये थे। निवासस्थान तथा भोजन का प्रबंध अहमदाबाद नगरपालिका के मेयर श्री मणिभाई चतुरभाई के जिम्मे था। रात के कोई ११ बजे मुझे लिखाने एक मोटर मेरे यहाँ पहुँची। मुझे संदेश दिया गया कि तुम्हें बाबू जी तथा सेठ श्री गोविंददास जी याद करते हैं। मैं तुरन्त पहुँचा। बाबू जी के लिए दाल रोटी तैयार करने में कुछ समय लग ही गया था। बाबू जी खाने बैठे। परोसी थाली सामने थी। आपने समय पूछा। मैंने जान बूझकर बताया कि अभी कोई दस साढ़े दस बजे होंगे। परन्तु आपके सेक्रेटरी ने बताया कि बाबू जी अभी ११ बजे हैं। बाबू जी थाली पर से यह कहते हुए उठ गये कि खाने का भी समय होता है। सोने का भी। रात भर भूखीं सोये। मुझसे आपने कहा कि कल सबेरे सात बजे यहाँ पहुँचना है। मैं ठीक समय पर पहुँच गया। आपके पास श्री बलवंतभाई मेहता बैठे हुये थे। दोनों में बातें हो रही थी। बाबू जी के जलपान के लिए काजू, किसमिस, पिस्ता, अखरोट, अजीर की तश्तूरियाँ भरी पड़ी थीं। टण्डन जी ने इन तश्तूरियों की ओर देखा और

कहा कि इन्हें उठा लो यहाँ से। क्या दुकान लगानी है ? नाश्ते के लिए बोड़ी चीयें रख देना चाहिए था।

ए० आई० सी० सी० के अधिवेशन के प्रारम्भ में भ्रजबंदन का कार्यक्रम था। समय हो रहा था। "नवजीवन प्रेस" के प्रांगण में ए० आई० सी० सी० का अधिवेशन था। आपके निवास-स्थान से यह स्थान करीब ढाई तीन मील था। आप तथा श्री बलबंतभाई उठे। मैं भी साथ ही लिया था। ठीक समय पर आप पहुँच गये। भ्रजबंदन के लिये पंडित जी, आज़ाद साहब इत्यादि एककतार में खड़े थे। नियमानुसार टण्डन जी भ्रजबंदनके लिये तैयार किये गये स्थान पर पहुँचे। सलामी हुई, राष्ट्र गीत गाया गया। इस अवसर का एक फोटो मेरे पास मौजूद है। (मैंने २५) देकर खरीदा था। सेठ श्री गोविंददास जी चाहते थे कि मैं दूसरा खरीद कर आपको भेज दूँ। लेकिन अब यह अप्राप्त है। मैंने देखा कि टण्डन जी अनुशासन के बारे में सख्त थे। समा-संचालन में जरा भी ढिलाई बरदाश्त नहीं करते थे।

एक प्रसंग याद आता है। आदरणीय श्री मोहनलाल जी भट्ट तथा मैं बाराणसी परम आदरणीय डा० भगवानदास जी से मिलने गये। हम दोनों हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व विद्यमान अध्यक्षों से मिलने निकले थे। हमारा इन अध्यक्षों से मिलने का कारण यह था कि इन सबों की स्वीकृति प्राप्त करके वर्षा समिति के प्रांगण में एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाय क्योंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन में गतिरोध ही गया था और मुकदमेबाजी के कारण सम्मेलन पर सरकार नियुक्त आदात का कब्जा था। हम चाहते थे कि सब मिलकर समझौता कर ले और सम्मेलन का कार्य सुदर ढंग से शुरू हो। दुर्भाग्य से यह समझौता नहीं हो पाया। डा० भगवानदास जी ने बातों के सिलसिले में कहा कि टण्डन जी ने उड़ीसा की गवर्नरी अस्वीकार करके बड़ी भारी गलती की है। यह दुनिया तो पद को पूजती है और मानती है। राज्यपाल के पद पर होते तो टण्डन जी का प्रभाव और भी बढ़ता। मैंने डा० भगवानदास जी की यह बात बाबू जी से कही तो आपने कहा कि क्या मैं राज्यपाल (गवर्नरी) के पद के लिए अपने को बेच देता ?

श्रद्धेय बाबू जी के साथ के अनेक सस्मरण हैं। बाबू जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष थे। मैं लखनऊ गया था। कुछ सारी खरीदनी थी। बाबू जी के साथ एक संरक्षक (सिविल पोशाक में) था। बाबू जी रास्ते में मोटर से उतर पड़े और हम दोनों पैदल चलते हुए सारी की दुकान पर पहुँचे। बेचारा संरक्षक साथ चलता था। उसे डाँटा कि इतने पास क्यों चलते हो ? क्या कोई मुझे खा लेगा, बेचारा क्या उत्तर देता। बाबू जी अपने बारे में हमेशा निश्चिन्त तथा निर्भीक थे।

एक बार दिल्ली में श्रद्धेय टण्डन जी और मैं दोनों प्रातः आदरणीय श्री कन्हैयालाल मुन्शी से मिलने जा रहे थे। नयी दिल्ली की सड़कों पर प्रातः धूमने में मजा आता है। इसी समय राजस्वत के श्री भोगीलाल पट्ट्या एक तागो पर बैठे आ रहे थे। श्री पट्ट्या जी की श्री टण्डन जी से कभी भेंट नहीं हुई थी। श्री पट्ट्या जी ने श्री बीजनाथ महोदय के निवास स्थान का पता पूछा।

बाबू जी रूके और तांगे वाले को पता बताया। तांगा आगे बढ़ा—लेकिन टण्डन जी के मन में यह संदेह हुआ कि तांगेवाले ने बात समझी नहीं है। जोर से बुलाकर तांगे को रूकवाया और तांगे वाले के पास जाकर पुनः बारबार समझा कर पता बतलाया। यह बड़पन्न अब कहाँ ?

श्रद्धेय टण्डन जी परम धार्मिक भी थे। मैं एक बार इलाहाबाद गया था। सत्यनारायण कुटीर में ठहरा था। बाबू जी मेरे आराम का पूरा ध्यान रखते थे। बाबू जी ने मुझसे कहा कि चलो त्रिवेणी स्नान को, मैं आज भुम्हारा पंडा बनूँगा। मैं भी स्नान करूँगा। आपने स्नान के बाद बदलने के लिए कपड़े भी साथ रखवा लिये थे। आपको त्रिवेणी संगम पर एक आधुनिक सम्मेलन का उद्घाटन भी करना था। बाबू जी उस सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के कार्यक्रम में लगे रहे। मैं त्रिवेणी स्नान कर आया। बाबू जी स्नान नहीं कर पाये। मैंने लौटते समय पूछा कि आपने स्नान नहीं किया। बाबू जी ने बताया कि मुझे दस्त की हाजत सी हो आयी थी। ऐसी स्थिति में गंगा स्नान नहीं किया जा सकता। कितना सूक्ष्म ध्यान रखते थे।

बाबू जी अति आतिथ्य प्रेमी थे। एक बार हम प्रचारक भाई बहान तिनसुखिया (आसाम) से लौट रहे थे। इलाहाबाद में सम्मेलन में ठहरे थे। पूज्य बाबू जी से मिलने उनके पुत्र डा० सन्तप्रसाद टण्डन के निवास स्थान पर पहुँचे। बाबू जी ने भोजनके लिये अति आग्रह किया। हम कोई १५ व्यक्ति थे। हम बड़ी मुश्किल से बाबू जी को निवेदन करके समझा पाये कि हमारे भोजन का आग्रह न करें। बाबू जी हमें उम्दा दही की लस्सी पिलाकर के ही सतोष मानने के लिये विवश हुये।

एक बार बाबू जी ने दिल्ली के सभी प्रचारको को अपने निवास स्थान पर दावत दी। श्रीमती राजलक्ष्मी बहान से कहा कि दिल्ली के सभी प्रचारको को सूचना दी जाये कि सभी उपस्थित रहे। मैं तथा श्री मोहनलाल जी भट्ट भी उस अवसर पर हाजिर थे। आपने अपनी निगरानी में जलपान की चीजें बनवायी।

बाबू जी छोटी-छोटी बातों में भी सत्य का आग्रह रखते थे। एक बार इलाहाबाद के दो भाई दिल्ली में बाबू जी के पास आये और कहने लगे कि आप हमें यह प्रमाणपत्र दे दें कि हम इलाहाबाद के हैं और मैं इन्हें जानता हूँ। इन भाइयों को प्रमाणपत्र की इसलिए आवश्यकता थी कि वे इसके आधार पर लोकसभा में जाने का प्रवेशपत्र पा सकें। बाबू जी ने इस प्रकार का प्रमाणपत्र देने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि भाई तुम इलाहाबाद के हो सकते हो परन्तु मैं तो तुम्हें नहीं जानता।

बाबू जी नित्य प्रातः आध-पौन घंटा ध्यान में बैठ जाया करते थे और कोई पूजा इत्यादि कुछ नहीं करते थे। आप परम धार्मिक थे। आप बुद्धिवादी आस्तिक थे। अथ श्रद्धा तो आपको छू तक नहीं गई थी। एक बार मेरे पूछने पर आपने बताया था कि यदि भारत स्वाधीन होता तो मैं इस राजनीति के पक्ष में न पड़ता। मेरा समग्र जीवन तथा सारी प्रवृत्तियाँ देश की स्वाधीनता के लिये ही हैं। आपने यह भी बताया था कि यदि देश स्वाधीन होता तो

आत्मज्ञान-सर्वोपरिष्ठ, अंक १८९१]

मेरा जीवन ही कुछ दूसरा होता। श्रेय टण्डन जी सरदार पटेल को खूब मानते थे। आपकी राय में देश स्वाधीन होने के बाद जो सबसे बड़ा कार्य हुआ वह यह था कि अब देश में देशी रियासतें नहीं रही और उसका सारा श्रेय सरदार पटेल को ही है। टण्डन जी की राय से तो सरदार पटेल को ही भारत का प्रधान मंत्री बनाना चाहिए था। आपकी राय से सरदार को प्रधान मंत्री न बनाया जाना सरदार के प्रति अन्याय था। अपने सरदार की स्मृति में उत्तर प्रदेश में करीब २-२। लाख ६० इकट्ठे किये थे और यह रकम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कुएँ बनवाने में खर्च की गई थी। टण्डन जी लाला लाजपतराय जी द्वारा संस्थापित लोकसेवक मंडल के आजीवन सदस्य थे। लाला जी के बाद पूज्य बापू के सद्परामर्श से आप ही उस मंडल के जीवनपर्यन्त अध्यक्ष रहे। इस लोक सेवक-मंडल के सदस्यों में आदरणीय श्री लालबहादुर शास्त्री, श्री बलवंतराय मेहता जैसे तपे तपाये मनीषी सदस्य रहे हैं। आज राजपि पुरुषोत्तम दास जी टण्डन जैसे पुरुषों की देश को बहुत जरूरत है। मैं अंतःकरण से इन महान् देशरत्न के चरणों में अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पण करता हूँ।

संविधान : देवनागरी अंक : एक समस्या

देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी ही राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई है। लिपि में अक्षर और अंक दोनों सम्मिलित होते हैं। नागरी अक्षरों के साथ-साथ नागरी अंकों का भी विकास हुआ। सम्पूर्ण भारत में संस्कृत में नागरी अंकों का ही प्रयोग होता है। संस्कृत के साथ हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि में भी। स्वतन्त्रता से पूर्व जैसा कहा जा चुका है देवनागरी लिपि से तात्पर्य देवनागरी अंक और अक्षर दोनों से था पर संविधान में देवनागरी लिपि से अंकों को पृथक् कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ इसके इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप संविधान के अन्तर्गत जब राजभाषा के रूप में (मुंबी-फार्मुला के रूप में) देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी को मान्यता प्राप्त हुई तो नागरी अंकों को वह स्थान नहीं दिया गया तथा उसके स्थान पर भारतीय अंकों का अन्तरराष्ट्रीय रूप मान्य हुआ। मूल धारा इस प्रकार है:—

“धारा ३४३ (१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तरराष्ट्रीय रूप होगा।”

बच्चपि इस धारा में स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि का उल्लेख है, पर वह संबंधित है कि समय-समय पर कई विशिष्ट व्यक्तियों ने खुले रूप से, कई ने छप रूप से रोमन लिपि का समर्थन किया है। केवल वर्तमान शिक्षा-मंत्री डा० बी० के० आर० बी० राव ने मुक्त हृदय से हिन्दी ही क्या, भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का समर्थन किया है।

यहाँ यह उल्लेख्य है कि सन् १९५० के बाद १५ वर्ष की कालावधि के लिए जिस प्रकार अंग्रेजी को चलाते रहने का विधान था उसी प्रकार राष्ट्रपति के आदेश से भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी अंकों का भी उल्लेख है:—

“धारा ३४३ (२) खण्ड (१) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।”

इस धारा के आधार पर ही राजर्षि टंडन ने संसद में बार-बार नागरी अंकों के प्रचलन की चर्चा की थी क्योंकि उस समय शिक्षा-मन्त्रालय केवल अन्तरराष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग एवं प्रचार कर रहा था। नागरी टाइपराइटर के 'की-बोर्ड' में केवल उन अंकों की ही व्यवस्था थी, आगे चलकर ब्रिटेन टंडन जी के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप इस प्रकार 'की-बोर्ड' की व्यवस्था की गई जिसमें भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप तथा नागरी अंक दोनों रहें। तबन्तु रूप टाइपराइटर की मशीनरी में भी ऐसा परिवर्तन किया गया, जिससे यह संभव हो सका। यहाँ राजर्षि टंडन के संसद में दिये गये भाषण के कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूँ जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार को बाध्य होकर नागरी अंकों को भी चलाना पडा —

“शिक्षा-विभाग द्वारा हिन्दी टाइपराइटर का जो की-बोर्ड (वर्ण पट्ट) तैयार किया गया है उसमें अक्षर तो हिन्दी के रखे गये हैं, परन्तु जो अंक-न्यूमरल रखे गये हैं, वे अंग्रेजी के हैं।” ... “मैं आपसे कहता आया हूँ कि कांस्टिट्यूशन में (संविधान में) ऐसा नहीं है। कांस्टिट्यूशन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे आपके सामने हैं। उनको कुछ ध्यान से देख लें तो अच्छा हो। मैं इसको महत्त्वपूर्ण प्रश्न मानता हूँ, इसलिए मुझसे इस पर पाँच-मात मिनट लेने पड़ेंगे। टाइपराइटर जो बनता है वह देश भर के लिए बनता है। यदि उसे देश भर के लिए बनाना है तो हमें चाहिए कि हम यह भी देखें कि क्या लिखावट देश में चल रही है, हमारे देश में हिन्दी बोलनेवाले कितने हैं और इस नागरी अंकों को काम में लाने वाले कितने हैं। भेरा निवेदन है कि जो लोग हिन्दी बोलनेवाले हैं, उनकी संख्या लगभग १५ करोड़ है। यह संख्या उन प्रदेशों की है जहाँ कि आज हिन्दी चल रही है। परन्तु यही अंक गुजरातियों के हैं, जिनकी संख्या लगभग ढाई करोड़ तो है ही। यही अंक मराठीमाथियों के हैं, जिनकी संख्या लगभग तीन करोड़ की होगी ही। यही अंक हमारे भाई सरदार हुकुम सिंह और उनके सहयोगी भी काम में लाते हैं। पंजाबी भाषा में गुरुमुखी में यही अंक हैं। उनकी संख्या भी लगभग डेढ़ करोड़ तो है ही। इस तरह से इन अंकों को प्रयोग करनेवाले लगभग २२ करोड़ आपको मिलेंगे। लगभग ६-७ करोड़ लोग आप ऐसे पावेंगे जो बिल्कुल यही अंक तो नहीं, किन्तु इससे मिलने-जुलते अंकों का प्रयोग करते हैं जैसे बंगाल, आसाम, उड़ीसा में। इनके अंकों का जो क्रम है वह कुछ भिन्न है इसलिए मैं उनको छोड़ देता हूँ। लेकिन प्रश्न यह है कि जो टाइपराइटर बना रहे हैं, यह किस लिए बना रहे हैं, जनता के लिए ही तो ये बनेंगे ? ... हिन्दी लिखने में अंग्रेजी अंकों का भी प्रयोग हो सकता है और देवनागरी अंकों का भी—दोनों का प्रयोग हो सकता है।”

“आज वस्तुस्थिति क्या है ? मैंने अभी कहा है कि इतने करोड़ों आदिमियों के लिए आप टाइपराइटर बना रहे हैं। कैसा टाइपराइटर आप हमको देगे ?

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, वे सब राज्य किस टाइपराइटर पर काम करेंगे ? जिस टाइपराइटर पर इनको काम करना है उसका की-बोर्ड (वर्ण-पट्ट) आपको देना चाहिए। अगर आपको अपने कामों में हिन्दी के साथ अंग्रेजी अंकों का इस्तेमाल करना है—मैं इस प्रश्न में नहीं जाता कि वह कहाँ होगा— तो इसके लिए आपको बहुत थोड़े टाइपराइटर चाहिए।”

३४३ वीं बारा के उपयुक्त दोनों अंशों के ठीक बाध तीसरा अंश इस प्रकार है—

“(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा (क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा (ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसे विधि में उल्लिखित हो।”

अंग्रेजी प्रेमियों का निम्नर ध्यान इस बारा के (क) अंश पर रहा पर किसी हिन्दी प्रेमी ने कभी (ख) अंश को देखने की चेष्टा नहीं की। इस बारा के आचार पर ही अंग्रेजी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सन् १९६३ में तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० नेहरू के आदेश पर राजपि टंडन के परममन्त्र तत्कालीन गृहमंत्री लालबहादुर शास्त्री द्वारा १३-४-६३ को बैशाली के पवित्र स्यौहार पर राष्ट्रीय संकट होते हुए भी संसद में दोपहर १२.३३ पर भारी हंगामे के मध्य निम्नलिखित बिल रखा गया तो काफी तूफान के बाद किसी प्रकार १३.०१ पर पढ़ा जा सका—

“Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of the constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used, in addition to Hindi.”

“संसद (ख) अंश पर भी विचार कर सकती है” यह बात तो कभी उठी ही नहीं।

इस राजभाषा अधिनियम १९६३ के आचार पर सन् १९६५ के बाद अंग्रेजी का प्रचलन हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस समय किसी भी दिशा से नागरी अंकों के प्रयोग की समयावधि को भी उसी प्रकार बढ़ाने की माँग नहीं की गई। काश, उस दिन संसद में राजपि टंडन होते। इस विधेयक के फलस्वरूप ही आज अंग्रेजी का प्रचलन सांविधानिक है। यद्यपि यह सब कुछ अंग्रेजी-प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए किया गया पर वे सब इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और अधिक रुष्ट हो गये। यह सब जानते हैं कि आगे चलकर नेहरू और लालबहादुर शास्त्री जिनके प्रयत्न से सन् १९६३ का बिल पारित हुआ था उनके ही आवासनों के आचार पर नई माँग प्रस्तुत की जाने लगीं। यह सर्वविदित है कि पुनः सन् १९६७ में सरकार को बाध्य होकर इन अंग्रेजी-भक्तों को प्रसन्न करने के लिए राजभाषा संशोधन विधेयक १९६७ प्रस्तुत करना पड़ा जिससे अहिंदी भाषा-भाषियों में और अधिक व्यापक असन्तोष फैल गया और हिंसक उपद्रव हुए। मैं इस विषय में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता।

सन् १९६३ तथा सन् १९६७ के अधिनियमों में अंकों की कोई चर्चा नहीं है अतएव सांविधानिक स्थिति अब बदल गई। संघ के राजकाज में अन्तरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग बल आवाह-मार्गशीर्ष, सप्त १८९१]

रखा है। शिक्षा-मन्त्रालय तो इस नीति का पालन सन् १९५० से ही कर रहा था, अब भी कर रहा है फिर भी नागरी अंकों का सौभाग्य है कि नवम्बर सन् १९६६ में प्रकाशित 'मानक वेध-नागरी' में नागरी अंकों के मानक रूप भी इस प्रकार दिये गये हैं —

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ०।

फलतः इन मानक रूपों का प्रयोग होना ही चाहिए। विभिन्न हिन्दीभाषा-भाषी राज्य अपने राज्यों में नागरी अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यों में राजभाषा विधेयक पृथक् से पारित किये हैं। यह शुभ लक्षण है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा-विभाग निरन्तर नागरी अंकों को ही प्रथम दे रहा है। अतएव ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त समझ है जबकि हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को मिलकर नागरी अंकों के रूप तथा उनकी वर्तनी के मानक रूप स्थिर कर देने चाहिए।

अहाँ तक अंकों के मानक रूप का प्रश्न है भारत सरकार द्वारा मान्य रूप ऊपर दिये जा चुके हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि टंकन तथा मुद्रण में इन अंकों के रूपों में परस्पर कोई भ्रान्ति नहीं होती, पर क्या यह संभव है कि हम हमेशा अंकों को टंकित अथवा मुद्रित रूप में ही प्रयुक्त करें। अध्यापक होने के नाते मुझे प्रतिवर्ष उत्तर पुस्तकों के अनुक्रमांकों (अंको तथा अक्षरों दोनों रूप में) में विविध रूप देखने को मिलते हैं। इससे भी भयंकर परिणाम तब होते हैं जब एक परीक्षक किसी प्रश्न पर अथवा मुखपृष्ठ पर याँगीक में कुछ अंक देता है और अपने लिखे हुए अंकों को ही भिन्न समझकर भ्रान्तिवश मुखपृष्ठ पर अथवा अंकचिटों पर भिन्न रूप में लिखता है। यह तथ्य है। इन भ्रान्तियों का मैं गत कई वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ। यह भ्रान्ति विशेष रूप में केवल दो अंकों के साथ होती है—१ तथा ९ (नीं)। २, ३, ४, ५, ६ तथा ८ के रूपों के साथ कोई समस्या नहीं है। ७ के भिन्न रूप मिलते हैं पर उनसे कोई समस्या नहीं। सर्वाधिक लिखित रूप १ के हैं जिनसे कभी-कभी अंक २ की और प्रायः ९ (नीं) की भ्रान्ति होती है।

'१' का लिखित मानक रूप स्थिर कर लेना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय चिह्न को ही अपनाया जा सकता था पर उससे '।' विराम चिह्न की भ्रान्ति होगी। '१' का '१' रूप लेखन में प्रायः चल रहा है पर इससे '९' नीं के मानक रूप से विद्योभ भ्रान्ति होती है। मेरी राय में नीं का मानक रूप '९' निश्चित कर देना चाहिए, इस प्रकार कम-से-कम '१' के साथ (किसी भी लिखित रूप में) किसी प्रकार भ्रान्ति न हो सकेगी। समस्या केवल नीं '९' के संबंध में है, इसके अनेक रूप प्रचलित हैं जिनमें से '९' को लखनऊ कान्फ्रेंस तथा केन्द्रीय सरकार ने मानक रूप प्रदान किया है। इस मानक रूप के प्रयोग से भ्रान्ति काफी बड़ गई है।

दूसरी समस्या है—अंकों की मानक वर्तनी। वर्तमान स्थिति यह है कि जो व्यक्ति जैसा उच्चारण करता है उसके मिलते-जुलते हुए रूप में उसको लिखने का प्रयत्न करता है फलस्वरूप किसी-किसी अंक के दो ८-९ रूप तक मिलते हैं। यह स्वाभाविक भी है कि इतने विद्योभ

हिन्दी प्रदेश में अनेक उच्चारण हो पर यह समय की माँग है कि हमको सबसे पहले अंकों की (अक्षरों में) बर्तनी के मानक रूप स्थिर कर लेने चाहिए और फिर आग्रहपूर्वक उन्हीं रूपों का व्यापक प्रचार तथा प्रसार होना चाहिए। मैं यहाँ सौ तक की गिनती के उन रूपों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी के बेंसिक व्याकरण में दिये गये हैं। विशेषतः पहले इन रूपों पर विचार कर सकते हैं। कहीं कहीं ब्रेकेट में वे दूसरे रूप भी दिये हैं जो पश्चिमी प्रदेश में परिनिष्ठित उच्चारण की दृष्टि से मान्य समझे जाते हैं :—

एक्	दो	तीन्	चार	पाँच
छह	सात्	आठ	नीं	दस
ग्यारह	बारह	तेरह	चौदह	पन्द्रह
सोलह	सत्रह	अठारह	उन्नीस	बीस
			(उन्निस्)	
इक्कीस्	बाईस्	तेईस्	चौबीस्	पच्चीस्
				इक्कीस से उन्तीस तक
				मध्य में 'ह्रस्व इ'
				अधिक सुनाई पड़ती है।
				यही बात आगे भी है।

छन्बीस्	सत्ताईस्	अट्ठाईस्	उन्तीस्	तीस्
इन्तीस्	बत्तीस्	तैतीस्	चौतीस	पैतीस्
छत्तीस्	सैतीस्	अड़तीस्	उन्तालीस्	चालीस्
इकतालीस्	बयालीस्	तितालीस	चवालीस	पँतालीस्
		(तेतालीस्)	(चौवालिस्)	
छियालीस्	सैतालीस्	अड़तालीस्	ऊनचास्	पचास्
			(उड़नचोस्)	

इक्याबन्	बाबन्	तिर्पन (त्रेपन)	चौबन्	पचपन्
छप्पन्	सत्ताबन्	अट्ठाबन्	उन्सठ	साठ
इकसठ	बासठ	तिर्सठ (त्रेसठ)	चौसठ	पैसठ
छियासठ	सइसठ	अइसठ	उन्हतर	सतर
इकहतर	बहतर	तिहतर	चौहतर	पचहतर (पिचहतर)
छिहतर	सतहतर	अठहतर	उनासी	अस्सी
	(सततर)	(अहतर)	(उन्नासी)	

इक्यासी	बयासी	तिरासी	चौरासी	पचासी (पिचासी)
छियासी	सतासी	अठासी	नवासी	नब्बे, (नब्बे)
इक्यानवे	बानवे	तिरानवे	चौरानवे	पचानवे (पंचानवे, पिचानवे)
छियानवे	सत्तानवे	अठानवे	निन्दानवे	सी

मेरी राय में यह उपयुक्त समय है कि नागरी अंकों के मानक रूप पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा मिलकर कोई सर्वसम्मत निर्णय लिया जाय। इन स्वीकृत रूपों का व्यापक प्रचार तथा प्रसार किया जाय, विद्यालयों में प्रतिबन्धित वितरित की जायें। जनता और जनता की प्रतिनिधि संस्थाएँ यदि इन स्वीकृत रूपों को अपना लेंगी तो फिर सरकार को बाध्य होकर उन रूपों को ही स्वीकृति देनी होगी। आनेवाली भाषी पीढ़ी और विद्यार्थियों के व्यापक हित की दृष्टि से यही राजर्षि टंडन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अन्यथा वह समय फिर दूर नहीं है कि नागरी अंकों का मोह छोड़ देना पड़े चाहे हमने किसी समय में शून्य का आविष्कार कर अंक-विद्या के क्षेत्र में महान् क्रान्ति उत्पन्न की हो।

राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

स्वर्गीय राजर्षि बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन के जीवन और कृतित्व का विश्लेषण-विवेचन करना मेरे लिये कठिन है क्योंकि बाबू जी की जीवनी मे हम कितने ही आदर्शों का संग्रह पाते हैं। आपने जो भी किया सोच-समझ कर निश्चित धारणा के अनुसार अपनाये हुये आदर्शों को लेकर किया। दृढ़ निश्चय, अटल विश्वास, उच्च भावना, आत्मबल के आधार पर आपके मामले एक उद्देश्य रहता था, उद्देश्य की महानता का विश्वास रहता था और उसकी पूर्ति के लिये दृढ़ निश्चय रहता था। अपने बन्तव्य कार्यक्रम मे दूसरे को साधले चलने का सहयोगी भाव तो था ही किन्तु सहयोग का अभाव रहने पर भी वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे ही बढ़ते थे, पीछे हटने का नाम तक नहीं लेते थे।

आज सारा समाज स्वार्थ-साधन में लगा हुआ है और उसे राष्ट्रनिर्माण एवं उत्थान मे सहायक होनेवाले साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं है, सभी अपनी ही राग अलापते हैं। इस समय हम सभी महसूस करते हैं कि टण्डन जी इने-गिने छोटी के व्यक्तियों में से एक ऐसे महान् पुरुष थे, जो अपनी सेवा एवं त्याग द्वारा राष्ट्र को सबल बनाने में जुटे थे। उनके नेत्रों में चमक, पैरों मे गति और हाथों मे कुछ कर गुजरने की तड़प थी। उनका अटल विश्वास था कि कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता जब तक उस राष्ट्र की अपनी भाषा न हो। चूंकि उनके विचार में भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी कोई भाषा नहीं हो सकती इसलिये उन्होंने भारत के उत्थान एव एकीकरण के लिये तथा देश के स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा को ही अपने जीवन का उच्च उद्देश्य माना था। हिन्दी के लिये आपकी निलिप्त साधना तथा तपस्या बहुत बड़ी थी।

हमारे बाबू जी मे श्रुषियों की सी साधना तथा वीरों की तरह गर्जना थी। अपने प्रखर व्यक्तित्व द्वारा आपने पूक रहनेवाले इस देश को वाणी प्रदान किया, अपने पथ से दूर भटकते हुये देश को आपने रास्ता दिखाया। विचारों की दृढ़ता देखिये! आपने कांग्रेस अध्यक्ष पद को भी त्याग दिया। मौलिक सिद्धान्तों की बेदी पर आपने बड़े से बड़े पदों एवं प्रलोभनों का बलिदान किया। नेहरू जी तो दूर रहे, आप गांधी जी से भी भिड़ गये। हिन्दी को लेकर गांधी जी से आपका बहुत बड़ा मतभेद हुआ था, यह बात हिन्दी जगत से छिपी नहीं है। वे बहुत बड़े साधक थे, साधक झुकना नहीं जानता, साधक समझौता कैसे करे ? स्वराज्य प्राप्ति के बाद नागरी लिपि को राष्ट्र लिपि और हिन्दी को राष्ट्रभाषा संविधान सभा द्वारा मनवा लेने में टण्डन जी

आत्माङ्ग-वर्णनार्थ, प्रा. १८९१]

का बहुत बड़ा हाथ था। किन्तु अन्त तक एक कसक उनके दिल में बनी ही रही कि नागरी अंक सर्वथा स्वीकार नहीं हुए। राष्ट्र की उनकी भाषा विषयक-सेवा सदियों तक इतिहास में आदर की दृष्टि से देखी जायगी। हिन्दी-जगत् को एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपने राजधि पर गर्व है। वे हिन्दी के प्रश्न को स्वराज्य का प्रश्न समझते थे।

टण्डन जी की देशभक्ति अनुकरणीय है। वे भारत और भारतीयता के प्रतीक थे और भारतीय संस्कृति के पोषक थे। देखने में कठोर, ममताहीन और शुष्क किन्तु थोड़ा निकट जाने पर अत्यन्त कोमल, स्नेही और सहृदय। रहन-सहन में बाबू जी बहुत सादे थे। मोटे खादी की बनियाइन, कुर्ता, धोती और कपड़े या रबड़ की मामूली चप्पल या जूता पहनने के अतिरिक्त हाथ में एक मामूली छड़ी अक्सर लिये रहते थे। उनका सफर का सामान बहुत सूक्ष्म रहता था जो व्यक्ति उनको नहीं जानता था वह उन्हें देखकर नहीं कह सकता था कि वे ही आदर्श एवं महान् पुरुष राजधि बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन हैं। गंभीर होते हुये भी बाबू जी कभी कभी मजाक कर बैठते थे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की एक स्थायी समिति की बैठक में जब मैं अपना पान का डब्बा लेकर पहुँचा तो मुझको देखते ही उन्होंने मुझको संबोधित करते हुये कहा कि "तुम्हारा यह डब्बा बड़ा जोवनदार है।"

भारतवर्ष में सदा ही जनता की श्रद्धा का पात्र वही रहा है जो त्यागी और तपस्वी हो। खेद है कि हम ऐसे तपस्वी, संत, महात्मानव एवं त्यागमूर्ति को भूल रहे हैं। आज देश और समाज बाबू जी का ऋणी है। युग की माँग है और हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रसेवी श्रेष्ठ टण्डन जी को जो अब संसार में नहीं रहे और जिनकी भावपयकता वर्तमान स्थिति में देश को अत्यधिक है, श्रद्धाजलि अर्पित करें और भारत के कल्याण के लिये उनके उपदेशों को कार्यरूप में परिणत करें।

प्रातःस्मरणीय बाबूजी

आजकल पिता को पापा कहने का फैशन है। परन्तु मैंने पिता को बाबू जी कहना तब सीखा जब शिक्षित भारतीय बाबू जी कहे जाते थे। राजकि टंडन जी को मैं पितृ-तुल्य मानता रहा। अतएव जब मैं दर्शनार्थ पहुँचता, तो उनके चरण स्पर्श करता और मेरी बातें 'बाबूजी' से होतीं, 'टंडनजी' से नहीं।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र को आधुनिक हिन्दी के प्रथम प्रचारक की मान्यता प्राप्त है। इनके सम्पर्क से प्रभावित कुछ बनारसियों ने वाराणसी में नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित की। इस सभा के प्रचार के लिए एक पत्रिका निकालनी प्रारम्भ की, जिसका नामकरण 'सरस्वती' हुआ और जिसके प्रथम संपादक श्यामसुंदरदास जी हुए। कुछ समय पश्चात् 'सरस्वती' सभा की मुख्य-पत्रिका नहीं रह गई। इंडियन प्रेस को पत्रिका का स्वामित्व प्राप्त हुआ तो महावीरप्रसाद जी द्विवेदी पत्रिका-संपादन में श्यामसुंदरदास जी के उत्तराधिकारी हुए।

संस्मरण लिखने ही बैठा हूँ। मेरे पिता कानपुर से अछनेरा तक मोटर गैस की रेलवे लाइन पर स्टेशन मास्टर की हैसियत से नियुक्त थे। कानपुर जिले के उत्तरीपुरा स्टेशन से मेरी पढाई प्रारम्भ हुई। उन दिनों पढाई के लिए उर्दू का बोलबाला था। परन्तु पिता जी शिवभक्त थे और रामचरितमानस का पाठ कियाकरते थे। इसलिये उनके आदेश से मुझे हिन्दी ही पढाई गई। धीरे धीरे सीख गया, तो सरस्वती मेरे हाथ लगी और इस पत्रिका ने मुझे हिन्दी सिलाना प्रारम्भ कर दिया। पाँचवीं कक्षा से अंग्रेजी का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। परन्तु 'सरस्वती' ने मुझे पढ़ाना नहीं छोड़ा।

पिता जी ने मुझे शिक्षक और लेखक बनाने की कल्पना कभी नहीं की थी। उनके अनन्य मित्र मोहनलाल जी ने अपने पुत्र रघुनंदनलाल को लाहौर भेज कर चिकित्सक बना दिया था। पिताजी चाहते थे कि मैं लखनऊ में ही सन् १९११ से बालू होने वाले मेडिकल कालेज का प्रथम विद्यार्थी में बनूँ और पाँचवीं कक्षा से मेरा सहपाठी कालीसहाय निगम मेडिकल कालेज में भी मेरा साथी रहे।

परन्तु होनी दूसरी ही थी। पिता जी पक्षाघात के रोगी हुए, मैं उनकी सेवा में लगा और गृहधार ने मुझे मुर्दाबरी के लिए विवश किया।

हिन्दी-श्रेणी होने के कारण श्यामसुंदरदास जी के पूज्यनाम से परिचित था ही। मेरी आधाङ्ग-नार्मोसोर्थ, काक १८९१]

प्रसन्नता की कल्पना की जा सकती है, जब मैंने सुना कि श्यामसुंदरदास जी मेरे कालीचरण विद्यालय के प्राचार्य होकर लखनऊ आ रहे हैं।

हिन्दी का पाठक तो बाल्यकाल ही से था; परन्तु श्यामसुंदरदास जी जैसे नागरी प्रचारिणी सभा के जन्मदाता और प्रथम सेवक के संपर्क में आने पर हिन्दी-सेवा की प्रेरणा भी मुझे मिलने लगी। जयन्तियो और शताब्दी समारोह मनाने का फैशन है। श्यामसुंदरदास जी नागरी प्रचारिणी सभा के जन्मदाता थे, अपनी इस मानसिक आत्मजा का पालन-पोषण आजीवन करते रहे और सन् १९२१ से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष होकर इस विद्वान ने सर्वोच्च कक्षाओं में हिन्दी के पाठ्यक्रम बनाने की महान् सेवा की। इस विद्वान की जन्मशती सन् १९६७ में होती है। परन्तु प्रचार ही स्मृति का रक्षक है। यह श्यामसुंदरदास जी को नसीब नहीं हुआ, जिस कारण उनके शताब्दी समारोह की बात तो बहुत दूर, किसी को उनकी जन्म-जयन्ती मनाने की याद भी नहीं आयी।

इस विद्वान् के संपर्क में आने पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सेवा का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। सन् १९१४ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पाँचवाँ अधिवेशन कालीचरण विद्यालय के प्रांगण में हुआ और साहित्य-प्रदर्शनी के प्रबन्ध की सेवा मुझे मिली।

सन् १९१५ में प्रैजुएट हुआ और शिक्षकीय प्रशिक्षण के लिए एक वर्ष तक प्रयाग का प्रवासी रहा। तभी मुझे मालवीय जी, बाबू जी और नेहरू जी के दर्शन मिले। तिथि याद नहीं। परन्तु प्रथम दर्शन की याद है। तब बाबूजी दाढ़ी से मुक्त थे और उनकी मूछें कटी हुई थीं। स्कूल तो कभी थे ही नहीं परन्तु इतने दुर्बल भी नहीं थे जितने वे अवस्था बढ़ने पर हो गये थे।

सन् १९१६ के वसंतोत्सव के निकट काशी विश्वविद्यालय का शिलान्यास समारोह हुआ। प्रयाग के प्रशिक्षण महाविद्यालय का विद्यार्थी था। परन्तु पहुँचा तो वहाँ मुझे गांधी जी के दो बार दर्शन मिले। पहली बार, भरी सभा के मंच पर अंग्रेजी में मैंने उनका वह ओजपूर्ण प्रवचन सुना जिस के मध्य ही कई महाराजा मंच छोड़कर सभा से निकल गये और श्रीमती ऐनी बेसंट के आग्रह ही से वह पूरा हो सका। दूसरी बार, थोड़े-से श्रोताओं के मध्य मैंने इस महापुरुष का प्रवचन हिन्दी में सुना और हिन्दी के पक्ष में। तब इने-गिने भारतीय ही गांधी जी के भक्त थे। उनकी पहुँच भारतीय हृदय तक नहीं हुई थी।

लखनऊ के पश्चात् लगभग चार वर्ष तक उज्ज्वल जिले के गौरावाँ ग्राम में प्रवास रहा। पढ़ाता रहा और पढ़ता भी। दिसम्बर १९१७ की सरस्वती में द्विवेदी जी का समालोचना-संस्कार शीर्षक लेख पढ़कर प्रतिक्रिया-रूप पत्रिका में प्रकाशनार्थ द्विवेदी जी की सेवा में एक लेख भेजा। इसका एकलव्य रहा था। आचार्य जी ने पहली परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण मान लिया। उनके आशीर्वाद मान से मेरी गिनती हिन्दी लेखकों में होने लगी।

सन् १९२१ में लखनऊ लौटा कालीचरण विद्यालय में श्यामसुंदरदास जी के उत्तराधिकारी की हैसियत से। तब तक यह नगर उत्तर प्रदेश का राजनैतिक तीर्थ हो गया था। मैं

राजनीति से अलग रहा और अभी तक है। परन्तु स्वतंत्र्य-संघर्षरत राजनीतियों से संपर्क प्रारम्भ हुआ जिनमें बाबू जी मेरी शीर्षस्थ धाढ़ा के पात्र हुए।

यों तो बाबू जी की गणना कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं में थी। परन्तु हिन्दी-प्रचार उनकी रचनात्मक सेवा का प्रथम अंग था। मैं हिन्दी-भक्त था ही तो विद्यालय के अतिरिक्त अपने लिए सेवा के मुझे दो क्षेत्र मिले—शिक्षक वर्गों के माध्यम से शिक्षक वर्ग की सेवा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से हिन्दी-सेवा। शिक्षक वर्ग की सेवा के उपलक्ष्य में मुझे उत्तरप्रदेशीय बोर्ड ऑफ हाई स्कूल ऐंड इंटर मीडिएट एजुकेशन की सदस्यता मिली और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशनों में सम्मिलित होते रहने के कारण मेरा हिन्दी के विद्वानों से संपर्क बढ़ा। बाबू जी हिन्दी के कोई भारी विद्वान् नहीं थे। परन्तु प्रचार के अग्रणी थे और मुझे निर्माण से अधिक धुन प्रचार की थी। तो बाबू जी मेरे हिन्दी-भक्त-हृदय के सन्नाट बने।

प्रांतों को स्वराज्य मिलने पर पंतजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और बाबू जी प्रांतीय विधान सभा के अध्यक्ष हुए। बोर्ड में पंत जी का सहयोगी रह चुका था और विधान सभा की बैठके, इसी नगर में हुआ करती थी। तो दोनों महानुभावों से संपर्क के मौके मिलने लगे।

दुर्भाग्य वन एक और बाबू जी विधान सभा के अध्यक्ष हुए और दूसरी ओर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सन् १९३८ की बात है। कालीचरण विद्यालय के रजत-जयंती समारोह में बाबू जी आमंत्रित थे। उन्हें एक आयोजित भवन का शिलान्यास करना था। अस्वस्थ थे। परन्तु मेरा आग्रह उन्हें अस्वीकार नहीं करना था।

सन् १९३६ में मैंने जापान यात्रा की। एशिया के एक अग्रणी देश की शैक्षिक गति-विधि का अध्ययन करने के लिए। स्वातंत्र्य-संघर्ष चालू था। परन्तु भारतीय स्वतंत्रता मेरी कल्पना के बाहर थी। शीघ्र ही दूसरे महासमर की भूमिका बनने लगी। और उसके पश्चात् हमारी स्वतंत्रता, और विदेशी शासकों की भारतीय शासन के दायित्वों से मुक्ति प्राप्त करने की आतुरताएँ समान हुईं। हमें शक्तिपूर्वक स्वतंत्रता-प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ, गांधी जी स्वर्गीय हुए और हिन्दी को भारतीय संविधान से राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली।

ऐसे ही समय बाबू जी सरदार पटेल जी का सशक्त समर्थन पाने पर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर आरूढ़ हुए, तो मैंने निश्चय किया कि नैतिक सेवा से मुक्ति लेकर बचा जीवन शिक्षक वर्ग के सहयोग से हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करने की सेवा में लगाऊँ।

परन्तु जिस हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के माध्यम से मैं यह सेवा करना चाहता था वह इन्हीं दिनों न्यायालय का बंदी हुआ। एक ओर सम्मेलन बंद हुआ, दूसरी ओर बाबू जी ने अध्यक्ष पद से मुक्ति प्राप्त करके हिन्दी के पक्ष में राष्ट्रीय शासन से संघर्ष प्रारम्भ किया। सन् १९५५ में उन्होंने मुझसे विश्वविद्यालयीय कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक निर्माण का दायित्व उठाने का आग्रह-वार्त्तव्य, एक १८९१]

प्रस्ताव किया और अकेले इस भार को उठाने में मैंने अपने को अक्षम समझा, तो मैं अमरनाथ जी झा से मिला। वह प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकुलपति रह चुके थे और उन दिनों बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, वह नेतृत्व के लिए राजी हुए, परन्तु योजना बन भी नहीं पायी कि वह स्वर्गीय हुए।

बाबू जी का स्वास्थ्य सन् १९३८ ही से बिगड़ने लगा था और लगभग सन् १९५६ से तो वह रोगशय्या ही पर पड़ गये। ऐसी हालत में मैं उनसे मिलने पहुँचा, तो उन्होंने मुझे केन्द्रीय शासन द्वारा न्यायालय से सम्मेलन को मुक्त कराने की सेवा सुपुर्व की। दिल्ली के लिए भेरी दौड़ होने लगी। अन्ततः जवाहरलाल जी को उनसे मिलने का बहाना मिला और बाबू जी के अनन्य भक्त लालबहादुर जी शास्त्री नेहरू जी के शीर्षस्थ सहयोगी थे ही, तो न्यायालय से सम्मेलन की मुक्ति का केन्द्रीय विधान बना और सम्मेलन को एक अस्थायी निकाय का नेतृत्व मिला। बाबू जी की मनोकामना पूर्ण हुई और वह स्वर्गीय हुए।

हिन्दी-संग्रहालय में राजर्षि-कक्ष

हिन्दी संग्रहालय, हिन्दी माहित्य सम्मेलन की स्थायी निधि है। इस संग्रहालय में मुद्रित पुस्तको, हस्तलिखित ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाओं आदि से सबद्ध लगभग सवा लाख ज्ञान-सामग्री सुरक्षित है। यह मध्य, विशाल एवं दर्शनीय ज्ञान-प्रतिष्ठान राजर्षि टंडन जी की कल्पना का साकार रूप है।

इस संग्रहालय के विभिन्न कक्षों में 'राजर्षि कक्ष' का भी एक नाम है। इस कक्ष की स्थापना मन् १९५० ई० में हुई थी। वर्तमान संग्रहालय-भवन तैयार हो जाने के पूर्व ही टंडन जी ने संग्रहालय के लिए सामग्री संचित करनी आरम्भ कर दी थी, और इस प्रकार उनके द्वारा संग्रहालय की समृद्धि में निरन्तर योगदान प्राप्त होता रहा। किन्तु उनके नाम से जिस कक्ष की स्थापना की गयी है, उसमें प्रायः उन्हीं के व्यक्तित्व से सम्बन्धित सामग्री सुसज्जित की गयी है। विभिन्न स्थानों से समय-समय पर उन्हें छोटी-बड़ी जो वस्तुएँ प्राप्त हुईं, उन्हें उन्होंने सम्मेलन को भेंट स्वरूप दे दिया। राजर्षि जी के व्यक्तित्व से सम्बद्ध इस सामग्री को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है।

प्रथम वर्ग में उस बहुमूल्य सामग्री को रखा गया है, जो हाथीदांत, रजत तथा कांस्य आदि से निर्मित है और जो कलात्मक एवं दर्शनीय है। २७ दिसम्बर, मन् १९४९ ई० को हैदराबाद राज्य हिन्दी-सभा द्वारा राजर्षि टंडन को एक अशोक-स्तम्भ भेंट किया गया था। धातु-निर्मित यह स्तम्भ एक पेंटी में सुरक्षित है। मूल्यवान् होने के साथ-साथ यह अत्यन्त भव्य भी है। इसी प्रकार सन् २००७ वि० में कलकत्ता श्वेती समाज द्वारा हाथीदांत से निर्मित अशोक-स्तम्भ भी राजर्षि कक्ष की बहुमूल्य सामग्री का अंग है। जिस समय राजर्षि टंडन जी कांग्रेस अध्यक्ष थे, उस समय जयपुर नगरपालिका ने उन्हें जयपुर नगर के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध स्थानों के दृश्यो से युक्त एक गोलाकार कॉस्पेसम भेंट किया था, जो कि कलात्मक काष्ठ के फ्रेम पर व्यवस्थित है और जिसको देखकर उसके निर्माता शिल्पियों की कला-कुशलता के प्रति महत्सा प्रशंसा के उद्गार फूट निकलते हैं। इसी प्रकार १४ जुलाई, १९५१ ई० को बयलोर सिटी कारपोरेशन द्वारा प्रवस चन्दन-मजूषा, ६ जुलाई, १९५५ ई० को रेलवे स्पाटंस स्टेडियम, इलाहाबाद की ओर से भेंट रजत पात्र, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस वर्ग की लगभग १८ प्रकार की विभिन्न वस्तुएँ राजर्षि-कक्ष में व्यवस्थित हैं।

द्वितीय वर्ग में उन विभिन्न वस्तुओं की गणना की गयी है, जिनका ऐतिहासिक महत्त्व है और जिनके द्वारा राजर्षि टंडन जी की स्मृति सजीव हो जाती है। इस सामग्री में उनकी चित्रावली का विशेष स्थान है। लगभग सात वर्ष की अवस्था से लेकर दिवंगत होने तक, विभिन्न अवस्थाओं के चित्र उक्त कक्ष में सुसज्जित हैं। इनके अतिरिक्त उनके राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन से सम्बद्ध अनेक सामूहिक चित्र भी इस सामग्री में सम्मिलित हैं। इन चित्रों के द्वारा जहाँ एक ओर टंडन जी की स्मृति साकार हो उठती है, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन के ऐतिहासिक विकास-क्रम तथा उनके महान् कार्यों का भी निर्धारण होता है।

सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थानों से राजर्षि टंडन जी को समय-समय पर सर्वोच्च सम्मानित उपाधियों से विभूषित किया गया। उन्हें 'राजर्षि' की उपाधि के अवसर पर जिन कर्तव्यों को पढ़नाया गया था, वे भी राजर्षि कक्ष में सुरक्षित रखे गये हैं। बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय से प्रदत्त 'डॉक्टर ऑफ लेटर्स' के उपाधिपत्र तथा उस समय धारण किये गये 'माउन' भी उनके स्मृतिचिह्नों के रूप में वर्तमान है।

राजर्षि कक्ष में सुरक्षित टंडन जी के दाँतों का सेट, चश्मा, कलमदान, उनकी लेखनी, टेबुल घंटी और छड़ी आदि सामग्री को देखकर उनकी पुण्यस्मृति आज भी पुनर्जीवित हो जाती है। इस सामग्री को देखकर उनके जीवन की सात्विकता, पवित्रता और निर्भीकता आदि अनेक उच्चतम मानवीय सद्गुणों की स्मृति ताजी हो जाती है। राजर्षि कक्ष की इस सामग्री में कुछ स्मृतिचिह्ने ऐसे भी हैं, जो टंडन जी से सम्बद्ध नहीं हैं, किन्तु जिनका बहुत बड़ा महत्त्व है। स्वर्गीय अब्बास तैय्यब की छड़ी, रुमाल, सन्धा; प्रो० कर्वे की छड़ी तथा मृत्तिका पात्र और स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक का छाता इसी प्रकार की सहेजनीय सामग्री है, जिसे टंडन जी ने बड़े यत्न से सम्मेलन सभ्रहालय के लिए प्राप्त किया था। उनके द्वारा संगृहीत ये वस्तुएँ भी राजर्षि कक्ष में ही व्यस्तित है। इन वस्तुओं की संख्या ७२ के लगभग है।

टंडन जी के महान् एवं असहज व्यक्तित्व की परिचायक अधिकतर वस्तुएँ उनके जीवन-काल में ही विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में चली गयीं, जिनका कि कुछ भी पता न चल सका। किन्तु सम्मेलन के प्रयत्न से जितनी वस्तुएँ संचित एवं सुरक्षित हो पायीं उनका यदि विधिबद्ध अध्ययन-अनुशीलन किया जाय तो उनसे उनके दृढ़व्रती एवं अथक अध्ययनसायी जीवन के अज्ञात तथ्यों को प्रकाश में लाया जा सकता है।

टंडन जी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक, सभी क्षेत्रों में उन्हें अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त थी। राजर्षि कक्ष में सुसज्जित एवं सुरक्षित लगभग सौ बार सौ अभिनन्दन पत्रों को देखकर उनके प्रति अगाध लोक-भावना का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। देश के प्रायः सभी अंचलों और वर्गों से ये अभिनन्दन-पत्र टंडन जी को प्रदान किये गये हैं। वे न केवल हिन्दी में, अपितु संस्कृत, उर्दू, बंगला, तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि अनेक भाषाओं में हैं। इस दृष्टि से राजर्षि टंडन जी इस राष्ट्र की भावनात्मक

एकता के प्रतीक थे। देश के सभी वर्ग के लोगों और समस्त भाषा-भाषियों की उनमें अगाध निष्ठा थी।

हिन्दी-संग्रहालय को टंडन जी हिन्दी-जगन् का एक अनुपम एवं आदर्श शोध-संस्थान बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से उनके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से बहुमूल्य मुद्रित तथा हस्त-लिखित ग्रन्थ संग्रहालय को प्राप्त होते रहे। इस प्रकार की जो भी सामग्री उन्हें उपलब्ध होती थी उसे वे संग्रहालय में रखने के लिए दे देते थे, जिससे कि अध्येता उसका उपयोग कर सकें। उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम है कि हिन्दी-संग्रहालय सम्प्रति समस्त हिन्दी शोधार्थी विद्वानों एवं अध्येताओं का आकर्षण केन्द्र बना हुआ है।

विभिन्न व्यक्तियों को समय-समय पर लिखे गये टंडन जी की हस्तलिपि के लगभग दस पत्र संग्रहालय की सहेजनीय निधि हैं। उनके इन पत्रों को देखकर उनका एकनिष्ठ हिन्दी प्रेम प्रकट होता है। इन पत्रों से उनके भाषा-भैरव का भी पता चलता है। उनके इन पत्रों में सुगन्धित उनकी हस्तलिपि सुदूर भविष्य तक पाठकों एवं अध्येताओं को प्रेरणाप्रद सिद्ध होगी।

इस प्रकार सम्मेलन संग्रहालय का 'राजर्षि कक्ष' राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन से सम्बद्ध सामग्री का एकमात्र प्राप्त-स्वान है। इस कक्ष में अधिकाधिक सामग्री के संग्रह के लिए सम्मेलन निरन्तर प्रयत्नशील है। किन्तु उन हिन्दी प्रेमी महानुभावों से हमारा विशेष अनुरोध है, जिनके पास इस प्रकार की कोई छोटी-बड़ी सामग्री सुरक्षित हो, तो वे उसे राजर्षि-कक्ष के लिए देने की कृपा करें।

राजर्षि टण्डन जी : एक जीवन-साँची

हिमालय की माँति अपने मिद्वान्तो पर अडिग नेता किसी भी देश को बडे सौभाग्य तथा पुण्य-प्रताप से मिलते हैं। भारतीय संस्कृति के नो वह अनन्य उपासक थे। उनके रोम-रोम से भारतीय संस्कृति प्रतिध्वनित होनी थी। त्याग, संयम, क्षमा, दया, सेवा, सहिष्णुता आदि इनके दैवी गुण थे। आचार्य विनोबा भावे का कहना है कि—“टण्डन जी की सत्यनिष्ठा उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने राजनीति में भी असत्य का सहाय नही लिया।” संत विनोबा ने अपने एक पत्र में यह भी लिखा था कि—“राजर्षि टण्डन जी की विविध सेवाओं को कौन नही जानता पर उन्होंने जितनी सेवाये की उन सबमें मेरी निगाह में, बडी सेवा यह है कि जो नैतिक मूल्य उन्होंने माने उन पर वे हर हालत में डटे रहे। यह गुण इन दिनों कुछ दुर्लभ हो गया है।”

महात्मा गांधी ने टण्डन जी की प्रशंसा करते हुये लिखा था कि—“ऐसी ही पुरुषो के त्याग और माहमपूर्ण कार्यों से राष्ट्र का निर्माण होता है।”

राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने कहा है कि—“टण्डन जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि वह राजनीति और साहित्य की परिधि में समा ही नहीं सकता, सामाजिक जीवन के जिस पहलू से भी उनका संबंध रहा है उसी को उन्होंने समृद्ध किया है। सार्वजनिक जीवन में पर्दापण करने के बाद टण्डन जी जिन मिद्वान्तों का अनुसरण करते रहे हैं, उनमें से अधिकांश आज भी आदर्श रूप में सर्वमान्य हैं। उनके नेतृत्व से सदा सदाचरण और नैतिकता के पक्ष को समर्थन मिला है।”

प० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है—“जो भी व्यक्ति टण्डन जी के सम्पर्क में आये, सबने उनसे कुछ न कुछ सीखा। यह महापुरुषों की निशानी है। जो उनसे मिले, लेकर गये। हमने भी उनसे लिया, जिसे दिल और दिमाग की दीलत बड़ी। वह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने सिद्धान्तों पर अटल स्तम्भ की तरह डटे रहे हैं। वे मेरे बडे भाई थे।”

डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने लिखा है कि—“टण्डन जी स्वतंत्रता-संग्राम के निर्णय सेनानी और हमारी संस्कृति के मूलभूत मूल्यों में अदम्य विश्वास रखनेवाले रहे हैं।”

देश की अनेक महापुरुषों तथा विद्वानों ने राजर्षि टण्डन के गुणों की प्रशंसा करते हुये उनकी महानता स्वीकार की है।

माँ-भारती तथा हिन्दी के अनन्य पुजारी, देवतुल्य राजवि टंडन के जीवन की प्रत्येक कहानी दीपक की भाँति हमें प्रकाश और प्रेरणा देनेवाली है। राजवि टंडन जी के जीवन के अनेक पहलू हैं। उनका जीवन और सस्मरण चिरस्मरणीय है। टंडन जी का एक-एक कार्य संस्मरण बन गया है। उनके अनेक संस्मरण जन-संबंधित हैं और जो सुविख्यात हैं। किन्तु कुछ अमूल्य संस्मरण ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक कुछ विशेष व्यक्ति ही जानते हैं। वे निजी और पारिवारिक हैं, कष्टमय तथा दुःखद हैं किन्तु हैं बहुत ऊँचे। इतने ऊँचे जहाँ पहुँच कर बुद्धि चक्कर काटने लगती है और यह निर्णय करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि टंडन जी कौन हैं, क्या हैं और कैसे हैं ?

टंडन जी का जन्म

तीर्थराज प्रयाग के अहियापुर मुहल्ले में अधिकांश खत्री परिवार के लोग रहते हैं। श्री फ़कीरचन्द टंडन का भी निवासस्थान इसी मुहल्ले में था। इनके तीन पुत्र थे। श्री सालिगराम टंडन, श्री अर्नंतराम टंडन और श्री मूलचन्द टंडन। श्री अर्नंतराम टंडन से पाँच पुत्र, दो पुत्रियाँ और श्री मूलचन्द टंडन से तीन पुत्र और एक पुत्री पैदा हुईं। सबसे बड़े भाई श्री सालिगराम टंडन के घर में सन् १९३९ विक्रमी के श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीया, तिथि मंगलवार तदनुसार १ अगस्त १८८२ ई० को टंडन जी का जन्म हुआ। श्रावण का यह महीना पुष्योत्तम मास था, इसलिये बालक का नाम भी पुष्योत्तमदास रखा गया। जन्म के पूर्व इनके दो भाई-बहिनों का निधन हो चुका था। इनके एक छोटे भाई और एक बहिन भी थी। विवाह के उपरान्त बहिन का स्वर्गवास हो गया और छोटे भाई श्री राघोनाथ टंडन एम-ए० सी० उपाधि प्राप्त करने के बाद स्थानीय सी० ए० बी० कालेज में साइस का अध्यापन-कार्य करते थे। अभी हाल में उनका देहावमान हुआ है। वे प्रतिभावान् पुरुष थे। दिमागी बीमारी के कारण इन्हें असमय में ही अध्यापन-कार्य छोड़ना पड़ा था। इनका तथा इनके एकमात्र पुत्र दीनानाथ टंडन का बड़े भाई टंडन जी के ऊपर सब भार आ पड़ा था। दीनानाथ जी आजकल लखनऊ सचिवालय में एक अच्छे पद पर कार्य करते हैं।

श्री पुष्योत्तमदास टंडन के पिता श्री सालिगराम टंडन प्रयाग के एकाउण्टेण्ट जनरल आफिस में नौकर थे। घर की स्थिति साधारण थी। श्री सालिगराम जी राधास्वामी संप्रदाय के एक निष्ठावान् सन्तगी थे। मस्संग में आप 'प्रेमसरन' के नाम से विख्यात थे। आप अत्यंत सरल, सौम्य स्वभाव के सत्यनिष्ठ पुरुष थे। बालक टंडन जी पर आपके पिता जी के गुणों, विशेषकर सत्यता की छाप पूर्णरूप से पड़ी थी।

बाल्यकाल

टंडन जी का बाल्यकाल बड़े लाड़-प्यार से बीता। शैशव काल में ही उनकी प्रतिभा का चमत्कार दिखाई देने लगा। साहस और दृढ़ता तो बाल्यकाल में ही निखर पड़ी। कुशाग्र-भाषण-वार्त्तावीर्य, शक १८९१]

बुद्धि और विलक्षण प्रकृति उनकी विशेषता थी। अपने समयवस्कों से उनका मेल नहीं खाता था। वे सबको छापे रहते थे। चाहे वह कार्य-कुशलता में हो, चाहे हाथापाई में, वह पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं आती थी कि किसी काम को करने में वे अकेले हैं। एक दिन की बात है—टंडन जी अपने सहपाठियों के साथ सिविल लाइन्स घूमने गये। इलाहाबाद का यह मूहल्ला उस समय भी बहुत सुन्दर माना जाता था। अधिकांश बंगले यहाँ अंग्रेजों के थे। अंग्रेजों के बच्चे ही वहाँ अधिकतर घूमते-फिगते नजर आते थे। वहाँ पहुँचने पर टंडन जी और उनके साथियों की अंग्रेज लड़कों से किसी बात पर मूठमेड़ हो गई। भारपीट जब हुई ही रही थी कि अंग्रेज लड़कों के एक दूसरे दल ने इन्हें ललकारा। टंडन जी के साथी डरकर भागने लगे किन्तु १० वर्षीय टंडन जी निर्भयता पूर्वक वहीं खड़े रहे। वे लोंग कई थे, ये अकेले थे, मगर टंडन जी उस समय तक मैदान में डटे रहे जब तक अंग्रेज लड़कों का वह दल वहाँ से भाग नहीं गया। बाद में टंडन जी ने अपने साथियों की कायरता के लिये बड़ी मर्स्वता की।

टंडन जी की शिक्षा-वीक्षा

बाल्यकाल में टंडन जी की शिक्षा एक मौलवी साहब के द्वारा आरम्भ कराई गई। मौलवी साहब का बालक टंडन पर अगाध प्रेम था, वह इन पर पुत्रवत् स्नेह रखते थे। बड़ी रूचि और मेहनत से पढ़ाते थे। टंडन जी भी मौलवी साहब पर पूर्ण श्रद्धा रखते थे। आरम्भिक शिक्षा समाप्त करके जब यह स्कूल में भर्ती हुये तब भी वह अपने आदि गुरु मौलवी साहब का उतना ही आदर करते थे। जीवनपर्यंत मौलवी साहब के प्रति उनकी श्रद्धा बनी रही। जीवन में जब कभी प्रसंग आता तब वह मौलवी साहब के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते थे।

टंडन जी बचपन से ही प्रतिभा-मम्पन्न थे। स्कूल के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में उनकी गणना होती थी। प्रतिभावान् छात्र होने के कारण यह अध्यापकों की कृपा के विशेष पात्र बन गये थे। खेल-कूद में भी टंडन जी की विशेष रूचि थी। सांस्कृतिक तथा शारीरिक कार्यक्रमों में भी यह प्रमुख रूप से भाग लेते थे। सी० ए० बी० स्कूल से आपने मिडिल परीक्षा और गवर्नमेन्ट हाई स्कूल से हाई स्कूल-परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात् इनका नाम कायस्थ पाठशाला इन्टर कालेज में लिखाया गया।

टंडन जी का विवाह

सन् १८९७ ई० में टंडन जी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन दिनों इनकी उम्र १५ वर्ष की थी। इनके माता-पिता ने इन्हें इतनी छोटी आयु में ही वैवाहिक बंधन में बाँध दिया। अभी इनके विद्याध्ययन का समय था। बहुत ऊँची शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा थी, फिर भी माता-पिता और परिजनो ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया।

टंडन जी इस छोटी आयु में गृहस्थ-जीवन में फँस तो गये किन्तु वैवाहिक-बंधन से इनकी शिक्षा और वाक्प्रेमप्रति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, यह टंडन जी के सच्चरित्र, संशय और

सदाचरण की विशेषता थी और उसी का यह फल था कि उनकी शिक्षाप्रति और विचारोन्नति में किसी तरह की बाधा नहीं पड़ी।

सहयोगिनी धर्मपत्नी

वैवाहिक बंधन में बँधने के बाद भी टंडन जी की शिक्षा निर्विघ्न चलती रही और अपने इच्छित कार्यों की ओर वह अग्रसर होते रहे, इसमें टंडन जी के चरित्र, संयम और कर्तव्य का बल तो था ही किन्तु टंडन जी की धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रमुखी देवी (बहुआ) उनकी पूर्ण सहयोगिनी थी। अल्पशिक्षित होने पर भी उन्हें उच्च कर्तव्य का पूरा ज्ञान था। इन्होंने टंडन जी के स्वभाव का अध्ययन थोड़े ही समय में कर लिया था, इसलिये उनकी इच्छा के अनकूल वह आचरण करनी थी, यही नहीं—शिक्षाप्राप्ति में वह टंडन जी को बराबर प्रोत्साहित किया करती थी और उनकी हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखती थी। बहुआ ने अपने सभी विचारों और इच्छाओं को टंडन जी में केन्द्रित कर दिया था। उनके सुख-दुख को अपना सुख-दुख समझती थीं। शिक्षाप्राप्ति और कर्तव्य-पालन में टंडन जी को अपनी धर्मपत्नी से बराबर प्रोत्साहन मिलता रहा। १४ वर्ष की अपनी धर्मपत्नी से जो सहयोग मिलना प्रारंभ हुआ उससे टंडन जी बहुत सतुष्ट थे। घरेलू झगड़ों से बहुआ ने टंडन जी को मुक्त रखने का बराबर प्रयत्न किया, ताकि उनकी शिक्षा-प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। सन् १८९९ ई० में टंडन जी ने कायस्थ पाठशाला इंटर कालेज से इंटर परीक्षा में सफलता प्राप्त की।

उच्च शिक्षा

बी० ए० की शिक्षा प्राप्ति के लिये टंडन जी ने प्रयाग की प्रसिद्ध मस्था म्योर नेट्रल कालेज में नाम लिखाया। इस कालेज की उत्तर भारत में बड़ी ख्याति है। यहाँ से अनेक छात्र ऐसे निकले हैं जो आज देश और समाज की सेवा में अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इस कालेज ने देश-सेवा के लिये कई चोटी के नेताओं को देकर अपनी कीर्ति अमर कर ली है। विभिन्न विषयों के कई प्रकांड पंडित भी इस कालेज की देन हैं। कालेज में प्रवेश लेकर टंडन जी ने अपनी पढ़ाई सुचारु रूप से प्रारंभ की। इनकी गिनती कालेज के अच्छे छात्रों में थी। खेल-कूद में आपकी बड़ी रुचि थी। क्रिकेट का बहुत शौक था। छात्रों के कार्य-कलापों में टंडन जी क्रियात्मक सहयोग देते थे। उनपर उनकी धाक थी। कालेज के छात्र टंडन जी को अपना नेता मानते थे।

कालेज की पढ़ाई का इनका दूसरा वर्ष चल रहा था, इसी समय इनको एक बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। मिस्टर हिल कालेज के एक अग्रज प्रोफेसर थे, टंडन जी का इनसे संबंध ही गया, जिसके कारण यह कालेज से एक वर्ष के लिये रिस्टीकेट कर दिये गये। इनके ऊपर अनुशासन-हीनता का आरोप लगाया गया। छात्र-जीवन का यह संघर्ष टंडन जी की बहादुरी तथा निर्भीकता की एक कहानी बन गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है—टंडन जी अपने समय में क्रिकेट टीम के कप्तान और

जवाहर-मार्गदर्शक, सन् १८९१]

खेल-कूद-कमेटी के मंत्री थे। इन्हीं दिनों कालेज में प्रान्तीय व्यायाम प्रतिबोधिता होने-वाली थी जिसके प्रबंधक कालेज के प्रोफेसर मिस्टर हिल थे। इन्होंने अपनी सहायता के लिये पुलिस का प्रबंध किया था। मैच के अवसर पर पुलिस के एक सिपाहीने एक छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया। टंडन जी को यह बात असह्य हो गई और इन्होंने पुलिस की अच्छी मरम्मत की। रात्रि में छात्रों की एक मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि मिस्टर हिल ने पुलिस द्वारा एक छात्र का अपमान किया है। यह उस छात्र का नहीं हम सभी छात्रों का अपमान है। हमें इसका बदला लेना ही है। फिर क्या था—दूसरे दिन कई सौ छात्रों ने हड़ताल कर दी और टंडन जी के नेतृत्व में यह मांग रखी कि जब तक म्योर कालेज से हिल को निकाल नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग इस खेल-कूद में भाग नहीं लेंगे। छात्रों के इस निर्णय से मिस्टर हिल परेशानी में पड़ गये। स्थिति को समालने का प्रयत्न कालेज के अंग्रेज प्रिंसिपल ने किया। इन्होंने छात्रों तथा उनके नेता टंडन जी को आश्वासन दिया कि मिस्टर हिल को खेल-कूद के मैदान से अलग कर दिया गया है। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहूँगा। आप लोग हड़ताल बन्द कर दीजिये और खेल-कूद में भाग लीजिये। टंडन जी ने निर्भीकता से कहा—जब तक हम लोगों की माँग पूरी नहीं होगी, हड़ताल समाप्त नहीं हो सकती। प्रिंसिपल का प्रयत्न निष्फल गया। हड़ताली छात्र अपने निश्चय पर और प्रिंसिपल तथा कालेज के अन्य अधिकारी अपने निश्चय पर अड़े रहे। अंत में हड़तालियों के नेता टंडन जी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें १ वर्ष के लिये रिस्टीकेट कर दिया गया। टंडन जी ने अधिकारियों के सम्मुख सिर नहीं झुकाया। दंड भोग लिया। किन्तु अपने आत्मसम्मान पर अर्च नहीं आने दिया। कालेज के अधिकारी चाहते थे कि यदि टंडन जी पश्चाताप प्रकट कर दें तो उन्हें अमा किया जा सकता है किन्तु टंडन जी पहाड़ की तरह अडिग रहे। टंडन जी की इस बहादुरी और निर्भयता ने कालेज के अंग्रेज मासको पर भारतीय छात्रों की धाक जमा दी।

पिता जी का स्वर्गवास

इन्हीं दिनों टंडन जी के पिता बाबू सालिगराम टंडन का स्वर्गवास हो गया। पिता जी के असामयिक स्वर्गवास से टंडन जी को महान् कष्ट हुआ, शिक्षा-प्राप्ति का प्रोत्साहन पृथक् पड़ गया, फिर भी टंडन जी ने अपना साहस और धैर्य नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुये। कच्ची गृहस्त्री उस पर विद्यार्थी अवस्था, कितनी दुःखद समस्या थी किन्तु पुरुषार्थी टंडन जी ने आई हुई कठिनाइयों का साहस के साथ सामना किया। इन परिस्थितियों में टंडन जी का सारा भार इनके चाचा डाक्टर मूलचन्द्र टंडन ने उठाया। यह प्रयास के अच्छे डाक्टरों में थे, अच्छी ख्याति थी। टंडन जी इन्हें पिता-तुल्य ही मानते थे। डाक्टर साहब का भी टंडन जी पर पुत्रवत् स्नेह था। इन्होंने पिता का अभाव खटकने नहीं दिया। शिक्षा-प्राप्ति में इन्होंने भरपूर सहायता की।

छात्र-जीवन में अनेक दुखों और कठिनाइयों से संघर्ष करते हुये टंडन जी ने सन् १९०४ में बी० ए० और सन् १९०६ में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष से आपने अदालत (लोअर कोर्ट) में वकालत करना भी आरंभ कर दिया। सन् १९०७ में एम० ए० की उपाधि भी प्राप्त कर ली और सन् १९०८ में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। इस समय टंडन जी की अवस्था लगभग २६ वर्ष की थी।

टंडन जी की १२ वर्ष की वकालत

वकालत पाम करने के बाद सीधे ही टंडन जी ने वकालत आरंभ कर दी थी। दो वर्ष तक इन्होंने छांट्री अदालत (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) में वकालत की। सबसे पहला केस जो टंडन जी ने लिखा वह था उर्दू 'स्वराज्य' के संपादक महात्मा शांति नारायण का। इनके अप्रलेख्य पर सरकार ने इन पर मुहदमा चलाया था। बड़ी निर्भीकता में इन जी ने इस केस को लड़ा। सके बाद तो कानिकारियों का कोई मुकदमा ऐसा न होता जिसमें टंडन जी सफाई पक्ष की ओर में पैरवी न करने। दो वर्ष के बाद टंडन जी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। प्रतिभवान् और परिश्रमी टंडन जी ने हाईकोर्ट में पूरी सफलता प्राप्त की। वकालत अच्छी चल निवली। वह न तो झूठे मुकदमे लेते थे और न झूठी पैरवी करते थे। मुकदमे की सच्चाई की छानबीन वह पहले स्वयं करते थे। यदि उन्हें उममें सच्चाई की झलक मिली तो वह उसे स्वीकार करते थे वरना वापस कर देते थे। वह इस मयध में विख्यात हो गये थे, अतः झूठे मुकदमे उनके पास आते ही नहीं थे। वकालत के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि टंडन जी ने इस पेशे में भी अपने आदर्श-चरित्र और मर्यादा का परित्याग नहीं किया, बल्कि अपने साधु-स्वभाव और दयालुता का यह बराबर परिचय देते रहे। जिस भुवकिकल की दयनीय दशा होती उसका मुकदमा टंडन जी मुफ्त लड़ने या उमसे शुल्क कम लेते थे। राष्ट्रीय, क्रांतिकारी तथा सामाजिक मुकदमों में तो टंडन जी आवश्यकता पडने पर अपने पास से भी धन लगा देते थे। यही कारण था कि वकालत के क्षेत्र में भी टंडन जी की महानता चारों ओर फैल गई और वह थोड़े ही दिन में चमक उठे।

हाईकोर्ट के जज भी टंडन जी का सम्मान करते थे। वे उनकी प्रतिभा, सच्चाई, दयालुता, स्पष्टवादिता तथा निपछल जीवन से काफी परिचित हो गये थे। टंडन जी के स्वाभिमान और सत्यता का एक विख्यात संस्मरण है—

एक बार किसी मुकदमे में न्यायाधीश बनर्जी के इजलास में टंडन जी ने पैरवी की। कितनी कानूनी नुक्तों की सफाई के लिये मामला दो न्यायाधीशों के बीच के समक्ष भेज दिया गया। इन बीच के एक जज जस्टिस रिचार्टस भी थे। इनका स्वभाव बहुत उग्र था। सभी एडवोकेट इनसे डबराते थे। बहस के दौरान टंडन जी ने कहा कि—“मैंने इस प्रश्न पर न्यायाधीश बनर्जी के इजलास में प्रकाश डाला था।” जस्टिस रिचार्टस ने तुरन्त उत्तर दिया—“जस्टिस बनर्जी की आज्ञा में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि आपने यह प्रश्न उनके समक्ष रखा था।” टंडन

जी ने तुरन्त रोषपूर्ण स्वर में उत्तर दिया—“भी लाई ! यहाँ मैं अपने मुक्किल की तरफ से बहस करने के लिये सजा हुआ हूँ—मैं इसलिये यहाँ नहीं सजा हुआ हूँ कि आप मेरी सत्यवादिता को परीक्षा लें, जब मैंने यह बात कही है तब वह ध्रुव सत्य है और सोच समझकर मैंने कही है।”

प्रयाग के प्रमुख वकीलों में आपकी गणना थी। इन दिनों-महाभना मालवीय जी तथा सर तेजबहादुर सपू हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करते थे तथा टडन जी से वरिष्ठ थे, महाभना मालवीय से वकालत में टडन जी को पूर्वाप्त सहायता मिलनी थी। मालवीय जी का इन पर अगाध स्नेह था। ६ माल हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करने के बाद सन् १९१४ में महाभना। मालवीय के आग्रह से टडन जी हाईकोर्ट को वकालत छोड़ कर नामा राज्य में कानून-मन्त्री के पद पर चले गये। अपनी यास्यता तथा परिश्रम से थोड़े ही दिनों में आपने विदेश मन्त्री का भी माग समाल लिया। और प्रजा के प्रिय बन गये। नामा स्टेट की नैतिकता को उच्च ग्थान दिलाने में इन्होंने अच्छी लोकप्रियता प्राप्त की।

हिन्दी-सेवा की लगन टडन जी में विद्यार्थी अवस्था में ही थी। उनके इस कार्य में न तो विद्यार्थी अवस्था की पड़ाई बाधक हो सकती थी, न वकालत और न विन्मी ऊँचे पद की लालच। नामा स्टेट में जब टडन जी विदेश मन्त्री थे, उसके बहुत पूर्व सन् १९१० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन को स्थापना महाभना मालवीय द्वारा हो चुकी थी और टडन जी तब से उसके प्रधान मन्त्री होते आ रहे थे। माने-जागते, उठने-बैठने, उग्रे हिन्दी के प्रचार-प्रमाण की विन्ता बर्नी रहती थी। हिन्दी के कार्यों से उग्रे कोई भी विमुख नहीं कर सकता था। महाभना नामा ने उनके इस कार्य में बाबा उपनिषद की, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के एक अधिवेशन में उग्रे जाना आवश्यक था किन्तु महाभना नामा ने उग्रे अवकाश नहीं दिया। फिर क्या था—टडन जी तुरन्त त्याग-पत्र देकर अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये नामा छोड़ कर चल दिये। नामा में आने के बाद टडन जी की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी हो गई थी किन्तु उग्रे ने न तो अपने वर्तमान समय की सुख-सुविधा की कोई परवाह की और न भविष्य की। हिन्दी-सेवा के लिये वह अपना सर्वस्व अर्पण करने में तनिक भी नहीं हिचके। सन् १९१६ में टडन जी ने नामा से अपना सबकुद विच्छेद कर लिया। और प्रयाग चले आये। तदनन्तर महाभना नामा स्वयं प्रयाग आये और टडन जी से नामा चलने का बहुत आग्रह किया, किन्तु टडन जी ने जाना स्वीकार नहीं किया। टडन जी ने हाईकोर्ट में पुनः वकालत आरम्भ कर दी। सन् १९२० तक वह सफलता पूर्वक वकालत करते रहे।

पूज्य टडन जी का प्रथम दर्शन मुझे सन् १९१८ ई० में हुआ था। उन दिनों मैं साहित्य मन्त्र नानक प्रकाशन मन्षा में मैनजर का काम करता था। प्रयाग के जानसेनगंज मुहल्ले में बर्देशवरनाथ का एक मन्दिर है, इस मन्दिर से लगे हुए विशाल भवन के ऊपरी हिस्से में टडन जी निवास करते थे और तावे के त्रिस्ते में साहित्य मन्त्र की पुस्तकों की दूकान थी। इस सन्धा के अठारथे हिन्दी के शिष्य कवि पंडित रामनरेण त्रिपाठी। यह दूकान टडन जी ने पंडित रामनरेण त्रिपाठी ने खुलवाई थी। टडन जी प्रायः दूकान में आया करते थे। टडन जी से

परिचित तथा बाजार के लोग प्रायः टंडन जी को 'बाबूजी' के नाम से संबोधित करते थे। मैं भी उन्हें बाबू जी कहने लगा। धीरे धीरे बाबू जी मेरे परिश्रम से अत्यन्त प्रभावित हुए और मैं उनके घर भी आने जाने लगा। फिर तो उनकी मुझ पर इतनी कृपा हुई कि मैं उनका अत्यन्त निकट का प्रिय भाजन बन गया और कहना यह चाहिए कि उनके परिवार के सदस्यों में मेरी भी गणना होने लगी। उन्हीं दिनों साहित्य-मवन मे ही श्री विद्योगीहरि का दर्शन करने का प्रथम बार मुझे सीमाग्य मिला। श्री विद्योगीहरि जी उन दिनों छतरपुर से प्रयाग आये थे और बाबू जी के प्रियपात्र बन गये थे। बाबू जी ने हरी जी को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य-भार सौंपा और वह सम्मेलन की सेवा में जुट गये। धीरे-धीरे बाबू जी और हरी जी में इतना घनिष्ठ संबंध हो गया, जो जीवन के अंतिम समय तक बना रहा। उन दिनों हरी जी केवल फलाहार करते थे। श्री हरी जी की प्रतिभा, निश्चल व्यवहार और साधु-स्वभाव से बाबू जी भी प्रभावित थे ही मेरे ऐसा साधारण व्यक्ति भी उनका भक्त बन गया। श्री हरी जी की कृपा और प्रेरणा से मैंने साहित्य मवन की नौकरी छोड़कर 'साहित्योदय' नामक प्रकाशन संस्था खोल कर प्रकाशन-कार्य करने लगा। हरी जी ने अपनी कई पुस्तकें मुझे प्रकाशनार्थ बिना किसी प्रकार के पुरस्कार लिये दी, जिससे मेरा कार्य चलने लगा। सम्मेलन के प्रारम्भिक दिनों में हरी जी की अर्बनिक मेबाओं का बड़ा महत्व है। सम्मेलन के निर्माण में उनकी बहु-मूल्य सेवायें कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस प्रकार गत ४० वर्ष से मैं पूज्य बाबू जी का विश्वास भाजन बना रहा मेरे जीवन में उनका वरदहस्त ही मेरा संबल रहा।

बाबूजी का अग्रस्त जीवन

'बाबूजी' इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत कर रहे थे। नगरपालिका के चेयरमैन भी थे और ये हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री। राजनैतिक तथा हिन्दी के कार्यों से तनिक भी अवकाश बाबू जी को नहीं मिल पाता था। इसका असर उनकी वकालत पर भी पड़ता था किन्तु इन्हें इसकी बिल्कुल चिन्ता नहीं थी। वकालत करते हुये भी आर्थिक अवस्था साधारण थी। बाबू जी जितने बड़े वकील थे और जितना बड़ा उनका नाम था उसको देखते हुये आधिक आय नगण्य थी। इसका कारण और कुछ नहीं स्वर्ण टंडन जी ही थे। जिस समय वह हाईकोर्ट जाते थे उस समय का उनका बाना किसी भी व्यक्ति को आकर्षित किये बिना नहीं रह सकता था। बिना दाढ़ी का सुन्दर और भरा हुआ साम्य मुख-मंडल, गमीर चेहरा, तनी हुई सुन्दर मोछें, दया और कृपा से भरी हुई सुन्दर आँखें, बन्द गले का कांट और सिंग पर महाराजाओं की-सी सुन्दर और विशाल पगड़ी मन को बिना लीचे रह नहीं सकती थी। इससे बढ़िया आकर्षक पोशाक बाबू जी ने अपने शेष जीवन में फिर कभी भी धारण नहीं किया।

बाबू जी की वकालत से सतोषजनक आय न होने से उनके घनिष्ठ मित्रों, विशेषकर घरवालों को बराबर चिन्ता रहती थी। किन्तु क्या किसी की मजाल जो उनसे कुछ कह सके। घर के बच्चे अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते थे किन्तु किसी को इस संबंध में कुछ कहने की

आवश्यकता—आर्यसोप, अंक १८११]

हिम्मत न पड़ती थी। उन दिनों मैं और टंडन जी के मुंशी जी दी ही ऐसे व्यक्ति थे जो घर का सामान वगैरह बाजार से लाया करते थे। बच्चे सब छोटे थे। जो सब से बड़े लड़के थे वह जी कांग्रेस के क्रियात्मक कार्यों में जुट गये थे। बहुआ (बाबू जी की धर्मपत्नी) से आदेशानुसार गृहस्त्री का कार्य चलता था।

बाबू जी का टमटम और घोड़ा

बाबू जी की एक टमटम थी। इसी पर चढ़कर वह हाईकोर्ट और नगरपालिका जाया करते थे। यह नित्य का कार्य था। इसके अतिरिक्त देश, समाज और हिन्दी आदि के काम के लिये स्थानीय आवागमन में भी वह उसका प्रयोग करते थे। यही उनकी एक मात्र सवारी थी। टमटम के घोड़े से बाबू जी का अत्यंत स्नेह था। वह १० वर्ष से बाबू जी के पास रहा। घोड़ा कुबकाय और दुबला-पतला था। बाबू जी उसके स्वाम्य्य की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे पाते थे। उसके खाने पीने का भी समुचित प्रबंध नहीं था। उसे देखकर मुझे बहुत तरस आती थी। कई बार मैंने सईस से कहा भी, किन्तु उसने जो जवाब दिया उसका मेरे पाम कोई जवाब नहीं था। आर्किक कष्ट घरवालों की तरह घोड़ा भी महता था। फिर भी वह था मुन्नी। दुबला-पतला था ज़रूर किन्तु उसके मुँह पर तेज था।

मैंट में प्राप्त घोड़ा

बाबू जी ने यह घोड़ा खरीदा नहीं था। यह उन्हें मैंट स्वरूप मिला था। इससे उसके प्रति बाबू जी का विशेष स्नेह था। कर्बी (बाँदा) के एक बहुत बड़े महन्त के मुकदमे में बाबू जी बकीले थे। जब वह मुकदमा जीत गये तो महन्त ने प्रसन्नतापूर्वक यह मैंट बाबू जी को आग्रह के साथ दी थी। बाबू जी ने उसे लेने से इनकार किया था, किन्तु महन्त ने बहुत अनुनय विनय किया कि मैं यह घोड़ा अपने स्वार्थ के लिये आपको दे रहा हूँ। जब तक यह आपके पास रहेगा तब तक आप मुझे याद रखेंगे। बाबू जी ने महन्त के आग्रह से प्रभावित होकर यह मैंट स्वीकार कर ली थी। बाबू जी यह अनुभव करते थे कि घोड़ा मेरे यहाँ सुखी नहीं है किन्तु वह घोड़े को सुखी रखने का प्रबंध बड़ी सजयता से करते किन्तु उनका यह प्रबंध स्थायी नहीं हो पाता था। कार्य यो ही चलता रहा।

असहयोग आन्दोलन

सन् १९२० में असहयोग आन्दोलन छिड़ा। उसमें कचहरी और स्कूल कालेजों का बन्दकाट किया गया। गांधी जी के आह्वान पर टंडन जी ने बकालत छोड़ दी और उनके बच्चों ने स्कूल और कालेज। आन्दोलन में बाबू जी का प्रमुख भाग था। इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश के वह उस समय अग्रगण्य नेता थे। आन्दोलन को सफल बनाने के लिये उन्होंने रात-दिन एक कर दिया था। प्रचार और प्रसार के लिये अनेक उपाय किये थे। असहयोग आन्दोलन की इस लहर में बाल-बुढ़-पुत्रक सभी को बहना पड़ा था।

असहयोग के प्रचार में सुर-राजराज

असहयोग आन्दोलन को सफल बनाने के लिये बाबू जी ने जो कार्यक्रम बनाया था उसमें अधिकतम व्यक्ति सेवा-भाव से कार्य कर रहे थे। शहर में एक सूर था जिसका नाम था 'रामलाल'। यह गाना बहुत अच्छा गाता था। कई बार बाबू जी को मौका मिला, असहयोग आन्दोलन पर इसका गाना सुनने का, यह गायक तो था ही किन्तु कुछ तुकबान्दी भी कर लेता था। टंडन जी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा कि आन्दोलन में गाने के द्वारा यह अच्छा प्रचार कर सकता है। बाबू जी ने मासिक वेतन पर प्रचार-कार्य के लिये कांग्रेस की ओर से उसे नौकर रख लिया। कई महीने वह प्रचार कार्य करता रहा। बीच-बीच में उसे कुछ रुपये मिल जाते थे किन्तु बहुत-सा रुपये उसका कांग्रेस के ऊपर बकाया बना रहता था।

वकालत छोड़ने के बाद बाबू जी की जो आय थी वह एक दम बंद हो गई। आर्थिक चिन्ताये बढ़ गईं। घर का साधारण जीवन भी चलाना कठिन हो गया किन्तु टंडन जी ने वीर्य नहीं छोड़ा। अपने काम पर श्रद्धा की तरह अटिग रहे। उस समय उन्हें घर की चिन्ता तो थी ही किन्तु दो चिन्तायें विशेष रूप से उनके हृदय को चुबी बना रही थी। एक तो अपने मुंशी जी की और दूसरे प्रचारक सूर रामलाल के रुपये की।

टंडन जी के मुंशी छेहीलाल जी

जैसे महान टंडन जी थे वैसे ही महान् उन्हें मुंशी जी मिला था। अत्यंत बुबला-पतला शरीर, हँसमुख भिजाज, दलालु हृदय और सच्चा तो इतना कि सैकड़ों बकीलो के मुंशियों में ईँड़ने पर भी नहीं मिल सकेगा। बाबू जी अपने मुंशी को बहुत ही स्नेह करते थे। इनके साथ मुंशी जी की आर्थिक आय पर्याप्त नहीं थी फिर भी बाबू जी के साथ अपनी प्रतिष्ठा में शोर्ट्सिडिसमडकर वह नतुष्ट थे। बाबू जी के स्वभावानुकूल कार्य करने से वह उनके अत्यंत बिश्वासपात्र थे। यह बाबू जी की वकालत का ही कार्य नहीं करते थे बल्कि घरेलू बहुत से कार्य इन्हें करने पड़ते थे। जब बाबू जी ने वकालत छोड़ दी तो मुंशी जी से कहा कि मैं तुम्हें सर तेज बहादुर सप्रू के साथ कर दूँगा, वहाँ तुम बहुत अच्छे रहोगे। मुंशी जी ने तुरंत जवाब दिया कि बाबू जी जैसे आपने वकालत छोड़ दी वैसे ही मैंने मुंशीगीरी छोड़ दी। अब मैं किसी भी बकील के यहाँ मुंशी का काम नहीं करूँगा। बाबू जी ने मुंशी जी को बहुत समझाया, दबाव डाला, डाँटा-फटकारा, लेकिन मुंशी जी ने 'न' छोड़ कर 'हाँ' नहीं किया। स्वामाधिक था कि अपने इस प्रकार के बिश्वासपात्र मुंशी की इस प्रतिज्ञा से उनकी चिन्ता बढ़ती। मुंशी जी के इस त्याग से बाबू जी का हृदय इवित हो गया। उन्होंने कठना-भरे कंठ से कहा—छेहीलाल, तुमसे मेरी आभयनी और खर्च छिपा नहीं है। मेरा हृदय कहता है कि मैं तुम्हें अपने से अलग न करूँ और मासिक इतना देता रहूँ जिससे तुम्हारे परिवार का व्यय चलता रहे किन्तु प्रबल च्छा रहते हुए भी मैं ऐसा कर सकने में कहीं तक समर्थ हूँ, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। यदि मैं यह सहायता नहीं कर सकता तो तुम्हारी बेकारी भी मैं नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारी इस स्थिति से बहुत कष्ट

आचार्य-वार्पञ्चिक, सन १८९१]

हो रहा है। मुंशी जी ने बाबू जी को संकट में पड़ा हुआ देखकर कहा कि—मुंशी का काम तो मैं अब कमी न करूँगा, यदि मेरे छोटी-मोटी नीकरी करने से आपको मेरे प्रति चिन्ता दूर हो जाये तो मैं तैयार हूँ। बाबू जी ने मुंशी छेदीलाल को नगरपालिका में स्टोरकीपर का काम थलवा दिया और कहा कि तुम इस पद पर मच्चाई के साथ काम करना, तुम सुखी रहोगे। मुंशी छेदीलाल जीवन पर्यन्त नगरपालिका, इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित स्टोरकीपर रहे। यही नहीं मुंशी के पद को हुमेशा के लिये निर्लाजलि दे देने के आदर्शमय त्याग से प्रभावित होकर तथा अपने स्नेहपूर्ण संबंध को बनाये रखने के लिये बाबू जी (५) मासिक पेंशन भी बाँध दी, जिसे बाबू जी मुंशी जी को अपने जीवन-काल तक देते रहे।

टमटम और घोड़े का समर्पण

अपने मुंशी जी से वह थोड़ा हल्के हुए फिर उन्हें सूर रामलाल के रुपये की चिन्ता पडी। प्रचारक रामलाल का रुपये का तकाजा बढ़ता गया। उसे ४००) देना था। इन दिनों बाबू जी की गिरफ्तारी की अफवाहें उठने लगी। रामलाल ने रुपये के लिये बहुत जोर दिया। उन दिनों कांग्रेस के फंड में पैसा नहीं था और न बाबू जी के ही पास एक मुस्त देने के लिये रुपया था। उससे थोड़ा-थोड़ा करके लेने को कहा गया किन्तु वह माना नहीं। बाबू जी रुपये का प्रबंध किसी अन्य से करना नहीं चाहते थे। उनके जबान हिलाने की देर थी किन्तु उन्होंने उस समय इसे उचित नहीं समझा। मैंने उसे दो-तीन दिन के लिये टाल दिया किन्तु बाबू जी को चैन नहीं। बाबू जी ने मुझसे कई बार कहा कि उसे रुपया देना ही है। तुमने कुछ सोचा? मैंने कई उपाय बताये किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तीन दिन बीत गये। एक दिन बाबू जी बहुत उद्विग्न हुए। मुझसे कहा—रामलाल आज फिर अपने रुपये के लिये आता होगा। आज मैं उसे लौटाना नहीं चाहता। मैंने एक उपाय सोचा है। मैं ४००) में अपना टमटम और घोड़ा उसे समर्पित कर दूँगा। मैं समझता हूँ वह इस पर राजी हो जायेगा।

बाबू जी के इस विचित्र निर्णय से मैं आश्चर्य चकित हो गया। खुले शब्दों में मैंने इसका विरोध किया और समीप के अन्य लोगों ने भी। मैंने उनसे कहा कि टमटम और घोड़े का मूल्य हजारों रुपये हैं। ४००) में कैसे दिया जा सकता है? उन्होंने झट कहा कि क्या तुम्हारी राय है कि इसे अन्यत्र बेच दिया जाय और उसमें से उसे ४००) दे दिये जायें? मैंने कहा—टमटम न रहने से आपको कष्ट होगा। सारा काम-काज रुक जायेगा। नगरपालिका आप प्रतिदिन कैसे जायेंगे। मेरी बातों में लक्ष्य रहते हुये भी वह मुझसे सहमत नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि—टमटम बेचने का कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे वह रामलाल के हाथ हो या अन्य के। मैं तो रामलाल की सेवाओं के रूप में इसे समर्पित करना चाहता हूँ। जितना रुपया उसे चाहिये उसमें अधिक का सामान पाने पर उसे प्रसन्नता ही होगी।

बाबू जी अपने निश्चय पर अड़े रहे। किसी की भी बात उन्होंने नहीं सुनी। रामलाल के आने पर बाबू जी ने कहा—देखो रामलाल, इस समय तो रुपये का प्रबंध नहीं हो सका है।

में तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुमने जो सेवा की है उसके उपलब्ध में मैं अपना हज़ारों रुपये के मूल्य का टमटम षोड़ा-सहित तुम्हें समर्पित कर देना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? रामलाल अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला कि बाबू जी, यह मेरा वन्य भाग्य है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बाबू जी ने तुरंत टमटम और षोड़ा उसे समर्पित कर दिया। टमटम देते समय बाबू जी षोड़े के मुँह के पास गये। उसे सहलाया। हम लोगों ने देखा उनकी आँखों में आँसू थे, रामलाल टमटम लेकर अपने आदमी के साथ चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबू जी ने उस दिन भोजन नहीं किया। अजीब उलझन के साथ मीन रहकर सारा दिन व्यतीत किया।

क्या किसी नेता को आप ऐसा पायेंगे कि संस्था के कर्ज को अपना कर्ज समझे, उसकी अदायगी अपने पास से करे? सेवा-पुरस्कार के नाम पर ४००) के बदले हज़ारों रुपये की अपनी श्रिय और रात-दिन काम में आनेवाली वस्तु को कौन समर्पित करेगा? ऐसी घटनायें टंडन जी के आदर्श को उच्च बनाती हैं और उनकी सच्चाई और उदारता में चार-चाँद लगा देती हैं।

टंडन जी टमटम देखकर खुशी

रामलाल टमटम ले गया। वह प्रतिदिन टमटम पर चढ़कर शहर में घूमता। कमी-कमी टंडन जी के जानसेनगंज वाले मकान के सामने से भी निकल जाता। टंडन जी की टमटम को बहुत लोग पहचानते थे, विशेषकर मोहल्ले के लोग। उस समय यह बात अक्सर में भी छप गई थी। जो देखता यही कहता कि टंडन जी ने इसके काम से खुश होकर अपनी टमटम इसे पुरस्कार में दे दी। रामलाल भी सब से यही कहता।

एक दिन टंडन जी अपने बारजे पर खड़े थे। उसी समय टमटम सामने से निकली। उसे देखकर उनकी आँखें भर आईं और वह बारजे पर से कमरे के अंदर चले गये। एक दो करके मकान के नीचे और अगल-बगल के दूकानदारों में यह खबर फैल गई कि टंडन जी अपनी टमटम देखकर रो पड़े। लोगों में रोष पैदा हुआ और कहा कि यदि अब इधर से टमटम आई तो उसकी मरम्मत कर दी जायगी।

एक दिन मड़क पर मीड़ लगी थी। टमटम खड़ी थी। जनता ने सूर रामलाल को बेर लिया था। उससे कहा कि एक तो तुमने यह नीचता की कि बाबू जी की टमटम ले ली और दूसरे तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम उनके सीने पर इसे चला रहे हो! उसने क्षमा याचना की और कहा कि आप लोग इस सड़क पर क्या इलाहाबाद में अब इस टमटम को न देखेंगे। फिर तो रामलाल टमटम-सहित इलाहाबाद छोड़ कर न मालूम कहाँ चला गया।

बाबू जी को १८ महीने की सजा

बाबू जी आन्दोलन का कार्य चलाते रहे। नगरपालिका वह किराये की सबारी पर जाते। वायकाट के कारण हाईकोर्ट का जाना तो बन्द ही था। आन्दोलन की प्रगति को देखकर
आजराज-आर्गनाईज, अंक १८११]

सरकार बबड़ा गई। गिरफ्तारियाँ आरंभ हो गईं। टटन जी को सरकार कैसे बाहर रहने देती। ७ दिसम्बर १९२१ को पहिली बार सरकार ने उन्हें अपना मेहुमान बना लिया। इन्हें डेढ़ साल का कारावास का दण्ड मिला। बाबू जी के चरित्र, व्यक्तित्व और सेवाओं का जनता पर असीम प्रभाव था। बाबू जी के जेल जाने के बाद आन्दोलन ने और और पकड़ा। लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई।

जेल जाने के बाद

बाबू जी जेल चले गये। जब से बाबू जी ने वकालत छोड़ी थी तभी से घर की आर्थिक अवस्था चिन्तनीय हो गई थी। जेल जाने के बाद आर्थिक दशा और बिगड़ गई। बाबू जी के बच्चों को जो कष्ट था उसे न लिखना ही उचित जान पड़ता है। उन दिनों मैं भी बाबू जी के परिवार का एक सदस्य था। बड़े लड़के स्वामीप्रसाद जी कालेज छोड़ चुके थे और साहित्य भवन लिमिटेड के बहुत अल्प वेतन पर मीनेजर हो गये थे। यह साहित्य भवन पहले ५० रामनरेश त्रिपाठी का था। बाबू जी ने इसे लिमिटेड कंपनी बना दिया था। थोड़े दिनों के बाद त्रिपाठी जी का इस सन्धा से सबब-विच्छेद हो गया। टटन जी के मामा बाबू सूरजप्रसाद लख्ना १-तकी देखरेख करते थे। उनके ही आग्रह से स्वामीप्रसाद जी ने साहित्य भवन में कार्य करना स्वीकार किया था। शेष बच्चों में कुछ आन्दोलन के छोटे-मोटे कार्यों में समय बिताते और कुछ खेल-कूद में। बच्चों की देख-रेख जैसा कि बाबू जी जेल जाते समय कह गये थे—मैं करता रहा। उन्हें किस्से कहानी सुनाता, कुछ पढ़ाता और कुछ चुमाता। मुख्य ध्यान मेरा यह था कि बच्चे कुपंगति में न पड़ने पायें। बच्चे मुझसे बहुत ही हिले-मिले थे। बड़े लड़कों की दिनचर्या का भी व्यवस्थापन मैं अपने ढंग से करता रहा।

बाबू जी की धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रमुखीदेवी (बहुआ) इन दिनों जिस चैर्य के साथ घर की संचालनी रहीं। वह चित्र आज भी मेरी आँखों के सामने है। पूरे महीने का खर्च वह केवल १००) में चलाती थी। २० मासिक बाबू जी के पास धनिष्ठ मित्र श्री सांबलदास लखा और ३०) मासिक श्री माधो प्रसाद जी सत्सगी के भाँजा कक्को देते रहे। बाबू जी का कुछ रुपया इन दोनों व्यक्तियों के पास अमानत के रूप में जमा था। बहुआ को यह बात मालूम थी। उन्होंने यह समझकर स्वीकार किया था कि बाबू जी ने ही अपने रुपये में से यह प्रबंध कर दिया होगा। इस ५०) मासिक के अतिरिक्त बड़े लड़के भी स्वामीप्रसाद जी ४०) मासिक देते रहे। शेष बहुआ अपने पास से मिलाकर किसी प्रकार घर का संचालन करती रहीं।

बाबू जी का स्वाभिमान बहुत ऊँचा था। इन्होंने सहायता के लिये कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। चाहे जितना कष्ट क्यों न हो वह किसी की भी सहायता स्वीकार नहीं करते थे। जेल जाने के बाद बाबू जी के मित्रों ने आर्थिक सहायता का प्रबंध किया किन्तु बहुआ और बाबू जी के बड़े लड़के ने इसे स्वीकार नहीं किया। कष्ट का अनुभव करते हुए भी

इन लोगों ने किसी से कोई सहायता नहीं ली। पूज्य मालवीय जी, जो टंडन जी को पुनश्चत् मानते थे, वह भी सहायता देने में असफल हुये।

बंबई के सेठ जमनालाल बजाज

सेठ जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के अनन्य भक्त थे। महात्मा जी के प्रभाव से प्रेरित होकर इन्होंने अपना सारा जीवन देश-सेवा में लगा दिया था। गांधी जी के साथ वह भी असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े थे। शरीर ही नहीं, लाखों रुपयों की संपदा भी उन्होंने आन्दोलन को सफल बनाने में लगा दी थी। सेठ जी ने लाखों रुपयों का एक फंड वकीलों की सहायता के लिये निर्धारित किया था। समाचार पत्रों में यह बराबर प्रकाशित होता रहा कि जो वकील असहयोग आन्दोलन में अपनी बकालत छोड़ेगा उसे सेठ जी की ओर से १००) मासिक दिया जायगा। कितनों ही ने इस सहायता के लिये सेठ जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की। कितने वकीलों ने इस सहायता को स्वीकार किया। सेठ जमनालाल जी टंडन जी को अच्छी तरह जानते थे। उनके हृदय में बाबू जी के लिये बहुत ऊँचा स्थान था। बाबू जी के बकालत छोड़ने के बाद सेठ जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। सेठ जी ने दो हजार रुपये और अपना पत्र, अपने विशेष व्यक्ति श्री महावीर प्रसाद पोद्दार के हाथ इलाहाबाद भेजा। वह घर पर आये। सेठ जी का निवेदन था कि यह दो हजार रुपये सहायता के रूप में स्वीकार कर लिये जायें, इसके अतिरिक्त २००) प्रतिमाह सहायता भेजने का आश्वासन था। लेकिन बहुधा और बाबू जी के बड़े लड़के श्री स्वामीप्रसाद जी ने इस सहायता को स्वीकार नहीं किया। पोद्दार जी ने अत्यंत अनुनय-विनय किया। किन्तु सब व्यर्थ हुआ। उनसे स्पष्ट कहा गया कि बाबू जी की आज्ञा के बिना मैं इस पैसे को लेने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। १० दिन प्रयत्न करने के बाद पोद्दार जी ने लखनऊ जेल जाकर बाबू जी से स्वीकृति लेने की प्रबल प्रवृत्ति व्यक्त की। प्रति रविवार को बाबू जी से भेंट करने का नियम था। मुझे पोद्दार जी के साथ जाना था। शनिवार की रात को हम दोनों चलकर दूसरे दिन सुबह लखनऊ पहुँचे। सीधे जेल गये। कुछ बेर प्रतीक्षा के बाद मिलनेवाले लोग अन्दर बुलाये गये। मैं जेल में बाबू जी से मिलने पहली बार गया था।

जेल के फाटक के भीतर थोड़ी दूर पर एक लंबी लाइन सैकड़ों राजनीतिक कैदियों की बैठी थी। जो जिससे मिलना चाहते थे वे उन्हें उसी लाइन में ढूँढ़ने लगे। मैं भी बाबू जी को ढूँढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, पीछे से आवाज आई—भवानी! मैं पीछे लौट पड़ा, परिचित आवाज के सहारे। बाबू जी तथा उनके घर के लोग मुझे मेरे जाये नाम से ही संबोधित करते थे। उनकी परिधि में मैं 'भवानी' नाम से ही परिचित था और हूँ। हम दोनों ने बाबू जी का चरण-स्पर्श किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया।

मैं विस्मय के साथ बाबू जी को देखता रहा। उन्होंने कहा—दाढ़ी के कारण क्या तुमने पहचाना नहीं? हाँ, बाबू जी! अब आप जेल जाये थे तो दाढ़ी नहीं थी। मुझे माफ़

आवाज—भारतीय, वर्ष १८९१]

भी नहीं था कि आपने दाढ़ी रखा ली है। लंबी दाढ़ी और लंबे बालों के बीच बाबू जी का वेदीप्यमान मुखमंडल महर्षियों की भाँति शोभायमान था। पाँच मिनट के भीतर उनसे मिलनेवाले अन्य लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों के हाथों में मैंने फल की टोकरियाँ देखीं। मैं भी कुछ फल ले गया था।

मैंने अपने साथी श्री पोद्दार जी का परिचय देते हुये उनकी इच्छायें बताईं। बाबू जी ने उनसे स्वयं बातें कीं और सेठ जी का पत्र भी देखा। बाबू जी ने बड़े विनम्र शब्दों में पोद्दार जी से कहा कि मेरी ओर से मेरे भाई जमनालाल जी को बहुत धन्यवाद देना और कहना कि मुझे इसके लिए वह क्षमा करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने पोद्दार जी से यह भी कहा कि—मैं अठारह आना प्रति दिन जेल से पाता हूँ। इसमें अपने ऊपर केवल छः आने व्यय करता हूँ। शेष पैसे मैं उन कैदियों को दे देता हूँ जो मेरे पास मेरे कार्य के लिये भेजे जाते हैं। यही कैदी इस समय मेरे परिवार में हैं इनकी चिन्ता मैं यथाशक्ति दूर करता हूँ। इनके अतिरिक्त आर आसमान और तोषे जमीन को छोड़कर और मेरे कोई नहीं है। घर के बच्चों की रक्षा करनेवाला इस समय ईश्वर है, मुझे उनकी चिन्ता नहीं है। पोद्दार जी ने बहुत प्रार्थना की किन्तु बाबू जी ने रुपये केना स्वीकार नहीं किया और यह भी कहा कि से जी से कहियेगा कि वह मेरे घर पर मासिक सहायता भेजने का कष्ट न करें। हम तो जेल से बाहर आये। पोद्दार जी ने कहा कि टंडन जी मनुष्य नहीं देवाधि हैं। ऐसा सच्चा और त्यागी पुरुष सप्तर में मिलना दुर्लभ है।

पुनः वकालत न करने का निश्चय

महात्मा गांधी ने चौरी-चौरा कांड के कारण असहयोग आन्दोलन स्वगित कर दिया। जिन वकीलों ने वकालत छोड़ दी, उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद अपनी वकालत पुनः आरम्भ कर दी किन्तु टंडन जी जब जेल से बाहर आये तो उनके सामने विकट समस्याएँ उपस्थित हो गईं। उनको आर्थिक कठिनाइयाँ सीमा पार कर रही थी, फिर भी वह पुनः वकालत आरम्भ करने के लिये तैयार नहीं हुए। मित्रों के अनुनय विनय को बाबू जी ने अस्वीकार कर दिया। उनके एक लघोटिया वकील दोस्त श्री नवाबबहादुर ने वकालत करने के लिये मजबूर किया। बाबू जी ने कहा—कानून की सारी पुस्तकें अपने दामाद को प्रदान कर चुका हूँ। टमटम सूर रामलाल को पहले ही दे दिया था। न किताबें हैं, न सवारी। वकालत कैसे हो सकती है। मित्र वकील ने कहा कि तुम स्वीकृति दो, कल सुबह तुम्हारे कमरे में पुस्तकें लग जायेंगी और सवारी दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। टंडन जी बिलखिला कर हँस पड़े, और कहा—नवाबबहादुर ! जिस वस्तु को त्याग चुका उससे ममता क्या ? तुम अब मुझे वकालत के लिये मजबूर न करो।

बाबू जी का वकालत न करने का विचार बिलकुल दृढ़ हो गया और वह कांग्रेस के कार्यों में जुट गये। सन् १९२३ में बाबू जी प्रान्तीय कांग्रेस गोरखपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये और इसी वर्ष कानपुर में होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १३ वें अधिवेशन के समापति।

बा० शिवप्रसाद गुप्त का आचमन

टंडन जी के लड़कों ने तो आन्दोलन समाप्त होने के बाद स्कूल-कालेज जाता प्रारंभ कर दिया किन्तु घर की आर्थिक दशा का कोई हल न निकला । अजीब अवस्था थी उस समय की । संस्वार्ये, मित्रगण, नेतागण सभी आर्थिक सहायता देने को लालायित थे । किन्तु टंडन जी ने अपने त्याग की इतिश्री कर दी । बहुत से लोग समझते हुये झूझला उठते थे, बहुत से लोग उन्हें जिद्दी कहते थे, बहुत से लोग उनकी सत्यता और न्याय की महानता पर मिर झुकाते थे । उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी किन्तु परवाह थी उनके मित्रों को, नेताओं को और जनता को । टंडन जी के आर्थिक कष्ट की चर्चा उनके आत्मीयजनों के कष्ट का कारण बन गई थी । बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आरम हो जाने से व्यय और बढ़ गया था ।

काशी के बाबू शिवप्रसाद गुप्त आये । बाबू जी के यहाँ रहे । इनका और बाबू जी का आत्मीय संबंध था । यह टंडन जी को दहा (बड़े भाई) फहा करते थे । गुप्त जी को स्थिति का पहले ही से पता था । बाबू जी के पुत्र वकालत आरंभ न करने की बात जब गुप्त जी को माझम हुई तो वह अस्थन दुखी हुए । बाबू जी का आर्थिक कष्ट उनकी आँसों के सामने नमन नृत्य करने लगा और वह उद्विग्न होकर प्रयाग आ पहुँचे । स्थिति स्वयं देखी, वह विह्वल हो उठे । उनकी हार्दिक इच्छा थी कि बाबू जी वकालत आरम कर दें । इस संबंध में उनकी बातचीत निष्फल हुई । वकालत के अलावा अन्य कुछ कार्य के लिये गुप्त जी ने प्रेम-पूर्ण शब्दों में उन्हें नवीकृत दी । झूझलाये भी, किन्तु बाबू जी ने कहा कि—क्या तुम चाहते हो । कि मैं बनिया की दूकान खोलकर बैठूँ । गुप्त जी ने उत्तर दिया—यदि आप वकालत नहीं करना चाहते तो कोई अच्छी, ऊँची नौकरी ही कर लें । स्वीकृति मिलने पर मैं ठीक कर दूँगा, किन्तु बाबू जी ने स्वीकार नहीं किया । गुप्त जी ने प०मांतीलाल नेहरू से इस विषय में बाने की । नेहरू जी ने कहा—मैं बहुत समझा चुका हूँ । कोई असर नहीं पडा है । मैंने लाला जी को बुलाया है । कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा । उनके घर के लोग भी टंडन जी की आज्ञा के बिना आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करते । गुप्त जी ने कहा—मैं जानता हूँ किन्तु जैसे भी हो इस समस्या को हल करना चाहिये । मैं हर प्रकार की सहायता के लिये तैयार हूँ ।

आपह पर १०००) रुपये

बाबू शिवप्रसाद गुप्त जब काशी के लिये प्रस्थानकरने वाले थे तो बाबू जी को वह एक हजार रुपये देने लगे । बाबू जी ने लेने से इनकार किया । शिवप्रसाद जी अड़ गये और कह इस समय बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि के लिये रुपयों की विशेष आवश्यकता है । आपको कोई चिन्ता नहीं है । मैं आपको 'दहा' कहता हूँ और बड़े भाई के समान पूजता हूँ । वह मेरे भी बच्चे हैं । मैं आपकी नहीं दे रहा हूँ, अपने बच्चों को दे रहा हूँ । आपको इसमें बिलकुल आपत्ति नहीं करनी चाहिये । अपने छोटे भाई का इतना निरादर, छोटी सी प्रार्थना अस्वीकृत, यह मेरे लिये ठीक नहीं है दहा । आत्मीयता में इतना विलगाव करने की आपसे आशा नहीं थी ।

काशी—मार्च १९११]

मुझे आदेश दीजिये कि मैं यह रुपया बच्चों के लिये घर में दे दूँ। टंडन जी अपने छोटे भाई गुप्त के स्नेह-पूर्ण स्निहकार से इवित हो गये। उन्होंने गुप्त जी से कहा कि मैं इस रुपये को एक शर्त पर स्वीकार कर सकता हूँ कि जब मेरे पास हो और मैं दूँ तो तुम्हें लेना होगा। गुप्त जी ने सहर्ष कहा कि मैं तो क्याज सहित लूंगा—छोड़ूंगा नहीं, बड़े भाई से पाने में मुझे प्रसन्नता होगी। बाबू जी ने एक हजार रुपया बतौर उधार के स्वीकार कर लिया।

पंजाब नेशनल बैंक

बोड़े ही दिनों बाद लाला लाजपत राय का प्रयाग में आगमन हुआ। स्थिति को समझने के बाद लाला जी ने पंजाब नेशनल बैंक लाहौर के संयुक्त मंत्री का कार्यभार सँभालने के लिये टंडन जी को निवश किया। टंडन जी के हृदय में लाला जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विवश हो कर टंडन जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। कुछ ही दिनों बाद वे बैंक के मंत्री चुन लिये गये। यह लिखना अनुचित न होगा कि बाबू जी ने प्रथम मास के वेतन से बाबू शिवप्रसाद गुप्त का एक हजार रुपया भेज दिया था। अपने एक आत्मीय मित्र का भी पैसा उनके ऊपर बोझ स्वरूप था।

सन् १९२५ से १९२९ तक बाबू जी पंजाब नेशनल बैंक का कार्य करते रहे। इन ५ वर्षों के बीच बाबू जी का आवाहन देश के कार्य के लिये कई बार हुआ किन्तु इन्होंने राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भाग नहीं लिया। उनका यह मत था कि वेतनभोगी व्यक्ति को अपना समय अन्य कार्यों में लगाना उचित नहीं। देश के कार्य के लिये जब दनकी माँग होती तो वह विचलित हो जाते। कई बार इन्होंने बैंक के कार्य से मुक्ति चाही, किन्तु लाला लाजपतराय ने इन्हें मुक्ति देने के बजाय यह म्वतव्रता दी कि वह जब चाहें राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकते हैं किन्तु इसे बाबू जी ने बैंक के साथ अन्याय समझा और ५ वर्ष तक राजनीतिक-कार्यों से अलग रहे। हाँ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में वह बराबर भाग लेते रहे।

लोक सेवक-मंडल

लाला लाजपतराय ने लोक सेवक मंडल (सर्वेंट्स आफ दी पीपुल सुसाइटी) की स्थापना की थी और अभी तक उसके सभापति थे। नवम्बर १९२८ में जब लाला जी का स्वर्गवास हुआ उस समय यह प्रश्न उठा कि लोक सेवक-मंडल के सभापति का भार कौन ग्रहण करे। मंडल ने सभापति चुनने का भार गांधी जी को दिया गया। गांधी जी ने यह निर्णय दिया कि इस पद के लिये टंडन जी से बड़कर और कोई व्यक्ति हमें नहीं दीखता। टंडन जी के सामने अभी भी आर्थिक समस्या थी। वह बैंक से तेरह सौ रुपये मासिक पुरस्कार पा रहे थे। उनके ऊपर एक बड़े कुटुम्ब का भार था, फिर भी वह गांधी जी की इच्छा को टाल न सके। बैंक की नौकरी से तुरंत तिलांजलि दे दी और लोक सेवक-मंडल का सभापति होना स्वीकार कर लिया।

बैंक से मुक्ति लेकर बाबू जी ने सन् १९२९ में लोक सेवक-मंडल के समापति का कार्यभार संभाला। जीवनपर्यन्त यह मंडल के समापति रहे। अपने समापतित्व काल में टंडन जी ने दिल्ली में लाजपतनगर बसाया और उसके अंतर्गत लोक सेवक-मंडल के कई भवनों का निर्माण करवाया जो दिल्ली का एक दर्शनीय स्थान बन गया है। इलाहाबाद में भी बाबू जी ने लोक सेवक-मंडल की शाखा स्थापित की। यहाँ लाजपत-भवन का निर्माण कराया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बाद बाबू जी की प्रिय और महत्वपूर्ण संस्थाओं में लोक सेवक-मंडल का ही नाम था।

राष्ट्रीय आन्दोलन में व्यस्त

बैंक बचन से मुक्त होकर बाबू जी सन् १९३० में पुनः प्रयाग आ गये और पूर्ववत् राजनीतिक कार्यों में लग गये। विविध दिशाओं में कार्य आरम्भ किया। १९३० में उन्होंने 'किसान संघ' की स्थापना की। जमीन्दारी उन्मूलन का कार्य सर्वप्रथम बाबू जी ने ही आरम्भ किया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी पूरा सहयोग दिया। प्रयाग में क्रास्थवेट रोड की अपनी भूमि पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस भूमि पर जो भकान बना उसका नाम बाबू जी ने 'तपो-भूमि' रखा। उत्तर प्रदेश के सत्याग्रह आन्दोलन के सचालक टंडन जी ही रहे। इन्होंने विदेशी कपड़ों पर पिकेटिंग का सफल प्रबंध किया। परिणाम स्वरूप बहुत से दूकानदारों ने विदेशी कपड़ा बेचना बन्द कर दिया। किसान आन्दोलन में वह पुनः गिरफ्तार हुए। लम्बी जेल यातना सही। १९३० में बन्नी जेल में, १९३१ में गोंडा जेल में तथा १९३२ में गोरखपुर जेल में रहे। लगान बन्दी तथा जमीन्दारी प्रथा को मिटाने के आन्दोलन में बाबू जी को उपयुक्त यातनायें भोगनी पड़ीं। जमीन्दारी प्रथा के मिटाने का कार्य बाबू जी ने आरम्भ किया और सरदार पटेल ने इस कार्य को अंतिम रूप दिया।

विधान सभा के अध्यक्ष

सन् १९३६-३७ में बाबू जी विधान सभा की सदस्यता के लिये खड़े हुये और निर्विरोध चुने गये। यही नहीं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में अमृतपूर्व सफलता मिली। यह टंडन जी के ही प्रयत्न का फल था। चुनाव के बाद मंत्रि-मंडल ने सर्वसम्मति से टंडन जी को विधान सभा का अध्यक्ष चुना। विधान सभा के अध्यक्ष पद से बाबू जी ने जो कार्यकिया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। कांग्रेस के सदस्य रहते हुए भी जो न्यायप्रियता बाबू जी ने दिखाई, उसकी प्रशंसा उत्तर प्रदेश क्या सारे भारत में हुई। महात्मा गांधी ने कई स्थानों में कहा कि पुरुषोत्तमवास टंडन अध्यक्ष पद से जो कार्य कर रहे हैं उसे देख-सुनकर वी० जे० पटेल की याद आती है। 'यम इंडिया' में गांधी जी ने लिखा था कि 'ऐसे ही त्याग और साहसपूर्ण कार्यों से राष्ट्र का निर्माण होता है।' टंडन जी की निष्पक्षता पर विरोधी दल को कभी कोई संदेह करने का अवसर नहीं मिला। इनके निर्णय सर्वमान्य होते थे। विरोधी दल को इनमें अटूट विश्वास था।

आचार्य-सर्वसौम्य, एक १८९१]

असेम्बली की कार्यवाही हिन्दी में करने का जो निर्णय अध्यक्ष के रूप में टंडन जी ने दिया, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था। यह एक बहुत बड़ा निर्णय था। इससे टंडन जी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी और उनके इस कार्य से अध्यक्ष-पद की प्रतिष्ठा में चार-चाँद लग गये।

सन् १९४० से १९४२ तक का आन्दोलन भारत में क्रांति का आन्दोलन था। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिये गांधी जी ने आन्दोलन सत्याग्रह के रूप में चलाया। टंडन जी १९४० में नजरबन्द किये गये और लगभग १ वर्ष तक जेल में रहे। इसके बाद 'भारत छोड़ो' का विशाल आन्दोलन छिड़ा। ९ अगस्त १९४२ इतिहास का महत्वपूर्ण पृष्ठ बना। गांधी जी तथा देश के प्रमुख नेतागण गिरफ्तार हुये। टंडन जी ऐसे समय में बाहर कैसे रह सकते थे। नौकरशाही के हृदय में वह काँटे की तरह चुभ रहे थे। इन्हें ८ अगस्त को ही जेल पहुँचाया गया। लगभग २ वर्ष के बाद वह जेल से मुक्त हुए। टंडन जी की यह अंतिम जेल-यात्रा थी। देश के लिये इन्हें कुल सात बार जेल-यात्रा भोगनी पड़ी। टंडन जी सन् १९४६ में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य तथा सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष चुने गये। विधान सभा पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव था।

टंडन जी विभाजन के प्रबल विरोधी थे। विधान सभा के अध्यक्ष पद से इन्होंने सांप्रदायिकता और मुसलिम लीग के विरुद्ध कई बक्तव्य दिये। इस पर मुसलिम लीग-दल विरुद्ध हो गया। टंडन जी ने जब सोचा कि इस पद पर रहते हुये अपने विचारों को प्रकट करना उचित नहीं जान पड़ता तो बिना किसी हिवक के इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। देश विभाजन के विरुद्ध अपनी आवाज को अध्यक्षपद के गोंम से रोकना उनसे लिये सहज नहीं था। देश के लिये इन्होंने अध्यक्षपद स्वीकार किया था और देश के लिये ठकरा भी दिया। टंडन जी के इस त्याग को कभी मूल्या नहीं जा सकता। मूले जहाँ तक याद है त्यागपत्र के बाद इनके पास बवाइयो का तौना लग गया था। ऐसी ही दुःखता के साथ टंडन जी ने मविधान-परिषद में हिन्दी-राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठाया था। इस विषय पर वाद-विवाद के साथ बड़ा ही मतभेद हुआ किन्तु टंडन जी की दृढ़ता का ही फल था कि हिन्दी सर्वसम्मति से देश की राष्ट्रभाषा मानी गई। टंडन जी ने अपने इस कार्य से भाग्य की प्रतिष्ठा को अमर बना दिया है।

भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष

सन् १९५० में टंडन जी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। इस चुनाव में अत्यन्त कटुता बढ़ गई थी। पं० जवाहरलाल की विचार धारा इनके विरुद्ध थी किन्तु सरदार पटेल इनके पूर्ण समर्थक थे। टंडन जी की विजय हुई किन्तु सभापतित्व काल में मतभेद ही रहा। पं० जवाहरलाल नेहरू रफीअहमद किदवाई तथा श्री मोहनलाल गौतम के संबंध में हठपूर्वक कुछ बातें स्वीकार कराना चाहते थे। टंडन जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप पं० जवाहरलाल ने कार्यसमिति में त्यागपत्र दे दिया। समिति में सदस्यों की अधिक संख्या टंडन जी के पक्ष में थी। वे चाहते थे कि त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाय किन्तु दूरदर्शी और त्यागी

टंडन जी ने ऐसा करना देना के लिये उचित नहीं समझा। टंडन जी ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया और उनके स्वान पर पडित नेहरू सभापति चुन लिये गये। पडित जी ने टंडन जी को अपनी कार्यसमिति में रखा।

टंडन जी के त्यागपत्र पर तथा उनकी कार्यसमिति की मददस्यता पर भारत में बड़ी हलचल मच गई। किसी ने कहा पं० जवाहरलाल नेहरू ने टंडन जी की राजनीतिक सेवाओं की हत्या की है। किसी ने कहा कि टंडन जी डर गये और उन्होंने जवाहरलाल जी की कार्यसमिति में रहना स्वीकार कर लिया। अतः टंडन जी को अपने भाषणों द्वारा जनता में यह विश्वास पैदा करना पड़ा कि मैंने जो कुछ भी किया है वह देण के लिये, भयदण नहीं, कर्त्तव्यवश। मूझे अच्छी तरह याद है कि त्यागपत्र के बाद जब टंडन जी प्रयाग आये तो पुरुषोत्तमदास टंडन पार्क में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उसमें टंडन जी का भाषण हुआ था। जनता ने उनके समक्ष कई प्रश्न रखे थे। प्रश्नों की झड़ी लग गई थी। टंडन जी ने अपने गंभीर भाषण में जनता को यह विदवासा दिलाया कि भय नामक कोई वस्तु मेरे शरीर के भीतर ईश्वर ने बनायी ही नहीं। मैं जो कुछ करता हूँ वह कर्त्तव्य से प्रेरित होकर।

लोक सभा तथा राज्य-सभा के सदस्य

दो वर्ष बाद सन् १९५२ में लोक सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। टंडन जी इलाहाबाद नगर क्षेत्र से चुने गये। उनके लोक-सभा में जाने से हिन्दी का विशेष बल मिला। टंडन जी के अनेक महत्वपूर्ण भाषण लोक-सभा में हुये। इनके कुछ भाषणों का मशहूर पुस्तकाकार 'शासन-पथ-निर्दर्शन' के नाम से प्रकाशित हुआ है।

सन् १९५६ में टंडन जी उत्तर प्रदेश से 'राज्यसभा' के सदस्य चुने गये। कुछ दिनों बाद बाबू जी का स्वास्थ्य गिरने लगा, फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह देश-सेवा में लगे रहे। प्रयत्न करने पर भी उन्हें अपनी पुरानी क्षक्ति प्राप्त न हो सकी। निर्वलता के कारण उनका स्वास रोग उन्हें अधिक कष्ट देने लगा। उनका दिल्ली जाना-आना बंद हो गया। यह अपने पाँचवें पुत्र डाक्टर आनंदकुमार टंडन के साथ कल्याणीदेवी पर रहने लगे। कुछ समय पश्चात् अपनी बीमारी के कारण टंडन जी ने राज्यसभा से त्याग पत्र दे दिया। यही उनके क्रियात्मक राजनीतिक जीवन का अन्त सा हो गया किन्तु उनका देश-चिन्तन चारपाई से चिपटा ही रहा।

सार्वजनिक अभिनंदन

सन् १९६० में बाबू जी की बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। जिस समय दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा अभिनंदन की चर्चा छिड़ी उन दिनों बाबू जी साधारण-तौर से अपना काम कर लेते थे। श्राव आदि में वह दूसरों की सहायता नहीं लेते थे। उस समय उनमें कुछ पुद्वार्थ था। दिल्लीवाले अभिनंदन ग्रंथ दिल्ली में ही भेंट करना चाहते थे किन्तु

अन्वय-मार्गदर्शक, एक १८९१]

कहीं बाहर जाने की उनमें शक्ति नहीं थी। इसीलिए अभिनंदन का आयोजन प्रयाग में ही किया गया। यह दूसरा प्रयत्न था बाबू जी को अभिनंदन-बंध मेंट करने का। पहले कुछ महानु-साधियों ने यह आयोजन करना चाहा था। कामेटियाँ बन गई थी। कार्य प्रारंभ होने वाला था किन्तु टंडन जी ने अपने आग्रह से यह कार्य आगे बढ़ने से रोक दिया। लोग हताशाही हो गये और कार्य रुक गया था।

दूसरे प्रयत्न में बाबू जी को विवश होना पड़ा। दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने श्री लालबहादुर शास्त्री को अग्रणी बनाकर जिस व्यूह की रचना की उसमें टंडन जी फँस गये। ऐसे ब्राह्म सम्मान के कार्यों से टंडन जी को स्वामाविक विरक्ति थी किन्तु संस्था के सामने व्यक्ति की प्रधानता नहीं रह गई। टंडन जी स्वयं कहते थे कि व्यक्ति से संस्था बड़ी होती है। आज यह प्रयत्न ही गया। बाबू जी संस्था के कर्णधारों के अनुनय विनय को टाल न सके। श्री लालबहादुर शास्त्री जिस काम में अग्रणी हो उसमें बाबू जी की अस्वीकृति ही ही कौमि मकनो है और उसपर यह जानकर कि राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद प्रबंध-समर्पण करने के लिये अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। टंडन जी ने मौन रूप में अपनी स्वीकृति दे दी।

समारोह का अन्ध आयोजन

२३ अक्टूबर १९६० दिन रविशान को ५ बजे म्योर मेन्ट्रल कालेज के विस्तृत मैदान में अभिनंदन पंच समारोह का आयोजन किया गया था। इस महान अवसर पर राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, देश के अनेक अग्रणी नेता, कवि, लेखक, कलाकार, हिन्दी सेवी और नागरिकों के अनिश्चित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय एवं राज्यमंत्री आये थे। महामहिम राज्यपाल भी पत्रारे थे। समारोह की विशेष व्यवस्था की गई थी। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे महाकवि श्री मुमित्रानंदन पंत।

समा-स्थल में ४१ बजे के लगभग टंडन जी पहुँचे। जिस कार में वह आये उसमें श्री लालबहादुर शास्त्री, डाक्टर आनंदकुमार टंडन (बाबू जी के पुत्र) और उनका सेवक भी था। शास्त्री जी आगे, डाक्टर साहब बाबू जी के सिग्नाने और मैं उनके पाँवों के पास बैठा था। बाबू जी का मिर उनके पुत्र के जधों पर और वैर मेरे जधों पर थे। बाबू जी को कार से स्टूँबर पर मच तक ले जाना पड़ा। विशाल जनता की उपस्थिति यह प्रकट करती थी कि टंडन जी के प्रति लोगों में कितनी श्रद्धा है, किनना आदर है। यह समारोह टंडन जी की महानता का द्योतक था। राष्ट्रपति द्वारा टंडन जी का सम्मान देखकर उपस्थित जनता भाव-विभोर हो रही थी।

उन जी में भाषण करने की शक्ति नहीं थी फिर भी उन्होंने धर से चलते-चलते एक छोटे में कागज पर कुछ वाक्य लिखे थे। यही उनका संक्षिप्त और अंतिम भाषण था। इस छोटे से भाषण में टंडन जी की आंतरिक वेदना की झलक थी। प्रशासन के प्रति जनता के राजनीतिक

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कष्टों की कावणिक उलाहना थी और श्री टंडन जी के हृदय की व्यथा।

राष्ट्रपति द्वारा सम्मान

अभिनंदन-महोत्सव के बाद केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। टंडन जी की देश, समाज और हिन्दी की सेवा तथा उनकी महान योग्यता, उज्ज्वल चरित्र, आदर्श विचारों से प्रभावित होकर केन्द्रीय सरकार की ओर से राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद द्वारा सन् १९६१ में बाबू जी को 'भारतरत्न' की उपाधि से विभूषित किया गया। बीमारी के कारण इस उपाधि के उन्मव में बाबू जी दिल्ली नहीं जा सके थे, अतः इन्हें प्रयाग में ही यह उपाधि प्रदान की गई थी।

सन् १९६१ में बाबू जी का रोग अनाध्य बन गया था। स्वांस और खासी से उनका कण्ठ इतना बढ़ा कि वेना नहीं जाता था। उनका शरीर क्षीण होता गया। अप्रैल सन् १९६२ में बाबू जी की हालत गंभीर होनी लगी। एंजियैयिक, हार्मियॉपैथीक तथा आयुर्वेद के बड़े-बड़े चिकित्सकों ने बाबू जी को बचाने का अथक परिश्रम किया किन्तु सब निरफ़ल रहा। बाबू जी १ जुलाई १९६२ को स्वर्गवासी हुए।

बाबू जी की जिनगी और जिस तरह की सेवा होनी चाहिये थी उसमें किंचित मात्र की भी कमी नहीं हुई। बाबू जी के पाँचवें पुत्र डाक्टर भानुद कुमार टंडन ने (जिसके साथ बाबू जी रहने थे) उनकी हर प्रकार की सुविधा का प्रबन्ध किया था। दवा, इन्जेक्शन, डाक्टरों का प्रबन्ध इन्होंने अपने हाथ में लिया था। डाक्टर साहब की धर्मपत्नी (टंडन जी की पुत्र-वधू) कुमुम वहू ने बाबू जी की जा सेवा की वह सदा स्मरणीय रहेगी। रात-दिन बाबू जी की तथा उनके भेदमार्गी की सेवा करना उनका एक मात्र ध्येय बन गया था।

बाबू जी की बीमारी में प० जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, श्री मो० बी० गुप्त आदि सैकड़ों महान् पुरुष उन्हें देखने आये थे। दर्दको वा तांता लगा रहता था। मृत्यु के पूर्व बाबू जी के सातों पुत्र, उनकी धर्मपत्नियाँ, दोनों लड़कियाँ, नामी-पोते आदि सभी प्रयाग आ गये थे। बाबू जी की अर्धां जब चीक में पहुँची तो लगभग २ लाख की भीड़ हो गई थी। जुलूस में श्री लालबहादुर शास्त्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, चन्द्र-मानु गुप्त, कमलापति त्रिपाठी, आचार्य जगलु किशोर, ठाकुर हुकुम सिंह, डाक्टर राममनोहर लोहिया आदि नेता सम्मिलित थे। राजर्षि टंडन के सब से बड़े पुत्र श्री स्वामीप्रसाद टंडन ने अंतिम संस्कार किया था।

श्री रामेश्वरदयाल हूबे

टण्डन जी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

अफ्रीका रहते हुए ही गांधी जी ने यह अनुभव कर लिया था कि स्वतंत्र-भारत का काम बिना राष्ट्रभाषा के नहीं चलेगा। इसके लिए किसी न किसी भारतीय भाषा को चुनना होगा। गांधी जी ने गोखले जी के कहने पर जब मारे भारत में भ्रमण किया, तब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि हिन्दी ही वह भाषा है, जिसे अधिक से अधिक सभ्यता में लोग बोलते और उससे भी अधिक सभ्यता में लोग समझते हैं।

गांधी जी भारत के जनसामान्य में ऊपर उठ रहे थे। श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास टण्डन जी की यह दूरदर्शिता थी कि उन्होंने गांधी जी को हिन्दी के प्रचार के लिए आमंत्रित किया। सन् १९१८ में इन्दौर में सम्पन्न होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन का टण्डन जी के अनुरोध पर ही गांधी जी ने अध्यक्ष बनना स्वीकार किया था। गांधी जी मच्छे अर्थात् 'कर्मबीर' थे। उन्होंने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का धीमत्पण करना चाहा। सम्मेलन ने इसे सर्वोच्च स्वीकार किया और दक्षिण में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना हुई, जिम्मेदारने पिछले पचास वर्षों के जीवन में अद्वितीय कार्य किया है। गांधी जी जब तक जीवित रहे, इस संस्था के अध्यक्ष रह कर उसका मार्गदर्शन करते रहे।

सन् १९२५ में इन्दौर में ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चौथीसवाँ अधिवेशन हुआ, उसके भी अध्यक्ष टण्डन जी के अनुरोध पर गांधी जी बने थे। उसके पश्चात् ही नागपुर के सन् १९३६ के अधिवेशन में यह निष्पत्ति हुआ कि दक्षिण भारत को छोड़कर शेष हिन्दोतर प्रदेशों में व्यवस्थित ढंग से हिन्दी प्रचार का कार्य किया जाए। यहाँ यह कहने की आवश्यकता ही नहीं, कि आसाम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आदि प्रदेशों में हिन्दी प्रचार का कुछ कार्य पहले से ही प्रारम्भ हो चुका था। किन्तु व्यवस्थित ढंग से काम करने के लिए वर्षों में हिन्दी-प्रचार समिति की स्थापना हुई, जो आगे चल कर 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' के नाम से प्रसिद्ध हुई।

इस संस्था का कार्य गांधी जी के मार्गदर्शन में चले, इसलिए इसका केन्द्रीय कार्यालय वर्षों में ही रखा गया था। इस समिति के संस्थापक सदस्यों में उस समय के सभी चोटी के नेता थे। महात्मा गांधी, राजाजी पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, आचार्य नरेन्द्रदेव आदि आदि। चूँकि इस समिति की स्थापना सम्मेलन के एक प्रस्ताव के अनुसार हुई थी, इसलिए टण्डन जी का पूर्ण स्नेह इस संस्था को मिला करता था।

समिति के लायब ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, जिसमें टंडन जी उपस्थित न हुए हों। इन बैठकों में सम्मिलित होने के लिए वह बारा-बारा वर्षा आते थे, समिति की गतिविधि से स्वयं परिचित रहते थे, और उसका मार्गदर्शन करते थे। यद्यपि समिति का कार्य काकासाहब कालेलकर की देखरेख में चलता था, फिर भी समिति के प्रति टंडन जी का विशेष आत्मीय भाव था।

सन् ४० से ही हिन्दी-हिन्दुस्तानी की चर्चा शुरू हो गई थी। गांधी जी और उनके सहयोगी 'हिन्दुस्तानी' नाम के समर्थक थे, और उनके लिए देवनागरी और फारसी लिपि—दोनों की अनिवार्यता मानते थे। टंडन जी 'हिन्दी' को 'हिन्दुस्तानी' भी कहा जाए, इसे स्वीकार करने थे, किन्तु फारसी लिपि की अनिवार्यता की बात उनके गले नहीं उतरती थी। फलतः मतभेद हुआ और गांधी जी ने सम्मेलन से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। गांधी जी के अन्य सहयोगी भी जब समिति से हट गए, तब समिति का पूरा उत्तरदायित्व और भार टंडन जी पर आ पड़ा। टंडन जी ने श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन को समिति का मंत्री और श्री रामेश्वर दयाल दुबे को सहायक मंत्री बनाकर वर्षा भेजा।

इन घटना के पश्चात् राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और टंडन जी का सम्बन्ध दृढ़ हो घनिष्ठ हो गया। टंडन जी समय-समय पर वर्षा आते थे और श्री आनन्द कौसल्यायन प्रयाग जा-जाकर उनमें मार्गदर्शन प्राप्त करते थे।

किन्हीं कारणों से जब समिति को पुराने भवन छोड़ने पड़े, तब समिति ने जमीन खरीदी और भवन-निर्माण का कार्य शुरू हुआ। समिति के भवन अच्छी तरह बनाए जायें, इसलिए टंडन जी ने अपने पुराने मित्र और सम्मेलन के पुराने इंजीनियर श्री नंदकिशोर अग्रवाल जी को दो-तीन बार वर्षा भेजा, जिन्होंने कुछ समय वर्षा में रहकर कामकाज की देखभाल की थी।

धीरे-धीरे समिति के अनेक भवन बने। आगे चलकर एक ऐसे राष्ट्रभाषा महाविद्यालय के भवन की आवश्यकता अनुभव होने लगी, जिसमें दूर-दूर प्रदेशों से आए हुए छात्रों को हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की जा सके और जहाँ वे रह भी सकें। समिति ने ऐसे भवन का संकल्प किया। यह सीमाग्य की बात थी कि इस राष्ट्रभाषा महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास सन् ५१ की १८ जनवरी को राजषि टंडन जी ने किया। आज यह महाविद्यालय विभिन्न प्रदेशों के, विशेषतः पूर्वांचल के मणिपुर, असम, नागालैंड, ल्हाई पहाड़ियों के छात्र-छात्राओं की हिन्दी अध्यापन की व्यवस्था कर रहा है। लंका और जापान के अनेक विद्यार्थी इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर अपने देश लौट गए हैं, जहाँ वे हिन्दी का प्रचार कर रहे हैं।

सन् १९५१ में सम्मेलन पर रिस्वीवर की नियुक्ति हुई। सम्मेलन के झकड़ों का प्रभाव जब समिति पर भी पड़ने लगा तब समिति के सदस्य सम्मेलन से पृथक् होने की बात सोचने लगे। टंडन जी का और समिति के निष्ठावान् कर्णधारों और कार्यकर्ताओं का इतना आत्मीय सम्बन्ध था कि बिना बाबू जी की सलाह लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता था। समिति के कुछ कर्णधार टंडन जी से मिलने दिल्ली पहुँचे। बिड़ला मंदिर के लान पर बैठकर जिस आत्मीयता से और जिस गद्गद् भाषी से समिति के कर्णधारों को समझाया, उससे सब अभिभूत हो आँसू-आँसू, शक [१८९१]

गए। टंडन जी के वे शब्द अब भी बहुतांशों को स्मरण हैं—“आप लोग हिन्दी-प्रचार क्षेत्र के जैसे हुए कार्यकर्ता हैं। आप सब के द्वारा जो कार्य हो रहा है, उसका हमें गौरव है। दुर्भाग्य से प्रयाग में सम्मेलन-मन्वन्वी कुछ क्षणों शुरू हुए हैं। इस समय उससे अलग होने की बात सोचना ठीक नहीं। क्या पता, आप सबको भी सम्मेलन की समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देना पड़े। आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं।”

टंडन जी की आत्मीयता भरी वाणी ने सबके हृदय को जीत लिया और पृथक् होने का विचार छोड़ दिया गया।

जब आनन्द जी के स्थान पर श्री मोहन लाल भट्ट जी समिति के मंत्री बने तब उन्हें भी श्रद्धेय टंडन जी का बराबर मार्ग-दर्शन मिलता रहा। जब-जब हिन्दीतर प्रान्तों में बढ़ते हुए हिन्दी-प्रचार के कार्य की रिपोर्ट टंडन जी को दी जाती थी तब तब उनकी आँसू चमक जाती थी। उनके चेहरे पर सन्तोष की रेखाएँ झलक आती थी। वे उसी तरह से प्रसन्न होते थे, जैसे पुत्र के सुन्दर कार्यों को देखकर पिता प्रसन्न हुआ करता है। सम्मेलन के सम्बन्ध में वे सदैव चिन्तित रहे, किन्तु समिति के सम्बन्ध में वे निश्चिन्त थे।

जब प्रयाग में बड़े पैमाने पर उनके सार्वजनिक सम्मान का आयोजन किया गया तब लाखों व्यक्तियों ने उस समारोह में उपस्थित होकर अपना आदर्शभाव व्यक्त किया, उस समय विभिन्न हिन्दीतर प्रदेशों के सभी प्रमुख कार्यकर्ता प्रयाग पहुँचे थे। समारोह के दूसरे दिन जब सभी राष्ट्रभाषा कर्मी बाबू जी के घर पर पहुँचे, उस समय आसाम के प्रान्तीय मन्त्रालय, श्री जीतेन्द्रचन्द्र चौबुरी ने एक अण्डा की शाल और पीतल का एक विशेष पात्र (जिसे आसाम में महान् व्यक्तियों को सम्मान स्वरूप समर्पित किया जाता है) भेंट किया। बाबू जी ने शाल तो उल्टी मन्त्रालय को ही उठा दी और वह पीतल का विशेष पात्र इन पंक्तियों के लेखक को सौंप दिया और कहा—“इसे तुम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में रखा लेना।” बाबू जी का दिया हुआ वह साकार-स्नेह समिति के प्रदर्शनी-कक्ष में सुरक्षित है।

हिन्दीतर प्रदेश के राष्ट्रभाषा कमियों के मन में राजर्षि टंडन जी के प्रति अनन्य श्रद्धा रही है। समिति ने निश्चय किया कि भले ही निधि स्वल्प हो, उसके द्वारा दिल्ली में सम्पन्न होने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन के नीचे अधिवेशन में श्रद्धेय बाबू जी का सम्मान किया जाए। समिति की ओर से टंडन जी के चरणों में २५,०००) की स्वल्प निधि अत्यंत श्रद्धा के साथ समर्पित की गई। राजर्षि टंडन जी ने उसे स्वीकार कर समिति का गौरव बढ़ाया और वह निधि राष्ट्रभाषा का कार्य करने के लिए समिति को ही सौंप दी।

सन् १९६२ में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने अपने जीवन के पच्चीस वर्ष की स्मृति पर बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में रजत-जयंती-महोत्सव मनाया। इस अवसर पर जहाँ एक ओर समिति ने अपने प्रांगण में गांधी जी की आद्य कव कांस्य मूर्ति की स्थापना की, वहीं कार्यालय के समक्ष राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन की प्रस्तर पूति स्थापित कर उनके प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा व्यक्त की।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से श्रद्धेय बाबू जी का अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था। उनकी आत्मीयता और ममता पाकर राष्ट्रभाषा कर्मों भाई-बहन आम-विभोर हो जाते थे। उन्हीं की प्रेरणा का यह सुन्दर फल है, कि हिन्दी-नर प्रदेशों के दूर-दूर क्षेत्रों में अत्यन्त लगन और निष्ठा के साथ सैकड़ों नहीं, हजारों भाई-बहन हिन्दी प्रचार से पुनीत राष्ट्रीय कार्य में लगे हुए हैं और तबतक लगे रहेंगे, जबतक हिन्दी को उसका उचित स्थान प्राप्त नहीं हो जाता है। उनमें उत्साह है, लगन है और है निष्ठा। किन्तु उन्हें श्रद्धेय बाबू जी की मधुर स्मृति गद्गद् भी बना देनी है। जिनके स्नेह और आशीर्वाद से वे बचिit हो गए हैं। वैसी आत्मीयता, वैसी ममता और वैसा स्नेह राष्ट्रभाषा कर्मियों को अब कहाँ मिलेगा ?

श्री केदारनाथ गुप्त

राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन

सन् १९११ की बात है। मैं ईविंग क्रिश्चियन कालेज इलाहाबाद में अध्ययन के लिये आया था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हो चुकी थी। उसके अन्तर्गत सम्मेलन के प्राण राजर्षि टंडन जी के साथ हिन्दी के अनेक विद्वान् हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर बैठाने का उत्कट प्रयत्न कर रहे थे। हिन्दी में प्रेम होने के नाते मैं भी सम्मेलन की बैठकों में प्रायः जाया करता था।

हिन्दी के राष्ट्र कवि स्वर्गीय पं० माधव शुक्ल के सहयोग से टंडन जी महाराणा प्रताप नाटक की तैयारी कर रहे थे, मैंने भी उसमें भाग लिया था। अब तो रिहरसल में मैं रोज जान लगा और मेरा सम्बन्ध टंडन जी से उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। नाटक मंच पर खेला गया। उसकी बड़ी प्रशंसा हुई और उसके द्वारा जनता में हिन्दी का काफी प्रचार हुआ।

सन् १९१३ में मेरा विद्यार्थी जीवन समाप्त हुआ और मैं जमनामदान हार्ड स्कूल इलाहाबाद में हिन्दी का अध्यापक हुआ। अब तो हिन्दी के नाते मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन में और भी अधिक जाने लगा। एक दिन टंडन जी ने महमा मुझे बुलाकर कहा कि तुम सम्मेलन का अर्थ-विभाग सँभालो। मैं राजी हो गया। उस समय स्वर्गीय पं० रामजीलाल शर्मा प्रधान मंत्री थे। स्वर्गीय चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा प्रबन्ध मंत्री थे और स्वर्गीय अध्यापक रामरत्न जी परीक्षा मंत्री थे। मैं सप्ताह में दो बार जाता और पोस्टऑफिस द्वारा आई हुई रकम लेकर सम्मेलन में जमा कर देता और अर्थ-विभाग की जाच-परताल कर लेता था।

टंडन जी हिन्दी के प्रचार में लगे हुए थे। उस समय कचहरियों में उर्दू और अंग्रेजी की तूती बोल रही थी। हिन्दी में काम करना लोग पसन्द नहीं करते थे। टंडन जी शकीलों से मिलते और उनसे कचहरियों का सारा काम हिन्दी में करने की प्रार्थना करते थे। धीरे-धीरे कचहरियों में टंडन जी की प्रेरणा से हिन्दी में काम होने लगा किन्तु उतना नहीं जितना वे चाहते थे।

सम्मेलन की वार्षिक बैठकें धीरे-धीरे बड़ी जोरदार होने लगी और हिन्दी के बड़े बड़े विद्वान् उसमें भाग लेने लगे। इन बैठकों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बड़ा जोर दिया जाता था। स्वर्गीय पं० श्रीधर पाठक, स्वर्गीय बाबू श्यामसुन्दरदास, मिश्रबन्धु, स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शुक्ल, स्वर्गीय पं० लक्ष्मीधर बाजपेयी, स्वर्गीय पं० अमरनाथदास, श्री वियोगीहरि,

श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल', श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री आदि हिन्दी के अनेक महारथी टंडन जी के कन्धे से कन्धा मिलाकर हिन्दी के प्रचार में काफी सहायता देते थे।

सम्मेलन के परीक्षा-विभाग की वृद्धि की गई और हिन्दी की पुस्तकों के प्रकाशन का भी काम बढ़ाया गया। इनके द्वारा देश में हिन्दी का वेग के साथ प्रचार होने लगा और हिन्दी की अंर लोग आकृष्ट होने लगे। सन् १९१६ में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। उस समय महत्त्वा गांधी की अध्यक्षता में सब प्रान्त के नेताओं का अलग से एक सम्मेलन हुआ। उसमें सब लोगों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा होना एक स्वर से स्वीकार कर लिया।

अब तो हिन्दी का प्रचार और भी अधिक बढ़ा। टंडन जी जब लोक-मन्त्रा में गये तो वहाँ भी प्राणपण से इस बात का प्रयत्न करने लगे कि भारत सरकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान ले। मेट गोविन्ददास आदि कतिपय नेताओं ने टंडन जी की इस विषय में काफी सहायता की। सम्मेलन द्वारा हिन्दी का काम साथ-साथ दक्षिण में भी बढ़ाया गया। अन्त में चारों ओर से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की पुकार जोर से होने लगी। स्वराज्य मिलने पर जब भारत का विधान बना तब हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा का स्थान मिला और इस प्रकार टंडन जी का दत्तने वर्षों का प्रयत्न पूर्णरूप से सफल हुआ, अब तो हिन्दी का प्रचार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है और विद्याविद्यालयों में भी उसे महत्त्वपूर्ण स्थान मिलने लगा है।

टंडन जी बड़े स्वदेशभक्त, दृढ़ प्रतिक्रम और विनम्र सज्जन थे। वे बच्चे की तरह कठोर और पुष्ट की तरह कोमल थे। जब कभी मिद्वान्त का प्रश्न उपस्थित होता तो अपने निश्चय में वे हिमालय की तरह डटे रहने और लोगों में मिलने-जुलने में वे बड़े ही नम्र थे। लोग उनसे मिलने में अपना सौभाग्य समझते थे। उनमें एक खूबी और भी थी। वे प्राकृतिक चिकित्सक भी थे, वे नमक नहीं खाते थे। और दूध पीने के भी विरुद्ध थे। इस विषय में मेरी और उनकी खूब पटती थी किन्तु दूध के विषय में मेरा अंर उनका मत नहीं मिलता था, मैं दूध के पक्ष में हूँ किन्तु वे दूध को अप्राकृतिक पेय पदार्थ समझते थे। वे विशेषरूप से फल्यहार करते थे। अन्न बहुत कम खाते थे। मूगफली उनको बड़ी प्रिय थी। तुलसी की चाय को वे पसन्द करते थे। जब कभी वे दावत देते, अपने पुत्रों के विवाह में अथवा साधारण रीति से किसी विशेष अवसर पर तो वे उबाला आलू, केला और दूसरे मौसमी फल खिलाने थे और साथ में पीने के लिये तुलसी की चाय दिया करते थे।

वे जानते थे कि मैं भी प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और प्रत्येक प्राणी के लिये अच्छे स्वास्थ्य के साथ सौ वर्ष जीवित रहने का प्रचार करता फिरता हूँ। अतएव कभी कभी जब वे मुझे अपने पास बुलाते तो कहा करते थे कि "सौ वर्ष" मेरे पास आओ।

एक बार की घटना है। टंडन जी कलकत्ता गये हुये थे। वहाँ उनके स्वागत के लिये विशेष तैयारी की गई थी। नाना प्रकार के भोजन तैयार करवाये गये थे। स्वागत के बाद जब सब लोग खाना खाने के लिये बैठे तो अनेक प्रकार के भोजन के पदार्थ सब लोगों के सामने और विशेषकर टंडन जी के सामने रखे गये। टंडन जी ने बड़ी नम्रता से मेजबान से कहा कि आधा-आध-आध, सन् १८९१]

मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं खाता, यदि थोड़े से भिंगीये हुए चने हों तो वे मुझे दिये जायें। उनको मैं खा सकता हूँ। लोगों ने बड़ी प्रार्थना की किन्तु उन्होंने सामने रखे हुये भोजन को छुआ तक नहीं। अन्त में लोगों को उनके लिये भिंगीये हुये चने और फलों का प्रबन्ध करना पड़ा। उन्हें टंडन जी ने बड़े प्रेम से खाया।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विषय में कहा जा सकता है कि यदि टंडन जी इतना अधिक प्रयत्न न करने तो हिन्दी या तो राष्ट्रभाषा होती नहीं और यदि होती भी तो उसके होने में काफी समय लगता। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का श्रेय वास्तव में टंडन जी को है।

भारतीय संविधान परिषद में

हिन्दी : राष्ट्रभाषा : देवनागरी लिपि राजर्षि टंडन जी का ऐतिहासिक भाषण

राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर भारतीय संविधान सभा में सितम्बर १९४९ को राजर्षि टंडन जी ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, वह इस प्रकार है—

अध्यक्ष महोदय ! मैं उन सब विस्तृत विषयों पर नहीं बोलना चाहता जिन पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने मत प्रकट किए हैं। मैंने श्री गोपाल स्वामी आर्यगर द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर कुछ संशोधन उपस्थित किए हैं। मुझे जो कुछ भी कहना है, उसमें मैं अपने प्रस्तावों के उद्देश्य को ही यथासम्भव ध्यान में रखूंगा।

श्री आर्यगर की तीन कल्पनाएँ

श्री गोपाल स्वामी आर्यगर के भाषण में उनके प्रस्तावों की आत्मा झलकती है। उनके अनुसार अंग्रेजी भाषा के बल पर ही हमें स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुई है जो अंग्रेजी के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिए उपयोग, उनके शब्दों में, आनेवाले अनेक वर्षों तक बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि उनके प्रस्ताव के अनुसार १५ वर्ष तक भारतीय संघ की भाषा अंग्रेजी रहनी चाहिए। वास्तव में १५ वर्षों से भी अधिक समय तक वह अंग्रेजी को बनाए रखने के पक्ष में हैं। उनका दूसरा मुख्य विचार यह है कि कोई भी प्रांतीय भाषा, जितने हिन्दी भी सम्मिलित है, इतनी विकसित नहीं है कि वह ऐसी भाषा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जिसे शासन के विविध अंगों का भार वहन करना हो, विशेषकर विधि-सम्बन्धी आस्थाओं एवं गहन विचारों के क्षेत्र में। उनकी समस्त योजना के प्रस्ताव इन्हीं दो मुख्य धारणाओं पर निर्धारित है और उनसे ही रजित हैं।

उनके प्रस्तावों में एक तीसरी विचित्र कल्पना यह है कि समय की गति के साथ भारत में अंग्रेजी भाषा का चाहे जो कुछ भविष्य हो, किन्तु अंग्रेजी भाषा से जिन गणित अंकों को हमने सीखा है और जो उनके प्रस्ताव में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के नाम से पुकारे गए हैं वे अवश्य ही बने रहें और नागरी लिपि के अविच्छिन्न अंग बन जायें। और वे हमारी देवनागरी लिपि के संस्कृत अंकों का स्थान ग्रहण करें—जहाँ-कहीं भी और जब कभी भी भारतीय संघ के कार्यों में देवनागरी लिपि का प्रयोग हो।

अन्तः-संस्मरण, भाग १८११]

मैं विनम्रतापूर्वक इस सभा के मानीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे इन तीनों विषयों को यह स्मरण रखते हुए अधिक गहराई तक देखे कि आज हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उमका सम्बन्ध केवल हमसे ही नहीं है और न उन विभिन्न प्रान्त-निवासी अल्पसंख्यक स्त्री-पुरुषों से ही है, जिनकी अंग्रेजी ढंग से शिक्षा हुई है और जिनका अंग्रेजी भाषा से ही पोषण तथा विकास हुआ है, वरन् हमारे सब निर्णयों का प्रभाव उन करोड़ों पुरुषों और स्त्रियों पर पड़ेगा, जिनका अंग्रेजी भाषा से कोई सम्पर्क नहीं रहा है, जिनके लिए अंग्रेजी भाषा से कोई सम्पर्क होना असम्भव है, और जिन्हें उनकी वर्तमान दशा से ऊपर उठकर लोकतन्त्र तथा प्रशासन का प्रशिक्षण देना है। श्रीमन् ! हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आज हम यहाँ जो कुछ निर्णय करने हैं उनका प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी के लोगों पर ही नहीं पड़ेगा वरन् उनसे आनेवाली पीढ़ियों के भाग्य का भी रूपाकन होगा।

वर्तमान अतीत से बड़ा

प्रधान मंत्री जी ने अपने ढंग से हम लोगों को चेतावनी दी है कि हम पीछे की ओर न देखे और ऐसा कोई भी पथ न उठावे जो हमें पीछे ले जाय। मैं सर्वत्र इस विचार से पूर्णतया सहमत रहा हूँ और मैंने स्वयं भी अनेक अवसरों पर कहा है कि हमने विगतकाल में जो कुछ प्राप्त किया है उसी पर मनुष्ट नही रह सकते और न हम प्राचीन ढाँचा में अपने को पूर्णतया ढाल ही सकते हैं। मैंने लोगों के सम्मुख यह आदर्श रक्के हैं—

समयभेदेन धर्मभेदः ।

अवस्थाभेदेन धर्मभेदः ।

समय और परिस्थितियों के अनुसार हमारे धर्म और कर्तव्यों में परिवर्तन होता है। यह प्राचीन सूक्तियाँ हैं। हमें यह स्मरण रखना है कि हमारे जीवन-क्रम की साधारण प्रणालियाँ एक समय तक रहती हैं और फिर चली जाती हैं। संसार गतिशील है। आज की प्रणालियाँ कल नई प्रणालियों, रीतियों और विचार-धाराओं को स्थान दे देती हैं। प्राचीन के पादमूल के पीछे एक नवीन साँदर्य चलता रहता है। यदि हम चाहे तो भी जीवन के इस महान् मूलभूत तत्त्व से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते।

श्रीमन् ! साथ ही साथ जैसा की प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है हमें यह स्मरण रखना है कि हमारी जड़ अतीत में है और उसमें हम अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम अतीत के साथ एक सुदृढ़ किन्तु अब्दु य आकर्षिक शृंखला से बंधे हुए हैं जो समय के साथ निरन्तर बढ़ती चली जाती है, किन्तु न तो टूटती है और न तोड़ी ही जा सकती है। अतः हम जो कुछ भी करने का प्रयत्न करें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे-जैसे हम अपनी मरिचकता की ओर आगे बढ़ते जायें वैसे वैसे अतीत से हमको बाँधनेवाली वह लंबी और दृढ़ शृंखला दुर्बल न होने पाये, वरन् होना तो यह चाहिए कि वह प्रत्येक पग पर और भी दृढ़ होती जाय। मेरा

निवेदन है कि हमारा तात्त्विक राजनीतिक सिद्धान्त यह होना चाहिए कि हमारा जीवन-मूल-कालिक न हो वरन् वह उस वर्तमान में हो जाँ। हमें अतीत से बाँधे रहना है।

मैं नव गुणों अथवा अच्छाइयों को ग्रहण करने के पक्ष में हूँ जो पश्चिम हमें सिखा सकता है। परन्तु मैं यहाँ समुपस्थित सभी सज्जनों से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वे इस बात को स्मरण रखें कि पश्चिम में चमकनेवाली सभी वस्तुएँ स्वर्ण नहीं हैं। केवल पश्चिमी होने के कारण कोई वस्तु सर्वथा गुणप्रद नहीं हो जायगी। हमारे देश में भी ऐसी उच्चकोटि की विचारणीय सम्भक्ति को जन्म दिया है जो समय की गति के साथ संभवतः सम्पूर्ण मानव जाति के भाग्य-निर्माण पर अधिकाधिक प्रभाव डालेगी।

१५ वर्षों के लिए अंग्रेजी

मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्यगण उपयुक्त सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए उस प्रस्ताव पर विचार करें, जिसे हमारे मित्र श्री गोपाल स्वामी आयोगर ने स्वीकृति के लिए उपस्थित किया है। इसे पढ़ कर सुनाऊँगा नहीं। मैं मान लेता हूँ कि आप सब इसकी प्रत्येक महत्वपूर्ण धारा से परिचित हैं। यह प्रस्ताव अंग्रेजी भाषा के कम से कम १५ वर्षों तक बने रहने की कल्पना करता है—न केवल बने रहने की वरन् सभ के प्रत्येक कार्य में अंग्रेजी भाषा के प्रमुख को बनाए रखने की भी। मेरी मान्यता थी कि यद्यपि यह आवश्यक होना कि आनेवाले कुछ समय तक अंग्रेजी शासकीय कार्यों में चलती रहेगी तथापि वह अबधि इतनी लम्बी नहीं होगी मैंने सोचा था कि इससे थोड़े समय में ही हम जनता के निकट पहुँच सकेंगे और जनता द्वारा समझी जानेवाली भाषा में कार्य कर सकेंगे। मैं यह बात मूल नहीं जानता कि हमारे दक्षिण के भाइयों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं हिन्दी, जिसे शासकीय भाषा बनाने का प्रस्ताव है, सीखने में अत्यन्त सरल न होगी। फिर भी मेरा निवेदन है कि दक्षिणवालों के लिए हिन्दी सर्वथा अपरिचित नहीं है। उन राष्ट्रपिता के आदेशों पर, जिनका नाम स्मरण सर्वैव हमारे हृदय की सूक्ष्मतन्त्री को स्पर्श करता है, दक्षिण भारत में १९१८ ई० में हिन्दी का कार्य आरम्भ किया गया था। इस अवधि में वहाँ के कई लाख पुरुषों और स्त्रियों ने हिन्दी सीख ली है। जैसा यहाँ उपस्थित मेरे मित्र श्री मोनूरि सत्यनारायण अच्छी तरह बतला सकते हैं प्रतिवर्ष लगभग ५५ से ६० हजार तक परीक्षार्थी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा (जिसका नाम अभी हाल में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा कर दिया गया है) की हिन्दी-परीक्षाओं में बैठते हैं।

एक माननीय सदस्य—वे केवल लिख-पढ़ सकते हैं। किन्तु अपना अभिप्राय व्यक्त नहीं कर सकते।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—ऐसा सम्भव है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पता चलता है कि हिन्दी भाषा दक्षिण भारत के लिए कोई नई वस्तु न होगी। मेरी ऐसी धारणा थी कि हिन्दी को मद्रास की युवक पीढ़ी के निकट लानेके लिए १५ वर्षकी लम्बी अवधि की आवश्यकता न होगी। किन्तु जैसा पन्त जी ने कहा है, यह बात हमारे दक्षिण

आचार्य-सर्वोपदेश, पृष्ठ १८९१]

के भाइयों के कहने की है कि उन्हें कितने समय की आवश्यकता है और मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत हूँ कि इस विषय में हम उनके साथ नहीं वाँचना चाहिए। हम उनको अपनी सेवाएँ अर्पित कर सकते हैं, किन्तु इस बात का फँसला हम उन पर ही छोड़ने है कि उन्हें कितना समय चाहिए, और वह कितने समय में अपनी जनता को संघ के प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का व्यवहार करने के लिए तैयार कर सकते हैं। हमने इसी बात को ध्यान में रख कर १५ वर्षों की अवधि स्वीकार की। पहले हमने ५ वर्ष, फिर बढ़ा कर १० वर्ष और अन्त में जब हमने देखा कि हमारे दक्षिण के भाई १५ वर्ष की अवधि चाहते हैं तो हमने इसे स्वीकार कर लिया। किन्तु श्री आयगर के प्रस्ताव में एक कठोर प्रतिबन्ध है। यह यह कि ५ वर्ष और उससे भी अधिक समय तक अंग्रेजी के साथ के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग ही न हो, जब तक एक कमीशन सिफारिश नहीं करता और वह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत नहीं होता। यह मुझे कठोर उपबन्ध लगता है। यह कुछ कामल हो सकता था। यह क्यों आवश्यक है कि हिन्दी को उन शासकीय कार्यों से पूर्णतया पृथक् रखा जाय, जिनमें हिन्दो का प्रयोग हमारे दक्षिण के मित्रों को किसी प्रकार की असुविधा पहुँचाये बिना ही किया जा सकता है? वर्तमान उपघारा का अनुसार भारतीय संघ का कोई मंत्री किसी शासकीय विषय पर निर्णय का हिन्दी में पत्र नहीं लिख सकता, जब तक कि उस पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद न हो। स्पष्ट है कि ऐसा दण्ड म तो हिन्दी के प्रयोग की कोई आशा नहीं है। अतः रिश्ते यह है कि ५ वर्ष या उससे अधिक समय तक जब तक कमीशन सिफारिश नहीं करता और वह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत नहीं होता, अंग्रेजी से अनुवाद करने के बिना कोई कार्य हिन्दी में नहीं हो सकता। आप कोई पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित कर सकते हैं और उसका हिन्दी में भी अनुवाद कर सकते हैं। बरा, केवल जनता ही कार्य ५ वर्ष या उससे भी आगे तक हो सकता है। यह कठोर शर्त है। किन्तु फिर भी मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ कि अंग्रेजी के साथ के अतिरिक्त कोई काम ५ वर्षों तक हिन्दी में न हो।

आयोग की नियुक्ति, प्रस्तावित संशोधन

किन्तु मैं आपसे कहूँगा कि ५ वर्ष के बाद क्या होगा—इस बात पर विचार करें। श्री आयगर के प्रस्ताव के अनुसार ५ वर्ष की समाप्ति पर एक कमीशन की नियुक्ति होगी जो भाषा के प्रश्न पर विचार करेगा। निश्चय ही इसका तात्पर्य ५ वर्ष की इस अवधि को २ वर्ष तक और बढ़ाना होगा क्योंकि कमीशन की नियुक्ति के बाद उसकी बैठकें होंगी और सम्भवतः वह सम्बन्ध देश का पर्यटन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उसके बाद एक संसदीय समिति बैठेगी, जो इस कमीशन के सुझावों पर विचार करेगी और फिर अपनी अन्तिम रिपोर्ट देगी। मेरा निवेदन है कि कमीशन की नियुक्ति ५ वर्ष की समाप्ति के 'पहले' ही की जाय। मैं कोई समय निर्धारित नहीं करता, मेरा तो संशोधन केवल यह है कि '५ वर्ष की समाप्ति पर' के स्थान पर '५ वर्ष की समाप्ति के पहले' कर दिया जाय, जिससे रिपोर्ट समय पर तैयार रहे

और सरकार ऐसी स्थिति में हो कि वह आदेश दे सके कि ५ वर्ष की समाप्ति के बाद हिन्दी-व्यवहार में जो परिवर्तन आवश्यक जान पड़े उनको लागू किया जा सके। यह छोटा सा संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है और मुझे आशा है, कि वह स्वीकार कर लिया जायगा। इसका तात्पर्य केवल यह है कि ५ वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही कमीशन की नियुक्ति हो जायगी। किन्तु मैंने अपने संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी सिपारिशें स्वीकृत होंगी उन्हें ५ वर्ष की समाप्ति के बाद ही लागू किया जायगा। मैं इस पर संतोष करूँगा कि ५ वर्ष के भीतर हिन्दी में केवल वही काम होगा जो अंग्रेजी का अनुवाद हो।

इसी प्रकार कुछ उपवाक्यों में मैंने कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं। ऐसा अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है इन संशोधनों के विषय में यह मान लिया गया है कि वे पेश किए जा चुके हैं। अतः मैं उन्हें पढ़ूँगा नहीं, केवल उनका साधारण प्रयोजन बताऊँगा। एक संसदीय समिति का सुझाव दिया गया है और यह कहा गया है कि वह कमीशन की सिपारिशों पर रिपोर्ट देगी। मैंने एक छोटा उपवाक्य जोड़ दिया है कि यह समिति अपनी भी सिपारिशों दे सकती है, 'ऐसी सिपारिशें जिन्हें वह उपयुक्त समझे।' यह थोड़े से शब्द हैं उस उपवाक्य में जोड़ दिए हैं। जिसका सम्बन्ध समिति की नियुक्ति और कमीशन की सिपारिशों पर उस समिति की रिपोर्ट में है। मेरी माँग केवल यह है कि यह संसदीय समिति भी, यदि उचित समझे तो, सिपारिशों करे और फिर सरकार, समिति तथा कमीशन दोनों की सिपारिशों पर निर्णय करे।

३०१—तब, मैंने यह संशोधन प्रस्तावित किए हैं।

अन्य संशोधन

जब मैं प्रादेशिक भाषाओं-सम्बन्धी अध्याय २, श्री आर्यगर के प्रारूप की ३०१-ग पारा को लेता हूँ। इसमें कहा गया है कि—

“ . कोई भी राज्य विधि द्वारा राज्य में व्यवहृत किसी भी भाषा को अथवा हिन्दी भाषा को राज्य के कुछ या पारगण्य शासकीय कार्यों में प्रयुक्त किये जाने की स्वीकृति दे सकता है।

मैं इससे सहमत हूँ। मैं उस उपबन्ध पर आपत्ति करना हूँ जिसमें कहा गया है—

“जब तक राज्य की विधान-सभा कानून द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करती तब तक अंग्रेजी भाषा राज्य के उन शासकीय कार्यों में प्रयुक्त होती रहेगी जिनमें उनका प्रयोग संविधान के आरम्भ होने के समय हो रहा था।”

मेरी समझ में नहीं आता है कि राज्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की क्या आवश्यकता है। हो सकता है कि संविधान के आरम्भ होने के समय उनमें कहीं-कहीं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा हो, किन्तु इसमें बड़े परिवर्तन करना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि आपने यह व्यवस्था की है कि वे कानून द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं, किन्तु हो सकता है कि वे अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करते हों। अतः मैं इस उपबन्ध के स्थान पर यह वाक्य रखना चाहता हूँ—

भाषा—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

“जब तक कि राज्य की विधान सभा कानून द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करती तब तक वह भाषा या भाषाएँ जो राज्य के शासकीय कार्यों में संविधान के आरम्भ होने के समय प्रयुक्त हो रही थीं, उसी प्रकार प्रयुक्त होती रहेंगी।”

मेरे अपने ही राज्य में शासकीय कार्यों में हम लोग हिन्दी का व्यवहार कर रहे हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में भी, मैं समझता हूँ, उसी का प्रयोग हो रहा है। तब फिर हमारे लिए यह क्यों आवश्यक हो कि हम एक नया कानून बना कर फिर से हिन्दी को स्वीकार करें। आज कल हम हिन्दी का व्यवहार सरकार के आदेश में कर रहे हैं, और इसलिए मेरे सुझाए हुए शब्द अधिक उपयुक्त होंगे।

फिर धारा ३०१-ई में कहा गया है कि ‘जब गण्ट्रपति को इस बात का संतोष हो जाय कि राज्य की जनता का एक बड़ा अंश किसी अन्य भाषा का प्रयोग चाहता है तो वह आदेश दे सकते हैं कि उस भाषा को भी राजकीय मान्यता दी जाय।’ मैं इसमें सहमत हूँ, परन्तु मुझे उचित लगता है कि इस सम्बन्ध में कांसेस कार्य-समिति के निर्देश का अनसरण किया जाय और जनसंख्या का एक निश्चित अनुपात नियत कर दिया जाय। जिसकी माँग पर किसी भाषा को राजकीय मान्यता दी जा सके। मेरे विचार में कार्य-समिति ने २० प्रतिशत निर्धारित किया है जिसे हम भी स्वीकार कर सकते हैं। अन्यथा केन्द्रीय सरकार के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जायगा कि वह किसे स्वीकृति करे और किसे अस्वीकृत। इस प्रकार से कुछ उलझन भी हो सकती है और कुछ प्रान्तों में कटुता भी बढ़ सकती है। यदि अनुपात स्थिर कर लिया जाता है तो केन्द्रीय सरकार का मार्ग स्पष्ट हो।

और फिर अध्याय ३ में—“सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा के सम्बन्ध में उपस्थित प्रस्ताव—श्री आयर मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करेंगे—स्पष्टतः प्रति-गामी है। आपने हिन्दी को राजकीय भाषा स्वीकार किया है। मैं मानता हूँ कि आप चाहते हैं कि हिन्दी शर्तः शर्तः अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करे। किन्तु यह तभी संभव है जब आप हिन्दी को कम से कम हिन्दी भाषी राज्यों में अंग्रेजी का स्थान लेने का अवसर देंगे। मैं जानता हूँ अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी के प्रयोग में कठिनाइयाँ हैं, किन्तु हिन्दी प्रान्तों को हिन्दी के व्यवहार में कोई कठिनाई नहीं है। आप कठिनाइयों को और भी बड़ा चढ़ा कर न रखें। यह कहा गया है कि हिन्दी में उपयुक्त मुहावरे, वाक्यांश तथा पारिभाषिक शब्दावली अप्राप्य है। अस्तु यह बात आप उन पर छोड़ दीजिए जो हिन्दी में कार्य करेंगे। मेरे अपने ही प्रदेश में विधेयको तथा अधिनियमों की मूल भाषा हिन्दी ही होती है। स्पष्ट ही हमारे दक्षिण के भाइयों के लिए हमारे इस कार्य से कोई कठिनाई नहीं होगी। आप हमें अपना सब कार्य अंग्रेजी भाषा में करने के लिए क्यों विवश करे, जब हम पहले से ही इसे हिन्दी में कर रहे हैं।

फिर आपका कहना है कि जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है उनका कार्य भी १५ वर्षों तक अंग्रेजी भाषा में ही होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य १५ वर्षों तक अंग्रेजी में हो किन्तु मेरा निवेदन है कि यह आवश्यक नहीं

है कि उस काल में सब उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) भी अपना कार्य अंग्रेजी में करें। उच्च न्यायालय दो श्रेणियों में विभक्त हो सकते हैं। राज्यों में कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनमें कुछ नये भी हैं जहाँ कार्य हिन्दी में हो रहा है और परम्परा से होता आया है। उदाहरणार्थ म्वालयिर अथवा इन्दौर को ले लीजिए। मुझे मालूम है कि वहाँ अंग्रेजी का भी प्रयोग हुआ है, बाहर से आए हुए कुछ न्यायाधीशों ने अपना काम अंग्रेजी में किया और उसकी उन्हें अनुमति भी दे दी गई किन्तु फिर भी बहुत-सा कार्य साथ-साथ हिन्दी में होना रहा है। क्या आप उसे रोक देंगे? इसी प्रकार एक उच्च न्यायालय राजस्थान में है और कुछ अन्य राज्यों में भी है। क्या आप इन उच्च न्यायालयों को हिन्दी में कार्य करने से रोक देंगे? उपस्थित प्रस्ताव के अनुसार इन उच्च न्यायालयों का समस्त हिन्दी-कार्य असम्भव हो जायगा। मेरा निवेदन है कि इसमें अवश्य ही परिवर्तन करना चाहिए।

साथ ही एक अन्य कोटि ऐसे उच्च न्यायालयों की है जो अपना काम अंग्रेजी में करते रहे हैं, किन्तु जो १५ वर्ष से कहीं पहले ही हिन्दी का अपना सकते हैं। मेरे अपने प्रदेश के या विहार अथवा मध्य प्रदेश के ही उच्च न्यायालयों को ले लीजिए। मेरे मन में यह बात स्पष्ट है कि हमारा उच्च न्यायालय ५ वर्षों के पश्चात् पूर्णतया हिन्दी में कार्य करना आरम्भ कर सकता है। धीरे-धीरे आगामी ५ वर्षों में समस्त कार्य-पद्धति निश्चिन्त की जा सकती है और हिन्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाई जा सकती है। पारिभाषिक शब्दावली कोई अड़चन नहीं उपस्थित करेगी। उसका निर्माण तो हो ही रहा है। बहुत कुछ शब्दावली तो है ही और फिर आवश्यक शब्दावली का निर्माण कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। हिन्दी कोई नयी भाषा नहीं है। जब आयरलैण्ड ने अपना मविधान बनाया तो उसने आयरिश भाषा को अपनाया था। जिसमें न तो अधिक साहित्य था और न पर्याप्त शब्दावली ही थी। किन्तु फिर भी आयरलैण्ड ने उसे ही अपनाया। हमारी भाषा हिन्दी तो अत्यन्त शक्तिशाली भाषा है। श्री आयरर ने कहा है कि इस भाषा में आवश्यक पारिभाषिक शब्दावली का गितान्त अभाव है। मैं उनकी इस उक्ति पर क्या कहूँ? उन्होंने स्वयं ही कहा है कि वे इस भाषा में परिचित नहीं हैं। और फिर भी वे इसके सम्बन्ध में अपना निर्णय दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह न्याय नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हिन्दी संस्कृत के साधना-सहित जिस विषय में इस सदन में इतना कहा जा चुका है, जितना मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ—हिन्दी संस्कृत की सहायता से पारिभाषिक शब्दावली की समस्त कठिनाइयों का मरलता से सामना कर सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ५ वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही हम उच्च न्यायालय का काम हिन्दी में चला सकते हैं। किन्तु मेरा तो कहना है कि ५ वर्ष का यह समय तो पर्याप्त है ही। हमें इनकी आवश्यकता नहीं है कि पन्द्रह वर्षों की अवधि तक हमारा कार्य अंग्रेजी में ही चले। फिर इतनी लम्बी अवधि तक हमारे लिए यह अनिवार्य क्यों किया जाय कि हम अंग्रेजी में कार्य करते रहें? हमें विकास करने का म्येष्ट अवसर दीजिए और पन्द्रह वर्ष के बाद सभी प्रमुख कार्य, जैसे भारतीय संघ का कार्य करना सरल हो जायगा, क्योंकि हिन्दी-प्रदेश ऐसा वातावरण उत्पन्न

कर देंगे तथा वे 'उस पारिभाषिक दब्दावली का निर्माण कर लेंगे जो समस्त देश के लिए सहायक होगी।

मौलाना हसरत मोहानी (युक्तप्रान्त मुस्लिम)—हिन्दी प्रान्तों से आपका क्या आशय है ?

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मैं उन प्रान्तों की ओर संकेत कर रहा हूँ जिन्होंने हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है उदाहरण के लिए युक्तप्रान्त ने औपचारिक रूप से हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया है, इसी प्रकार बिहार ने भी किया है . . .

मौलाना हसरत मोहानी—क्या युक्तप्रान्त उर्दू प्रान्त है या हिन्दुस्तानी प्रान्त ?

माननीय पुरुषोत्तमदास टण्डन—यह आपका विचार हो सकता है मैं हिन्दी, हिन्दुस्तानी अथवा उर्दू के झमेले में नहीं पटना चाहता। मेरा तो इतना ही कहना है कि युक्त प्रान्त में हिन्दी राजकीय भाषा मान ली गई है आर उर्दू भाषा में सभी सरकारी अधिनियम और विधि कार्य आजकल स्वीकार किए जा रहे हैं। निम्न-व्येह बहुत काम अब भी अंग्रेजी में हो रहा है किन्तु क्रमशः वह भी हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा होने लगेगा।

अंकों का प्रश्न

यह मेरे मुझाब गण कुल राष्ट्रार्थ परितर्कन है। अब मैं ३०१—क सम्बन्धी अपने मुख्य संशोधन पर आता हूँ, जो अंकों के विषय में है। श्रीमन् ! मुझे ज्ञान है कि अंकों-सम्बन्धी विवाद से कुछ कटुता उत्पन्न हुई है। मैं उस कटुता को कदापि बढ़ाना नहीं चाहता, मैं यथासम्भव उसका निवारण करूँगा ? मुझे ज्ञान है कि मेरे मद्रास के मित्र हिन्दी-अंकों को बदलना चाहते हैं।

माननीय सदस्य गण—बंगाल भी।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मैं यदि अजुट कहूँ तो आप उमे सुधार मकने है, परन्तु मैंने अपने बंगाली मित्रों से ऐसा कभी नहीं सुना।

माननीय सदस्य गण—बम्बई भी। वास्तव में सब अहिन्दी भाषी लोग यही चाहते हैं।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मेरा निवेदन यह है कि कम से कम कहा जायगा कि ठीक नहीं है कि सभी अहिन्दी भाषी क्षेत्र यह परितर्कन चाहते हैं, पूछता हूँ कि क्या महाराष्ट्र के लोग इसे स्वीकार करेंगे ?

श्री जंकरराव देव—मैं कहता हूँ कि जो मेरा मत है वही महाराष्ट्रियों का भी मत होगा।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—महाराष्ट्र के विषय में मैं अपनी जानकारी से निवेदन करता हूँ कि लिए समाप्त होने के कारण यदि वहाँ जनमत संग्रह हो तो महाराष्ट्र के लोग तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार नहीं करेंगे।

माननीय सदस्य गण—यदि भारत में इस विषय को लेकर जनमत संग्रह हो तो हिन्दी चली जायगी।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूँगा कि वे एक-एक करके मुझे टोकें और एक ही समय में अनेक लोग न बोलें। मुझे श्री शंकरराव देव और डा० अम्बेडकर का कथन सुन कर प्रसन्नता होगी।

माननीय डा० दयामाप्रसाद मुकर्जी—इस विषय पर जनमत संग्रह क्यों न किया जाय ?

श्री एच० जे० खाण्डेकर—(मध्य प्रदेश तथा बंगाल : साधारण) मैं भी महाराष्ट्रीय हूँ और मैं कह सकता हूँ कि वे अन्तर्गोष्ठीय अको को स्वीकार नहीं करेंगे।

डा० पी० एस० वेंसमूल—(मध्यप्रदेश तथा बंगाल : साधारण) मैं भी महाराष्ट्रीय हूँ और मैं कहता हूँ कि वे अन्तर्गोष्ठीय अको को स्वीकार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष—यह आवश्यक नहीं है कि किसी प्रस्ताव विषय पर सदन-गण अपना व्यक्तिगत मत प्रकट करें।

माननीय डा० दयामाप्रसाद मुकर्जी—माननीय सदस्य मत पूछ रहे हैं।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मैंने अपना विचार उपास्यता किया, आप उसमें सहमत हैं या नहीं। मैंने डा० दयामाप्रसाद मुकर्जी से अपना मत प्रकट करने को नहीं कहा है। मेरा तो यह कहा था और यही बात अब भी मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यदि यह विषय महाराष्ट्र के लोगों के सम्मुख रखा जाय तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा भी उस प्रान्त में सम्पर्क है। और मेरे मित्रों की मुन्को चाहे कुछ भी कहें मैं तो यही कहना हूँ कि यदि यह प्रश्न गुजरातियों के सम्मुख रखा जाय तो वे भी इन स्वीकार नहीं करेंगे। (कई माननीय सदस्यों द्वारा अन्तर्बाया) क्या यह आवश्यक है कि उनमें अधिक लोग एक ही साथ बोले ? यदि एक व्यक्ति बाधा डाले तो मैं उसे मुन सकता हूँ किन्तु जब चार पाँच व्यक्ति एक ही साथ बोल पड़ते हैं तो मैं किसी की भी नहीं मुन पाता।

मैंने श्री शंकरराव देव की बात सुनी। वे कहते हैं कि यदि सम्पूर्ण संविधान जनता के सम्मुख रखा जाय तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री शंकरराव देव—उसमें से अधिकांश।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—यदि ऐसा है तो इसका अधिकांश रद्दी की टोकरी में फेंक देने योग्य है। यदि संविधान का कोई भी भाग देश की जनता का स्वीकार नहीं होगा तो उसको यहाँ स्वीकृत नहीं होना चाहिए। मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूँ कि मैं सम्पूर्ण देश में इस विषय पर जनमत-गणना को सर्वत्र स्वीकार कर लूँगा। यदि प्रान्त हिन्दी को स्वीकार नहीं करते तो मैं वहाँ के लोगों पर हिन्दी को कभी नहीं लादूँगा। फिर तो मैं सरकार कहूँगा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं होना चाहिए। हिन्दी को किसी प्रान्त पर क्यों बाँपा जाय ? वह तो प्रान्तों को निर्णय करता है कि वे हिन्दी को स्वीकार करते हैं या नहीं। वे चाहे तो अंग्रेजों को ही चालू रख सकते हैं। यदि उनका ऐसा विचार है तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। किन्तु जनता की इच्छा को जानने का कोई मार्ग तो निकालना ही चाहिए। विद्यापियों की एक संस्था द्वारा हाल में एक परीक्षण मत संग्रह हुआ है। हम लोगों ने उसके विषय में पढ़ा है।

समस्त देश में जनता के विचारों को संगृहीत करने का कोई दूसरा उपाय भी अपनाया जा सकता है। ऐसा मद्रास में भी हो। यहाँ मेरे मित्र कुछ भी कहें मुझे तो आशा है कि मद्रास की बहुसंख्यक जनता हिन्दी चाहेगी।

कई माननीय सदस्य—नहीं, नहीं।

माननीय श्री पुष्पोत्तमदास टण्डन—किन्तु यदि कोई जनमत संग्रह सम्भव न हो तो मैं उन सबसे प्रार्थना करूँगा कि जिनके हाथ में आज सत्ता है कि वे अपने हृदयकी क्षीण वाणी को सुनें और कोई ऐसी छोटी सी बात स्वीकार न करें जो उन्हें लगता है कि जनता स्वीकार न करेगी।

मौलाना हुसरत मांहाणी—मैं युक्त प्रान्त में जनमत संग्रह की माँग करता हूँ कि वह हिन्दी हो वा हिन्दुस्तानी। वहाँ एक भी व्यक्ति संस्कृतनिष्ठ हिन्दी नहीं बोलता।

अध्यक्ष—क्या मुझे यह बताना आवश्यक है कि इस संविधान सभा पर देश के संविधान बनाने का कर्तव्य सौंपा गया है। इस सभा के संविधान में जनमत संग्रह कराने का कोई प्रवन्ध नहीं है, अतः सम्पूर्ण संविधान या किसी भी अंग पर जनमत गणना का कोई प्रश्न नहीं है। अतः इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह व्यर्थ होगा।

माननीय पुष्पोत्तमदास टण्डन—मैं उन व्यक्तियों से जिनके हाथ में आज सत्ता है इस विषय पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। मेरा यह प्रस्ताव नहीं है कि इस विषय पर अब प्रत्यक्ष जनमत लिया जाय। जनमत संग्रह है क्या? उम्का सीधा तात्पर्य है जनता की इच्छा। यदि यह जनता पर छोड़ दिया गया होता तो वे क्या कहते? . . .

अध्यक्ष—जहाँ तक इस संविधान सभा का सम्बन्ध है, वह जनता की इच्छा को प्रति-विम्बित करता है।

माननीय श्री आर० आर० दिवाकर (बम्बई, साधारण)—श्रीमन्! माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह इस सभा के सदस्यों पर आक्षेप है।

माननीय श्री पुष्पोत्तमदास टण्डन—यदि प्रत्येक बार जब भी हम जनता की इच्छा की ओर निर्देश करें, उस पर यह आपत्ति की जाय कि वह इस सदन के सदस्यों पर आक्षेप है तो आगे बढ़ना असंभव हो जायगा। कभी-कभी सदन के विचार जनता के विचार से भिन्न हो सकते हैं। जहाँ तक अको का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि आप उस पर मनन करें। संभवतः आपने अपने मत स्थिर कर लिए हैं। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी बात सुनें। अंकों के प्रश्न पर उत्तेजित न हो।

माननीय डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी—यह हमारे लिए बेतावनी है

माननीय श्री पुष्पोत्तमदास टण्डन—आपने अपने ऊपर विचार स्थिर कर लिए हैं और आप अपने विरोधियों की हँसी उड़ाना चाहते हैं। यह आपको सोमा नहीं देता। मैं इस प्रश्न पर गंभीर हूँ। मैं जानता हूँ कि श्री आयांगर इस प्रश्न पर गंभीर हैं। यह विषय हमारी जनता के अभिप्रेत से सम्बन्ध रखता है।

हम लोग कई वर्षों से राष्ट्रभाषा की बात करते आये हैं। स्वतन्त्र के समय यह कोई नया विषय नहीं है। यह उन्नीसवीं शताब्दी की बात है कि राष्ट्रभाषा सम्बन्धी भावना ने बंगाल में रूप धारण किया, मुक्तप्रान्त या बिहार में नहीं। मैं आपको उद्धरण दे सकता हूँ, किन्तु मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। बंकिमचन्द्र चटर्जी का मूल लेख मेरे पास है। इस विषय पर मेरे पास केशवचन्द्र सेन का मूल कथन है। सन् १९०८ ई० में 'बंदेमातरम्' में जिसके सम्पादक श्री अरविन्द घोष थे—जो कुछ छपा था, उसका मूल मेरे पास है...।

पं० लक्ष्मीकान्त मैत्र—(पश्चिमी बंगाल—साधारण) उस सबके लिए हमें पर्याप्त पुरस्कार मिल चुका है।

माननीय श्री पुल्लोत्तमदास टण्डन—इस विचार को वहाँ रूप मिला और फिर तिलक ने उसका समर्थन किया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे उठा लिया है। मेरा अग्रिमार्थ यह है कि यह आन्दोलन वर्षों में चला आ रहा है और लोगो ने कुछ निश्चित विचारधारा के अनुसार हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के निमित्त कार्य किया है। यह बात लक्ष्यमान ली गई है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है और विभिन्न प्रान्तों में इसी धारणा पर कार्य होता रहा है। कुछ ही क्षण पहले मैंने मद्रास में होनेवाले कार्यों का उल्लेख किया है। मैं यह भी निवेदन कर दूँ कि बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उड़ीसा में यह कार्य वर्षों से चल रहा है। आज कल वर्षों से हिन्दी में परीक्षाएँ मंचालित होती हैं और लगभग १,४०,००० युवक और युवतियाँ जो हिन्दी भाषी प्रान्तों के नहीं हैं वरन् जो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हैं, प्रति वर्ष उनमें बैठते हैं। इससे पता चलता है कि यह नवीन विचार नहीं है और इस विचार के आधार पर देश में कार्य होता रहा है। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि यह अको-सम्बन्धी विचार देश में कब से उत्पन्न हुआ है? यदि हिन्दी भाषा को लोगो ने अनेक वर्षों से प्रायः स्वीकार न कर लिया होता तो किसी भी सदस्य का साहम न होता कि उस भाषा की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता। उसी आधार पर संविधान के प्रारूप के भाषा-सम्बन्धी अण्ड की रचना की गई। किन्तु लोगों में इन अंकों के सम्बन्ध में कितने समय के बाद विवाद उठा? केवल दो तीन सप्ताहों से।

माननीय श्री के० सन्तानम् (मद्रास, जनरल)—मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न दक्षिण में हमारे सम्मुख कम से कम १५ वर्ष पूर्व हिन्दी प्रचार सभा के सम्बन्ध में उठा था और हम लोगो ने निर्णय किया था कि दक्षिण में हिन्दी का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ होना चाहिए।

माननीय श्री पुल्लोत्तमदास टण्डन—मैं श्री सन्तानम् के कथन को ठीक मानता हूँ। मुझे इसका कभी ज्ञान ही नहीं था। परन्तु न तो श्री सन्तानम् ने और न मद्रास की हिन्दी प्रचार सभा ने ही कभी यह प्रश्न देश के सम्मुख उपस्थित किया।

श्री एम० सत्यनारायण (मद्रास, जनरल)—आप स्वयं १५ वर्ष पूर्व हिन्दी प्रचार सभा में थे।

आयोजक-जार्जसीई, सत्र १८९१]

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—जब हिन्दी प्रचार सभा से मेरा सम्बन्ध था तब नागरी अंकों का प्रयोग होता था। मैं यह सूचना अपने मित्र श्री सत्यनारायण को दे दूँ, जिनका इस सभा से सम्पर्क मेरे बहुत बाद में आरम्भ हुआ। जब मेरा उन सभा से सम्बन्ध था, तब उस सभा का मार्ग निर्देशन इलाहाबाद से होता था, तब सभी कार्य हिन्दी अंकों द्वारा किया जाता था। संभवतः अंग्रेजी अंकों को बाद में लाए। बगैर आज भी मैं इन्हे स्मरण दिला दूँ कि इनकी प्रकाशित कर्म से कम कुछ हिन्दी पुस्तकों में नागरी अंक है। मैंने उनसे कम से कम एक तो देखी है।

श्री एम० सत्यनारायण—यह सन् १९२७ की बात है।

माननीय श्री आर० आर० दिवाकर—हिन्दी, पंजाबी, उर्दू की क्या स्थिति होगी जिनमें आज कल इन अंकों का प्रयोग हो रहा है ?

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—जब आपने भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया है तब उसके अंकों को भी स्वीकार कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन विषय पर विचार कीजिए कि क्या हिन्दी पर अंग्रेजी अंक लाने का यह उपयुक्त समय है जबकि देश इस विषय में किन्हीं विचारों से तैयार नहीं है। मैंने अनेक बार कहा है कि मैं हिन्दी को किसी प्रान्त पर लादूँगा नहीं, परन्तु आप विधान द्वारा इस लिपि को समस्त राजकीय कार्यों के लिए उन सब पर प्रायः लादे जा रहे हैं, जो नागरी लिपि द्वारा अपना कार्य करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना हाथ वहीं रोक लें। प्रधान मंत्री ने बार-बार कहा है कि मापाएँ स्वयं विकसित होती हैं और उनका जन्म एक दिन में नहीं होता। यह उन्होंने अनेक बार कहा है। (एक कण्ठध्वनि—वे ठीक है) वे ठीक कहते हैं। भाषाएँ विकसित होती हैं। परन्तु अंक भी विकसित होते हैं। (अतर्बाधा) अंक भी स्वयं विकसित होते हैं और विकसित हुए हैं। (अतर्बाधा) अंक लिपि के साथ ही विकसित हुए हैं। लिपि भी उसी भाषा के समान ही विकसित होती है, जिसमें उसका प्रयोग होता है। लिपि का जन्म एक दिन में नहीं होता। उसका सर्वांगीण विकास हुआ है—स्वर, व्यंजन और अंकों के साथ। वह एक कलापूर्ण सम्पूर्ण वस्तु है। आप इस सम्पूर्णता के मुख पर कोई चिप्पी नहीं लगा सकते। आज आप कहते हैं कि नागरी अंकों को निकाल दो, आप यह भी कह सकते हैं—यद्यपि आज आप यह नहीं कह रहे हैं—स्वरो को निकाल दो, अंग्रेजी-स्वरो का प्रयोग करो और केवल हिन्दी-व्यंजनों को ही रहने दो। मैं कहता हूँ कि आप अप्राकृतिक रूपता उत्पन्न करेंगे।

माननीय श्री एन० गोपाल स्वामी आयगर—यह तो हास्य चित्र है।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मेरे मित्र कहते हैं कि यह तो हास्य चित्र है। स्वरो को हटाने ही अनर्गलता को वह देख रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों का सम्बन्ध है हमें अंकों के हटाने में भी अनर्गलता दिखलाई पड़ती है। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता। आप हमसे ऐसी वस्तु छीन रहे हैं जिससे आप घनी नहीं होते, किन्तु हम निश्चय ही निर्धन हो जाते हैं।

हमारे अंक हमारी प्राचीन सम्पत्ति हैं। यह भी कमी कहा गया है कि अंग्रेजी के यह अंक हमारे अंक हैं और यह प्रश्न किया गया है कि हम उन्हें फिर क्यों न अपना लें। मानी

हमारे अंक खी गए थे और हम उन्हें फिर से प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इन अंकों का ज्ञान निश्चय ही हमारे देश से अरब द्वारा यूरोप पहुँचा। हम सबको इसका गर्व है। अन्य कई बातों में भी यूरोप हमारा ऋणी है। परन्तु इसका यह आशय नहीं कि जो वस्तु हमारे बीच विकसित हुई है उसका हम परित्याग कर दें और उन वस्तुओं को जो मूलरूप से यहाँ से गई हैं उनको परिवर्तित स्वरूप में पुनः ग्रहण कर लें। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने उनके स्वरूप में परिवर्तन किए हैं और हमने भी अपने रूपों में अपनी बौद्धिक प्रणाली के अनुकूल किये हैं। परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार सर्वत्र परिवर्तन होते हैं। हमारे देश में भी परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा हमारे अको वा भी विकास हुआ है। वैदिक काल में वे एक विशेष प्रकार से लिखे जाते थे। फिर परिवर्तन हुआ और लगभग १६वीं शताब्दी से वे वर्तमान रूप में लिखे जा रहे हैं। क्या हम इन रूपों को छोड़ दें जो इतने लम्बे समय से प्रयोग में आ रहे हैं? मैं कहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीयतावाद कोई तर्क नहीं है और यह न्याय नहीं है कि इस प्रकार हम अपने लोगों में सहमा उनके अंकों को छोड़ने के लिए कहे।

माननीय श्री आर० आर० दिवाकर—आज कल हम लोग दक्षिण में उनका प्रयोग कर रहे हैं।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मैं श्री दिवाकर में यह प्रार्थना करूँगा कि वे धैर्य रखें। उन्हें फिर ब्राह्मण बोलने का अवसर मिल सकता है।

देवनागरी की पूर्णता

देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में, जिसमें अंक भी सम्मिलित हैं, यह अचिञ्चल रूप से कहा गया है कि हमारी प्रणाली संसार की वर्तमान सभी प्रणालियों से सबसे अधिक पूर्ण है। मैं आपको एकदो उद्धरण सुनाऊँगा, यद्यपि मेरे पास कई हैं। यह, एक प्रोफेसर मोनियर विलियम्स का उपस्थित करना है—

“और अब कुछ शब्द देवनागरी अथवा हिन्दी-प्रणाली के सम्बन्ध में कहता हूँ। इसमें यद्यपि दो महत्वपूर्ण वर्णों की कमी है जो रोमन लिपि में जेड और एफ द्वारा प्रकट किए जाते हैं... (जिस अभाव की पूर्ति जैसा कि आपको विदित है, बिदुओ द्वारा की गई है।) तथापि वह कुल मिला कर सबसे अधिक पूर्ण तथा समस्त ज्ञात वर्णमालाओं में सुडील है। हिन्दुओं का विश्वास है कि यह सीधे पुनीत संस्कृत की सुडीलता के साथ उद्भूत समन्वय इसे मानवीय आविष्कार के स्तर से ऊँचा उठा देता है।”

स्वर्गीय सर आइज़क पिटमैन ने जो ध्वनि-शास्त्र के बड़े आंग्ल आविष्कारक थे, कहा है—“यदि संसार में कोई भी वर्णमाला सर्वाधिक पूर्ण है तो यह हिन्दी की है।”

मैं अन्य उद्धरणों को नहीं पढ़ूँगा।

कुछ मित्रों का सुझाव था कि रोमन लिपि अपनायी जाय। उनके लिए यह उचित है कि वह उन उद्धरणों पर विचार करें जो मैंने अभी पढ़े हैं। मेरा विचार है कि सम्भवतः, जब हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, यूरोपीय जातियाँ स्वतः हमारी वर्णमाला के विशेष गुण को

जानने की ओर आकर्षित होंगी। हमारी भाषा को रोमन लिपि देने का प्रश्न १९वीं शताब्दी में भी उठाया गया था। इंग्लैण्ड के कुछ विद्वान् यहाँ के लोगों को रोमन लिपि से शिक्षा देना चाहते थे। इस पर लम्बा विवाद चला था और अन्त में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया कि रोमन लिपि का प्रयोग इस देश में लाभकारी न हो सकेगा और नागरी लिपि सबसे अधिक उपयुक्त है। अब हमारी भाषा को रोमन रूप देने के विचार करने के दिन चले गए। मुझे आशा है कि इस प्रश्न पर अधिक बल न दिया जायगा।

संस्कृत—एक भाषा

संस्कृत के स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में श्री, श्रीमन् ! कुछ कहा गया है। मैं संस्कृत प्रेमियों के सम्मुख अपना शीश झुकाता हूँ। मैं श्री उनसे एक हूँ। मेरी संस्कृत से अनुरक्ति है। मेरा विचार है कि इस देश में जन्म लेनेवाले प्रत्येक भारतवासी को संस्कृत सीखनी चाहिए। संस्कृत में हमारी पुरातन परम्परागत सम्पत्ति सुरक्षित है। किन्तु आज मुझे ऐसा प्रतीत होना है—यदि उसे अपनाया जा सके तो मुझे प्रमत्तता होगी और मैं उसके पक्ष में मत दूंगा—किन्तु मुझे प्रतीत होता है कि यह व्यावहारिक प्रस्थापना नहीं है कि संस्कृत को राजकीय भाषा स्वीकृत किया जाय।

श्री लक्ष्मीकान्त मैत्र—पन्द्रह वर्ष के पश्चात् यह विल्कुल ठीक हो जायगी, यद्यपि आज नहीं है।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मैं नहीं समझता कि आज हमारे लिए अपने संविधान में यह कहना संभव होगा कि हिन्दी के स्थान पर संस्कृत को रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे व्यावहारिक विचार हिन्दी को राजकीय कार्यों की भाषा स्वीकार करना है।

श्री महावीर त्यागी—श्रीमन् ! अको के सम्बन्ध में आपका क्या संशोधन है ?

मध्य मार्ग

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—अतएव मेरा निवेदन है कि इस सर्वांगपूर्ण देव-नागरी लिपि में जो अनाविकाल से चली आ रही है, हमें हिन्दी को राजकीय भाषा बनाना चाहिए। यह उचित नहीं है कि एकाएक जबकि जनता को इस विषय का ज्ञान नहीं है, और चाहिए। यह उचित नहीं है कि एकाएक जबकि जनता को इस विषय का ज्ञान नहीं है, और न यह विषय ही पर्याप्त समय तक उसके सामने रहा है, संविधान सभा यह निर्णय कर दे कि उस लिपि से नागरी अंक पुष्कं कर दिये जायें और उनके स्थान पर तथा कथित अन्तर्राष्ट्रीय अंक अथवा अंग्रेजी अंक रख दिए जायें। दक्षिण भारत के सदस्य अंग्रेजी अंकों के प्रयोग के प्रति कुछ आशुक्त हैं क्योंकि वे उन्हें अपनी भाषाओं में प्रयुक्त करते हैं। मैं शान्तिप्रिय व्यक्ति हूँ। मैं असांभवा कोई शगड़ा नहीं करना चाहता।

मेरे विषय डा० क्यामाप्रसाद मुकर्जी ने मुझसे एक प्रकार की व्यक्तिगत अपील की है। मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। मेरी भी इच्छा है कि हमारा भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत हो सके। इसी अभिप्राय से यद्यपि मेरी प्रबल भावना है कि देवनागरी अंकों के विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय तथापि अपने दक्षिण के मित्रों की इच्छा-पूर्ति के लिए एक सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। मुझे आशा है कि आपके लिए उसे स्वीकार करना संभव होया। मैं कहता हूँ कि पन्ध्र वर्षों तक देवनागरी लिपि के भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के अंकों को मान्यता दे दी जाय और फिर राष्ट्रपति अथवा सरकार, समय-समय पर निर्णय करें कि किम कार्य में एक प्रकार के अंकों का प्रयोग हो और किस कार्य में दूसरे प्रकार के अंकों का प्रयोग हो। सरकारी कार्य कई वर्षों तक अंग्रेजी में होगा। कुछ मित्रों ने विशेषकर श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने मुझाया है कि सांख्यिकी हिसाब की गृहियों तथा बैंकों के कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग की अनुमति दी जाय। मैंने देखा कि वे हम सम्बन्ध में बहुत उत्सुक थे। अतएव मैंने एक उपवाक्य में यह रखा है कि जहाँ तक इन विषयों का सम्बन्ध है इनमें १५ वर्ष की पूरी अवधि तक केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को रखने का मुख्य प्रयोजन अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में ही सिद्ध हो जायगा। जिसमें अंग्रेजी अंकों का प्रयोग तो होगा ही। मैं नहीं समझता कि कोई भी यह चाहता है कि साधारण हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन में अंग्रेजी अंकों का प्रयोग हो। पर यह भी मैंने सरकार पर छोड़ दिया है। यदि सरकार किसी कार्य विशेष के लिए अंग्रेजी अंकों का प्रयोग करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर ही वह केवल हिन्दी अंकों का प्रयोग करे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मध्य मार्ग को स्वीकार कर लीजिए और यह आग्रह मत कीजिए कि सदा सर्वदा के लिए देवनागरी अंकों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग होना चाहिए। (अन्तर्बाधा) मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस प्रस्ताव को यहाँ स्वीकार न कीजिए क्योंकि ऐसा करके आप हिन्दी के व्यवहार करनेवालों के प्रति बहुत कठोरता करेंगे। उनके मन इस प्रकार के परिवर्तन के लिए तनिक भी धैर्य नहीं है। (अन्तर्बाधा) देवनागरी को राष्ट्रलिपि और हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेने के अनन्तर हम सब लोगों के लिए सम्भव होगा कि सम्मेलनों में भाग लेकर निश्चय करे कि देवनागरी लिपि में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। हमारी पद्धति पूर्ण है किन्तु कुछ अक्षरों के रूपों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और कुछ नए अक्षर के रूपों में परिवर्तन। मेरा निवेदन है कि तुम सबके लिए वर्तमान नागरी लिपि को स्वीकार कर लेने के बाद यह सम्भव होगा और विशेषकर भारत सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह लिपि और अंकों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनों पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलावे। प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि छापे की सामग्री, कम्पोज करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अंक अधिक उपयुक्त हैं। उनके प्रति आदर प्रकट करते हुए मेरा कथन है कि उनको प्रेस के कार्यों के बारे में जानकारी नहीं है। छापे के काम करनेवालों में से जिन लोगों के सम्पर्क में मैं आया हूँ, उनका कहना

है कि उनके लिए हिन्दी या अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग में कोई अन्तर नहीं पड़ता। सम्मोज करने का सबसे अच्छा काम भोनों टाइप या लीनो टाइप यंत्रों पर होता है। मेरा तो निवेदन है कि हमारे अक अधिक कलापूर्ण हैं और हमारे अक्षरों के स्वरूप के अनुरूप हैं। मैं आपसे इस मध्यम मार्ग को उसी भावना से स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूँ जिससे प्रेरित होकर मैंने यह प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा है। मैं आपको और अधिक कटुता से बचाने का अनुरोध करता हूँ। अन्यथा यह बात यहाँ पर समाप्त नहीं हो सकती, क्या आप समझते हैं कि इस बात पर आन्दोलन नहीं होगा? यह बात उन लोगों के हृदयों में अवश्य खटकेगी जो इन अंकों का प्रयोग करते आए हैं। और उनसे प्रेम करते हैं। चाहे वे हिन्दी भाषी हों या मराठी भाषी हों या गुजराती भाषी हों हम आपको तमिल या तेलुगू लिपियों में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, किन्तु आप यहाँ हमारी नागरी लिपि में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री एल० कृष्णास्वामी भारती (मद्रास, साधारण)—यह तो केवल राजकीय प्रयोजनों के लिए ही है।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन—मैं जानता हूँ कि यह केवल भारत सरकार के सासकीय प्रयोजनों के लिए है। किन्तु यदि एक बार भारत सरकार यह आरम्भ कर देती है तब यह निश्चय ही निचले स्तरों में उतरेगी क्योंकि सरकार ममम्न कार्यवाहियों का केन्द्र है। इसी कारण से हम इस पर आपत्ति करते हैं। यदि आप कृपया मेरी बात सुनेंगे तो अन्यन्त बिनभ्रता मे मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मैंने जो मध्यम मार्ग आपके सम्मुख उपस्थित किया है, उसे आप स्वीकार करें और मेरे संशोधनों को मान लें।

बाबू जी के प्रेरक जीवन-प्रसंग

(१)

भारतीय देहाती मजदूरों को बहका कर, प्रलोभन देकर, अंग्रेजों की मजदूरी के लिए फिजी, नेटाल आदि द्वीपों को प्रवासित कर दिया जाता था। अर्काटी लोगों द्वारा मजदूरों की इस प्रकार की भर्ती के विरुद्ध जनता में बड़ा रोप हुआ। एक दिन बाबूजी (टण्डन जी) का सूचना मिली कि अर्काटी लोग कुछ देहाती मजदूरों को बहका कर ले आए हैं और उन्हें किले में (प्रयाग) के) इकट्ठा कर रखा है। उन्होंने इसके विरोध में आन्दोलन शुरू कर दिया। बाबूजी की वकालत के प्रारम्भिक वर्ष थे। अंग्रेज जिलाधीश को उनके इस आन्दोलन के विषय में ज्ञात हुआ तो दूसरे ही दिन उसने उन्हें कोर्ट में अपने कमरे में बुलवाया। पहिले तो उसने बाबूजी को भय दिखा कर निरस्त करना चाहा। कहा कि इस प्रकार के आन्दोलन से उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। बाबूजी पर आतंक या भय का प्रभाव क्यों पड़ने लगा? तब उसने बाबूजी को अनेक प्रलोभन दिए। बहुत तरह समझाया, ऊँचा-नीचा दिखलाया। उसने देखा, बाबू जी पर किंचित् प्रभाव नहीं, वे अपनी ही बात पर दृढ़ हैं। जिलाधीश ने क्रोध में कहा, "लगता है, तुम अंग्रेजों के विरोधी हो।"

"आपको यह बात समझने में बहुत समय लगा!" बाबूजी ने तत्काल निर्भीक स्वर में कटाक्ष करते हुए उत्तर दिया।

अंग्रेज जिलाधीश बाबूजी के इस उत्तर से, उनकी दृढ़ता, निर्भीकता, तत्परता से अवाक रह गया। उस समय ऐसा तपक और दंड टूक उत्तर एक अंग्रेज अफसर को बाबूजी जैसा ही साहसी व्यक्ति दे सकता था।

(२)

बाबूजी ने सन् १९०८ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। घटना सन् १९०९ की है। बाबूजी को उच्च न्यायालय में केवल वर्ष भर हुआ था। बाबू जी बेञ्च के समक्ष किसी मुकदमे में बहस कर रहे थे। बेञ्च में मुख्य न्यायाधीश जान स्टेन्ल मी थे। जान महोदय से बड़े से बड़े वकील मी तस्त और भयप्रस्त रहते थे। कारण, बहस के दौरान वे बुरी तरह फटकार दिया करते थे। सभी वकील बहस के समय उनसे डरते रहते थे।

बाबूजी ने अपनी बहस के समय कोई तर्क रखा। नीचे के जज ने अपने फैसले में बाबूजी की बहस का जो विवरण लिखा था उसमें उस तर्क का कोई उल्लेख नहीं था। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने समझा, बाबूजी कोई नया तर्क पेश कर रहे हैं! वह तर्क एक जज के समक्ष नहीं रखा गया होगा।

जान महोदय ने पूछा, "आपने यह तर्क एक जज के सामने क्यों नहीं पेश किया?"

बाबूजी ने कहा, "मैंने उनके समक्ष वह तर्क प्रस्तुत किया था। जज महोदय ने अपने निर्णय में इसका उल्लेख नहीं किया। क्यों? मुझे पता नहीं।"

अपने उसी तर्क के आधार पर बाबूजी ने अपनी बहस जारी रखी। थोड़ी देर बाद जान महोदय ने पुनः हस्तक्षेप करते हुए कहा, "जिस एक जज के सामने बहस हो चुकी है, उसकी स्मृति बड़ी तेज है। वे आपके इस तर्क को अपने फैसले में लिखने में कैसे मूल सकते थे?"

यह सुनना था कि बाबूजी का गुस्सा बढ़ गया। उनका चेहरा तमतमा गया। उन्हें लगा कि प्रकारान्तर में उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने धैर्य और संयम से काम लिया और दृढ़तापूर्वक कहा, "मेरे आपके मामले अपने मुकदमे की बहस के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए आपका फैसला लेने नहीं आया हूँ।"

यह उक्ति बाबूजी के समय की ही नहीं, उनकी दृढ़ता, निर्भीकता और साहम का भी परिचय देती है।

(३)

एक बार पेन्सिल बनानेवाले किसी स्वदेशी कारखाने का प्रतिनिधि बाबूजी के पास आया। उसने अपने कारखाने की बनी हुई पेन्सिलें बाबूजी को दिखलाई। वे बड़ी देर तक पेन्सिलें देखते रहे। अंत में उन्होंने कुछ पेन्सिलें अपने लिए छांट लीं। पेन्सिलें लेकर बाबूजी ने उनका मूल्य पूछा।

प्रतिनिधि बड़े सकट में पड़ा। वह तो बाबूजी को अपने कारखाने की पेन्सिलें उपहार में देने आया था। बाबूजी उनका मूल्य पूछ रहे थे। वह मला क्या मूल्य बतलाता और कैसे ?

बाबूजी बिना मूल्य दिए पेन्सिलें लेने को तैयार नहीं थे।

बाबूजी के सचिव भी वहाँ उपस्थित थे किन्तु बाबूजी के स्वभाव और सिद्धान्त से परिचिन होने के कारण प्रतिनिधि की कोई सहायता करने में वे असमर्थ थे। बाबूजी प्रतिनिधि से स्वयं विवाद कर रहे थे। उनके विवाद में बड़ी मधुरता थी। फिर कोई कैसे हस्तक्षेप करता।

अंत में बाबूजी ने पेन्सिलों का मूल्य दो पय्या निर्धारित किया और मूल्य देकर ही उन्होंने पेन्सिलें स्वीकार की।

(४)

नवम्बर सन् १९२८ में लाला लाजपत राय का निधन हो गया। वे लोक-सेवक मण्डल (सर्वेंट्स आफ द पीपुलसोसाइटी) के समापति भी थे। इस रिक्त स्थान की पूर्ति का प्रश्न था। मण्डल ने गांधी जी को इस पूर्ति का भार सौंपा। गांधीजी ने कहा कि टण्डनजी से अधिक बौद्ध उपयुक्त श्रेष्ठ व्यक्ति अन्य नहीं। गांधी जी ने बाबूजी से निवेदन किया कि वे इस पद को संभाल लें। बाबू जी उस समय पंजाब नेशनल बैंक के लाहौर स्थित कार्यालय में मंत्री थे। वहाँ वे १५०० रुपए मासिक पा रहे थे। उन पर अपने एक बड़े परिवार का भार था। अतः इस पद को छोड़ कर लोक सेवक-मण्डल की अध्यक्षता स्वीकार करने में कठिन आर्थिक समस्या थी। तथापि वे गांधी जी की इच्छा को न टाल सके। बैंक की सेवा से तिलांजलि देकर जनवरी १९२९ में वे मण्डल के समापति हो गए। बाबूजी ने मोह-विरत त्वरित निर्णय लिया था। इस त्याग ने उन्हें और भी ऊँचा उठा दिया। गांधी जी ने उनके त्याग, देशप्रेम और सेवा-भावना की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

(५)

बाबू जी कलकत्ते के बिरला पार्क में अतिथि थे। उनकी सुविधा के लिए वहा पूरा प्रबंध था। एक बार हाथ धोने के लिए एक सज्जन ने उन्हें साबुन दिया। बाबू जी ने कहा, "गाँव में आकर तुम्हें शहर की हवा लग गई? साबुन से हाथ साफ नहीं होता, मिट्टी से होता है। . . . यहाँ मिट्टी मिल सकती है?" और बाबूजी ने मिट्टी के गुण बखान कर डाले। जब उन्हें मिट्टी दी गई तो वे बड़े प्रसन्न और सतुष्ट हुए।

(६)

सन् १९५७-५८ का प्रसंग है। प्रयाग के साहित्यकारों ने बाबूजी को अभिनंदित कर अभिनंदन ग्रंथ समर्पित करने का निश्चय किया। इसके लिए कार्यालय खुला, तदर्थ समर्पितयाँ बनी, पत्राचार शुरू हुआ। बाबूजी उन दिनों दिल्ली में थे। उन्हें इस आयोजन की सूचना पत्र लिखकर दी गई। उन्होंने अभिनंदन लेना अस्वीकार करते हुए आयोजकों को लिखा, "व्यर्थ के कामों में अपनी शक्ति क्यों गँवाते हो? मुझे इस प्रसंग में कोई रुचि नहीं है।"

बाबूजी के इस उत्तर पर आयोजन समाप्त कर दिया गया। लोग जानते थे कि जिस विषय में उनकी रुचि नहीं, उसके लिए उन्हें सहमत करना, स्वीकृति पाना संभव नहीं।

फिर, सन् १९६० में दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बाबूजी को अपने अभिनंदन के लिए विवश कर ही लिया। उस समय वे अपने गृह प्रयाग में थे और बहुत बीमार थे। अस्वस्थता के कारण उनमें बिरोध या आपत्ति की अब उतनी प्रबल शक्ति नहीं थी। तथापि बाबूजी ने श्री गोपालप्रसाद व्यास को पत्र लिखा कर सूचित किया, "... आप लोग यह प्रपत्र क्यों कर रहे हैं?"

आचार्य-वार्तापत्र, अंक १८९१]

व्यास जी और अन्य आयोजक धुन के पक्के थे। उन्होंने श्री लालबहादुर शास्त्री जी को आयोजन का अग्रणी बना लिया था। वे ही बाबूजी को अपने प्रेमपूर्ण आग्रह से अभिनदन स्वीकार करने के लिए विवश कर सकते थे। जब सारी योजना बन गई, अभिनदन ग्रन्थ समर्पण के लिए राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी ने स्वीकृति दे दी, तिथि निश्चित हो गई और प्रयाग में समारोह की तैयारियाँ भी होने लगी, तब व्यास जी अपने दल-सहित बाबूजी के पास प्रयाग आए। इतना सब हो जाने पर भी बाबूजी को बड़ी मुश्किल से वे लोग अभिनदन ग्रन्थ लेने के लिए तैयार कर सके। फिर तो निस्पृह, त्यागी, सत सदृश राजर्षि का अभिनदन प्रयाग की पावन भूमि पर भगवत्पूर्वक हो ही गया।

राजर्षि टंडन जी : तपस्या और सेवा के प्रतीक

राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों में त्याग, तपस्या, देशभक्ति, हिन्दी सेवा, संस्कृति और सदाचार के लिए महात्मा गांधी के महयार्थियों में जिस एक नाम को सर्वाधिक आदर के साथ स्मरण किया जायगा वह नाम है राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन का।

टंडन जी व्यक्ति नहीं सभ्यता थे। अपने देश में किमान आन्दोलन के वे जन्मदाता थे। कानून के पठित होने पर भी मृत्युता और सादगी में उनके जीवन का अभिन्न सबंध रहा। टंडन जी के समान शूद्राचरण और न्यायनिष्ठ व्यक्ति मिलना दुर्लभ ही कहा जा सकता है। अपने जीवन में वे जितने ही सत्यवादी थे उतने ही सिद्धांत पालन में कट्टर भी। कथनी और करनी की एकता में गांधी जी के पश्चान् कदाचित् अकेले टंडन जी का ही नाम लिया जा सकता है। कबीर का निर्मलम्बित दोहा टंडन जी अपने भाषणों में प्रायः सुनाया करते थे—

सिंहन के लहड़े नहीं हुंसन की नहिं पात ।

लालन की नहिं बोरियां साधु न चले जमात ।।

जैसे सिंह झुंड बांधकर नहीं रहते, हंस पक्षिबद्ध होकर नहीं उड़ते, लाल बोरियों में नहीं भरे जाते और साधु जमात बनाकर नहीं चलते अर्थात् महत्वपूर्ण चीजों की बहुतायत नहीं होती। ठीक यही बात टंडन जी के लिए भी लागू होती है। गांधी युग में टंडन जी वैसे सत्पुरुष विरल ही मिलेंगे। वे महात्मा मालवीय जी के उत्तराधिकारी और गांधी जी के अनन्य अनुयायी थे। परन्तु हिन्दी के प्रश्न को गांधी जी ने राजनैतिक कारणों से उमें देश की आवश्यकता के बजाय राजनीति से जोड़ा तो टंडन जी ने महान्मा गांधी जी का भी प्रत्याख्यान किया। अत्यंत विनम्रता किन्तु पूरी दृढ़ता के साथ हिन्दी और देश के हित में उन्होंने गांधी जी के दो लिपियों में लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी सभ्यता को राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के असहयोग के बावजूद प्रतिष्ठित करके प्रभावशाली ढंग से चलाते रहना टंडन जी की अदम्य सगठन शक्ति का ही परिणाम था।

टंडन जी जब प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे तब वे डॉ० पट्टाभि सीतारामैया के मुकाबले थोड़े से वोटों से पराजित हो गये थे क्योंकि नेहरू जी का तीव्र विरोध और देश के सभी नेताओं का नेहरू जी के पक्ष में होने के कारण उन्हें पराजित होना पड़ा था किन्तु जब दूसरी बार से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए तब वे आचार्य कृपलानी और शंकर सावरकर—मार्गशीर्ष, शक १८९१]

राज देव को हरा कर भारी बहुमत से विजयी हुए थे। पं० नेहरू इत बार भी उनके विरोध में थे। और स्वयं टंडन जी दुबारा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे किन्तु सरदार बल्लभभाई पटेल के आग्रह के कारण उन्होंने दुबारा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना स्वीकार किया था। यूँ तो राजर्षि टंडन और पं० जवाहर लाल नेहरू के नीति-संबंधी मतभेद थे ही परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद से यह मतभेद अधिक उग्र होकर अपनी चरम सीमा को पहुँचे। नेहरू जी का दृष्टिकोण काल्पनिक और अन्तरराष्ट्रीय अधिक था। जबकि टंडन जी पथार्थवादी और राष्ट्रीयता को महत्व देते थे। सरदार पटेल से भी नेहरू जी के मतभेदों का यही कारण था और महात्मा गांधी जी के उत्तराधिकारी होने के बावजूद नेहरू जी गांधी जी की राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत दूर ही रहे।

प्रधान मंत्री पद पर नेहरू जी और सत्तारूढ दल कांग्रेस के प्रधान पद पर राजर्षि टंडन जी और दोनों की दृष्टियों में मौलिक अन्तर और दोनों ही सिद्धांतों से समझौता न करनेवाले थे अतः स्वाभाविक था कि मतभेद गम्भीर में गम्भीरतर हो जाते। इसमें सरदार पटेल की मृत्यु से और भी परेशानी हुई और पं० नेहरू जी ने टंडन जी से असहयोग शुरू कर दिया। मामला यहाँ तक बढ़ा कि या तो नेहरू जी अपने पद से हटे या टंडन जी अलग हों। टंडन जी के सहयोगी तथा तत्कालीन कई कांग्रेस नेताओं ने नेहरू जी को अलग करने के लिए टंडन जी पर दबाव डाला परन्तु टंडन जी ने किसी की भी एक न मुनी और अपने मित्रों तथा सहयोगियों के आग्रह और अनुरोध के बावजूद स्वयं ही कांग्रेस अध्यक्ष पद में त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस का नेतृत्व भी नेहरू जी को सौंप दिया। त्यागपत्र देने के दो चार दिन पूर्व ही जब वे दिल्ली में प्रयाग जाने हुए रास्ते में कानपुर स्टेशन पर मुझे मिले तब मेरे यह कहने पर कि "आप वकिंग, कमेटी में नेहरू जी का त्यागपत्र स्वीकार क्यों नहीं कर लेते?" जो उत्तर उन्होंने दिया वह आज भी मेरे कानों में गूँजता रहा और टंडन जी की महानता में चार चाँद लगा देता है। टंडन जी ने कहा था "तुम पागल हो गये हो क्या? जवाहरलाल की देश को बहुत जख्म है। मैं अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए जवाहरलाल को कांग्रेस और देश के नेतृत्व से हटाकर देश का नुकसान नहीं कर सकता।"

ऐसा नहीं कि पं० जवाहरलाल नेहरू के व्यवहार से उन्हें शिकायत नहीं थी मगर देश की जख्म और नेहरू जी की क्षमता पर उनका अगाध विश्वास था। यूँ नेहरू जी उनसे आयु तथा सार्वजनिक जीवन में जूनियर भी थे और टंडन जी पंडित नेहरू को हृदय से अधिक स्नेह भी करते थे। यही कारण था कि जब टंडन जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र लेकर पं० नेहरू को कांग्रेस सौंप दी और नेहरू जी ने कांग्रेस अध्यक्ष बन कर वकिंग कमेटी के एक सहयोगी सदस्य के रूप में टंडन जी से सहयोग की याचना की तब नेहरू जी के आग्रह के समक्ष झुककर उन्होंने नेहरू जी की वकिंग कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं नीति-संबंधी मामलों में नेहरू जी और टंडन जी के मतभेद बहुत गहरे थे, फिर भी नेहरू जी ने जब टंडन जी को लोक-सभा के लिए इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए अनुरोध किया तब

पहले उन्होंने अस्वीकार कर दिया और जब बहुत आग्रह अनुरोध के साथ नेहरू जी भी रफी अहमद किदवाई को मजकूर इस स्थान के लिए टंडन जी से पुनः अनुरोध किया तो उन्होंने बुनाब लड़ना स्वीकार कर लिया। टंडन जी की लोकप्रियता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि वे इलाहाबाद शहर की लोक-सभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।

तथाकथित नेहरूवादी टंडन जी को प्रायः मुस्लिम-विरोधी और धार्मिक व्यक्ति कह कर उनकी शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि का और खरी राष्ट्रीयता का उपहास किया करते थे ऐसे लोगों के मंह पर उस समय करारा तमाचा लगा था जब कि इलाहाबाद के मुसलमानों ने बड़ी सभा करके यह घोषणा की कि "अगर बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन इलाहाबाद से लोक सभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बनना मंजूर करेंगे तो शहर के सभी मुसलमान उनका समर्थन करेंगे और कोई भी मुसलमान उनके विरोध में नहीं खड़ा होगा।" और यही हुआ भी जब टंडन जी ने उम्मीदवार बनना स्वीकार कर लिया तो जो लोग हिन्दू या मुसलमान उम्मीदवार के रूप में सामने आये भी थे, सभी ने नाम वापस ले लिए तथा टंडन जी निर्विरोध लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उस समय उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक टंडन जी ही ऐसे नेता थे जिनके सर्वमम्मन लोक-सभा की सदस्यता के लिए निर्वाचित हुए थे।

अपने आपको प्रगतिशील कहनेवाले कुछ लोग टंडन जी के हिन्दी प्रेम को उर्दू भाषा-द्रोह से जोड़ कर देखते थे। कदाचित् इन लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं था कि टंडन जी उर्दू-फारसी के बहुत अच्छे जानकार तथा उर्दू शैरोमायरी के बड़े शौकीन थे। अकबर दलाहाबादी उनके अत्यंत प्रिय शायर थे और अपने भाषणों तथा निजी बातचीत में टंडन जी बहुत में बढिया शेर अवमग सुनाया करते थे।

स्वाधीनता के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में अंग्रेजियत का जो माहौल बना रखा था और स्वाधीन भारत की सारी कल्पनाएँ धूल धूसरित होकर बही पुरानी गुलामी की परि-पाटी का बोलबाला था। सारा का सारा वातावरण पुरानी अफसर शाही का, हाँ, केवल देखने-वाली आँखें गरीब हिन्दुस्तानी की अवश्य थी। स्वाधीन भारत में पराधीन भारत की प्रवृत्तियाँ घटने के बजाय बढ़ोत्तरी पर थीं। राजथि टंडन इस माहौल में त्रेचैन होकर अपने भाषणों में प्रायः निम्नलिखित शेर कह करते थे :—

महफिल उनकी साकी उनका।

आँखें अपनी बाकी उनका॥

टंडन जी जितने दिन भी जिये देश और देशभाषा के लिए उनकी प्रत्येक साँस आई गई। टंडन जी की दूरदर्शिता को लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की, स्वयं पं० जवाहरलाल नेहरू ने टंडन जी की उन चैतावनियों की उपेक्षा की जिनकी अं०२ वर्षों पूर्व टंडन जी ने ध्यान आक-षित किया था। टंडन जी ने जो चैतावनियाँ देश के नेतृत्व को समय रहते ही दी थीं उनकी उपेक्षा आचाड़-मार्चवादी, शक १८९१]

करके देश को वर्षों बाद उन्हीं परिस्थितियों से साक्षात्कार करना पड़ा। राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्वपूर्ण प्रश्न उलझा ही दिया गया था। टंडन जी तिब्बत पर किये गये नेहरू जी के समझौते को एक भारी भूल बताते हुए लोक सभा में जो व्याख्यान दिया था, वह अक्षरशः सत्य निकला। पाँच ही वर्ष बाद भारत के साथ चीन ने जो व्यवहार किया उसकी भविष्यवाणी टंडन जी ने वर्षों पूर्व भारतीय लोक-सभा में की थी। किन्तु उस समय हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे से न नेहरू जी ने ध्यान दिया और न देश की जनता ने।

राष्ट्रभाषा का प्रश्न देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न था। जिस पर देश की एकता और देश का ज्ञान-विज्ञान निर्भर करता है परन्तु इस प्रश्न को भी टाल मटोल कर जहाँ पहुँचा दिया गया उसके दुष्परिणाम देश के सामने हैं। पराधीन भारत को भाषा और भाव की दृष्टि से महात्मा गांधी ने एकराष्ट्र बना कर एकता के जिस सूत्र में गूँथ दिया था, स्वाधीन भारत के नेतृत्व ने उसे तारतार करके बिखेर दिया।

आज भाषा संघटन के बजाय विघटन की भूमिका बन गई है और राष्ट्रीयता, प्रादेशिकता तथा जातीयता के आघातों से चकनाचूर होते दिखाई देने लगी है।

टंडन जी के अंतिम दिन देश में फैली अव्यवस्था, विघटनवादी मनोवृत्ति और भ्रष्टाचार के कुल से पीड़ित होकर व्यतीत हुए। रुग्णता ने उन्हें इतना असाक्त बना दिया था कि वे उठ कर बैठ भी नहीं सकते थे इतने पर भी उन्हें हिन्दी और हिन्दुस्तानियों की चिंता निरंतर सताती रहती थी। एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता था जब कि उन्हें अपना देश और अपनी भाषा तथा संस्कृति भूली हो। राष्ट्र के प्रति सतत चिंतन उनका जीवन था। राष्ट्रभाषा की स्थिति के प्रति वे अत्यधिक चिंतित थे। संविधान की उपेक्षा करके कांग्रेस के केन्द्रीय शासन ने जो नीति अपनाई थी उसने उन्हें बहुत चोट पहुँचाई थी। मृत्यु से लगभग बीस-पच्चीस दिन पूर्व प्रयाग में जब मेरी उनसे अंतिम भेंट हुई तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन और हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए कार्यरत रहने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने एक हलकी भी मुस्कान के साथ बड़ी मुश्किल से यह कहा था "मृत्यु से क्या भय?" और एक शेर सुनाया —

बिला! मुझे अबम जाने से क्यों इतना तू डरता है?

हजारों रोज जाते हैं यह रास्ता कब चलता है॥

टंडन जी जैसे महापुरुष रोज रोज जन्म नहीं लेते और जैसा कि सभी महापुरुषों के साथ होता आया है वही टंडन जी के साथ हुआ। महापुरुषों को प्रायः समझने में भूल की गई है, टंडन जी के साथ भी उनके देश में ऐसा ही हुआ। टंडन जी के सहज स्वभाव और उदारता का बहुत से लोगों ने अनुचित लाभ उठाया। उनके त्याग, तपस्या, दृढ़ता तथा निष्ठा का लाभ देश को मिलता यह भी इस अमांग देश की राजनीति ने नहीं होने दिया। उनकी महानता और दूर-दक्षिणा को कभी कभी संकुचित अर्थ और संघर्ष देकर तथा व फिल देशभक्त और हिन्दी सेवाओं ने उनके हृदय को भर्माहत किया। लेकिन इतने पर भी कदाचित् महापुरुष अपने जीवनदीप को

निरंतर प्रज्वलित रखते हैं कि उसके प्रकाश में चाहनेवाले मार्ग खोज लें और इसी उज्ज्वलादर्श को रखते हुए एक दिन वे पार्थिव रूप में इस लोक से विदा हो जाया करते हैं। पूज्य टंडन जी ऐसे ही एक आलोक-स्तंभ थे जिन्होंने देश के लाखों व्यक्तियों को अपने त्यागमय चरित्र, निष्ठापूर्ण जीवन तथा उच्चादर्शों से प्रेरणा प्रदान की और एक दिन उन्हीं महान् आदर्शों के प्रति अपने को समर्पित करके दूसरों को महान् आदर्शों के लिए सदैव संघर्ष करते रहने की शिक्षा देकर सदैव के लिए पार्थिव रूप से इहलोक से विदा हो गये।

वे प्रातःस्मरणीय और सर्वथा वन्दनीय महापुरुष थे—उनके चरणों में क्षतशः प्रणाम ।

ऐसा निर्भीक नेता कहाँ है ?

“पद और घन दोनों को या दोनों में से किसी एक को भी स्वीकार करने का प्रश्न जब कभी मेरे सामने आया है तभी मेरे हृदय ने इसका उत्तर इनकारी में दिया है।” यह शब्द है राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन के, जो उन्होंने एक दिन आपसी बातचीत में कहे थे। प्रसंग यह था कि उनमें किसी राज्य के राज्यपाल का पद स्वीकार करने का आग्रह राष्ट्रपति की ओर से किया गया था और उसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से प्रयाग में की जा रही थी। एक मित्र ने मुझे सम्बोधित कर कहा कि आपको अपने अखबार में इसके बारे में लिखना चाहिये और इस बात पर बल देना चाहिये कि राजर्षि को यह पद देना ही है तो ऐसे किसी बड़े राज्य का राज्यपाल बनाना चाहिये, जो उनके व्यक्तित्व और गौरव के अनुरूप हो। इसके पहले कि मैं इस सुझाव पर कुछ कह सकूँ या चर्चा के विषय को विस्तार से समझ सकूँ, राजर्षि ने उक्त वाक्य कह कर हम सबका मौन कर दिया। किसी को उनसे यह कहने का साहस नहीं हुआ कि ऐंसे विषय में आपको स्वयं अपने लिए अपने आप निर्णय नहीं करना चाहिये; हम सबकी मनाकामना की पूर्ति के लिए हम सबका गौरव बढ़ाने के लिए इस पद को स्वीकार करना चाहिये अथवा यह कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने में हम सबका सेवा स्वीकार करनी चाहिए। जिसमें आपसे और अधिक ऊँचा पद प्राप्त करने का प्रस्ताव करने के लिए भारत सरकार और राष्ट्रपति विवश हो जायें। देश की आज की परिस्थिति में, वर्तमान स्वायत्तपूर्ण राजनीतिक अवस्था के बातावरण में अन्य किसी नेता के लिए ऐसा उपक्रम या उपाय करना सर्वथा स्वाभाविक और उचित जान पड़ता। आज लोगों को धोखा देकर, गुमराह और अपमानित कर अपने लिए ऊँचा से ऊँचा पद सुनिश्चित करने की जो परम्परा चल पड़ी है, उसमें ऐसा सोचना नितान्त सहज होता। किन्तु हममें से किसी को ऐसी बात कहने का साहस नहीं हुआ। टण्डन जी के निर्मल, उदात्त गरिमायु आदर्शवादी जीवन और व्यक्तित्व के प्रभाव से वहाँ उस समय उपस्थित सभी लोक इतने प्रभावित हो गये कि किसी के मुँह से एक शब्द नहीं निकला और इसमें सन्देह नहीं कि हम सबने मन में यही अनुभव किया कि इसी त्याग-मय, तेजोमय ईर्ष्या, द्वेष और स्पृहाबिहीन, निष्कलुष और निरभिमानि जीवन से हम सब का गौरव बढ़ता है। यदि इस एकान्त पथगामी राजर्षि के जीवन से हम गौरवान्वित होते हैं तो यह हमारे लिए कुछ कम सम्पदा नहीं है। जो पद उन्हें दिया जा रहा था, उसके लिए माँग करने की कौन कहे किसी प्रकार का संकेत भी उन्होंने नहीं किया था। जो लोग उनसे वह पद ग्रहण कर के लिए कह रहे थे। उनके सामने केवल एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य था वह यह कि जिन टण्डन जी के

प्रति हम लोगों ने उद्वेगपूर्ण, उच्छ्वस्तापूर्ण और निराश्रयपूर्ण व्यवहार किया है वह अवश्य ही प्रतिशोध की भावना से परिपूर्ण होगी। अतः उन्हें किसी सरकारी पद पर बैठने से यह आशंका समाप्त हो जायगी कि टण्डन जी ब्रह्म और प्रतिशोध की भावना से कोई ऐसा काम करेंगे, जिससे हमारा आसन डोल जाय; हमारी मीज में खल्ल पड़ जाय या हमारी निकृष्ट मनोवृत्ति का अनावरण हो जाय। यदि टण्डन जी आज की राजनीति के नेता होते तो प्रतिशोध की भावना को मन में छिपाने रखते हुए ऊपर-ऊपर मुसकराते हुए अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों और शत्रुओं के बीच उठते-बैठते, उनकी व्याज-स्तुति करते रहते, उनके लिए यहाँ-कहाँ, यत्र-तत्र स्वागत समारोह का आयोजन करते रहते, स्वयं दूर-दूर तक का दौरा करते रहते, अपने समर्थकों का दल और उसका बल बढ़ाते, अनेक अकरणीय कुकर्म करते हुए भी भौतिक रूप से नैतिकता और पवित्र जीवन चारित्रिक श्रुति का उपदेश देते फिरते और इतना सब करते हुए भी ऐसे मीके की ताल में रहते जब अपने प्रतिद्वन्द्वी का उठाकर पटक देने, अपमानित कर, पदच्युत कर अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना सरल काम हो गया होता। राजनीतिक जीवन का यह छल-छद्मपूर्ण व्यवहार केवल आज देखा जा रहा है, यह हम नहीं कर रहे हैं। अकबर और औरंगजेब, मर्नसिंह और मीर जाफर जो रास्ता दिखा गये हैं; उस पर आज के राजनीतिक नेता कितनी कुशलता से चल रहे हैं, इस पर भी कोई शंका प्रकट करना मेरा अभीष्ट नहीं है। किन्तु यह कहे बिना रहना कठिन है कि महात्मा गांधी ने इस देश के सार्वजनिक जीवन को जिरा प्रकार गुड़ कर भारतीयों को नया मार्ग दिखलाया था उस पर निष्ठा-पूर्वक सच्चे दिल से चलनेवाले गांधीवादी युग के कुछ ही इने गिने लोगों ने राजषि टण्डन जी सर्वप्रमुख थे।

सन् १९१६ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलाम्यास समारोह के अवसर पर गांधी जी ने जिस निर्भीकता से राजाओं और महाराजाओं की अकर्मण्यता और सत्रियों जैसी अलंकरण-पूर्व वेशभूषा की निन्दा की थी और वाइसराय लार्ड हार्डिंज को भी सम्बोधित कर जिस प्रकार कहा था कि हजारों काशीवासियों को मार्गावरोह का जो कष्ट उठाना पड़ रहा है, उससे कही अच्छा होता कि आज जैसे एक वाइसराय की बम या गोली से मृत्यु हो जाय, उस प्रकार की बात कहने या सार्वजनिक जीवन को कलंकित करनेवाले आज के धनपतियों की खुले दण्डों में निन्दा प्रदर्शन करने की हिम्मत आज किसी एक राजनीतिक नेता में भी नहीं है। खान अब्दुल ग़फ़ार खान की बात दूसरी है, क्योंकि एक तो वह अब हमारे देश के नहीं रहे, दूसरे पिछले २२ वर्षों से तख्त-तरह की यातना सहते हुए उन्होंने भारतीयों और पाकिस्तानियों को अनैतिकता के गर्त में पड़ते देखा है और वह आज भी, कन्न में पैर लटकाए हुए इन दोनों देशों के कुमागियों की निन्दा कर सकते हैं। किन्तु सन् १९४५ में जब राजषि टण्डन जी देश के प्रभावकारी नेता थे और उनके साथ एक बड़ा कार्य हमेशा बना रहता था और जब उनके विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी क्योंकि पद-भ्रान्ति और घनोपार्जन की सम्भावना बढ़ती दिखाई देती थी, तभी उन्होंने गांधीवादी निर्भीकता प्रकट करने में लेशमात्र संकोच नहीं किया। इस सम्बन्ध की एक साधारण घटना का अति गम्भीर अर्थ समझने का साधक आज समय है। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस की

आवृत्त-सामंजस्य, भाग १८९१]

चुनाव समिति की बैठक हो रही थी और प्रत्याशियों की सूची पर विचार किया जा रहा था। श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम सामने आया। कहते हैं कि टण्डन जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि "इन्हू को प्रत्याशी बनाना उचित न होगा। पहली बात तो यह है कि उनकी अवस्था अभी कम है। उन्हें राजनीतिक काम-काज का अनुभव प्राप्त करना शेष है। दूसरे उन्हें प्रत्याशी बनाने से अन्य अनेक त्यागी और कर्मठ परिवार के वास्तविक कार्यकर्ताओं को ठेस पहुँचिगी, उनका हमें ख्याल रखना चाहिये। तीसरे, नेहरू परिवार के हर व्यक्ति को विधान सभा या संसद में भेजने की प्रवृत्ति का देश का राजनीतिक जीवन पर नितान्त अस्वास्थ्यकर प्रभाव पड़ना है।" टण्डन जी ने देश के हित में राजनीतिक जीवन की शुचिता के पक्ष में और नेहरू परिवार के शुभेच्छु के रूप में यह विचार प्रकट किये थे। किन्तु उन्ही दिनों में देश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में अविनय, अविचार, उद्वेगता, अमद्वता आदि दुर्गुणों का उदय होने लगा था क्योंकि स्वार्थपूर्ति की आसन्न सम्भावना ने उन्हें अन्धा और बहुरा बनाना शुरू कर दिया था। चुनाव-समिति के ऐसे किसी एक विवेकशून्य सदस्य ने कहा— "टण्डन जी, अभी आप अभीर बयो हो रहे हैं। आपकी एक पुत्रवधू का नाम भी इस सूची में है।" टण्डन जी ने उस दिन के बाद से समिति की बैठकों में जाना बन्द कर दिया और वीरे-धीरे प्रवेश-कांग्रेस के क्रियाकलाप से पृथक् होने लगे। तब से कांग्रेस के स्वयम्भू नेताओं ने कांग्रेस और देश का कितना और कैसा पतन कर डाला है, यह प्रत्यक्ष है, इसकी चिन्तना दुःखद तो है ही; अनावश्यक भी है। आज किसमें यह साहस है कि कठोर सत्य कहे? किसमें यह साहस है कि ५० वर्ष की अपनी सेवा को खुशी-खुशी भूलकर पद का त्याग कर दे? आज कौन है जो कबीर की बानी दुहराता हुआ लोगों से कह सके कि सत्य और न्याय के पक्ष में जूझने के लिए, अपना घर फूँक दे और हाथ में लुआठी लेकर निकल पड़े? यह सही है कि आज के अन्धकार के युग में ऐसा एक भी व्यक्ति दिखायी नहीं पड़ता।

राजर्षि टण्डन जी का स्मरण कृतज्ञतापूर्वक करते रहना हमारा धर्म है जिससे भावी सन्तति के लिए प्रेरणा-भेत की अजल धारा बहती मिलती रहे। ऐसे अवसर पर उन अधूरे कार्यों की ओर भी ध्यान देना भी हमारा कर्तव्य है जो टण्डन जी का शरीर अधूरा छोड़ गया है। यदि जगन्नियन्ता ने ऐसा कोई काम अधूरा छोड़ रखा है तो उसका यही अर्थ है कि राजर्षि टण्डन जी से प्रेरणा लेने वाले उसे पूरा करने के लिए कृल-संकल्प हों। कर्मठ लोगों को उत्पन्न करने के लिए प्रकृति बहुधा अनेक समस्याओं को अधूरा छोड़ देती है और नवी समस्याएँ उत्पन्न करती रहती है।

हिन्दी की समस्या की गिनती इसी में की जानी चाहिए। देश की एकता को पुष्ट करने के लिए इस शताब्दी के आरम्भ में पूज्य मालवीय जी ने हिन्दी को माध्यम माना था। महात्मा गांधी ने पूज्य मालवीय जी का अनुकरण किया और हिन्दी के काम को आगे बढ़ाया। टण्डन जी ने मालवीय जी की आज्ञा मानकर हिन्दी की सेवा का व्रत धारण किया। गांधी जी से मतभेद होने पर हिन्दी की रक्षा के निमित्त उनसे भी लोहा लिया। राजर्षि टण्डन जी के प्रभाव का ही फल

था कि भारतीय संविधान ने हिन्दी को केन्द्रीय शासन की और राज्यों के पारस्परिक व्यवहार की भाषा स्वीकार किया और घोषित किया कि भारत की राजभाषा हिन्दी होगी। संविधान में हिन्दी को यह पद-प्रतिष्ठा देने के बाद साहसहीन और अदूरदर्शी स्वार्थी प्रशासकीय नेताओं ने हिन्दी की न केवल उपेक्षा की, बल्कि दिन-रात उसकी निन्दा करते रहे। यहाँ तक कि राजर्षि टण्डन जी और सेठ गोविन्ददास को कठमुल्ला, हिन्दी वाला, दकिन्यानूसी, प्रतिक्रियावादी आदि नाम से पुकारने लगे। यदि टण्डन जी तनिक क्षिणिल न होत तो हिन्दीकरण की तिथि १५ वर्ष की न रखी गयी होती। स्नेही साधियों का आग्रह मानकर उन्होंने १५ वर्ष की अवधि मान ली थी। किन्तु वह जानते थे कि १५ वर्ष की समाप्ति के समय उन्हें पुनः उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। टण्डन जी के इस संघर्ष का वर्णन प्रमुख पत्रकार श्री कुलदीप नायर ने अपनी पुस्तक 'बिटविन द लाइन्स' में किया है। उसकी कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत करना काफी है और इस बात को दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दी के प्रश्न पर समझौता करना उन्हें स्वीकार नहीं था और हिन्दी के उन्नयन के मार्ग की भाषा को दूर करना वह कितना बड़ा कर्तव्य और धर्म मानते थे।

राजर्षि टण्डन जी पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त के पुराने मित्र थे। दोनों में बड़ा स्नेह था। एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। किन्तु हिन्दी के मामले में टण्डन जी के मामले यह सम्बन्ध नगण्य महत्व का था। इसका प्रमाण कुलदीप नायर की पुस्तक का यह अंश (पृष्ठ ३०) है—“राजभाषा की ससदीय समिति की अन्तिम बैठक में २५ नवम्बर १९५८ को तत्कालीन स्वराष्ट्रमन्त्री गोविन्दवल्लभ पन्त को सम्बोधित करने हुए उत्तेजित पुरुषोत्तमदास टण्डन ने बिल्ला कर कहा—‘आप देशद्रोही हैं। उत्तर प्रदेश में भी जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और आप मुख्यमन्त्री थे तभी मैंने आपके हिन्दी-प्रेम पर सन्देह था। आज मेरी यह धारणा पक्की हो गयी है आपमें कुछ भी (प्रेम) नहीं है।’ इससे कमरा स्तब्ध हो गया। सदस्य विचलित हो उठे। शान्त मुद्रावाले पन्त जी की आकृति भी रोषपूर्ण हो गयी। तभी एकाएक उनकी छड़ी जो उनकी कुर्सी से लगी खड़ी रहा करती थी, गिर पड़ी। कुछ देर तक केवल एक यही आवाज कमरे में सुनी गयी। उसके बाद मद्रास के एक सदस्य डाक्टर ए. गम्बामुदी मुदालियार ने विरोध प्रकट किया। कई अन्य लोगो ने उनका साथ दिया। जिनमें हिन्दी-समर्थक सेठ गोविन्ददास जी भी थे। जिन्होंने समिति में टण्डन जी का समर्थन किया था। टण्डन जी उस से मत नहीं हुए। आक्रोश में बैठे रहे।” पन्त जी से राजर्षि जी को चिन्तायत थी कि उन्होंने अपना अध्यक्षीय मत देकर कामरेड डांचे के विरोधी मत को निरस्त क्यों नहीं कर दिया। आज बैसा कौन रह गया है जो हिन्दी के लिए अपने घनिष्ठ मित्र से भी कठोरतापूर्वक बोल सके ?

कुमारो पुष्पा अबबाल

राजर्षि टंडन जी : लोकप्रिय व्यक्तित्व

सभी व्यक्ति महान् नहीं होते, यह सर्वविदित है। पर जो महान् होते हैं वे व्यक्ति ही होते हैं। साधारण बात है। बहुत ही मामूली। पर बड़ी गहरी है। मस्तिष्क में तुरन्त प्रश्न कौशला है कि आखिर इस व्यक्ति का 'क्या' उमे महान् बना देता है जो दुनिया उमे पूजती है। और यही हम गहराई में जाते हैं। एक व्यक्तित्व की। जिस प्रकार विशाल एवं गम्भीर समुद्र की गहराई में जाने पर असंख्य मणि मुक्ताओं का भण्डार मिल जाता है उसी प्रकार किसी भी महापुरुष के जीवन की गहराइयों में उतरने पर असंख्य मन्त्रों (जीवन मन्त्र जिनकी वे साधना करते हैं) का भण्डार मिल जाता है। वहाँ हम अनुभव करते हैं कि अथक परिश्रम, असीम उत्साह, श्रद्धा, विश्वास, माहस और कष्टों को झेलने की अनन्त गहनशक्ति इसके मूल नख्य रहे हैं।

हमारे प्राचीन काल के ऋषियों जैसा रूप है श्रद्धेय टण्डन जी का, आप बाल कमी नहीं बनवाते थे। सिर के तीन और लम्बे लम्बे बाल जो लन्द्राकार बनाने हैं और लम्बी दाढ़ी हमारे प्राचीन काल के ऋषियों का रूप। जीवनभर आप देश में जागृति लाने का अथक प्रयाग करते रहे। आपका मुख्य पहनावा गमियों में घोंती, कुर्ता तथा जाड़े में घोंती, अचकन था। कमी कमी जब अधिक शीत पड़ती थी तो पायजामे का भी उपयोग कर लेते थे। पैर में कपड़े का जूना पहनते थे। जूते का नीचे का भाग सूत की रस्सी से बँटकर बनाया जाता था।

राजर्षि जी केवल वेपमूषा और रहन-सहन से ही ऋषि नहीं लगते थे, वरन् उनका खान-पान भी ऋषि मुनियों का सा सादा था। कमी कमी तो आश्चर्य होने लगता है देखकर कि मनुष्यों में से ही कोई प्राणी इस प्रकार कठिन साधना कर उन असाध्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जीवन मे संघर्ष कर रहा है जिनके लिए हमारे प्राचीन भारत के माधक प्रसिद्ध हैं। टण्डन जी गांधी जी की तरह जीवन के लिए भोजन में विश्वास करते थे। 'भोजन के लिए जीवन में नहीं।' सन १९०३ ई० में नमक आन्दोलन के वर्षों पहले से ही आपने नमक खाना बन्द कर दिया था। दाल, तरकारी आप बिना नमक के ही खाते थे, हूँ यदि अनजान में किसी ने नमक मिला दिया तो आप उसे फेंकने के पक्ष में नहीं थे। आप नमकीन और बिना नमक दोनों प्रकार का भोजन शक्तिपूर्वक खा लेते थे। चीनी के स्थान पर गुड़ का उपयोग करते थे। आप स्वास्थ्य की दृष्टि से कच्चे खाये जाने वाले पदार्थों को अधिक रुचि से खाते थे। वे 'भोजन' जैसी तुच्छ वस्तु को, जो कि पेट भर कर भानवीय मशीन को चलाने योग्य बनाती है, अधिक महत्त्व नहीं देते थे।

अनेक उदाहरण आपके जीवन में भरे पड़े हैं जबकि आप महीनों केवल फल खाकर ही रह जाते थे।

टण्डन जी अपने सार्वजनिक जीवन में कितने कठोर पुरुष रहे हों पर वास्तविकता यह है कि आप अत्यन्त ही कोमल हृदय के पुरुष थे। एक घटना इस सम्बन्ध में विशेषरूप से उल्लेखनीय है। सन १९३७ ई० की बात है, आप अस्वस्थ थे। अतः डाक्टरों की राय से आपको गाय का दूध पीने के लिए दिया जाता था। एक दिन आपने अपने निजी सचिव से कहा कि दूधवाले को बुलाकर यही दूध बुहाया करो ताकि तुरन्त ताजा दूध पीने को मिल जाया करे। सचिव ने दूध वाले को गाय सहित बुलाया। जब ग्वाला दूध दुहने लगा तो टहलने-टहलते आप भी वहाँ पहुँच गये। ग्वाले ने बछड़े को पहले पिला कर गाय के अगले पँरे में बाँध दिया और फिर दूध दुहने लगा। गाय का बच्चा जो गाय के अगले पँरे में बाँधा अपनी माँ का दूध पीने के लिए जी तोंड़ कोशिश कर रहा था और माँ के सीने में मँह से धक्का दे रहा था आप बैठे बैठे यह सब देख रहे थे।

जब दुहा हुआ दूध आपके पास लाया गया तो उस समय आपकी आँखों में अभूषारा निकल रही थी। आपने कहा, मैं दूध नहीं पी सकता। जब हम अपनी माता का दूध दूसरे को नहीं पीने देते तो दूसरे की माता का दूध हमें कदापि नहीं पीना चाहिए। यह घोर अन्याय है। महान् पाप है। मैं दूध नहीं पी सकता। सचिव ने कहा "बाबूजी, बछड़े के पीने से अधिक मात्रा में गाय दूध देती है। अतः इसके दुहने से बछड़े के भाग का दूध नहीं लिया गया। दूसरे बछड़े को अगर अधिक दूध पिला दिया जाएगा तो वह बीमार हो जायेगा। उसके पेट में कीड़े पड जायेंगे। इसलिए उसे उचित मात्रा में ही दूध पिलाया जाता है। गाय अधिक दूध देती है अतः उमका बछड़ा भूखा कदापि नहीं रह सकता। किन्तु आपने दूध पीने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। तब से आप दूध का प्रयोग नहीं करते थे। अपने सिद्धान्तों के पीछे टण्डन जी ने बड़े से बड़े प्रलोभन को भी पास नहीं फटकने दिया। और बड़ी से बड़ी वस्तु का त्याग कर दिया।

टण्डन जी की ईमानदारी एवं सत्य परायणता सर्वविदित है। राजनीति में भी आपने कमी छल-छपा से काम नहीं लिया। आपने कमी भी स्वार्थ या पद प्राप्ति के लिए कोई तिकड़म-बाजी नहीं की। आप बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अनेको गुण आपके व्यक्तित्व में भरे पड़े थे। आप अंग्रेजी, हिन्दी, फारसी तथा संस्कृत के अच्छे जानकार थे। फारसी की पुस्तकों को तो आप बहुत ही पसन्द करते थे। भारतीय संस्कृति के तो एक मुदुब स्तम्भ ही थे। एक स्पष्ट वक्ता की भाँति सत्य बात को छिपाना आपका स्वभाव नहीं रहा। कुछ लोगों का क्याल है कि आप इसी कारण इतने पीछे रह गये। क्योंकि आपकी बुद्धि ने जिस बात को स्वीकार नहीं किया आपने डटकर उसका विरोध किया। यदि आप ऐसा न करते तो हमारे देश के उच्चतम श्रेणी के नेता के रूप में आपको कमी का प्रमुख स्थान मिल गया होता।

आतिथ्य सत्कार भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट अंग है। टण्डन जी, अपने अतिथियों की देखभाल स्वयं करते थे। उनमें रहने, खाने-पीने, तथा सोने और अन्य सभी प्रकार

की सुविधाओं का आप ध्यान रखते थे। सब मिलाकर आप एक कुशल व्यावहारिक व्यक्ति थे।

आदत मानव का स्वभाव बन जाती है। और स्वभाव की वजह से जहाँ मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है वहीं पर कमी-कमी स्वभाव कष्टदायक भी हो जाता है। टण्डन जी का स्वभाव या प्रत्येक कार्य को महत्वपूर्ण समझना। चूँकि आपके पास अनेको महत्वपूर्ण कार्य रहते थे और आपका जीवन अत्यन्त व्यस्त था अतः अनावश्यक रूप से साधारण कार्यों को भी महत्वपूर्ण बना देने से कई बार उनके आवश्यक काम पिछड़ जाते थे।

श्रद्धेय टण्डन जी में कुछ क्रोध की भावा भी थी। परन्तु आप तत्क्षण ही मूल जाते थे कि मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया है। आप जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध करते थे लगभग एक मिनट बाद ही क्रोध को मूलकर उससे प्रसन्नतापूर्वक बात करते लगते थे।

सन १९०५ ई० में बंग भंग आन्दोलन के समय जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ उसी समय से आपने चीनी खाना बिल्कुल छोड़ दिया। दूसरा कारण चीनी त्याग देने का यह है कि सन १९०५ ई० के मास पास हमारे देश का बहुत सा रुपया चीनी के आयात में लगाया जाता था। कपड़े के पच्चात् चीनी के आयात पर रुपया खर्च होता था। उस समय कपड़े का आयात लगभग साठ सत्तर करोड़ रुपये का होता था और चीनी का आयात लगभग चौबीस करोड़ रुपये का। इस प्रकार देश के धन का बहुत बड़ा भाग विदेशों को भेंट किया जाता था। इस स्थिति से देश को बचाने के लिए आपने चीनी का परित्याग किया। एक कारण यह भी था कि उस समय लोगों की ऐसी धारणा थी कि चीनी हड्डी के कोयले से साफ की जाती थी और उसमें रक्त के कण मिले रहते हैं। इसलिए भी आपने चीनी को तिलांजलि दे दी। आपने सन् १९२१ ई० में चीनी पर एक नोटिस भी छपवाई थी जिसमें चीनी का सेवन कम करने के लिए जनता से अनुरोध किया गया था। और उससे होनेवाली हानि की ओर जनता का ध्यान आकषिप्त किया गया था।

यह घटना सन १९०७ ई० की है। आपके निकट सम्पर्क वालों को तो पता ही था कि आप चमड़े का जूता नहीं पहनते थे। चमड़े का जूता पहनना आपने क्यों छोड़ दिया इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार आपको कसाई खाना खोलने के लिए व्यापारियों का एक मसीदा बनाना पड़ा। उस समय आपने देखा कि मोहत्या केवल मांस खाने के लिए नहीं बरन चमड़े के लिए भी की जाती है। अतः तब से आपने संकल्प किया कि चमड़े का जूता नहीं पहनूँगा। यही कारण है कि जब आप सन १९०९ ई० में सर्वप्रथम हार्डकोर्ट में वकालत करने गये तो उस समय आपके पैर में जूट की रस्सी का बना हुआ मड़ा सा जूता था। उस समय उस जूते को देखकर डा० सर तेज बहादुर सप्रू ने आपकी चुटकी लेते हुए कहा था कि हजरत ! ये जूता पहनकर हार्डकोर्ट में वकालत करने चले हैं। इस वाक्य पर बड़ी देर तक हँसी होती रही तब भी आपने चमड़े के जूते का कमी उपयोग नहीं किया।

व्यक्तित्व की दृढ़ता का एक से एक उदाहरण हमें उनके जीवन में मिल जायेगा।

सन १९१४ ई० से ही आपने घी खाना छोड़ दिया था क्योंकि आपका ख्याल था कि घी मुट्ठापा बढ़ाता है।

सन् १९२१ ई० के आन्दोलन के बाद आपने कई राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की और देश के प्रतिष्ठित नेताओं का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित किया। काशी विद्यापीठ की भाँति आपने इलाहाबाद में हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की। इसके प्रथम आचार्य आप ही थे और सर्व प्रथम विद्यार्थी आपके पुत्र। जीवन पर्यन्त आप इसकी सहायता करते रहे।

सन १९०८ ई० से लेकर सन १९०९ ई० के कुछ मास तक आपने प्रयाग से निकलने वाले प्रमुख और प्राचीन समाचार पत्र 'अम्बुदय' का बड़ी योग्यता के साथ सम्पादन किया। इस समाचार पत्र के सर्वप्रथम सम्पादक प्रातःस्मरणीय महामना प० मदनमोहन मालवीय जी थे। उस समय आपही लगभग पत्र का सारा काम देखा करते थे। आप ही मैनेजर थे।

टण्डन जी पूर्णरूप से एक आध्यात्मिक पुरुष थे। यूँ तो वे हमारे सामने अनेक रूपों में आते हैं। और सत्य भी है कि प्रतिभा एकामी नहीं होती। एक साहित्यकार, राजनीतिक नेता, सम्पादक, अध्यापक, व्यवस्थापक, वक्ता, कार्य-कर्त्ता, और न जाने क्या, क्या। परन्तु इन सबसे ऊपर एक महान् व्यक्तित्व जो अपने अलौकिक तेज द्वारा आकाश की ऊँचाइयों छूता प्रतीत होता है, जिसके सम्मुख यह सब बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं, उनका वह व्यक्तित्व एक प्रकाश स्तम्भ की भाँति ज्योति-किरणों बिखेरता अविचल एवं अडिग खड़ा हुआ है जिसके सम्मुख अनायास ही मानवमात्र का मस्तक नत हो जाता है।

ग्राहकों से निवेदन

सम्मेलन-पत्रिका के प्रेमी एवं नियमित पाठक ग्राहक-सम्बन्धियों से मुझे यह निवेदन करते थोड़ा सफ़ोस हो रहा है कि पत्रिका भाग ५६ से इसका शुल्क ८ ६० के स्थान पर १०) वस रुपये कर देना पडा है। कागज तथा छपाई आदि के मूल्य इधर पिछल कई वर्षों से बहुत बढ़ गये हैं फिर भी हम सम्मेलन पत्रिका को ८) ६० वार्षिक से ही देते रहे हैं। क्योंकि सम्मेलन इस पत्रिका को किसी लाभ के लिए नहीं राष्ट्रभाषा और उसके साहित्य के समुत्थान तथा सवद्धन के लिए निकालता है। बतमान परिस्विति मे मलमी के और अधिक बढ़ जाने से वार्षिक शुल्क १०) ६० वस रुपये कर देने के लिए हमे विवश होना पडा है। हम पत्रिका मे वष भर मे ५०० पृष्ठों से अधिक की अनुशीलन शोध पूण सामग्री पाठका को विद्या ५रते हे इस दष्टि से यह १०) ६० वार्षिक शुल्क अधिक नही है। कृपया आगामी वष सन १९७० भाग ५६ का शुल्क मेजते समय इस सूचना को ध्यान मे रख।



व्यवस्थापक

सम्मेलन पत्रिका

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

धौर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० (०५) २२ (५६) ५

लेखक श्री-ज्योति प्रसाद, श्रीकाशी रामप्रसाद

शीर्षक संस्कृत पाठिका

संख्या ४२४७

क्रम संख्या